वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-24

तकनीक से भारत का वित्तीय समावेशन और विकास

Tech Innovation: Driving India's Financial Inclusion

विकसित भारत के चार स्तंभ

विकसित भारत, समृद्ध भारत

Developed India, Prosperous India

श्री विवेक जोशी, सचिव, डीएफएस, श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव, डीएफएस और निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक, श्री के. जी. अनंतकृष्णन, अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) और श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ द्वारा प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक के गो ग्रीन पहल के तहत पीएनबी पलाश 2.0 का शुभारंभ किया गया

Shri Vivek Joshi, secretary, DFS,Shri Pankaj Sharma , Joint secretary, DFS & Director, Punjab National Bank, Shri K.G.Ananthakrishnan, Chairman (Non-Executive) and Shri Atul Kumar Goel, MD&CEO Launching PNB Palaash 2.0 under Go Green intiative of the Bank on the occasion of 130th Foundation Day at Head office, Dwarka,New Delhi

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल, पंजाब नैशनल बैंक को प्रदत्त राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा तथा राज्यसभा के उप सभापति, श्री हरिवंश नारायण सिंह एवं केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, श्री भानु प्रताप वर्मा से ग्रहण करते हुए.

The Rajbhasha Kirti Puraskar First Prize conferred on Punjab National Bank was received by Shri Atul Kumar Goel,Managing Director & Chief Executive Officer from Shri Ajay Kumar Mishra, Minister of State for Home Affairs, Shri Harivansh Narayan Singh, Deputy Chairman, Rajya Sabha and Shri Bhanu Pratap Verma, Union Minister of State for MSME

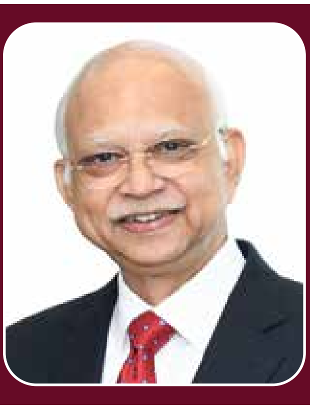

अध्यक्ष का संदेश
Chairman's Message

वर्ष 2024 पंजाब नैशनल बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यह 12 अप्रैल, 1895 को लाहौर से अपने संचालन की शुरुआत के अपने 130वें वर्ष में प्रवेश करेगा। बैंक ने स्वयं को सुदृढ़ कर परिवर्तनों की तीव्र हवाओं का सामना करते हुए एक लंबा सफर तय किया है, और इससे पिछले कई वर्षों में इसकी सुदृढ़ता का संकेत मिलता है। विवेक, सावधानी एवं दूरदर्शिता के सिद्धांतों पर निर्मित, पीएनबी कई संकटों का सामना करते हुए और मजबूत बनकर उभरा है, और अपने हितधारकों एवं ग्राहकों के बीच विश्वास का केंद्र बन गया है।

पंजाब नैशनल बैंक ने पिछले 13 दशकों की अपनी बैंकिंग यात्रा में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत के बैंकिंग परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा आज यह देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुझे आपके बैंक द्वारा की गई प्रगति और वित्त वर्ष 2023–24 के सामान्य परिचालन परिवेश को आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

समष्टि आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023–24 में वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रही, जिसमें मंदी की आशंका कम हुई और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विकास में बहाली हुई। विनिर्माण और सेवाओं में आर्थिक वृद्धि के बावजूद, युद्धों के कारण वैश्विक प्रतिकूलताएँ बनी रहीं। रूस–यूक्रेन संघर्ष बढ़ा और इज़राइल–फिलिस्तीन के नए युद्ध ने व्यापार मार्गों को आंशिक रूप से बाधित कर दिया।

इन वैश्विक रुझानों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही और यह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था रही। बीसीजी रिपोर्ट[1] के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और 2047 तक यह एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। "आज, भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक विकास का सारथी बन रहा है"[2]। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि के साथ उम्मीदों से अधिक रही। यह वर्ष सकारात्मक रुझान के साथ समाप्त हुआ, जिसमें जीएसटी संग्रह, कार बिक्री और यूपीआई लेनदेन जैसे उच्च आवृत्ति संकेतक नई उचाईयों पर पहुंच गए। भारत का विनिर्माण पीएमआई मार्च, 2024 में 16 साल के उच्च स्तर 59.1 पर पहुंच गया।

1. बीसीजी प्रस्तुति – दिनांक 6 अप्रैल 2024 को पीएनबी के लिए उभरते रुझान और निहितार्थ।
2. 1 अप्रैल, 2024 को मुंबई में आयोजित आरबीआई/90 उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ अंश।

The year 2024 is a momentous year for Punjab National Bank as it enters its 130th year of operations from its commencement on 12th April, 1895, from Lahore. The bank has travelled a long way, gaining strength and braving strong winds of change, indicating its tenacity over the past so many years. Built on the principles of prudence, caution, and a forward-looking approach, PNB has come out stronger, weathering many crises, and has grown to be the repository of trust among its stakeholders and customers.

Punjab National Bank, in its journey over the last 13 decades, has played a highly instrumental role in shaping the banking landscape of pre and post-independence India, and continues to play a significant role in the country's economic growth.

It gives me great pleasure to share with you the progress your Bank has made and the general operating environment in FY2023-24.

Macro-Economic Scenario

The global economy in FY2023-24 fared better than expected, marked by fading fears of recession and a resurgence in growth in major economies. Despite economic growth in manufacturing and services, global headwinds due to wars persisted. The Russia-Ukraine conflict extended and a new Israel-Palestine war partially disrupted trade routes.

Amidst these global trends, the Indian economy remained resilient and was the fastest-growing major economy in the world. As per the BCG report[1], the Indian Economy is at an inflection point today and will become a developed nation by 2047. "Today, India is becoming the engine of global growth with 15 percent share in global GDP growth"[2]. The economic growth of India exceeded expectations with strong growth of 8.2 per cent for FY 2023-24. The year ended on a positive note, with high-frequency indicators like GST collections, car sales, and UPI transactions hitting high spots. India's Manufacturing PMI climbed to a 16-year high of 59.1 in March'2024.

1. BCG presentation-Emerging Trends and Implications for PNB dated 6th April 2024
2. Excerpts from Prime Minister's address RBI@90 opening ceremony dated 1st April, 2024, in Mumbai

भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक है बढ़ती हुई व्यय योग्य आय के कारण बड़ी घरेलू खपत मांग में तेजी, आपूर्ति श्रृंखलाओं का वैश्विक पुनर्गठन; विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, भारत को दुनिया का कारखाना बनाने वाली उच्च निर्यात क्षमता, बढ़ते हुए पब्लिक पूंजीगत व्यय के साथ सहायक वित्तीय इकोसिस्टम और जनसांख्यिकीय लाभांश हैं।

भारत का डिजिटल परिदृश्य रोमांचक संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। तेजी से बढ़ते ई–कॉमर्स, फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र योग्य पेशेवरों के लिए कई अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रम डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जो डिजिटल प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करते हैं और उभरते खतरों से बचाते हैं, जिससे यह सफल डिजिटल परिवर्तन की आधारशिला बन जाता है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। स्विस रे इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, बढ़ते तापमान से 2050 तक जीडीपी में 18% तक की कमी आ सकती है[3]। जलवायु जोखिम को कम करने के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को सामूहिक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन को कम करने में भारत सबसे आगे है। भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन की पहलों और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, लीडआईटी, जलवायु और आपदा प्रतिरोधी पहल, रेजिलिएंट द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा, ग्रीन क्रेडिट पहल एवं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जैसे मंचों की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क तैयार किया है और अपनी विनियमित संस्थाओं द्वारा जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रकटीकरण के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने इसी तरह कारोबार उत्तरदायित्व और सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) नामक प्रकटीकरण दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों को सस्टेनिबिलिटी मापदंडों से संबंधित प्रकटीकरण करना अनिवार्य हैं। भारत ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 2020–21 में ही प्राप्त कर लिया है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना और 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है।

बैंकिंग परिदृश्य

पिछला वित्तीय वर्ष भारतीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो एक दशक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है। सभी बुनियादी स्तंभों–व्यावसायिक वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता– में स्पष्ट पॉजिटिव वृद्धि हुई। आरबीआई के पाक्षिक डेटा के अनुसार, बैंक ऋण दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो 16 प्रतिशत (और एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय के प्रभाव को देखते हुए 20 प्रतिशत) तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से खुदरा ऋणों की जबरदस्त मांग से प्रेरित था[4]। उल्लेखनीय रूप से, सकल एनपीए 2018 में 11.25 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2023 तक 3 प्रतिशत से नीचे आ गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका संचयी लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा – जो पिछले वर्ष की तुलना में

3. स्विस रे इंस्टीट्यूट जलवायु परिवर्तन–वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार
4. 22 मार्च 2024 को आरबीआई का पाक्षिक डेटा

The key drivers that are propelling India's growth story are large domestic consumption demand on the back of rising disposable income, global realignment of supply chains; government launched Production Linked Incentive (PLI) Scheme to boost manufacturing, high export potential turning India into a factory of the world, supportive financial ecosystem with rising public capex and demographic dividend.

India's digital landscape presents exciting prospects. The burgeoning e-commerce, fintech, and Artificial Intelligence sectors offer a multitude of avenues for qualified professionals. Government programs like Digital India are fostering digital inclusion, expanding internet access and propelling the digital economy forward. However, there is a need for robust cybersecurity measures which ensure the integrity of digital processes and provide a shield against evolving threats, making it a cornerstone of successful digital transformation.

Climate change poses significant risks to both the global and Indian economies. Globally, rising temperatures could reduce GDP by up to 18% by 2050, according to a report by Swiss Re Institute[3]. Economies around the world will need to take collective action to mitigate climate risk. India is at the forefront of mitigating climate change. India has shown active participation in global climate change initiatives and commitment to renewable energy. India has initiated forums for climate action, such as the International Solar Alliance, LeadIT, Climate and Disaster Resilience Initiative, Infrastructure for Resilient Island States, Green Credit Initiative and International Big Cat Alliance. The Reserve bank of India on its part has also framed the Green Deposit framework for banks and issued guidelines for disclosure of climate related risks by its regulated entities. SEBI has similarly issued disclosure guidelines called the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) which mandate listed companies to make disclosures related to sustainability parameters. India has also achieved in 2020-21 the renewable energy target it had set for 2030. India aims to achieve net zero emissions by 2070 and fulfil 50 per cent of its energy requirements through renewable energy by 2030.

Banking Scenario

The last financial year marked a significant milestone for Indian banks, representing the best performance in a decade. Across all fundamental pillars—business growth, asset quality, profitability and capital adequacy —positive growth was evident. Bank credit surged to decadal-high levels, reaching 16 per cent (and 20 per cent considering the merger impact of HDFC Bank with HDFC Ltd.), primarily driven by robust demand for retail loans, as per RBI's fortnightly data[4]. Notably, gross NPAs decreased from 11.25 per cent in 2018 to below 3 per cent by September 2023.

Public Sector Banks played a pivotal role, with cumulative profits exceeding Rs. 1.4 Lakh Crore—a remarkable 35 per cent growth over

3 According to Swiss Re Institute's climate change-Annual Report 2021
4 RBI's fortnightly data as on 22nd March 2024

35 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह परिवर्तन काफी हद तक सरकारी पहलों और सुधारों का परिणाम है। हालाँकि, व्यवसाय के बाजार हिस्से में गिरावट सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक चुनौती बनी रही।

इसके साथ ही, भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में संरचनात्मक बदलाव आया। बैंकों ने नवाचार और डिजिटलीकरण को अपनाया, विभिन्न डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की। वित्त वर्ष 2023 –24 में यूपीआई लेनदेन ने 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि उल्लेखनीय 56 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। भारत अब वैश्विक स्तर पर अग्रणी है,और सभी डिजिटल भुगतानों में इसका 46 प्रतिशत हिस्सा है। मूल्य ऋण श्रृंखलाओं के डिजिटलीकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिजिटल बैंकिंग की ओर यह बदलाव भारत की कम नकदी वाले अर्थव्यवस्था की ओर की यात्रा को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) जैसी सरकारी पहलों के साथ–साथ डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को अपनाने से 50 करोड़ से ज्यादा लोग और कई छोटे व्यवसाय औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गए हैं। सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा की गई अन्य पहलों जैसे कि इंडियास्टैक पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) चालान प्रस्तुत करना, 59 मिनट माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) लोन पोर्टल, वित्तीय इकोसिस्टम में अकाउंट एग्रीगेटर और पेमेंट एग्रीगेटर, केसीसी ऋणों का डिजिटलीकरण, जैसी सुविधा प्रदाता के प्रवेश से अन्य आईटी एप्लीकेशनों के साथ यूपीआई की उन्नत अंतर–संचालन क्षमताएं शामिल होने से यूपीआई के दायरे और कवरेज में विस्तार हुआ है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) आदि नवाचार वित्तीय इकोसिस्टम को और बेहतर करेंगे।

बैंक परिचालन दक्षता में सुधार, जोखिम कम करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और नवोन्मेष सेवाओं को विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उभरती हुई तकनीकों का प्रयोग करना जारी रखेंगे। बैंक आपूर्ति श्रृंखला के वित्तपोषण के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं जो सुचारू लेनदेन को सक्षम करेगा, जोखिम कम करेगा और समग्र दक्षता को बढ़ाएगा।

एमएसएमई और कृषि जैसे अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्रों को ऋण देने के अलावा, बैंक की अंतरिक्ष, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे नए उभरते क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की संभावना है।

भारत में बैंक 5G इंटरनेट उपयोग, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, डिजिटल भुगतानों का विस्तार, बाधा रहित डेटा आधारित डिजिटल ऋण, जोखिम–कम करने वाली सुरक्षित डेटा सुरक्षा और बैंकों और फिनटेक के बीच सहयोग के साथ सेवाओं में प्रौद्योगिकी–चालित नवाचारों की अगली लहर के लिए तैयार हो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जरूरत मंद क्षेत्र को ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश वृद्धि में सहायता करेगा। उपर्युक्त कदम भारत के लिए 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

आपके बैंक में विकास

12 अप्रैल 1895 को 20,000 रुपये की शुद्ध स्वदेशी पूंजी से अपनी बैंकिंग यात्रा शुरू करते हुए, बैंक ने 31 मार्च 2024 को 23 लाख करोड़ रुपये के कुल कारोबार का कीर्तिमान प्राप्त कर लिया है। वित्त वर्ष 2023–24 में, आपके बैंक ने 8,245 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में वर्ष–दर–वर्ष 228 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की है।

the previous year. This transformation owes much to government initiatives and reforms. However, decline in market share of business remained a challenge for all the Public Sector Banks.

Simultaneously, the Indian banking landscape underwent a structural shift. Banks embraced innovation and digitalization, introducing various digital products and services. UPI transactions crossed the 100 billion mark in FY' 2023-24, registering a remarkable 56 per cent yearly growth. India now leads globally, accounting for 46 per cent of all digital payments. Lending to value chains, too, has made significant progress in digitization. This transition towards digital banking reflects India's journey towards a less cash economy.

The adoption of digital banking capabilities, along with Government initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Unified Payment Interface (UPI) and Goods and Service Tax (GST), has brought over 50 crore individuals and numerous small businesses into the formal banking system. Further initiatives by the Government and the regulator like harnessing Goods and Services Tax (GST) invoices on IndiaStack, the 59-minute Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) loan portal, introduction of more players in the financial ecosystem such as Account Aggregator and Payment Aggregators, digitalization of KCC loans, expanding the scope and coverage of UPI and greater interoperability of UPI with other IT applications. Central Bank Digital Currency (CBDC), Open Network for Digital Commerce (ONDC) etc. will further mature the financial ecosystem.

Banks will continue to deploy emerging technologies like artificial intelligence, machine learning, and the Internet of Things (IoT) to improve operational efficiency, mitigate risks, enhance customer experience, and develop innovative services. Banks are also experimenting with supply chain financing that will enable smoother transactions, reduce risks and enhance overall efficiency.

Apart from extending credit to traditional sectors of the economy like MSME and Agriculture, banks are also expected to venture into new emerging sectors like Space, Electric Vehicles and Renewable Energy, etc.

Banks in India are gearing up for the next wave of technology-fuelled innovations in services with the imminent growth of 5G internet usage, deeper smartphone penetration, expansion of digital payments, frictionless data-led digital lending, risk-mitigated secure data protection and collaboration between banks and FinTechs. The banking sector will aid the consumption and investment growth in the economy by providing credit for the needy sectors of the economy. The above steps will pave the way for India to become the third-largest economy with a GDP of $5 trillion by 2027.

Developments at your Bank

Beginning its journey from a pure Swadeshi capital of Rs.20,000 on 12th April 1895, the Bank achieved the landmark of Rs.23 lakh crore in Gross Business as of 31st March 2024. In FY'2023-24, your Bank registered the highest net profit year-on-year growth at 228 per cent to Rs.8,245 crores among all the Public Sector Banks. The Bank has

बैंक ने पिछले दो वर्षों में आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रगति की है, और अब इसका शुद्ध एनपीए और प्रावधान कवरेज अनुपात उद्योग के अनुरूप है। बैंक 11.5 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता के मुकाबले मार्च 2024 तक 15.97 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ भलीभांति पूंजीकृत है।

बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और निवेशकों का भरोसा जीतने के कारण पीएनबी का बाजार पूंजीकरण 15 दिसंबर 2023 को 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला हमारा बैंक तीसरा सरकारी बैंक है और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से यह शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध शेयरों में शामिल हो गया है।[5]

आपका बैंक हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता रहा है। सभी स्तरों पर और सभी लेन–देनों में ग्राहक आनन्द हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए, पीएनबी ने डिजिटल रूपांतरण सफ़र शुरू किया है और पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक डिजिटल उत्पाद, प्रक्रियाएँ और पोर्टल लॉन्च किए हैं। डिजिटल रूपांतरण की यह यात्रा जिन तीन स्तंभों पर आधारित थी, वे हैं – चैनलों को अधिक कुशल बनाने के लिए उनका पुनर्गठन, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और सर्वोत्तम क्षमताओं का निर्माण करना।

ग्राहक केन्द्रीयता को ध्यान में रखते हुए, बैंक विभिन्न ग्राहक वर्गों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू खाता और बचत खाता उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। आपके बैंक ने बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन पर कई नई सुविधाएँ और सेवाएँ शुरू की हैं साथ ही अपने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को भी सुदृढ़ किया है। हम अधिक समावेशी वित्तीय सेवा परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिनटेक इकोसिस्टम के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना है।

आपका बैंक, विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जोखिम न्यूनीकरण, मॉडल विकास, एटीएम और बीएनए[6] मशीनों में नकदी प्रतिधारण को अनुकूलित करने, खुदरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लेनदेन आधारित प्रोत्साहन, लीड जनरेशन, ग्राहक प्रतिधारण आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को भी शामिल कर रहा है।

आपके बैंक ने पिछले वर्ष बैंक में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए, जैसे जलवायु जोखिम प्रबंधन कक्ष की स्थापना, समर्पित बाजार इंटेलिजेंस यूनिट प्रभावी ऋण निगरानी के लिए नई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सजग 2.0 की शुरुआत, जोखिम डैशबोर्ड, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना आदि।

आपके बैंक ने अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर अनुपालन को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अनुपालन निगरानी उपकरण, रेगुलेटरी दंडों को ट्रैक करने के लिए दंड रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली और आंतरिक रूप से विकसित अनुपालन जोखिम मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके बैंक स्तर पर अनुपालन जोखिम की निगरानी करना।

भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और आपका बैंक इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएनबी ने इलेक्ट्रिक वाहनों, रूफटॉप सोलर पैनलों के वित्तपोषण जैसी हरित

5. 02 फरवरी 2024 को
6. एटीएम – ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बीएनए – बंच नोट एक्सेप्टर

made significant progress in asset quality in the last two years, and now its Net NPA and Provisioning Coverage Ratio are in line with the industry. The Bank is also well capitalized with a capital adequacy ratio of 15.97 per cent as of March'2024 as against the regulatory requirement of 11.5 per cent.

On the back of strong financial performance and gaining investors' trust, the PNB's market capitalization crossed Rs.1 lakh crore mark on 15th December 2023. Our Bank is the third PSB to achieve this feat, and it has also joined the top 50 most valuable listed stocks in terms of market capitalization.[5]

Your Bank has always been striving to offer the best. Customer delight at all levels and in all transactions is our goal. To achieve this, PNB embarked on a Digital Transformation Journey and in the last 2 years has launched more than 100 digital products, processes and portals. The three pillars on which this digital transformation journey was based are –revamping of channels to make them more efficient, reduce human intervention and building the best capabilities.

Keeping customer centricity in mind, Bank offers a range of Current Account and Savings Account products to cater to varied financial needs of different customer segments. Your Bank has introduced various new features and services in its mobile and internet banking application to facilitate ease of banking services and also strengthened its customer grievance redress mechanism. We are constantly collaborating with the Fintech ecosystem to pave the way for a more inclusive financial service landscape, with the primary goal of enhancing customer service.

Your Bank is also incorporating Artificial Intelligence, Machine Learning in various processes like risk mitigation, model development, optimizing cash retention in ATM & BNA[6] machines, transaction based nudges for boosting retail products, lead generation, customer retention, etc.

Your Bank undertook various measures last year to reinforce sharper risk management at the bank like setting up of a climate risk management cell, dedicated Market Intelligence Unit, introducing new Early Warning System SAJAG 2.0 for effective credit monitoring, risk dashboard, strengthening of product approval process etc.

Your Bank also undertook various steps to strengthen its compliance culture like Compliance Monitoring Tool to track and monitor individual level compliance, Penalty Reporting and Monitoring System to track regulatory penalties and monitoring Compliance Risk at Bank level using in-house developed Compliance Risk Assessment Model.

India strives to achieve net zero emissions by 2070, and your Bank will play a pivotal role in this transition. PNB has launched various schemes for green financing like financing of Electric Vehicles, rooftop solar

5. as on 2nd February 2024
6. ATM - Automated Teller Machine, BNA - Bunch Note Acceptor

वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और इसके साथ ही विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण भी प्रदान करता है। बैंक ने पिछले साल पीएनबी पलाश भी शुरू किया था, जो ऊर्जा और संसाधन संरक्षण, कागज़ के उपयोग में कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और सुव्यवस्थित डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे उपायों के माध्यम से बैंक के परिचालन में निरंतरता लाने हेतु आठ महीने की अवधि का अभियान है।

भावी राह

कारोबार वृद्धि में तेजी लाने के लिए, आपका बैंक रिटेल, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट जैसे सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। रिटेल ऋण के लिए, बैंक के पास प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई उत्पाद हैं और यह अपने विशेष ऋण प्रोसेसिंग केंद्र और मार्केटिंग वर्टिकल का लाभ उठा रहा है। बैंक निरंतर आधार पर रिटेल ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बिल्डरों, आवास ऋण परामर्शदाताओं, कार डीलरों और एनबीएफसी के साथ टाई–अप करेगा।

आपका बैंक किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए कृषि पोर्टफोलियो पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। ग्रामीण शाखाओं के अपने सघन नेटवर्क का लाभ उठाने के अलावा, आपका बैंक कृषि के लिए अपने डिजिटल उत्पादों जैसे एग्री गोल्ड लोन, कृषि तत्काल ऋण आदि का विपणन करना जारी रखेगा। बैंक स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण और खाद्य एवं कृषि आधारित सहायक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ टाई–अप करने की भी योजना बना रहा है।

केंद्रित प्रोसेसिंग केंद्रों के कारण बेहतर ऋण संस्कृति ने बैंक को सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ एमएसएमई ऋणों में वृद्धि को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में ला दिया। 13.5 लाख विक्रेता सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर पंजीकृत हैं जो एमएसएमई पोर्टफोलियो को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। भारत में, आने वाले वर्षों में एमएसएमई की संख्या 6.3 करोड़ से बढ़कर 7.2 करोड़ होने की उम्मीद है। केवल 15% एमएसएमई औपचारिक ऋण के दायरे में हैं, जो विशाल अप्रयुक्त सम्भावना प्रदान करते हैं। इसका लाभ आपके बैंक द्वारा शाखाओं के विशाल नेटवर्क, एमएसएमई ऋण हेतु विशेष केंद्रों, एमएसएमई खंड के लिए योजनाओं और उत्पादों की श्रृंखला तथा डिजिटल चैनलों के माध्यम से उठाया जा सकता है। मौजूदा 58 एमएसएमई क्लस्टरों के अलावा, बैंक का लक्ष्य अतिरिक्त क्लस्टरों की पहचान करना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए, हम अनुकूल वित्तीय उत्पाद और एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ये सभी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर क्लस्टर–आधारित वित्तपोषण के माध्यम से प्रदान किए जाएगें।

कॉर्पोरेट ऋण के लिए, आपके बैंक ने ऋण प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए प्रधान कार्यालय में अत्यधिक बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ/बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ और केंद्रीकृत उद्योग उन्मुख ऋण डेस्क बनाया है। बैंक बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ–साथ 14 क्षेत्रों में ऋण देना जारी रखेगा, जिनके लिए सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है।

इन सभी उपायों से बैंक को समग्र कारोबार में अपनी बाजार हिस्सेदारी पुनः हासिल करने में मदद मिलने की आशा है।

बैंक अपनी कारोबार वृद्धि रणनीति को जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप बनाना सुनिश्चित कर रहा है। बैंक ने आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु जोखिमों, विनियामक जोखिमों, साइबर जोखिमों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां और रूपरेखाएँ तैयार की हैं।

panels and extending credit to various renewable energy projects. The Bank last year also launched PNB Palaash, an eight-month period campaign to embrace sustainability in bank's operations through measures such as energy and resource conservation, paper reduction, waste management and streamlined digital processes.

Going Forward

For accelerating business growth, Your Bank will continue to focus on all the segments like Retail, Agriculture, MSME and Corporates. For Retail Credit, Bank has multiple products for meeting the credit needs of the customers at competitive rates and it is leveraging its specialized loan processing points and marketing verticals. Bank will undertake tie-ups with Builders, Home Loan Counsellors, Car Dealers and NBFCs for driving retail credit growth on continued basis.

Your Bank will continue its focus on agriculture portfolio to help farmers meet their credit requirements. Apart from leveraging its dense network of rural branches, Your Bank will continue to market its digital products for agriculture i.e. Agri Gold Loan, Krishi Tatkal Rin etc. Bank also plans to tie up with State Rural Livelihood Mission for financing of Self Help Groups and for financing food and agriculture based ancillary activities.

Improved credit culture due to focused processing centres made the Bank well positioned to capitalize an increase in MSME loans with the upswing in GDP. 13.5 Lakh vendors are registered on Government e-Marketplace (GeM) providing a large opportunity to increase MSME portfolio. In India, the number of MSMEs are expected to grow from 6.3 Crore to 7.2 Crore in the coming years. Only 15% of MSMEs are under the purview of formal credit, providing vast untapped potential, that could be exploited by your bank through vast network of branches, specialized centres for MSME loans, array of schemes and products for MSME segment and digital channels. Apart from the existing 58 MSME clusters, the Bank aims to identify additional clusters. For each cluster, we plan to introduce customized financial products and an awareness program, all facilitated through cluster-based financing at competitive interest rates.

For Corporate Credit, Bank has dedicated Extra Large Corporate Branches/ Large Corporate Branches and Centralized Industry Oriented Credit Desk at Head Office for quick disposal of credit proposals. Your Bank will continue to extend credit in Core Industries like Infrastructure sectors, Real Estate, Engineering Procurement and Construction, Food Processing along with 14 sectors for which government has launched the Production Linked Incentive (PLI) scheme.

All these measures are expected to help the Bank regain its market share in overall business.

Bank is ensuring to align its business growth strategy with its risk appetite. Your Bank has devised various policies and frameworks for management of risk emanating from various sources like economic uncertainties, climate risks, regulatory risks, cyber risks etc.

आपका बैंक समाज को वापस देने के सिद्धांत में विश्वास रखता है जो इसकी विभिन्न पहलों, सीएसआर गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्पष्ट होता है। बैंक के देश भर में 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी) हैं जो किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी के रखरखाव, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण और संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर चलाने, सिलाई और कढ़ाई आदि पर प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता कर रहे हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों की युवा लड़कियों और महिलाओं सहित 18 लाख से अधिक किसानों, युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। बैंक ने अपने 175 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे विभिन्न समूहों सहित लगभग 3 लाख लोगों को वित्त वर्ष 2023–24 में निःशुल्क वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श भी प्रदान किया। इन कार्यक्रमों ने इन समूहों को बेहतर वित्तीय नियोजन करने में मदद की जो उन्हें वित्तीय विवेक की आदत डालने में मदद करता है। बैंक ग्रामीणों को स्वरोजगार उद्यम और नौकरी करने के लिए कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है और अपने 76 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) और 2 ग्रामीण विकास केंद्रों (आरडीसी) के माध्यम से स्थापना के बाद से लगभग 6 लाख लोगों को बसने में मदद की है। हमारे (RSETI) समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों को आजीविका प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आपका बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन उत्साहपूर्वक करता है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर के अलावा अस्पतालों, स्कूलों, डिफेन्स स्टेशनों आदि को दान और बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करना शामिल है। बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए काम करने वाली विभिन्न समितियों, धर्मार्थ संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को भी सहायता प्रदान करता है।

भविष्य में, पीएनबी एमएसएमई, कृषि, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करके विकसित भारत के विजन में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

आपका बैंक क्रॉस–सेलिंग और अपसेलिंग अवसरों के लिए अपने परिचालन में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को उपयोग करना जारी रखेगा। आपका बैंक मोबाइल फर्स्ट अनुभव, एनीव्हेयर बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, चैटबोट्स और सुगम मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग को आसान बनाना जारी रखेगा जो वित्तीय पहुंच को व्यापक बनाने और ग्राहक अनुभव और विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। यह अपनी प्रणाली को सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाने के लिए उपयुक्त तकनीक में निवेश करके अपने विभिन्न हितधारकों के लिए डिजिटल अनुभव को यथासंभव सुरक्षित बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

पीएनबी अपनी प्रक्रियाओं, यूजर इंटरफेस और बैंकिंग अनुभव का पुनर्मूल्यांकन जारी रखेगा ताकि कार्यकुशलता को अभीष्टतम किया जा सके, व्यय को न्यूनतम किया जा सके, ग्राहक संबंधों को मजबूत किया जा सके तथा नियामक अनुपालन और प्रशासन को बढ़ाया जा सके, ताकि अंततः यह उद्योग के सभी बैंकों में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी बैंक बन सके।

आपके बैंक का मानना है कि मानव संसाधन इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसलिए यह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना उड़ान के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कौशल विकास और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में आपके बैंक ने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विभिन्न टूल और नवाचार शुरू किए।

Your Bank strongly believes in giving back to the society which are evident from its various initiatives, CSR activities and training programs. Bank has 12 Farmer Training Centres (FTCs) across the country that are aiding farmers by providing them training on agriculture & allied activities, maintenance of tractor and other farm machineries, processing and preservation of fruits and vegetables, computer courses, running of beauty parlour, tailoring & embroidery, etc. Since inception, FTCs has provided training to more than 18 lakh farmers, youth including young girls and women from rural areas. Your Bank also provided free financial literacy and credit counselling in FY'2023-24 to around 3 lakh people, including different groups like Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc. through its 175 Financial Literacy Centres (FLCs). These programs aided these groups to have better financial planning that helps them inculcate the habit of financial prudence. Bank is also providing training to the rural population for skill up-gradation to undertake self-employment ventures and jobs and has helped around 6 lakh persons to settle through its 76 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) and 2 Rural Development Centres (RDCs) since inception. Our RSETIs focus on settlement of participants by also ensuring adequate credit for inclusive growth.

Your Bank continues to discharge its social obligations with enthusiasm, which includes free medical camps, blood donation camps, besides frequent donations and infrastructure support to Hospitals, Schools, Defence Stations etc. The Bank also supports various societies, charitable institutions and NGOs working for the benefit of weaker sections of society.

Going forward, PNB will play an active role in the vision of Viksit Bharat by extending credit support to all sectors of the economy with special focus on MSME, Agriculture, Women and Youth.

Your Bank will continue to deploy generative Artificial Intelligence and predictive analytics in its operations for cross-selling and upselling opportunities. Your Bank will continue to facilitate ease of banking through Mobile First experience, Anywhere Banking, Whatsapp Banking, Chatbots, and intuitive mobile apps that will help in broadening the financial reach and enhancing the customer experience and trust. It is also committed to make the digital experience as safe as possible for its various stakeholders by investing in appropriate technology to make its systems robust and reliable.

PNB will continue to reassess its processes, user interface and banking experience to optimize efficiencies, minimize expenses, strengthen customer relationships and enhance regulatory compliance and governance to eventually become one of the most competitive Banks in the industry.

Your Bank believes that human resources are its strongest asset and thus continues to focus on upskilling and grooming of its employees through its ambitious project UDAAN. Your Bank in the last financial year introduced various tools and initiatives to enhance productivity of its employees and effectively utilize its human resources.

बैंक पिछले 13 दशकों की तरह ही पूरे जोश और उत्साह के साथ देश की सेवा करता रहेगा। यह भारत के सामाजिक ताने–बाने को मजबूत बनाता रहेगा और अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विकसित भारत के विजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका बैंक देश भर में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना जारी रखेगा और वित्तीय पहुँच की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा ।

मैं पीएनबी परिवार के प्रत्येक सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बैंक के सतत और स्थिर विकास के लिए लगातार और अनथक रूप से कार्य किया है। मैं हमारे बैंक को निरंतर सहयोग प्रदान करने और विश्वास जताने के लिए सम्मानित शेयरधारकों, ग्राहकों सहित सभी हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ।

(के. जी. अनंतकृष्णन)
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

The Bank will continue to serve the nation with the same zeal and vigour as it has done for the past 13 decades. It will continue to make the social fabric of India strong and play a pivotal part in the vision of Viksit Bharat making India the third-largest economy by providing credit to essential sectors of the economy. Your Bank will also continue to extend financial services across the length and breadth of the country and take steps to ensure increased financial reach.

I would like to congratulate and extend my gratitude to each and every member of the PNB Parivar who has worked relentlessly and untiringly for the sustained and steady growth of the Bank. I sincerely thank all the stakeholders including esteemed shareholders, customers for their continued support and trust in our Bank. I also express my sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India and other regulators for their support and guidance. Last but not the least, I thank and appreciate all the Board members for their valuable inputs and guidance.

(K.G. Anantha Krishnan)
Non-executive Chairman

BLANK PAGE

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के डेस्क से

From the Managing Director and CEO's Desk

प्रिय सम्मानित हितधारक

निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता के साथ–साथ पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा हासिल किए गए महत्वपूर्ण कीर्तिमानों और उपलब्धियों को साझा करती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक मोर्चे पर, स्थिर विकास और घटती मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली बनी रही। आर्थिक गतिविधियों में स्थिर वृद्धि ने मुद्रास्फीतिजनित मंदी और वैश्विक मंदी की चेतावनियों को खारिज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2024 के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि, 3.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 में भी इसी दर से जारी रहने का अनुमान है। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 के मध्य में अपने शिखर स्तर से नीचे आ गई। हालाँकि, जैसे–जैसे मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तरों की ओर बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक नीति को आसान बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों और भू–राजनीतिक समस्याओं के बीच ने तीव्र घरेलू मांग, विशेष रूप से ग्रामीण मांग, मजबूत निवेश और स्थिर विनिर्माण वृद्धि के दम पर सुदृढ़ रही। मजबूत निवेश गतिविधि के साथ, वित्त वर्ष 2023–24 में वास्तविक जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले वर्ष के 7.0 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। घरेलू आर्थिक परिदृश्य में उछाल, उपभोक्ता और निवेशकों के बढ़े हुए भरोसे से और भी पुष्ट होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े हुए रुझानों से परिलक्षित होता है। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत में पूंजी प्रवाह में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2024 में अब तक के उच्चतम स्तर यानी 645.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 5.3% रही, जबकि लक्ष्य 4% (±2%) था। मुद्रास्फीति की घटती हुई ट्रजेक्टरी के बावजूद, छिटपुट खाद्य मूल्य के झटकों ने महत्वपूर्ण अस्थिरता पैदा की। कोर मुद्रास्फीति (जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं है) में गिरावट हुई, जो मार्च 2024 में 3.5% तक पहुँच गई। इस घटती हुई ट्रजेक्टरी

Dear valued stakeholders

On behalf of the Board of Directors and the Management Team, I am pleased to share Annual Report of the Bank for FY 2023-24. This report shares our unwavering commitment to responsible growth, as well as the significant milestones and achievements the Bank has accomplished in the previous financial year.

Global Economy

On the global front, the economy remained remarkably resilient, with steady growth and a declining inflation. The stable growth in economic activities defied warnings of stagflation and global recession. As per the World Economic Outlook Report April 2024 of the International Monetary Fund (IMF), Global growth, estimated at 3.2 per cent in the Calendar Year (CY) 2023, is projected to continue at the same pace in Calendar Years 2024 and 2025. During CY 2023, global inflation descended from its mid-2022 peak as a result of central banks raising policy rates around the world. However, as inflation is converging towards target levels, central banks are pivoting towards policy easing.

Indian Economy

India's economy showed strength amid global challenges and geopolitical issues driven by strong domestic demand, especially rural demand, robust investments, and steady manufacturing growth. Real GDP increased by 8.2 per cent in FY 2023-24, with strong investment activity. It is higher than the growth of 7.0 per cent in the previous year. The buoyant domestic economic landscape is further evidenced by improvements in consumer and investor confidence, reflected in enhanced sentiment across various sectors. Capital inflows in India saw a significant turnaround in FY2023-24 and India's foreign exchange reserves reached an all-time high in March 2024 i.e. $645.6 billion.

During FY 2023-24, headline CPI inflation averaged at 5.3%, vs. the target of 4% (±2%). Despite a declining trajectory of inflation, sporadic food price shocks introduced significant volatility. Core inflation (which excludes food and fuel) followed a downward path, reaching 3.5% in March 2024. In light of this diminishing trajectory,

के मद्देनजर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पूरे वित्त वर्ष 2023–24 में 6.50% की अपरिवर्तित नीति रेपो दर बनाए रखी, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना है।

बैंकिंग उद्योग

वित्त वर्ष 2023–24 पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए विशेष रूप से कारोबार वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता के मामले में असाधारण रूप से अच्छा वर्ष रहा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शानदार प्रदर्शन किया है, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए मुनाफा 1.4 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 1.1 ट्रिलियन रुपये था। पीएसबी का बाजार प्रदर्शन बढ़ते बाजार पूंजीकरण में परिलक्षित हुआ और वर्ष के दौरान स्टॉक रिटर्न में भी सुधार हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की आस्ति गुणवत्ता ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सकारात्मक रुझान प्रदर्शित किया। सकल गैर–निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) और शुद्ध गैर–निष्पादित आस्तियां (एनएनपीए) दोनों एक दशक के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं। इसके अतिरिक्त, जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) विनियामक सीमा से पर्याप्त अधिक रहा। इस उपलब्धि का श्रेय आस्ति गुणवत्ता को बढ़ाने, डिजिटलीकरण को अपनाने और विभिन्न स्तरों पर रणनीतिक सुधारों को लागू करने पर केंद्रित ठोस प्रयासों को दिया जा सकता है।

आपके बैंक की गतिविधियां

पूरे वर्ष के दौरान, बैंक ने विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों का पालन करते हुए सभी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके आर्थिक पुनरुद्धार में सहयोग करना जारी रखा।

अब मैं वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपके बैंक के वित्तीय और परिचालनगत प्रदर्शन के बारे में बताना चाहूंगा।

कारोबार में विकास की गति को बनाए रखना

31 मार्च 2024 को बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर 23,53,038 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वैश्विक अग्रिम 9,83,325 करोड़ रुपये और वैश्विक जमा 13,69,713 करोड़ रुपये था। बैंक ने कासा जमा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को चालू जमा 72,201 करोड़ रुपये और बचत जमा 4,80,298 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2024 तक को कुल कासा जमा 5,52,499 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 5,38,015 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2024 को कासा का हिस्सा 41.44 प्रतिशत था।

लाभ में निरंतरता और अनुपात में सुधार

वित्त वर्ष 2023–24 में लाभप्रदता मापदंडों में लगातार वृद्धि देखी गई। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2023–24 में 24,931 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 22,529 करोड़ रुपये था। इस प्रकार शुद्ध ब्याज आय में सालाना आधार पर 16.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की मदद से 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण वित्त वर्ष 2023–24 में शुद्ध लाभ 225 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 8245 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ बढ़कर क्रमशः 0.54 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2022–23 में 0.18 प्रतिशत) और 11.66 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2022–23 में 3.94 प्रतिशत) हो गए। उत्पादकता के मुख्य मापदंड, प्रति कर्मचारी कारोबार और प्रति शाखा

the Monetary Policy Committee (MPC) maintained an unchanged policy repo rate of 6.50% throughout FY 2023-24, aiming to strike a balance between economic growth and inflation control.

Banking Industry

FY 2023-24 has been an exceptionally good year for the entire banking industry particularly in terms of Business growth, Asset Quality, Profitability and Capital Adequacy. Public sector banks in India have posted a stellar performance, with profits crossing Rs.1.4 trillion for FY 2023-24 vis-à-vis Rs.1.1 trillion in FY 2022-23. PSBs' market performance was reflected in soaring Market Capitalisation and stock return also improved during the year.

The asset quality of Public Sector Banks (PSBs) exhibited positive trends during FY 2023-24. Both gross non-performing assets (GNPA) and net non-performing assets (NNPA) declined to their lowest levels in a decade. Additionally, the Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) remained comfortably above the regulatory limit. This achievement can be attributed to the concerted efforts focused on enhancing asset quality, embracing digitalization and implementing strategic reforms at various levels.

Developments in your Bank

Throughout the year, the Bank continued to support the economic revival by way of extending credit to all the sectors while ensuring regulatory compliances and adhering to corporate governance norms.

Now I would like to place your Bank's financial and operational performance during FY 2023-24.

Sustaining the growth momentum in Business

As on 31st March 2024, the Bank's Global Business grew to Rs. 23,53,038 Crore with Gross Global Advances at Rs.9,83,325 Crore and Global Deposit at Rs.13,69,713 Crore. The Bank has continued to focus on CASA deposits with current Deposit at Rs.72,201 Crore and Saving Deposits at Rs.4,80,298 Crore as on 31st March, 2024. Overall CASA Deposits as on 31st March, 2024 stood at Rs.5,52,499 Crore as against Rs. 5,38,015 Crore as on 31st March, 2023. CASA Share was at 41.44 per cent as on 31st March, 2024.

Consistency in Profit and improving ratios

FY 2023-24 saw a consistent rise in profitability parameters. Bank's Operating Profit was at Rs. 24,931 Crore in FY 2023-24 vis-à-vis Rs. 22,529 Crore in FY 2022-23 registering the growth of 10.7 per cent with the help of strong growth of 16.2 per cent year on year basis in Net Interest Income. Net Profit grew by more than 225 per cent to Rs.8245 Crore in FY 2023-24 on account of improving asset quality.

During FY 2023-24, Return on Assets and Return on Equity improved to 0.54 per cent (0.18 per cent in FY 2022-23) and 11.66 per cent (3.94 per cent in FY 2022-23) respectively. The key productivity parameters, Business per employee and Business per branch increased to Rs.2384 Lakh and Rs. 22,525 Lakh respectively as on 31st March 2024 from

कारोबार 31 मार्च 2024 को क्रमशः 2384 लाख रुपये और 22,525 लाख रुपये हो गया, जबकि 31 मार्च 2023 को यह क्रमशः 2164 लाख रुपये और 20,953 लाख रुपये था। वित्त वर्ष 2023–24 में घरेलू और वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमशः 3.23 प्रतिशत और 3.09 प्रतिशत पर रहा।

रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) पर फोकस

बैंक ने अपने ऋण विकास में सुधार लाने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए उच्च प्रतिफल देने वाले रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंड को यथोचित महत्व देना जारी रखा। 31 मार्च, 2024 को रैम अग्रिम 5,20,050 करोड़ रुपये रहे, जो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें घरेलू अग्रिमों में रैम की हिस्सेदारी 55.2 प्रतिशत है।

रैम के अंतर्गत, **रिटेल खंड** में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2024 को यह 2,22,574 करोड़ रुपये रहा।

कृषि खंड में भी 11.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह 1,58,188 करोड़ रुपये रहा, जबकि एमएसएमई खंड में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और यह 31 मार्च, 2024 को 1,39,288 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एमएसएमई ग्राहक जो एमएसएमई की श्रेणी से आगे निकल गए और उन्हें मध्य कॉर्पोरेट ग्राहकों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। तदनुसार, यदि 31 मार्च, 2023 को आधार आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है, तो वर्ष–दर–वर्ष आधार पर एमएसएमई की वृद्धि 12.0% होगी।

आस्ति गुणवत्ता में सुधार–पहले से बेहतर प्रदर्शन

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और ये प्रयास क्रमिक रूप से सकल और शुद्ध एनपीए के आंकड़ों में कमी के रूप में परिलक्षित हुए। सकल एनपीए 31 मार्च, 2023 के 77,328 करोड़ रुपये के स्तर से घटकर 31 मार्च, 2024 को 56,343 करोड़ रुपये हो गए, जो कि वर्ष–दर–वर्ष की तुलना में 16.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2023 के 22,585 करोड़ रुपये के स्तर से घटकर 31 मार्च, 2024 को 6,799 करोड़ रुपये हो गए, जो कि वर्ष–दर–वर्ष की तुलना में 69.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

सकल एनपीए अनुपात 301 बीपीएस सुधरकर 5.73 प्रतिशत हो गया, शुद्ध एनपीए अनुपात 31 मार्च 2024 को 1 प्रतिशत से नीचे आ गया और 0.73 प्रतिशत रहा, इस प्रकार 31 मार्च 2023 की तुलना में 199 बीपीएस की कमी देखी गई। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) (टीडब्ल्यूओ सहित) 31 मार्च 2023 के 86.9 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 95.4 प्रतिशत हो गया, जो 850 बीपीएस का सुधार दर्शाता है।

आस्ति गुणवत्ता में बैंक की स्थिति मुख्य रूप से बेहतर वसूली और स्लिपेज को रोकने के कारण बेहतर हुई। वित्त वर्ष 2022–23 में आपके बैंक की वसूली स्लिपेज का 1.4 गुना थी जो वित्त वर्ष 2023–24 में बढ़कर 2.7 गुना हो गई। आस्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले कारकों में समर्पित टेली–कॉलिंग अभियान और एनपीए उधारकर्ताओं की फील्ड विजिट शामिल थे। कॉर्पोरेट स्तर पर भी वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को रोकने के लिए पूरा समर्थन और सहभागिता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने वसूली प्रक्रिया में सहायता के लिए पीएनबी–समर्थ जैसे पोर्टल का लाभ उठाया और 10 लाख रुपये तक के पात्र खातों में एनपीए वसूली के लिए डिजिटल ओटीएस (ई–ओटीएस) पुनर्गठित किया गया।

Rs. 2164 Lakh and Rs. 20, 953 Lakh respectively as on 31st March 2023. The domestic and global Net Interest Margin (NIM) was robust at 3.23 per cent and 3.09 per cent respectively in FY 2023-24.

Focus on RAM

The Bank continued to give due importance to high yielding Retail, Agriculture and MSME (RAM) segment to improve its lending growth and diversify its portfolio. RAM Advances as on 31st March, 2024 stood at Rs. 5,20,050 Crore showing year on year growth of 10.7 per cent with RAM share to Domestic Advances at 55.2 per cent.

Under RAM, **Retail Segment** showed a growth of 12.6 per cent and stood at Rs.2,22,574 Crore as on 31st March 2024.

Agriculture segment also showed a growth of 11.3 per cent and stood at Rs.1,58,188 Crore while **MSME segment** showed the growth of 7.0 per cent and was Rs.1,39,288 Crore as on 31st March 2024. During FY 2023-24, MSME customers who graduated beyond MSME and were reclassified as mid corporate customers. Accordingly, if the impact of reclassification is taken into account in the base figures as on 31st March, 2023, then MSME growth would be 12.0% year on year basis.

Asset Quality Improvement-Performing better than before

The Bank maintained its focus on enhancing asset quality and these efforts were reflected by way of reduction in Gross and Net NPA numbers sequentially. Gross NPA reduced to Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024 from the level of Rs.77,328 Crore as on 31st March, 2023 showing a decline of 16.4 per cent on YoY. Net NPA declined to Rs 6,799 Crore as on 31st March, 2024 from the level of Rs. 22,585 Crore as on 31st March, 2023 registering a year on year decline of 69.9 per cent.

Gross NPA ratio improved by 301 bps to 5.73 per cent, Net NPA ratio came below 1 per cent as on 31st March 2024 and was at 0.73 per cent hence showing a reduction by 199 bps over 31st March 2023. Provision Coverage Ratio (PCR) (incl. TWO) moved upto 95.4 per cent as on 31st March 2024 from 86.9 per cent as on 31st March 2023 showing an improvement of 850 bps.

The Bank's position in Asset Quality improved mainly on the back of the improved recovery and arresting slippages. Your Bank's recovery was 1.4 times of slippages in FY 2022-23 which increased to 2.7 times in FY 2023-24. The factors which contributed in improving asset quality included dedicated tele-calling campaigns and field visits to NPA borrowers. At corporate level also, there was full support and involvement for enhancing recovery and arresting slippages. During the year, the Bank leveraged portals like PNB- SAMARTH for aiding recovery process and re-vamped digital OTS (e-OTS) offering for NPA recovery for eligible accounts upto Rs.10 Lakh.

सुदृढ़ पूंजी

बैंक सतत विकास के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है। 31 मार्च 2024 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.97 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 15.50 प्रतिशत था। 31 मार्च 2024 को टियर 1 अनुपात 13.17 प्रतिशत और टियर 2 अनुपात 2.80 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने अतिरिक्त टियरI (AT I) बॉण्ड के माध्यम से 6012 करोड़ रुपये और टियर II बॉण्ड के माध्यम से 3090 करोड़ रुपये जुटाए।

बैंक ने उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करके जोखिम भारित आस्तियों को अनुकूलित करने पर भी जोर दिया।

इसके अलावा, आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एक या एक से अधिक चरणों में 7500 करोड़ रुपये तक की कुल राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु बोर्ड और शेयरधारकों से स्वीकृति ले ली है, जो कि उपयुक्त बाजार दशाओं और वैधानिक मंजूरी के आधार पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) या किसी अन्य अनुमत मोड या इसके संयोजन के माध्यम से है। इसके अलावा, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बॉण्ड के माध्यम से 10000 करोड़ रुपये (7000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त टियर–I और 3000 करोड़ रुपये तक के टियर–II बॉण्ड) तक की पूंजी जुटाने की अनुमति दी है।

लाभांश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और उद्योग में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को वर्ष 2023–24 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.50 रुपये (यानी 75%) का लाभांश देने की संस्तुति की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है। जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.65 रुपये लाभांश वितरित किया गया था, यह हमारे सम्मानित शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

ग्राहक सेवा

आपका बैंक मानता है कि इस तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण विभेदक के रूप में कार्य करती है, विशेष रूप से सेवा उद्योग में। इस दिशा में, आपके बैंक ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और इस प्रकार बैंकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई एंड–टू–एंड डिजिटल उत्पाद और प्रक्रियाएँ शुरू की हैं, जैसे चालू और बचत (कासा) खातों का टैब–आधारित खाता खोलना, डिजिटलीकृत आवास ऋण और शिक्षा ऋण।

इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित और सुविधाजनक तरीके से समाधान करने की दिशा में पर्याप्त प्रयास करना भी सुनिश्चित किया है। प्रभावी शिकायत निवारण की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए बैंक ने कॉल सेंटर में सुधार, संचार चैनलों को सुव्यवस्थित और शिकायत समाधान तंत्र को डिजिटल करना शुरू किया है। वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त डिजिटल शिकायतों की संख्या में 20 प्रतिशत और गैर–डिजिटल शिकायतों की संख्या में 22 प्रतिशत की कमी आई है।

डिजिटल पहचान

प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग के तरीके में क्रांति ला दी है और अधिक सुविधाजनक,

Sound Capital

The Bank has been laying adequate focus on ensuring adequate capital to meet the sustainable growth. The Capital Adequacy Ratio reached at 15.97 per cent as on 31st March 2024 as against 15.50 per cent in as on 31st March 2023. Tier 1 ratio was at 13.17 per cent and Tier 2 was at 2.80 per cent as on 31st March 2024. During FY 2023-24, the Bank raised Rs. 6012 Crore through Additional Tier I (AT I) Bonds and Rs.3090 Crore through Tier II Bonds.

The Bank also emphasised on optimising Risk weighted Assets by focusing on high rated borrowers.

Further, your Bank has taken approval from Board and Shareholders for raising of equity capital for an amount aggregating up to Rs.7500 Crore in one or more tranches during FY 2024-25, through Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow on Public Offer (FPO) or any other permitted mode or a combination thereof. Further, Board has accorded permission for raising Capital through Bonds up to Rs.10000 Crore (Additional Tier-I up to Rs.7000 Crore and Tier-II bonds up to Rs.3000 Crore) during FY2024-25.

Dividend

Throughout FY 2023-24, the Bank performed remarkably well and consolidated its position in the industry. Further, the Board of Directors of the Bank have recommended a dividend of Rs.1.50/- per equity share (i.e. 75%) of face value of Rs.2/- each to the Shareholders for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. This is as compared to the dividend of Rs. 0.65/- per equity share distributed for FY 2022-23 and is testimony to our commitment to value creation for our esteemed shareholders.

Customer Service

Your Bank believes that in the era of intense competition, the quality of customer service serves as a significant differentiator, especially in a service industry. In this direction, your Bank has launched several end to end digital products and process like tab-based account opening of Current and Saving (CASA) accounts, digitalised home loan and education loan to meet customer expectations and thus providing ease of banking.

In addition to it, the Bank also ensured to make adequate efforts in the direction by way of resolving customer queries promptly and conveniently. Recognizing the critical role of efficient grievance redressal bank has undertaken call centre revamp, streamlined communication channels and digitalised complaint resolution mechanism. There has been 20 per cent reduction in number of digital complaints and 22 per cent reduction in number of non-digital complaints received in FY 2023-24 over FY 2022-23.

Digital Footprints

Technology has revolutionised the way banking is done and has

सुलभ और सुरक्षित वित्तीय सेवाएँ सुनिश्चित की हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति और आवश्यकता के अनुरूप, बैंक ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और श्रेष्ठ ग्राहक अनुभव के लिए कई डिजिटल उत्पाद और सेवाएँ पेश की हैं।

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई उत्पाद, प्रक्रियाएँ और पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें से कुछ उत्पादों और सेवाओं में प्री–अप्रूव्ड बिजनेस लोन (पीएबीएल), जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, डिजी होम लोन, नए बैंक ग्राहकों (एनटीबी) के लिए डिजिटल पर्सनल लोन (पीएनबी–स्वागत), ई–पीएम स्वनिधि, ई–जीएसटी एक्सप्रेस, ई–बीजी शामिल हैं। इन उत्पादों, प्रक्रियाओं और पोर्टलों ने न केवल व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि हमारे वसूली प्रयासों, ग्राहक सेवा, ऋण निगरानी आदि को भी गति दी है। बैंक ने उद्योग को कई प्रथम पेशकशों का दावा किया है जो आपके बैंक के लिए गर्व की बात है। बैंक के डिजिटल प्रयासों पर बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है।

आपके बैंक के मोबाइल ऐप पीएनबी वन को अपने सभी ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अपग्रेड किया गया था। इसके लिए, बैंक ने स्कैनर, जूम इन और जूम आउट सुविधा, फ्लैशलाइट और गैलरी से स्कैन जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ भी शुरू की हैं। इसके अलावा, रुपे क्रेडिट कार्ड को व्यक्ति से मर्चेंट (P2M) भुगतान के लिए पीएनबी वन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही, पीएनबी वन पर, ग्राहक सभी बैंकों के खातों का एकीकृत रूप से देख सकते हैं। इन प्रयासों के कारण, मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की मात्रा वित्त वर्ष 2022–23 में 2.82 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 5.40 करोड़ हो गई।

पीएनबी उड़ान के माध्यम से मानव संसाधन का रूपांतरण

सबसे मूल्यवान आस्तियों अर्थात मानव संसाधन में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आपके बैंक ने प्रोजेक्ट उड़ान के साथ एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। यह पहल अत्याधुनिक मानव संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, डेटा–संचालित निर्णयों को बढ़ावा देने और समावेशिता और समान अवसर देने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। नवीनतम डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर, प्रोजेक्ट उड़ान मानव संसाधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अनुकूलित शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य के नेताओं का पोषण करना और कार्यनिष्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स का उपयोग करना है।

प्रोजेक्ट उड़ान के तहत तीन वर्षों की व्यापक योजना ने अपने पहले वर्ष में ही सफलता प्राप्त की है, जिसमें उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों से मेल खाने वाली क्षमताएँ हैं। जैसे–जैसे बैंक दूसरे वर्ष में आगे बढ़ रहा है, बैंक का लक्ष्य नवोन्मेष प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करके अपेक्षाओं को पार करना है। तीसरे वर्ष के अंत तक, आपका बैंक मोबाइल एप्लिकेशन और उन्नत एनालिटिक्स उपयोग मामलों सहित अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की इच्छा रखता है।

प्रोजेक्ट उड़ान के पहले वर्ष में कई डिजिटल उपकरण और नई पहलें विकसित और लॉन्च की गई हैं, जो प्रदर्शन प्रबंधन और क्षमता निर्माण पर केंद्रित हैं। इनमें रोल क्लैरिटी टूल, टारगेट सेटिंग और कोलेशन टूल, पीएमएस प्रोफाइलर और परफॉरमेंस डैशबोर्ड शामिल हैं, जो सभी भूमिका

ensured more convenient, accessible and secure financial services. In line with the trend and requirement of the present time, the Bank has also taken various steps in this direction and come out with digital products and services for the superior customer experience.

Your Bank has launched multiple products, processes and portals for providing best in class services to its customers. Some of these products and services include Pre-Approved Business Loans (PABL), Digital Kisan Credit Cards through Jan Samarth Portal, Digi Home Loans, Digital Personal Loan to New To Bank (NTB) Customers (PNB-Swagat), e-PM SVANidhi, e-GST Express, e-BG. These products, processes and portals have not only provided opportunities for Business growth but also paced up recovery efforts, customer service, credit monitoring, etc. The Bank has acclaimed to have many Industry-first offerings which is the matter of pride for your Bank. The digital efforts of the Bank has been discussed in detail in the Annual Report of the Bank.

Your Bank's mobile app PNB ONE was upgraded to provide more convenience to all its customers. Towards it, the Bank has also introduced additional features such as scanner, zoom in and zoom out facility, flashlight and scan from gallery. In addition to it, RuPay Credit Card can be linked to PNB ONE for Person 2 Merchant (P2M) payments. Further, Fixed Deposit/Recurring Deposits opening journeys have been made simple. Also, on PNB ONE, customers can get a unified view of all the banks accounts. Owing to these efforts made, Mobile banking transaction volume increased to 5.40 Crore in FY 2023-24 from 2.82 Crore in FY 2022-23.

Transforming HR via PNB UDAAN

In a significant move towards revolutionizing the most valuable assets i.e., human resources, your Bank has embarked on an ambitious journey with Project UDAAN. This initiative is designed to create a cutting-edge HR ecosystem, fostering data-driven decisions and promoting a culture of inclusivity and equal opportunity. By leveraging the latest digital tools, Project UDAAN is all set to enhance transparency and efficiency in HR processes. A key focus of this initiative is nurturing future leaders through tailored learning programs and utilizing advanced analytics to meet performance needs.

The comprehensive three-year plan under Project UDAAN has already demonstrated success in its first year, with capabilities matching industry best practices. As the Bank progresses into the second year, the aim of the Bank is to surpass expectations by implementing innovative systems and processes. By the end of the third year, your Bank aspires to launch state-of-the-art digital platforms, including mobile applications and advanced analytics use cases.

A multitude of digital tools and initiatives have been developed and launched in the first year of Project UDAAN, focusing on performance management and capability building. These include the Role Clarity Tool, Target Setting and Collation Tool, PMS Profiler, and Performance Dashboards, all of which are designed to enhance role clarity and

स्पष्टता और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रूपांतरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मानवशक्ति आकलन, भर्ती और पदोन्नति के लिए उपकरण पेश किए गए हैं। पोस्टिंग टूल और संशोधित जॉब फैमिली आवंटन ढांचा वैज्ञानिक और पारदर्शी प्लेसमेंट सुनिश्चित करता है, जिससे प्रदर्शन–संचालित संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

प्रोजेक्ट उड़ान का व्यापक दृष्टिकोण नेतृत्व विकास और परिवर्तन प्रबंधन तक फैला हुआ है, जिसमें जागरूकता, जुड़ाव एवं नई पद्धतियों को अपनाने के लिए डिजाइन किए गए व्यापक कार्यक्रम और पहल शामिल हैं। नेतृत्व विकास कार्यक्रम ने 900 से अधिक मध्य–प्रबंधकों और वरिष्ठ नेतृत्व को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के कौशल से पूर्ण किया है। भविष्य में, उड़ान 2.0 का लक्ष्य पुरस्कार और मान्यता की नई पद्धति, एक कर्मचारी कौशल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म और एक आधुनिक शिक्षण और विकास इकोसिस्टम आरंभ करना है। एचआर एनालिटिक्स उपयोग मामलों की एक समृद्ध लाइब्रेरी विकसित करके, आपके बैंक का लक्ष्य मानव संसाधन प्रक्रियाओं और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाकर, अंततः बैंक के लिए एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल का निर्माण करना है।

पुरस्कार और प्रशंसा

बैंक के प्रदर्शन को विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर पर्याप्त रूप से मान्यता मिली, जिससे आपके बैंक का उत्साह बढ़ा। इनमें उल्लेखनीय है ईज 5.0 के तहत बैंक की तीसरी रैंक। बैंक ईज के 2 थीम अर्थात डिजिटल सक्षम ग्राहक पेशकश एवं बिग डेटा और एनालिटिक्स के तहत दूसरे स्थान पर रहा। आपके बैंक को ASSOCHAM द्वारा सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक भी चुना गया। आपके बैंक को आईबीए और ट्रांसयूनियन (TU) सिबिल द्वारा आयोजित पीएसबी के महाप्रबंधकों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान 2023–24 के लिए "कमर्शियल ब्यूरो सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ डेटा क्वालिटी" के लिए भी मान्यता दी गई और सीआरआईएफ इनफोकस सेमिनार के दौरान सीआरआईएफ हाईमार्क द्वारा उपभोक्ता ब्यूरो सेगमेंट में डेटा एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया।

बैंक के पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची में इंटरनेशनल इन्क्लूजन एलायन्स की जूरी द्वारा जेंडर इन्क्लूजन में उत्कृष्टता पुरस्कार भी शामिल है। आपके निरंतर सहयोग से, बैंक भविष्य में भी पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची में बढ़ोतरी करता रहेगा।

भावी योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2024–25 आशाजनक लग रहा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति बनी रहने की संभावना है। सरकार का ध्यान, डिजिटलीकरण एवं व्यापार करने की सुलभता, नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय समावेशन सहित बुनियादी ढाँचे आदि पर ध्यान केंद्रित करके निरंतर, न्यायोचित तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर रहेगा। मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ आर्थिक गतिविधियाँ लचीलापन दिखा रही हैं। इसका नकारात्मक जोखिम भू–राजनीतिक स्थिति है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक विकास पथ को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती रहेगी। बैंकिंग क्षेत्र परिदृश्य की बात करें तो बैंकिंग उद्योग बेहतर ऋण वृद्धि दृष्टिकोण, सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता और उन्नत आस्ति गुणवत्ता के साथ बेहतर स्थिति में है।

भविष्य में, आपका बैंक प्रमुख प्राथमिकताओं, रणनीतिक लक्ष्यों और आगे आने वाले रोमांचक अवसरों पर काम करना जारी रखेगा। आपका बैंक श्रेष्ठ

objective performance evaluations. Additionally, tools for manpower assessment, recruitment, and promotions have been introduced to strengthen the transformation process. The Postings Tool and revamped job family allocation framework ensure scientific and transparent placements, fostering a performance-driven culture.

Project UDAAN's comprehensive approach extends to leadership development and change management, with extensive programs and initiatives designed to drive awareness, engagement, and adoption of new methodologies. The Leadership Development Program has successfully trained over 900 mid-managers and senior leaders, equipping them with best-in-class skills. Looking ahead, UDAAN 2.0 aims to introduce a revamped Rewards and Recognition framework, an Employee Skill Assessment platform, and a modernized Learning & Development ecosystem. By developing a rich library of HR analytics use cases, your Bank aims to enhance HR processes and employee engagement, ultimately building a world-class talent pool for the Bank.

Awards and Accolades

The Bank's performance was adequately recognised at various prestigious forums which added to the spirits of your Bank. Notable among them is Bank's 3rd Rank under EASE 5.0. The Bank also stood 2nd under 2 themes of EASE i.e., Digital Enabled Customer Offerings and Big Data & Analytics. Your Bank was also adjudged Best MSME Bank by ASSOCHAM. Your Bank was recognised for "Best Data Quality in Commercial Bureau Segment" for 2023-24 during the Annual Conference of General Managers of PSBs organized by IBA & TransUnion (TU) CIBIL and Data Excellence Award in Consumer Bureau segment by CRIF Highmark during CRIF InFocus Seminar.

The Bank's list of awards and accolades also included Excellence in Gender Inclusion Award by jury of International Inclusion Alliance. With your constant support, the Bank would continue to add to list of laurels and accolades in future also.

Looking Ahead

Financial Year 2024-25 looks promising as Indian Economy is likely to maintain growth momentum. The government focus will continue to promote sustained, equitable and inclusive growth by focusing on Digitalisation & Ease of Doing Business, Infrastructure including Renewable Energy and Financial Inclusion, etc. Economic activities are showing resilience with inflation pivoting towards target. The downside risk to this is the geopolitical situation which will continue to play a major role in determining the actual growth path of Financial Year 2024-25. Coming to Banking sector outlook, banking industry is in better position with healthy credit growth outlook, sound capital adequacy and enhanced asset quality.

Going forward, your Bank will continue to work on key priorities, strategic goals, and the exciting opportunities that lie ahead. Your

ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण पर जोर देना जारी रखेगा। आपका बैंक वित्तीय समावेशन से संबंधित पहलों का विस्तार करना भी सुनिश्चित करेगा, जिससे आबादी के बैंकरहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले वर्गों तक पहुँच बनाई जा सके।

वित्त वर्ष 2024–25 में, बैंक आगे डिजिटलीकरण, बेहतर कर्मचारी–केन्द्रीयता, रैम और कासा पोर्टफोलियो निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और बाजार हिस्सेदारी में सुधार के माध्यम से सतत विकास हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि वित्तीय स्थिरता और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्ध ता को दोहराता है।

ग्राहक केन्द्रीयता आगे भी विकसित होगी और बैंक का अटूट ध्यान असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और मजबूत ग्राहक संबंध बनाने पर होगा। प्रतिभाशाली टीम, अभिनव रणनीतियों और हमारे मूल मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ, हम विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य को नेविगेट करने और पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ बनने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों का उनके भरोसे, विश्वास और सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभी हितधारकों को बैंक में उनके अटूट विश्वास के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस यात्रा में हमारे ग्राहकों से प्राप्त निरंतर संरक्षण के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आपका,

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Bank will continue to emphasize on digitalization for delivering superior customer experience and operational efficiency. Your Bank will also ensure expanding financial inclusion initiatives, reaching unbanked and underbanked segments of the population.

In FY 2024-25, the Bank is all set to achieve sustainable growth through further digitisation, improved employee-centricity, focus on RAM and CASA portfolio build-up, and improving market share while reiterating your Bank's commitment to robust risk management practices to ensure financial stability and mitigation of potential risks.

Customer Centricity will evolve further and the Bank's unwavering focus will be on providing exceptional customer service and building strong customer relationships. With talented team, innovative strategies, and unwavering commitment to our core values, we are well-positioned to navigate the evolving financial landscape and emerge stronger than ever.

I would like to express my gratitude to all members of the Board for their trust, faith and active association. I also thank the Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance. I also take this opportunity to wholeheartedly thank all our stakeholders for their unequivocal trust in the Bank. I would also like to acknowledge the continuous patronage we have received in this journey from our customers. I thank all our employees for their unstinted support during the year.

Yours Sincerely,

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

निदेशक मंडल/Board of Directors

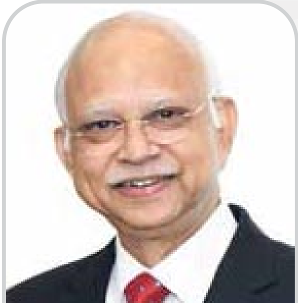

श्री के.जी. अनंतकृष्णन
गैर - कार्यपालक अध्यक्ष
Shri K G Ananthakrishnan
Non-Executive Chairman

श्री अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Atul Kumar Goel
Managing Director & Chief Executive Officer

कार्यपालक निदेशक/Executive Directors

श्री कल्याण कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Kalyan Kumar
Executive Director

श्री बिनोद कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Binod Kumar
Executive Director

श्री एम.परमशिवम
कार्यपालक निदेशक
Shri M. Paramashivam
Executive Director

श्री बिभु प्रसाद महापात्र
कार्यपालक निदेशक
Shri Bibhu Prasad Mahapatra
Executive Director

निदेशक/Directors

श्री पंकज शर्मा
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Pankaj Sharma
Govt. of India Nominee Director

श्रीमती उमा शंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक की नामित निदेशक
Smt Uma Sankar
Reserve Bank of India Nominee Director

श्री पंकज जोशी
अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक
Shri Pankaj Joshi
Part Time Non-Official Director

श्री संजीव कुमार सिंघल
अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक
Shri Sanjeev Kumar Singhal
Part Time Non-Official Director

डॉ. रेखा जैन
शेयरधारक- निदेशक
Dr Rekha Jain
Shareholder Director

श्री जतिन्दर सिंह बजाज
शेयरधारक-निदेशक
Shri Jatinder Singh Bajaj
Shareholder Director

मुख्य महाप्रबंधक (प्रधान कार्यालय)/Chief General Managers (Head Office)

श्री दिलीप कुमार जैन
Shri Dilip Kumar Jain

श्री वी सुंदरेसन
Shri V Sundaresan

श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
Shri Amit Kumar Srivastava

श्री हेमंत वर्मा
Shri Hemant Verma

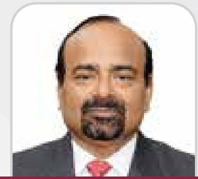

श्री संजय वार्ष्णेय
Shri Sanjay Varshneya

श्री राकेश ग्रोवर
Shri Rakesh Grover

श्री संजीवन नीखर
Shri Sanjeevan Nikhar

श्री राकेश गांधी
Shri Rakesh Gandhi

श्री राजीवा
Shri Rajeeva

श्री सुनील कुमार चुघ
Shri Sunil Kumar Chugh

श्री एस के राणा
Shri S K Rana

श्री सुनील कुमार गोयल
Shri Sunil Kumar Goyal

श्री संजय गुप्ता
Shri Sanjay Gupta

श्री सुनील अग्रवाल
Shri Sunil Agrawal

श्री अमरेश प्रसाद
Shri Amresh Prasad

अंचल प्रबंधक (मुख्य महाप्रबंधक)/Zonal Managers (Chief General Managers)

श्री समीर बाजपेयी
Shri Sameer Bajpai

श्री फिरोज हसनैन
Shri Firoz Hasnain

मुख्य महाप्रबंधक (ओवरसीज)/Chief General Manager (Overseas)

श्री बिनय कुमार गुप्ता
Shri Binay Kumar Gupta

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
नोटिस	1–40
निदेशकों की रिपोर्ट	41–84
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण	85–127
कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	128–129
कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	130–189
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	190–195
निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र	196–198
कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	199–266
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	267–287
बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटीकरण	288
एकल वित्तीय विवरणियां	**289**
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	290–302
- तुलन पत्र	303–304
- लाभ एवं हानि लेखा	305–307
- अनुसूचियां	308–320
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	321–335
- लेखों के लिए टिप्पणियां	336–415
- नकदी प्रवाह विवरण	416–420
समेकित वित्तीय विवरणियां	**421**
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	422–434
- तुलन पत्र	435–436
- लाभ एवं हानि लेखा	437–439
- अनुसूचियां	440–452
- प्रमुख लेखांकन नीतियां	453–468
- लेखों के लिए टिप्पणियां	469–487
- नकदी प्रवाह विवरण	488–491

लेखापरीक्षक

डी के छाजड़ एंड कंपनी
एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
उम्मेद जैन एंड कंपनी
एन के भार्गव एंड कंपनी
पीएसडी एंड एसोसिएट्स

शेयर अंतरण एजेंट

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
'बीटल हाउस', तृतीय तल
99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
नई दिल्ली 110062
दूरभाष : 011–29961281 / 82 / 83, फैक्स: 011–29961284
ई–मेल: beetalrta@gmail.com

Contents

	Page No.
Notice	1-40
Directors' Report	41-84
Management Discussion and Analysis	85-127
Auditors' Certificate on Corporate Governance	128-129
Report on Corporate Governance	130-189
Secretarial Audit Report	190-195
Certificate of Non-Disqualification of Directors	196-198
Business Responsibility and Sustainability Report	199-266
Corporate Social Responsibility Report	267-287
Disclosure under Basel III Framework	288
Standalone Financial Statements	**289**
- Auditors' Report	290-302
- Balance Sheet	303-304
- Profit & Loss Account	305-307
- Schedules	308-320
- Significant Accounting Policies	321-335
- Notes to Accounts	336-415
- Cash Flow Statement	416-420
Consolidated Financial Statements	**421**
- Auditors' Report	422-434
- Balance Sheet	435-436
- Profit & Loss Account	437-439
- Schedules	440-452
- Significant Accounting Policies	453-468
- Notes to Accounts	469-487
- Cash Flow Statement	488-491

AUDITORS

D K Chhajer & Co.
S C Bapna & Associates
Ummed Jain & Co.
N K Bhargava & Co.
PSD & Associates

SHARE TRANSFER AGENT

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetalrta@gmail.com

BLANK PAGE

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice of the 23rd Annual General Meeting

महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT DATES

23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 29 जून, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि	शनिवार, 22 जून, 2024
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शनिवार, 22 जून, 2024
बही बंद करने की तिथियाँ	रविवार, 23 जून, 2024 से शनिवार, 29 जून, 2024 तक (दोनों दिन शामिल)
रिमोट ई–वोटिंग की अवधि	बुधवार, 26 जून, 2024 पूर्वाह्न 09.00 बजे से शुक्रवार, 28 जून, 2024 अपराह्न 05.00 बजे तक
लाभांश भुगतान तिथि	शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024

Date and time of 23rd Annual General Meeting (AGM)	Saturday, 29th June, 2024 at 11.00 a.m. through VC/OAVM
Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM	Saturday, 22nd June, 2024
Record Date for Dividend	Saturday, 22nd June, 2024
Book Closure Dates	From Sunday, 23rd June, 2024 to Saturday, 29th June, 2024 (both days inclusive)
Period of Remote E-Voting	From 09.00 a.m. of Wednesday, 26th June, 2024 to 05.00 p.m. of Friday, 28th June, 2024
Dividend Payment Date	Friday, 12th July, 2024

प्रधान कार्यालयः प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075
(ई–मेल आईडीः hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक **29 जून, 2024, शनिवार को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :–

साधारण कार्य

मद सं. 1: 31 मार्च, 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है** कि 31 मार्च, 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तथा, तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा **अनुमोदित एवं स्वीकार** किया जाता है।"

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹2/– के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर ₹1.50 की दर से प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है और एतद्वारा घोषित किया जाता है।"

विशेष कार्य

मद सं. 3: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी),पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ एकमुश्त प्रतिभूति लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेनदेन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू, अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री के लिए संबंधी पार्टी के मत्वपूर्ण लेनदेन जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकते हैं, पर विचार करना और अनुमोदन करना।

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Saturday, 29th June, 2024 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby **approved and adopted."**

Item No.2: To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2023-24

To consider and if thought fit, **to pass the following as Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT Dividend at the rate of ₹1.50 per equity share of the face value of ₹2/- each of the Bank for the financial year ended 31st March, 2024, be and is hereby declared."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate) and PNB Metlife India Insurance Co. Ltd. (Associate)

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पार्टी की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की तिथि (आर्थात, 29 जून, 2024) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेनदेन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू, अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री और जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जा सकते हैं, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा) **अनुमोदन प्रदान** करते हैं।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, **अधिकृत** है और एतद्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है।"

<u>मद सं. 4</u>: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29th June, 2024) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No.4:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate)

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of

(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की तिथि (यानी, 29 जून, 2024) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, ऋण और अग्रिम जैसे मीयादी ऋण, ऋण सहायता, ओवरड्राफ्ट इत्यादि स्वीकृत करने हेतु अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा) **अनुमोदन प्रदान** करते हैं।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।"

<u>मद संख्या 5</u>: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगी कंपनियों) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड"

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft, etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29th June, 2024) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No.5:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates)

To consider and if thought fit, pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed

के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की तिथि (यानी, 29 जून, 2024) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) **अनुमोदन प्रदान** करते हैं।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

<u>मद संख्या 6</u>: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ चालू खातों में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीकरण विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के आशय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ, बैंक द्वारा चालू खाता जमा, चाहे नए जमा(ओं)

to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for undertaking IBPC transactions with Regional Rural Banks viz. Assam Gramin Vikash Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Punjab Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank and Sarva Haryana Gramin Bank, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29th June, 2024) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No.6:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions for Current Account with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate)

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for acceptance of current account deposits by the

या किसी वृद्धि(ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हों, की स्वीकृति हेतु, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की तिथि (यानी, 29 जून, 2024) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) **अनुमोदन प्रदान** करते हैं।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है।"

<u>मद संख्या 7</u>: ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय समनुषंगी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद "लागू कानून" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) की 'संबंधित पक्ष की लेनदेन पर नीति' के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में लेनदेन, चाहे नए लेनदेन या किसी भी वृद्धि के माध्यम से हो या पिछले अनुबंधों/समझौतों/लेनदेन में संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की तिथि (यानी, 29 जून, 2024) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक

Bank whether by way of fresh deposit(s) or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, from PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29th June, 2024) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

<u>Item No.7:</u> To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary) & Everest Bank Limited (International Joint Venture).

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as "Applicable Laws") and the 'Policy on Related Party Transactions' of Punjab National Bank (hereinafter referred to as "Bank"), the Shareholders of the Bank do hereby **accord approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "Board", which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) in the Nostro accounts whether by way of fresh transaction or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/ transactions or otherwise, with Druk PNB Bank Limited and Everest Bank Limited, Related Parties of the Bank

समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेसहोल्ड, जो भी कम हो से अधिक राशि के लिए जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतें या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) **अनुमोदन प्रदान** करते हैं।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे **अधिकृत** किया जाता है, आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड एतद्द्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए **अधिकृत** है और एतद्द्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03.06.2024

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29th June, 2024) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2024

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

टिप्पणियाँ:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

   कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अप्रैल, 2020 एवं मई, 2022 तथा दिसंबर, 2022 में जारी अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र के माध्यम से कंपनियों को एमसीए परिपत्र(त्रों) में प्रदत्त संरचना के अनुसार 30 सितंबर 2024 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने 05 जनवरी, 2023 एवं 13 मई, 2022 के सेबी परिपत्र के साथ पठित दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से सामान्य बैठकों के संबंध में शेयरधारकों को प्रॉक्सी फॉर्म भेजने के संबंध में छूट को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है।

   उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 23वीं एजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

   वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी।

   शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जो शेयरधारकों के लिए 29 जून, 2024 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित रहेगा समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है।

   शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली वीसी/ओएवीएम सुविधा, 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या अधिक शेयर रखने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. **इस नोटिस में यथानिर्धारित मद सं. 3 से 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।**

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हकदार कोई शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने एवं मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है एवं इस तरह के प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है। **उपर्युक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त**

NOTES:

1. **Annual General Meeting through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)**

   The Ministry of Corporate Affairs (MCA), has vide Circular dated 25th September, 2023 read with its preceding Circulars issued in April, 2020 & May, 2022 and December, 2022 permitted the companies, to conduct their AGMs through VC or OAVM upto 30th September 2024 in accordance with the framework provided in the MCA Circular(s). SEBI vide its Circular dated 07th October, 2023 read with SEBI Circular dated 05th January, 2023 and 13th May, 2022, has further extended the relaxation with respect to sending proxy forms to the shareholders in respect of General Meetings till 30th September, 2024.

   In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 23rd AGM shall be the Head Office of the Bank.

   The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL).**

   Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility which shall be kept open for the shareholders on 29th June, 2024 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/ OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

   Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., can attend the AGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. **The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 7 as set out in this Notice is annexed hereto.**

3. **Appointment of Proxy**

   A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. **Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the**

कर दिया गया है, अतः, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए साधन एवं उपस्थिति पर्ची नोटिस के साथ संलग्न नहीं की जा रही है।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः**

कोई भी व्यक्ति, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवं/या ई–वोटिंग के माध्यम से किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात सोमवार, 24 जून, 2024 को कार्यदिवस समाप्ति से पूर्व अर्थात् सायं 5.00 बजे को या उससे पूर्व शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पश्चिमी विंग, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को जमा कर दी जाए या एक प्रति evoting@nsdl.com और hosd@pnb.co.in को प्रेषित करते हुए sachincs2022@gmail.com पर ई–मेल द्वारा भेजी न गई हो।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. **शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना**

बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से एवं वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर रविवार, 23 जून, 2024 से शनिवार, 29 जून, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

6. **लाभांश का भुगतानः**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.50 के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा 23वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रदर्शित हैं:

ए) लाभकारी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शनिवार, 22 जून, 2024 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं/ या

बी) शनिवार, 22 जून, 2024 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 22 जून, 2024 होगी।

लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 होगी।

अतः, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें:

i) अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट, जिसके साथ उनके डीमैट खाते हैं, यदि शेयर डीमैटरिलाइज्ड मोड में हैं, डीमैटरिलाइज्ड पार्टीसिपेंट्स द्वारा अपेक्षित प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा करके; एवं

ii) बैंक/बैंक के एसटीए के पास विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म –

facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. **Appointment of an Authorised Representative:**

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday, 24th June, 2024.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. **Closure of Register of Shareholders**

The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Sunday, 23rd June, 2024 till Saturday, 29th June, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 23rd Annual General Meeting of the Bank and for determining the eligibility of the shareholders for payment of Dividend for FY 2023-24.

6. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors has recommended dividend of ₹1.50 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2024.

The payment of dividend, if declared by the shareholders in the 23rd Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Saturday, 22nd June, 2024 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and / or

b) in the Register of shareholders as on Saturday, 22nd June, 2024 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

The Record Date for payment of Dividend will be Saturday, 22nd June, 2024.

The dividend payment date will be Friday, 12th July, 2024.

Shareholders are therefore requested to register/update their complete bank details:

i) with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and

ii) with the Bank/Bank's STA by sending duly filled KYC form

आईएसआर–1, आईएसआर–2, आईएसआर–3/एसएच–13 के साथ–साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ, कैंसल चेक लीफ भेजकर, यदि शेयर फिजिकल मोड में रखे गए हैं।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से, लाभांश के भुगतान की तिथि से पहले, उन शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिन्होंने नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ, आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड' पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को उनके संबंधित फ़ोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उसी के क्रम में, पैरा 19.2 में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फ़ोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

"19.2. पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन रहित फोलियो: प्रतिभूति धारक(कों) जिनके फोलियो में पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे:

- पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए में शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे।
- **ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान किया जाएगा।**

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, तो आपको वैध पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत निर्धारित फॉर्म होगा। (बैंक की वेबसाइट: www.pnbindia.in पर लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Sharekeepers-html) में बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करना है। यदि अभी तक नहीं किया गया है, ताकि आप निर्बाध सेवा अनुरोधों के साथ–साथ बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट का लाभ उठा सकें, 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक वारंट जारी करने के माध्यम से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठाने के लिए भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज़ भी कर सकते हैं।

- ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 along with self-attested copy of pan card, photo id address proof, cancelled cheque leaf, if shares are held in physical mode.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the shareholders (holding shares in demat form) who have not updated their bank account details, in accordance with regulatory guidelines.

Important Information regarding Payment of Dividend in respect of physical shares:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May, 2024 has issued inter alia, guidelines on 'Common and Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Para 19.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 19.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN, KYC details and nomination which reads as under:

"19.2. Folios without PAN, KYC details and Nomination: The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Choice of Nomination, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

- to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination.
- **for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the securityholder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 19.1 of the Master Circular.**

In view of the above, if you are holding shares in physical form, you are required to furnish valid PAN, choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website: www.pnbindia.in under the link: https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html), if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as dividend credit in bank account, as no dividend will be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 01st April, 2024. For your convenience, you may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.

स्रोत पर कर कटौती:

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। अतः बैंक में शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर, स्त्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती, जहां भी लागू हो, करनी होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक देख सकते हैं।

7. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहां तक मतदान का संबंध है, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान

I. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग) द्वारा एजीएम में लेनदेन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। **ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शनिवार, 22 जून, 2024 है।**

II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे एवं रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प(पों) पर अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

III. जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

IV. रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

   ए. रिमोट ई–वोटिंग अवधि बुधवार, 26 जून 2024 को प्रातः 09.00 बजे शुरू होगी एवं शुक्रवार, 28 जून, 2024 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शनिवार, 22 जून, 2024 की कट–ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of dividend to the shareholders. For details, shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

7. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

8. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). **The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Saturday, 22nd June, 2024.**

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

   a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. of Wednesday, 26th June 2024 and ends at 05.00 p.m. of Friday, 28th June, 2024. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, 22nd June, 2024 may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL.

बी. रिमोट ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम में एक्सेस

ए) ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना।

सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के निबंधनों के अनुसार 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा' पर, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी को अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

The login method for individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकन पर क्लिक करें जो **'IDeAS'** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वेल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **'Access to e-Voting'** पर क्लिक करें एवं आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं मीटिंग के दौरान मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप IDeAS ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"Register Online for IDeAS Portal"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी एवं स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	4. शेयरधारक/सदस्य, निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"NSDL Speede"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/ Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं एवं लॉगिन आइकन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर अपने मौजूदा ईएएसआई उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, Easi/ Easiest उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग प्रगति पर है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है एवं लॉगिन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
	4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App **"NSDL Speede"** facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi/Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या एवं पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज www.cdslindia.com उपयोग कर सकता है। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई–वोटिंग प्रगति पर है एवं सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा।
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉग इन करने पर, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोटः *जो शेयरधारक यूजर आईडी/पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग–इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting/nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting/cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं

Type of shareholders	Login Method
	4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: *Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.*

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग–इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से टाइप करके वेब ब्राउज़र पर निम्नलिखित URL: https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें।

2. ई–वोटिंग प्रणाली का मुख्य पेज खुलने होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी. आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग–इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) शेयरधारकों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** होगा।
बी) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** होगा।
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार हैं:

   ए) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

   बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices, i.e., IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ई–मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी, सीडीएसल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं हुआ है या भूल गए हैं:

ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"Forgot User Details/Password?"** विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)

बी) **Physical User Reset Password?**" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) अगर आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "Terms and Conditions" से सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

<u>चरण 2: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग लेने और अपना वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:</u>

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आप शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक 'सक्रिय' स्थिति में है।

2. पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वस्तुतः एजीएम में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि ई–वोटिंग पेज खुल गया है।

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com

b) **Physical User Reset Password?**" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address, etc.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

<u>Step 2: Cast your vote electronically and join the AGM on NSDL e-Voting system</u>

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.

2. Select "EVEN" of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the AGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. उचित विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई कॉपी (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, संवीक्षक को ई–मेल द्वारा sachincs2022@gmail.com पर evoting@nsdl.com चिन्हित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई–वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध www.evoting.nsdl.com या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबर 022–48867000 और 022–24997000 कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई–वोटिंग हेतु ई–मेल आईडी के पंजीकरण प्रक्रियाः

1. यदि शेयर भौतिक मोड में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की गई प्रति), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति ई–मेल द्वारा बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by e-mail to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder,

में प्रतिभूतियां के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे **चरण 1 (ए)** अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ***"ई–वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि*** का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध कर सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई–वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।

2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाले और ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में नहीं बदला जा सकता है।

5. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई–वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक **एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम के एक्सेस** के लिए उपर्युक्त उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "मीटिंग में शामिल हों" मेन्यू में दिए गए "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि **"Join Meeting"** मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक 'शेयरधारक/सदस्य लॉगिन' में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भागदौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "***Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders*** holding securities in demat mode".

3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing the above mentioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of AGM are as under:

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.

5. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "**Join Meeting**" menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों के पास अच्छी गति के साथ इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त रूकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।

3. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकृत ई–मेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की hosd@pnb.co.in ई–मेल आईडी पर 21 जून, 2024 को सायं 05.00 बजे या उससे पहले भेजकर खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं शेयरधारकों को जिन्होंने खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

4. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ई–मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक की ई–मेल hosd@pnb.co.in पर कारोबार के संबंध में 21जून, 2024 को शाम 05.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से उत्तर दिया जाएगा।

5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहें।

9. संवीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत कर मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10- अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है, तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसरण में 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के लाभांश की अदत्त /अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है/दावा नहीं किया है, उनसे जल्द से जल्द इसका दावा करने का अनुरोध किया जाता है। यदि दावा नहीं किया गया है, तो अदत्त लाभांश लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित समय–सीमा के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

3. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of 21st June, 2024. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.

4. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 05.00 p.m. of 21st June, 2024. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.

5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

9. Scrutinizer

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

10. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount of Dividend upto FY 2015-16 has already been transferred to IEPF.

The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for FY 2021-22 and FY 2022-23 are requested to claim the same at the earliest. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the timelines prescribed in the applicable guidelines.

बैंक के पास पड़े अदत्त/अदावाकृत लाभांश का वर्ष–वार डेटा बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर उपलब्ध है।

11. अन्य जानकारी

ए) सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पठित और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ–साथ, ई–वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का सूचना सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है जिनकी ई–मेल आईडी बैंक के एसटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सी) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहलों' को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों से अनुरोध है कि, भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करवाएं।

डी) नाम, डाक पता, ई–मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों के मामले में, शेयरधारक भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में उनके संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ अपडेट करवा सकते हैं।

ई) शेयरधारक जो भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजें।

एफ) भौतिक धारिता का अभौतिकीकरणः यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, पारेषण और अंतरण अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के अंतरण के सभी अनुरोधों पर केवल अभौतिकीकृत रूप में कार्रवाई की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डिमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. Other Information

a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and the MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with its preceding Circulars, the Annual Report for FY 2023-24 containing the Notice of the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2023-24 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.

d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.

e) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

f) Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.

जी) शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnbindia.in/ पर 'निवेशक जानकारी' के अंतर्गत उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन:

■ **मद संख्या 3:**

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री संबंधी पक्षकार लेन–देनों के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, इस तथ्य के बावजूद कि ये पर्याप्त आधार पर और कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में होते हैं। एक संबंधित पार्टी लेनदेन को 'सामग्री' माना जाता है यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ लिया जाने वाला लेनदेन ₹1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है:

विवरण	लेनदेन का विवरण		
संबंधित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सब्सिडरी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन–देन का प्रकार	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी जारी करने में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्था करने वालों में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेनदेन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बॉण्ड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री के रूप में, जैसा कि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में खुलासा किया जा सकता है।	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेनदेन जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक), पीएसयू के बॉण्ड/डिबेंचर, अन्य निकायों की खरीद/बिक्री, जैसा भी हो सकता है प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स में खुलासा किया गया है	

g) The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. https://www.pnbindia.in/ under 'Investor Info'.

Explanatory Statement:

■ **Item No.3:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate)
Type of Transaction	Outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/ sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.	Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions such as purchase/ sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies, as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year	

विवरण	लेनदेन का विवरण		
प्रस्तावित लेनदेन की तात्विक शर्तें और विवरण	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन/मुद्रा बाजार लेनदेन/प्रतिभूतियों का प्राथमिक अंशदान, बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी इश्यू आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबंधकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजर–शिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।		
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00
संस्था का स्वरुप या संबंधित पार्टी का हित (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन (31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है	4.90%	4.90%	1.63%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेनः			
(i) किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा।		
(ii) अवधि	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेनदेन एजीएम की तारीख (अर्थात, 29.06.2024) से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।		

Particulars	Details of Transactions		
Material terms and particulars of the proposed transaction	Outright securities transactions/money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/ Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines. Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNB's issue requirement and payment of arrangership fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.		
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2024)	4.90%	4.90%	1.63%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of Banking.		
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29.06.2024) till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months. The Tenure will be as per terms of the securities issued.		

विवरण	लेनदेन का विवरण
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत; यदि प्रतिभूत है, तो प्रतिभूत की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें।	प्रसंविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे प्रतिभूत/अप्रतिभूत, आदि सहित यथा लागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन–देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक सक्रिय रूप से प्रतिभूतियों की खरीद (संबंधित/असंबंधित पार्टियों द्वारा जारी), तुलन पत्र का प्रबंधन करने के लिए, और बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार/निवेश पोर्टफोलियो से लाभ को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है और इसलिए, बैंक के हित में है। इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेनदेन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है (अर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी हो कम हो) लेन–देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

Particulars	Details of Transactions
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including covenants, repayment schedule, whether secured/unsecured, etc. will be as per the terms of the issuance of securities. The proposed Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. The securities shall be priced at Fair Market Value as per the prevailing market practice.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc. which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and the transaction is therefore, in the interest of the Bank. Further, PNB Gilts is one of the major players in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss out on a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन, शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 4:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष के लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेन–देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन–देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में सावधि ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में ऋण और अग्रिम।	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेनदेन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य(₹ करोड़ में)	4000.00	7100.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

- **Item No.4:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Term Loans, Line of Credit, Overdraft, etc., as part of its normal banking business to its customers including related parties.	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	4000.00	7100.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	3.27%	5.80%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉरपोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:		
(i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा।	
(ii) अवधि	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेनदेन एजीएम की तारीख (अर्थात, 29.06.2024) से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधाओं की अवधि बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगी।	
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें।	प्रसंविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे सुरक्षित/असुरक्षित, आदि सहित यथा लागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन–देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा। चुकौती अनुसूची उधारकर्ता के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।	
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	जैसा कि ऋण सुविधाएं प्राप्त करते समय निर्दिष्ट किया गया था।	
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले लेन–देन का प्रस्ताव है और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और इसलिए, बैंक के हित में होगा।	
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं	

Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2024)	3.27%	5.80%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of banking.	
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29.06.2024) till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months. The Tenure of the credit facilities will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.	
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, whether secured/ unsecured, nature of security, etc., will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank. The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark. Repayment Schedule shall be as per the terms agreed to with the borrowers.	
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	As specified at the time of availing the credit facilities.	
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank and shall be in accordance with the laid down norms, policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.	
Valuation or other external party report	Not applicable	

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन–देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है (अर्थात सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी कम हो) लेन–देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष के लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

■ **मद संख्या 5:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

■ **Item No. 5:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया हैः

विवरण	लेनदेन का विवरण								
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
लेन–देन का प्रकार	अंतर–बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) लेनदेन								
प्रस्तावित लेनदेन की सामग्री शर्तें और विवरण	आईबीपीसी लेनदेन बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमतों पर किया जाएगा और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाएगा।								
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय								
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य (31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के समेकित आय के आधार पर) का प्रतिनिधित्व करता है।	4.90%	4.90%	1.63%	1.63%	1.63%	8.17%	1.63%	1.63%	1.63%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉरपोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसेः									
(i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	इस तरह के लेनदेन करने के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य कार्यप्रणाली से किया जाएगा।								
(ii) अवधि	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेनदेन एजीएम की तारीख (अर्थात, 29.06.2024) से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा की अवधि बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगी।								
(iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित पुनर्भुगतान हेतु लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हों या प्रतिभूति न हों; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	आईबीपीसी लेनदेन बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा। इस तरह के लेनदेन पहुँच के भीतर किए जाएंगे।								
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल उस इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।								
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य।	ये लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ऋण निर्णय के अनुसार किए जाते हैं। बैंक आवश्यक नियामक अनुपातों के रखरखाव और कारोबार के विकास के अवसरों के लिए इस तरह के लेनदेन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसलिए यह बैंक के हित में है।								
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं								

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions								
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Type of Transaction	Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) Transactions								
Material terms and particulars of the proposed transaction	IBPC transactions will be undertaken at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines and shall be carried out on an arm's length basis.								
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial								
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000 .00	2000 .00
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2024)	4.90%	4.90%	1.63%	1.63%	1.63%	8.17%	1.63%	1.63%	1.63%
Transactions relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:									
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions. The funds will be utilized from normal course of banking.								
(ii) Tenure	The transactions are proposed to be undertaken from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29.06.2024) till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months. The tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with the Bank's Policy / regulatory Guidelines.								
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	IBPC transactions will be carried out at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank's Guidelines. Such transactions shall be on an arm's length basis.								
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for the intended purpose which has been approved by the Competent Authority.								
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank.	These transactions are undertaken as per the credit decision of the Bank according to the prevalent Market rates and Bank's Policy Guidelines. The Bank actively engages in such transactions for business growth opportunities and the transactions are therefore in the interest of the Bank.								
Valuation or other external party report	Not applicable.								

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है (अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी न्यूनतम हो)। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्षों की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्षों की लेनदेन को मद संख्या 5 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 5 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 6:**

इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय सूचीबद्ध विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेनदेन का प्रकार	चालू खाता जमाराशि	
प्रस्तावित लेनदेन की सामग्री शर्तें और विवरण	बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों के चालू खातों पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। वर्तमान में, ग्राहकों द्वारा रखे गए चालू खाते की शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।	
प्रस्तावित लेन–देन का कार्यकाल	लेन–देन वित्तीय वर्ष 2023–24 (अर्थात् 29.06.2024) के लिए एजीएम से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	12000.00	12000.00
संबंधित पार्टी के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	9.80	9.80
बैक या उसकी सहायक कम्पनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसे:		

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 5, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

- **Item No.6:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Current Account Deposits	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The Bank levies normal banking charges on the current accounts of Customers for various services in line with the Bank's Policy Guidelines. Currently, no interest is paid on current account balance maintained by the customers.	
Tenure of the proposed Transaction	The transactions are proposed to be undertaken from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29.06.2024) till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	12000.00	12000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2024)	9.80	9.80
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:		

(i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित लागू पुनर्भुगतान की शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न हो; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है (अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी न्यूनतम हो)। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 6 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 6 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

- **मद संख्या 7:**

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'भौतिक' माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (अंतर्राष्ट्रीय समनुषंगी)	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम)
लेन–देन का प्रकार	नोस्ट्रो खातों में लेनदेन	
प्रस्तावित लेनदेन की मटेरियल शर्तें और विवरण	दो बैंकों के बीच ग्राहकों के फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार।	
प्रस्तावित लेन–देन का कार्यकाल	लेन–देन वित्तीय वर्ष 2023–24 (अर्थात् 29.06.2024) के लिए एजीएम से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	12000.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	

(i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the banking business of the Bank with its customers, which may include related parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 6, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the Notice.

- **Item No.7:**

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Druk PNB Bank Limited (International Subsidiary)	Everest Bank Limited (International Joint Venture)
Type of Transaction	Transactions in the Nostro Accounts	
Material terms and particulars of the proposed transaction	As per standard terms & conditions for facilitating funds transfer of customers between two Banks.	
Tenure of the proposed Transaction	The transactions are proposed to be undertaken from the date of AGM for FY 2023-24 (i.e., 29.06.2024) till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	12000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	4.90	9.80
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे: (i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं	
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	ये लेनदेन ग्राहकों के साथ बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।	
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं	

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है (अर्थात सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी न्यूनतम हो)। लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष के लेनदेन को मद संख्या 7 में रखा जाए, जिसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 7 पर साधारण संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 03.06.2024

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2024)	4.90	9.80
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.: (i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable	
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	These transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank with customers which may include related parties of the Bank.	
Valuation or other external party report	Not applicable	

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 7, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the Notice.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2024

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

अनुलग्नक

लाभांश पर टीडीएस की कटौती पर निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अलावा, टीडीएस की उच्च दर लागू होगी यदि अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया और/या अधिनियम की धारा 206एबी के अनुसार एक निर्दिष्ट व्यक्ति है।*

**एक निर्दिष्ट व्यक्ति वह है जिसने पिछले एक वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन नहीं किया है और जिसका पिछले एक वर्ष में टीडीएस/टीसीएस रुपये 50,000 या अधिक रहा है। भारत में स्थायी वास नहीं रखने वाले अनिवासी को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।*

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए, लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है या शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

   शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि से पूर्व नियम 114एएए के साथ पठित धारा 139एए(2) के तहत अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करना/जोड़ना आवश्यक है। यदि कोई पैन निर्धारित समयसीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 206एए के तहत उच्च दर पर टीडीएस काटा जाएगा। धारा 206एए की प्रयोज्यता के बारे में सूचित न करने या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए बाद में, बैंक से की गई किसी भी मांग को वसूलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

   देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक पूरी की जाती है:

   - एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश ₹5,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। या
   - शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित

Annexure

Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act, valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder and/or pursuant to section 206AB of the Act, shareholder being a specified person*.

**A specified person is one who has not complied with filing of income tax returns for last one year and is having TDS and/or Tax Collection at Source (TCS) of ₹50,000 or more in last one year. A non-resident not having permanent establishment in India is not considered as a specified person.*

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. Resident Shareholders

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case, valid PAN is not provided or shareholder is a specified person, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

   Shareholders are required to link their Aadhaar number with PAN as required under Section 139AA(2) read with rule114AAA, before the Record Date. If any PAN is found to have not been linked with Aadhaar within the stipulated timelines, then such PAN shall be deemed inoperative and TDS will be deducted at higher rate under section 206AA of the Act. The Bank reserves its right to recover any demand raised subsequently on the Bank for not informing or providing wrong information about applicability of Section 206AA.

   No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

   - Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹5,000 per year OR
   - The shareholder has provided duly filled and signed Form

फॉर्म 15जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू)/फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि वह सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।

2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/कम दर के लिए पात्र होना होगा:

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़
ए)	बीमा कंपनियां	शून्य	• घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है • अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रतिआईआरडीएआई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व– सत्यापित प्रति
बी)	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10 (23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	• घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196(iii) के अंतर्गत आता है। • प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
सी)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत श्रेणी– I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	• घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10 (23FBA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है और वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं • सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
डी)	एनपीएस ट्रस्ट	शून्य	• घोषणा कि ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति सहित अधिनियम की धारा 10(44) [उपधारा 1ई से धारा 197ए] के प्रावधानों द्वारा शासित है।
इ)	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	• घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत आता हो • अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य • पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति

15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN and provided that all the required eligibility conditions are met.

2. The following Tax Resident Shareholders should be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	• Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act • Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI • Self-attested copy of PAN card
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10(23D) of the Act	Nil	• Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder. • Self-attested copy of relevant registration documents. • Self-attested copy of PAN card.
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	• Declaration that their income is exempt under section 10(23FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF. • Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate. • Self-attested copy of the PAN card.
d)	NPS Trust	Nil	• Declaration that the trust is governed by the provisions of Section 10(44) [sub-section 1E to section 197A] of the Act along with Self-attested copy of registration documents.
e)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	• Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification. • Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification. • Self-attested copy of PAN card.

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़
एफ)	सभी निवासी शेयरधारक	आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	• अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति [बैंक के TAN DELP3704D में जारी]

बी. अनिवासी शेयरधारक

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई/एफपीआई) होने के नाते, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के अंतर्गत 20% पर या किसी भी लागू दोहरा कर बचाव समझौता (कर संधि) में दिए गए दर के अनुसार, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% है या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर किसी भी लागू कर संधि में दिए दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
3. अनिवासी शेयरधारक जिनके पास भारत में स्थायी स्थापना है और एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, उन पर लागू टीडीएस की दर से दोगुना के लिए उत्तरदायी होगा।
4. यदि अधिनियम की धारा 197/195 के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य रोक के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अलावा) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारक को बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व–सत्यापित प्रति; यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व–घोषणा प्रस्तुत करें।
2. जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए) की स्व–सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी का ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टील) प्रति प्रदान करनी होगी।
3. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व–घोषणा यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
f)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	• Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act [issued in Bank's TAN DELP3704D]

B. Non-Resident Shareholders

1. For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investor (FIIs/FPIs), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
2. For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently 20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
3. The non-resident shareholders who has a permanent establishment in India and is a specified person would be liable for twice the rate of TDS as applicable to them.
4. If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.
2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2023-24) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.
3. Self-declaration in Form 10F for FY 2023-24 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.

4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व–घोषणा के रूप में:

- शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रता;
- प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापना/निश्चित आधार नहीं था;
- शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी है।

कृपया ध्यान दें कि अनिवासी शेयरधारकों के मामले में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए या/और अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार अधिक टीडीएस से बचने के लिए कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व की स्व–घोषणा शेयरधारक के लेटरहेड पर होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

1. उपरोक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में जहां भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालांकि, यदि टीडीएस दरे के डीटीएए अनुसार लागू होती है, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।

2. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

   कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरी/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकॉर्ड तिथि अर्थात 22 जून, 2024 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. फॉर्म/घोषणापत्र वेबसाइट www.pnbindia.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लागू होने वाले दस्तावेज़ **दिनांक 22.06.2024 या उससे पहले** beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in पर प्रदान/प्रस्तुत करें।

4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा है और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया जायेगा। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।

5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के

4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to:

- Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
- The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
- The shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

Please note that in case of non-resident shareholders, Self Declaration of No Permanent Establishment and beneficial ownership should be on the letterhead of the shareholder for claiming tax treaty benefits or/and to avoiding higher TDS as per section 206AB of the Act.

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

General Instructions:

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable. However, if the TDS rate as per DTAA is applied, no surcharge or cess is leviable.

2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

   Please note that for the purpose of complying with the applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 22nd June, 2024 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.in In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them **on or before 22.06.2024** at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in

4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholder.

5. No communication on the tax determination/deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date and time. It may be further noted that

अभाव में उक्त लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा, यदि पात्र हो। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in पर भेजे जाने चाहिए।

7. शेयरधारक(ओं) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी की किसी भी गलत अर्थात, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, बैंक को सभी जानकारी/दस्तावेज और किसी भी कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगे।

8. इस संचार को बैंक की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह कर पेशेवर से प्राप्त करनी चाहिए।

9. बैंक आयकर अनुपालन निश्चित करके आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206एबी के अंतर्गत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.

6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at beetalrta@gmail.com/hosd@pnb.co.in

7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.

8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.

9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AB of the Act.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

पीएनबी एक नजर में / PNB AT A GLANCE

(करोड़ में) (Rs Cr)

क्र.सं. S. No.	पैरामीटर / PARAMETERS	वित्त वर्ष 21 FY'21	वित्त वर्ष 22 FY'22	वित्त वर्ष 23 FY'23	वित्त वर्ष 24 FY'24
1	शेयर पूंजी / Share Capital	2096	2202	2202	2202
2	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	88842	93285	97653	104274
3	वैश्विक कारोबार / Global Business	1845739	1931322	2165844	2353038
4	वैश्विक जमाराशियां / Global Deposits	1106332	1146219	1281163	1369713
5	वैश्विक अग्रिम / Global Advances	739407	785104	884681	983325
6	निवल अग्रिम / Net Advances	674230	728186	830834	934430
7	निवेश (निवल) / Investment (Net)	392983	372168	395996	420318
8	कुल आस्तियां / Total Assets	1260633	1314805	1461831	1561835
9	शाखाएं (सं.) / Branches (No.)	10769	10098	10076	10136
10	एटीएम नेटवर्क (सं.) / ATM Network (No.)	13781	13350	12898	12131
11	कारोबार प्रतिनिधि (सं.) / Business Correspondents (No)	12518	15719	24227	33614
12	कुल कर्मचारी (पीटीएस को छोड़कर)– (सं.) / Total employees (Excluding PTS)- (No)	96241	97680	97574	95789
13	परिचालन लाभ / Operating Profit	22159	20762	22529	24931
14	कुल प्रावधान / Total Provisions	20138	17305	20022	11737
15	निवल लाभ / Net Profit	2022	3457	2507	8245
16	कारोबार / कर्मचारी (रु. करोड़ में) / Business/Employee (Rs. Crore)	18.85	19.41	21.64	23.84
17	जमाराशि की वैश्विक लागत (%) / Global Cost of Deposit (%)	4.44	3.99	4.10	4.91
18	अग्रिम पर वैश्विक प्रतिफल (%) / Global Yield on Advances (%)	7.53	6.79	7.16	8.28
19	निवेश पर वैश्विक प्रतिफल (%) / Global Yield on Investment (%)	6.48	6.29	6.57	6.78
20	वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (%) / Global Net Interest Margin (%)	2.88	2.71	3.06	3.09
21	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) / Return on Assets (%)	0.15	0.26	0.18	0.54
22	इक्विटी पर प्रतिलाभ (%) / Return on Equity (%)	3.88	5.96	3.94	11.66
23	आय अनुपात की लागत (%) / Cost to Income Ratio (%)	47.82	49.38	51.69	53.37
24	सकल एनपीए (%) / Gross NPAs (%)	14.12	11.78	8.74	5.73
25	निवल एनपीए (%) / Net NPAs (%)	5.73	4.80	2.72	0.73
26	पीसीआर (%) (टीडब्लूओ सहित) / PCR % (including TWO)	80.1	81.6	86.9	95.4
27	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) / Capital Adequacy Ratio (%)	14.32	14.50	15.50	15.97
28	टियर 1 अनुपात (%) / Tier 1 Ratio (%)	11.50	11.73	12.69	13.17

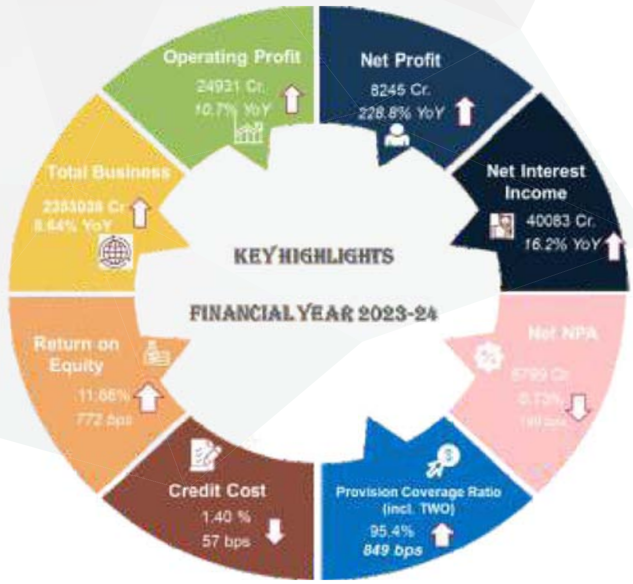

प्रमुख वित्तीय स्थिति
KEY FINANCIAL POSITION

मार्च 22 मार्च 23 और मार्च 24
MARCH 22 MARCH 23 AND MARCH 24

वैश्विक कारोबार (रु० लाख करोड़ में)
Global Business (Rs Lakh Crore)

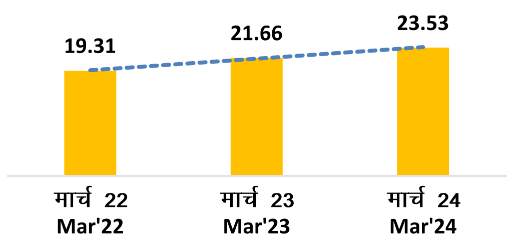

वैश्विक अग्रिम (रु. लाख करोड़ में)
Global Advances (Rs Lakh Crore)

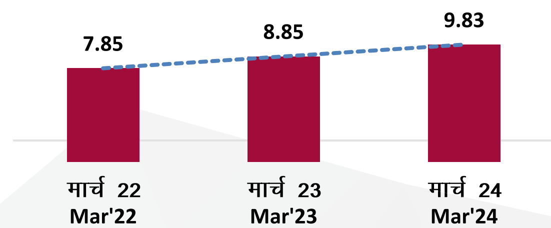

वैश्विक जमा (रु० लाख करोड़ में)
Global Deposits (Rs Lakh Crore)

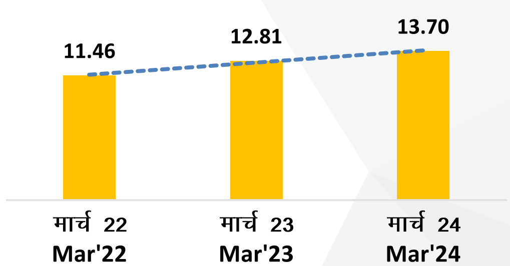

रैम अग्रिम (रु. लाख करोड़ में)
RAM Advances (Rs. Lakh Crore)

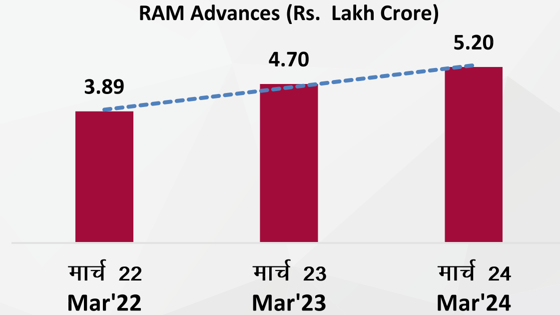

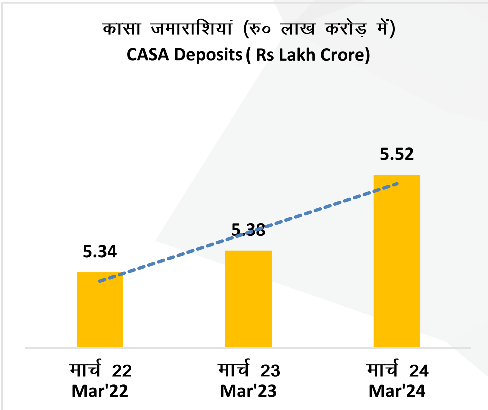

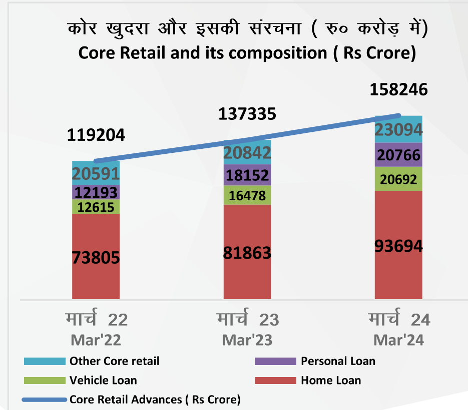

बढ़ती लाभप्रदता
Soaring Profitability

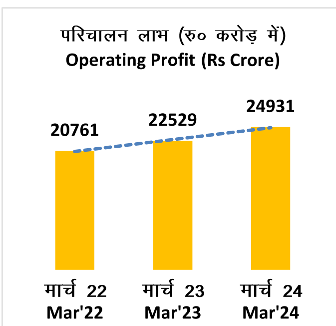

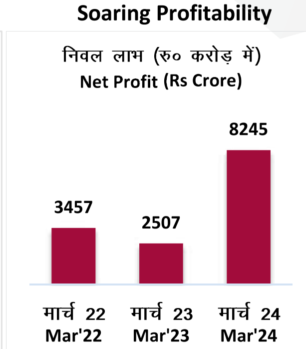

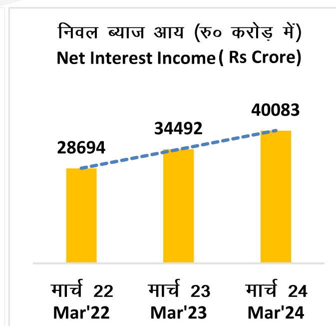

आस्ति गुणवत्ता में सुधार
Improving Asset Quality

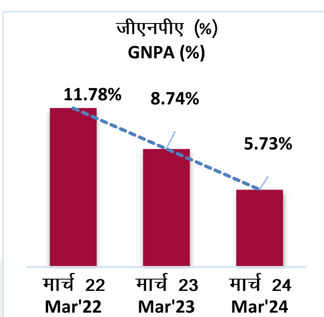

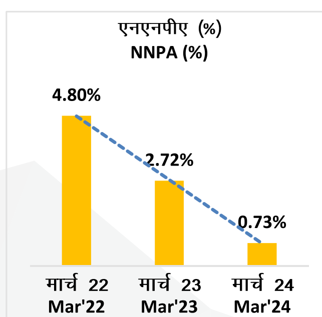

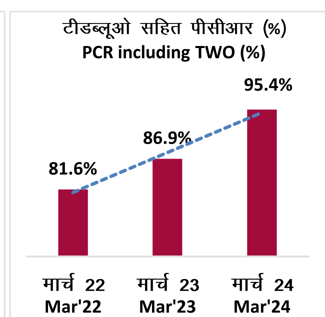

अनुपात सुधार
Improving ratios

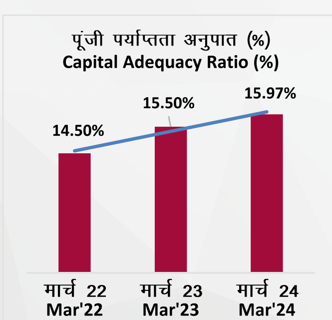

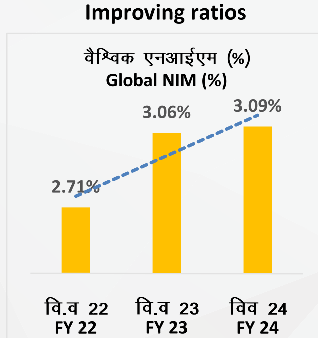

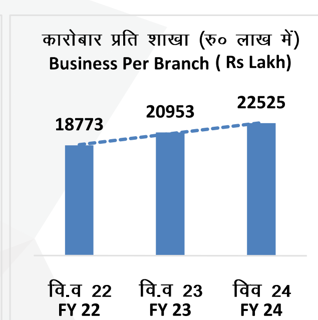

निदेशक रिपोर्ट 2023–24

प्रिय हितधारक,

पूरी टीम की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। यह वर्ष चुनौतियों और अवसरों दोनों का रहा है और यह हम सभी के लिए बेहद गर्व की बात है कि भारत पहले से कहीं और अधिक सुदृढ़ होकर उभरा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत का आर्थिक प्रदर्शन वास्तव में उल्लेखनीय रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई। जिससे लगातार तीसरे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देश की स्थिति मजबूत हुई है। इस वर्ष की वृद्धि को मजबूत घरेलू उपभोग मांग, निजी खर्च में वृद्धि और व्यावसायिक विश्वास में बढ़ोतरी जैसे कई कारकों से बढ़ावा मिला है।

अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के अनुरूप, बैंकिंग क्षेत्र ने भी वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है और व्यवसाय, लाभप्रदता एवं पूंजी आदि में यह अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 बैंकिंग उद्योग के लिए विकास और वसूली का वर्ष रहा है। हमारा बैंक उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन कर सका और उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वर्ष के दौरान सराहनीय वृद्धि दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बाजार पूंजीकरण और शेयर मूल्य 100 रुपये के पार पहुंचना था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बाजार पूंजीकरण के मामले में पीएनबी 1 अप्रैल 2024 को दूसरे स्थान पर था।

कारोबार के लिहाज से बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 1.87 लाख करोड़ रुपये की भारी वृद्धि दर्ज करते हुए 23.50 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का आंकड़ा पार कर लिया है। बैंक ने सभी तिमाहियों में सराहनीय प्रदर्शन किया है। सकल अग्रिमों में 11.2 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, साथ ही घरेलू अग्रिमों में भी 10.9 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2024 तक वैश्विक जमा राशि 13.70 लाख करोड़ रुपये रही जबकि अग्रिम राशि 9.83 लाख करोड़ रुपये रही।

अग्रिमों में खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) अग्रिमों में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एमएसएमई ग्राहक जो एमएसएमई से आगे निकल गए, उन्हें वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट और अन्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया और इस पुनर्वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, रैम अग्रिमों की वृद्धि वर्ष दर वर्ष (YoY) 11.7 प्रतिशत होगी। खुदरा अग्रिमों में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। खुदरा खंड में, आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण ने क्रमशः 14.5 प्रतिशत, 25.6 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित की।

सुदृढ़ वसूली और बेहतर हामीदारी मानकों को अपनाकर वर्ष के दौरान बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। बैंक का जीएनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2023 को 8.74 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2024 को 5.73 प्रतिशत हो गया। शुद्ध एनपीए प्रतिशत भी 31 मार्च, 2023 को 2.72 प्रतिशत से गिरकर 0.73 प्रतिशत हो गया। बैंक का तकनीकी राइट–ऑफ (टीडब्ल्यूओ) सहित प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2023 के 86.9 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च, 2024 को 95.4 प्रतिशत हो गया।

DIRECTORS' REPORT 2023-24

Dear Stakeholders,

On behalf of the entire team, I am pleased to present the Annual Report for the Financial Year 2023-24. This year has been the year of both i.e., challenges as well as opportunities and it is a matter of immense pride for all of us that India has emerged stronger than ever.

India's economic performance in FY 2023-24 has been truly remarkable. GDP growth for the FY 2023-24 increased to 8.2 per cent which has consolidated the position of the country as the world's fastest growing economy for the third consecutive year. The growth this year has been fueled by several factors such as strong domestic consumption demand, increase in private spending and uptick in Business confidence.

In line with the performance of the economy, the banking sector also performed well during the year and could exceed its past performance in Business, Profitability and Capital, etc. Financial Year 2023-24 has been the year of growth and recovery for the Banking industry. The Bank could perform as per expectations and delivered commendable growth during the year, strengthening its foothold in the industry. The first and foremost achievement of the Bank during the Financial Year 2023-24 was attaining market capitalization of more than Rs.1 Lakh Crore and scrip price surpassing the mark of Rs.100/. PNB was on the second position as on 1st April, 2024 in terms of market capitalization amongst Public Sector Banks.

In business terms, Bank surpassed the business figure of Rs. 23.50 Lakh Crore recording a quantum increase of Rs. 1.87 Lakh Crore over the previous year. The Bank has performed admirably in all the quarters. Global Advances recorded double digit growth of 11.2 per cent with Domestic Advances also registering the double digit growth of 10.9 per cent. As on 31st March, 2024, Global Deposits stood at Rs.13.70 Lakh Crore while Advances stood at Rs.9.83 Lakh Crore.

Amongst Advances, Retail, Agriculture and MSME (RAM) Advances registered the growth of 10.7 per cent. MSME customers who graduated beyond MSME, were reclassified as corporate & others during the year and taking this reclassification into account, RAM advances growth would be 11.7 per cent Year on Year (YoY). Retail advances showed growth of 12.6 per cent YoY. In Retail Segment, Housing Loan, Vehicle Loan and Personal Loan exhibited the YoY growth of 14.5 per cent, 25.6 per cent and 14.4 per cent respectively.

Asset quality of the Bank improved during the year through adoption of robust recovery and enhanced underwriting standards. The Bank's GNPA ratio declined to 5.73 per cent as on 31st March, 2024 from 8.74 per cent as on 31st March, 2023. Net NPA ratio also went down to 0.73 per cent as on 31st March, 2024 from 2.72 per cent as on 31st March, 2023. Provision Coverage Ratio including Technical Write Off (TWO) of the Bank improved to 95.4 per cent as on 31st March, 2024 from 86.9 per cent as on 31st March, 2023.

डिजिटल स्तर पर, बैंक ने 100 से अधिक उत्पाद, प्रक्रियाएं और पोर्टल पेश करके उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वर्ष के दौरान लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख उत्पादों, प्रक्रियाओं और पोर्टलों में पीएनबी स्वागत जो बैंक के नए ग्राहकों (एनटीबी) को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है, डिजी शिक्षा ऋण, डिजिटल वाहन ऋण, एकीकृत भुगतान और संग्रह सेवाएं, सीएमएस ऑटो डेबिट मैंडेट, डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन आदि शामिल हैं। डिजिटलीकरण की दिशा में उठाए गए कदम बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं।

डिजिटल विकास के अलावा, मानव संसाधन का ट्रान्सफॉर्मेशन भी सबसे आगे रहा और उड़ान परियोजना उच्च ग्रेड के अधिकारियों को शामिल करते हुए सुचारू रूप से शुरू हुई।

"इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 (वित्तीय वर्ष 2023–24) को समाप्त वर्ष के लिए अपने बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को इसके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है"।

<u>बैंक का कार्यनिष्पादन</u>

I. 31 मार्च, 2024 को वित्तीय कार्यनिष्पादन

1. शीर्ष कार्यनिष्पादन

ए. वैश्विक कारोबार रु. 21,65,844 करोड़ की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 23,53,038 करोड़ रहा।,

बी. वैश्विक जमाराशि 31 मार्च, 2023 को ₹12,81,163 करोड़ से 6.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2024 को ₹13,69,713 करोड़ हो गई।

सी. कासा जमाराशि 31 मार्च, 2023 को रु.5,38,015 करोड़ के एवज में 31 मार्च, 2024 को रु. 5,52,499 करोड़ था।

i. **चालू जमा** 31 मार्च, 2024 को रु.72,201 करोड़ थी।

ii. **बचत जमा** 31 मार्च 2024 को रु. 4,80,298 करोड़ थी।

डी. वैश्विक अग्रिम 31 मार्च 2023 को रु 8,84,681 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.9,83,325 करोड़ हो गई।

ई. खुदरा अग्रिम 31 मार्च, 2024 को वर्ष दर वर्ष आधार पर 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 2,22,574 करोड़ था।

एफ. कृषि अग्रिम 31 मार्च, 2024 को वर्ष दर वर्ष आधार पर 11.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु० 1,58,188 करोड़ पर था।

जी. एमएसएमई अग्रिम 31 मार्च, 2024 को 1,39,288 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 130178 करोड़ रुपये था, जो 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, कुछ एमएसएमई ग्राहक आगे बढ़ गए और उन्हें

On the digital front, the Bank has performed remarkably by coming out with more than 100 products, processes and portals. Some of the major products, processes and portals launched during the year include PNB Swagat providing Personal Loan to New to Bank Customers (NTB), Digi Education Loan, Digital Vehicle Loan, Integrated Payment & Collection Services, CMS Auto Debit Mandate, Digital Document Execution, etc. The steps taken towards digitalization could help the Bank scaling newer heights.

Apart from digital thrust, development under Human Resources Transformation also remained at the forefront and UDAAN project took off smoothly covering the officers in higher grades.

"Against this backdrop, your Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report of your Bank for the year ended 31st March, 2024 (FY 2023-24) along with its audited Annual Financial Statements".

<u>BANK'S PERFORMANCE</u>

I. FINANCIAL PERFORMANCE AS ON 31st March, 2024

1. Topline

a. Global Business stood at Rs. 23,53,038 Crore vis-à-vis Rs. 21,65,844 Crore, registering YoY growth of 8.6 percent.

b. Global Deposits stood at Rs. 13,69,713 Crore as on 31st March, 2024 as against Rs. 12,81,163 Crore as on 31st March 2023, showing the growth of 6.9 percent.

c. CASA Deposits was at Rs. 5,52,499 Crore as on 31st March, 2024 as against Rs.5,38,015 Crore as on 31st March, 2023.

i. **Current Deposits** was at Rs. 72,201 Crore as on 31st March, 2024

ii. **Savings Deposits** was at Rs. 4,80,298 Crore as on 31st March, 2024.

d. Global Advances stood at Rs. 9,83,325 Crore as on 31st March, 2024 against Rs. 8,84,681 Crore as on 31st March 2023, recording the growth of 11.2 percent.

e. Retail Advances was at Rs. 2,22,574 Crore as on 31st March, 2024 registering the growth of 12.6 per cent YoY.

f. Agriculture Advances was at Rs. 1,58,188 Crore as on 31st March, 2024 with growth of 11.3 per cent YoY.

g. MSME Advances was at Rs. 1,39,288 Crore as on 31st March, 2024 as against Rs.1,30,178 Crore as on 31st March, 2023 showing the growth of 7.0 per cent. During the year, some MSME

कॉर्पोरेट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। यदि इस पुनर्वर्गीकरण प्रभाव को पिछले वर्ष के लिए ध्यान में रखा जाए, तो एमएसएमई खंड की वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर 12 प्रतिशत होगी।

एच. खुदरा कृषि एमएसएमई (रैम) अग्रिम 31 मार्च, 2023 को 4,69,981 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2024 को रु. 5,20,050 करोड़ था जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, रैम की वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 11.7 प्रतिशत होगी।

आई. घरेलू अग्रिम से संबंधित रैम का शेयर 31 मार्च, 2024 तक 55.2 प्रतिशत था।

2. **बॉटम लाइन**

क. **बैंक का शुद्ध लाभ** वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 8245 करोड़ था, जो वर्ष दर वर्ष 228.8% की वृद्धि दर्शाता है।

ख. **बैंक का परिचालन लाभ** वित्त वर्ष 2023–24 में रु.24,931 करोड़ था, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2022–23 में रु. 22,529 करोड़ था।

ग. **शुद्ध ब्याज आय** रु. 34,492 करोड़ की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 40,083 करोड़ रुपये रही।

3. **आस्ति गुणवत्ता**

क. **बैंक का सकल एनपीए** 31 मार्च, 2023 के 77,328 करोड़ रुपये के स्तर से सुधरकर 31 मार्च, 2024 को रु.56,343 करोड़ रहा।

ख. **सकल एनपीए अनुपात** 31 मार्च, 2023 को 8.74 प्रतिशत के स्तर से 301 बीपीएस की गिरावट के साथ 31 मार्च, 2024 को 5.73 प्रतिशत पर रहा।

ग. **बैंक का शुद्ध एनपीए** 31 मार्च, 2023 को रु. 22,585 करोड़ के उच्चतम स्तर से सुधरकर 31 मार्च, 2024 तक रु.6799 करोड़ हो गया।

घ. **शुद्ध एनपीए अनुपात** 31 मार्च, 2023 को 2.72 प्रतिशत के स्तर से 199 बीपीएस कम हो गया और 31 मार्च, 2024 को 0.73 प्रतिशत हो गया।

ङ. **टीडब्ल्यूओ सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)** 31 मार्च, 2024 को 850 बीपीएस बढ़कर 95.4 प्रतिशत हो गया, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 86.9 प्रतिशत था।

च. टीडब्ल्यूओ को छोड़कर प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2024 को 1710 बीपीएस बढ़कर 87.9 प्रतिशत हो गया, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 70.8 प्रतिशत था।

customers graduated and got reclassified as Corporates. If this reclassification effect is taken into consideration for last year, then MSME Segment growth would be 12.0 per cent YoY.

h. Retail Agriculture MSME (RAM) Advances was at Rs. 5,20,050 Crore as on 31st March, 2024 vis-à-vis Rs.4,69,981 Crore as on 31st March, 2023, showing the growth of 10.7 per cent YoY. Taking into consideration the impact of reclassification, the growth of RAM would be 11.7 per cent YoY.

i. Share of RAM w.r.t. Domestic Advances was at 55.2 per cent as on 31st March, 2024.

2. **Bottom Line**

a. **Net Profit** of the Bank was at Rs. 8245 Crore in FY 2023-24 showing YoY growth of 228.8%.

b. **Operating Profit** of the Bank was at Rs. 24,931 Crore in FY 2023-24 showing YoY growth of 10.7 per cent. It stood at Rs. 22,529 Crore in FY 2022-23

c. **Net Interest Income** was at Rs. 40,083 Crore in FY 2023-24 vis-à-vis Rs. 34,492 Crore in FY2022-23, registering the growth of 16.2 per cent YoY.

3. **Asset Quality**

a. **Gross NPA** of the Bank stood at Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024, improving from the level of Rs.77,328 Crore as on 31st March, 2023.

b. **Gross NPA ratio** exhibited decline of 301 bps from a level of 8.74 per cent as on 31st March, 2023 and stood at 5.73 per cent as on 31st March, 2024.

c. **Net NPA** of the Bank improved from as high as Rs. 22,585 Crore as on 31st March, 2023 to Rs. 6,799 Crore as on 31st March, 2024.

d. **Net NPA ratio** declined by 199 bps from a level of 2.72 per cent as on 31st March, 2023 and stood at 0.73 per cent as on 31st March, 2024.

e. **Provision Coverage Ratio (PCR)** including TWO increased by 850 bps to 95.4 per cent as on 31st March, 2024 as against 86.9 per cent as on 31st March, 2023.

f. **Provision Coverage Ratio (PCR)** excluding TWO increased by 1710 bps to 87.9 per cent as on 31st March, 2024 as against 70.8 per cent as on 31st March 2023

4. प्रमुख अनुपात (वैश्विक)

क. **शुद्ध ब्याज मार्जिन** वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3.06 प्रतिशत से सुधरकर वित्त वर्ष 2023–24 में 3.09 प्रतिशत हो गया।

ख. **जमा की लागत** वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4.91 प्रतिशत थी, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 4.10 प्रतिशत थी।

ग. **अग्रिमों पर प्रतिफल** वित्त वर्ष 2022–23 के 7.16 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 8.28 प्रतिशत हो गया।

घ. **निवेश पर प्रतिफल** वित्तीय वर्ष 2022–23 के 6.57 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 6.78 प्रतिशत हो गया।

ङ. **औसत संपत्ति पर प्रतिलाभ** वित्तीय वर्ष 2023–24 में 0.54 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में 0.18 प्रतिशत था।

च. **प्रति कर्मचारी** कारोबार 31 मार्च, 2023 के 21.64 करोड़ रुपये से सुधरकर 31 मार्च, 2024 को 23.84 करोड़ रुपये हो गया।

छ. **प्रति शाखा** कारोबार 31 मार्च, 2023 के 209.53 करोड़ रुपये से सुधरकर 31 मार्च, 2024 को 225.25 करोड़ रुपये हो गया।

5. पूंजीगत स्थिति

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा पूंजी जुटाने के साथ–साथ लाभप्रदता में सुधार के कारण बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक ने अतिरिक्त टियर I (एटी I) बॉन्ड के माध्यम से 6012 करोड़ रुपये और टियर II बॉन्ड के माध्यम से 3090 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने कम जोखिम प्रोफ़ाइल वाले बेहतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को लक्षित करके स्थायी व्यापार विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा। आगे बढ़ते हुए, बैंक अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है।

प्रमुख प्रदर्शन,

क. बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2024 को 47 बीपीएस बढ़कर 15.97 प्रतिशत पहुंच गया, जिसमें एटी–1 पूंजी 2.13 प्रतिशत और कॉमन इक्विटी टियर–1 (सीईटी–1) 11.04 प्रतिशत थी।

ख. बैंक की जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) को बेहतर रेटिंग वाले खातों पर ध्यान केंद्रित करने और बैंक के पोर्टफोलियो के मंथन के कारण 31 मार्च, 2024 तक 7,35,435 रुपये करोड़ तक अनुकूलित किया गया था।

6. अनुपालन व्यवहारः

क. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (जीसीसीओ) के रूप में नामित मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र अनुपालन कार्यप्रणाली स्थापित किया गया है। बोर्ड ने अनुपालन कार्य के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने वाली समूह अनुपालन नीति को मंजूरी दे दी है।

4. Key Ratios (Global)

a. **Net Interest Margin** improved to 3.09 per cent in FY 2023-24 from 3.06 per cent in FY 2022-23.

b. **Cost of Deposits** was at 4.91 per cent in FY 2023-24 as against 4.10 per cent in FY 2022-23.

c. **Yield on Advances** increased to 8.28 per cent in FY 2023-24 from 7.16 per cent in FY 2022-23.

d. **Yield on Investment** increased to 6.78 per cent in FY 2023-24 from 6.57 per cent in FY 2022-23.

e. **Return on Average Assets** was at 0.54 per cent in FY 2023-24 from 0.18 per cent in FY 2022-23.

f. **Business per employee** improved to Rs.23.84 Crore as on 31st March, 2024 from Rs.21.64 Crore as on 31st March, 2023.

g. **Business per branch** improved to Rs.225.25 Crore as on 31st March, 2024 from Rs.209.53 Crore as on 31st March, 2023.

5. Capital Position

The capital adequacy of the Bank improved during the financial year on account of capital raising by the Bank coupled with improved profitability. During FY 2023-24, Bank has raised Rs.6012 Crore through Additional Tier I (AT I) Bonds and Rs.3090 Crore through Tier II Bonds. The Bank continued with its focus on sustainable business growth by targeting better rated borrowers with low risk profile. Going forward, the Bank is strategically well placed to meet the growing credit needs of the economy.

Key Highlights

a. The Capital Adequacy Ratio of the Bank recorded increase by 47 bps to reach at 15.97 per cent, as of 31st March, 2024, with AT-1 capital at 2.13 per cent and Common Equity Tier-1 (CET-1) at 11.04 per cent.

b. Risk Weighted Assets (RWA) of the Bank were optimized to Rs. 7,35,435 Crore as on 31st March, 2024 on account of focus on better rated accounts and churning of portfolio of the Bank.

6. Compliance Culture

a. In accordance with Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Function headed by Chief General Manager designated as Group Chief Compliance Officer (GCCO) has been set up in the Bank. The Board approved Group Compliance Policy defining various aspects of compliance function is in place.

ख. अनुपालन कार्यप्रणाली गतिविधियों का प्रबंधन प्रधान कार्यालय में समर्पित अधिकारियों, अंचल कार्यालयों में अंचल अनुपालन अधिकारियों और मंडल कार्यालयों में मंडल अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

ग. अनुपालन कार्यप्रणाली में शामिल प्रदर्शनः

i. इन–हाउस विकसित अनुपालन जोखिम मूल्यांकन मॉडल (सीआरएएम) का उपयोग करके बैंक स्तर पर अनुपालन जोखिम की निगरानी।

ii. इन–हाउस विकसित अनुपालन निगरानी उपकरण (सीएमटी) का उपयोग करके बैंक में व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा मुख्य अनुपालन दायित्वों (केसीओ) के अनुपालन की निगरानी।

iii. समूह स्तर पर प्रभावी अनुपालन निरीक्षण के लिए समूह अनुपालन जोखिम स्कोरकार्ड के साथ समूह अनुपालन जोखिम ढांचा विकसित किया गया है।

II. परिचालन संबंधी प्रदर्शन

1. प्रमुख डिजिटल पहलें एवं उपलब्धियां

क. बैंक ने विभिन्न डिजिटल पेशकशें प्रस्तुत कीं, जैसे पूर्व–अनुमोदित कारोबार ऋण (पीएबीएल), जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, डिजी होम लोन, बैंक के नए ग्राहकों (एनटीबी) के लिए डिजिटल व्यक्तिगत ऋण (पीएनबी–स्वागत), ई–पीएम स्वनिधि, ई–जीएसटी एक्सप्रेस, ई–बीजी, वसूली प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और विभिन्न अन्य डिजिटल अनुभवों का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि और सुविधा को बढ़ाना है।

ख. 10 लाख रुपये तक शेष राशि वाले एनपीए खातों के लिए ई2ई डिजिटल निपटान अनुमोदन प्रक्रिया हेतु **ई–ओटीएस (एक्सप्रेस–वन टाइम सेटलमेंट)** शुरू किया गया।

ग. मर्चेंट लोकेशन पर साउंडबॉक्स डिवाइस **(पीएनबी ई–स्वर)** पेश किया गया, जहां डिजिटल लेनदेन के लिए आवश्यक भारत क्यूआर कोड जारी किए जाते हैं, जो प्रत्येक सफलतापूर्ण लेनदेन होने पर तत्काल ऑडियो के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं।

घ. भावी उधारकर्ता ग्राहकों को सुविधा देने के लिए एक एप्लिकेशन **"पीएनबी आरंभ"** लॉन्च किया गया था।

ङ. नवंबर 2023 से डिजिटल स्वर्ण ऋण प्रक्रिया शुरू की गई है।

2. प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन

क. 80 से अधिक शहरों तक विस्तृत 55 स्थानों पर **ग्राहक अर्जन केंद्र (सीएसी)** स्थापित किए गए हैं। इन सीएसी

b. Compliance Function activities are managed by dedicated officials at Head Office, Zonal Compliance Officers at Zonal Headquarters and Circle Compliance Officers at Circle Headquarters.

c. Highlights of compliance function include:

i. Monitoring of Compliance Risk at Bank level using in-house developed Compliance Risk Assessment Model (CRAM).

ii. Monitoring of compliance to Key Compliance Obligations (KCOs) by individual officers in the Bank using in-house developed Compliance Monitoring Tool (CMT).

iii. Group Compliance Risk Framework along with Group Compliance Risk Scorecard has been developed to have an effective compliance oversight at Group level.

II. OPERATIONAL HIGHLIGHTS

1. Key Digital Initiatives & Achievements

a. The Bank introduced various digital offerings such as Pre-Approved Business Loans (PABL), Digital Kisan Credit Cards through Jan Samarth Portal, Digi Home Loans, Digital Personal Loan to New To Bank (NTB) Customers (PNB-Swagat), e-PM SVANidhi, e-GST Express, e-BG, digitalization of recovery process and various other digital experiences aimed at enhancing customer satisfaction & convenience.

b. Initiated **e-OTS (Express-One Time Settlement)** for E2E digital settlement approval process for NPA Accounts having o/s balance upto Rs.10 Lakh.

c. Introduced Soundbox device **(PNB E-Swar)** at merchant location where Bharat QR codes are issued or required for digital transactions which provide immediate audio notification on every successful transaction.

d. An application **"PNB Aarambh"** was launched to facilitate acquiring of prospective borrowers customers.

e. Digital Gold Loan journey has also been initiated since November 2023.

2. Key Structural Transformations

a. **Customer Acquisition Centres (CACs)** across 55 locations, extending to over 80 cities have been

ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने और उन संबंधों को मजबूत करने तथा लक्षित क्षेत्रों में विपणन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की।

ख. **रिटेल उत्पाद विपणन को बढ़ाने में बैंक की सहायक कंपनी–** पीएनबीसीएसएल का लाभ उठानाः बैंक ने बैंक की रिटेल पेशकशों के विपणन और वितरण को शामिल करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल) की भूमिका का विस्तार किया। इसमें आवास ऋण (10 लाख रुपये से अधिक), वाहन ऋण (10 लाख रुपये से अधिक) और शिक्षा ऋण (7.50 लाख रुपये से अधिक) की सोर्सिंग शामिल है। इसके अलावा पीएनबीसीएसएल को कासा बिजनेस की सोर्सिंग का काम भी सौंपा गया है।

ग. **केंद्रीकृत पीएनबी लोन पॉइंट (सी–पीएलपी):** पीएनबीसीएसएल के माध्यम से प्राप्त रिटेल ऋण लीड को हेंडल करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, सी–पीएलपी की स्थापना की गई थी। यह संरचना कुशल लीड प्रबंधन और शीघ्र प्रसंस्करण सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप कम समय में 100 करोड़ रुपये से अधिक के रिटेल ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।

घ. **डिजिटल मार्केटिंग कक्षः** डिजिटल मार्केटिंग अंगीकार करने में अप्रयुक्त क्षमता को पहचानते हुए, बैंक ने डिजिटल मार्केटिंग कक्ष की स्थापना की है। इसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देना, अंगीकरण के अवसर पैदा करना और संगठनात्मक प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। डिजिटल मार्केटिंग टीम को डिजिटल आस्तियों के रखरखाव, ट्रैफ़िक को चलाने, उपभोक्ता की भावना और ग्राहक सेवा को प्रबंधित करने और रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

3. ग्राहक सेवाः बैंक ग्राहक सेवा को अत्यधिक महत्व देता है और इसमें सुधार के लिए लगातार पहल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

क. टोल–फ्री नंबरों (टीएफएन) की दृश्यता में सुधार करने और ग्राहकों को टीएफएन को आसानी से याद रखने में मदद करने के लिए, बैंक ने दो नए 8–अंकीय नंबर अर्थात 1800 1800 और 1800 2021 खरीदे हैं।

ख. 01.11.2023 से, पीएसबी एलायंस के माध्यम से हमारे बैंक की 610 केंद्रों की 4188 शाखाओं में डोरस्टेप बैंकिंग की पेशकश की जा रही है।

ग. डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं (डीएसबी) सभी ग्राहकों के लिए (बिना किसी उम्र/शारीरिक अक्षमता मानदंड के) यूनिवर्सल टच पॉइंट्स (यूटीपी), अर्थात कॉमन मोबाइल एप्लिकेशन, कॉमन कॉन्टैक्ट सेंटर और वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं। इन यूटीपी के माध्यम से बुक की गई डीएसबी सेवा आउटसोर्स

set up. These CACs facilitated in establishing and deepening relationship with customers through different channels and enhance marketing capabilities in targeted areas.

b. **Leveraging Bank's Subsidiary- PNBCSL in augmenting Retail Products marketing:** The Bank expanded the role of PNB Cards & Services Limited (PNBCSL), a wholly-owned subsidiary, to encompass the marketing and distribution of the bank's retail offerings. This includes sourcing of Housing Loan (above Rs.10 Lakh), Vehicle Loan (above Rs.10 Lakh) and Education Loan (above Rs.7.50 Lakh). Further PNBCSL has also been entrusted with the job of sourcing CASA business.

c. **Centralized PNB Loan Point (C-PLP):** A Centralized Processing Centre, C-PLP, was established to handle retail loan leads sourced through PNBCSL. This structure ensures efficient lead management and faster processing, resulting in sanctioning of more than Rs.100 Crore retail loans within a short span of time.

d. **Digital Marketing Cell:** Recognizing the untapped potential in digital marketing adoption, the bank has set up Digital Marketing Cell. The aim is to foster awareness, create adoption opportunities and enhancing organizational reputation. The digital marketing team is tasked with maintenance of digital assets, driving traffic, managing consumer sentiment and customer service and facilitating conversions.

3. Customer Service: The Bank accords high importance to Customer Service and constantly taking initiatives to improve it. Some of the initiatives taken during FY 2023-24 are as under:

a. To improve the visibility of Toll-Free Numbers (TFNs) and to help the customers to easily remember the TFNs, Bank has procured two new 8-Digit numbers i.e. 1800 1800 and 1800 2021.

b. With effect from 01.11.2023, Doorstep Banking is being offered through PSB Alliance at 4188 branches of the Bank at 610 Centres.

c. Doorstep Banking Services (DSB) are available to all customers (without any age/ physical disability criteria) through Universal Touch Points (UTPs), i.e., Common mobile application, Common Contact Centre and web portal. The DSB Service booked through these UTPs will be delivered by an authorized agent of the

एजेंसी के अधिकृत एजेंट द्वारा वितरित की जाएगी। हालाँकि, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों या अक्षम व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी हैं और ऐसे ग्राहकों को इस प्रकार की सभी सेवाएँ प्रभावी और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं।

घ. ग्राहकों की प्रतिक्रिया संगृहीत करने के लिए, ग्राहक द्वारा शाखा के माध्यम से रु. 10,000/– (नकद जमा, निकासी) से अधिक के किये गए लेनदेन के सफल प्रसंस्करण पर ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है, ताकि शाखा अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके।

ङ. संपर्क केंद्र आईवीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) पर 23 स्वयं–सेवा विकल्प उपलब्ध हैं। एचएनआई ग्राहकों के लिए एजेंट तक सीधी पहुंच की सुविधा, यूपीआई को ब्लॉक करना, एसएमएस के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करना और आईवीआर के माध्यम से अकाउंट ई–स्टेटमेंट के लिए ई–मेल का पंजीकरण जैसी सुविधाएं हाल ही में शुरू की गई हैं।

च. पीएनबी वन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और बैक–एंड टीम को तकनीकी मामले चिह्नित करने के लिए संपर्क केंद्र में एक समर्पित टीम है।

4. परियोजना उड़ान– बैंक के रूपांतरण के लिए मानव संसाधन क्षमताओं में क्रांति लाना

मानव संसाधन परिवर्तन पहल, **पीएनबी उड़ान,** मानव संसाधन कार्यों और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना में विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं और इसमें मानव संसाधन परिवर्तन (एचआरटी) कक्ष की स्थापना भी शामिल है। उड़ान परियोजना के तहत, पीएनबी ने निम्नलिखित को प्राप्त करते हुए डिजिटल मानव संसाधन परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की:

क. **मूलभूत संवर्धन:** एंड–टू–एंड डिजिटल प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों की शुरूआत, भूमिका स्पष्टता, वैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारण, कर्मचारियों के बीच प्रदर्शन स्कोर का अंतर, और जॉब फैमिली, उत्तराधिकार योजना, 360–डिग्री फीडबैक आदि जैसी नई प्रणालियों और नीतियों का कार्यान्वयन।

ख. **प्रक्रिया डिजिटलीकरण:** जनशक्ति मूल्यांकन, जॉब रोल आवंटन, उद्देश्य और सिस्टम–संचालित प्रदर्शन प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, और प्रदर्शन में वृद्धि एवं सुदृढ़ व्यावसायिक समीक्षाओं के लिए एनालिटिक्स–आधारित डैशबोर्ड का कार्यान्वयन।

ग. **क्षमता को उजागर करना:** व्यापक शिक्षण और विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता को बढ़ाना। इसमें विभिन्न क्षमता–निर्माण के उपाय शामिल हैं जैसे विशेषज्ञता के लिए जॉब फैमिली को फिर से डिजाइन

outsourced agency. However, Doorstep Banking Services are more beneficial to senior citizens, differently abled or incapacitated persons and services to such customers is provided in an effective and transparent manner.

d. To collect the customer feedback, a SMS is triggered to the customer's registered mobile number upon successful processing of Customer Induced transactions above Rs.10,000/- (cash deposit, withdrawal) through branch, to provide feedback on the quality of service rendered by branch officials.

e. 23 Self-Service options are available on Contact Centre IVR (Interactive Voice Response). Functionalities like facility of Direct access to agent for HNI customers, Blocking of UPI, Mini statement over SMS and Registration of e-mail for account e-statement, through IVR have been recently started.

f. There is a dedicated team at Contact Centre to handle PNB ONE related issues and flag the technical issues to the back-end team.

4. Project UDAAN- Revolutionizing HR capabilities to transform Bank

HR transformation initiative, **PNB UDAAN**, was launched to enhance HR functions and processes. This project comprises of various modules and includes establishment of a Human Resource Transformation (HRT) cell. Under the UDAAN project, PNB embarked on a digital HR transformation journey, achieving the following:

a. **Foundational Enhancements:** Introduction of end-to-end Digital Performance Management Systems, role clarity, scientific target setting, differentiation of performance scores among employees, and implementation of new systems & policies such as Job Families, Succession planning, 360-degree feedback, etc.

b. **Process Digitization:** Digitization of critical processes such as manpower assessment, job role allocation, objective and system-driven performance management, and the implementation of analytics-based dashboards for performance enhancement & robust business reviews.

c. **Unleashing Potential:** Maximizing the potential of each employee through a comprehensive learning and development program. This includes various capability-building measures such as

करना, संवारना और करियर पथ, उत्तराधिकार योजना, प्रतिभा प्रबंधन, व्यक्तिगत विकास और वन–ऑन–वन कोचिंग सहित संवारने की योजना।

परियोजना उड़ान न केवल डिजिटल प्रक्रियाओं के बारे में है बल्कि यह क्षमता विकास का एक प्रमुख पहलू भी लेकर आता है। एक सर्वोत्तम श्रेणी का नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके तहत 900 से अधिक वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकों को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पीएनबी का प्रमुख एलडीपी 3 मंचों पर है – लीडिंग सेल्फ, लीडिंग टीम और लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। प्रत्येक फोरम में 2 दिवसीय कक्षा प्रशिक्षण और 90 मिनट की वन–ऑन–वन कोचिंग शामिल है।

उड़ान 1.0 की सफलता को देखते हुए, बैंक उड़ान 2.0 के साथ इस परिवर्तन प्रक्रिया को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।

5. **लाभांश**

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.50 रुपये (75 प्रतिशत) के लाभांश की सिफारिश की है, जो बैंक की 23वें वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की घोषणा/अनुमोदन के अधीन है।

III. आस्ति गुणवत्ता

बैंक 31 मार्च, 2023 के सकल एनपीए को 77,328 करोड़ रुपये से घटाकर 31 मार्च, 2024 को 56,343 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहा। बैंक का शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2023 के 22,585 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2024 को 6,799 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ध्यान बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है। 31 मार्च, 2024 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) जिसमें टीडब्लूओ भी शामिल है, 95.4 प्रतिशत के स्वस्थ स्तर पर है। 31 मार्च, 2024 तक टीडब्ल्यूओ, सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 95.4 प्रतिशत के स्वस्थ स्तर पर है।

1. **वसूली एवं उन्नयनः** वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल वसूली 20,164 करोड़ रुपये रही। इसमें से, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल नकद वसूली (नकद वसूली + तकनीकी राइटऑफ में रिकवरी (टीडब्ल्यूओ) + रिकार्डेड इन्ट्रेस्ट (आरआई) 16,716 करोड़ रुपये रही।

2. **समाधान प्रणाली के माध्यम से उन्नयनः** राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मामलों में विशेष रूप से एनपीए खातों के पुनर्गठन/समाधान एवं वसूली से निपटने के लिए समाधान सेल बनाया गया था। इससे संबंधित विवरण इस प्रकार हैः

पुनर्गठित खाते (राशि करोड़ रुपये में)		
	कुल स्वीकृत	
	खातों की संख्या	राशि
वित्त वर्ष 2023–24	06	3688

redesigning job families for specialization, career paths, succession planning, talent management, individual development and grooming plan including One-on-One coaching.

Project UDAAN is not only about digital processes but also brings with it a major aspect of capability development. A best-in-class Leadership Development Program was conducted and under it, more than 900 senior level managers were imparted leadership training. PNB's flagship LDP is in 3 forums – Leading Self, Leading Team & Leading Transformation. Each forum consists of 2 day classroom training & 90 minutes One-on-One coaching.

Looking at the success of UDAAN 1.0, the Bank is set to take this transformation journey to the next level with UDAAN 2.0.

5. **DIVIDEND**

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.1.50 per equity share (75 per cent) of face value of Rs.2/- each for FY 2023-24, subject to declaration/approval of the shareholders at the 23rd Annual General Meeting of the Bank.

III. ASSET QUALITY

The Bank was able to reduce Gross NPA from the level of Rs. 77,328 Crore as on 31st March, 2023 to Rs. 56,343 Crore as on 31st March, 2024. Net NPA of the Bank came down to the level of Rs. 6,799 Crore as on 31st March, 2024 from Rs. 22,585 Crore as on 31st March, 2023. Focus on asset quality continues to be one of the topmost priorities for the Bank. Provision Coverage Ratio (PCR) including TWO is at a healthy level of 95.4 per cent as on 31st March, 2024.

1. **Recovery & Upgradation:** Total Recovery stood at Rs. 20,164 Crore for FY 2023-24. Of this, total Cash Recovery (Cash Recovery+ Recovery in Technical Write Off (TWO)+ Recorded Interest (RI)) stood at Rs.16,716 Crore for FY 2023-24.

2. **Upgradation through Resolution Mechanism:** The Resolution Cell was created to deal exclusively with restructuring/resolution of NPA accounts and recovery in National Company Law Tribunal (NCLT) cases. The details regarding the same is as under:

Restructured Accounts (Amount Rs. in Crore)		
	Total Sanctioned	
	No. of A/c's	Amount
FY 2023-24	06	3688

इसके अलावा, एनसीएलटी में आईबीसी के अंतर्गत एनपीए खातों में 3603 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

3. **मेगा ई–नीलामी:** वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 11502 संपतियाँ ई–बिक्रय पोर्टल पर अपलोड की गई थी जिसमें से 2081 अचल संपत्तियां (आईपी) सफलतापूर्वक नीलाम की गई।

4. **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ एनएआरसीएल को आस्तियों की बिक्री:** एआरसी/एनएआरसीएल को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

	मदें	वित्तीय वर्ष 2023–24
i.	एआरसी को बेचे गए खातों की संख्या	20
ii.	बेचे गए खातों की बकाया बही	4929
iii.	कुल प्राप्त प्रतिफल	1248

5. **वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें**

ए. एनपीए के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान

i. एनपीए उधारकर्ताओं के लिए समर्पित टेली–कॉलिंग अभियान और अत्यधिक फील्ड दौरे।

ii. प्रधान कार्यालय ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और लक्षित वसूली कार्यों में शामिल रहा।

बी. वसूली के प्रयासों का डिजिटलीकरण

i. 10 लाख रुपये तक के पात्र खातों हेतु एनपीए वसूली के लिए पुनर्निर्मित डिजिटल ओटीएस (ई–ओटीएस) की पेशकश का शुभारंभ।

ii. वसूली पोर्टल – समर्थ, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 17 में से 11 मॉड्यूल लाइव किए गए।

सी. सशक्त वसूली के लिए डिजिटल ई–ओटीएस प्रक्रिया

i. ई–ओटीएस 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले फ़िल्टर किए गए एनपीए खातों पर एक डिजिटल ओटीएस अनुमोदन प्रक्रिया है, जिसमें ओटीएस के लिए आवेदन करने से लेकर ओटीएस की मंजूरी और उसके बाद के चरण स्वचालित हैं। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट और पीएनबी वन ऐप के माध्यम से समाधान शुरू किया गया है।

ii. पीएनबी इस तरह की ऑनलाइन स्वचालित ओटीएस अनुमोदन प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला बैंक है।

iii. उपलब्ध विशेष एकमुश्त निपटान योजना (एसओटीएस) का दायरा बढ़ाने और छोटे एनपीए खातों को लक्षित करने के लिए, ई–ओटीएस वसूली प्रक्रिया में एक बहुत प्रभावी साधन साबित हो सकता है।

Further, a sum of Rs.3603 Crore was recovered in NPA accounts under IBC in NCLT.

3. **Mega e-Auctions:** During FY 2023-24, 11,502 properties were uploaded on e-Bikray portal. Out of which, 2081 Immovable Properties (IPs) were auctioned successfully.

4. **Sale of Assets to Asset Reconstruction Company (ARC)/NARCL:** Details of financial assets sold to ARCs/NARCL is as under:

(Amount Rs. in Crore)

	Items	FY 2023-24
i.	Number of Accounts sold to ARCs	20
ii.	Book Outstanding of Accounts sold	4929
iii.	Aggregate Consideration received	1248

5. **Initiatives taken to Improve Asset Quality during FY 2023-24**

a. War against NPA campaign

i. Dedicated tele-calling campaigns and rigorous field visits to NPA borrowers.

ii. Head Office provided its full support and involvement for targeted recovery actions.

b. Digitization of recovery efforts

i. Launch of re-vamped digital One Time Settlement (OTS) (e-OTS) offering for NPA recovery for eligible a/cs upto Rs 10 Lakh.

ii. Recovery portal – SAMARTH, 11 out of 17 modules were made live during FY 2023-24.

c. Digital e-OTS journey for robust recovery

i. e-OTS is a digital OTS approval process on filtered NPA Accounts having outstanding amount up to Rs.10 Lakh, in which all the steps from applying for OTS to sanctioning of OTS & steps involved thereafter are automated. The solution has been rolled out through PNB official website & PNB ONE App.

ii. PNB is the first Bank to launch such kind of an online automated OTS approval process.

iii. To enhance the outreach of available Special One Time Settlement Scheme (SOTS) and to target small NPA Accounts, e-OTS can prove to be a very effective tool in the recovery process.

iv. छोटे ऋण एनपीए खातों के लिए निपटान अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और ओटीएस अनुमोदन टीएटी में काफी कमी आएगी।

v. इस प्रक्रिया के माध्यम से जनरेट की गई वसूली का बैंक की समग्र लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से डीबी3 और हानि खातों में। ,

vi. ई–ओटीएस प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र एनपीए खाता उधारकर्ताओं की सुविधा के लिए, स्वीकृति पत्र और कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन तैयार किया जाएगा।

II. डिजिटल फुटप्रिंट का विस्तार

प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है और बैंकिंग परिदृश्य में फिनटेक के आगमन के साथ, प्रतिस्पर्धी बने रहने और आगे बढ़ने के लिए बैंक के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से अपनाना और आत्मसात करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

क्र.सं.	मापदंड (करोड़ में)	31.03.23 को	31.03.24 को	वृद्धि% (वर्ष दर वर्ष) 31.03.24 / 31.03.23
1	इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या	3.92	4.23	7.9%
2	पीएनबी वन सक्रिय उपयोगकर्ता	1.16	1.74	50.0%
क्र.सं.	मापदंड (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2023–24	
1	डिजिटल लेनदेन की संख्या	408	659	61.5%
2	यूपीआई लेनदेन	364	622	70.9%

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने कारोबार वृद्धि और ग्राहक सुविधा के लिए विभिन्न डिजिटल पहल कीं:

देयता:

1. **ऑनलाइन लॉकर करार निष्पादन:** ग्राहकों को लॉकर करार ऑनलाइन निष्पादित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें ई–स्टांपिंग के लिए एनईएसएल के साथ एकीकरण शामिल है।

2. **डिजि लॉकर:** डिजी लॉकर के लिए एपीआई एकीकरण जिसके माध्यम से ग्राहक खाता संख्या, अवधि, ग्राहक का नाम इत्यादि जैसे आवश्यक इनपुट प्रदान करके खाता विवरण प्राप्त कर सकता है। खाता विवरण पीडीएफ प्रारूप में भी डाउनलोड किया जा सकता है।

3. **पीएनबी वेबसाइट के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम:** 50000 रुपये और उससे अधिक की राशि के चेक के समाशोधन के लिए ग्राहकों से पुष्टि प्राप्त करने हेतु पीएनबी वेबसाइट के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है।

4. **प्रायोजक बैंक के रूप में ई–मैंडेट एकीकरण:** प्रायोजक बैंक के रूप में ई–मैंडेट रजिस्टर करने के लिए, हमारा बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) में भाग ले रहा है. बैंक और इसके कॉरपोरेट्स एनएसीएच मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं, जो

iv. Settlement approval process shall be expedited for small loan NPA accounts and OTS approval TAT will get reduced substantially.

v. The recovery generated through this process, will have a positive impact on the overall profitability of the Bank, especially in DB3 and Loss accounts.

vi. Convenience to eligible NPA Account borrowers under e-OTS process, Sanction Letter and No Dues Certificate shall be generated online.

IV. EXPANDING DIGITAL FOOTPRINTS

Technology continues to drive the Banking sector and with the advent of Fintech in the banking landscape, it has become all the more critical to adopt and imbibe technology in the Bank's day to day operations effectively to remain competitive and grow.

S.No.	Parameters (in Crore)	As on 31.03.23	As on 31.03.24	Gr% (YoY) 31.03.24/ 31.03.23
1	No. of Internet banking Users	3.92	4.23	7.9%
2	PNB One Activated users	1.16	1.74	50.0%
S.No.	Parameters (in Crore)	FY 2022-23	FY 2023-24	
1	No of digital transactions	408	659	61.5%
2	UPI transactions	364	622	70.9%

The Bank, during FY 2023-24, took up various digital initiatives towards business growth and customer convenience:

LIABILITY

1. **Online Locker Agreement Execution:** A facility is provided to customers for execution of locker agreement online. This involves integration with NeSL for e-stamping.

2. **DIGILOCKER:** API Integration for Digi Locker through which the customer can fetch the account statement by providing the necessary inputs like Account Number, Period, Customer Name, etc. The account statement can also be downloaded in PDF format.

3. **Positive Pay System through PNB Website:** Positive Pay System through PNB Website has been implemented to get confirmation from customers for clearing of cheques amounting to Rs. 50,000 and above.

4. **e-Mandate as Sponsor Bank Integration:** To register e-Mandate as a sponsor Bank, our bank is participating in the National Automated Clearing House (NACH). Bank and its Corporates are accepting NACH Mandate, which is a direction of a customer to honour recurring payments

ग्राहक के आवर्ती भुगतान जैसे बीमा, ऋण किस्त, एसआईपी, आदि का भुगतान करने का निर्देश है।

5. **जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) संपर्क रहित कार्ड का कार्यान्वयन–क्यू एसपीएआरसी:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में संपर्क रहित सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनपीसीआई ने रुपे कॉन्टैक्टलेस प्रोडक्ट (क्यू–एसपीएआरसी) के रूप में जाने जाने वाले अपने संपर्क रहित उत्पाद विनिर्देश को बढ़ाया है और बैंक से जेसीबी कार्ड पर इस सुविधा को सक्षम करने का अनुरोध किया है ताकि जेसीबी कार्ड धारक अपने जेसीबी कार्ड में निर्बाध टैप एंड पे सुविधा का आनंद ले सकें।

6. **प्रायोजक बैंक के रूप में ई–मैंडेट पंजीकरण और लेनदेन प्रसंस्करण:** डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और आधार प्रमाणीकरण द्वारा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अपने पीएनबी ऋण खातों के लिए ग्राहकों द्वारा स्व–ई– मैंडेट पंजीकरण की सुविधा।

7. **आरबीआई दावा न की गई जमाराशि एपीआई एकीकरण:** दावा न की गई जमाराशि/निष्क्रिय खातों की केंद्रीकृत खोज के लिए ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआई उदगम पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण लागू किया गया है।

8. **इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी:** इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई–बीजी) एंड–टू–एंड डिजिटल उत्पाद है। बैंक की सीबीएस प्रणाली ई–स्टांपिंग, ई–हस्ताक्षर और बैंक द्वारा विकसित मिडलवेयर के माध्यम से एनईएसएल के डिपॉजिटरी पर डिजिटल हस्ताक्षरित ई–बीजी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एनईएसएल के साथ एकीकृत है।

9. **ऑनलाइन बीजी सत्यापन पोर्टल:** इस पोर्टल का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया जाता है जिसके माध्यम से लाभार्थी बैंक गारंटी की वास्तविकता को सत्यापित कर सकते हैं।

10. **पीएनबी सेक्योर बचत खाता (एसएसए)** पीएनबी सेक्योर बचत खाता एक ऐसा उत्पाद है जो बचत खाते के साथ बीमा प्रदान करता है। यह बीमा पॉलिसी जनरेशन के लिए ई–बीमा पोर्टल के माध्यम से पीएनबी मेटलाइफ के साथ एकीकरण के माध्यम से हासिल किया गया है।

रिटेल

1. डिजिटल आवास ऋण: डिजिटल हाउसिंग लोन के तहत, सीबीएस प्रणाली को ऑनलाइनपीएसबीलोन्स (ओपीएल), फिनटेक पार्टनर के साथ इन–हाउस विकसित मिडलवेयर के माध्यम से एकीकृत किया गया है। यह उन ग्राहकों को जिनके हमारे बैंक के साथ ग्राहक संबंध हैं या नहीं भी है, को एंड–टू–एंड डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आवास ऋण प्रदान करता है।

2. न्यू टू बैंक पर्सनल लोन (NTBPL): न्यू टू बैंक पर्सनल लोन एंड–टू–एंड डिजिटल उत्पाद है। यह उन ग्राहकों को एंड–टू–एंड डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है जो हमारे बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं या जिनका हमारे बैंक के साथ कोई ग्राहक संबंध नहीं है।

like insurance, loan installment, Systematic Investment Plan (SIP), etc.

5. **Implementation of Japan Credit Bureau (JCB) Contactless cards- q SPARC:** In order to facilitate contactless feature in domestic and international locations, NPCI has enhanced their contactless product specification known as RuPay Contactless Product (q-SPARC) and requested the Bank to enable this feature on JCB card so that JCB card holder can enjoy the seamless tap and pay feature in their JCB card.

6. **E-Mandate Registration and Transaction Processing as Sponsor Bank:** Feature of Self E-Mandate registration by customers for their PNB loan Accounts through Bank's Website with authentication as Debit Card, Internet banking and Aadhaar.

7. **RBI Unclaimed Deposit API integration:** API integration with the RBI UDGAM portal has been implemented to facilitate the customers for centralized search of unclaimed deposits/inoperative accounts.

8. **Electronic Bank Guarantee:** Electronic Bank Guarantee (e-BG) is end-to-end digital product. Bank's CBS system is integrated with NeSL for e-Stamping, e-signing and submission of digitally signed e-BG document on NeSL's depository through middleware developed by Bank.

9. **Online BG Verification Portal:** This portal is used as a medium through which the beneficiaries can validate the genuineness of Bank Guarantee.

10. **PNB Secure Savings Account (SSA):** PNB Secure Savings Account is a product which offers insurance with savings account. This has been achieved through integration with PNB Metlife through e-Insurance portal for insurance policy generation.

RETAIL

1. **Digital Housing Loan:** Under Digital Housing Loan, CBS system has been integrated with onlinepsbloans (OPL), Fintech partner, through middleware developed in-house. It provides housing loan through end-to-end digital journey to customers who may or may not have customer relationship with our bank.

2. **New to Bank Personal Loan (NTBPL):** New to Bank Personal Loan is end-to-end digital product. It provides personal loan through end-to-end digital journey to customers who are not registered with bank or not having any customer relationship with the Bank.

3. डिजी वाहन ऋण एपीआई एकीकरणः स्व–आरंभ की गई ग्राहक प्रक्रिया के लिए एपीआई जिसमें ग्राहक निजी उपयोग के लिए वाहन खरीदने के लिए विभिन्न वैकल्पिक चैनलों– आईबीएस/पीएनबी वन, पीएनबी वेबसाइट (विशेष रूप से इन उत्पादों के लिए डिज़ाइन किया गया URL) के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करेगा।

कृषि

1. **पीएनबी कृषि तत्काल ऋण योजना की डिजिटल प्रक्रियाः** छोटे किसान उधारकर्ताओं को परेशानी मुक्त डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना के लिए शुरू से अंत तक डिजिटल प्रक्रिया।

2. **जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल केसीसी प्रक्रियाः** बैंक के ग्राहक जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से 1.60 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

3. **केसीसी समीक्षा और डीपी बढ़ानाः** पीएनबी अपने मौजूदा केसीसी उधारकर्ताओं को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने केसीसी खातों की समीक्षा करने और उसमें वृद्धि करने (वार्षिक डीपी) की पेशकश कर रहा है। यह ग्राहक द्वारा शुरू की गई सीधे प्रसंस्करण के माध्यम से (एसटीपी) डिजिटल प्रक्रिया है जिसके लिए बैंक ने एपीआई प्रदान किए हैं जहां पात्र उधारकर्ताओं के लिए समीक्षा तिथि और डीपी वृद्धि चिह्नित की जाएगी।

एमएसएमई

1. **पूर्व–अनुमोदित कारोबार ऋण (PABL):** पीएबीएल को 1.00 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की स्ट्रेट थ्रू डिजिटल ऋण कारोबार ऋण सुविधाओं की पेशकश करने के लिए लॉन्च किया गया है।

2. **रु. 10.00 लाख तक का आसान नवीनीकरणः** रु.10.00 लाख तक के एक्सपोजर वाले सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए एंड–टू–एंड डिजिटल नवीनीकरण किया जाएगा।

3. **ऐप आधारित जीएसटी सहाय योजना की डिजिटल प्रक्रियाः** विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को प्रति चालान अधिकतम 10.00 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता के अधीन प्रतिस्पर्धी दरों पर जीएसटी चालान पर 2.00 लाख रुपये तक परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करना।

4. **पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण की डिजिटल प्रक्रियाः** डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने के लिए, ई–जीएसटी एक्सप्रेस योजना केवल मौजूदा बैंक (ईटीबी) ग्राहकों के लिए न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ 10.00 लाख रुपये से 100.00 लाख रुपये के ऋण के लिए शुरू की गई है।

5. **ई–पीएम स्वनिधिः** पीएम स्वनिधि ऋण को सभी पात्र शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अधिक लचीला और आसानी से सुलभ बनाने के लिए, एक नया उत्पाद 'ई–पीएम स्वनिधि' लॉन्च किया गया है। यह उन आवेदकों को 50,000 रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है जिनके पास सीबीएस में उपलब्ध आधार/पैन के आधार पर हमारे बैंक के साथ केवाईसी अनुपालन चालू/बचत खाता है।

वित्तीय समावेशनः

1. जनसुरक्षाः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) बीसी लोकेशन

3. **Digi Vehicle Loan API Integration:** APIs for the Self-Initiated Customer journey in which the customer will initiate the journey through different alternate channels- IBS/PNB ONE, PNB website (URL designed specifically for these products) for purchasing the vehicle for private use.

AGRICULTURE

1. **Digital Journey of PNB Krishi Tatkal Rin Yojana:** End to end Digital Journey for PNB Kisan Tatkal Rin Yojana to give hassle free digital experience to small farmer borrowers.

2. **Digital Kisan Credit Card (KCC) journey through Jansamarth Portal:** Bank's customers can avail KCC loan up to Rs.1.60 Lakh through Jansamarth Portal.

3. **KCC Review and Drawing Power (DP) Enhancement:** PNB is offering to its existing KCC borrowers to review and enhance (Annual DP) their KCC accounts through the digital portal. It is the customer initiated Straight Through Processing (STP) Digital Journey for which Bank has provided APIs in where review date and DP enhancement will be marked for eligible borrowers.

MSME

1. **Pre-Approved Business Loan (PABL):** PABL is launched to offer straight through digital lending business loan facilities above Rs. 1.00 Lakh to Rs. 10.00 Lakh.

2. **Easy renewal up to Rs.10.00 Lakh:** End to end digital renewal will be done for all eligible borrowers having exposure upto Rs.10.00 Lakh.

3. **Digital Journey of App Based GST Sahay Scheme:** To provide hassle free loan up to Rs.2.00 Lakh per invoice to GST registered MSMEs engaged in manufacturing, trading and services against GST invoices at competitive rates subject to maximum of Rs. 10.00 Lakh per borrower.

4. **Digital Journey of PNB GST Express Loan:** To boost digital lending, e-GST EXPRESS scheme has been launched for loan above Rs.10.00 Lakh to Rs.100.00 Lakh with minimum manual intervention for Existing to Bank (ETB) customers only.

5. **e-PM SVANidhi:** To make the PM SVANidhi loan more flexible and easily accessible for all eligible urban street vendors, a new product "e-PM SVANidhi" has been launched. It offers collateral free loan upto Rs. 50,000 to applicants who are having KYC complied CA/SA with our bank based on Aadhar/PAN available in CBS.

FINANCIAL INCLUSION

1. **Jansuraksha:** API integration with Department of Financial Services (DFS) Jan Suraksha portal to automate

से इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं (आईबीएस)/मोबाइल बैंकिंग सेवाओं (एमबीएस) और शाखा से नामांकन और दावा निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) जन सुरक्षा पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण।

सरकारी कारोबार

1. एमबीएस के माध्यम से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से और खाताधारकों के अलावा अन्य से सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए) में ऑनलाइन क्रेडिट स्वीकार करना।
2. भविष्य एपीआई इंटीग्रेशन पेंशन पर्ची, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति, फॉर्म 16 और भविष्य पोर्टल के लिए जीबीएसएस सर्वर में मौजूद देय आहरित बकाया के लिए।

ग्राहक सेवा

1. केंद्रीकृत शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) एपीआई (शिकायत पुनः खोलना): ग्राहक के अनुरोध के अनुसार सीजीआरएमएस में डिजिटल और गैर–डिजिटल शिकायत को फिर से खोलना। उसी डॉकेट नंबर के साथ शिकायत को पुनः खोलने की सुविधा विकसित की गई है।

मोबाइल बैंकिंग (पीएनबी वन) एवं इंटरनेट बैंकिंग

1. पीएनबी वन और रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्यूआर कोड जनरेशनः ग्राहक अब यूपीआई के माध्यम से तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड प्रदर्शित कर सकते हैं। भुगतान प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड को डाउनलोड और साझा भी किया जा सकता है।
2. पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग में पीएनबी शॉपी (ई–मार्केट प्लेस): बैंक ने पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग में पीएनबी शॉपी की शुरुआत की। पीएनबी खाताधारक अब अपनी दिन–प्रतिदिन की खरीदारी की जरूरतों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार अर्जित कर सकेंगे।
3. पीएनबी वन में ई–मेल पंजीकरण सुविधा पर ओटीपीः हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए, पीएनबी वन के उपयोगकर्ताओं के लिए ई–मेल सुविधा पर ओटीपी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
4. पीएनबी वन में बल्क फंड ट्रांसफर सुविधाः इससे पहले पीएनबी वन में एक बार में केवल एक लाभार्थी को ही फंड ट्रांसफर किया जा सकता था। अब, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और तेजी से भुगतान के लिए, पीएनबी वन में बल्क फंड ट्रांसफर सुविधा शुरू की गई है।
5. आधार ओटीपी का उपयोग करके रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पर ऑनबोर्डिंगः आधार ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन स्व–पंजीकरण और पासवर्ड रीसेट सुविधा शुरू की गई है।
6. पीएनबी वन में रूपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूपीआई भुगतानः रूपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पीएनबी वन के माध्यम से यूपीआई भुगतान की कार्यक्षमता शुरू कर दी गई है।
7. इंट्रा बैंक (पीएनबी के भीतर) और इंटरबैंक, यानी, एनईएफटी और आईएमपीएस और यूपीआई निधि लेनदेन के लिए पीएनबी वन के माध्यम से रु. 5000/– तक के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण में छूट।

the process of enrolment and claim settlement of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) from BC location through Internet Banking Services (IBS)/Mobile Banking Services (MBS) and from branch.

GOVERNMENT BUSINESS

1. Accepting online credit to Public Provident Fund (PPF) & Sukanya Samriddhi Account(SSA) for Bank's own customers and for other than account holder through Mobile Banking Services (MBS).
2. Bhavishya API Integration for Pension Slip, Life Certificate Status, Form 16 and Due Drawn Arrear present in Government Business Software Solution (GBSS) server to Bhavishya portal.

CUSTOMER SERVICE

1. **Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS) API (complaint Re-Opening):** Re-opening of digital and non-digital complaint in CGRMS as per customer request. The facility of reopening of complaint with same docket number is developed.

MOBILE BANKING (PNB ONE) & INTERNET BANKING

1. **QR Code Generation through PNB ONE and Retail Internet Banking:** Customers can now display QR Code to receive payments instantly through UPI. The QR Code can also be downloaded and shared for receiving payments.
2. **PNB SHOPPE (E-market place) in PNB ONE and Internet Banking:** Bank introduced PNB Shoppe in PNB One and Internet Banking. PNB Account holders will now be able to earn extra rewards for their day to day shopping needs.
3. **OTP on E-mail registration facility in PNB ONE:** To facilitate our customers, it has been decided to provide OTP on e-mail facility for users of PNB One.
4. **Bulk fund transfer facility in PNB ONE:** Earlier in PNB ONE, funds could only be transferred to single beneficiary at a time. Now, for enhanced user experience and faster payments, Bulk Fund Transfer facility has been introduced in PNB ONE.
5. **Onboarding on Retail Internet Banking using Aadhaar OTP:** Online Self-registration and Password Reset facility using Aadhaar OTP has been introduced.
6. **UPI payment using RUPAY credit card in PNB ONE:** Functionality of UPI payment through PNB ONE using Rupay credit card has been started.
7. **Waiver of OTP authentication** for fund transaction Intra bank (within PNB) & Interbank, i.e., NEFT & IMPS and UPI transactions amount upto Rs.5000/- through PNB ONE.

व्हाट्सएप बैंकिंग

1. बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से 40 से अधिक सेवाएं दे रहा है। चालू खाताधारक, जिनमें रिटेल और कॉर्पोरेट श्रेणियों के ग्राहक शामिल हैं, अब आईबीएस/एमबीएस को अक्षम करने के लिए एक नई कार्यक्षमता के साथ व्हाट्सएप बैंकिंग का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. अस्थायी या स्थायी आधार पर डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने, ई–स्टेटमेंट के लिए रजिस्टर करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए "ब्लॉक यूपीआई" की सुविधा शुरू की गई है।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

1. **एनआरओ खातों के लिए यूपीआई पंजीकरण:** यूपीआई की सुविधा को अनिवासी साधारण ग्राहकों (एनआरओ) के लिए भी शुरू की गई है, जिससे उनके लिए भारत में घरेलू भुगतान करना अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो गया है।

2. **यूपीआई 123पे:** यूपीआई 123पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सुरक्षित तरीके से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। यूपीआई 123पे के माध्यम से, फीचर फोन उपयोगकर्ता अब पूर्व–निर्धारित आईवीआर नंबर के माध्यम से कई यूपीआई लेनदेन कर सकेंगे।

3. **यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करना:** ग्राहक यूपीआई के माध्यम से व्यापारी को भुगतान करने के लिए अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को अपने कार्ड को भीम पीएनबी ऐप या किसी सक्षम यूपीआई ऐप से लिंक करना होगा।

4. **यूपीआई (आईसीसीडब्ल्यू) का उपयोग करके इंटरऑपरेबल कार्ड–रहित नकद निकासी:** आईसीसीडब्ल्यू एक ऐसी सुविधा है जो ग्राहक को यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एटीएम से नकदी निकालने में सक्षम बनाती है। कार्ड विवरण ले जाने और याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी आईसीसीडब्ल्यू सक्षम यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके नकद निकासी अब संभव है।

5. **यूपीआई इंटरनेशनल:** वैश्विक स्तर पर यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने विदेशी आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए यूपीआई इंटरनेशनल (यूपीआई ग्लोबल) सुविधा शुरू की है। इस कार्यक्षमता का उपयोग विदेश जाने वाले ग्राहक कर सकते हैं जो स्थानीय व्यापारियों को भुगतान करना चाहते हैं।

6. **यूपीआई लाइट:** ग्राहक ऑन–डिवाइस वॉलेट का उपयोग करके 500 रुपये तक का छोटा भुगतान कर सकते हैं।

V. उत्कृष्टता विश्लेषिकी केंद्र (ACoE)

"एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" एक समर्पित वर्टिकल है जो सभी प्रकार की रिपोर्ट, डेटा रिपोर्टिंग, अन्य व्यावसायिक वर्टिकल को एमआईएस सहायता प्रदान करने और बैंक के लिए एआई/एमएल आधारित समाधान विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। इनके अलावा, एसीओई सीआईसी मॉड्यूल (ब्यूरो वन), सीआईसी डेटा सबमिशन, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई), एनईएसएल, डेटा एग्रीगेटर/अकाउंट एग्रीगेटर, पीएनबी 360 एप्लिकेशन डैशबोर्ड और एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयर हाउस को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

WHATSAPP BANKING

1. The Bank is offering more than 40 services through WhatsApp Banking. Current Account holders, including those in Retail and Corporate categories, can now also utilize WhatsApp Banking with a new functionality to disable IBS/MBS.

2. The facility of block debit cards on a temporary or permanent basis, register for e-statements and "Block UPI" feature to enhance security has been introduced.

UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)

1. **UPI registration for NRO accounts:** Facility of UPI has been extended to Non-Resident Ordinary (NRO) customers as well, thereby making it more accessible and convenient for them to make domestic payments in India.

2. **UPI 123PAY:** UPI 123PAY is an instant payment system for feature phone users in a safe and secure manner without internet connectivity. Through UPI 123PAY, feature phone users will now be able to undertake a host of UPI transactions through pre-defined IVR number.

3. **Linking of RUPAY credit card on UPI:** Customers can use their RuPay Credit card for making payments to merchant through UPI. For this, customer has to link his card to BHIM PNB App or any enabled UPI App.

4. **Interoperable Card-less Cash Withdrawal using UPI (ICCW):** ICCW is a facility which enables a customer to withdraw cash from ATM by using UPI platform. There is no need to carry and remember card details. Cash withdrawal by scanning QR code through any ICCW enabled UPI app is now possible.

5. **UPI INTERNATIONAL:** To promote UPI payment platform globally, National Payment Corporation of India (NPCI) has introduced the functionality, UPI International (UPI Global) for Foreign Outward Remittance. The functionality can be used by customers visiting abroad who want to make payments to local merchants.

6. **UPI Lite:** Customers can make small payments of up to Rs.500 using on-device wallet.

V. ANALYTICS CENTRE OF EXCELLENCE (ACoE)

"Analytics Centre of Excellence" is a dedicated vertical responsible for developing all kind of reports, data reporting, providing Management Information System (MIS) support to other business verticals and developing AI/ML based solution for Bank. Besides these, ACoE is also responsible for maintaining the CIC Module (Bureau One), CIC Data submission, Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI), NeSL, Data aggregator/Account Aggregator, PNB 360 application dashboard and enterprise wide data warehouse.

1. एंटरप्राइज़–वाइड डेटा वेयरहाउस (EDW): बैंक के पास विभिन्न विश्लेषणात्मक/वैधानिक/नियामक और रिपोर्टिंग/डैश–बोर्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिचालन उद्यम डेटा वेयरहाउस परियोजना है, जिसमें 60 से अधिक स्रोत प्रणालियों के डेटा को ईडीडब्ल्यू में एकीकृत किया गया है। सभी डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन ईडीडब्ल्यू के माध्यम से डेटा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए सभी डेटा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है।

2. डेटा एनालिटिक्स टीमः ACoE में डेटा एनालिटिक्स सेल की परिकल्पना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करने के लिए की गई थी। तब से सेल सक्रिय रूप से विश्लेषण में लगा हुआ है जिसे मोटे तौर पर तीन व्यापक कार्यक्षेत्रों अर्थात् कारोबार, नियंत्रण और समर्थन में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्टिकल की पहचान मूल्य–निर्माण, क्रॉस–सेल में वृद्धि, अप–सेल अवसर, राजस्व में वृद्धि, लागत में कमी, उत्पाद वृद्धि, चैनल अनुकूलन, डिजिटल फुटप्रिंट को अधिकतम करने, राजस्व रिसाव को रोकने और मौजूदा के साथ–साथ भावी ग्राहक आधार के बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग के उद्देश्य से की गई है।

   एनालिटिक्स आधारित लीड उन भावी ग्राहकों के लिए उत्पन्न होते हैं जिनमें अन्य ग्राहकों की तुलना में बैंक उत्पादों का उपयोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लीड की पहचान उनके जनसांख्यिकीय विवरण, निवेश प्रोफ़ाइल, बैंक के साथ संबंध, लेनदेन संबंधी डेटा, भौगोलिक वितरण, डिजिटल उपस्थिति, बैंक उत्पादों के उपयोग आदि के संदर्भ में ग्राहक व्यवहार जैसे विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करने के बाद की जाती है।

   स्थापना के बाद से, डेटा एनालिटिक्स टीम EASE (3.0 से 6.0) से संबंधित विभिन्न एनालिटिक्स संबंधी कार्रवाई बिंदुओं के अनुपालन के लिए काम कर रही है। बैंक की EASE यात्रा में, एनालिटिक्स से संबंधित बैंक की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है।

   आगे बढ़ते हुए, कारोबार सृजन के अलावा, विशेष ध्यान प्रक्रिया में सुधार, डिजिटलीकरण, राजस्व रिसाव का पता लगाने और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और नए ग्राहकों को जोड़ने पर होगा।

3. **नई पहल**

   ए. **असंगठित डेटा का उपयोगः** असंगठित डाटा को संरचित डेटा में परिवर्तित करने की क्षमताओं का पता लगाने के लिए, नीचे उल्लिखित उपयोग के मामलों को पायलट आधार पर उपलब्ध उपकरणों के साथ विकसित किया गया है।

   i. उत्पाद संवर्धन के लिए सोशल मीडिया पारस्परिक संपर्क और फीडबैक का उपयोग।

   ii. पीडीएफ में अंतर्निहित प्रमुख जानकारी निकालना जैसे की तुलन पत्र।

   बी. **बीएनए और एटीएम के लिए नकदी प्रतिधारण सीमा (सीआरएल) का अनुकूलन** – एटीएम/बीएनए के लिए नकदी प्रतिधारण सीमा के लिए समय श्रृंखला विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है ताकि बैंक की समग्र नकदी आवश्यकता को कम किया जा सके।

1. **Enterprise-Wide Data Warehouse (EDW):** Bank has operational enterprise data warehouse project catering to various analytical/statutory/regulatory and reporting/dash-boarding requirement with data from 60 plus source systems being integrated into EDW. All downstream applications are receiving data through EDW and also all data requirements for various digital journeys are catered to.

2. **Data Analytics Team:** Data Analytics cell at ACoE was conceptualized to develop in house capability in the field of Artificial intelligence. Since then the cell is actively engaged in analysis which is broadly categorized in three broad verticals namely Business, Control and Support. These verticals have been identified with the objective of value-creation, increasing cross-sell, up-sell opportunity, increasing revenue, cost reduction, product enhancement, channel optimization, maximizing digital footprint, plugging revenue leakage and improved risk profiling of the existing as well as prospective customer base.

   Analytics based leads are generated for potential customers who have higher propensity to use bank products as compared to other customers. Leads are identified after analyzing various parameters such as customer behavior with reference to their demographic details, investment profile, relationship with bank, transactional data, geographical distribution, digital presence, bank products usage etc.

   Since inception, Data analytics team has been working to comply with various analytics related action points pertaining to EASE (3.0 to 6.0). In EASE journey of the Bank, there has been continuous improvement in Bank's position pertaining to analytics.

   Going forward, apart from business generation, major focus will be on process improvement, digitalization, detecting revenue leakage and improvement in asset quality and onboarding new customers.

3. **New Initiatives**

   a. **Usage of unstructured data:** In order to explore the capabilities of conversion of unstructured data into structured one, below mentioned use cases have been developed in house with available tools on pilot basis.

   i. Use of Social media interaction and feedback for sentiment analysis, product enrichment.

   ii. Extraction of key information embedded in PDF like balance sheet.

   b. **Optimization of Cash Retention Limit (CRL) for Bulk Note Acceptor (BNA) and ATM**- Time series analytical approach has been used to derive the cash retention limit for ATM/BNA so as to reduce overall cash requirement of the bank.

सी. **पूर्ण स्टैक विश्लेषणात्मक उपकरण की खरीद और परिनियोजन–** बैंक ने डाटा के लिए आईबीएम क्लाउड पैक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) अध्ययन करने के लिए एक पूर्ण स्टैक विश्लेषणात्मक उपकरण/प्लेटफॉर्म है की खरीद और परिनियोजन किया है।

डी. **स्टेटमेंट विश्लेषक और व्यय विश्लेषक** – टीम ने व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए ऋण निर्णय को पूरक बनाने के लिए ग्राहक व्यय और आय व्यवहार को समझने के लिए विश्लेषक विकसित किया है।

4. **अन्य मुख्य विशेषताएँ:**

ए. **खाता एग्रीगेटर इकोसिस्टम:** पीएनबी 11 अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) दोनों के रूप में लाइव/सक्रिय है। एफआईपी और एफआईयू दोनों मॉड्यूल दिनांक 11–07–2022 से लाइव/सक्रिय हैं और बैंक ने पहले ही एफआईपी के रूप में अन्य बैंकों के साथ डाटा साझा करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में पीएनबी एए के साथ निम्नलिखित डिजिटल सुविधाए लाइव/सक्रिय की गई हैं:– डिजिटल होम लोन (डीआईजीआई एचएल), न्यू टू बैंक पर्सनल लोन (एनटीबी पीएल), डिजिटल कार लोन (डीआईजीआई सीएल), पीएनबी वन, लेंस। पीएनबी के 9 आरआरबी के लिए AA इकोसिस्टम का कार्यान्वयन दिनांक 31.10.2023 को पूर्ण हो चुका है।

बी. **डाटा एग्रीगेशन और विश्लेषणात्मक सेवाएँ (डीएएएस):** पीएनबी डाटा एग्रीगेटर विभिन्न सार्वजनिक डोमेन स्रोतों से डाटा प्रदान करने के साथ–साथ कंपनियों और व्यक्तियों के वित्तीय स्टेटमेंट का विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करता है। पीएनबी डाटा एकत्रीकरण और विश्लेषण सेवाएँ (डीएएएस) एप्लिकेशन न केवल कई स्रोतों से नया डाटा/सूचना एकत्रित करता है, बल्कि सूचना/डाटा का विश्लेषण भी करता है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है।

वीडियो केवाईसी का उपयोग करके चालू खाता खोलना, आवास ऋण, एनटीबी पीएल (न्यू टू बैंक पर्सनल लोन), टैब बैंकिंग, सस्त्र पोर्टल, आयकर रिटर्न (आईटीआर) से डीएएएस एपीआई का उपयोग करके डिजिटल वाहन ऋण, आयात निर्यात कोड (आईईसी) और उद्यम पंजीकरण, बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईईसी, वाहन डाटा सत्यापन, बीएसए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), 26एए जैसी सेवाएं लाइव कर दी गई हैं।

सी. **अगले स्तर के सुधार:** ईडीडब्ल्यू के साथ, बैंक पीएसबी में अगले स्तर के सुधारों के अंतर्गत कार्रवाई बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जैसे डिजिटल परिवर्तन और वृद्धि, बिग डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को अपनाने, केंद्रित फिन–टेक का उपयोग और एनालिटिक्स के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव में सुधार।

डी. **पीएनबी 360 और ग्राहक 360 डैशबोर्ड:** एसीओई (ACoE) ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यवसाय निगरानी के लिए इन–हाउस डैशबोर्ड "PNB 360"

c. **Procurement and Deployment of full stack analytical tool** – Bank has procured and deployed IBM Cloud Pak for Data, a full stack analytical tool/ platform for carrying out Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) studies.

d. **Statement analyzer & spend analyzer-** The team has developed the analyzer to have better understanding of customer spending and earning behavior to supplement credit decision for individual customers.

4. **Other Key Highlights**

a. **Account Aggregator (AA) Ecosystem:** PNB is live with 11 Account Aggregators as both Financial Information Provider (FIP) and Financial Information User (FIU). Both FIP and FIU modules are live since 11-07-2022 and Bank has already started sharing data with other banks as FIP. As on date following Digital Journeys have been made live with PNB AA such as Digital Home Loan (DIGI HL), New to Bank Personal Loan (NTB PL), Digital Car Loan (DIGI CL), PNB ONE, Lens. Implementation of AA ecosystem for 9 RRBs of PNB has been completed on 31.10.2023.

b. **Data Aggregation and Analytical Services (DAAS):** PNB Data Aggregator facilitates to provide data from various public domain sources as well as analyze financial statements of companies and individuals. PNB Data Aggregation & Analytics Services (DAAS) Application not only draws raw data from multiple sources but also analyzes the data and provides information to enable users to take real time decisions.

Current Account Opening using video KYC, Housing loan, NTB PL (new to bank personal loan), Tab banking, SASTRA portal, Digital Vehicle Loan using DAAS APIs from Income Tax Return (ITR), Import Export Code (IEC) & Udyam registration, Bank statement Analysis, IEC, Vehicle data verification, BSA, Employees' Provident Fund Organization (EPFO), 26AA are the services has been made live.

c. **Next Level Reforms:** With EDW in place, Bank is well prepared to achieve the action points under next level reforms in PSBs for short term and long-term targets like digital transformation & enhancement, Big Data Analytics, change in banking technology, focused use of Fin-Tech and improvement in employee engagement through analytics.

d. **PNB 360 and Customer 360 Dashboard:** ACoE has developed in house Dashboard "PNB 360" for Business Monitoring to set short-term & long-

विकसित किया है। यह विभिन्न डेटा सेट तक पहुँचने की गति और दक्षता में सुधार करता है और निर्णय लेने वालों के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आसान बनाता है जो व्यवसाय और विपणन रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है। डैशबोर्ड ग्राफ़िकल दृश्य प्रबंधन को शुरू की गई पहलों के परिणामों की त्वरित समीक्षा करने और फिर लागत कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए रणनीति को समायोजित करने में सहायक है।

ग्राहक 360, पीएनबी 360 के अनुरूप उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड है, जिसमें केवल दृश्यता/देखने का अधिकार है। वर्तमान में यह सुविधा केन्द्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों/विभागों के पी.यू.एस. और एस.एन.ए. खातों के लिए उपलब्ध है। ग्राहक को पीडीएफ/एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। डैशबोर्ड निधि की स्थिति, निधियों की आवाजाही, ग्राहक द्वारा अर्जित ब्याज, टीडीएस कटौती, भुगतान किया गया ब्याज, प्राप्त सुविधाओं की संख्या, वर्ष–दर–वर्ष तुलना, पिछली तिमाही से भिन्नता, टी+1 आधार पर पिछले वित्त वर्ष से भिन्नता आदि का ग्राफिकल और चित्रात्मक प्रतिरूप प्रदान करेगा ।

VI. शाखा नेटवर्क

1. घरेलू स्थितिः 31 मार्च,2024 तक शाखाओं की संख्या 10,136 थी। जनसंख्या–समूह के अनुसार शाखाएँ प्रतिशत हिस्सेदारी सहित विवरण निम्नानुसार हैः

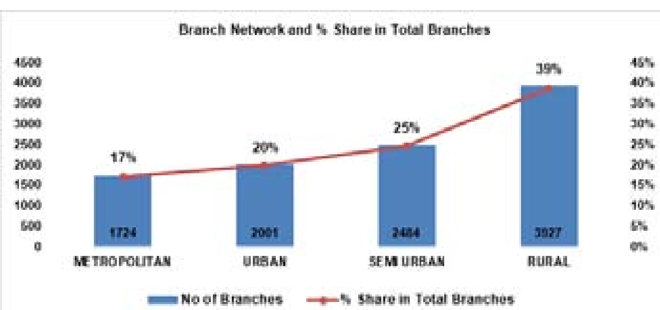

2. **अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितिः** 31 मार्च, 2024 तक बैंक की 6 देशों में विदेशों में उपस्थिति है, दुबई में 1 शाखा (गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अन्य शाखा भी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरा करती है), 2 सहायक कंपनियां (लंदन–यूके) और भूटान), 1 संयुक्त उद्यम (नेपाल), 2 प्रतिनिधि कार्यालय (म्यांमार और बांग्लादेश)।

VII. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

31 मार्च, 2024 तक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में विदेशी मुद्रा व्यापार को संभालने के लिए अधिकृत 255 शाखाएं और 4 व्यापार वित्त केंद्र कार्यरत है, जो सभी आवक प्रेषणों के लिए व्यापार लेनदेन और अंतर्राष्ट्रीय सेवा शाखा के केंद्रीकृत संचालन के लिए विशेषीकृत है।

term goals. It improves the speed and efficiency of accessing different data sets and makes it easier for decision-makers to derive insights that guides the business and marketing strategies. Dashboard graphical view helps the management to quickly review the outcomes of initiatives launched and then adjust the strategy to decrease cost and maximize efficiency.

Customer 360 is a dedicated dashboard for high value customers in line with PNB 360 with only view rights. Currently available for Central/State Government institutions/department PUS and SNA accounts. Customer is also given functionality to download reports in PDF/Excel format. Dashboard will provide graphical and pictorial representation of position of fund, movement of funds, Interest earned by customer, TDS deducted, Interest paid, no of facilities availed, Y-o-Y Comparison, Variation from last quarter, Variation from last Financial Year on T+1 basis etc.

VI. BRANCH NETWORK

1. **Domestic:** As on 31st March 2024, the number of branches was at 10,136. The population-group wise branches along-with the percentage share are given as under:

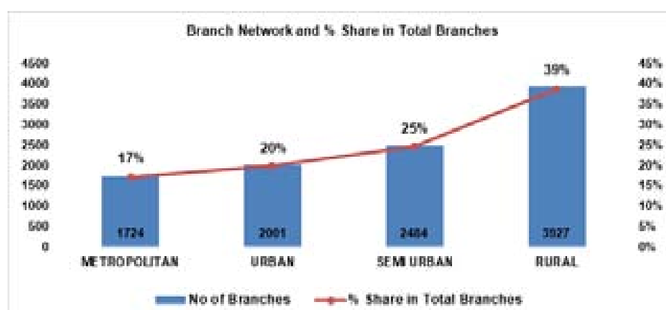

2. **International:** As on 31st March, 2024, Bank has presence in 6 countries by way of 1 branch at Dubai (another 1 branch at GIFT City Gujarat also caters to the international business of the bank), 2 subsidiaries (London-UK and Bhutan), 1 joint venture (Nepal), 2 representative offices (Myanmar and Bangladesh).

VII. INTERNATIONAL BANKING

As on 31st March, 2024, the Bank has 255 branches authorized to handle Foreign Exchange Business which are routing forex transactions through 4 Trade Finance Centers (TFCs) functioning at New Delhi, Chennai, Kolkata & Mumbai. TFCs are specialized for centralized handling of trade transactions and International Service branch is specialized for handling all Inward remittances.

विदेशी पर्यटकों/एनआरआई द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के नकदीकरण की सुविधा के लिए बैंक के पास इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1 विनिमय ब्यूरो है।

1. **घरेलू व्यवसाय**

बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 1,34,868 करोड़ रुपये (निर्यात और आयात एक साथ) का विदेशी मुद्रा कारोबार दर्ज किया।

समग्र रूप से बैंक के आवक विप्रेषणों को संभालने के लिए नई दिल्ली में हमारी एक अंतरराष्ट्रीय सेवा शाखा (आईएसबी) कार्यरत है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक ने 80,893 करोड़ रुपये का रेमिटेंस कारोबार का संचालन किया।

एनआरआई धन प्रेषण की सुविधा के लिए बैंक ने 8 विनिमय गृहों (गल्फ में 5, सिंगापुर, यूके और सेशेल्स प्रत्येक में 1) के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) की है।

बैंक ने ट्रांसफास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और रिया मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के अंतर्गत प्रेषण व्यवस्था भी की है।

एनआरआई कारोबार को बढ़ाने, शिकायतों की निगरानी और एनआरआई ग्राहकों के लिए सहायता डेस्क के लिए एक विशेष एनआरआई सेल स्थापित है।

2. **विदेशी व्यापार**

31 मार्च,2024 तक बैंक का विदेशी कारोबार रु. 77,282 करोड़ रुपये रहा, जो कि 20.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ डीआईएफसी दुबई और गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ लाभप्रदता में सुधार के लिए कम क्रेडिट जोखिम भार के साथ एक विविध ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मध्यम/दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

बैंक की दोनों अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भारतीय और विदेशी ग्राहकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा सावधि ऋण (एफसीटीएल) सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

3. **नई पहल**

ए. **निर्यातकों के लिए नई योजना का शुभारंभ:** एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक नई निर्यात ऋण योजना–एक्सपोर्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया, जिसमें ब्याज की प्रतिस्पर्धी दर, सेवा शुल्क और विनिमय मार्जिन शामिल है।

बी. म्यांमार स्थित बैंक में दो विशेष रुपया वास्ट्रो खाता (एसआरवीए) खाते भी खोले हैं।

सी. **मल्टीकरेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड:** इस उत्पाद की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें एक ही कार्ड में कई मुद्राएं लोड की जा सकती हैं। बैंक 6 विदेशी मुद्राओं में कार्ड उपलब्ध करा रहा है।

The Bank has 1 Exchange Bureau at Indira Gandhi International Airport to facilitate encashment of foreign exchange currency notes by foreign tourists/ Non Resident Indians (NRIs).

1. **DOMESTIC BUSINESS**

The Bank registered a Foreign Exchange Business Turnover of Rs.1,34,868 Crore (Exports and Imports together) for the FY 2023-24.

Bank has an International Service Branch (ISB) functioning at New Delhi for handling Inward Remittances of the Bank as a whole. During FY 2023-24, Bank handled remittance business of Rs.80,893 Crore.

The Bank has Rupee Drawing Arrangements (RDA) with 8 exchange houses (5 in the Gulf, 1 each in Singapore, UK and Seychelles) to facilitate remittance from NRIs.

The Bank also has remittance arrangement under Money Transfer Service Scheme (MTSS) with Transfast Financial Services Pvt. Ltd. and Ria Money transfer services Pvt. Ltd.

There is a specialized NRI cell for augmenting NRI Business, monitoring of complaints and Help Desk for NRI customers.

2. **OVERSEAS BUSINESS**

Overseas business of the Bank stood at Rs. 77,282 Crore as on 31st March, 2024 registering YOY growth of 20.1 per cent. Bank has two international branches at DIFC Dubai & GIFT City Gandhinagar. Overseas branches are focusing on High Quality Medium/ Long term Assets to build a diversified loan portfolio with low Credit Risk Weight to improve profitability.

Both international branches of the Bank are offering External Commercial Borrowing (ECB), Foreign Currency Term Loan (FCTL) and Trade Finance Products to Indian and overseas customers.

3. **NEW INITIATIVES**

a. **Launch of new scheme for exporters:** A new export credit scheme-Export Express for MSME customers was launched with competetive rate of interest, service charges & exchange margin.

b. The Bank has also opened two Special Rupee Vostro Acount (SRVA) accounts.

c. **Multicurrency World Travel Card:** The product has a unique feature of multiple currencies loaded in a single card. Bank is offering the cards in 6 foreign currencies.

डी. **व्यापार वित्त उत्पादों के लिए व्यापार वित्त पोर्टलः** निर्यातक और आयातक पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के व्यापार वित्त अनुरोध ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं।

ई. **आईबीएस और एमबीएस के माध्यम से निवासी व्यक्तियों के लिए बाह्य धन प्रेषण सुविधाः** बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एलआरएस के तहत धन प्रेषण के लिए निवासी व्यक्तियों के लिए बाहरी धन प्रेषण सुविधा शुरू की है।

एफ. हमारे एनआरआई पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए 50 शाखाओं को एनआरआई सेवा शाखाओं के रूप में चिन्हित किया गया है।

VIII. कारोबार विविधीकरण

बीमा व्यवसाय

1. **जीवन बीमाः** बैंक निम्नलिखित जीवन बीमा के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत जीवन बीमा कारोबार करता है:–

   ए. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई)

   बी. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

2. **गैर–जीवन बीमाः** बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (व्ब्स्), बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (BAGIC), चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस), केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसएचआईसीएल) जैसी बीमा कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत गैर–जीवन बीमा कारोबार करता है।

   वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बीमा कारोबार (जीवन और गैर–जीवन दोनों) से बैंक की कमीशन आय 448 करोड़ रुपये रही।

3. **म्यूचुअल फंडः** बैंक मैसर्स सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मैसर्स निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, मैसर्स यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मैसर्स आदित्य बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मैसर्स एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, मैसर्स डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जैसी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरक है।

   रोबो –सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (FISDOM) के साथ भी गठजोड़ किया गया है। FISDOM राजस्व साझाकरण के आधार पर बैंक को कमीशन प्रदान कर रहा है।

   वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, म्यूचुअल फंड व्यवसाय से 4.11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 8.60 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई।

d. **Trade Finance portal for Trade Finance Products:** Exporter and Importer can submit online all types of trade finance request through the portal

e. **Outward Remittance Facility for Resident Individuals through IBS & MBS:** The Bank has launched Outward Remittance Facility for resident individuals for remitting funds under Liberalised Remittance Scheme (LRS) through Mobile Banking.

f. 50 branches have been identified as NRI service branches to increase our NRI portfolio.

VIII. BUSINESS DIVERSIFICATION

Insurance Business

1. **Life Insurance:** The Bank solicits Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with the following Life Insurance companies:

   a. PNB MetLife India Insurance Co. Ltd (PMLI)

   b. Life Insurance Corporation of India (LIC)

2. **Non-Life Insurance:** Bank solicits Non-Life Insurance Business under Corporate Agency Agreement with insurance companies such as The Oriental Insurance Co. Ltd. (OICL), Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. (BAGIC), Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. (CHOLA MS), Care Health Insurance Ltd. (CHIL) and Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. (SHICL).

   The Bank's commission income from insurance business (both life & non-life) stood at Rs.448 Crore during FY'2023-24.

3. **Mutual Funds:** Bank is a distributor of Mutual Fund products of the Asset Management Companies namely Sundaram Asset Management Company Limited, Nippon Life Asset Management Limited, UTI Asset Management Company Limited, Aditya Birla Sunlife Asset Management Company Limited, LIC Mutual Fund Asset Management Limited, DSP Investment Managers Private Limited and Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited.

   Bank has also tie-up with M/s Finwizard Technology Private Limited (FISDOM) for providing online Mutual Fund investment and robo-advisory services to all its customer. FISDOM is providing commission to the bank on revenue sharing basis.

   During FY2023-24, income of Rs.8.60 Crore was earned from Mutual Fund business with a YoY growth of 4.11 percent.

4. **डिपॉजिटरी सेवाएं:** एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 18,334 डीमैट खाते खोले, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में 15,314 डीमैट खाते 19.72 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ और वित्त वर्ष 2023–24 में 24,108 ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते खोले गए वित्त वर्ष 2022–23 में 18,538 वर्ष–दर–वर्ष 30.05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ के ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते खोले गए।

वित्त वर्ष 2023–24 में डिपॉजिटरी सेवाओं से अर्जित आय वित्त वर्ष 2022–23 में 6.26 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.08 करोड़ रुपये थी।

5. **अवरुद्ध राशि (ASBA) और मर्चेंट बैंकिंग द्वारा समर्थित एप्लिकेशन:** बैंक के पास बैंकर टू इश्यू, डिबेंचर ट्रस्टी और मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, वित्त वर्ष 2022–23 में 297 के मुकाबले 427 मामलों को निस्तारित किया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 में एएसबीए के माध्यम से ब्लॉक की गई राशि 45,716 करोड़ रुपये थी, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 8,211 करोड़ रुपये थी।

6. **सरकारी व्यवसाय वर्टिकल केंद्र (जीबीवी):** वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 21 जीबीवी ने कुल 7,300 नए सरकारी खाते खोले हैं; 84,488 नए बचत खाते, जिनमें से 10,301 वेतन खाते और 1,415 रक्षक प्लस खाते तथा अन्य बचत खाते खोले गए।

जी.बी.वी. ने 852 करोड़ रुपये के खुदरा ऋण भी जुटाए हैं तथा सरकारी विभागों को 25,361 करोड़ रुपये के ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं।

7. **नई पहल**

ए. **बीमा व्यवसाय:** बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा राहत उत्पाद लांच किया गया, जो पीएनबी ग्राहकों के लिए एक अनुकूलित व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी है, जिसकी बीमा राशि रु. 6.00 लाख/रु. 4.00 लाख है, जिसमें रु. 155/रु. 125 के प्रीमियम पर 9 वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच और असीमित टेली–परामर्श उपलब्ध हैं।

बी. **म्यूचुअल फंड व्यवसाय:** वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक ने मेसर्स फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (FISDOM) के सहयोग से पीएनबी वन और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश और रोबो –सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं।

सी. **डिपॉजिटरी और एएसबीए बिजनेस–डिस्काउंट ब्रोकरेज:** बैंक ने मेसर्स एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के सहयोग से डिस्काउंट ब्रोकरेज सुविधा शुरू की है, जो वर्तमान ट्रेडिंग मार्केट में बहुत लोकप्रिय है। यह डिलीवरी के लिए शून्य ब्रोकरेज और इंट्रा–डे ट्रेडिंग के लिए 15 रुपये प्रदान करता है।

4. **Depository Services:** As a Depository Participant, Bank opened 18,334 Demat Accounts during FY 2023-24 against 15,314 in FY 2022-23 with a YoY growth of 19.72 per cent and 24,108 Online Trading Accounts in FY 2023-24 against 18,538 in FY 2022-23 with YoY growth of 30.05 per cent.

Income earned in FY 2023-24 from Depository services was Rs.7.08 Crore against Rs.6.26 Crore in FY 2022-23.

5. **Application Supported by Blocked Amount (ASBA) & Merchant Banking:** The Bank has license to act as Banker to Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker. During FY 2023-24, 427 number of issues were handled as against 297 in FY 2022-23.

The amount blocked through ASBA was Rs. 45,716 Crore in FY 2023-24 against Rs 8,211 Crore in FY 2022-23.

6. **Government Business Vertical Centers (GBV):** 21 GBVs have sourced total new 7,300 Government Accounts; 84,488 new Savings Accounts out of which 10,301 Salary Accounts and 1,415 Rakshak Plus Accounts along with other Saving Accounts were mobilized during the FY 2023-24.

GBVs have also canvassed Retail Loans of Rs. 852 Crore and Loans & Advances to Govt. departments of Rs.25,361 Crore were sanctioned.

7. **New Initiatives**

a. **Insurance Business:** The Bank launched product Raahat by Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. which is a customized Personal Accident Policy for PNB customers for sum insured Rs.6.00 Lakh/Rs.4.00 Lakh with 9 annual preventive health check-ups and unlimited Tele-consultation are available at a premium of Rs.155/Rs.125.

b. **Mutual Fund Business:** During FY 2023-24, Bank has introduced online mutual fund investment and robo-advisory services for all its customers through PNB ONE and Internet Banking, in association with M/s Finwizard Technology Pvt Ltd (FISDOM).

c. **Depository & ASBA Business-Discount brokerage:** The Bank, in coordination with M/s SMC Global Securities Limited, has introduced discount brokerage facility, which is very popular in the present trading market. It offers Zero Brokerage for delivery and flat Rs.15 for Intra-day trading.

डी. **सरकारी व्यवसाय वर्टीकलः**

i. **सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) कारोबारः** सरकारी निकायों और संस्थानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकल नोडल एजेंसी खातों (एसएनए)/कॉर्पोरेट नोडल एजेंसी (सीएनए) खातों के लिए एक अलग योजना शुरू की गई है, जिसमें इनमें से कुछ सुविधाओं में शुल्क न काटना, स्वीप सुविधा, एमआईएस और पीएफएमएस बाहरी प्रणाली से लिंक करना शामिल है।

ii. **रक्षा व्यवसायः** भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के साथ पीएनबी के बैंकिंग व्यवसाय को मजबूत करने के लिए रक्षा व्यवसाय सेल/प्रकोष्ठ (डीबीसी) की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, रक्षा वर्टिकल से बैंक का व्यवसाय निम्नानुसार हैः

- रक्षा वेतन/पेंशन खातों की संख्या में वर्ष दर वर्ष 6.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वास्तविक रूप में रक्षक प्लस (वेतन/पेंशन) के अंतर्गत कारोबार का मूल्य (जमा+अग्रिम) वर्ष दर वर्ष 28 प्रतिशत बढ़ा।

III. सरकारी कारोबार

केंद्र और राज्यों से विभिन्न लाभार्थियों को धन के हस्तांतरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से, बैंक के पास एक विशेष सरकारी कारोबार प्रभाग है जो पेंशन, प्रसंस्करण और संवितरण, सरकार की लघु बचत योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह और मुद्रा तिजोरी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। समामेलन के बाद बैंक केंद्र सरकार के नौ विभिन्न विभागों के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर भी है। ये संख्यायें अभी और बढ़ेगी। बैंक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ टाई–अप्स बढ़ा रहा है।

सरकारी कारोबार के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैंः

1. बैंक लगभग 6.5 लाख पेंशनभोगियों अर्थात केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार और राज्य सरकार की पेंशन वितरित कर रहा है।
2. 3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा का लाभ उठाया। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ–साथ फेस प्रमाणीकरण भी शामिल है।
3. टिन 2.0: हम 1 दिसंबर, 2022 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाले पहले बैंकों में से एक हैं। प्रत्यक्ष कर का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और ओवर द काउंटर (चेक/डीडी/कैश) के माध्यम से वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर किया जा सकता है।

d. **Government Business Vertical**

i. **Public Fund Management System (PFMS) Business:** A separate scheme launched for Single Nodal Agency Accounts (SNA)/ Corporate Nodal Agency (CNA) accounts with customization to offer features catering to Government bodies and institutes. Some of these features include non-deduction of charges, sweep facility, MIS, and linking to PFMS External System.

ii. **Defence Business:** Defence Business Cell (DBC) is established for strengthening PNB's banking business with Indian Armed forces, Paramilitary and Police forces. During FY 2023-24, the Bank's business from Defence Vertical are as hereunder:

- Number of Defence salary/pension accounts under Bank's Rakshak plus scheme grew 6.33 per cent YoY.
- In real terms the value of business (Deposit+ Advance) under the Rakshak Plus (Salary/ Pension) grew by 28 percent YoY.

IX. GOVERNMENT BUSINESS

With a view to play a more proactive role in the transfer of funds from Centre and States to various beneficiaries, the Bank has an exclusive Government Business Division which is responsible for Pension, Processing & Disbursement, small savings schemes of the Government, Direct & Indirect Taxes Collections and Currency Chest Management. The Bank is also accredited banker to nine different Central government departments post amalgamation. These numbers will further rise. The Bank has been increasing tie-ups with various State governments to cater to their specific needs.

Key Initiatives taken up under Government Business are as under:

1. The Bank is disbursing pension of approximately 6.5 lakh pensioners i.e. Central Government, Defense, Railways, Telecom and State Government
2. More than 3 lakh pensioners availed the Digital Life certificate service to submit their Life certificate. This includes biometric authentication as well as face authentication.
3. **TIN2.0:** We are one of the first few banks to go live on the new TIN 2.0 platform of Central Board of Direct Taxes (CBDT) from 1st December, 2022. Direct Taxes can be paid on the website https://eportal.incometax.gov.in through Internet Banking, Debit Card and Over the Counter (Cheque/DD/Cash)

4. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के ई–पेमेंट प्लेटफॉर्म – भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) के साथ एकीकृत किया है। इसे 1 अप्रैल, 2023 को लाइव किया गया था।

5. पुराने सरकारी कारोबार सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर (जीबीएसएस) को नए जीबीएसएस सिस्टम में अपग्रेड किया गया। नया जीबीएसएस पेंशन प्रोसेसिंग के लिए बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है।

6. फास्टैगः बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड (सभी शाखाओं के माध्यम से) के माध्यम से फास्टैग जारी करने की सेवा भी प्रदान कर रहा है।

7. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): हमारे बैंक की सभी शाखाएं एनपीएस लेनदेन के लिए सक्षम हैं। एनपीएस पंजीकरण और योगदान के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हमारी वेबसाइट (https://www.pnbindia.in/nps-html) के साथ–साथ पीएनबी वन ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। 31 मार्च, 2024 तक हमारे बैंक से जुड़े एनपीएस ग्राहकों की कुल संख्या 1,16,825 है। बैंक कॉरपोरेट मॉडल के तहत 27 कॉरपोरेट्स को एनपीएस सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

8. सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम): बैंक वेंडरों, अर्थात विक्रेताओं और खरीदारों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध होने वाला राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला बैंक है। इन सेवाओं में जीईएम पूल खाता, ई–पीबीजी (कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी) और ई–ईएमडी (बयाना राशि जमा) शामिल हैं।

9. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): बैंक ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत समय पर लगभग 1.94 लाख लाभार्थियों को करीब 3893 करोड़ रु. संवितरित किए है।

10. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सक्रिय मार्केटिंग के माध्यम से 64,635 पीपीएफ, 68,585 सुकन्या समृद्धि खाते और 91,677 वरिष्ठ नागरिक बचत खाते खोले गए हैं।

11. बैंक ने नई योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 (एमएसएससी 2023) लागू की है और 31 मार्च 2024 तक 5665 खाते खोले हैं।

12. बैंक ऑनलाइन सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता खोलने की सुविधा भी प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

13. एसएसए (सुकन्या समृद्धि खाता) और पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) में एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के तृतीय पक्ष खाते से जमा करने की सुविधा लागू की गई है।

14. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सदस्यता की चार श्रृंखलाओं का हमारी शाखाओं द्वारा विपणन किया गया और 1141 किलोग्राम की बिक्री की गई।

15. बैंक विभिन्न राज्यों के साथ एकीकरण कर रहा है और उनके साइबर ट्रेजरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन कर एकत्र कर रहे हैं तथा वैट का संग्रह 19 राज्यों में किया जाता है।

4. The Bank is integrated with the new Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) e-payment platform - Electronic Cash Ledger (ECL) of Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway (ICEGATE), through Internet Banking. It was made live on 1st April, 2023.

5. Old Government Business Solution Software (GBSS) upgraded to new GBSS system. The new GBSS is robust enough to handle large volume of data for pension processing.

6. **FASTAG:** The Bank is providing FASTAG issuance service also to our customers through ONLINE mode and OFFLINE mode (through all branches)

7. **National Pension System (NPS):** All the Branches of the Bank are enabled for NPS transactions. Online facilities for NPS Registration and Contribution is also available through our website (https://www.pnbindia.in/nps.html) as well as PNB ONE App. Total number of NPS subscribers associated with the Bank as on 31st March, 2024 is 1,16,825. The Bank provides NPS facilities to 27 corporates under Corporate Model.

8. **Govt. e-Market Place (GeM):** The Bank is providing the facilities of GPA (GeM Pool Account), e-PBG (Performance Bank Guarantee) & e-EMD (Earnest Money Deposit) on Government e-Marketplace to sellers and purchasers.

9. **Public Financial Management System (PFMS):** The Bank has timely disbursed funds of approximately Rs.3893 Crore to about 1.94 Lakh beneficiaries under PM Kisan Samman Nidhi.

10. Through active marketing more than 64,635 PPF, 68,585 Sukanya Samriddhi Accounts and 91,677 Senior Citizen Saving Accounts were opened during FY 2023-24.

11. The Bank has implemented new scheme Mahila Samman Savings Certificate 2023 (MSSC 2023) and opened 5665 accounts as on 31st March, 2024.

12. The Bank is also in process of providing facility of Online Public Provident Fund (PPF) account opening.

13. The facility to deposit in SSA (Sukanya Samriddhi Account) and PPF (Public Provident Fund) through NEFT from other Bank third party account has been implemented.

14. Four Series of Sovereign Gold Bond subscription launched by Government of India were marketed by our branches and 1141 Kgs were sold.

15. The Bank is having integration with various states and collecting online and offline taxes through their Cyber Treasury Portal and collection of VAT is being done in 19 States.

16. बैंक केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों के प्रमुख संग्रहणकर्ताओं में से एक है।

X. ट्रेजरी परिचालन

हमारा सकल घरेलू निवेश 31 मार्च, 2024 को वर्ष–दर–वर्ष 5.9% प्रतिशत की वृद्धि ट्रेडिंग लाभ 1,354 करोड़ रुपये के साथ 4,23,305 करोड़ रुपये था।

1. सिस्टम तरलता का अवलोकन

वित्त वर्ष 2023–24 की पहली छमाही के दौरान सिस्टम तरलता औसतन अधिशेष में रही। हालाँकि, बाद में अगले तीन महीनों के दौरान यह घाटे में आयी और जनवरी 2024 में चरम पर पहुंच गई। फ़रवरी–मार्च 2024 के दौरान तरलता की कमी कुछ हद तक कम होने से स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक पूरे वर्ष रेपो और रिवर्स रेपो दोनों में मुख्य और फाइन–ट्यूनिंग परिचालन के माध्यम से अपने तरलता प्रबंधन में चुस्त रहा। ₹2,000 के नोटों की वापसी के कारण सिस्टम में अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) भी पेश किया गया था।,

2. निश्चित आय (एसएलआर/एनएसएलआर)

10 साल की बेंचमार्क उपज क्रमिक रूप से 31 मार्च, 2023 के 7.40 के स्तर से 35 बीपीएस घटकर 31 मार्च, 2024 को 7.05 के स्तर पर आ गई। यह नरमी सरकारी प्रतिभूतियों के जेपी मॉर्गन उभरते बाजार बॉन्ड इंडेक्स और ब्लूमबर्ग उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सूचकांक में शामिल होने से अनुमानित अगले 12–18 महीनों में बढ़े हुए प्रवाह की उम्मीद के कारण थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति में नरमी ने बाजार की फेड दर में कटौती की उम्मीद को बढ़ावा दिया, हालांकि, ब्याज दर के ऊंचे स्तर के बावजूद अनुकूल डेटा बिंदुओं के कारण कैलेंडर वर्ष 2024 में पिछली छह दर कटौती से उम्मीदें कम होकर अधिकतम दो रह गई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022–23 में 250 आधार अंक बढ़ाने के बाद वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए उम्मीद से कम घरेलू बांड उधार कार्यक्रम और बांड सूचकांक समावेशन की घोषणा के बाद विदेशी मांग में बढ़ोतरी ने भी पैदावार में नरमी में योगदान दिया।

3. इक्विटी एवं म्युचुअल फंड

वित्त वर्ष 2023–24 इक्विटी बाजारों के लिए अच्छा वर्ष साबित हुआ। इस उछाल का श्रेय नीतिगत निरंतरता की उम्मीदों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की संभावना, विदेशी और घरेलू निवेश प्रवाह के साथ–साथ मजबूत घरेलू आर्थिक विस्तार को दिया जा सकता है। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 31.03.2024 को 73,651.35 पर बंद हुआ, जबकि

16. The Bank is one of the major collectors of taxes for Central & State Government.

X. TREASURY OPERATIONS

The Bank's Gross Domestic Investments stood at Rs. 4,23,305 Crore as on 31st March, 2024 registering YoY growth of 5.9% with trading profit at Rs.1,354 Crore.

1. Overview of System liquidity

System liquidity, on average, remained in surplus during first half of FY 2023-24. However, it subsequently turned deficit over the course of next three months and peaked in January 2024. The situation improved with the liquidity deficit moderating to some extent during February - March 2024. Reserve Bank of India remained agile in its liquidity management through main and fine-tuning operations in both repo and reverse repo throughout the year. Incremental Cash Reserve Ratio (I-CRR) was also introduced as a temporary measure to control excess liquidity in the system due to the return of ₹2,000 notes.

2. Fixed Income (SLR/NSLR)

10 year benchmark yield sequentially glided downwards by 35 bps from 7.40 level as on 31st March, 2023 to 7.05 level as on 31st March, 2024. The softening was partly attributable to expectation of increased inflows over the next 12-18 months from inclusion of Govt. securities in JP Morgan Emerging Market Bond Index and Bloomberg Emerging Market Local Currency Index. In addition, easing inflation in the last quarter of FY 2023-24 fuelled market's expectation of Fed rate cuts, however, expectations have moderated from erstwhile six rate cuts in Calendar Year 2024 to utmost two on account of favourable data points despite elevated interest rate levels.

Reserve Bank of India also maintained the repo rate at 6.50% during FY 2023-24 after raising it by 250 basis points the previous year i.e. FY 2022-23. Smaller than expected domestic bond borrowing program for FY 2024-25 and pick up in foreign demand after bond index inclusion announcement also contributed to softening of yields.

3. Equity & Mutual Funds

FY 2023-24 proved to be a good year for equity markets. The buoyancy can be attributed to expectations of policy continuity, chances of interest rate cuts from the US Federal Reserve and RBI, foreign and domestic investment inflows as well as robust domestic economic expansion. The S&P BSE Sensex closed at 73,651.35, while the Nifty 50 closed

निफ्टी 50 22,326.90 पर बंद हुआ। पिछले एक वर्ष में, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 24.9% बढ़ा, जबकि निफ्टी 28.6% बढ़ा।

4. **विदेशी मुद्रा**

वित्त वर्ष 2023–24 में भारतीय रुपया 83.40 पर रहा, जिसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। रिकॉर्ड विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह के कारण अन्य उभरते बाजार मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का प्रदर्शन बेहतर रहा। भू–राजनीतिक तनाव के बीच तेल की बढ़ती कीमतों के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यह जोड़ी वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर रही।

XI. ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा के महत्व को पूरी तरह से समझता है और ग्राहकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने ग्राहक सेवा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत शिकायत निवारण नीति तैयार की है। बैंक उक्त नीति में निर्धारित ढांचे के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर रहा है।

1. बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे केंद्रीकृत शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो एक इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत का ट्रैक भी रख सकता है। ग्राहक शिकायतें विभिन्न चौनलों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं जैसे:

   ए. एमडी एवं सीईओ/अध्यक्ष/वित्त मंत्रालय/आरबीआई आदि।

   बी. लोक शिकायत विभाग जैसे कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीजीआरएएम)/एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम)

   सी. संपर्क केंद्र (टोल फ्री/टोल नंबर)

   डी. इंटरनेट बैंकिंग सेवा/मोबाइल बैंकिंग ऐप/कॉर्पोरेट वेबसाइट।

   ई. care@pnb.co.in पर ईमेल किया जा सकता है।

   एफ. सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

   जी. डाक

   एच. शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायतें

2. बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड की एक उप–समिति द्वारा **'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति'**, तिमाही आधार पर की जाती है। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।

at 22,326.90 on 31.03.2024. Over the past one year, the S&P BSE Sensex gained 24.9 per cent while the Nifty surged by 28.6 per cent.

4. **Forex**

The Indian Rupee ended FY 2023-24 at 83.40, registering a fall of 1.5 per cent against the US dollar as compared to 7.8 per cent decline in FY 2022-23. The Indian Rupee fared better as compared to other emerging market currencies on account of record foreign portfolio inflows. The pair remained stable during the fiscal despite headwinds in the form of surging oil prices amid geo-political escalations.

XI. CUSTOMER CARE

The Bank fully realizes the importance of customer service and continues to lay utmost priority to render prompt and efficient service to customers. In order to achieve the desired objective, the Bank has formulated a robust Grievance Redressal Policy keeping in view the guidelines issued by Reserve Bank of India on Customer Service. The Bank is ensuring the redressal of the grievances of customers within the framework laid down in the said policy.

1. The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is an in-house portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customer Grievances are received via various channels such as:

   a. MD & CEO / Chairman/ Ministry of Finance/RBI etc.

   b. Department of Public Grievance such as Centralised Public Grievance Redress and Monitoring Mechanism (CPGRAM)/ Integrated Grievance Redressal Mechanism (INGRAM)

   c. Contact centers (Toll free/ Tolled numbers)

   d. Internet Banking Service / Mobile Banking app / Corporate Website.

   e. Email at care@pnb.co.in

   f. Social Media such as Facebook, Twitter, LinkedIn and other social media platforms

   g. Post

   h. Complaints in Person at Branch Offices

2. The status of complaints received by the Bank is reviewed by **"Customer Service Committee of the Board"**, a Sub-Committee of the Board, on quarterly basis.

3. दामोदरन समिति की संस्तुतियों के अनुसार बैंक के पास एक **आंतरिक लोकपाल** है। यह प्रणाली बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

4. शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए, बैंक ने अंचल कार्यालयों में उप महाप्रबंधक और मंडल कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक की श्रेणी के मुख्य ग्राहक कार्यपालक अधिकारी (सीसीईओ) को नामित किया है, जिनसे ग्राहक अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। सीसीईओ के संपर्क विवरण भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए

5. सभी शाखाओं और मंडल कार्यालयों में ग्राहक सेवा समितियां ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच करती हैं और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझावों की बारीकी से जाँच करती हैं। ये समितियां माह में एक बार बैठक आयोजित करती हैं जहाँ कर्मचारी और आमंत्रित ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं।

6. प्रत्येक माह एक मासिक पत्रिका **"कस्टमर स्पीक्स"** प्रकाशित की जाती है जिसमें ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई चुनिंदा शिकायतें और शिकायतकर्ताओं को प्रदान की गई कार्रवाई/समाधान का भी उल्लेख किया जाता है। बैंक के अधिकारियों की सेवा की सराहना करते हुए ग्राहकों द्वारा जारी किए गए प्रशंसा पत्र भी पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं।

7. बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में फील्ड स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए शाखाओं में मासिक अंतराल पर थीम आधारित बैठकें पूर्व–निर्धारित तिथि और थीम पर आयोजित की जा रही हैं।

8. कॉल सेंटर में ग्राहक सेवा एजेंटों (सीएसए) के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते है ताकि वे ग्राहकों की कॉल को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें और ग्राहकों को उत्पादों/सेवाओं के बारे में सही/नवीनतम जानकारी देकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सके।

9. बैंक के पास दो अग्रणी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम तथा नोएडा में अत्याधुनिक संपर्क केंद्र हैं। इन दो प्राथमिक केंद्रों के अतिरिक्त, बैंक ने 13 भाषाओं में अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो अन्य संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

10. ग्राहक की शिकायतें दो ऑनलाइन पोर्टलों अर्थात सीजीआरएमएस पोर्टल और संपर्क केंद्र के सीआरएम पोर्टल में प्राप्त और संग्रहीत की जाती हैं। सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति क्रमशः गैर–डिजिटल और डिजिटल लेनदेन से संबंधित है

3. The Bank has in place an **Internal Ombudsman** as per the recommendations of the Damodaran Committee. The system ensures greater transparency in the redressal of grievances by the Bank.

4. For faster resolution of complaints, the Bank has designated Chief Customer Executive Officer (CCEO) with the rank of Deputy General Manager at Zonal Offices and Chief Manager at Circle offices whom can be approached by the customers for redressal of his grievance. The contact details of CCEOs have also been displayed at Bank's website.

5. **Customer Service Committees** in all the branches and Circle Offices look into the quality of customer service rendered and critically examine the feedback/ suggestions for improvement in customer service. These committees meet once in a month where staff and the invited customers interact freely on service-related issues.

6. A monthly magazine **"Customer Speaks"** is published in which selected complaints filed by customers and the action taken/resolution provided to the complainants are also mentioned. Appreciation letters issued by customers appreciating the service of officials of the bank are also published in the magazine.

7. **Theme Based Meetings** are being conducted at monthly intervals in branches on a pre-decided date and theme to improve awareness among field staff about bank's products and services, and to sensitize them about the issues of maximum importance.

8. Regular training sessions are arranged at Call Centre for Customer Service Agents (CSAs) so that they can handle customer calls properly and resolve their trivial issues by giving correct/latest information that customer wants about the products/services.

9. The Bank has state-of-the-art Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading service providers. In addition to these two primary sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers in 13 languages.

10. The customer's complaints are stored in two online portals i.e., CGRMS Portal and Contact Centre's Customer Relationship Management (CRM) Portal. The nature of complaints received at CGRMS Portal are largely Non Digital while in CRM Portal, they are largely Digital transaction related.

11. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 14,83,719 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3,53,524 शिकायतों का समाधान प्राप्ति के T+1 दिनों के भीतर कर दिया गया। इस प्रकार, इन्हें शिकायतों के रूप में नहीं माना गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 11,30,195 है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	संख्या*
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	23,185
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11,30,195
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	11,21,029
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	32,351

** उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया था।*

XII. बैंक में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

पंजाब नैशनल बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। आपके बैंक ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

हम सहर्ष सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आपके बैंक को "क" क्षेत्र के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार तथा बैंक की गृह पत्रिका "पीएनबी प्रतिभा" को "राजभाषा कीर्ति" द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से बैंक के विभिन्न कार्यालयों को कुल 05 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थाओं से हमारे बैंक के विभिन्न कार्यालयों/स्टाफ सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं।

1. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम की मदों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई और प्रगति:

ए. बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित तंत्र है, जो प्रधान कार्यालय में स्थापित राजभाषा विभाग की देखरेख में भलीभांति कार्य कर रहा है। सभी अंचल कार्यालयों, मंडल कार्यालयों तथा प्रशिक्षण केंद्रों में राजभाषा विभाग स्थापित है, जो अपने कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों व शाखाओं में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करते हैं।

बी. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम, बैंक की राजभाषा नीति और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित राजभाषा निगमित कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गहन निगरानी की गई।

11. A total of 14,83,719 complaints were received during the FY 2023-24, out of which 3,53,524 complaints were resolved within T+1 days of its receipt. As such, these have not been treated as complaints. Therefore, the total number of reported complaints received during FY 2023-24 is 11,30,195. The details of complaints received and disposed during FY 2023-24 is as follows:

Particular	Count*
Number of complaints pending at beginning of the Year	23,185
Number of complaints received during the Year	11,30,195
Number of complaints disposed during the Year	11,21,029
Number of complaints pending at the end of the Year	32,351

** Excluding complaints which were resolved within T+1 days of the receipt.*

XII. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Punjab National Bank has always been a pioneer in the implementation of Official language Hindi. Your Bank continued to make concerted efforts to comply with the instructions received from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Committee of Parliament on Official Language and Department of Financial Services, Ministry of Finance. Your Bank has achieved most of the targets prescribed in annual programme for the Financial Year 2023-24 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

It is the matter of pleasure to inform that during the financial year 2023-24 the Bank has been awarded the 1st prize under the "Rajbhasha Kirti" award of the Government of India for "A" Region and 2nd prize given for Bank's in-house magazine "PNB Pratibha". Five awards were received by various offices of the Bank from the Regional Implementation Office of the Ministry of Home Affairs. Further various offices/staff members of the Bank have won a large number of awards from various Govt. Institutes

1. Actions taken for and progress made in implementation of the Annual Program for Progressive Use of Hindi

a. The Bank has a well-organized mechanism for implementation of the Official Language, which is functioning well under the supervision of the Official Language Department established at the Head Office. Official Language Department is established in all the zonal offices, circle offices and training centres, which implement the official language policy duly approved by the Board of Directors of the Bank in their offices and subordinate offices and branches.

b. Intensive monitoring was done to achieve the targets prescribed in the Annual Programme of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Official Language (OL) Policy of the Bank and Rajbhasha Corporate Action Plan are in place.

सी. बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय शील्ड योजना, अन्य प्रोत्साहन योजनाओं तथा हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता कार्यालयों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

डी. बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'पीएनबी प्रतिभा' और अंचल कार्यालयों की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की गईं। विभिन्न स्तरों पर स्थापित हिंदी पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

ई. अखिल भारतीय स्तर पर अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता "बैंकिंग का डिजिटल रूपांतरण" विषय पर आयोजित की गई।

एफ. बैंक द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान मौलिक पुस्तक लेखन योजना (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए) के अंतर्गत कुल 8 पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया।

2. राजभाषा संबंधी समितियां और उनकी बैठकें

ए. प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बी. पीएनबी ने देश भर में 28 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संयोजक की जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और वर्ष के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी सेमिनार आदि आयोजित किए गए।

सी. प्रधान कार्यालय सहित बैंक के सभी कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया।

3. बाह्य निरीक्षण/राजभाषा संगोष्ठी/सम्मेलनः

ए. कार्यपालक निदेशक श्री बिनोद कुमार की अध्यक्षता एवं श्रीमती अंशुली आर्या, (आई ए एस) सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सह समीक्षा बैठक का आयोजन प्रधान कार्यालय द्वारा दिल्ली में किया गया। सभी कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों के द्वारा गहन मॉनिटरिंग की गई।

बी. प्रधान कार्यालय द्वारा 'राजभाषा हिंदी का वैश्विक परिदृश्य' विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री कुमुद शर्मा, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय उपस्थित रहीं।

c. Awards were given to winner offices/employees under Lala Lajpat Rai Shield Scheme, other incentive schemes and Hindi competitions to increase the use of Hindi in the Bank.

d. The Bank's quarterly in-house magazine "PNB Pratibha" and half yearly Hindi magazines of Zonal Offices & other offices are published regularly. Hindi books were made available in Hindi libraries established at various level.

e. All India level Inter Bank Hindi Essay Competition was organized on the subject "Digital transformation of banking".

f. A total of 8 Hindi books were awarded by the Bank under the Original Hindi Book Writing Scheme (for working and retired staff) during the year 2023-24.

2. Official Language Committees and their meetings

a. The meetings of the Official Language Implementation Committee of the Head Office were held quarterly under the chairmanship of the Managing Director and Chief Executive Officer.

b. PNB has efficiently discharged the responsibility of convener of 28 Town Official Language Implementation Committees across the country. Half yearly meetings of these committees were organized regularly and Hindi competitions, Hindi workshops, Hindi seminars etc. were organized during the year.

c. Quarterly meetings of official language committees were organized regularly by all the offices of the Bank.

3. External Inspection/Official Language Seminar/ Conference

a. A three-day All India Official Language Conference and Review Meeting of the Official Language Officers of the Bank was organized in Delhi by the Head Office under the chairmanship of Executive Director Shri Binod Kumar and in the presence of Mrs. Anshuli Arya, IAS, Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Intensive monitoring of all offices was done through official language inspection and annual review meetings.

b. Rajbhasha Seminar was organized by the Head Office on the topic "Global Perspective of Official Language Hindi". Ms. Kumud Sharma, Vice President Sahitya Akademi and Head of the Department, Hindi Department, Delhi University was present as the chief speaker in the seminar.

सी. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रधान कार्यालय के निरीक्षण में राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की गई।

डी. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा मंडल कार्यालयः शिमला, मंडल कार्यालयः ठाणे, मंडल कार्यालयः जयपुर, मंडल कार्यालयः राजकोट तथा मंडल कार्यालयः पानीपत के निरीक्षण के दौरान हिंदी में किए गए कार्यों की सराहना की गई।

ई. संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा अंचल कार्यालय, आगरा, मंडल कार्यालय, बर्धमान तथा मंडल कार्यालय, रोहतक का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।

एफ. बैंक में हिंदी दिवस व हिंदी माह उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रधान कार्यालय में आयोजित मुख्य राजभाषा समारोह में माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एवं कार्यपालक निदेशकगण द्वारा श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु विजेताओं को लाला लाजपत राय शील्ड प्रदान की गई। तत्पश्चात आयोजित कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि डॉ. अशोक चक्रधर एवं सुश्री मधुमोहिनी उपाध्याय द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई।

4. सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति

क. बैंक की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है तथा यह डिफॉल्ट रूप से हिंदी में खुलती है।

ख. एटीएम में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की सुविधा उपलब्ध है।

ग. ग्राहकों को उनकी पसंदीदा भाषा (हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा) में एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।

घ. प्रधान कार्यालय के सभी शाखाओं, मंडलों, अंचलों और प्रभागों की ऑनलाइन हिंदी रिपोर्टिंग 'राजभाषा वेब पोर्टल' पर की गई।

ङ. लिंग्वाफाई सॉफ़्टवेयर के अद्यतन संस्करण के माध्यम से फ़िनेकल और एचआरएमएस का द्विभाषीकरण किया गया। इसके साथ ही सभी कंप्यूटरों पर काम करने के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।

च. मोबाइल बैंकिंग ऐप 'पीएनबी वन' को हिंदी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में नए रूप में लागू किया गया। इंटरनेट बैंकिंग हिंदी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

छ. इंटरनेट बैंकिंग हिन्दी भाषा के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

ज. बैंकिंग विषय पर दैनिक हिंदी पॉडकास्ट जारी किया जा रहा है।

झ. बैंक के ई–लर्निंग पोर्टल पीएनबी युनिव पर कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिन्हें पास करने पर कर्मचारियों को पीएएफ में अंक दिए जाते हैं।

c. Official language implementation was appreciated during the inspections of the Head Office by the Ministry of Finance, Department of Financial Services.

d. The work done in Hindi was appreciated by the Third Sub-Committee of the Parliamentary Official Language Committee during the inspections of Circle Office: Shimla, Circle Office: Thane, Circle Office: Jaipur, Circle Office: Rajkot and Circle Office: Panipat.

e. Rajbhasha inspection of Zonal Office, Agra, Circle Office, Bardhaman and Circle Office, Rohtak was done by the Draft and Evidence Subcommittee of the Parliamentary Official Language Committee.

f. Hindi Day and Hindi Month were celebrated enthusiastically in the Bank. Lala Lajpat Rai Shield was given to the winners by Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors in the main official language function organized at Head office. Kavi Sammelan was organized and a captivating presentation was given by eminent poets Dr. Ashok Chakradhar and Ms. Madhumohini Upadhyay.

4. Progress made in the use of Hindi in Information Technology

a. The website of the Bank is completely bilingual and it opens in Hindi by default.

b. Facility of Hindi and regional languages are available in ATM.

c. SMS alerts have been sent to customers in their preferred language (Hindi and regional language).

d. Online Hindi reporting of all the Branches, Circles, Zones and Divisions of the Head Office was done on the 'Rajbhasha web portal'.

e. Bilingualization of Finacle and HRMS was done through Linguify software updated version. Along with it, Bilingual facility is available to work on all computers.

f. Mobile banking app 'PNB ONE' was implemented in the new revamped look in various regional languages including Hindi.

g. Internet Banking is available in Hindi as well as in regional languages.

h. A daily Hindi podcast is being released on Banking subject.

i. Online Hindi courses were introduced for the employees on the Bank's e-learning portal PNB Univ, on passing which the employees are given marks in PAF.

ञ. ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग का हिंदी संस्करण उपलब्ध है।

5. हिंदी के प्रयोग के संबंध में विशेष कार्य एवं कार्यक्रमः

ए. आपके बैंक ने सर्वप्रथम बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकासों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बैंक के संयोजन में कार्यरत 28 नराकासों के अध्यक्षों एवं सचिवों ने सहभागिता की। यह सम्मेलन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल की अध्यक्षता एवं राजभाषा सचिव श्रीमती अंशुली आर्या की गरिमामयी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बी. बैंक द्वारा राजभाषा नीति की संक्षिप्त पुस्तिका 'राजभाषा पथ–प्रदर्शक' का प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल, सभी कार्यपालक निदेशकगण एवं श्रीमती अंशुली आर्या, (आई ए एस) सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुणे में आयोजित अखिल भारतीय राजभाष सम्मेलन में यह पुस्तिका सभी प्रतिभागियों को वितरित की गई।

सी. राजभाषा कार्यान्वयन को डिजिटल बनाने हेतु मोबाइल ऐप "पीएनबी प्राइड" की शुरूआत की गई।

डी. एचआरएमएस में हिंदी ज्ञान रोस्टर का ऑनलाइन मॉड्यूल जोड़ा गया तथा वेतन पर्ची सहित अन्य मॉड्यूल द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए।

ई. क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी सीखने के लिए गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, असमिया भाषाओं की सहायिका प्रकाशित की गई।

फ. **प्रशिक्षण/कार्यशाला और अनुवाद की व्यवस्थाः** प्रधान कार्यालय/अंचल कार्यालय/मंडल कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा हिंदी कार्यशालाओं, यूनिकोड प्रशिक्षण और डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

6. परिपत्रों/फार्मों/अन्य दस्तावेजों की द्विभाषी स्थितिः

ए. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के प्रभागों द्वारा जारी परिपत्रों को द्विभाषी रूप में नॉलेज सेन्टर पर अपलोड कराया गया।

बी. ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्म हिंदी/द्विभाषी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

सी. हिंदी में कार्य सुगमता पूर्वक करने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित दैनिक पत्रों/कार्यालय टिप्पणियों के "मानक ड्राफ्ट" बैंक के ई–पोर्टल पर उपलब्ध है।

डी. बैंक की योजनाओं और उत्पादों से संबंधित प्रचार और प्रचार अभियानों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया।

j. Hindi version of WhatsApp Banking is available for the customers.

5. Special work and programmes regarding the use of Hindi

a. The Bank, for the first time, organized a conference for the Heads of 28 Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti (NARAKASES) in which our Bank is convener. This conference was successfully completed under the chairmanship of Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank, Mr. Atul Kumar Goel and the dignified presence of Secretary, Mrs. Anshuli Arya, Ministry of Home Affairs.

b. A brief booklet of Official Language Policy 'Rajbhasha Path-Pradarshak' was published by the Bank, which was launched by Managing Director and Chief Executive Officer Mr. Atul Kumar Goel and Mrs. Anshuli Arya, (IAS) Secretary, Department of Official Language. This booklet was distributed to all the participants at the third All India Official Language Conference Pune organized by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

c. Rajbhasha module of Mobile app "PNB Pride" was launched to digitalize the official language implementation in the Bank.

d. Online module of Hindi knowledge roaster was added in HRMS and other modules including salary slip were made available in bilingual form.

e. Booklets to learn Hindi through regional languages Gujarati, Punjabi, Bengali, Assamese were published for employees.

f. **Arrangements for training/workshop and translation:** Hindi Training was imparted to staff members through Hindi workshops, Unicode Training and Desk Training by HO/ZO/CO and Training Centres.

6. Bilingual status of circulars/forms/other documents

a. During the year, circulars issued by the divisions of the Head Office were uploaded on Bank's Portal in bilingual form

b. The forms used by customers are also available in Hindi/bilingual and regional languages.

c. To facilitate the work in Hindi, "**Standard Draft**" of daily letters/office notes related to various departments is available on the e-portal of the Bank.

d. Hindi and regional languages were used in publicity and promotional campaigns related to the Bank's schemes and products.

XIII. पीएनबी की सहायक कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. घरेलू सहायक कंपनियाँ

ए. **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेडः** वित्त वर्ष 2023–24 की शुरुआत बांड बाजारों में बढ़त के साथ हुई, जो मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा पॉलिसी रेपो दर पर रोक लगाने के बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित कदम के बाद रुख में संभावित बदलाव की उम्मीद पर सरकारी प्रतिभूतियों की बड़ी मांग को दर्शाता है। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट से भी बाजार की धारणा को समर्थन मिला. हालाँकि, एमपीसी द्वारा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप करने पर ध्यान केंद्रित करने के बाद पहली तिमाही के अंत में पैदावार में वृद्धि हुई, जिसे बाजार सहभागियों द्वारा आक्रामक माना गया था। दूसरी तिमाही के अंत में, उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट और सुदृढ़ आर्थिक आंकड़ों के कारण घरेलू प्रतिफल में मजबूती आई। बढ़ते अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल के जवाब में तीसरी तिमाही में भी सख्त रुख देखा गया, 23 अक्टूबर 2023 को घरेलू 10–वर्षीय उपज 7.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। तीसरी तिमाही के अंत में, दिसंबर की नीति बैठक में फेडरल रिजर्व के नरम रुख और आने वाले वर्ष में दर में कटौती की उम्मीद के कारण अमेरिकी प्रतिफल में गिरावट आई। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में घरेलू और वैश्विक बांड बाजारों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तिमाही के दौरान 10–वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल 4.18 प्रतिशत से 4.32 प्रतिशत के बीच रही, जो तिमाही के अंत में 4.19 प्रतिशत पर रही। प्रतिफल में उतार–चढ़ाव मोटे तौर पर फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) द्वारा नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने की प्रतिक्रिया के रूप में था, इस प्रकार फेड द्वारा दरों में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं करने की शर्त को बल मिला और मार्च 2024 में फेड द्वारा दर में कटौती की संभावना बढ़ गई। दूसरी ओर, जनवरी के अंत में भारतीय 10–वर्षीय बेंचमार्क बांड प्रतिफल 7.21 प्रतिशत से घटकर 7.14 प्रतिशत हो गया क्योंकि ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज ने सितंबर 2024 से अपने उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सूचकांक में कुछ भारतीय बांडों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा और प्रतिफल में एक और बड़ी गिरावट देखी गई। 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट की घोषणा के बाद यह 7.06 प्रतिशत हो गया। मार्च के अधिकांश समय में भारतीय बांड प्रतिफल सीमित दायरे में रहे और तिमाही (Q4) के अंत में यह 7.05 प्रतिशत पर रहा।

वर्ष के दौरान, 10–वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल क्रमशः 7.38 प्रतिशत और 6.96 प्रतिशत के उच्चतम और निम्न स्तर को छू गई और 31 मार्च, 2024 को 7.05 प्रतिशत पर बंद हुआ। अनिश्चित बाजार स्थितियों की पृष्ठभूमि में, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्राथमिक डीलर के रूप में

XIII. PNB'S SUBSIDIARIES AND REGIONAL RURAL BANKS

1. DOMESTIC SUBSIDIARIES

a. **PNB Gilts Ltd.:** FY 2023-24 started with the bond markets witnessing gains, reflecting strong demand for government securities on expectation of a likely shift of stance after the Monetary Policy Committee's (MPC) largely unanticipated move to pause on the policy repo rate. The decline in the US treasury yields also supported the market sentiments. However, yields hardened during the end of the first quarter following MPC's focus on aligning inflation with the target of 4 per cent, which was perceived to be hawkish by the market participants. Domestic bond yields started the second quarter with a hardening bias in response to rising US treasury yields and a strong US GDP data. Towards the end of the second quarter, higher inflation prints and strong economic data led to firming of domestic yields. Third quarter also saw a hardening bias in response to rising US treasury yields, with the domestic 10-yr yield peaking at 7.38 per cent as on 23rd October, 2023. Towards the end of the third quarter, US yields plunged on the back of dovish tone of the Fed Reserve in its December policy meet and expectation of rate cuts in the coming year. Q4 FY 2023-24 marked some significant moves in both domestic and global bond markets. The 10-year US treasury yields hovered in the range of 4.18 per cent to 4.32 per cent during the quarter, ending the quarter at 4.19 per cent. The swing in yields was broadly in response to the Federal Open Market Committee (FOMC) keeping the policy rates unchanged, thus reinforcing the bets of no further rate hikes by the Fed and a rise in the odds of a rate cut by the Fed in March 2024. On the other hand, the Indian 10-year benchmark bond yields eased from 7.21 per cent to 7.14 percent during January end as Bloomberg Index Services proposed including some Indian bonds in its emerging market local currency index from September 2024 and saw another sharp drop in yields to 7.06 per cent following the announcement of the Interim Budget on 1st February, 2024. Indian bond yields were range bound for most of March, ending the quarter (Q4) at 7.05 per cent.

During the year, the 10-yr benchmark yield touched a high and low of 7.38 per cent and 6.96 per cent respectively and closed at 7.05 per cent as on 31st March, 2024. Against the backdrop of uncertain market conditions, PNB Gilts Ltd continued to fulfill all its obligations as a Primary Dealer mandated by RBI both in Primary and

अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। कंपनी ने जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान (85) करोड़ रुपये का पीबीटी की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 99 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया। कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 69 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 77 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2024 को 34.0 प्रतिशत पर जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के साथ पूंजी पर्याप्तता मजबूत बनी हुई है, जो प्राथमिक डीलरों (पीडी) के लिए नियामक न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी अधिक है।

बी. **पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीआईएसएल)**: कंपनी अपने संचालन के पहले वर्ष से ही लाभ कमाने वाली कंपनी है।31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 8 करोड़ रुपये की परिचालन (शुल्क–आधारित) आय और 11 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए शुल्क– आधारित आय 7 करोड़ रुपये और कुल आय 10 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ 5.50 करोड़ रुपये था, जबकि 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए यह 5 करोड़ रुपये था।

कंपनी तीन क्षेत्रों में कार्य करती है, अर्थात् कॉर्पोरेट सलाहकार, मर्चेंट बैंकिंग और प्रतिभूति ट्रस्टी। कॉर्पोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वर्ष के दौरान पीएनबीआईएसएल ने कई प्रमुख व्यापारिक समूहों और कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण सिंडिकेशन, ऋण समाधान और अन्य कॉर्पोरेट सलाहकार कार्य सहित विभिन्न लेनदेन पर सलाह दी। इन–हाउस विशेषज्ञता और चुनिंदा क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ, पीएनबीआईएसएल ने अपने ग्राहकों को विश्वसनीय तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) और एलआईई (ऋणदाता स्वतंत्र इंजीनियर सेवाएं) रिपोर्ट तैयार और वितरित की।

कॉरपोरेट एडवाइजरी वर्टिकल में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी प्रमुख रूप से दो ऋण सिंडिकेशन असाइनमेंट को पूरा करने में सक्षम हुई। कंपनी ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) के लगभग 20 कार्य भी पूरे कर लिए हैं। कंपनी अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रवर्तित महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) का हिस्सा है।वित्त वर्ष 2023–24 कंपनी के ऋण समाधान (स्विस चैलेंज) प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था और कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2022–23 में 8 महत्वपूर्ण ऋण समाधान लीडिंग बनाम 3 ऐसे लेनदेन किए। अब पहले से ही मौजूद साख के साथ कंपनी का मानना है कि वित्त वर्ष 2024–25 में कारोबार में अवश्य ही वृद्धि होगी।

Secondary market. Company posted a Profit Before Tax (PBT) of Rs. 99 Crore during FY 2023-24 vis-à-vis PBT of Rs. (85) Crore during FY 2022-23. Profit after Tax (PAT) amounted to Rs. 69 Crore during FY 2023-24 as against Rs. (77) Crore during FY 2022-23. Capital adequacy remains strong with its Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 34.0 per cent as on 31st March, 2024 well above the regulatory minimum of 15 per cent for Primary Dealers (PDs).

b. **PNB Investment Services Limited (PNBISL):** The Company is a profit-making company from the very first year of its operations. During the year ended as on 31st March, 2024, the Company registered operational (fee-based) income of Rs.8 Crore and total income of Rs.11 Crore as against a fee- based income of Rs.7 Crore and total income of Rs.10 Crore for the year ended as on 31st March, 2023. Profit before Tax during the period ended as on 31st March, 2024 was Rs.5.50 Crore as against Rs.5 Crore for the period ended as on 31st March, 2023.

The Company operates in three verticals, namely Corporate Advisory, Merchant Banking and Security Trustee. In the Corporate Advisory Vertical, during the year PNBISL advised many marquees business groups and corporate clients on various transactions, including debt syndication, debt resolution and other corporate advisory assignments. With in-house expertise and deep understanding of select sectors, PNBISL prepared and delivered credible Techno-Economic Viability (TEV) & Lenders Independent Engineer services (LIE) reports to its clients.

In Corporate Advisory Vertical, during the FY 2023-24, the company able to complete majorly two Debt Syndication assignments. Company has also completed approx. 20 assignments of U P State Industrial Development Authorities (UPSIDA). Company is now part of Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Ltd (MAHAPREIT) Alternative Investment Fund (AIF) promoted by Government of Maharashtra. FY 2023-24 was a significant year for the Debt Resolution (Swiss Challenge) practice of the Company and the Company undertook and completed 8 significant Debt Resolution leading v/s 3 such transactions done in the whole of FY 2022-23. Now with the credentials already being in place company believes the business will only increase in FY 2024-25.

मर्चेंट बैंकिंग वर्टिकल में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी लगभग सभी ईसीएम उत्पाद वर्टिकल अर्थात, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), राइट्स इश्यू और ओपन ऑफर असाइनमेंट में नियामक प्रधिकारणों को समय पर दस्तावेज दाखिल करने के रूप में बाजारों में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम है।

कंपनी ने पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के आईपीओ के आदेश को सफलतापूर्वक पूरा किया और इश्यू के ओवरसब्सक्राइब होने पर 153 करोड़ रुपये जुटाए। इस आईपीओ असाइनमेंट के अलावा, कंपनी ने दो अन्य असाइनमेंट यानी एक स्मॉल राइट्स इश्यू और ओपन ऑफर असाइनमेंट भी पूरा किया।

वित्त वर्ष 2023–24 में ट्रस्टीशिप खंड की वृद्धि स्थिर थी और सुरक्षा ट्रस्टी असाइनमेंट के समग्र बाजार मूल्य निर्धारण में कमी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि सहित विभिन्न कारणों से वित्तीय वर्ष में राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

हालाँकि, इस खंड ने प्रमुख एनबीएफसी में से एक के लिए एस्क्रो ट्रस्टी की सेवाएं प्रदान करके बाजार के रुझान के अनुसार पेश किए गए उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करके चुनौती को दूर करने का प्रयास किया है। कंपनी लगातार नए ग्राहकों को जोड़ रही है और अग्रणी बैंकों और कॉरपोरेट्स का विश्वसनीय भागीदार बनने की अपनी रणनीति बना रही है।

आगे बढ़ते हुए, कंपनी मूल बैंक और उसके सभी हितधारकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण सिंडिकेशन सेवाओं, टीईवी कंसल्टेंसी, मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं और सुरक्षा ट्रस्टीशिप सेवाओं जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सी. **पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल)**: पीएनबीसीएसएल पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे पंजाब नैशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित गैर–वित्तीय सहायता सेवाएं शुरू करने के लिए 7 दिसंबर, 2020 के आरबीआई अनुमोदन पत्र के अनुसार 16 मार्च, 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई ने 13 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से पीएनबीसीएसएल द्वारा अतिरिक्त गैर–वित्तीय सहायता सेवाएं शुरू करने के लिए पीएनबी को अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के अनुसार, पीएनबीसीएसएल निम्नलिखित गैर–वित्तीय सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है अथात सोर्सिंग, मार्केटिंग, प्रचार, प्रचार, विज्ञापन, जमा राशि (चालू और बचत खाते आदि) और खुदरा ऋण उत्पाद (आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण आदि) वितरित करने का आग्रह करना।

In Merchant Banking Vertical, during the FY 2023-24, company able to showcase its strengths to the markets in the form of timely filing of documents to regulatory authorities in nearly all the Equity Capital Market (ECM) product verticals i.e., Initial Public Offers (IPOs), Rights Issue and Open Offer assignments.

The Company successfully completed the IPO mandate of Pyramid Technoplast Ltd, raising Rs.153 Crore with the issue being oversubscribed. Apart from this IPO Assignment, the company also completed two other assignments i.e., a small rights issue and open offer assignment.

The growth for trusteeship segment in FY 2023-24 was stagnant and the revenue took a significant hit in the financial year owing to various reasons including the reduction in the overall market pricing of the security trustee assignments, increase in competition.

However, the segment has tried to overcome the challenge by expanding the range of products offered as per the market trends by rendering the services of escrow trustee for one of the major NBFCs. The Company continues to add on new clients and build on its strategy to be a trusted partner of leading banks and corporates.

Going forward, the company is committed to build on its capabilities across business verticals such as credit appraisal & debt syndication services, TEV consultancy, Merchant Banking services and Security Trusteeship services to offer greater value to the parent bank and all its stake holders.

c. **PNB Cards and Services Limited (PNBCSL):** PNBCSL is a wholly-owned subsidiary of Punjab National Bank (PNB) incorporated on 16th March, 2021 in terms of RBI approval letter dated 7th December, 2020 to undertake the non-financial support services related to credit card business of the Punjab National Bank. RBI vide letter dated 13th January, 2023, has conveyed their approval to PNB for undertaking additional non-financial support services by PNBCSL. As per their approval, PNBCSL may provide the following non-financial support services viz. sourcing, marketing, promoting, publicizing, advertising, soliciting distributing Deposit (Current and Saving Accounts etc.) and Retail Loan Products (Housing Loan, Loan against property, Vehicle Loan, Education loan, Personal loan etc.).

तदनुसार, अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए, पीएनबीसीएसएल ने वित्त वर्ष 2023–24 में आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और कासा उत्पादों की सोर्सिंग सफलतापूर्वक शुरू कर दी है।

देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर उपस्थिति सहित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पीएनबीसीएसएल की भौगोलिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह विस्तार ग्राहकों को असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित 400 से अधिक कर्मियों की टीम द्वारा समर्थित है।

पीएनबीसीएसएल ने बैंक के लिए ग्राहक जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने 2.15 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है, 2 लाख क्रेडिट कार्ड स्वीकृतियों को पार कर लिया है और खुदरा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक की नई स्वीकृतियां हासिल की हैं।

पीएनबीसीएसएल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 2.25 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ हासिल करके अपनी लाभप्रदता ट्राजेक्टरी को बनाए रखा, जो बैंक की सफलता में उसके निरंतर योगदान को दर्शाता है।

पीएनबीसीएसएल उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और व्यापक ग्राहक आधार की सेवा के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनियाँ**

ए. **पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड (पीएनबीआईएल):** पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड को 13 अप्रैल, 2006 को यूके में शामिल किया गया था और इंग्लैंड और वेल्स में कंपनी हाउस के साथ पंजीकृत किया गया था। बैंक यूके में बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी ('पीआरए') द्वारा अधिकृत है और वित्तीय आचरण प्राधिकरण ('एफसीए') द्वारा विनियमित है।

कुल जमा राशि 31 मार्च, 2023 के 6644 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 6664 करोड़ रुपये हो गई, जो वर्ष–दर–वर्ष 0.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम 31 मार्च, 2023 के 7572 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 7726 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष–दर–वर्ष 2.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 में, पीएनबीआईएल ने आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएएपी) के अनुसार 90.42 करोड़ रुपये और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुसार 52.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Accordingly, to Leverage its existing infrastructure and expertise, PNBCSL has successfully commenced sourcing for Housing Loans, Vehicle Loans, Education Loans, and CASA products in FY 2023-24.

PNBCSL's geographic footprint grew significantly having 7 Territory offices with a presence in over 50 locations nationwide. This expansion is supported by a team exceeding 400 personnel dedicated to delivering exceptional service to the customers.

PNBCSL played a pivotal role in acquiring customers for the Bank. During FY 2023-24, the Company has served to more than 2.15 Lakh customers, surpassing the 2 Lakh credit card approvals and clocked fresh sanctions of more than Rs.500 Crore in Retail segment.

PNBCSL maintained its profitability trajectory, achieving a net profit after tax of Rs.2.25 Crore for FY 2023-24, demonstrating its continued contribution to the Bank's success.

PNBCSL remains committed to offering high-quality services and expanding its reach to serve a broader customer base.

2. **INTERNATIONAL SUBSIDIARIES**

a. **PNB International Limited (PNBIL):** Punjab National Bank (International) Limited was incorporated in the UK on 13th April, 2006 and registered with the Companies House in England & Wales. The Bank is authorized by the Prudential Regulation Authority ('PRA') and regulated by Financial Conduct Authority ('FCA') to conduct banking Business in UK.

The total deposits increased from Rs. 6,644 Crore as on 31st March, 2023 to Rs. 6,664 Crore as on 31st March, 2024, showing YoY growth of 0.30 per cent. Total advance increased from Rs. 7,572 Crore as on 31st March, 2023 to Rs. 7,726 Crore as on 31st March 2024, showing YoY growth of 2.0 per cent. In the FY 2023-24, PNBIL recorded a Net Profit of Rs. 90.42 Crore as per Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) and Rs.52.46 Crore as per International Financial Reporting Standards (IFRS).

पीएनबीआईएल का मुख्य कारोबार यूके के भीतर भारतीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहकों के विभिन्न वर्गों को वाणिज्यिक और खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इसमें खुदरा और कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों से जमा स्वीकार करना; खुदरा, एसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना; और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं जैसे मुद्रा प्रेषण शामिल है। जमा उत्पादों में मुख्य रूप से चालू, बचत, सावधि जमा और व्यक्तिगत बचत खाते शामिल हैं। इनमें से कुछ उत्पाद जैसे आईएसए (व्यक्तिगत बचत खाते) और सावधि जमा का लाभ यूके में व्यापक ग्राहकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। ऋण देने वाले उत्पादों में रियल एस्टेट ऋण यानी बाय टू लेट– आवासीय, वाणिज्यिक, विकास ऋण और होटल और आतिथ्य, एसएमई को ऋण और एसबीएलसी द्वारा समर्थित सावधि ऋण शामिल हैं।

बी. **ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (डीपीएनबीएल):** ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान, बैंकिंग कंपनी जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थिम्पू, भूटान में है। इसने 27 जनवरी, 2010 को भूटान में देश के चौथे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई और संयुक्त उद्यम दोनों शामिल थे। वर्तमान में, बैंक की देश भर में 9 शाखाएँ और 30 एटीएम हैं।

डीपीएनबीएल का कुल अग्रिम राशि 31 मार्च, 2023 के 1706 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 1914 करोड़ रुपये हो गया, अर्थात वर्ष–दर–वर्ष 12.2 प्रतिशत की वृद्धि।

डीपीएनबीएल की कुल जमा राशि 31 मार्च, 2023 के 2459 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 2590 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात वर्ष–दर–वर्ष 5.3 प्रतिशत की वृद्धि

बैंक का लाभ 31 मार्च, 2023 के 33 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 49 करोड़ रुपये हो गया है। जुलाई 2023 में राइट्स इश्यू के बाद 31 मार्च, 2024 को बैंक की प्रदत्त पूंजी 168 करोड़ रुपये है, जो 31 मार्च 2023 को 84 करोड़ रुपये थी।

3. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** 31 मार्च, 2024 तक, बैंक द्वारा प्रायोजित नौ आरआरबी हैं, अर्थात् दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी), पटना; सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसएचजीबी), रोहतक; हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी); मंडी; पंजाब ग्रामीण बैंक (पीजीबी), कपूरथला; प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (पीयूपीजीबी), मोरादाबाद; असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी), गुवाहाटी; बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (बीजीवीबी), बेरहामपुर; त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (टीजीबी), अगरतला और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी), इंफाल। ये नौ आरआरबी 9 राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश,

PNBIL's main business is to provide commercial and retail banking services to different segments of customers, with a focus on the Indian community within the UK. This includes accepting deposits from both retail and corporate clients; lending to retail, SME, and corporate clients; and transaction banking services such as currency remittances. The deposit products primarily include current, savings, term deposits and Individual Saving Accounts. Some of these products such as ISAs (Individual Savings Accounts) and Fixed deposits are also being availed by a wider audience in the UK. The lending products includes real estate lending i.e., Buy to Let– Residential, Commercial, Development Loans and Hotels & Hospitalities, lending to SME and Term loans backed by SBLCs.

b. **Druk PNB Bank Ltd (DPNBL):** Druk PNB Bank Ltd, Bhutan, Banking Company having its corporate office at Thimphu, Bhutan. It started its operation on 27th January, 2010, in Bhutan as the country's fourth commercial Bank, with a component of both FDI and joint venture in the Banking Sector. Presently, the Bank has 9 branches and 30 ATMs spread across the country.

Total advances of DPNBL increased from Rs.1,706 Crore as on 31st March, 2023 to Rs.1,914 Crore as on 31st March, 2024 i.e. YoY increase of 12.2 per cent.

Total deposits of DPNBL increased from Rs. 2,459 Crore as on 31st March, 2023 to Rs. 2,590 Crore as on 31st March, 2024 i.e. YoY increase of 5.3 per cent.

Profit of the Bank has increased to Rs.49 Crore as on 31st March, 2024 from Rs.33 Crore as on 31st March 2023. Paid up capital of the Bank as on 31st March, 2024 is Rs.168 Crore increased from Rs. 84 Crore as on 31st March 2023 after rights issue in July 2023

3. **REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):** As on 31st March, 2024, there are nine RRBs sponsored by the bank namely Dakshin Bihar Gramin Bank (DBGB), Patna; Sarva Haryana Gramin Bank (SHGB), Rohtak; Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB); Mandi; Punjab Gramin Bank (PGB), Kapurthala; Prathama UP Gramin Bank (PUPGB), Moradabad; Assam Gramin Vikas Bank (AGVB), Guwahati; Bangiya Gramin Vikas Bank (BGVB), Berhampore; Tripura Gramin Bank (TGB), Agartala and Manipur Rural Bank (MRB), Imphal. These nine RRBs are operating in 9 states namely Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal,

पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में 4671 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 185 जिलों को कवर कर रहे हैं।

ए. 31 मार्च, 2024 तक प्रायोजित आरआरबी का कुल कारोबार 2,23,646 करोड़ रुपये है, जो वर्ष–दर–वर्ष 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बी. 31 मार्च, 2024 तक आरआरबी की जमा राशि 1,41,131 करोड़ रुपये थी। कुल जमा में सालाना 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सी. 31 मार्च, 2024 को आरआरबी का अग्रिम 10.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 82,515 करोड़ रुपये रहा।

डी. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआरबी के लिए 9 प्रतिशत सीआरएआर की नियामक आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है। नियामक आवश्यकता से अधिक सीआरएआर प्राप्त करने वाले आरआरबी हैं टीजीबी (24.35 प्रतिशत), पीजीबी (16.47 प्रतिशत), एसएचजीबी (14.87 प्रतिशत), पीयूपीजीबी (13.32 प्रतिशत), बीजीवीबी (12.48 प्रतिशत) और एमआरबी (10.73 प्रतिशत) नियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले आरआरबी डीबीजीबी (2.44 प्रतिशत), एचपीजीबी (8.16 प्रतिशत) और एजीवीबी (8.70 प्रतिशत) हैं। 2 आरआरबी की परिचालन दक्षता के परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में 9 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त करने की उम्मीद है, हालांकि डीबीजीबी के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। केंद्र/राज्य द्वारा पुनर्पूंजीकरण सहायता से सीआरएआर में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इ. प्रायोजित आरआरबी लाभ में हैं (एमआरबी इंफाल को छोड़कर)। 31 मार्च 2024 तक कुल मिलाकर आरआरबी का परिचालन लाभ 2648 करोड़ रुपये रहा।

एफ. आरआरबी ने 31 मार्च, 2024 तक पीएमएमवाई/मुद्रा के तहत संचयी रूप से 2760 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिससे वितरण के लिए 3900 करोड़ रुपये के लक्षित बजट का 70.77 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

XIV. पुरस्कार और प्रशंसा

बैंक के प्रयासों को विभिन्न मंचो पर सराहा गया। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहल के लिए बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है:

1. इंडिया ट्रेजरी समिट एंड अवार्ड्स 2024 द्वारा ट्रेजरी प्रबंधन में नेतृत्व और योगदान के लिए वर्ष के ट्रेजरी रणनीतिकार के लिए पुरस्कार प्रमाण पत्र।

2. डिजिटल सक्षम ग्राहक पेशकश और बिग डेटा एवं एनालिटिक्स जैसे विषयों में प्रथम उपविजेता के साथ EASE सुधार 5.0 के तहत कुल मिलाकर तीसरी रैंक।

Assam, Manipur and Tripura covering 185 districts with a network of 4671 branches.

a. Total Business of sponsored RRBs as on 31st March, 2024 is Rs. 2,23,646 Crore registering a YoY growth of 9.2 per cent.

b. Deposits of RRBs are at Rs. 1,41,131 Crore as on 31st March, 2024. Aggregate Deposits registered a YoY growth of 8.3 per cent.

c. The Advances of the RRBs as on 31st March, 2024 stood at Rs. 82,515 Crore with a YoY growth of 10.7 per cent.

d. As per RBI guidelines it is mandatory for RRBs to meet the regulatory requirement of CRAR of 9 per cent. The RRBs attaining CRAR over and above the regulatory requirement are TGB (24.35 per cent), PGB (16.47 per cent), SHGB (14.87 per cent), PUPGB (13.32 per cent), BGVB (12.48 per cent) and MRB (10.73 per cent). The RRBs having CRAR less than the regulatory requirement are DBGB (2.44 per cent), HPGB (8.16 per cent) and AGVB (8.70 per cent). As an outcome of operational efficiency of 2 RRBs are expected to achieve CRAR of 9 per cent in the next financial year, however more time is needed for DBGB. The recapitalization assistance by Centre/ State will help in improving CRAR.

e. The sponsored RRBs are in profit (except MRB Imphal). Operating profit of RRBs as a whole stood at Rs.2648 Crore as on 31st March, 2024.

f. The RRBs have cumulatively disbursed Rs. 2760 Crore under PMMY/ MUDRA as on 31st March, 2024, achieving 70.77% of targeted budget of Rs 3900 Crores for disbursement.

XIV. AWARDS AND ACCOLADES

The Bank's efforts have been recognized at various platforms. The Bank has been conferred with the following for initiatives taken in various fields for FY 2023-24:

1. Awards Certificate for **Treasury Strategist of the Year** for leadership and contribution to the Treasury Management by Treasury Summit & Awards 2024 by India Treasury Summit & Awards

2. Overall 3rd Rank under EASE Reforms 5.0 with 1st Runners Up in the themes such as Digital Enabled Customer Offerings and Big Data & Analytics.

3. 9वां इनोवेटिव सीआईओ पुरस्कार एवं संगोष्ठी 2024 **ई–बीजी और पीएनबी आरंभ** सीआईओ एक्सिस जैसी 2 परियोजनाओं के लिए।

4. एसोचैम द्वारा 10वें **एमएसएमई उत्कृष्टता** पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक

5. मुंबई में आईबीए और ट्रांसयूनियन (टीयू) सीआईबीआईएल द्वारा आयोजित पीएसबी के महाप्रबंधकों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान 2023–24 के लिए **'वाणिज्यिक ब्यूरो सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता'** का पुरस्कार।

6. सीआरआईएफ इनफोकस सेमिनार के दौरान सीआरआईएफ हाईमार्क द्वारा उपभोक्ता ब्यूरो खंड में **डेटा उत्कृष्टता पुरस्कार**।

7. भारतीय एमएसएमई चैंबर (CIMSME) द्वारा **सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक**।

8. 19वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और पुरस्कार 2023 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए उपविजेता पुरस्कार।

9. अंतर्राष्ट्रीय समावेशन एलायंस की जूरी द्वारा **लिंग समावेशन में उत्कृष्टता पुरस्कार**।

10. महिला सशक्तिकरण में नवीन प्रथाओं के लिए स्कोप मेधावी पुरस्कार 2016–17–प्रशस्ति प्रमाणपत्र।

11. वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को सर्वोच्च प्रतिज्ञा वित्त वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है।

12. भारतीय सेवा उत्कृष्टता सूचकांक (आईएसईआई) कार्यक्रम 2023 में **ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता** के लिए सम्मान। जगदीश शेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (JAGSoM) ने यह सूचकांक पेश किया है।

13. **निम्नलिखित 2 श्रेणियों के तहत आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन पुरस्कारः**

    ए. सर्वश्रेष्ठ डिजिटल चैनल/प्लेटफॉर्म कार्यान्वयनः पीएनबी वन–सुपर ऐप पहल के लिए सर्वोत्तम अपनाए गए उपकरण और अभ्यास।

    बी. सर्वोत्तम लेनदेन बैंकिंग कार्यान्वयन।

14. **'पर्यावरण उत्कृष्टता'** श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 23वां ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023।

15. पीएनबी पलाश परियोजना के तहत 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए 'सीएसआर ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' श्रेणी के तहत 'ग्रीन रिबन चौंपियंस' पुरस्कार।

16. तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2023 के दौरान आयोजित हिंदी दिवस समारोह में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए "राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार"। बैंक की गृहपत्रिका पीएनबी

3. 9th Innovative CIOs Awards & Symposium 2024 for 2 projects such as **e-BG and PNB Aarambh** by CIO Axis.

4. **Best MSME Bank** in 10th MSME Excellence Awards 2024 by ASSOCHAM

5. Award for **"Best Data Quality in Commercial Bureau Segment"** for 2023-24 during the Annual Conference of General Managers of PSBs organized by IBA & TransUnion (TU) CIBIL in Mumbai.

6. **Data Excellence Award** in Consumer Bureau segment by CRIF Highmark during CRIF InFocus Seminar.

7. **Best MSME Friendly Bank** by Chamber of Indian MSME (CIMSME).

8. At the 19th Annual Banking Technology Conference, Expo and Awards 2023 Runner-up award for the Best Fintech and DPI Adoption by Indian Banks' Association (IBA).

9. **Excellence in Gender Inclusion Award** by Jury of International Inclusion Alliance.

10. SCOPE Meritorious Award for innovative Practices in Women Empowerment 2016-17-Commendation Certificate.

11. Warehousing Development and Regulatory Authority has been felicitated for attaining Second position in the category of Public Sector Banks with Highest Pledge Finance.

12. Recognition for **Excellence in Customer Service** at Index of Service Excellence of India (iSEI) Event 2023. Jagdish Sheth School of Management (JAGSoM) has introduced this index.

13. **IBSi Global Fintech Innovation Awards under following 2 categories:**

    a. Best Digital Channel/Platform Implementation: Best Adopted Tools & Practices for the PNB ONE-Super App Initiative.

    b. Best Transaction Banking Implementation.

14. 23rd Greentech Environment Award 2023" for outstanding achievements in "**Environmental Excellence**" category.

15. 'Green Ribbon Champions' award under the category-'CSR Green Initiative of the Year' for planting more than 1 lakh trees under the project PNB Palaash.

16. Rajbhasha Kirti First Prize FY 2022-23 at the Hindi Diwas Celebrations held during Third All India Official Language Conference 2023. Rajbhasha Kirti Second

प्रतिभा को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार।

17. फिनेकल इंडिया बैंकिंग कनेक्ट 2023 में इंफोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2023

ए. ग्राहक जुड़ाव को अधिकतम करना – प्लैटिनम विजेता–पीएनबी वन – सुपर ऐप।

बी. चैनल इनोवेशन – गोल्ड विजेता–ई–ओटीएस।

18. एपीवाई राष्ट्रीय चौम्पियनशिप और वार्षिक लक्ष्य उपलब्धि पुरस्कार

XV. बैंक की भावी कारोबार योजना

जैसे–जैसे हम वित्तीय वर्ष 2024–25 में नई यात्रा शुरू करेंगे, हम ऊंची उड़ान भरते रहेंगे और पहले से बेहतर हासिल करेंगे। बैंक छोटे अग्रिमों और CASA पोर्टफोलियो को बढ़ाकर कारोबार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

विकास और लाभप्रदता हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते रहेंगे। बैंक अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करके, नए बाजारों क्षेत्रों और ग्राहक की खोज करके और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करके वित्तीय जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करेगा।

बैंक निर्बाध ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करते हुए अपनी डिजिटल प्रक्रिया को तेज करेगा। पीएनबी सभी ग्राहकों को व्यक्तिगत वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए एआई–संचालित टूल का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

ग्राहक केंद्रियता उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक होगी जहां बैंक अधिक ध्यान देगा। निरंतर प्रयासों के माध्यम से, पीएनबी नवीन उत्पादों और सेवाओं की पेशकश, कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश और आंतरिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रखेगा।

बैंक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके और संवारने में निवेश करके अपने सभी कर्मचारियों की समग्र वृद्धि और विकास पर पर्याप्त ध्यान देना जारी रखेगा। पीएनबी उड़ान परियोजना का उद्देश्य बैंक के स्व–संचालित कर्मचारियों के माध्यम से परिणाम प्रदान करना है।

वित्त वर्ष 2024–25 सुदृढ़ विकास और परिवर्तन का वर्ष होने का संकेत देता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

XVI. निदेशक मंडल

1. श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक का 14.07.2023 से कार्यकाल समाप्त।
2. श्रीमती उमा शंकर को 14.07.2023. से बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक का कार्यकाल 31.08.2023 को पूर्ण हुआ।

prize for the FY 2022-23 for their in-house magazine PNB Pratibha.

17. Infosys Finacle Innovation Awards 2023 in Finacle India Banking Connect 2023

a. Maximizing Customer Engagement – Platinum winner-PNB One - Super App.

b. Channel Innovation – Gold winner-e-OTS.

18. APY National Championship and Annual Target Achievement Award.

XV. FUTURE BUSINESS PLAN OF THE BANK

As the Bank embarks on new journey in the Financial Year 2024-25, it will continue to soar higher and achieve better than before. The Bank will remain focused on business growth by way of small ticket advances and enhancing CASA portfolio.

Growth and Profitability will continue to drive our approach. The Bank will cater to a wider range of financial needs by expanding its product portfolio, exploring newer markets and customer segments, and optimizing operational efficiency.

The Bank will accelerate its **digital journey** offering seamless online and mobile banking experience. PNB will ensure to utilize AI-powered tools for providing personalized financial solutions to all the customers.

Customer Centricity will be one of the key areas where Bank will pay more attention. Through substantial efforts, PNB will continue to exceed customer expectations by way of offering innovating products and services, investing in employee training and strengthening internal processes.

The Bank will continue to provide adequate attention to overall growth and development of all its employees by investing in training and grooming its people. PNB UDAAN project has been intended to deliver the outcomes by way of self-driven employees of the Bank.

FY 2024-25 promises to be a year of exciting growth and transformation. By focusing on these areas, the Bank will solidify its position in the industry as a leading financial institution.

XVI. BOARD OF DIRECTORS

1. Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, ceased to be director w.e.f. 14.07.2023.
2. Smt. Uma Sankar has been appointed as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f. 14.07.2023.
3. Shri Vijay Dube, Executive Director, completed his tenure on 31.08.2023.

4. श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल 05.10.2023 को पूर्ण हुआ।

5. श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक को 06.10.2023 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।

6. श्री बिभु प्रसाद महापात्र को 09.10.2023 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

XVII.सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक ने (i) बैंक के बोर्ड में वर्कमेन कर्मचारी निदेशक, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, सीए निदेशक और एक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों की रिक्तियों और (ii) 01.04.2023 से 18.07.2023 की अवधि के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमों के गैर–अनुपालन के संबंध में टिप्पणीयाँ की है। हालाँकि, 19.07.2023 से, बोर्ड की ऑडिट समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में है।

XVIII.निदेशक उत्तरदायित्व विवरणी

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में:

1. महत्वपूर्ण विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं;

3. उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया सके।

4. भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई थी, और;

5. लेखाओं को 'कार्यशील संस्था' के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

XIX. आभार

निदेशक मंडल शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों, शुभचिंतकों और अन्य हितधारकों को उनकी सद्भावना, संरक्षण और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड बैंक के परिचालन में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और

4. Shri Gautam Guha, Shareholder Director, completed his tenure on 05.10.2023.

5. Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, has been elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 06.10.2023.

6. Shri Bibhu Prasad Mahapatra has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 09.10.2023.

XVII.SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Secretarial Auditor in the Reports has made observations in respect of (i) vacancies of Workmen Employee Director, Officer Employee Director, CA Director and one Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank and (ii) non-compliance of Securities & Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations & Disclosure Requirements (LODR) Regulations with respect to composition of the Audit Committee of the Board for the period 01.04.2023 to 18.07.2023. However, with effect from 19.07.2023, the composition of the Audit Committee of the Board is in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

XVIII. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2024:

1. The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

2. The accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;

3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended 31st March, 2024.

4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India, and;

5. The accounts have been prepared based on the principle of "going concern".

XIX. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors thank the shareholders, valued customers, well-wishers and other stakeholders for their goodwill, patronage and support.

The Board acknowledges with gratitude for the guidance and support of Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance

विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड ने सभी स्तरों पर बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की भी सराहना की और आशा व्यक्त की कि भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे निरंतर सहभागिता करते रहेंगे।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission, Stock Exchanges and Statutory Central Auditors of the Bank, in the functioning of the Bank.

The Board also placed on record its appreciation for the valuable contribution made by the members of the Bank's staff at all levels and looks forward to their continued involvement in achieving the future goals.

For and on behalf of Board of Directors

Atul Kumar Goel
Managing Director & CEO

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
Management Discussion & Analysis

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

I. उद्योग संरचना एवं विकास

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में युद्धों, कठिन वित्तीय स्थितियों और विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के बीच उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएँ अपेक्षा से बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर रही हैं और यह आने वाले वर्ष के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

वैश्विक मंदी का जोखिम काफी हद तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह से कम हो गया है। हालांकि, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव विश्व अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य में नए खतरे पैदा कर सकते हैं।

अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2023 में वैश्विक विकास दर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तथा उम्मीद है कि 2024 और 2025 में भी यह इसी स्तर पर बनी रहेगी। अमेरिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था में सापेक्षिक मजबूती है, हालांकि कैलेंडर वर्ष 2024 में यूरो क्षेत्र और चीन के सुस्त बने रहने की उम्मीद है।

आईएमएफ के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2023 के 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 3.0 प्रतिशत और 2025 में 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि, यह 4.9 प्रतिशत (2000–2019) की अपनी ऐतिहासिक औसत वृद्धि दर से नीचे है। कुल मिलाकर, वैश्विक मुद्रास्फीति में नरमी और आर्थिक विकास के पूर्वानुमानों में सुधार से गिरावट के रुझान में बदलाव का संकेत मिलता है। हालांकि, लाल सागर में शिपिंग व्यवधान जैसी प्रचालन–तन्त्र संबंधी चुनौतियों ने आशावादी दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला है, और निकट भविष्य में लागत बढ़ा सकती है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है।

उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात का उच्च स्तर भी स्थायी वैश्विक विकास के लिए एक और जोखिम प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में विश्वसनीय राजकोषीय समेकन योजनाएं भविष्य में वैश्विक आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं।

सकारात्मक पक्ष यह है कि मुद्रास्फीति में तेज़ी से कमी आने से वित्तीय स्थितियों में सुधार हो सकता है। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर आशावाद है, क्योंकि अधिकांश केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर लगाम लगा सकते हैं। आईएमएफ के अनुसार, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 के 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति में कमी और स्थिर वृद्धि के साथ, कठिन लैंडिंग की संभावना कम हो गई है, और वैश्विक विकास के लिए जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

धीमे वैश्विक विकास के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत मजबूती और स्थिरता दिखाई है। वित्त वर्ष 2023–24 में अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है (वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान के अनुसार), जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जिसे मजबूत घरेलू मांग और सरकार के नेतृत्व वाले निवेशों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी महत्वाकांक्षा 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है ।

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

I. Industry Structure & Developments

The global economy has displayed remarkable resilience in Financial Year (FY) 2023-24 amidst enduring wars, tight financial conditions and havoc-wreaking climate change. Economies across the world are adapting better than expected and this provides a strong bedrock for the year ahead.

The risk of a global recession has receded, largely because of the strength of the U.S.A. economy. However, mounting geopolitical tensions in West Asia could create fresh near-term hazards for the world economy.

In its latest World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) has estimated global growth at 3.2 per cent in 2023, expecting it to remain at that level in 2024 and 2025. There is relative strength in U.S.A. and Indian economy, though Euro Area and China are expected to remain sluggish in Calendar Year (CY) 2024.

As per IMF, world trade volume growth is projected to rebound from 0.3 per cent in 2023 to 3.0 per cent in 2024 and further to 3.3 per cent in 2025. However, it remains below its historical average growth rate of 4.9 per cent (2000-2019). Overall, moderating global inflation and improving economic growth forecasts suggest a reversal of the downward trends. However, the logistical challenges such as shipping disruptions in the Red Sea cast a shadow over the optimistic outlook, and can raise costs and disrupt supply chains in the near term.

A high level of public debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio in both advanced and emerging economies also presents another risk to sustainable global growth. Thus, credible fiscal consolidation plans, particularly in Advanced Economies (AEs) are warranted to support future global economic recovery.

On the upside, faster disinflation could lead to easing of financial conditions. There is optimism on the inflation front, as most of the Central Banks can rein in inflation. According to IMF, global headline inflation is expected to fall from 6.8 per cent in 2023 to 5.9 per cent in 2024 and 4.5 per cent in 2025. With disinflation and steady growth, the likelihood of a hard landing has receded, and risks to global growth are evenly balanced.

Amidst sluggish global growth, the Indian economy has shown great strength and stability. The economy has grown at 8.2 per cent in FY 2023-24 (as per Provisional Estimates), marking the highest growth rate among major economies, propelled by robust domestic demand and government-led investments. India is currently the 5th largest economy in the world, with ambitions of becoming the 3rd largest by 2027.

अंतर्निहित आर्थिक गति मजबूत बनी हुई है, जो लगातार तीन तिमाहियों से 8+ प्रतिशत की तिमाही वृद्धि द्वारा प्रदर्शित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जिसे मजबूत सरकारी और निजी पूंजीगत व्यय, बढ़ी हुई खपत मांग, कॉर्पोरेट्स और बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से समर्थन प्राप्त है। सभी उच्च आवृत्ति संकेतक मजबूत और निरंतर आर्थिक विकास की ओर इशारा कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) अप्रैल 2024 में 58.8 दर्ज किया गया, जो 2021 की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। अक्टूबर–दिसंबर तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत है। खुदरा मुद्रास्फीति स्थिर हो रही है, जो लगातार आठ महीनों से आरबीआई के 2–6 प्रतिशत के टालरेंस बैंड के भीतर है। 5 अप्रैल, 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 648.56 बिलियन डॉलर के अभी तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वित्तीय क्षेत्र भी सुदृढ़ और अच्छी तरह से पूंजीकृत है।

2023 में, जबकि वैश्विक बैंकिंग संस्थानों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, भारतीय बैंकों ने बहुत लचीलापन दिखाया है। वे अनिश्चित वैश्विक व्यापक आर्थिक माहौल और ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखते हुए रिकॉर्ड स्तर की लाभप्रदता दर्ज कर रहे हैं।

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में सुधार जारी रहा और सितंबर 2023 में आय में सुधार के कारण यह क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

पिछले कुछ वर्षों में बेहतर ऋण देने की प्रथाओं, बेहतर गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) प्रबंधन और उच्च प्रावधान के कारण बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है, सितंबर 2023 तक एससीबी के लिए सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 10 साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर आ गया है। आगे बढ़ते हुए, बेहतर बैलेंस शीट, उच्च प्रावधान और नए जमाने की तकनीकों का उपयोग करके बेहतर ऋण वितरण मानकों के कारण बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है।

सभी बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। सितंबर 2023 के अंत में पूंजी जोखिम–भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 11.5 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर सहित) के विनियामक न्यूनतम के मुकाबले 16.8 प्रतिशत पर उच्च रहा, जबकि सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात 8.0 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर सहित) की विनियामक आवश्यकता के मुकाबले 13.7 प्रतिशत रहा। नवंबर 2023 में, विनियामक ने असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उधार देने पर जोखिम भार को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया। बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर जोखिम भार का प्रभाव लगभग 80–100 बीपीएस होने की उम्मीद है।

अच्छे ब्याज मार्जिन, मजबूत ऋण मांग और कम हानि ने शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) को बढ़ावा दिया। जमा दरों के निरंतर पुनर्मूल्यन के कारण बैंकों को आगे चलकर अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन

The underlying economic momentum remains strong, exhibited by quarterly growth of 8+ per cent for three consecutive quarters. The Reserve Bank of India (RBI) has projected GDP growth at 7.0 per cent for FY 2024-25, supported by robust government and private capital expenditure, enhanced consumption demand, improved financial health of corporates & banks and digitization of the economy. All the high frequency indicators are pointing towards strong and sustained economic growth. Goods and Services Tax (GST) collections crossed the 2-Lakh Crore mark in April 2024. India's manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) was recorded at 58.8 in April 2024, the second strongest expansion since the beginning of 2021. The current account deficit is modest at 1.2 per cent of GDP in the October-December quarter. Retail inflation is stabilizing, staying within RBI's tolerance band of 2-6 per cent for eight consecutive months. Forex reserves rose to an all-time record high of USD 648.56 Billion as on 5th April, 2024. The financial sector is also sound and well capitalized.

In 2023, while global banking institutes faced testing times, Indian banks have shown great resilience. They have held their ground in the face of an uncertain global macroeconomic environment and interest rate volatility, posting record levels of profitability.

As per the Financial Stability Report (FSR) of RBI, the Return on Equity (RoE) and Return on Assets (RoA) of all Scheduled Commercial Banks (SCBs) continued to improve to reach 12.9 per cent and 1.2 per cent respectively, in September 2023, driven by improved earnings.

Banking sector asset quality has significantly improved in the last few years on account of better lending practices, improved Non-Performing Asset (NPA) management and higher provisioning. There has been a steady improvement in asset quality, with the gross non-performing assets (GNPA) ratio for SCBs falling to 10-year low at 3.2 per cent as on September 2023. Going forward, the banking sector's asset quality is anticipated to improve further on account of healthier balance sheets, higher provisioning and improved credit disbursement standards using new-age technologies.

All the banks are adequately capitalized. The capital to risk-weighted asset ratio (CRAR) at end-September 2023 remained high at 16.8 per cent vis-à-vis the regulatory minimum of 11.5 per cent (including capital conservation buffer) while the common equity tier 1 (CET1) ratio stood at 13.7 per cent as against the regulatory requirement of 8.0 per cent (including capital conservation buffer). In November 2023, the regulator increased risk weights on unsecured personal loans and lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with immediate effect. Impact of risk weights on capital adequacy ratio of banks is expected to be around 80-100 bps.

Healthy interest margins, strong credit demand and lower impairments boosted Net Interest Income (NII). Banks are likely to witness pressure on their Net Interest Margin (NIM) going

(एनआईएम) पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही चालू वित्त वर्ष में दरों में बदलाव की उम्मीदों से उधार देने की प्रतिफल पर दबाव कम हो सकता है और इसलिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ब्याज मार्जिन पर दबाव जारी रहने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023–24 बैंक ऋण वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत के दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो उच्च ब्याज दरों के बावजूद मजबूत खुदरा मांग से प्रेरित थी, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा उच्च क्षमता उपयोग के आधार पर कॉर्पोरेट ऋण बही द्वारा समर्थित किया गया था। सेवाओं और खुदरा क्षेत्रों में मजबूत मांग से प्रेरित होकर वित्त वर्ष 2024–25 में ऋण वृद्धि 13–15 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024–25 में बढ़ते सरकारी और निजी पूंजीगत व्यय से भी कॉर्पोरेट ऋण की मांग बढ़ेगी।

बुनियादी ढांचे पर व्यय में वृद्धि, परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन और सुधारों को जारी रखने से बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि तेजी से बढ़ते कारोबार अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों की ओर रुख करेंगे।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 13.5 प्रतिशत (विलय के प्रभाव सहित) की अच्छी वृद्धि के साथ जमा वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि, जमा संचय की धीमी गति से वित्त वर्ष 2024–25 में बैंकों के लिए ऋण विस्तार सीमित होने का संभावित जोखिम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) जमा के मामले में तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति में हैं, जिनका औसत ऋण–जमा कम अनुपात (एलडीआर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए सावधि जमा के मांग जमा में देखा गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 12.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 13.7 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर देखी गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शानदार वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023–24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कारोबार वर्ष दर वर्ष आधार पर 11.6 प्रतिशत बढ़ा है। अग्रिम राशि में भी वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 1.41 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया, जो एक साल पहले 1.05 लाख करोड़ रुपये था।

परिणामस्वरूप, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने मार्च 2022 से अब तक 162 प्रतिशत रिटर्न दिया है, जो इसी अवधि में निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के 24 प्रतिशत रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल बाजार पूंजीकरण मार्च 2021 में 5.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 में 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

महामारी के दौरान, बैंकिंग सेक्टर तरलता अधिशेष में था क्योंकि आर्थिक गतिविधि रुक गई थी और ऋण मांग कम हो गई थी। जैसे–जैसे आर्थिक सुधार की गति बढ़ी, ऋण की मांग बढ़ी और प्रणाली में तरलता कम होने लगी। जबकि तरलता की कमी के कारण अल्पकालिक दरों में उतार–चढ़ाव आया, वित्त वर्ष 2023–24 में दीर्घकालिक दरें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। आगे बढ़ते हुए, आरबीआई से तब तक सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन जारी रखने की उम्मीद की जाती है जब तक कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती।

forward due to continued re-pricing of deposit rates. Simultaneously expectations of a rate reversal in the current fiscal could start a downward pressure on lending yields and hence pressure on interest margins is likely to continue during FY 2024-25.

In FY 2023-24, bank credit growth hit a decadal high of around 16 per cent, driven by strong retail demand despite high interest rates, supported by corporate loan book on the back of higher capacity utilization by the private sector. Credit growth is expected to remain healthy at 13-15 per cent in FY 2024-25, driven by strong demand in the services and the retail segments. Rising government and private capex in FY 2024-25 will also lead to increased demand for corporate credit.

Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth in the banking sector as rapidly growing businesses will turn to banks for their credit needs.

Furthermore, there has been notable progress in deposit growth, with a healthy increase of 13.5 per cent (including the influence of the merger) during FY 2023-24. However, a slower pace of deposit accumulation carries the potential risk of limiting credit expansion for banks in FY 2024-25. Public Sector Banks (PSBs) are comparatively in a stronger position regarding deposits, boasting a lower average of Loan-to-Deposit Ratio (LDR). Term deposits for Scheduled Commercial Banks (SCBs) experienced a faster growth rate of 13.7 per cent compared to the 12.1 per cent growth observed in demand deposits.

The PSBs are posting stellar growth. The business of PSBs grew on YoY basis by 11.6 per cent in FY 2023-24. The Advances also grew by 13.5 per cent on YoY basis. The cumulative profit of all PSBs crossed Rs. 1.41 Lakh Crore mark for FY 2023-24 from Rs. 1.05 Lakh Crore a year ago, recording a growth of around 35 per cent.

As a result, Nifty PSU Bank Index has delivered 162 per cent returns since March 2022, overshadowing the 24 per cent returns of Nifty Private Bank Index over the same period. The aggregate market capitalization of PSBs has increased from Rs. 5.5 Lakh Crore in March 2021 to more than Rs. 16 Lakh Crore in March 2024.

During pandemic, banking sector liquidity was in surplus as economic activity halted and credit demand was muted. As economic recovery gained pace, demand for credit picked up and liquidity in system started to dry up. While liquidity scarcity led to fluctuations in short term rates, long term rates remained relatively stable in FY 2023-24. Going forward, RBI is expected to continue to proactively manage liquidity till inflation in the economy progressively aligns towards the 4 per cent target.

पिछले वर्ष बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। डिजिटल तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने से ग्राहक संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव आया है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म ने निर्बाध लेनदेन, व्यक्तिगत सेवाएँ और वित्तीय उत्पादों तक वास्तविक समय पर पहुँच को सक्षम किया है, जिससे ग्राहक अनुभव और संतुष्टि में सुधार हुआ है। इसके अलावा, डिजिटलीकरण ने अभिनव वित्तीय सेवाओं को वितरित करने के लिए अभिनव फिनटेक समाधानों के एकीकरण, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान की है। जैसे–जैसे डिजिटल परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, बैंक ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने और उद्योग नवाचार में सबसे आगे रहने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

II. अवसर

वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण वृद्धि मजबूत रही और दशक के उच्चतम स्तर दर्ज किया गया और यह प्रवृत्ति वित्त में भी जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2024–25 सभी प्रमुख क्षेत्र अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र मजबूत ऋण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा, कपड़ा, व्यापार और वाणिज्यिक अचल संपत्ति सहित उप–खंड अलग हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि के साथ–साथ व्यक्तिगत ऋणों में निरंतर वृद्धि के साथ ऋण के लिए मध्यम अवधि की संभावनाएं आशाजनक दिखती हैं। केंद्र से राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण से देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ऋण उठाव में वृद्धि होगी। भारत अंतरिक्ष प्रक्षेपणों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित कर रहा है और वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी में पांच गुना वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसकी कीमत 2032 तक 47.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऑटोमोटिव से लेकर अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन से प्रेरित इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग के साथ, भारत में सेमीकंडक्टर्स की मांग 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे ऋण की मांग बढ़ेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 में सामान्य से अधिक मानसून का पूर्वानुमान लगाए जाने के साथ, कृषि ऋणों की मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। वित्त वर्ष 2023–24 के पहले ग्यारह महीनों में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण 20.4 प्रतिशत बढ़कर 20.4 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गया। बेहतर बारिश के पूर्वानुमान के साथ, जून–सितंबर 2024 की अवधि के दौरान कृषि ऋणों में 22–25 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। फसल उत्पादन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण और सावधि ऋण और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी, विशेष रूप से कृषि भंडारण और खाद्य और कृषि प्रसंस्करण के लिए वित्तपोषण के लिए मांग अधिक होने की संभावना है।

इसके अलावा, हाल ही में बड़े बैंकों ने कृषि ऋण के मामले में अधिक चूक का अनुभव किया है। अच्छे मानसून से आगे चलकर स्लिपेज कम होने की उम्मीद है और स्लीपेज अनुपात में सुधार होने की संभावना है। सामान्य से बेहतर मानसून आने वाली तिमाहियों में वाहन

In the last year, banking sector has witnessed a profound transformation driven by digitalization. The widespread adoption of digital technologies has revolutionized customer interactions, streamlining processes and enhancing operational efficiency. Digital banking platforms have enabled seamless transactions, personalized services and real-time access to financial products, thereby improving customer experience and satisfaction. Moreover, digitalization has facilitated the integration of innovative FinTech solutions, fostering collaborations and partnerships to deliver innovative financial services. As the digital landscape continues to evolve, the Bank remains committed to leveraging technology to meet the evolving needs of the customers and stay at the forefront of industry innovation.

II. Opportunities

Credit growth in FY 2023-24 has been robust and recorded decadal highs and the trend is expected to continue in FY 2024-25. All major sectors viz. agricultural, industry and services continue to register robust credit growth. Sub-segments including food processing, infrastructure, textiles, trade and commercial real estate stand out. The medium-term prospects for credit look promising with sustained growth in personal loans along with the anticipated increase in capex spending - both in the government and private sector. The Centre's 50-year interest-free loans to states will boost economic activity in the country and lead to higher credit offtake. Further, the aerospace sector is expected to witness good traction for credit with India opening its space sector to foreign investments. India is attracting Foreign Direct Investment (FDI) in space launches and is aiming for a five-fold increase in its share of the global launch market, which is expected to be worth USD 47.3 billion by 2032. Moreover, with increasing need for electronics driven by the digital transformation across various sectors, from automotives to space to information technology, the demand for semiconductors in India is estimated to reach USD 110 Billion by 2030. This is likely to give a push to manufacturing in the country, thereby generating demand for credit.

With the India Meteorological Department (IMD) forecasting an above-normal monsoon in FY 2024-25, a rise in demand for agricultural loans can be anticipated. In the first eleven months of FY 2023-24, bank loan to agriculture and allied activities rose 20.4 per cent to reach Rs. 20.4 Trillion. With a better rain forecast, a 22-25 per cent growth in agricultural loans is expected during the June-September 2024 period. Demand is likely to be higher on account of working capital requirements for crop production activities, loans for buying farm equipment and term loans and working capital for allied agriculture activities, especially for agriculture storage and financing for food and agro-processing.

Further, large banks had experienced higher delinquencies on part of agricultural credit recently. A good monsoon is expected to lower slippages going ahead and the slippage ratio is set to improve. An above-normal monsoon will accelerate pickup in other types of loans such as vehicle loans and personal loans

ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे अन्य प्रकार के ऋणों में तेजी लाएगा, क्योंकि बेहतर फसल के कारण अधिक आय लोगों को वाहन और घरेलू उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जो निरंतर मांग से प्रेरित होकर कोविड– पूर्व स्तरों को पार कर गई। मार्च तिमाही में, फास्ट–मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) उद्योग ने मूल्य के संदर्भ में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मात्रा में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित थी, जिसमें ग्रामीण भारत ने पांच तिमाहियों में पहली बार शहरी विकास को पीछे छोड़ दिया।

विनिर्माण के मामले में, वित्त वर्ष 2023–24 की चौथी तिमाही में घोषित नई परियोजनाओं के मूल्य में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लगभग 160 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई, जो कि रु. 6.7 लाख करोड़ है। विनिर्माण क्षेत्र में, धातु और धातु उत्पादों में निवेश 621 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मशीनरी में निवेश 599 प्रतिशत बढ़ा। यह आगे चलकर बैंक ऋण के लिए भी अच्छा संकेत होने की संभावना है। अच्छे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, बढ़ता आशावाद, सेवा क्षेत्र से उच्च मांग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मजबूत गति से निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खुदरा और एमएसएमई पुस्तकों में अच्छा रुझान देखा जा रहा है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र भी तेजी से बढ़ने की कगार पर है – अगले कुछ वर्षों में ईवी अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है। भारत की ईवी विनिर्माण क्षमताओं और चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक साझेदारी और निवेश पहले से ही हो रहे हैं और बैंकिंग क्षेत्र को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग के अनुसार , वित्त वर्ष 2025–26 तक दोपहिया ईवी बाजार का आकार 35,000–40,000 करोड़ रुपये जितना बड़ा होने जा रहा है, इस सेगमेंट के लिए ईवी फाइनेंसिंग बाजार 13,000–15,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है ।

पिछले दो वर्षों में, मेटावर्स बैंकिंग उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वर्चुअल बैंकिंग अनुभव के सामान्य होने के साथ, मेटावर्स के साथ उद्योग एक और क्रांति के लिए तैयार है। ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) जैसी तकनीकों का उपयोग करके, बैंक अपने उत्पाद की पेशकश और अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने के तरीके को फिर से नया रूप दे सकेंगे।

इसके अलावा, कई वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सेवा जैसी अपनी पहले से समय लेने वाली मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का लाभ उठा रहे हैं ताकि दक्षता में सुधार हो और परिचालन लागत कम हो। नतीजतन, कई वित्तीय फर्मों ने प्रतिस्पर्धी बने रहने और अधिक लाभप्रदता हासिल करने में मदद के लिए एआई की ओर रुख किया है। एआई चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट के माध्यम से ग्राहक सेवा को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे ग्राहकों की पूछताछ का त्वरित और व्यक्तिगत जवाब मिलता है। चैटबॉट संपर्क केंद्रों, इंटरनेट बैंकिंग आदि जैसे अन्य चैनलों से लोड को कम करके लागत बचत के अलावा ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

भविष्य में, एआई पारंपरिक मॉडलों की जगह ले सकता है और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे वित्तीय संस्थान तेजी से और अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। एआई–संचालित विश्लेषण और पूर्वानुमान मॉडलिंग वित्तीय संस्थानों को जोखिमों का आकलन करने, निवेश के

in the coming quarters, as higher income due to better harvest will encourage people to buy vehicles and home appliances. Also, there are early signs of revival in the rural economy. Two wheeler sales grew by double digits in FY 2023-24, crossing pre-covid levels, buoyed by sustained demand. In March quarter, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) industry reported 6.6 per cent growth in value terms, driven by 6.5 per cent growth in volumes, with rural India surpassing urban growth for the first time in five quarters.

In case of manufacturing, value of new projects announced in Q4 FY 2023-24 saw a sharp growth of almost 160 per cent YoY amounting to Rs. 6.7 Lakh Crore. Within manufacturing, investments in metal and metal products grew 621 per cent, while those in machinery grew 599 per cent. This is also likely to augur well for bank credit going ahead. Healthy corporate balance sheets, rising optimism, higher demand from the services sector and robust momentum in the infrastructure sector are expected to bolster private investments. Retail & MSME books are seeing healthy traction.

Electric Vehicle (EV) sector in the country is also on the verge of witnessing a boom - with EV adoption expected to surge over the next few years. Strategic partnerships and investments aimed at bolstering India's EV manufacturing capabilities and charging ecosystem are already taking place and the banking sector is expected to benefit from it. As per NITI Aayog, the two-wheeler EV market size is going to be as large as Rs. 35,000-40,000 Crore by FY 2025-26, with the EV financing market for this segment expected to touch Rs. 13,000-15,000 Crore.

In the past two years, Metaverse has been gaining traction in the banking industry. With virtual banking experience becoming the norm, the industry is set for another revolution with Metaverse. Using technologies such as Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR), banks will be able to reinvent their product offerings and how they interact with their customers.

Further, many financial institutions are leveraging Artificial Intelligence (AI) to automate and streamline their previously time-consuming manual processes such as fraud detection, risk management and customer service to improve efficiency and reduce operational costs. As a result, many financial firms have turned to AI to help them stay competitive and achieve greater profitability. AI also helps enhance customer service through chatbots and virtual assistants, providing quick and personalized responses to customer inquiries. Chatbots help in improving customer service in addition to cost savings by reducing the load from other channels such as contact centres, internet banking, etc.

Going ahead, AI is likely to replace traditional models and provide real-time data analysis and insights, enabling financial institutions to make quicker and more informed decisions. AI-powered analytics and predictive modelling can help financial

अवसरों की पहचान करने और व्यावसायिक रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा, ग्रीन और सस्टेनेबल बैंकिंग पर नए सिरे से जोर दिया जाएगा, जिसका लक्ष्य संसाधनों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) लक्ष्यों के अनुरूप पहल की ओर निर्देशित करना है। इसमें बैंकों और नवीकरणीय–केंद्रित कंपनियों के बीच कई सहयोग और साझेदारियां शामिल होंगी।

फिनटेक फर्मों के बीच कई साझेदारियाँ और सहयोग भी बैंकिंग उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की संभावना रखते हैं। बैंकिंग–एज़–ए–सर्विस (BaaS) ने फिनटेक को अपने ग्राहकों को कोर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया है। फिनटेक विरासत बैंकिंग बुनियादी ढाँचे के आधार पर उत्पाद बनाने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में सक्षम हैं। फिनटेक बैंकों के लिए एक तकनीकी भागीदार के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिसमें एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव बनाने के लिए फिनटेक से एक अनुकूलित व्हाइट–लेबल समाधान खरीदता है।

इसके अतिरिक्त, भारत कई आर्थिक सहयोग समझौते और व्यापार समझौते कर रहा है, जिनसे अर्थव्यवस्था को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। बाहरी शोध के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत के माल के आयात में 2019 से 2024 के दौरान 38.0 प्रतिशत की सीएजीआर की वृद्धि हुई है, जबकि एफटीए भागीदारों को भारत का निर्यात उसी अवधि के दौरान 14.5 प्रतिशत से बढ़ा है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी ऋण वृद्धि की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

III. संकट

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले वर्ष उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो निरंतर ऋण वृद्धि और मजबूत पूंजी बफर द्वारा समर्थित लाभप्रदता के रिकॉर्ड स्तर पर है। 2024 में, उद्योग सतर्क आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है। स्थिर ब्याज दरें, मजबूत जीडीपी और घटती मुद्रास्फीति से उधार और जमा गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विस्तार के अवसर खुलते हैं। हालाँकि, कुछ जोखिम क्षितिज पर मंडरा रहे हैं।

बैंकिंग प्रणाली के लिए जमा वृद्धि वित्त वर्ष 2023–24 में 13.5 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024–25 में 12–13 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिससे जमा अभिवृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाएगी, खासकर कम लागत वाले चालू खाता बचत खाता (CASA) के लिए) जमा के लिए। धीमी गति से जमा अभिवृद्धि एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करती है और ऋण उठाव के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है। यदि जमा वृद्धि ऋण वृद्धि के अनुरूप नहीं है, तो बैंकों को अन्य स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे मार्जिन और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

जमा वृद्धि में ऋण वृद्धि से धीमी बने रहने की उम्मीद है, जिसके 13–15 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है। सितंबर 2023 से क्रेडिट टू डिपॉजिट (सीडी) अनुपात आम तौर पर 80 प्रतिशत के आसपास मँडरा रहा है। 22 मार्च, 2024 को समाप्त पखवाड़े के लिए,

institutions assess risks, identify investment opportunities and optimize business strategies.

Further, a renewed thrust will be accorded to Green and Sustainable Banking, aiming to direct resources towards initiatives that align with Environment, Social and Governance (ESG) goals. This will entail a number of collaborations and partnerships between banks and renewable-focussed companies.

Several partnerships and collaborations between banks and Fintech firms are also likely to propel the banking industry's growth. Banking-as-a-Service (BaaS) has enabled fintechs to offer the core banking services to their customers. Fintechs are able to build products on the back of the legacy banking infrastructure and enhance customer experience. Fintechs are also acting as a technical partner to banks wherein a bank purchases a customised white-label solution from the fintech to create a seamless experience for its customers.

Additionally, India has been entering into several economic cooperation agreements and trade pacts which are expected to provide a major boost to the economy. India recently signed a Free Trade agreement (FTA) with the European Free Trade Association (EFTA). As per external research, India's imports of goods from countries with which it has a free trade agreement like the UAE, South Korea and Australia has grown by 38.0 per cent from 2019 to 2024 while India's exports to the FTA partners has risen by 14.5 per cent during the same period. This presents immense potential for credit growth for the banking sector as well.

III. Threats

Despite global headwinds, Indian banking sector has displayed notable resilience in the last year marked by record levels of profitability backed by sustained credit growth and robust capital buffers. In 2024, the industry looks forward with cautious optimism. Stable interest rates, a strong GDP and decreasing inflation are expected to have a positive impact on lending and deposit activities. The focus on technology and infrastructure investments opens up opportunities for expansion. However, certain risks loom on the horizon.

Deposit growth for the banking system is expected to slightly moderate to 12-13 per cent in FY 2024-25 from 13.5 per cent in FY 2023-24, further intensifying the competition for deposit accretion, especially for low-cost Current Account Savings Account (CASA) deposits. Deposit accretion at slower pace present a challenging scenario and poses a downside risk to credit offtake. If the deposit growth is not in line with the credit growth, banks may have to borrow from other sources which might hit the margins and profitability.

Deposit growth is expected to continue to lag credit growth that is anticipated to remain around 13-15 per cent. The Credit to Deposit (CD) ratio has been generally hovering around 80 per cent since September 2023. For the fortnight ended 22nd March, 2024, it stood at 80.3 per cent, reaching a decadal high which

यह 80.3 प्रतिशत था, जो एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो मुख्य रूप से बड़े विलय से प्रेरित है। बैंकिंग इकाई. इसे थोक जमा पर ऋणदाताओं की बढ़ती निर्भरता के रूप में भी देखा जा सकता है यदि ग्रैन्यलर जमा में वृद्धि धीमी है। थोक जमा उच्च लागत वाले जमा होते हैं जो प्रकृति से अस्थिर भी होते हैं।

हालांकि, जमाराशि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों से बेहतर स्थिति में हैं। नतीजतन, चुनिंदा निजी बैंक पहले से ही पीएसबी के विपरीत बचत जमा पर बहुत अधिक ब्याज दे रहे हैं, जो पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होने के कारण जमा राशि में ज्यादा बढ़ोतरी से ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंकों के वित्तीय मेट्रिक्स में जो तेजी से सुधार देखा गया, वह वित्त वर्ष 2024–25 में एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने की संभावना है, यह देखते हुए कि वित्त वर्ष 2023–24 में शुद्ध स्लिपेज में गिरावट जारी रही और क्रेडिट लागत कम हो गई। वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार मार्जिन और क्रेडिट लागत पर कुछ दबाव के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने की संभावना है।

जमा दरों के निरंतर पुनर्मूल्यन के कारण बैंकों को अपने एनआईएम पर दबाव देखने की संभावना है। इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष में दरों में उलटफेर की उम्मीद से उधार प्रतिफल पर गिरावट का दबाव शुरू हो सकता है और इसलिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ब्याज मार्जिन पर दबाव जारी रहने की संभावना है।

हालाँकि पीएसबी की आस्ति गुणवत्ता और दबाव परिदृश्य के फिर से उभरने के बारे में चिंता है, बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल–नए एनपीए सृजन में गिरावट का रुझान रहा है और यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। पिछले अनुभव, सुधार उपायों, पूंजीगत व्यय आदि के कारण कॉर्पोरेट बुक आस्ति गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है और स्लिपेज के ग्रैन्यलर बने रहने की संभावना है।

बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ भी बैंकिंग उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं। बैंकों के लिए बढ़ती भू–राजनीतिक अस्थिरता के प्रभावों में जोखिम जोखिम में वृद्धि, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और सीमा पार संचालन के प्रबंधन में चुनौतियां शामिल हैं। भू–राजनीतिक संघर्षों में किसी भी वृद्धि से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव और मुद्रा में उतार–चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा, तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव, जो अक्सर भू–राजनीतिक तनाव से प्रभावित होता है, बैंकों के लिए इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है, क्योंकि वे तेल पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों और क्षेत्रों के लिए निहितार्थ को नेविगेट करते हैं।

प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता बैंकों के साइबर सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाती है, जिसके लिए कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। तेजी से डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी उभरती हुई तकनीकों को लागू करने बैंकों के लिए फ़िशिंग हमले, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं, रैंसमवेयर हमले आदि जैसे कई जोखिम पैदा होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंक की प्रतिष्ठा और ग्राहकों के विश्वास पर असर पड़ता है। बैंकों को तेजी से गतिशील वातावरण में ऐसे उभरते खतरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने की आवश्यकता है।

is mainly driven by a merger of the big banking entity. This can also be seen as increasing lenders' reliance on bulk deposits if growth in granular deposits is slow in picking up. Bulk deposits are high cost deposits which are also volatile in nature.

However, PSBs are better placed in terms of deposits, with average CD ratio lower than private banks. As a result, select private banks are already paying much higher interest for savings deposits unlike PSBs, which, being adequately capitalised, are better positioned to drive credit growth without the need for raising much deposits.

In addition, the rapid improvement in banks' financial metrics, seen over FY 2020-21 to FY 2023-24, is likely to reach an inflection point in FY 2024-25, given that net slippages continued to decline and credit costs trended lower in FY 2023-24. The improving return on assets over FY 2020-21 to FY 2023-24 is likely to reach an inflection point with some pressure on margins.

Banks are likely to witness pressure on their NIM going forward due to continued re-pricing of deposit rates. Simultaneously, expectations of a rate reversal in the next fiscal could start a downward pressure on lending yields and hence, pressure on interest margins is likely to continue during FY 2024-25.

Although there is a concern regarding PSB's asset quality and re-emergence of stress scenario, fresh Gross NPA of the banking system has been on a downward trend which is expected to continue going forward as well. Owing to previous experience, reform measures, capex etc. the corporate book asset quality is expected to hold up and slippages are likely to remain granular.

Rising global economic uncertainties also pose a significant risk for the banking industry. The implications of increasing geopolitical instability for banks include heightened risk exposure, volatility in financial markets and challenges in managing cross-border operations. Any escalation in geopolitical conflicts can lead to disruptions in supply chain, contributing to inflationary pressures and currency fluctuations. Moreover, fluctuations in oil prices, often influenced by geopolitical tensions, further compound these challenges for banks, as they navigate the implications for industries and regions heavily reliant on oil.

Increasing reliance on technology exposes banks to elevated cybersecurity risks, necessitating stringent security measures. Rapid digitization and deploying emerging technologies like Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) pose several risks for the banks such as phishing attacks, data privacy concerns, ransomware attacks etc. This, in turn, has implications for bank's reputation and trust with the customers. Banks need to invest in infrastructure to make themselves ready to face such emerging threats in an increasingly dynamic environment.

आगे बढ़ते हुए, बैंकों को फिनटेक, छोटे वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों आदि सहित अन्य संस्थाओं से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे ग्राहकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके स्तर पर अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता होगी। ग्राहकों की जनसांख्यिकी और अपेक्षाओं में बदलाव बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेहतर डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा और हाइपर–पर्सनलाइज़ेशन प्रदान करना ग्राहक प्रतिधारण की कुंजी साबित होगा।

अंत में, अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन उद्योग के लिए भौतिक और संक्रमण जोखिम भी पैदा करती हैं। इसलिए, बैंकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य के लिए तैयार, जलवायु जोखिम–प्रतिरोधी प्रणालियाँ बनाने की आवश्यकता है।

IV. आउटलुक

बैंक ऋण में वर्ष–दर–वर्ष 13–15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अगले पांच वर्षों के लिए जमा में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 12–13 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि जमा वृद्धि में सुधार हो रहा है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ऋण वृद्धि पिछड़ गई है और इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024–25 में अग्रणी भूमिका निभाने का अनुमान है क्योंकि बैंक अपनी देनदारी को शोर अप करने के लिए और प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जमा वृद्धि में कमी से ऋण उठाव में बाधा न आए। सावधि जमा दर में गिरावट की संभावना के साथ, जमा का कासा जमा की ओर स्थानांतरित होने की उम्मीद है और बैंकों को कासा जमा में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। स्थिर ब्याज दरें, मजबूत जीडीपी वृद्धि और गिरती मुद्रास्फीति ऋण और जमा गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के निवेश पर जोर बैंक ऋण में और वृद्धि के रास्ते बनाता है।

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में सुधार और सार्वजनिक और निजी दोनों पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण कॉरपोरेट ऋण खंड में मांग कम देखी जाएगी। निजी पूंजीगत व्यय योजनाओं में बढ़ोतरी के कारण बैंकों की कॉरपोरेट ऋण में वृद्धि होने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2024–25 की दूसरी छमाही में दर में कटौती की उम्मीदों के कारण बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन में कमी आने की उम्मीद है, हालांकि, सौम्य क्रेडिट लागत और कम परिचालन व्यय सहायता प्रदान करेंगे। क्रेडिट वृद्धि और लाभप्रदता मेट्रिक्स अच्छे बने रहने की उम्मीद है।

आगे चलकर, पीएसबी को स्थिर मार्जिन, नियंत्रित ओपेक्स, मध्यम ट्रेजरी लाभ और सौम्य क्रेडिट लागत के कारण स्वस्थ आय वृद्धि की रिपोर्ट करने का अनुमान है। ओपेक्स में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि वेतन संबंधी प्रावधान वित्त वर्ष 2023–24 की तीसरी तिमाही में किए गए थे। बॉन्ड यील्ड में गिरावट और पूंजी बाजारों में उछाल के कारण ट्रेजरी का प्रदर्शन मजबूत रहने की संभावना है।

आस्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है और इसके नीचे की ओर जारी रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023–24 को समाप्त नौ महीनों के लिए बैंकिंग उद्योग ने जीएनपीए में 1.9 प्रतिशत की गिरावट देखी (वित्त वर्ष 2019–20 में 5.4 प्रतिशत से), जो मजबूत आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। पीएसबी ने अपने जीएनपीए को वित्त वर्ष 2021–22 के 7.4 प्रतिशत से लगभग आधा

Going forward, banks will also face competition from other entities including Fintechs, small finance banks, payment banks etc. necessitating adaptability and innovation at their end to meet the expectations of customers and other stakeholders. Changing customer demographics and expectations pose a major challenge for banks. Providing excellent service and hyper-personalization via improved data analytics will prove to be the key to customer retention.

Finally, unprecedented climate events also pose physical and transition risks to the industry. Therefore, banks need to build future ready, climate risk-resilient systems to mitigate the impact of climate change.

IV. Outlook

Bank credit is expected to grow in the range of 13-15 per cent year-on-year (YoY), while deposits are expected to grow 12-13 per cent YoY in FY 2024-25. Deposit growth, although improving has lagged credit growth for FY 2023-24 and consequently is anticipated to play a leading role in FY 2024-25 as banks take further efforts to shore up their liability franchise and ensure that lagging deposit growth does not constrain the credit offtake. With likely decline in Fixed Deposits rate, deposit base is expected to shift towards CASA deposits and banks might see healthy uptick in CASA deposits.

The banking sector is expected to continue its healthy performance. Stable interest rates, robust GDP growth and declining inflation could positively influence lending and deposit activities. The emphasis on technology and infrastructure investments creates avenues for further growth in bank credit.

The corporate lending segment will continue to see a healthy pick-up in demand, due to rising working capital requirement and a push in both public and private capex. Increase in private capex plans is expected to augment banks' corporate lending growth.

Banks' net interest margins are expected to compress on expectations of a rate cut in the second half of FY 2024-25, however, benign credit costs and lower operating expenses would provide support. Credit growth and profitability metrics are expected to continue to remain healthy.

Going ahead, PSBs are anticipated to report healthy earnings growth owing to stable margins, controlled opex, moderate treasury gains and benign credit cost. Opex is expected to decrease, as wage-related provisions were made in Q3 FY 2023-24. Treasury performance is likely to remain robust, supported by a decline in bond yields and buoyant capital markets.

Asset quality is showing marked improvement and is likely to continue on its downward trajectory. For the nine months ended FY 2023-24, the banking industry saw a drop in GNPA to 1.9 per cent (from 5.4 per cent in FY 2019-20), marking robust asset quality improvement. PSBs nearly halved their GNPAs to

घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया, जबकि निजी बैंकों ने एनपीए को उद्योग के औसत से 2.0 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा, जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। संपत्ति की गुणवत्ता में चल रहा सुधार नियंत्रित फिसलन के साथ जारी रहने की उम्मीद है, जो मजबूत वसूली, उन्नयन और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की बिक्री से पूरक है, जिससे आस्ति गुणवत्ता अनुपात में वृद्धि होगी। स्वस्थ पीसीआर और एसएमए पूल में उल्लेखनीय कमी क्रेडिट लागत के लिए अच्छा संकेत है।

V. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

बैंक के प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. संसाधन जुटाना

बैंक की घरेलू जमा राशि मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर 13,33,365 करोड़ रुपये हो गई। बचत जमा बढ़कर 4,80,298 करोड़ रुपये हो गई, जबकि कासा बढ़कर 5,52,499 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2024 के अंत तक घरेलू जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी 41.44 प्रतिशत थी।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में खुदरा बैंकिंग उत्पाद बैंक की व्यावसायिक वृद्धि को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंक ने सहायक उत्पादों की पहचान की है और इस खंड के तहत अधिक कारोबार जुटाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्राहक विशिष्ट खंड अर्थात पीएनबी पावर बचत खाते (महिलाओं के लिए) के अंतर्गत जमा राशि 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 11,840 करोड़ और पीएनबी रक्षक में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर 2,391 करोड़ रुपये हो गई।

इसके अतिरिक्त, बचत जमा योजना उन्नति को भी एक सहायक उत्पाद के रूप में पहचाना गया है, जहां जमा 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 3,72,747 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2023–24 में नई योजनाएं:

बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नलिखित नई जमा योजनाएं शुरू की हैं:

ए. **पीएनबी विशेषज्ञ चालू खाता योजना:** एक खंड केंद्रित योजना बैंक को लक्षित खंड के लिए समर्पित विपणन अभियान चलाने में मदद करती है। ऐसे में पेशेवरों के लिए "पीएनबी एक्सपर्ट करंट अकाउंट (सीएईएक्सपी)" नामक एक नई चालू खाता योजना शुरू की गई है। यह योजना एक विशेष बैंकिंग पेशकश है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, लागत लेखापरीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, इंटीरियर डिजाइनर और फैशन डिजाइनर जैसे पेशेवरों की विशिष्ट वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फील्ड टीम के लिए उत्पाद को लक्षित खंड तक पहुंचाना भी आसान हो जाता है क्योंकि योजना का नाम और विशेषताएं ग्राहकों के अनुरूप होती हैं।

3.7 per cent in 9M FY 2023-24 from 7.4 per cent in FY 2021-22, while private banks maintained NPAs below industry average at 2.0 per cent, indicating improvement in their fiscal health. The ongoing improvement in asset quality is expected to continue, with controlled slippages, complemented by robust recoveries, upgrades and sales to the National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL), which will enhance asset quality ratios. Healthy PCR and a significant reduction in the SMA pool bode well for credit costs.

V. Segment-wise or Product-wise Performance

The performance of major business segments of the Bank is analyzed below:

1. Resource Mobilization

The Domestic deposits of the Bank increased to Rs. 13,33,365 Crore as at end of March 2024. Savings deposits increased to Rs. 4,80,298 Crore, while CASA increased to Rs. 5,52,499 Crore. The share of CASA deposit to Domestic deposit stood at 41.44 per cent as at end of March 2024.

In the current banking scenario of mounting competition, Retail banking products play a major role in enhancing the business growth of the Bank. In order to remain competitive, the Bank has identified anchor products and special focus is given to mobilize more business under the segment. The deposit under customer specific segment viz. PNB Power savings account (for women) increased to Rs. 11,840 Crore with a YoY growth of 20 per cent and PNB Rakshak increased to Rs. 2,391 Crore with a YoY growth of 14 per cent.

Further, Savings Deposit scheme Unnati has also been identified as an anchor product, where the deposit increased to Rs. 3,72,747 Crore registering a YoY growth of 4 per cent.

New Schemes in FY 2023-24:

Bank has launched following new deposit schemes for various segments of the society:

a. **PNB Expert Current Account Scheme:** A segment focussed scheme helps the Bank in running dedicated marketing campaigns for the targeted segment. As such a new Current Account scheme for Professionals titled as "PNB Expert Current Account (CAEXP)" has been introduced. The scheme is a specialized banking offering designed to cater to the unique financial needs of professionals such as Chartered Accountants, Company Secretaries, Doctors, Architects, Lawyers, Cost Accountants, Valuers, Interior Designers & Fashion Designers. It also becomes easier for the field team to pitch the product to the targeted segment as the name of the scheme and features are aligned to the customers.

बी. **पीएनबी प्रगति चालू खाता योजना:** आकांक्षी ग्राहकों को 'प्रगति चालू खाता योजना' की पेशकश की जा रही है, जो उन आकांक्षी ग्राहकों के लिए बनाई गई है जिनके कारोबार में वृद्धि हो रही है और वे बढ़ी हुई सुविधाओं और मुफ्त सुविधाओं का लाभ पाने के लिए उच्च मासिक औसत शेष बनाए रखने के इच्छुक हैं। वह खाता जो उनके कारोबार के लिए उपयुक्त होगा।

सी. **चालू खाता संग्रह योजना:** आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं द्वारा संग्रह खाता खोलने के निर्देश शामिल हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, 'चालू खाता संग्रहण योजना' (सीएसीओएल) नामक एक नया उत्पाद पेश किया गया है।

डी. **भारत क्यूआर कोड के लिए साउंडबॉक्स (पीएनबी ई–स्वर):** भारत क्यूआर कोड डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) से जुड़े मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए मर्चेंट के स्थान पर प्रदर्शित एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है। बैंक ने व्यापारियों के स्थानों पर साउंडबॉक्स डिवाइस (पीएनबी ई–स्वर) पेश किया है, जहां भारत क्यूआर कोड जारी किए जाते हैं या डिजिटल लेनदेन के लिए आवश्यक होते हैं जो हर सफल लेनदेन पर तत्काल ऑडियो अधिसूचना प्रदान करते हैं।

ई. **प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) और भारत क्यूआर (बीक्यूआर) बिजनेस में डू–इट–योरसेल्फ (डीआईवाई) सुविधा:** व्यापारी के बैंकिंग अनुभव को बढ़ाने और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए, पीओएस और बीक्यूआर के लिए डू–इट–योरसेल्फ सुविधा पीएनबी के माध्यम से वन एप्लिकेशन और बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पेश की गई है। व्यापारी शाखा में आए बिना ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन पूरा करने में सक्षम होगा और मर्चेंट के स्थान पर पीओएस/बीक्यूआर स्थापित किया जाएगा।

2. क्रेडिट परिनियोजन और वितरण

बैंक का सकल वैश्विक अग्रिम मार्च 2024 में 9,83,325 करोड़ रुपये रहा जिसमें वर्ष दर वर्ष 11.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्वीकृतियों का एक बड़ा हिस्सा बाह्य रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर वाले नए कॉरपोरेट स्वीकृतियों की है। इसी तरह, बैंक ने अपने सीडी अनुपात को 31 मार्च, 2023 के 69.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 को 71.8 प्रतिशत कर दिया है।

कॉरपोरेट क्रेडिट की दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना एक विशेष क्रेडिट डिलीवरी संरचना है जो सुसंगत और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित क्रेडिट डेस्क से सुसज्जित है। यह संरचना तीन स्तंभों अर्थात ग्राहक एक्स्टसी समय पर डिलीवरी और उचित ऋण प्रथाओं को बढ़ाकर ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। 2 स्तरीय संरचना को देश के विभिन्न हिस्सों में खोली गई 2 अतिरिक्त बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (ईएलसीबी) और 13 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं (एलसीबी) द्वारा पूरा किया जा रहा है। ये 15 ईएलसीबी/एलसीबी कुल घरेलू ऋण का लगभग 46.42 प्रतिशत का योगदान करती हैं।

b. **PNB Pragati Current Account Scheme:** Aspirational customers are being offered the "Pragati Current Account Scheme", curated for the aspirational customers whose businesses are growing and they are willing to maintain a higher monthly average balance to get the benefit of enhanced features and freebies in the account that will be suitable for their business.

c. **Current Account Collection scheme:** Guidelines issued by RBI includes directions for opening of collection account by borrowers availing credit facilities from banking system. To facilitate this, a new product titled "Current Account Collection scheme" (CACOL) has been introduced.

d. **Soundbox for Bharat QR Code (PNB E-Swar):** Bharat QR Code is a Quick Response code displayed at the merchant location to accept digital payments towards sale of goods or services to customers through use of mobile applications linked to Debit Card/Credit Card & Unified Payments Interface (UPI). The Bank has introduced Soundbox device (PNB E-Swar) at merchant location where Bharat QR codes are issued or required for digital transactions which provide immediate audio notification on every successful transaction.

e. **Do-it-Yourself (DIY) journey in Point Of Sale (POS) & Bharat QR (BQR) Business:** In order to enhance merchant's banking experience and to speed up the merchant onboarding process, Do-it-Yourself journey for POS & BQR through PNB ONE application and Bank's corporate website has been introduced. The merchant will be able to complete the onboarding online without visiting branch and POS/BQR shall be installed at merchant location.

2. Credit Deployment and Delivery

Gross Global Advances of the Bank stood at Rs. 9,83,325 Crore in March 2024 registering a YoY growth of 11.15 per cent. Fresh Corporate Sanctions with external rating 'A' and above formed a major part of the sanctions. Similarly, Bank has improved its CD Ratio to 71.8 per cent as on 31st March, 2024 from 69.1 per cent as on 31st March, 2023.

Two tier organisational structure of Corporate Credit is a specialised Credit Delivery Structure equipped with dedicated Credit desks ensuring consistent and responsible lending practices. The structure is functioning to meet the customer expectation by augmenting three pillars viz; Customer Ecstasy, Timely delivery and Fair Lending Practices. The 2 tier structure is being catered by 2 Extra Large Corporate Branches (ELCBs) and 13 Large Corporate Branches (LCBs), opened in different parts of the country. These 15 ELCBs/LCBs constitute approx. 46.42 per cent of total domestic credit.

3. **रिटेल ऋण**

कोविड–19 काल के बाद पिछले 2–3 वर्षों के दौरान रिटेल आस्ति कारोबार में काफी वृद्धि देखी गई है। आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार, बढ़ते मध्यम वर्ग, शहरीकरण, बढ़ती प्रयोज्य आय, उत्पाद के प्रसार के लिए तकनीकी नवाचार, वृहद स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल, जबकि सूक्ष्म स्तर पर, उत्पाद भेदभाव, विपणन रणनीतियों, डिजिटल चैनल की शुरूआत से विकास को गति मिली है। रिटेल ऋण के लिए, विशेष कार्यक्षेत्रों के कार्यान्वयन, क्रॉस सेलिंग अवसरों आदि ने विकास की कहानी में योगदान दिया है। क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों में सुधार के कारण रिटेल आस्तियों में चूक नियंत्रण में है और इसमें कमी आ रही है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक का कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर 2,22,574 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वार्षिक आधार पर 12.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से वित्त वर्ष 2023–24 में कोर रिटेल ऋण बढ़कर 1,58,246 करोड़ रुपये हो गया है, जो वर्ष–दर–वर्ष 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, कोर रिटेल ऋण पोर्टफोलियो के भीतर, हाउसिंग लोन रु. 81,863 करोड़ रुपये से बढ़कर 93,694 करोड़ रुपये, वाहन ऋण 16,478 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,692 करोड़ रुपये हो गया। व्यक्तिगत ऋण 18,152 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,766 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वर्ष–दर–वर्ष क्रमशः 14.5 प्रतिशत, 25.6 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नई पहल,

ए. बैंक लगातार विभिन्न रिटेल आस्ति उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ–साथ ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।

बी. समग्र रिटेल आस्ति पोर्टफोलियो में होम लोन के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए केंद्रित और समर्पित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सी. शिक्षा ऋण योजना के तहत बड़े ऋण को बढ़ाने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

डी. कार डीलरों, होम बिल्डर्स, मार्केटिंग एसोसिएट (एमए), मार्केटिंग कंसल्टेंट (एमसी), रिटेल ऋण काउंसलर (आरएलसी) जैसे लीड सोर्सिंग चैनलों के साथ टाई–अप और हैंडहोल्डिंग में वृद्धि और संपत्ति खोज साइटों के उपयोग ने रिटेल ऋण लीड के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित किया है।

ई. पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल), बैंक की सहायक कंपनी, को देश भर से गृह ऋण, कार ऋण और शिक्षा ऋण लीड प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है और इन लीडों को संसाधित करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत पीएनबी लोन प्वाइंट (पीएलपी) स्थापित किया गया है।

एफ. होम लोन (प्राथमिकता क्षेत्र) के तहत सह–उधार के व्यवसाय में उतरने के लिए एनबीएफसी के साथ एक व्यवस्था की गई है।

3. **Retail Credit**

Retail assets business has witnessed considerable growth during past 2-3 years after COVID-19 era. The growth has been fuelled by consistent improvement in economic condition, rising middle class, urbanization, rising disposable income, technical innovation for dissemination of product, competitive environment at macro level, whereas at micro level, product differentiation, marketing strategies, launch of digital channel for retail loan, implementation of specialized verticals, cross selling opportunities etc. have contributed to the growth story. Delinquency in retail assets are under control and receding on account of improving credit underwriting standards.

During the FY 2023-24, Total Retail Credit portfolio of the Bank increased to Rs. 2,22,574 Crore registering a robust YoY growth of 12.6 per cent. Out of this, the Core Retail Credit has increased to Rs 1,58,246 Crore in FY 2023-24 showing a YOY growth of 15.2 per cent.

Further, within the Core Retail Credit portfolio, Housing Loan increased to Rs. 93,694 Crore from Rs 81,863 Crore, Vehicle loan increased to Rs. 20,692 Crore from Rs. 16,478 Crore and Personal loan was at Rs. 20,766 Crore from Rs. 18,152 Crore registering YOY growth of 14.5 per cent, 25.6 per cent and 14.4 per cent respectively.

New Initiatives

a. The Bank is continuously offering competitive features as well as rate of interest for various retail asset products.

b. Focused & dedicated approach to increase portfolio of home loan in overall retail asset portfolio has been adapted.

c. Distinctive approach is being pursued for increasing big ticket loan under education loan scheme.

d. Increased tie-up and handholding with lead sourcing channels such as Car dealers, Home builders, Marketing Associate (MA), Marketing Consultant (MC), Retail Loan Counsellors (RLC) and usage of property search sites has led to uninterrupted flow of retail loan leads.

e. PNB Cards & Services Limited (PNBCSL), a subsidiary of the Bank, has been roped in to source home loan, car loan and education loan leads from across country and a dedicated centralized PNB Loan Point (PLP) has been set up for processing these leads.

f. An arrangement with NBFCs has been done to venture into business of co-lending under home loan (Priority sector).

जी. रिटेल ऋण लीड की सोर्सिंग और कॉर्पोरेट संस्थानों, होम बिल्डरों आदि के साथ गठजोड़ की सुविधा के लिए देश भर में 57 समर्पित ग्राहक अधिग्रहण केंद्र (सीएसी) स्थापित किए गए हैं।

एच. कामकाजी महिलाओं को प्रसवकालीन अवधि के लिए लंबी पुनर्भुगतान अवधि के साथ व्यक्तिगत ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना पीएनबी मातृत्व शुरू की गई है।

डिजिटल पहल

ए. डिजी होम, होम लोन उत्पाद पेश करने का एक डिजिटल तरीका, अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह उत्पाद डिजिटल रूप से ऑनलाइन, पेपरलेस और निर्बाध होम लोन प्रदान करता है।

बी. पीएनबी स्वागत, एक डिजिटल रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत ऋण उत्पाद, अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह उन ग्राहकों को (जो बैंक में नए हैं) व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए संवितरण तक शुरू से अंत तक की यात्रा प्रदान करता है।

सी. डिजी कार, फिर से कार ऋण के लिए एक डिजिटल चैनल, ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार कार ऋण प्राप्त करने में आसानी प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था।

डी. एप्लिकेशन 'पीएनबी आरंभ' लॉन्च किया गया, जो तुरंत, बाहर के वातावरण में बैंक का ग्राहक बनाने की सुविधा प्रदान करता है और उन्हें उनके द्वारा दी गई कुछ न्यूनतम जानकारी के आधार पर रिटेल आस्ति उत्पादों की पेशकश करता है।

ई. मौजूदा ग्राहकों के लिए एक नई ऋण योजना डिजिटल पर्सनल लोन शुरू की गई थी, जिन्होंने होम लोन/कार लोन/एजुकेशन लोन/पर्सनल लोन का पूरा भुगतान कर दिया है।

4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

सामाजिक बैंकिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, बैंक ने इस वर्ष भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को पार कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है और इस क्षेत्र को वित्त प्रदान करके इस विकास में बैंक का बड़ा योगदान है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र, कृषि और उप–क्षेत्रों की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:–

g. 57 dedicated Customer Acquisition Centers (CACs) have been set up across the country for sourcing retail loan leads and facilitating tie-up with corporate institutions, home builders, etc.

h. A new scheme PNB Matritva has been launched for providing financial assistance through Personal Loan with longer repayment period for working women during perinatal period.

Digital initiatives

a. Digi Home, a digital way of offering home loan product, was launched in October 2023. The product offers online, paperless and seamless home loan digitally.

b. PNB Swagat, a digitally available personal loan product, was launched in October 2023. It provides end to end journey till disbursement for personal need to customers, who are new to bank.

c. Digi car, again a digital channel for car loan, was launched in March 2024 to facilitate customers with ease of availing car loan at their convenience.

d. An application "PNB Aarambh" was launched to facilitate acquiring of customers on-the-go, outside branch environment and provisionally offer them with Retail Asset Products based on certain minimum information given by them.

e. A new loan scheme digital personal loan was launched for existing customers, who have fully repaid Home loan/Car Loan/Education Loan/Personal Loan.

4. Priority Sector

Shouldering the responsibility of social banking, the Bank has surpassed all the Priority Sector (PS) goals this year. As per the Economic Survey 2022-23, the agriculture sector in India has grown at an average annual growth rate of 4.6 per cent during the last six years. The Bank has major contribution in this development by providing finance to the sector.

The outstanding position of Priority Sector, Agriculture and sub-sectors as on 31st March, 2024 on quarterly average basis is as under:

राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या (संख्या)	31.03.2024 (राशि)	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य	निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की उपलब्धि का %
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	73,96,431	3,33,011	40.00%	40.57%
जिसमें से:				
कृषि क्षेत्र	51,37,208	1,49,925	18.00%	18.27%
छोटे और सीमांत किसान	42,19,336	82,808	10.00%	10.09%
सूक्ष्म उद्यम	15,26,360	66,943	7.50%	8.16%
कमजोर वर्ग	52,51,053	1,11,402	12.00%	13.57%

वित्त वर्ष 2023–24 की प्रदर्शन हाइलाइट्स

ए. मार्च 2024 तक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण 3,33,011 करोड़ रुपये रहें। एएनबीसी को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का प्रतिशत 40.00 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 40.57 प्रतिशत है।

बी. मार्च 2024 तक कृषि क्षेत्र (पीएस) को ऋण 1,49,925 करोड़ रुपये रहे। एएनबीसी को कृषि अग्रिम 18.00 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य मुकाबले प्रतिशत 18.27 प्रतिशत है।

सी. मार्च 2024 तक छोटे/सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) को ऋण 82,808 करोड़ रुपये रहे। एएनबीसी एसएफ/एमएफ किसानों को अग्रिम का 10.00 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य मुकाबले में प्रतिशत 10.09 प्रतिशत है।

डी. मार्च 2024 तक सूक्ष्म (पीएस) उद्योगों को ऋण 66,943 करोड़ रुपये थे। माइक्रो (पीएस) उद्योगों को एएनबीसी के लिए अग्रिम का प्रतिशत 7.50 प्रतिशत के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले 8.16 प्रतिशत है।

ई. मार्च 2024 तक कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम राशि 1,11,402 करोड़ रुपये रहे। एएनबीसी के 12.00 प्रतिशत के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 13.57 प्रतिशत है।

भारत सरकार समय–समय पर किसानों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। केसीसी संतृप्ति अभियान फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2020 में आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाएं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का प्रधान मंत्री औपचारिककरण ने कृषि ऋण और फसल कटाई से पहले और बाद के प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यीकरण और वित्तपोषण में बैंकों की मदद की है। चूँकि, ये सभी योजनाएँ कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा हैं, इनसे प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिली है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आदि जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

Achievement of National Goals

(Amount in Rs. Crore)

Sector	No. of Beneficiaries (Nos.)	31.03.2024 (Amount)	PSL Target	% Achievement to Adjusted Net Bank Credit (ANBC)
Priority Sector	73,96,431	3,33,011	40.00%	40.57%
Out of which:				
Agriculture Sector	51,37,208	1,49,925	18.00%	18.27%
Small & Marginal farmers	42,19,336	82,808	10.00%	10.09%
Micro entp.	15,26,360	66,943	7.50%	8.16%
Weaker Sections	52,51,053	1,11,402	12.00%	13.57%

Performance Highlights of FY 2023-24

a. Credit to Priority Sector stood at Rs. 3,33,011 Crore as on March 2024. The percentage of Priority Sector Advances to ANBC is 40.57 per cent as against the prescribed National Goal of 40.00 per cent.

b. Credit to Agriculture (PS) sector stood at Rs. 1,49,925 Crore as on March 2024. The percentage of Agriculture Advances to ANBC is 18.27 per cent against the prescribed National Goal of 18.00 per cent.

c. Loans to Small/Marginal Farmers (SF/MF) stood at Rs. 82,808 Crore as on March 2024. The percentage of advances to SF/MF farmers to ANBC is 10.09 per cent as against the prescribed National Goal of 10.00 per cent.

d. Credit to Micro (PS) Enterprises stood at Rs. 66,943 Crore as on March 2024. The percentage of advance to Micro (PS) Enterprises to ANBC is 8.16 per cent as against the prescribed National Goal of 7.50 per cent.

e. Advances to Weaker Section stood at Rs. 1,11,402 Crore as on March 2024. The achievement is 13.57 per cent as against National goal of 12.00 per cent of ANBC.

Government of India is launching various programmes for the benefit of farmers from time to time. KCC Saturation campaign was launched in February 2020. Govt. of India has also launched various schemes under Atma Nirbhar Bharat package in 2020. The schemes like Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) and Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) has helped Banks in targeting and financing under various activities under Farm credit and pre & post-harvest management. Since all these schemes are part of Agriculture and priority sector, these have helped in achieving Priority Sector targets also. In addition to this various other programmes like National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), etc. are also helping in increasing the Priority sector advances.

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार कृषि बुनियादी ढांचा निधि के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस योजना के अंतर्गत 62,625 परियोजनाओं के साथ कुल 31,270 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से पीएनबी ने 31 मार्च, 2024 तक 4,728 परियोजनाओं को 4,458 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

केसीसी सुविधा का लाभ उठाने के दायरे में सभी किसानों को लाने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने 1 फरवरी, 2020 से केसीसी–संतृप्ति अभियान शुरू किया। 31 मार्च, 2024 तक केसीसी–संतृप्ति के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत कुल खाते 15,74,093 खातों में 23,751 करोड़ रुपये की राशि है।

कृषि ऋण बढ़ाने की रणनीतियाँ

ए. कृषि निवेश ऋण

i. भौगोलिक क्षमता के आधार पर पहचाने गए क्षेत्रों में चावल मिलों (पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में), दाल मिलों, आटा और खाद्य तेल (राजस्थान जैसे राज्यों में) आदि जैसी **खाद्य और कृषि प्रसंस्करण** इकाइयों को वित्तपोषित करना। इसके अलावा, बैंक इस खंड के तहत नए कारोबार जुटाने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए क्लस्टर–आधारित पद्धति का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी ब्याज दर (आरओआई) भी प्रदान कर रहा है।

ii. **कृषि अवसंरचना** जैसे कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, ग्रामीण गोदाम, गोदाम आदि।

iii. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ):** योजना के तहत पात्र गतिविधियों में डेयरी प्रसंस्करण इकाइयां, मांस प्रसंस्करण इकाइयां आदि शामिल हैं।

iv. **पीएमएफएमई (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण) के तहत वित्तपोषण:** सूक्ष्म उद्यमों के लिए छोटे टिकट–आकार के अग्रिमों को योजना के तहत कवर किया गया है।

v. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत वित्तपोषण:** इस योजना का उद्देश्य चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ छोटे जुगाली करने वालों, पोल्ट्री और सुअर पालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन हासिल करना है।

बी. कृषि स्वर्ण ऋण

i. स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष गोल्ड लोन सेल का गठन किया गया है।

ii. बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लीड जनरेशन की खोज कर रहा है।

iii. दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाया गया है।

iv. अधिकृत शाखाओं में गोल्ड सेफ सोने की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

To ensure certainty of returns to the farmers through price support, promote crop diversification and improve market infrastructure, Government is focussing on investment in infrastructure facilities through Agriculture Infrastructure Fund.

62,625 projects with aggregate sanction of Rs. 31,270 Crore were financed under the scheme, out of which PNB sanctioned 4,728 projects amounting Rs. 4,458 Crore upto 31st March, 2024.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

In order to bring all the farmers under the ambit of availing KCC facility, Government of India (GOI) launched KCC-Saturation drive w.e.f. 1st February, 2020. The total accounts sanctioned by the Bank till 31st March, 2024 under KCC-Saturation is 15,74,093 accounts amounting to Rs. 23,751 Crore.

Strategies to enhance Agriculture Credit

a. Agriculture Investment Credit

i. **Financing Food & Agro processing** units like Rice Mills (in States like West Bengal, Chhattisgarh, Punjab), Dal Mills, Atta and Edible Oil (in States like Rajasthan), etc., in identified areas based on the geographical potential. Further, the Bank is also providing competitive Rate of Interest (ROI) using cluster-based methodology for specific geographical areas to garner fresh business under the segment.

ii. **Agriculture Infrastructure** like Cold storage units, Rural Godowns, Warehouses, etc.

iii. **Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF):** The activities eligible under the scheme includes Dairy Processing Units, Meat Processing Units, etc.

iv. **Financing under PMFME (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises):** Smaller ticket-size advances to Micro Enterprises are covered under the scheme.

v. **Financing under National Livestock Mission (NLM):** The scheme seeks to achieve employment generation through entrepreneurship development in Small Ruminants, Poultry and Piggery Sector along with establishment of fodder processing units.

b. Agriculture Gold Loan

i. Special Gold loan cell has been formed to exclusively focus on increasing Gold loan portfolio.

ii. The Bank is exploring Lead generation in Rural areas through Business Correspondents (BCs) network.

iii. Documentation has been simplified.

iv. Centralized follow-up is being done for ensuring availability of Gold safe in Authorized branches.

v. देश के विभिन्न हिस्सों में प्रधान कार्यालय स्तर से गोल्ड लोन उत्पाद का प्रचार–प्रसार।

vi. दक्षिणी राज्यों के अलावा 8–9 राज्यों पर विशेष ध्यान, जहां गोल्ड लोन सेगमेंट के तहत संभावनाएं अधिक हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि।

सी. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) वित्तपोषण

i. बैंक भौगोलिक क्षमता के अनुसार एसएचजी के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां पूर्वी और दक्षिणी राज्यों की तरह एसएचजी के तहत वित्तपोषण के अधिक अवसर हैं।

ii. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए नए पात्र समूहों का क्रेडिट लिंकेज और पात्र खातों को उच्च डोज प्रदान करना फोकस क्षेत्र है।

iii. बैंक ने लीड जनरेशन के लिए 8 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, अन्य राज्यों में भी गठजोड़ की संभावनाओं की खोज जा रही हैं।

iv. ऋण के आकार को बढ़ाने के लिए 10.00 लाख रुपये से अधिक के आवेदनों का पता लगाया जा रहा है।

v. लखपति दीदी पहल के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों की व्यक्तिगत महिला सदस्यों के वित्तपोषण पर ध्यान दिया जाएगा।

डिजिटल पहल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण देना

i. किसान तत्काल ऋणः इसे 22 मार्च, 2023 से लाइव कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ii. डिजिटल गोल्ड लोनः इसे 5 नवंबर, 2023 से लाइव कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 350 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। यात्रा को स्थिर होने में समय लगा और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रगति बढ़ने की उम्मीद है।

iii. डीपी समीक्षा और संवर्द्धनः इसे 9 जनवरी, 2024 से लाइव कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इसमें तेजी आने की उम्मीद है। हालाँकि, यात्रा के तहत 548 खातों को बढ़ाया गया है और 75,000 से अधिक खातों की समीक्षा की गई है। सिस्टम में सही मोबाइल नंबर फीड किए गए खाते और जहां लागू ब्याज सहित संवितरित राशि संवितरण के एक वर्ष के भीतर चुका दी जाती है, वे डीपी वृद्धि के लिए पात्र हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ

ए. किसान प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। एफटीसी कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनमें जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी खेती, मशरूम उत्पादन, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी का रखरखाव, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और संरक्षण, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटी पार्लर, मोमबत्ती और साबुन बनाना, पापड़ बनाना, मुलायम खिलौने बनाना, कटाई, सिलाई और कढ़ाई आदि शामिल है।

v. Publicity of Gold loan products from Head Office level in different parts of the country.

vi. Special focus in 8-9 States in addition to Southern States, where potential is more under Gold Loan Segment like Rajasthan, Punjab, West Bengal, etc.

c. Self Help Group (SHG) Financing

i. The Bank is focusing on financing SHGs as per the geographical potential where there are more opportunities for financing under SHG like Eastern and Southern States.

ii. Credit linkage of new eligible groups and providing higher dosage to eligible accounts are the focus areas for increasing portfolio during FY 2023-24.

iii. The Bank has entered into Memorandum of Understanding (MoU) with 8 State Rural Livelihood Missions (SRLMs) for lead generation. Further, tie-ups are being explored in other States also.

iv. The applications of more than Rs. 10.00 Lakh are explored to increase the ticket size.

v. Focus will be given to financing of individual women member of SHGs in line with Lakhpati Didi initiative.

Digital Initiatives or Lending through Digital Platform

i. Kisan Tatkal Rinn: It has been made live since 22nd March, 2023 and Rs. 600 Crore has been sanctioned during the FY 2023-24.

ii. Digital Gold Loan: It has been made live since 5th November, 2023 and Rs. 350 Crore has been disbursed during the FY 2023-24. The journey took time to stabilize and the progress is expected to pick up during the FY 2024-25.

iii. DP Review & Enhancement: This has been made live since 9th January, 2024 and is expected to pick up during the FY 2024-25. However, 548 accounts have been enhanced under the journey and more than 75,000 accounts have been reviewed. The accounts with correct Mobile number fed in the system and where disbursed amount including applied interest is repaid within a year of the disbursement are eligible for DP enhancement.

Corporate Social Responsibility (CSR) Activities

a. Farmers Training Centres (FTCs): The Bank has established 12 Farmers Training Centres. FTCs provide training on agriculture & allied activities which include organic farming, fertilizer management, bee keeping, dairy farming, mushroom production, maintenance of tractor and other farm machineries, processing and preservation of fruits and vegetables, computer courses, beauty parlour, candle and soap making, papad

इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मिट्टी परीक्षण सुविधाओं वाली मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए एलईडी से सुसज्जित किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने इसके तहत 446 लाख रुपये खर्च किए। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 61,555 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 18,28,024 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

making, making of soft toys, cutting, tailoring & embroidery, etc. These Training Centres have been equipped with the Mobile Van having Soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs. 446 Lakh under this during FY 2023-24. Since inception, FTCs have imparted training to 18,28,024 persons by conducting 61,555 training programs.

श्री पीतांबर रौता जिन्होंने सब्जी खेती प्रशिक्षण के लिए एफटीसी करापल्ली से संपर्क किया। अब वे मासिक रु. 25,000/– अर्जित करते है।
Shri. Pitambar Routa who contacted to FTC Karapalli for Vegetable Cultivation Training. He now makes a monthly earnings of Rs. 25,000/-.

बी. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):** भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तत्वावधान में 78 आरएसईटीआई और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी पहल) कार्यरत हैं जो स्व–रोजगार उद्यम/नौकरियां शुरू करने के लिए ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इन केंद्रों में 60,721 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 47,911 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से थे और जिसमें 47,899 महिलाएं थीं। शुरुआत से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 6,02,566 है, जिनमें से 2,91,211 बीपीएल परिवारों से थे और 4,04,491 महिलाएं थीं। हमारे आरएसईटीआई समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के व्यवस्थापन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रारंभ से अब तक कुल चयनित अभ्यर्थी 4,14,042 हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने इसके तहत 3,857 लाख रुपये खर्च किए।

b. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** There are 78 RSETIs under aegis of Ministry of Rural Development (MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/jobs. During the FY 2023-24, 60,721 persons were trained in these centers out of which 47,911 belong to Below Poverty Line (BPL) families and 47,899 were women. Total number of trained candidates since inception is 6,02,566 out of which 2,91,211 were from BPL families and 4,04,491 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth. Total settled candidates are 4,14,042 since inception. The Bank spent Rs. 3,857 Lakh under this during FY 2023-24.

श्रीमती पूनम पीएनबी आरसेटी सोनीपत की आभारी हैं। जिन्हें पीएनबी आरसेटी ने ब्यूटी पार्लर प्रबंधन का 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया और उन्हें ब्यूटी पार्लर की दुकान शुरू करने में मदद की।
Mrs. Poonam is thankful to PNB RSETI Sonepat which imparted a 30 days training program of Beauty Parlour Management and helped her in starting a Beauty Parlour Shop

सी. **वित्तीय साक्षरता केंद्रः** बैंक के 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLCs) हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान की गई पूछताछ की कुल संख्या 1,87,255 है। एफएलसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लक्षित समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर एफएलसी द्वारा आयोजित सेमिनारों/कार्यक्रमों/शिविरों की कुल संख्या 8,072 है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2,95,558 है।

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।

मार्च 2024 के अंत तक, एमएसएमई खंड को ऋण 1,39,288 करोड़ रुपये है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम राशि 1,13,336 करोड़ रुपये रही।

बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत वित्त वर्ष 2023–24 में 21,475 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह आंकड़ा 20,367 करोड़ रुपए था।

ए. एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए की जा रही पहल का विवरण

i. **क्लस्टर आधारित वित्तपोषणः** बैंक ने क्लस्टर आधारित ऋण देने का दृष्टिकोण अपनाया है और 58 क्लस्टरों को रियायती मूल्य निर्धारण, सेवा शुल्क, आसान ऋण मानदंड आदि वाली अनुकूलित योजनाओं के साथ पहले ही मंजूरी दे दी गई है। 31 मार्च, 2024 तक कुल 939 खातों में 2,795 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ii. **साझेदारी आधारित विकासः** बैंक विभिन्न बाजार खिलाड़ियों के साथ साझेदारी समझौते के माध्यम से बाजार में उपस्थिति बढ़ाने और आउटरीच का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

- **वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण (सीवी/सीई) के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के साथ गठजोड़ः** बैंक ने बैंक को पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में स्थापित करने के लिए 20 प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन/निर्माण उपकरण निर्माताओं के साथ टाई–अप व्यवस्था की है। इसके अलावा, बैंक इस तरह की और भी गठजोड़ व्यवस्थाएं करने की प्रक्रिया में है। 31 मार्च, 2024 तक वाणिज्यिक वाहन और वाणिज्यिक उपकरण (सीवी/सीई) के लिए ओईएम के साथ टाई–अप के तहत 254 करोड़ रुपये के 3,972 खाते स्वीकृत किए गए हैं।
- **आरएमसी (प्रतिष्ठित विनिर्माण कंपनियों) के डीलरों को आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के लिए टाई–अप व्यवस्थाः** बैंक ने प्रमुख कॉरपोरेट्स जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (एसीईएल), पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, डेमलर इंडिया

c. **Financial Literacy Centres:** The Bank has 175 Financial Literacy Centers (FLCs). Total number of enquiries made during the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024 is 1,87,255. The Target groups of the programmes conducted by FLCs are Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc. Total number of seminars/programmes/camps conducted by FLCs on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights from 1st April, 2023 to 31st March, 2024 is 8,072 and number of persons attended these programs are 2,95,558.

5. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

The MSME sector forms the backbone of our industrial sector and is an important growth engine for the economy that promotes entrepreneurship, inspires innovation and boosts employment generation.

As at the end of the March 2024, credit to MSME segment stands at Rs. 1,39,288 Crore. The advance to Micro and Small Enterprises stood at Rs. 1,13,336 Crore.

The Bank has disbursed Rs. 21,475 Crore in FY 2023-24 under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) as against Rs. 20,367 Crore in FY 2022-23.

a. Details of initiatives being taken to boost MSME business

i. **Cluster Based Financing:** The Bank has adopted Cluster based lending approach and 58 clusters have already been approved with customized schemes having concessional pricing, service charges, relaxed lending norms etc. As on 31st March, 2024 total 939 accounts of Rs. 2,795 Crore has been sanctioned.

ii. **Partnership-led growth:** The Bank is endeavouring to increase market presence and expand the outreach through entering into partnership agreement with different market players. The details are mentioned below:

- **Tie-Ups with OEMs (Original Equipment Manufacturers) for Commercial Vehicle/Construction Equipment (CV/CE):** The Bank has tie-up arrangement with 20 reputed Commercial Vehicle/Construction Equipment Manufacturers to position the Bank as preferred financier. Further, the Bank is under process of having more such tie up arrangements. 3,972 accounts for Rs. 254 Crore have been sanctioned under Tie-Ups with OEMs for Commercial Vehicle & Commercial Equipment (CV/CE) as on 31st March, 2024.
- **Tie-up arrangement for Supply Chain financing to the dealers of RMCs (Reputed Manufacturing Companies):** The Bank has made tie up arrangement with major corporates namely, Indian Oil Corporation Ltd, Ashok Leyland Limited, Action Construction Equipment Limited (ACEL), Patanjali Ayurveda

कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के साथ गठजोड़ की व्यवस्था की है। 31 मार्च, 2024 तक 1,771 खातों में रु. 1,542 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इसके अलावा, बैंक इस तरह के और भी गठजोड़ करने की प्रक्रिया में है।

- फिन–टेक कंपनियों के साथ गठजोड़: एंड–टू–एंड ऋण (संग्रहण और पुनर्प्राप्ति के लिए सोर्सिंग) के लिए, बैंक ने पीएम स्वनिधि के लिए मेसर्स इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।

iii. **TreDS प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऋण देना:** बैंक TReDS के सभी तीन प्लेटफ़ॉर्म यानी (1) RXIL (2) M1xchange और (3) A-TReDS का उपयोग कर रहा है। TReDS कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। TReDS प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए दिल्ली में केंद्रीकृत हब की स्थापना की गई है। 31 मार्च, 2024 तक ट्रेड्स पर 981 करोड़ रुपये के कुल 2,141 बिल बकाया हैं।

iv. **नकदी प्रवाह आधारित वित्तपोषण – जीएसटी एक्सप्रेस:** यह योजना जीएसटी पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करती है। योजना की अनूठी विशेषता यह है कि वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अनुमत ऋण की मात्रा 10 लाख रुपये से 500 लाख रुपये तक है। 31 मार्च, 2024 तक योजना के तहत 8,602 करोड़ रुपये के लिए 13,992 खाते स्वीकृत किए गए हैं।

v. **ई–जीएसटी:** यह मॉड्यूल स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) उत्पाद के करीब है, जिसमें 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि है। जिसमें जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर–3बी) में रिपोर्ट की गई बिक्री के 25 प्रतिशत या पिछले एक वर्ष में चालू खातों में व्यापार से संबंधित क्रेडिट योग, जो भी कम हो, के आधार पर कैश क्रेडिट सुविधा की अनुमति दी जाएगी। 31 मार्च, 2024 तक खातों की संख्या 278 थी और स्वीकृत राशि 69.37 करोड़ रुपये थी।

vi. **पीएनबी तत्काल:** यह योजना व्यावसायिक गतिविधि या व्यवसाय के विस्तार से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसमें प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से pslbloansin59minutes.com पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है और उधारकर्ता को 59 मिनट में सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाती है।

31 मार्च, 2024 तक इस योजना के तहत 2,054 खातों में 328 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

Ltd, Daimler India Commercial Vehicle Limited, Steel Authority of India Limited and Volvo Eicher Commercial Vehicles Limited. As on 31st March, 2024, 1,771 accounts for Rs. 1,542 Crore have been sanctioned. Further, the Bank is under the process of entering into more such tie ups.

- **Tie-up with Fin-Tech Companies:** For end-to-end lending (sourcing to collection & recovery), the Bank has Tie-up with M/s Integra Micro System Pvt. Ltd for PM SVANidhi.

iii. **Lending through TreDS Platform:** The Bank is using all the three platform of TReDS i.e. (1) RXIL (2) M1xchange & (3) A.TReDS. TReDS is an institutional mechanism set up for financing of trade receivables of MSMEs from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs). Centralized Hub at Delhi has been established to undertake operations on TReDS platform effectively. A total of 2,141 bills amounting to Rs. 981 Crore is outstanding on Treds as on 31st March, 2024.

iv. **Cash Flow based Financing - GST Express:** The scheme provides hassle free credit to meet working capital requirement to GST registered business enterprises. Unique feature of the scheme is that there is no requirement of submitting financial statements and the quantum of loan permitted is from Rs. 10 Lakh to Rs. 500 Lakh. 13,992 accounts for Rs. 8,602 Crore is sanctioned under the scheme as on 31st March, 2024.

v. **e-GST:** The module is a near to Straight Through Process (STP) product having loan amount from Rs. 10 Lakh to 1 Crore, wherein Cash Credit Facility shall be allowed based on 25 per cent of the sales reported in the GST returns (GSTR-3B) or the trade related credit summation in current accounts in the last one year, whichever is lower. As on 31st March, 2024, number of accounts were 278, and sanctioned amount was Rs 69.37 Crore.

vi. **PNB Tatkal:** The scheme provides hassle free credit from Rs. 1 Lakh to Rs. 25 Lakh to meet financial requirements related to business activity or expansion of business wherein proposals are invariably routed through pslbloansin59minutes.com portal and borrower gets In-Principle sanction in 59 minutes.

2,054 accounts for Rs. 328 Crore has been sanctioned under the scheme as on 31st March, 2024.

vii. **एमएसएमई प्राइम प्लस:** चार एमएसएमई योजनाओं, पीएनबी उद्योग योजना, पीएनबी सेवा योजना, पीएनबी व्यापार योजना और पीएनबी कॉन्ट्रैक्टर योजना को समेकित करके एमएसएमई प्राइम प्लस के नाम से एक फ्लैगशिप योजना शुरू की गई है।

बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य होने के लिए, बैंक निम्नलिखित पेशकश कर रहा है:

ए. रियायती ब्याज दर और सेवा शुल्क;

बी. संपार्श्विक मानदंडों और मार्जिन मानदंडों में ढील;

सी. एमएसएमई विशेष (कार्यशील पूंजी सीमा में स्वतः वृद्धि) जैसी विशेषताएं;

डी. ओपन टर्म लोन (एक पूर्व–अनुमोदित टर्म लोन सुविधा जो बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का आनंद ले रही मौजूदा इकाइयों को लचीलापन प्रदान करती है); और

ई. व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म/कंपनी के नाम पर कार ऋण;

31 मार्च, 2024 तक, योजना के तहत 26,776 खातों में 40,693 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

viii. **पूर्व–अनुमोदित कारोबार ऋण (PABL):** यह मॉड्यूल एमएसएमई क्षेत्र को सीधे डिजिटल ऋण देने के माध्यम से उन ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के तहत 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करता है जो बैंक के साथ चालू खाता रखते हैं और यह पूरी तरह से सिस्टम संचालित है। ऋण मूल्यांकन पिछले 12 महीनों में क्रेडिट योग के माध्यम से चालू खातों में आए व्यापार संबंधित क्रेडिट (टीआरसी) और पीएबीएल स्कोर पर आधारित है। प्री–अप्रूव्ड पर्सनल लोन (पीएपीएल) की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इस मॉड्यूल के तहत अच्छी संख्या में कारोबार जुटने की उम्मीद है।

31 मार्च, 2024 तक खातों की संख्या 11,199 थी और स्वीकृत राशि 653.44 करोड़ रुपये थी।

ix. **ई–नवीकरण योजना:** मूल्यांकन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने, टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने और छोटे उधारकर्ताओं को आसानी प्रदान करने के लिए ई–नवीकरण योजना लागू की गई है। यह 10 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमा के स्वचालित नवीकरण की एक प्रक्रिया है।

इसके अलावा, आसान नवीकरण की एसटीपी की एक कार्यक्षमता लागू की गई है जहां ग्राहक केवल एसएमएस के माध्यम से अपनी सहमति देगा और पूरी प्रक्रिया बिना किसी शाखा की भागीदारी के डिजिटल रूप से पूरी की जाएगी।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2,944 करोड़ रुपये के कुल 68,862 खातों का नवीकरण किया गया।

x. **पीएनबी ई–मुद्रा योजना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की ऋण आवश्यकता को

vii. **MSME Prime Plus:** A flag ship scheme under the name of MSME Prime Plus has been launched by consolidating four MSME schemes namely, PNB Udyog Scheme, PNB Seva Scheme, PNB Vyapar Scheme and PNB Contractor Scheme.

To be more competitive and acceptable in the market, the Bank is offering:

a. Concessional Rate of Interest and Service Charges;

b. Relaxed collateral norms and margin criteria;

c. Features like MSME Vishesh (Auto increase of Working Capital Limits);

d. Open Term Loan (A pre-approved term loan facility which provides flexibility to the existing units enjoying credit facilities from the Bank); and

e. Car Loan in the name of Firm/Company for personal use;

As on 31st March, 2024, 26,776 accounts for Rs. 40,693 Crore has been sanctioned under the scheme.

viii. **Pre-Approved Business Loan (PABL):** This module is a straight through digital lending to MSME segment to provide loan facility from Rs.1 Lakh to Rs. 10 Lakh under Business loan to those customers who are maintaining current account with the Bank and it is completely system driven. Loan assessment is based on Trade Related Credits (TRC) arrived in current accounts through credit summation in last 12 months and the PABL Score. Keeping in view of the success of Pre-Approved Personal Loan (PAPL), it is expected to garner a good number of business under this module.

As on 31st March, 2024, number of accounts were 11,199 and sanctioned amount was Rs 653.44 Crore.

ix. **e-RENEWAL Scheme:** To increase efficiency of the appraisal process, reduce Turn Around Time (TAT) and to provide ease to small borrowers, e-RENEWAL Scheme has been implemented. It is a process of automatic renewal of working capital limit having exposure up to Rs. 10 Lakh.

Further, a functionality of STP of Easy renewal has been implemented where customer will give his/her consent through SMS only and the entire journey will be completed digitally without any Branch involvement.

During the FY 2023-24, a total of 68,862 accounts of Rs. 2,944 Crore were renewed.

x. **PNB e- Mudra Scheme:** To meet out credit need of the Micro and Small entrepreneur through Digital

पूरा करने के लिए, एक सीधी प्रक्रिया, 1,00,000 रुपये तक के ऋण के लिए ई–मुद्रा योजना लागू की गई है और 4 मार्च, 2023 को लाइव कर दी गई है। मॉड्यूल नियम आधारित प्रसंस्करण और मंजूरी है, जो पूरी तरह से सिस्टम संचालित है।

31 मार्च, 2024 तक खातों की संख्या 11,278 थी और स्वीकृत राशि 108.17 करोड़ रुपये थी।

xi. **पीएनबी लेंस का व्यापक उपयोग:** बैंक ने ऋण प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित समाधान यानी पीएनबी लेंस – ऋण समाधान विकसित/अनुकूलित किया था। ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के कार्यान्वयन के बाद, मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है जिससे क्रेडिट अंडरराइटिंग मजबूत हुई है। अब, 25 करोड़ रुपये तक के मुद्रा और एमएसएमई ऋण (नए/नवीकरण/वृद्धि/समीक्षा) के तहत आवेदन के प्रसंस्करण के लिए मॉड्यूल पीएनबी लेंस के माध्यम से उपलब्ध हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक कुल 3,47,360 आवेदन (एमएसएमई + मुद्रा) स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि 85,225 करोड़ रुपये है।

बी. सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ

भारत में COVID–19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत की गई थी। रोजगार को बनाए रखने और देनदारियों को पूरा करने में मदद करके दबावग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिए, बैंक ने एमएसएमई को अपने व्यवसाय की निरंतरता को तुरंत संबोधित करने और संकट के दौरान मजबूती से अपने पैरों पर खड़े रहने में सक्षम बनाने और इसके बाद उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कई पहल की हैं। जैसे किः

i. **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है, जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए 10,000 रुपये तक का वित्त प्रदान करती है, जिसने इस वर्ग के लिए आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के नए अवसर खोले हैं। यह योजना 2 जुलाई, 2020 को शुरू की गई थी और यह 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने की अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। सभी ऋणों पर क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्सिडी दावों का भुगतान मार्च 2028 तक किया जाएगा।

इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले के ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को बढ़ा हुआ ऋण (20,000 रुपये की दूसरी किश्त और 50,000 रुपये की तीसरी किश्त) प्रदान करने के लिए मौजूदा योजना का लाभ बढ़ा दिया है।

31 मार्च, 2024 तक कुल 6,85,439 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6,45,708 (94.20 प्रतिशत) का वितरण किया जा चुका है।

platform, a straight through process, e-Mudra Scheme for loan up to Rs. 1,00,000 has been implemented and made live on 4th March, 2023. The module is rule based processing & sanctioning, which is completely system driven.

As on 31st March, 2024, number of accounts were 11,278 and sanctioned amount was Rs 108.17 Crore.

xi. **Extensive use of PNB LenS:** The Bank had developed/customized Information Technology (IT) based solution i.e. PNB LenS – The Lending Solution for loan management. After implementation of Loan Management System (LMS), assessment process is standardized which has strengthened the credit underwriting. Now, the module for processing of the application under Mudra and MSME loans (fresh/renewal/enhancement/review) upto Rs. 25 Crore are available through PNB LenS. Total 3,47,360 applications (MSME + Mudra) have been sanctioned, amounting Rs. 85,225 Crore from 1st April, 2023 to 31st March, 2024.

b. Government Sponsored Schemes

Special economic and comprehensive package of Rs. 20 Lakh Crore to fight COVID-19 pandemic in India was announced by Hon'ble Prime Minister under the 'Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan'. To provide relief to stressed sectors by helping sustaining the employment and meet liabilities, the Bank has taken various initiatives to enable MSMEs to promptly address their business continuity and remain firmly on their feet during the crisis and also enable them to move forward in its aftermath, such as:

i. **PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi):** This is a Central Government Scheme launched by Ministry of Housing and Urban Affairs formalized for Street vendors providing finance upto Rs 10,000 which opened up new opportunities for this section to move up the economic ladder. The scheme was launched on 2nd July, 2020 and it is available to all street vendors engaged in urban areas as on or before 24th March, 2020. Lending under the PM SVANidhi Scheme is extended till December 2024. Credit Guarantee and interest Subsidy claims on all loans will be paid till March 2028.

In addition to this, Ministry of Housing and Urban Affairs has extended the benefit of existing scheme to provide enhanced loan (2nd tranche of Rs. 20,000 and 3rd tranche of Rs. 50,000) to PM SVANidhi beneficiaries on timely repayment of earlier loan under PM SVANidhi Scheme.

As on 31st March, 2024, a total of 6,85,439 applications have been sanctioned out of which 6,45,708 (94.20 per cent) have been disbursed.

ई–पीएम स्वनिधि– सभी पात्र शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि ऋण को अधिक लचीला और आसानी से सुलभ बनाने के लिए 'ई–पीएम स्वनिधि' योजना उन सभी आवेदकों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) में उपलब्ध आधार/पैन के आधार पर बैंक के साथ केवाईसी अनुपालन बचत और चालू खाता है। योजना के तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऋण स्वीकृत किया गया और राशि सीधे उधारकर्ता के बचत/चालू खाते में वितरित की गई। इस योजना को 24 अगस्त, 2023 को लाइव किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक खातों की संख्या 29,286 थी और स्वीकृत राशि 29.81 करोड़ रुपये थी।

ii. **Psbloansin59minutes.com के माध्यम से संपर्क रहित ऋण:** 59मिनट के भीतर 5 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई ऋण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी psbloansin59minutes.com के नाम से उपलब्ध है। बैंक ने इस पोर्टल को ऑन–बोर्ड कर लिया है और इसे लाइव कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंक ने मेसर्स ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए मुद्रा पोर्टल पर मुद्रा ऋण को भी शामिल किया है। सैद्धांतिक मंजूरी को अधिकतम करने के लिए बैंक ने पहले ही सभी प्रमुख एमएसएमई उत्पादों को इस पोर्टल पर कॉन्फ़िगर कर दिया है।

31 मार्च, 2024 तक एमएसएमई और मुद्रा ऋण के लिए प्राप्त 93,847 आवेदनों में से कुल 90,856 आवेदनों का निपटान किया गया।

सी. तिमाही के दौरान प्राप्त पुरस्कार

i. **चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (CIMSME), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 समारोह:** चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (सीआईएमएसएमई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 समारोह में जागरूकता पैदा करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक को सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई अनुकूल बैंक और सर्वश्रेष्ठ बैंक में रनर अप के रूप में सम्मानित किया गया है।

6. वित्तीय समावेशन (FI)

बैंक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पहल करने में अग्रणी रहा है। बैंक 2012 से व्यवसाय संवाददाता (बीसी) सेवाएं प्रदान कर रहा है और उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) और गैर एसएसए क्षेत्र में बीसी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू कर रहा है। एसएसए कुछ गांवों का एक समूह है और बैंक की एक आधार शाखा से जुड़ा हुआ है।

FI की कुछ पहलों में शामिल हैं:

ए. बैंक ने पूरे भारत में बीसी के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन पहलों को लागू किया है। पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों (आयु वर्ग 18–65) को प्रदान की जाती है।

e-PM SVANidhi - To make the PM SVANidhi loan more flexible and easily accessible to all eligible urban street vendors, 'e-PM SVANidhi' scheme is launched for all applicants who are having KYC complied saving and current account with the Bank based on Aadhar/Pan available in Core Banking System (CBS). Under the scheme, the loan is sanctioned without any manual intervention and the amount is disbursed directly into the Savings/Current account of the borrower. The scheme was made live on 24th August, 2023. As on 31st March, 2024, number of accounts were 29,286 and sanctioned amount was Rs 29.81 Crore.

ii. **Contactless loan through Psbloansin59minutes.com:** A portal for in-principle approval for MSME loans upto Rs. 5 Crore within 59 minutes is in place in the name of psbloansin59minutes.com. The Bank has on-boarded this portal and it has been made live. Further, the Bank has also on-boarded Mudra loans on the Mudra Portal launched by M/s Online PSB Loans Ltd. The Bank has already configured all flagship MSME products on this portal to maximize in-principle sanctions.

As on 31st March, 2024, total of 90,856 applications were disposed of, out of 93,847 applications received for MSME & MUDRA loans.

c. Awards received during the quarter

i. **MSME Banking Excellence Award 2023 ceremony organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME), New Delhi:** Punjab National Bank has been awarded as Best MSME friendly Bank & Runner Up in Best Bank for creating Awareness in MSME Banking Excellence Award 2023 Ceremony organized by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME), New Delhi.

6. Financial Inclusion (FI)

The Bank has been the pioneer in taking initiative in the area of financial inclusion. The Bank is providing Business Correspondents (BCs) services since 2012 & implementing comprehensive Financial Inclusion Program through effective utilization of BCs in Sub Service Area (SSA) & non SSA area. SSA is a cluster of few villages and is linked to one base branch of the Bank.

Some of the FI initiatives include:

a. The Bank has implemented Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other financial inclusion initiatives through BCs pan-India. Overdraft facility up to Rs. 10,000 in PMJDY accounts is provided to eligible account holders (age group 18-65).

बी. बीसी स्थानों पर बायोमेट्रिक आधारित ई–केवाईसी खाता खोलना और आधार सीडिंग।

सी. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, यानी प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सुविधाएं बीसी स्थानों, शाखाओं के साथ–साथ इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2024 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति इस प्रकार है:

i. पीएमजेजेबीवाई: 63.82 लाख ग्राहक नामांकित।

ii. पीएमएसबीवाई: 254.54 लाख ग्राहक नामांकित।

iii. एपीवाई: 38.53 लाख ग्राहक नामांकित।

31 मार्च, 2024 तक, बैंक के पास 33,614 बीसी एजेंट/बैंक मित्र हैं जो बैंक की आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण, अर्ध–शहरी, शहरी और मेट्रो केंद्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बीसी एजेंट/बैंक मित्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स/लैपटॉप/डेस्कटॉप/मोबाइल/टैब आदि का उपयोग करते हैं। वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के ईएएसई एजेंडे के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं कियोस्क बैंकिंग समाधान के माध्यम से बीसी स्थानों पर उपलब्ध हैं:

ए. बचत खाता खोलना

बी. सावधि जमा रसीद (टीडीआर)/आवर्ती जमा (आरडी) खोलना, टीडी/आरडी नवीनीकृत करना

सी. नकद जमा (अपना बैंक)

डी. नकद निकासी (हमारे साथ), नकद निकासी (हमसे अलग)

इ. फंड ट्रांसफर (अपना बैंक), फंड ट्रांसफर (अन्य बैंक–आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)/रुपे कार्ड)

एफ. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), भारत–नेपाल प्रेषण

जी. बैलेंस पूछताछ (अपना बैंक), बैलेंस पूछताछ (अन्य बैंक)

एच. RuPay डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करें, डेबिट कार्ड ब्लॉक करें

आय. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यानी सूक्ष्म दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएमएसबीवाई), सूक्ष्म जीवन बीमा (पीएमजेजेबीवाई), पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए नामांकन करें।

जे. आधार सीडिंग

के. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): क्रेडिट लिंकेज सहित गठन और संवर्धन के लिए

एल. पासबुक अपडेट, मिनी स्टेटमेंट

एम. चेक कलेक्शन

एन. नई चेक बुक का अनुरोध करें, चेक का भुगतान रोकें, जांच की स्थिति की जांच करें

ओ. एसएमएस अलर्ट/ईमेल विवरण (पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई–मेल) के लिए अनुरोध।

b. Biometric based e-KYC account opening and Aadhar seeding at BC Locations.

c. Social security schemes, i.e. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) facilities, are available at BC locations, branches, as well as through Internet Banking/Mobile Banking. The Progress of Social Security Schemes till 31st March, 2024 is as under:

i. PMJJBY: 63.82 Lakh customers enrolled.

ii. PMSBY: 254.54 Lakh customers enrolled.

iii. APY: 38.53 Lakh customers enrolled.

As on 31st March, 2024, Bank has 33,614 BC Agents/Bank Mitras providing basic banking services in Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres depending upon the requirement of the Bank. The BC Agents/Bank Mitras use PAX/Laptop/Desktop/Mobile/Tab etc. for providing the banking services. At present, following services as per EASE agenda of Department of Financial Services (DFS) is available at BC locations through Kiosk Banking Solution:

a. Savings Account Opening

b. Term Deposit Receipt (TDR)/ Recurring Deposit (RD) opening, Renew TD/RD

c. Cash Deposit (own bank)

d. Cash Withdrawal (on us), Cash withdrawal (off us)

e. Fund transfer (own bank), Fund transfer (other Bank—Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)/RuPay card)

f. Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Indo-Nepal Remittance

g. Balance enquiry (own bank), Balance enquiry (other bank)

h. Apply for RuPay debit cards, Block debit card

i. Enroll for social security schemes i.e. micro accidental death insurance (PMSBY), micro life insurance (PMJJBY), pension scheme (APY)

j. Aadhaar seeding

k. Self Help Group (SHG): For formation & promotion, including credit linkage

l. Passbook update, Mini statement

m. Cheque collection

n. Request new cheque book, Stop payment of cheque, Cheque status enquiry

o. Request for SMS alert / email statement (registered mobile number/e-mail).

पी. बैंक द्वारा अनुमोदित सीमा तक वसूली/कलेक्शन ।

क्यू. खुदरा/मुद्रा/कृषि के लिए ऋण अनुरोध आरंभ

आर. चालू खाता खोलने के लिए अनुरोध आरंभ करें

एस. तीसरे पक्ष के उत्पादों के लिए अनुरोध आरंभ करें

VI. जोखिम और चिंताएँ

जोखिम बैंक के व्यवसाय संचालन का अभिन्न अंग है। बैंक प्रमुख जोखिमों जैसे क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, सहित अन्य जोखिमों से अवगत है और उन जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उपाय, नीतियां, सिस्टम और प्रक्रियाएं लागू की हैं। प्रतिष्ठित जोखिम, रणनीतिक जोखिम, आईटी जोखिम, साइबर जोखिम, अनुपालन जोखिम, ईएसजी जोखिम, जलवायु जोखिम, आचरण जोखिम और अन्य अवशिष्ट जोखिम जैसे भौतिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक विश्वसनीय आंतरिक नियंत्रण वातावरण भी है। बैंक के निदेशक मंडल ने रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए बोर्ड की विभिन्न उप–समितियों और/या कार्यात्मक समितियों का गठन किया है।

1. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक मजबूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचा है और इसने व्यापक जोखिम स्कोरिंग/रेटिंग प्रणाली विकसित की है जो निरंतर तरीके से क्रेडिट निर्णय लेने के लिए समकक्षों के विविध जोखिम कारकों के एकल बिंदु संकेतक के रूप में कार्य करता है। बैंक के पास उधारकर्ताओं के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन–हाउस क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल हैं और खुदरा अग्रिमों, एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों के लिए स्कोरिंग मॉडल भी विकसित और कार्यान्वित किए हैं। इसके अलावा, बैंक ने पीएनबी संपत्ति, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस ऋण, पूर्व–अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण योजना, ई–मुद्रा और सह–उधार के तहत ऋण जैसे एक विशेष खंड के लिए डिज़ाइन की गई विशिष्ट ऋण योजनाओं की विशिष्टता को कैप्चर करने के लिए अलग–अलग क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विकसित किए हैं।

बैंक अपनी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए अपने क्रेडिट जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का समय–समय पर सत्यापन कार्य करता है। बैंक अपने क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल की मजबूती का परीक्षण करने के लिए माइग्रेशन और डिफ़ॉल्ट दर विश्लेषण भी करता है। क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का आउटपुट निर्णय लेने से जुड़ा हुआ है जिसमें क्रेडिट पोर्टफोलियो की ऑडिट, समीक्षा और निगरानी के साथ–साथ क्रेडिट मंजूरी, मूल्य निर्धारण, ऋण देने की शक्तियां शामिल हैं। प्रभावी ऋण प्रथाओं का एक समान सेट बनाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कई नीतियां बनाई हैं।

प्रक्रियाओं के स्वचालन और बढ़ते अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के अनुसरण में, बैंक ने विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्षित करने वाले विभिन्न डिजिटल रिटेल ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये उत्पाद नियम–आधारित प्रसंस्करण और स्वीकृति पर आधारित हैं, जो एंड–टू–एंड या लगभग एंड–टू–एंड सिस्टम संचालित होंगे तथा इन उत्पादों के जोखिम का आकलन करने के लिए अलग–अलग स्कोरकार्ड विकसित किए गए हैं।

p. Recovery/Collection up to bank approved limits.

q. Loan request initiation for Retail/Mudra/Agriculture

r. Request initiation for Current account opening

s. Request initiation for Third Party Products

VI. Risks & Concerns

Risk is an integral part of the Bank's business operations. The Bank is exposed to major risks namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, interest rate risk, among others and has put in place measures, policies, systems and procedures to manage and mitigate those risks. The Bank also has a reliable internal controlling environment to manage materials risks such as Reputational risk, Strategic Risk, IT Risk, Cyber Risk, Compliance Risk, ESG Risk, Climate Risk, Conduct Risk and other residual risks. The Board of Directors of the Bank has constituted various Sub-Committees of Board and/or Functional Committees to look into different areas of strategic importance.

1. Credit Risk Management

The Bank has a robust Credit Risk management framework and has developed comprehensive risk scoring/rating system that serves as a single point indicator of diverse risk factors of counterparties for taking credit decisions in a consistent manner. The Bank has in-house credit risk rating models for risk assessment of borrowers and has also developed and implemented scoring models for Retail advances, MSME and Farm sector advances. In addition, the Bank has developed separate credit scoring models to capture the peculiarity of specific lending schemes designed for a particular segment such as PNB Sampatti, PNB GST express loan, Pre-Approved Personal Loan scheme, e-Mudra and lending under co-lending arrangements with NBFCs.

The Bank undertakes periodic validation exercise of its credit risk rating and scoring models to ensure their efficacy. The Bank also conducts migration and default rate analysis to test robustness of its credit risk rating models. Output of credit rating and scoring models is linked to decision making which includes credit sanctioning, pricing, loaning powers alongside audit, review & monitoring of credit portfolio. The Bank has put in place several policies covering various aspects of credit risk management to have a uniform set of effective lending practices.

In pursuance of overarching objective of automation of processes and increased compliance, the Bank has launched various digital retail lending products targeting different customer segments. These products are based on rule-based, system driven processing & sanctioning, which shall be end-to-end or near end-to-end. Separate scorecards have been developed to assess the risks for these products.

बैंक ने ई–नवीकरण योजना भी शुरू की है, जो एक निश्चित सीमा तक जोखिम वाली कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के नवीकरण के लिए एक स्वचालित/सीधे माध्यम की प्रक्रिया (एसटीपी) है।

बैंक ने 1 करोड़ रुपये से अधिक के अग्रिमों की प्रभावी निगरानी और ऋण खातों की स्थिति में गिरावट का शीघ्र पता लगाने के लिए एक पूर्णतया डिजिटलीकृत और स्वचालित प्रारंभिक चेतावनी निगरानी उपकरण 'पीएनबी सजग 2.0' को तैयार किया है। यह प्रणाली 133 प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) पर खातों की निगरानी करती है – जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा निर्धारित सभी विशिष्ट सिग्नल शामिल हैं।

बैंक ने क्रेडिट इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट डिपार्टमेन्ट(सीआईएएसडी) के तहत एक अलग उद्योग अनुसंधान वर्टिकल स्थापित किया है, जो उद्योगों के इन–हाउस जोखिम का मूल्यांकन करता है तथा वह गणना किए गए उद्योग जोखिम स्कोर के आधार पर 150 से अधिक उद्योगों के लिए उद्योग दृष्टिकोण तैयार करता है। उद्योग जोखिम मूल्यांकन अभ्यास का आउटपुट उद्योग हैंडआउट में अनुवादित किया गया है जो कार्यकारी सारांश और विभिन्न उद्योग जोखिम मापदंडों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग आउटलुक में "Up', 'Stable' ,और 'Down' रुझान भी तिमाही के दौरान उद्योगों में महत्वपूर्ण विकास को समाहित करके प्रदान किया गया है।

क्रेडिट इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट डिपार्टमेन्ट(सीआईएएसडी) के तहत एक मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई है। यह इकाई निश्चित सीमा से ऊपर के उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों पर मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रदान करती है।

ये प्रक्रियाएं ऋण की त्वरित और सटीक सुपुर्दगी और निगरानी करने में सहायता करती हैं, मूल्यांकन में एकरूपता लाती हैं एवं डेटा के भंडारण तथा उसके विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती हैं।

2. बाजार जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना है जो बाजार जोखिम के अर्थात ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया की देखरेख करती है और इसके मापने एवं निगरानी की कार्यप्रणाली निवेश पोर्टफोलियो को सुदृढ़ तथा तरल रखने के लिए लागू करता है।

मिड–ऑफिस ट्रेजरी परिचालन का बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के बाजार जोखिम पर निगरानी रखता है और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) को रिपोर्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेजरी परिचालन से इसके कामकाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (MRMC) बैंक की एक कार्यात्मक समिति है, जो बाजार जोखिम के समग्र प्रबंधन की देखभाल करती है।

मिड–ऑफिस निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वीएआर, दबाव परीक्षण, जोखिम सीमा जैसे एम–अवधि, पीवी01, एक्सपोज़र सीमा आदि जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से विभिन्न जोखिम स्थितियों की निगरानी करता है। निगरानी को मजबूत और प्रणाली संचालित बनाने के लिए, बाजार जोखिम की बेहतर निगरानी और प्रबंधन हेतु फिनेकल ट्रेजरी एप्लिकेशन में उपकरण/सीमाएं स्वचालित की गई हैं। इसके

The Bank has also launched E-Renewal Scheme, an automatic/Straight Through Process (STP) for renewal of credit facilities for working capital credit facilities having exposure up to a certain threshold.

The Bank has in place a fully digitized and automated Early Warning monitoring tool 'PNB SAJAG 2.0' for effective monitoring of advances above Rs. 1 Crore and early detection of deterioration in health of loan accounts. The system monitors the accounts on 133 Early Warning Signals (EWS) - including all EWS prescribed by Reserve Bank of India (RBI) and Department of Financial Services (DFS).

The Bank has established a separate Industry Research Desk under Credit Intelligence and Support Department (CIaSD), which carries out in-house risk assessment of industries and prepares industry outlook for more than 150 industries based on calculated industry risk scores. Output of industry risk assessment exercise is translated into Industry Handout which presents executive summary and brief of various industry risk parameters. Further, 'Up', 'Stable' and 'Down' trends in Industry Outlook is also provided by encapsulating significant developments in industries during the quarter.

A dedicated Market Intelligence Unit has been created under Credit Intelligence and Support Department (CIaSD). The unit provides Market Intelligence Report on different classes of borrowers above certain threshold.

These processes help to achieve quick & accurate delivery and monitoring of credit, bring uniformity in the appraisal and facilitate storage of data & analysis thereof.

2. Market risk and Asset Liability Management

The Bank has in place a well-defined organizational structure for market risk management which looks into the process of overall management of market risk viz. interest rate risk, equity price risk and foreign exchange risk and implements methodologies for measuring and monitoring the risks to keep the investment portfolio healthy and liquid.

Mid-office of Treasury Operations, looks after market risk of the investment Portfolio of the Bank and reports to Group Chief Risk Officer (GCRO) to ensure the independence of its functioning from treasury operations. Further, Market Risk Management Committee (MRMC) a functional committee of the Bank, is also in place to look after the overall management of Market Risk.

Mid Office monitors various risk positions through statistical tools like VaR, stress tests, risk limits like M-Duration, PV01, exposure limit etc. to effectively manage the Investment portfolio. In order to make the monitoring robust and system driven, tools/limits have been automated in Finacle treasury application for better monitoring and management of Market Risk. Further, in

अतिरिक्त, विभिन्न देशों में जोखिम के प्रभाव को शामिल करने के लिए, प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए देश जोखिम प्रीमियम को मूल्य निर्धारण संरचना में शामिल किया गया है।

बैंक का एक अलग आस्ति देयता प्रबंधन प्रकोष्ठ है जो चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन एवं निगरानी करता है। अल्पकालिक लचीलेपन के लिए चलनिधि जोखिम का आकलन करने हेतु, बैंक दैनिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (LCR) की गणना और निगरानी करता है। दीर्घावधि लचीलेपन के लिए, बैंक मासिक आधार पर निवल स्थिर निधि अनुपात (NSFR) की गणना तथा निगरानी करता है।

बैंक वैश्विक बाजारों में विकास पर कड़ी नजर रखता है तथा इस तरह की जोखिम वाली घटनाओं से खुद को बचाने के लिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को स्कैन करता है। बैंक तिमाही आधार पर चलनिधि जोखिम के लिए विस्तृत दबाव परीक्षण करता है। दबाव परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जो बैंक–विशेष, बाज़ार–व्यापी और संयुक्त दबाव की घटनाओं के मामले में बैंक की तरलता प्रोफ़ाइल और चलनिधि बफ़र्स की पर्याप्तता का आकलन करने में मदद करता है। दबाव परीक्षण में गंभीर लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों का उपयोग करके निम्न, मध्यम और उच्च दबाव परिदृश्यों के तहत चलनिधि स्थिति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, बैंक ने भी चलनिधि दबाव परीक्षण किया और एलसीआर पर प्रभाव का आकलन किया तथा उसके बाद चलनिधि की कमी से निपटने के लिए आकस्मिक निधि योजना तैयार की गई। बैंक हर समय चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर आधार पर अपनी आस्तियों का प्रबंधन करता है।

बैंक तिमाही आधार पर बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) की गणना करता है और आरबीआई को रिपोर्ट करता है। आईआरआरबीबी का तात्पर्य बैंक की पूंजी और आय के लिए मौजूदा और संभावित जोखिम से है जो ब्याज दरों में प्रतिकूल बदलाव से उत्पन्न होता है जो इसकी बैंकिंग बही की स्थिति को प्रभावित करती है।

3. परिचालानात्मक जोखिम प्रबंधन

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के पास सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा एवं रुपरेखा मौजूद है। बैंक, आंतरिक/बाहरी हानि डेटा, नियर मिस इवेंट्स, जोखिम नियंत्रण और स्व–मूल्यांकन सर्वेक्षण (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), धन–शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम तथा परिदृश्य विश्लेषण के लिए जोखिम आधारित आकलन करता जैसे उपकरणों के माध्यम से परिचालन जोखिम की पहचान, माप, निगरानी कर रहा है और उसका नियंत्रण कम कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन के माध्यम से मौजूदा प्रक्रियाओं को शुरू करने/संशोधित करने से पहले उत्पाद/गतिविधियों/प्रक्रियाओं और प्रणालियों में परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए बैंक के पास मजबूत तंत्र है। वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रभावी निरीक्षण, समुचित सावधानी तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास मजबूत व्यावसायिक व्यवधान से निपटने के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना के साथ तैयार रहने के लिए ठोस और उत्तरदायी प्रथाएं हैं। बैंक का संपूर्ण परिचालन जोखिम बैंक ने एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत

order to incorporate the impact of riskiness of exposure in different countries, Country Risk Premium has been incorporated in the pricing structure for effective pricing.

The Bank has a separate Asset Liability Management Cell that manages and monitors liquidity risk and interest rate risk proactively. To assess liquidity risk for short term resilience, the Bank computes and monitors Liquidity Coverage Ratio (LCR) on daily basis. For long term resilience, the Bank computes and monitors Net stable Funding Ratio (NSFR) on monthly basis.

The Bank keeps a close eye on development in the global markets and scans its portfolio on regular basis to protect itself from similar kind of risk incidents. The Bank carries out detailed stress testing for liquidity risk on quarterly basis. Stress test is a tool that helps in assessing the Bank's liquidity profile and the adequacy of liquidity buffers in case of bank-specific, market-wide and combined stress events. Stress test is conducted using severe but plausible scenarios and its impact on liquidity position is assessed under low, medium and high stress scenarios. Similarly, the Bank also conducts liquidity stress test and impact on LCR, followed by preparation of Contingency Funding Plan to tide over liquidity crunch if at all it arises. The Bank manages its assets on a continuous basis in a way to withstand liquidity requirements at all times.

The Bank also computes and report Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) to RBI on quarterly basis. IRRBB refers to current and prospective risk to bank's capital and earnings arising from adverse movement in interest rates that affects its banking book position.

3. Operational Risk Management

Bank has in place a well-defined organizational structure and framework for operational risk management functions. The Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating the operational risk through tools viz. Internal/External Loss Data, Near Miss Events, Risk Control & Self-Assessment surveys (RCSAs), Key Risk Indicators (KRIs), Risk Based Assessment for Money Laundering & Terrorist Financing Risk and Scenario Analysis. The Bank has a robust mechanism in place to analyse the operational risk in product/activities/process and systems before introducing/modifying existing processes through approvals at various levels. The Bank has in place sound and responsive practices to ensure effective oversight, due diligence and management of risk arising from outsourcing of financial services along with Business Continuity Plan that leads to readiness in tackling serious business disruption. The Bank has implemented Statistical Analysis Software (SAS), an online Operational Risk Solution under Enterprise wide Data Warehouse

एक ऑनलाइन ऑपरेशनल रिस्क सॉल्यूशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर (एसएएस) को लागू किया है और प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर डेटा कैप्चरिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की देखभाल के लिए इसे केंद्रीय सर्वर पर रखा है।

बैंक ने प्रभावी आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम कार्य के अंतर्गत नव स्थापित आईटी और सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन वर्टिकल स्थापित किया है।

4. **आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और दबाव परीक्षण**

बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर एक व्यापक नीति बनाई है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है और आईसीएएपी दस्तावेज को छमाही आधार पर बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ICAAP स्तंभ– I और स्तंभ– II दोनों जोखिमों को संबोधित करता है और विभिन्न जोखिमों के प्रभाव का एक समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए, जो बैंक के सामने आते हैं, ऐसे सभी जोखिमों की मात्रा / मूल्यांकन करने के लिए कार्य किया जाता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को आईसीएएपी दस्तावेज़ में विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। दस्तावेज़ समूह स्तर पर एकल और समेकित दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं।

बैंक ने प्रतिकूल लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों के अंतर्गत कमजोरियों की पहचान करने और पूंजी/चलनिधि आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति भी तैयार की है। ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, आईआरआरबीबी, चलनिधि जोखिम, देश जोखिम, समूह जोखिम, पेंशन दायित्व जोखिम आदि जैसे जोखिमों की संपूर्ण श्रेणी में दबाव परीक्षण नियमित आधार पर किए जाते हैं। बैंक ने हाल ही में अनुमानों को अधिक सटीक, भविष्योन्मुखी और विस्तृत बनाने के लिए दबाव परीक्षण ढांचे को उन्नत किया है। खुदरा और एमएसएमई पोर्टफोलियो को आगे 1000+ जोखिम सजातीय सूक्ष्म समूहों (खाता विशेषताओं, जनसांख्यिकी आदि के आधार पर) में अलग किया गया है और समष्टि आर्थिक (मैक्रो–इकोनॉमिक) परिवर्ती के साथ जोड़ा गया है।

5. **जोखिम क्षमता ढांचा**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक जोखिम क्षमता ढांचा मौजूद है। फ्रेमवर्क बैंक के भीतर इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन और निगरानी तंत्र के साथ–साथ जोखिम उठाने की क्षमता का विवरण निर्धारित करता है। जोखिम लेने की क्षमता को प्रत्येक पैरामीटर के लिए जोखिम सीमा और जोखिम सीमा स्तर के साथ–साथ विभिन्न प्रमुख जोखिम मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। वास्तविक जोखिम स्तरों की निरंतर आधार पर अनुमोदित सीमाओं के विरुद्ध निगरानी की जाती है।

6. **समूह जोखिम**

समूह स्तर पर जोखिम प्रबंधन समूह के हिस्से के रूप में बैंक के जोखिमों का प्रबंधन करना और बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल पर अन्य समूह संस्थाओं के संभावित प्रभाव का आकलन करना है। बैंक के पास समूह जोखिम प्रबंधन ढांचा है जो पिरामिड दृष्टिकोण पर आधारित है, जो शीर्ष पर समूह जोखिम नीति से शुरू होता है

Project and placed it on central server to take care of various aspects of data capturing and management information system at various levels to provide technological support for managing entire Operational Risk of the Bank.

The Bank has newly established IT and Information Security Risk Management vertical under risk function for effective IT and information security risk management bank wide.

4. **Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Stress Testing**

The Bank has in place a comprehensive policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), which is reviewed annually and ICAAP document is put up to the Board on half yearly basis. ICAAP addresses both the Pillar-I and Pillar-II risks and to have a holistic view of impact of various risks which the Bank is exposed to, and an exercise is carried out to quantify/assess all such risks. The risk management processes are covered at length in the ICAAP document. The document is prepared on both solo and consolidated basis at the group level.

The Bank also has put in place comprehensive Policy on Stress Test to identify the vulnerabilities and assess capital/liquidity requirements under adverse but plausible scenarios. Stress tests are conducted across whole gamut of risks namely Credit risk, Market risk, Operational risk, Concentration risk, IRRBB, Liquidity risk, Country risk, Group risk, Pension Obligation risk, etc. on a regular basis. The Bank has recently upgraded the stress testing framework to make the estimates more accurate, forward looking and granular. The retail and MSME portfolios have been further segregated into 1,000+ risk homogeneous micro clusters (based on account characteristics, demographics etc.) and linked with macro-economic variables.

5. **Risk Appetite Framework**

The Bank has a comprehensive Risk Appetite Framework in place. The Framework sets out the Risk Appetite Statement along with governance and monitoring mechanism for its effective implementation within the Bank. Risk Appetite has been defined in terms of different key risk parameters along with the Risk limit and Risk threshold level for each parameter. Actual risk levels are monitored against the approved limits on an ongoing basis.

6. **Group Risk**

Risk Management at Group Level is to manage the risks of the Bank as part of the group and assess the potential impact of other group entities on the overall risk profile of the Bank. The Bank has group risk governance framework/ structure which is based on pyramid approach, starting

और जोखिम क्षमता, अभिशासन, प्रक्रियाओं और जोखिम रिपोर्टिंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। समूह जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (जेवी) के समूह जोखिम मूल्यांकन, समेकित स्तर पर सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के तनाव परीक्षण का प्रभाव, समूह तरलता कवरेज अनुपात (LCR), समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (CPR), विवेकपूर्ण सीमा और आकस्मिक निधि योजना (CFP) के माध्यम से चलनिधि जोखिम प्रबंधन सहित सभी समूह संस्थाओं का बैंक के पास एक मजबूत समूह जोखिम निरीक्षण है। इसके अलावा ग्रुप आईसीएएपी उन विभिन्न जोखिमों (स्तंभ I और स्तंभ II दोनों) का आकलन करने के लिए तैयार है, जिनसे समूह प्रभावित होता है। कैसे बैंक इन जोखिमों को और इन जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता की आंतरिक रूप से गणना किए गए स्तर पर पहुंचने हेतु कम करता है।

7. **जलवायु संबंधी जोखिम**

जलवायु–संबंधी जोखिम उन संभावित जोखिमों को संदर्भित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों, उनके संबंधित प्रभाव और आर्थिक और वित्तीय परिणामों से उत्पन्न हो सकते हैं। यह वित्तीय क्षेत्र को दो व्यापक चैनलों अर्थात भौतिक जोखिमों और संक्रमण जोखिमों के माध्यम से प्रभावित कर सकता है: ए) भौतिक जोखिम से तात्पर्य अत्यधिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता, जलवायु के दीर्घकालिक क्रमिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन के अप्रत्यक्ष प्रभावों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक लागत और वित्तीय हानि से है। बी) परिवर्तन संबंधी जोखिम का तात्पर्य निम्न–कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में समायोजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से है। जलवायु जोखिम प्रबंधन की दिशा में काम में तेजी लाने के लिए एक समर्पित 'क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेल' का गठन किया गया है। जलवायु जोखिम के सक्रिय प्रबंधन के लिए, बैंक ने एक कार्यान्वयन योजना और घटक तैयार किए हैं जो इन कार्य क्षेत्रों के माध्यम से विकास के लिए लक्षित हैं जो इस प्रकार हैं: ए) नेट जीरो महत्वाकांक्षा, बी) जोखिम प्रबंधन, सी) परिचालन और डी) जलवायु जोखिम प्रशासन

इसके अलावा, स्थिरता संबंधी गतिविधियों के प्रशासन की सुविधा के लिए स्थिरता और लचीलापन समिति (एसएआरसी) का गठन किया गया है। बैंक ने हरित जमा नीति लागू की है और हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण ढांचा भी तैयार किया है, जिसकी बाहरी समीक्षा तीसरे पक्ष द्वारा की गई है।

बैंक ने जलवायु संबंधी जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इन हाउस/आंतरिक क्षमताएं विकसित की हैं। बैंक ने अपनी परिसंपत्तियों की कमजोरी का आकलन करने के लिए पूरे पोर्टफोलियो का भौतिक जोखिम मूल्यांकन किया है। बैंक ने कार्बन उत्सर्जन डेटा (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन सहित) प्राप्त करके उधारकर्ताओं का परिवर्तन संबंधी जोखिम मूल्यांकन भी किया है। बैंक के पास कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल (पीसीएएफ) मानकों के लिए साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित उत्सर्जन गणना के लिए जीएचजी प्रोटोकॉल और पद्धति के आधार पर ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) माप पर ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा, बैंक वित्त

with Group Risk Policy at top and progressing through risk appetite, governance, processes and risk reporting. The Bank has formed a Group Risk Management Committee for effective management of group risk. The Bank has a strong Group Risk oversight of all the group entities, including the group risk assessment of Subsidiaries, Associates and Joint Venture (JVs), Impact of stress testing of subsidiaries and overseas branches on consolidated level, Liquidity Risk Management through Group Liquidity Coverage Ratio (LCR), Consolidated Prudential Report (CPR), Prudential limit and Contingency Funding Plan (CFP). Further Group ICAAP is prepared to assess the various risks (both Pillar I and Pillar II) the group is exposed to, mitigation of these risks and to arrive at an internally computed level of capital adequacy consistent with these risks.

7. **Climate Risk**

Climate-related risks refer to the potential risks that may arise from climate change or from efforts to mitigate climate change, their related impact and the economic and financial consequences. It can impact the financial sector through two broad channels i.e., physical risks and transition risks: a) Physical Risk refers to the economic costs and financial losses resulting from the increasing frequency and severity of extreme climate change-related weather events, longer-term gradual shifts of the climate and indirect effects of climate change such as loss of ecosystem services b) Transition Risk refers to the risks arising from the process of adjustment towards a low-carbon economy. To accelerate work towards Climate Risk Management, a dedicated 'Climate Risk Management Cell' is formed. For active management of climate risk, the Bank has put in place an implementation plan and components which are targeted for development through these action areas which are as follows: a) Net Zero Ambition, b) Risk Management, c) Operations and d) Climate Risk Governance.

Further, Sustainability and Resilience Committee (SARC) is formed for facilitating governance of sustainability related activities. The Bank has put in place Green Deposit Policy and has also framed Financing Framework for Green, Social and Sustainability Linked Activities/Projects which has been externally reviewed by third party.

The Bank has developed in-house capabilities for effectively managing climate risks. The Bank has done physical risk assessment of the entire portfolio for assessing the vulnerability of its assets. The Bank has also carried out transition risk assessment of borrowers by capturing carbon emissions data (including Scope 1 & Scope 2 emissions). The Bank has in place framework on Greenhouse Gas (GHG) measurement based on GHG protocol and methodology for Financed emissions computation based on Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) standards. Further, the Bank is preparing to disclose on CDP Platform from FY 2023-24 onwards. The

वर्ष 2023–24 से सीडीपी प्लेटफॉर्म पर खुलासा करने की तैयारी कर रहा है। बैंक ने जलवायु जोखिम प्रबंधन से संबंधित बेहतरीन कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एक गुणात्मक जलवायु जोखिम रणनीति भी तैयार की है। बैंक ने जलवायु जोखिम दबाव परीक्षण पद्धति भी लागू की है। बैंक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रेटिंग मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग पर्याप्त परिणाम मिलने पर निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। बैंक के विभिन्न स्तरों पर जलवायु जोखिम के संबंध में क्षमता निर्माण निरंतर आधार पर किया जा रहा है।

हालाँकि, कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भारत–विशिष्ट डेटा की कम उपलब्धता, भारतीय वर्गीकरण का अभाव, हरित क्षेत्रों की व्यवहार्यता और रिटर्न क्षमता का आकलन करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य आदि।

विनियामक दिशानिर्देश

बैंक ने बासेल III मानदंडों के तहत जोखिम भारित संपत्ति (आरडब्ल्यूए) की गणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

बैंक ने नियामक से अनुमोदन के अधीन ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए आरडब्ल्यूए/पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोणों पर माइग्रेट करने की भी योजना बनाई है। बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई को एफआईआरबी के अनुसार अपनी पूंजी और आरडब्ल्यूए की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। बैंक ने क्रेडिट जोखिम के लिए उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित (एआईआरबी) दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) को अपनाने के लिए एक औपचारिक आशय पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बैंक तिमाही आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–109 के अनुसार अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना कर रहा है और परिणाम छमाही आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में आरबीआई को प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (RAROC) फ्रेमवर्क विकसित किया है जो क्रेडिट निर्णयों को सक्षम करने हेतु क्रेडिट प्रस्ताव के लिए पूंजी पर रिटर्न की तुलना करने के लिए बैंक को एकल पैमाना प्रदान करता है। ढांचा यह आकलन करने में मदद करता है कि व्यापार प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न रिटर्न कथित जोखिम के अनुरूप है या नहीं जिससे शेयरधारक की इक्विटी के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

VII. साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई)

अप्रैल 2023 में सीसीओई (साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना हमारे साइबर सुरक्षा ढांचे और परिचालन दक्षता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक के डेटा सेंटर में स्थित,सीसीओई आरबीआई परिपत्र के दिशानिर्देशों और उद्योग की बेहतरीन कार्य प्रणाली के अनुरूप 30 से अधिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों के एक समूह की देखरेख करता है। सीएसओएस (साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र) साइबर सुरक्षा और नेटवर्क उपकरणों की वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करता है, विसंगतियों का तुरंत पता लगाने के लिए उन्नत सहसंबंध नियमों और अलर्ट का उपयोग करता है।

Bank has also formulated a qualitative climate risk strategy taking into account the best practices related to climate risk management. The Bank has also put in place Climate Risk Stress Testing Methodology. Bank is in the process of developing Environmental, Social and Governance (ESG) Rating Model which will be used to take informed decisions, once sufficient evidence is in place. Capacity building with respect to climate risk is being carried out at various levels of the Bank on an ongoing basis.

However, many constraints are also faced, such as low availability of India specific data, absence of Indian Taxonomy, insufficient evidence to assess the viability and returns potential of Green sectors, etc.

Regulatory Guidelines

The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computation of Risk Weighted Assets (RWA) under Basel III norms.

The Bank also plans to migrate to advanced approaches for computation of RWA/Capital charge for Credit, Market and Operational Risks subject to approval from the regulator. The Bank is calculating & reporting its capital and RWA as per Foundation Internal Ratings Based (FIRB) to RBI on quarterly basis. The Bank has submitted a formal Letter of Intent for adoption of Advanced Internal Rating Based (AIRB) Approach for Credit Risk and Internal Models Approach (IMA) for Market risk. Necessary actions required in this regard have been initiated.

The Bank is calculating Expected Credit Loss (ECL) as per Indian Accounting Standard (Ind AS)-109 on quarterly basis and the results are submitted to RBI in prescribed Proforma on half-yearly basis.

The Bank has developed Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) framework which provides the Bank with a single scale for comparing the return on capital for a credit proposal to enable credit decisions. The framework helps in assessing whether returns generated by the business proposition are commensurate with the risk perceived, thereby maximizing the value of shareholder's equity.

VII. Cyber Security Centre of Excellence (CCoE)

The inception of CCoE (Cyber Security Centre of Excellence) in April 2023 signifies a pivotal step towards bolstering our cyber security framework and operational efficiency. Situated at the Bank's Data Center, CCoE oversees a suite of over 30 security technology products, aligning with RBI Circular guidelines and industry best practices. The CSOC (Cyber Security Operation Centre) ensures real-time monitoring of cyber security and network devices, employing advanced correlation rules and alerts to detect anomalies promptly.

साइबर सुरक्षा सेटअपः

1. बैंक ने परिधि, एंड प्वाइंट और सर्वर सुरक्षा के लिए उठाए गए मजबूत उपायों के माध्यम से बाहरी खतरों से बचाव के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी सुरक्षा समाधान लागू किए हैं।

2. बैंक ने खतरों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लिए हमले की सतह की निगरानी के लिए प्रसिद्ध/नामचीन विक्रेताओं के साथ सहयोग किया है।

3. संभावित साइबर खतरों की प्रभावी ढंग से पहचान करने और उनका सामना करने के लिए विभिन्न स्रोतों से थ्रेट इंटेल फ़ीड लागू किया गया है।

4. बैंक ने साइबर सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए रेड टीम बनाई है, जिसमें सार्वजनिक मूल्यांकन, फिशिंग सिमुलेशन और रैनसमवेयर और मालवेयर हमलों के लिए तैयारी शामिल है।

आगामी वर्ष में, बैंक आधुनिक सुरक्षा समाधान लागू करने की योजना बना रहा है। जिसमें बेहतरीन कार्यप्रणाली का पालन करने में परिधि उपकरणों का समय–समय पर उन्नयन और एक सुदृढ़ साइबर वातावरण के लिए मौजूदा हार्डवेयर क्षमताओं का लाभ उठाना शामिल है।

साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के तहत इन पहलों को समेकित करके, बैंक का लक्ष्य एक मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवहार विकसित करना और उभरते खतरों को सक्रिय रूप से कम करना है।

VIII. भौतिक सुरक्षा

बैंक के पास सुस्थापित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें प्रधान कार्यालय और फील्ड स्तर पर कार्यरत सुरक्षा संगठन को अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सौंपे गए हैं ।

सुरक्षा संगठन विभिन्न निर्देशों/दिशानिर्देशों के माध्यम से कार्य करता है जिन्हें भौतिक सुरक्षा नीति और अग्नि सुरक्षा नीति के रूप में समेकित किया जाता है। सुरक्षा संगठन बैंक की आस्ति की भौतिक सुरक्षा, इसकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और इसके कर्मचारियों/ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बैंक की सभी शाखाओं को नवीनतम सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुदृढ़ किया गया है, जिसमें 90 दिनों की रिकॉर्डिंग के साथ क्लोज्ड–सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रणाली, बर्गलर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो डायलर, पैसिव इंफ्रारेड (पीआईआर) सेंसर, लाइट सेंसर, पोर्टेबल अग्निशामक, मॉड्यूलर अग्निशामक आदि शामिल हैं। इसके अलावा, लॉकर सुविधा वाली शाखाओं को अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों और हार्ड डिस्क से सुदृढ़ किया गया है, जिसमें 180 दिनों तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संग्रहीत करने का प्रावधान है।

बैंक के पास सभी शाखाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है, जो उनकी भौतिक सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल के अनुसार उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाली शाखाओं में वर्गीकृत है तथा उच्च जोखिम वाली शाखाओं में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का प्रावधान है।

सर्वर रूम, डी.आर. साइट्स जैसे महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए दो स्तरीय भौतिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रारंभिक अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली, स्थायी अग्निशमन प्रणाली, सर्वर रूम में स्वच्छ गैस आधारित अग्नि शमन प्रणाली और विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

Cyber Security Setup:

1. The Bank has implemented the latest technology security solutions to safeguard against external threats through robust measures taken for perimeter, end point and server security.

2. The Bank has collaborated with renowned vendors for attack surface monitoring to bolster resilience against threats.

3. Threat Intel Feed from various sources has been implemented to identify and counteract potential cyber threats effectively.

4. The Bank conducts Red Team Exercises to evaluate and improve cyber defense mechanisms, including public-facing assessments, phishing simulations and readiness for ransomware and malware attacks.

In the upcoming year, the Bank plans to implement modern security solutions. Adherence to best practices includes periodic upgrades of perimeter devices and leveraging existing hardware capacities for a robust cyber environment.

By consolidating these initiatives under the Cyber Security Centre of Excellence, the Bank aims to cultivate a strong cyber security culture and proactively mitigate emerging threats.

VIII. Physical Security

The Bank has well established security and fire safety set-up with clear-cut delegation of authority and responsibility to the Security Organization functioning at Head Office and at the field level.

Security Organization functions through various instructions/guidelines which are consolidated in the form of Physical Security Policy and Fire Safety Policy. Security Organization ensures physical safeguarding of the Bank's asset, its fire safety arrangements and safety of its staff/customers.

All the Bank's branches are strengthened with the latest security and fire safety gadgets such as Closed-Circuit Television (CCTV) System with 90 days recording, Burglar Alarm System, Fire Alarm System, auto dialers, Passive Infrared (PIR) sensors, light sensors, portable fire extinguishers, modular fire extinguishers etc. Furthermore, Branches dealing with locker facility are strengthened with additional CCTV cameras and hard disc with a provision to store CCTV recording till 180 days.

The Bank has a system of guarding all the branches as per their Physical Security Risk profile categorized into High Risk, Medium Risk and Low Risk branches and there is a provision to post security guards in High Risk branches.

For the safety of vital installations like Server Rooms, DR Sites, two layer physical security arrangements, Early Fire Detection and Alarm System, Fixed Firefighting System, Clean Gas based Fire Suppression System in server rooms and various types of Fire-Extinguishers are provided.

कस्टमाइज्ड कैश वैन को किराए पर लेने की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रत्येक अंचल में पर्याप्त संख्या में कस्टमाइज्ड कैश वैन किराए पर ली जाती हैं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकिंग सिस्टम, अग्निशामक यंत्र और सीसीटीवी सिस्टम से लैस होती हैं। कैश वैन के आवागमन को करेंसी चेस्ट स्तर पर नियंत्रित किया जाता है।

किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए, बैंक के पास एक सुस्थापित कारोबार निरंतरता और आकस्मिकता योजना (गैर–आईटी) है। शाखा स्तर तक के कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है जो आग लगने की घटना, भूकंप, आतंकवादी हमले आदि जैसी किसी भी तरह की आकस्मिकता पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों पर बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों पर सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रदर्शन बोर्ड लगाए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, बैंक के अग्निशमन अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष में एक बार सभी प्रशासनिक कार्यालयों में और शाखाओं/अन्य कार्यालयों का दौरा करते समय अग्निशमन और निकासी अभ्यास किया जाता है।

अंचल एवं मण्डल कार्यालयों में सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक समर्पित टीम को तैनात किया जाता है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी शाखाओं में भौतिक सुरक्षा उपायों की लेखा परीक्षा सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव करना और भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के संबंध में पुलिस/राज्य अधिकारियों के साथ संपर्क करना है। वे भौतिक सुरक्षा/संरक्षा, नकदी का संचलन और अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में संबंधित अंचल/मण्डल प्रमुख के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

कर्मचारियों की जागरूकता के लिए स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में समर्पित अग्नि सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

IX. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

1. आंतरिक लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 8174 शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) आरंभ/आयोजित की गई। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1700 शाखाओं/कार्यालयों में आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक बैंक के कुल कारोबार का 56.61 प्रतिशत शामिल था।

166 कार्यालयों/इकाइयों में सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा आयोजित की गई। फेमा लेखापरीक्षा 243 पात्र शाखाओं/कार्यालयों यानी अधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं और व्यापार वित्त केंद्रों में आयोजित की गई। सभी शाखाएं राजस्व लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

2. ऑफसाइट निगरानी

शाखाओं/कार्यालयों की ऑफसाइट निगरानी को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक अलर्ट सिस्टम यानी ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (OSS) लागू किया है और डेटा एनालिटिक्स टीम यानी ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (OSU) भी बनाई है।

ए. **ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस):** पीएनबी और ऑफसाइट सर्विलांस सिस्टम (ओएसएस) के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में

In accordance with the Standard Operating Procedures on Hiring of Customized Cash Vans, adequate number of Customized Cash Vans are hired in each Zone which are equipped with Global Positioning System (GPS) tracking system, fire extinguisher and CCTV system. The movement of Cash vans is controlled at Currency Chest level.

In order to meet any kind of disaster, the Bank has a well-established Business Continuity & Contingency Plan (Non-IT). Offices upto Branch level have Emergency Response Team to respond immediately to any kind of contingency like Fire incident, Earthquake, Terrorist attack, etc. Arrangements have been made to train Bank staff at training centers through Security and Fire Safety videos. Moreover, Demonstration boards for Security and Fire safety have been set up at major training centers. In addition to above, firefighting and evacuation drills are carried out by the Bank's Fire Officers and Security Officers at all Admin offices once a year and when visiting branches/other offices.

A team of dedicated Security Officers and Fire Officers are posted at Zonal Offices & Circle Offices with prime responsibility to carry out audit of physical security measures at branches, installation and maintenance of Security gadgets and to liaison with Police/State authorities in respect to Physical Security and Fire Safety. They act as advisor to respective Zonal Head/Circle Head in all matters related to Physical Security/safety, movement of cash and Fire Safety.

Dedicated Fire Safety & Security Demonstration & Training centers are established in Staff Training Centers for staff awareness.

IX. Internal Control System

1. Internal Audit

During FY 2023-24, Risk Based Internal Audit (RBIA) was commenced/conducted in 8174 branches/offices. During FY 2023-24, 1700 branches/offices were covered under Concurrent/Continuous audit, covering 56.61 per cent of the total business of the Bank as on 31st March, 2023.

Information Security (IS) Audit was conducted in 166 offices/units. Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit was conducted in 243 eligible branches/offices i.e. Authorized Dealer (AD) branches & Trade Finance Centres. All branches were subject to revenue audit.

2. Offsite Monitoring

For strengthening of Offsite Monitoring of branches/offices, the Bank has implemented an Alert System i.e. Offsite Surveillance System (OSS) & also formed Data Analytics team i.e. Offsite Surveillance Unit (OSU).

a. **Offsite Surveillance System (OSS):** Internal audit functions of the Bank and Offsite Surveillance System (OSS), have been automated through an

निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और नवीनता लाने के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन यानी ईटीएचआईसी के माध्यम से स्वचालित किया गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अलर्ट जेनरेट करने के लिए 68 परिदृश्य परिचालन में हैं, जिनमें बैंक द्वारा पहचाने गए 6 नए परिदृश्य शामिल हैं, जो ग्राहकों के लिए लेनदेन के रूप में सीबीएस में सभी सेवा आउटलेट (एसओएल) पर अधिकारियों द्वारा कार्यालय खातों के रूप में की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर आधारित हैं।

बी. **ऑफसाइट सर्विलांस यूनिट (ओएसयू):** ओएसयू एक समर्पित डेटा एनालिटिक्स टीम है जो नियमित आधार पर डेटा डंप विश्लेषण कर रही है और पहचान किए गए परिचालन जोखिम को कम करने के लिए सिस्टम और प्रक्रिया में वृद्धि का सुझाव दे रही है।

3. **प्रशासनिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा**

बैंक ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निर्धारित की है।

लेखापरीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया, संचार प्रणाली, कुशल संसाधन उपयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों आदि सहित प्रशासनिक कार्यालयों के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में निहित जोखिम धारणाओं को है। प्रधान कार्यालय (एचओ) के प्रभागों, घरेलू और विदेशी सहायक कंपनियों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। कम जोखिम वाले कार्यालयों को छोड़कर(जो दो साल में एक बार लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।) अन्य सभी प्रशासनिक कार्यालयों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 238 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 138 मंडल कार्यालय, 22 अंचल कार्यालय, 22 आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 3 घरेलू सहायक कंपनियाँ, 30 प्रधान कार्यालय के प्रभाग तथा 14 कार्मिक प्रशिक्षण कॉलेज शामिल थे।

4. **ऋण लेखापरीक्षा एवं समीक्षा**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सभी घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पात्र ऋण खातों हेतु ऋण लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। ऋण लेखा परीक्षा एवं समीक्षा नीति के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एक वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक की नीति की आवश्यकता को कम से कम 30–40 प्रतिशत पर 31 मार्च, 2023 को बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लेखापरीक्षा कवरेज 55.89 प्रतिशत है। बैंक ने ऋण लेखापरीक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम (क्रेडिट ऑडिट मॉड्यूल) के तहत ऋण लेखापरीक्षा प्रक्रिया को भी डिजिटलीकृत कर दिया है, जो ऋण लेखापरीक्षा का एक पारदर्शी, प्रभावी, सटीक और समय बचाने वाला साधन है।

5. **अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)**

नए ग्राहकों तथा मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित

online application i.e. eTHIC to bring out fairness, objectivity, transparency and innovation in the Internal Audit System.

Presently 68 scenarios are operational for generating alerts including 6 new scenarios identified by the Bank during FY 2023-24 based on various activities being undertaken by the officials at all Service Outlets (SOLs) in CBS in the form of transactions for customers as well as Office accounts.

b. **Offsite Surveillance Unit (OSU):** OSU is a dedicated Data Analytics Team which is conducting data dump analysis on regular basis and suggesting enhancement in system & procedure for mitigating the identified operational risk.

3. **Risk Based Internal Audit of Administrative Office**

The Bank has prescribed Risk Based Internal Audit system for conducting audit of its Administrative Offices.

The audit captures risk perceptions inherent in various areas of functioning of administrative offices including decision making process, communication system, efficient resource utilization and ways & means used to achieve the goals, etc. All Head Office (HO) Divisions, Domestic & Overseas subsidiaries are audited on annual basis. All other administrative offices are audited on annual basis except Low risk rated offices, which are subject to audit once in two years.

During FY 2023-24, audit of 238 administrative offices comprising 138 Circle Offices, 22 Zonal Offices, 22 Zonal Audit Offices, 9 Regional Rural Banks, 30 Head Office Divisions, 3 domestic subsidiaries and 14 Staff Training Colleges was conducted.

4. **Credit Audit and Review**

During FY 2023-24, Credit Audit has been undertaken for all eligible loan accounts both domestic and overseas. In terms of Credit Audit and Review Policy, during FY 2023-24, the coverage of audit is 55.89 per cent of the Bank's total credit portfolio as on 31st March, 2023 against Reserve Bank of India and Bank's policy requirement of at least 30-40 per cent in a year. The Bank has also digitalized Credit Audit process under Credit Audit Online Program (Credit Audit Module) which is a transparent, effective, accurate and time saving tool for better monitoring of Credit Audit.

5. **Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML)**

To ensure meticulous compliance of guidelines on KYC by all Branches/Offices while dealing with new as well as existing customers, the Bank has a transparent Know Your

करने हेतु, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की पारदर्शी नीति लागू की है। केवाईसी से संबंधित विभिन्न मापदंडों जैसे केवाईसी अद्यतनीकरण, लाभार्थी स्वामियों की पहचान, यूसीआईसी, सीकेवाईसी आदि पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूर्णरूपेण लागू किया गया है। मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के स अनुपालन के लिए, बचत और चालू खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलने के लिए कासा बैक ऑफिस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, ग्राहक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) खरीदी गई है।

ग्राहकों के लेन–देन की प्रभावी निगरानी के लिए, बैंक ने पूर्व–निर्धारित परिदृश्यों के आधार पर दिन–प्रतिदिन एएमएल अलर्ट जेनरेट करने के लिए एक एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रणाली लागू की है, जैसा कि भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए)/फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU&IND) द्वारा समय–समय पर सलाह दी जाती है।

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी अनुपालन के बारे में बैंक कर्मचारियों के बीच अधिक जागरूकता लाने के लिए, शाखाओं में स्टाफ सदस्यों के लिए 'पीएनबी यूनिव' में केवाईसी पर ऑनलाइन बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है और प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केवाईसी/एएमएल पर एक सत्र अनिवार्य रूप से लिया जाता है।

डिजिटल पहल

वी–सीआईपी एप्लिकेशन के माध्यम से केवाईसी अपडेशन के लिए एक ऑनलाइन सुविधा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में उन व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है जो आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण के लिए देय हैं या जो केवाईसी का पालन नहीं करते हैं। पात्र ग्राहकों को आईबीएस और पीएनबी वन में दिए गए केवाईसी अद्यतन के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के दस्तावेज अपलोड करना: धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 और केवाईसी पर आरबीआई मास्टर निदेश के संदर्भ में, 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित ग्राहक के केवाईसी विवरण/दस्तावेजों को खाता खोलने के 10 दिनों के भीतर सिक्योरिटाजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इण्डिया (सीईआरएसएआई) की केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा 18 दिसंबर, 2020 को किए गए संशोधनों के माध्यम से, व्यक्तिगत खातों के अलावा, सीकेवाईसीआर को कानूनी संस्थाओं (एलई) तक भी विस्तारित किया गया है, साथ ही 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा को सीकेवाईसीआर पर अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, आरबीआई ने 1 जनवरी, 2017 से पहले, आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण के समय या जब ग्राहक से अद्यतन केवाईसी जानकारी प्राप्त की जाती है; उससे पहले खोले गए व्यक्तियों के खातों के लिए सीकेवाईसीआर अनिवार्य कर दिया है;

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), बीसी एजेंट, टैब, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी–सीआईपी) और शाखा आधारित ई–केवाईसी जैसे स्वचालित चैनलों के माध्यम से खोले गए खाते सीधे सीईआरएसएआई को केंद्रीय रूप से भेजे जाते हैं।

Customer (KYC) Policy in line with regulatory guidelines issued by RBI on various KYC related parameters such as KYC Updation, Identification of Beneficial Owners, Unique Customer Identification Code (UCIC), Central KYC (CKYC) etc. are implemented in form and content. For strict compliance of extant KYC guidelines, CASA Back offices have been established for centralized opening of Savings & Current accounts. Further, Document Management System (DMS) has been procured for digitalization of customer documents.

For effective monitoring of transactions of the customers, the Bank has implemented an Anti-Money Laundering (AML) system for generation of AML alerts on day to day basis based on the pre-defined scenarios, as advised by Indian Banks Association (IBA)/Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) from time to time.

To bring greater awareness amongst the Bank staff about KYC and Anti-Money Laundering (AML)/Combating the Financing of Terrorism (CFT) compliances such as Online basic course on KYC in 'PNB UNIV' - the Bank's learning portal - has been made mandatory for staff members at branches and one session is mandatorily taken on KYC AML in every training program at training centres.

Digital Initiative

An online facility for KYC updation through Video based Customer Identification Process (V-CIP) application has been made available in Internet Banking Services (IBS) and PNB One Mobile Banking Services of the Bank for individual customers who are due for periodic KYC updation or KYC non-compliant. The eligible customers are redirected from IBS and PNB One to V-CIP.

Uploading the documents of Central KYC Registry (CKYCR): In terms of Prevention of Money Laundering Act, 2002 and RBI Master Direction on KYC, customer's KYC details/documents pertaining to all new individual accounts opened on or after 1st January, 2017 have to be invariably uploaded with Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) within 10 days of opening the accounts. Further, vide amendments made on 18th December, 2020 by RBI, in addition to individual accounts, CKYCR has also been extended to Legal Entities (LEs) as well for uploading the KYC data pertaining to accounts of LEs opened on or after 1st April, 2021 on CKYCR. Moreover, RBI has also mandated CKYCR for accounts of individuals opened prior to 1st January, 2017, at the time of periodic KYC updation or earlier; when updated KYC information is obtained from customer.

Accounts opened through automated channels like Document Management System (DMS), BC agents, Tabs, Video based Customer Identification Process (V-CIP) and branch based e-KYC are directly pushed to CERSAI centrally.

कानूनी संस्थाओं के चालू खाते और बचत खाते खोलने और साथ ही सीकेवाईसीआर पर डेटा अपलोड करने की सुविधा को भी डीएमएस पर अनुकूलित किया गया है, जिसके माध्यम से निरंतर आधार पर एलई रिकॉर्ड को सीकेवाईसीआर अपलोड करने की प्रक्रिया डीएमएस पर स्वचालित हो गई है। प्रोपराइटर्स के चालू खाते भी टैब बैंकिंग और वीडियो–केवाईसी के माध्यम से खोलने में सक्षम किए गए हैं। इन्हें शाखा स्तर पर किसी भी भागीदारी के बिना डीएमएस के माध्यम से सीधे सीकेवाईसीआर में धकेल दिया जाएगा, जिसके लिए डीएमएस के साथ एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के माध्यम से व्यक्तियों के लिए पुनः केवाईसी को स्वचालित सीकेवाईसीआर अपलोडिंग प्रक्रिया के लिए 21 नवंबर, 2023 से सभी शाखाओं के लिए लाइव कर दिया गया है।

6. **सतर्कता**

पंजाब नैशनल बैंक का मानना है कि एक संगठन उतना ही मजबूत और ईमानदार होता है जितना कि उसके लोग। कर्मचारी संगठन का चेहरा हैं और बैंक अपने सभी हितधारकों को आश्वस्त करता है कि पीएनबी की पूरी टीम सभी प्रकार के आधिकारिक लेनदेन और आचरण में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब नैशनल बैंक अपने सभी कार्यों में ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसकी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में परिलक्षित हो सकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि बैंक हर समय सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानक के साथ काम करता है।

सतर्कता संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है, भले ही प्रशासनिक पदानुक्रम में उसकी स्थिति कुछ भी हो। सतर्कता प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी संगठन की सत्यनिष्ठा और दक्षता को बनाए रखना है और इसके दायरे में भ्रष्टाचार, कदाचार और कदाचार की रोकथाम और पता लगाना, प्रणालीगत सुधार और दंडात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से प्रणाली को सुव्यवस्थित करना शामिल है। निवारक सतर्कता उपायों, प्रभावी निगरानी तंत्र और मामलों पर पर्यवेक्षी निरीक्षण के माध्यम से हासिल की गई दक्षता के कारण, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त मामलों पर ध्यान दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में सतर्कता प्रबंधन की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न पहलें की हैं जैसे:

ए. वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) – 2023 को बैंक द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 से 05 नवंबर, 2023 तक 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' थीम के साथ मनाया गया ताकि जागरूकता के साथ–साथ सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया जा सके।

   i. कार्यशालाओं / वॉकथॉन / संगोष्ठियों / सार्वजनिक समारोहों / नुक्कड़ नाटकों / निवारक सतर्कता कार्यों / सीएसआर गतिविधियों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 4.65 करोड़ लोगों को प्रेरित किया गया।

Facility for opening of Current accounts and Saving accounts of Legal Entities and simultaneously uploading the data onto CKYCR has also been customized on DMS through which the process of CKYCR uploading of LE records, on an ongoing basis, has been automated on DMS. Current accounts of Proprietors have also been enabled to be opened through Tab Banking and Video-KYC. These shall be directly pushed to CKYCR through DMS without any involvement at branch level, integration for which is under process with DMS.

Re-KYC for Individuals through Document Management System (DMS) has been made LIVE for all the branches w.e.f. 21st November, 2023 for automated CKYCR uploading process.

6. **Vigilance**

The Bank believes that an organization is as strong and honest as its people. The employees are the face of an organization and the Bank assures all its stakeholders including employees, customers, shareholders and regulator/ government bodies that the entire team of the Bank is committed to work with highest level of integrity and probity in all types of its official dealings and conducts.

The Bank is committed towards maintaining the highest standards of integrity in all its operations/dealings, which can be reflected in its policies, procedures and practices that are designed to ensure that the Bank operates with the highest standard of integrity and transparency at all times.

Vigilance is applicable to every individual working in the organization irrespective of his/her position in the administrative hierarchy. The main objective of vigilance administration is to maintain integrity and efficiency of an organization and its scope includes prevention and detection of corruption, misconduct and malpractices, streamlining the system through systemic improvements and punitive actions. Due to efficiency achieved through preventive vigilance measures, effective monitoring mechanism and supervisory oversight over cases, the cases received by the Bank during the year have been taken care of.

In addition to the above, the Bank has taken various initiatives to improve the efficiency of Vigilance Administration in the FY 2023-24 like:

a. Vigilance Awareness Week (VAW) - 2023 was observed by the Bank from 30th October, 2023 to 5th November, 2023 with the theme 'Say no to corruption, commit to the Nation' to promote awareness as well as commitment of Bank towards integrity and transparency and during the VAW-2023.

   i. Approx. 4.65 Crore impression were made to the public by way of various programmes like workshops/walkathons/seminars/public gatherings/ nukkad nataks/preventive vigilance functions/CSR Activities etc.

ii. सभी शाखाओं में बैनर प्रदर्शित करके जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) जागरूकता अभियान चलाए गए। 4,528 ग्राम सभाएं और विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iii. बैंक अधिकारियों के लिए 'ट्रेन द ट्रेनर' कैप्सूल के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लगभग 21,000 अधिकारी लाभान्वित हुए।

b. पिछले वर्ष के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की आईटी प्रणालियों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह के अनुरूपः

i. बैंक ने माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को अपनाया है और सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), विदेश यात्रा, पदोन्नति, विश्राम अवकाश, सबैटिकल छुट्टी आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है।

ii. बैंक ने अधिकारियों द्वारा आस्तियों और देनदारियों को जमा करने की प्रक्रिया को नया रूप दिया है, जिससे अधिकारियों द्वारा विवरण भरने में लगने वाले समय को कम करके प्रक्रिया आसान हो जाएगी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आस्तियों और देनदारियों के प्रसंस्करण के लिए परेशानी मुक्त और पारदर्शी डेटा भी प्रदान किया जाएगा, जिससे आगे–पीछे की पूछताछ से बचा जा सकेगा।

उपरोक्त के अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र/सेमिनार आयोजित किए गए हैं जिनमें मुख्य सतर्कता अधिकारी साथ ही सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सतर्कता संवाद करने के लिए सहभागिता की है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं और मध्य–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए निवारक सतर्कता सत्रों को हिस्सा बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में निवारक/दंडात्मक सतर्कता पर कुल 475 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

बैंक का सतर्कता विभाग एक ई–पत्रिका, 'पीएनबी विजिल' प्रकाशित कर रहा है, और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में गहन जागरूकता के लिए कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित करता है। इससे संचालन में दक्षता आती है और यह परिचालन में कुशलता तथा इसके द्वारा ग्राहक संतुष्टि और संगठन में बेहतर अनुपालन संस्कृति के मूल्य को बढ़ाता है।

X. सूचना का अधिकार अधिनियम

बैंक का मानना है कि पारदर्शिता बैंक के मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ स्थायी विश्वास बनाने की कुंजी है। बैंक आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करके इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

ii. Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) awareness campaigns were made through display of banners in all branches. 4,528 Gram Sabhas and various other financial literacy programs were organized.

iii. Training on Thematic Areas of Vigilance Awareness Week was conducted under 'Train the Trainer' Capsule for the bank officials. Approx. 21,000 officials were benefitted through these training programmes.

b. During the last year in line with the Central Vigilance Commission (CVC)'s advice of focusing on leveraging of IT systems:

i. The Bank has adopted the vision of Hon'ble Prime Minister and has digitalized the process of obtaining vigilance clearances on various occasions like on Retirement, Voluntary Retirement Scheme (VRS), Foreign visit, Promotion, Sabbatical leaves etc.

ii. The Bank has revamped the process of submission of Assets and Liabilities by the officials, which will ease the process by reducing the time taken in feeding the details by the officers and will also provide hassle-free and transparent data for processing of assets and liabilities by the competent authorities, hence avoiding back and forth queries.

In addition, various training sessions/seminars have been organized pan-India, wherein the Chief Vigilance Officer, as well as senior officials from Vigilance Department have interacted on Vigilance matters. Preventive Vigilance Sessions are made part of induction of Management Trainees and Mid-Career training programmes. Total 475 training sessions have been conducted on preventive/punitive vigilance in the last one year.

The Vigilance Department of the Bank has been publishing an e-magazine, 'PNB Vigil', and conducts online quiz on preventive vigilance for staff for deeper awareness of issues of importance. This leads to efficiency in operations and thereby adding value to the customer satisfaction and better compliance culture in the organization.

X. Right to Information (RTI) Act

The Bank believes that transparency is the key towards building sustainable trust with the existing and potential customers of the bank. The bank is committed towards this objective by implementing the provisions of RTI Act in letter and in spirit.

बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण और स्वतः प्रेरणा प्रकटन के परिणाम वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आरटीआई से संबंधित मामलों में समग्र कमी के रूप में देखे जा सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, बैंक को 5,446 आरटीआई से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष के 6,797 आरटीआई से संबंधित मामलों से 19 प्रतिशत कम है।

इसके अलावा, बैंक ने आरटीआई मामलों के प्रभावी और समय पर निपटान पर बातचीत करने के लिए अपने 161 केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित कीं।

XI. परिचालन निष्पादन के सन्दर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

31 मार्च, 2024 के अंत तक, बैंक का सकल वैश्विक कारोबार 23,53,038 करोड़ रुपये था, जिसमें सकल वैश्विक अग्रिम 9,83,325 करोड़ रुपये और सकल वैश्विक जमा 13,69,713 करोड़ रुपये था। चालू और बचत जमा (CASA) 5,52,499 करोड़ रुपये थी, जिसमें घरेलू CASA हिस्सेदारी 41.44 प्रतिशत थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बैंक का परिचालन लाभ 8,245 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ 24,931 करोड़ रुपये था।

XII. ईज(EASE) निष्पादन

ईज पीएसबी सुधार एजेंडा के हिस्से के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा एक पहल है और अपने 7वें पुनरावृत्ति के तहत जारी है। पिछले कुछ वर्षों में, यह सभी पीएसबी के रणनीतिक निर्णयों में गहराई से शामिल हो गया है।

ईज 1.0 से इसके वर्तमान संस्करण तक की प्रक्रिया में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जिसमें डिजिटल ग्राहक अनुभव, एनालिटिक्स–संचालित कारोबार सुधार, तकनीक और डेटा–सक्षम क्षमता निर्माण और मानव संसाधन संचालन में वृद्धि पर जोर दिया गया है।

बैंक ने ईज ढांचे को पूरे दिल से अपनाया है और लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जो बैंकिंग क्षेत्र में सार्थक सुधार लाने और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है।

ईज 5.0 के दौरान, बैंक ने एनालिटिक्स क्षमताओं के निर्माण, व्यापक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली, धोखाधड़ी लचीलापन, साइबर सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं को अपनाने, ग्राहक केंद्रित डिजिटल पेशकश और कर्मचारी विकास से संबंधित क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक ने ईज निष्पादन सूचकांक के तहत सभी पीएसबी के बीच कुल मिलाकर तीसरा स्थान हासिल किया था और दो विषयों यानी 'डिजिटली–सक्षम ग्राहक पेशकश', और 'बिग डेटा और एनालिटिक्स' के तहत दूसरा स्थान हासिल किया था।

ईज 6.0 के दौरान, बैंक ने नए मानव संसाधन सुधारों को लागू करने के साथ–साथ खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाएं शुरू की हैं। **इस सक्रिय दृष्टिकोण के माध्यम से, बैंक एक स्थान आगे बढ़ गया है और दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान पीएसबी के बीच कुल मिलाकर दूसरी रैंक हासिल की है, साथ ही दो विषयों यानी 'डिजिटल और एनालिटिक्स–संचालित कारोबार सुधार' और 'टेक और डेटा–सक्षम क्षमता निर्माण' के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है।**

The results of the Bank's proactive approach and suo-moto disclosures can be seen by the overall reduction of RTI related matters during the FY 2023-24. During the period of 1st April 2023 to 31st March 2024, the Bank received 5,446 RTI related application, a decrease of 19 per cent from previous years 6,797 RTI related matters.

In addition, bank conducted training sessions and workshops on Pan India basis of its 161 Central Public Information Officers (CPIOs) to interact on effective and timely disposal of RTI matters.

XI. Discussion on Financial performance with respect to operational performance

As at the end of 31st March, 2024, Bank's Gross Global Business stood at Rs. 23,53,038 Crore with Gross Global Advances at Rs. 9,83,325 Crore and Global Deposit at Rs. 13,69,713 Crore. Current and Saving Deposits (CASA) was at Rs. 5,52,499 Crore with domestic CASA share at 41.44 per cent. In addition, Bank's Operating Profit was at Rs. 24,931 Crore with the Net Profit of Rs. 8,245 Crore for the FY 2023-24.

XII. EASE Performance

EASE is an initiative by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MOF), Government of India (GOI) as part of the PSB Reforms Agenda and is continuing under its 7th iteration. Over the years, it has become deeply ingrained in all PSBs strategic decisions.

Journey from EASE 1.0 to its current version, has witnessed a transformative shift, emphasizing digital customer experience, analytics-driven business improvement, tech and data-enabled capability building and HR operations enhancement.

The Bank has embraced the EASE framework wholeheartedly and continuously achieving significant milestones, reflecting our dedication for driving meaningful reforms and enhancing customer convenience in the banking sector.

During EASE 5.0, the Bank has done well in areas related to building analytics capabilities, comprehensive digital collection management system, fraud resilience, cyber security, adopting modern technology capabilities, customer centric digital offerings and employee development. The Bank had secured overall 3rd position amongst all PSBs under EASE performance index with 2nd position under two themes i.e., "Digitally - enabled customer offerings", and 'Big data and analytics'.

During EASE 6.0, the Bank has introduced various Digital Journeys across Retail, Agriculture and MSME (RAM) sector along with implementing novel HR reforms. Through this proactive approach, the Bank has moved up by one place and overall **secured 2nd rank amongst PSBs during December 2023 quarter along with 1st rank under two themes i.e. 'Digital and analytics-driven business improvement' and 'Tech and data-enabled capability building'.**

इन सुधारों के तहत कुछ उपलब्धियों में केसीसी, आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यवसाय ऋण, वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में उन्नत एमएसएमई और कृषि कार्यक्षमता, मोबाइल बैंकिंग में एनआरआई के लिए नए युग की सुविधाएँ, एनालिटिक्स आधारित संग्रह दृष्टिकोण, गैर–आधार शाखाओं के माध्यम से ग्राहक सेवाएँ, विक्रेता ऑन–बोर्डिंग के लिए ओपन एपीआई तकनीक, शाखाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण उपकरण, कर्मचारियों के लिए भूमिका स्पष्टता उपकरण और उच्च संभावित उत्तराधिकारियों के लिए वन–टू–वन कोचिंग के लिए डिजिटल ऋण प्रक्रियाएं शामिल हैं।

संक्षेप में कहें तो, 2018 से शुरू हुई ईज सुधार एजेंडे के तहत बैंक की प्रक्रिया ने मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी, सहयोग और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हासिल किया है।

XIII. मानव संसाधन/नियोजित किए गए कर्मचारियों की जानकारी संख्या सहित औद्योगिक संबंध में आए महत्वपूर्ण बदलाव

1. मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की कुल संख्या: निम्नलिखित तालिका में दी गई स्टाफ संख्या पीएनबी हेतु मार्च 2023 और मार्च 2024 में सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं।

संवर्ग वार कर्मचारी संख्या

संवर्ग	31.03.2023		31.03.2024	
	संख्या	कुल स्टाफ का प्रतिशत	संख्या	कुल स्टाफ का प्रतिशत
अधिकारी	51309	49.28%	51488	50.31%
लिपिक	28984	27.84%	28080	27.43%
अधीनस्थ कर्मचारी (पीटीएस सहित)	23827	22.88%	22781	22.26%
कुल	**104120**	**100.00%**	**102349**	**100.00%**

आरक्षण नीति

बैंक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी के संबंध में समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनुसरण करता है। मानदंडों के अलावा बैंक ने आरक्षण रोस्टर बनाने, अलग संपर्क अधिकारी आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या

(संख्या में)

संवर्ग	31.03.2024			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पीडब्ल्यूडी
अधिकारी	10319	3956	13237	1488
लिपिक	5566	1596	7644	893
अधीनस्थ कर्मचारी	8725	1578	5741	497
कुल	**24610**	**7130**	**26622**	**2878**

Some achievements under these reforms include digital lending journeys for KCC, Housing loan, Vehicle loan, Business loan, Financial Supply Chain Management, Enhanced MSME and Agri functionalities in Mobile Banking and Internet Banking, New age features for NRIs in Mobile Banking, Analytics based collections approach, Customer Services through non-base branches, Open API technology for vendor on-boarding, Target setting tool for branches, Role clarity tool for employees and One-to-One coaching for high potential successors.

To summarize, the Bank's journey under EASE reform agenda, started from 2018, has achieved needed impetus to excel in areas such as Human resource development, technology, collaboration and customer service.

XIII. Material Developments in Human Resources (HR)/Industrial Relations front including number of people employed

1. Human Resources Management

Total number of employees: Staff strength given in the following table are for the Bank for March 2023 and for March 2024 including those on deputation in the subsidiaries.

Cadre wise Staff Strength

Cadre	31.03.2023		31.03.2024	
	Number	% of Total Staff	Number	% of Total Staff
Officer	51309	49.28%	51488	50.31%
Clerks	28984	27.84%	28080	27.43%
Sub Staff (incl. PTS)	23827	22.88%	22781	22.26%
Total	**104120**	**100.00%**	**102349**	**100.00%**

Reservation Policy

The Bank follows the reservation policy for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Castes (OBCs) and Person with Disabilities (PWD) as prescribed by Government of India from time to time. Besides, as per norms, the Bank has taken various steps like maintaining reservation roster, separate liaison officer etc.

Strength of SC/ST/OBC/PWD Employees

(in numbers)

Cadre	31.03.2024			
	SC	ST	OBC	PWD
Officer	10319	3956	13237	1488
Clerks	5566	1596	7644	893
Sub-Staff	8725	1578	5741	497
Total	**24610**	**7130**	**26622**	**2878**

कर्मचारियों की आयु प्रोफ़ाइल

पिछले कुछ वर्षों में समग्र कर्मचारियों की औसत आयु में कमी आई है। पिछले दो वर्षों में संवर्गवार औसत आयु का विवरण निम्नानुसार है:

(औसत आयु वर्षों में)

को औसत आयु	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	सर्व सम्मिलित
मार्च 2023	39.23	38.40	36.86	38.46
मार्च 2024	39.28	38.67	37.45	38.70

औद्योगिक संबंध

बैंक में अधिकारी संघ/कर्मचारी संघों के साथ औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। यूनियन/एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वर्ष के दौरान बहुसंख्यक अधिकारी संघ/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ मंडल/अंचल/प्रधान कार्यालय स्तर पर विभिन्न भौतिक बैठकें आयोजित की गईं।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

बैंकिंग क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिणामस्वरूप, बदलती दुनिया में बैंक के फलने–फूलने के लिए न केवल उपयुक्त तकनीक, सिस्टम और प्रक्रियाओं का होना महत्वपूर्ण है, बल्कि आवश्यक कौशल, दृष्टिकोण, क्षमताओं और अनुकूलन क्षमता वाले व्यक्तियों को नियोजित करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को उनके ज्ञान/कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक मानव संसाधन क्षमता निर्माण ढांचा मौजूद है। प्रशिक्षण प्रक्रियाओं की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है और उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाता है। कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि हाइब्रिड मोड अर्थात, पारंपरिक (व्यक्तिगत प्रशिक्षण) और ऑनलाइन शिक्षण, प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा प्रशिक्षण, नौकरी प्रशिक्षण, ऑन–लोकेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, परामर्श देना, कोचिंग, ई–लर्निंग, वर्चुअल कक्षाएं, वीडियो ट्यूटोरियल, कॉन्क्लेव आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती है, इसके अतिरिक्त, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है।

बैंक ने कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए उनके जीवन चक्र के अनुरूप क्षमता निर्माण के लिए कई उपाय किए। बैंक कर्मचारी का जीवन–चक्र एक इंडक्शन प्रोग्राम से शुरू होता है। बैंक में इंडक्शन ट्रेनिंग का उद्देश्य नए कर्मचारियों को संगठन, इसकी संस्कृति, नीतियों और प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। सीखने के लिए बैंक में अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और बैंक की वृद्धि और विकास के लिए मौजूदा जनशक्ति को उचित कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए, वित्त वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित उपाय किए गए:

Age Profile of the Employees

The average age of overall employees has come down over the years. The movement of cadre-wise average age in the last two years is as under:

(Average age in years)

Average Age as on	Officer	Clerical	Sub Staff	Over All
March 2023	39.23	38.40	36.86	38.46
March 2024	39.28	38.67	37.45	38.70

Industrial relations

Industrial Relations in the Bank continued to be cordial with Officers' Association/Workmen Unions. Various physical meetings at Circle/Zonal/Head Office level were held with representatives of majority Officers' Association/Workmen Unions during the year to promptly resolve the issues raised by union/association.

2. Training Activities

The Banking sector plays a crucial role in economic growth of the country. As a result, it is crucial not only to have the appropriate technology, systems and processes but also employ individuals with necessary skills, attitude, abilities and adaptability for the Bank to thrive in an ever-changing world. Therefore, a HR capability building framework is in place to help staff members in improving their knowledge/skills to enhance efficiency and productivity. Training processes are carefully planned and aligned with the organizational goals. Knowledge Enhancement of the employees is achieved through Hybrid Mode, i.e., traditional (in-person training) and online learning, through various modes of trainings such as classroom training, on the job trainings, on-location programs, workshops, mentoring, coaching, e-learning, virtual classes, video tutorials, conclaves, etc. In addition to this, experiential learning is also being emphasized upon through various activities.

The Bank undertook a number of measures for capacity building among employees aligned with their life cycle for their overall development. The life-cycle of the Bank employee starts with an Induction program. The purpose of Induction training in the Bank is to orient the new employees to the organization, its culture, policies and procedures. To promote conducive environment in the Bank for learning and to equip the existing manpower with appropriate skills and knowledge for the Bank's growth and development, following measures were taken in the FY 2023-24:

ए. कर्मचारी के जीवन चक्र के अनुरूप तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

i. बैंक के सभी कैडर और स्केल के कर्मचारियों के लिए इंडक्शन से लेकर कैडर परिवर्तन, भूमिका परिवर्तन और कौशल उन्नयन तक के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii. पहली बार मंडल प्रमुखों और पहली बार शाखा प्रमुखों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उन्हें नई भूमिकाओं में निर्बाध स्विच करने की सुविधा मिल सके।

iii. अगले कैडर में पदोन्नति पर कर्मचारियों के लिए कैडर परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iv. क्रेडिट और विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस अधिकारियों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए गहन क्रेडिट और विदेशी मुद्रा कार्यक्रम तैयार और संचालित किए गए।

v. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में बदलाव में मदद करने के लिए 'दूसरी पारी' कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बी. पीएनबी उड़ान के तहत नेतृत्व विकास कार्यक्रम

i. उभरते कारोबारी माहौल में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की दृष्टि से, बैंक 3 पी यानी लोग, उत्पाद और प्रक्रियाओं को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। पहले 'पी' यानी लोगों के विकास के लिए, बैंक ने एक महत्वाकांक्षी मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना, 'उड़ान' शुरू की, जिसके तहत स्केल V और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों (900 से अधिक) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) आयोजित किए गए।

ii. कार्यक्रम 3 मंचों पर आयोजित किया गया था, प्रत्येक मंच पर साइकोमेट्रिक परीक्षणों द्वारा पहचाने गए अंतराल क्षेत्रों को कम करने के लिए इन अधिकारियों के बीच व्यवहारिक दक्षता विकसित करने के लिए प्रत्येक के लिए अलग–अलग प्रशिक्षण दिया गया था।

सी. कक्षा से बाहर क्षमता निर्माण

i. बैंक, अपने कर्मचारियों के ज्ञान के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता को पहचानते हुए, अनुमोदित योजना के अनुसार विशिष्ट उच्च/पेशेवर योग्यता प्राप्त करने पर स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशिष्ट योग्यताएं प्राप्त करने/विशिष्ट पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना के तहत अनुमोदित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अलावा, कर्मचारियों को विशेष कौशल/पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पहली बार कौरसेरा, उडेमी आदि जैसी विभिन्न मान्यता प्राप्त एजेंसियों से स्व–गति वाले ई–लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किए गए।

a. Tailor-made training programs to suit employee's life cycle

i. Programs ranging from induction to cadre change, role change and upskilling were conducted for employees of the Bank across all cadres and scales.

ii. Customized programs for First Time Circle Heads and First Time Branch Heads were conducted to facilitate their seamless switch to new roles.

iii. Cadre change programs were conducted for employees on elevation to next cadre.

iv. Intensive Credit and Forex programs were curated and conducted to develop a line of officers equipped with necessary skills to work in the domain of credit and forex.

v. 'Second Innings' programs were conducted for superannuating employees to help them transition to post-retirement life.

b. Leadership Development Program under PNB Udaan

i. With a view to have a competitive edge in the evolving business environment, the Bank is seeking to evolve the 3 P's, i.e., People, Product and Processes. For the development of first 'P', i.e., People, the Bank launched an ambitious Human Resource Transformation project, 'UDAAN', under which Leadership Development Programs (LDP) were conducted for all officers (900 plus) of Scale V and above.

ii. The program was conducted in 3 forums, each followed by one to one coaching to develop behavioural competencies among these executives to plug the gap areas as identified by the psychometric tests.

c. Capacity Building beyond classroom

i. The Bank, while recognizing the need for continuous up-gradation of knowledge of its employees, offers incentive to staff members on their acquiring specific higher/professional qualifications in terms of the approved scheme. The number of approved courses under the Scheme for providing incentive to Staff Members for acquiring Specialized Qualifications/qualifying Specific Courses, was increased. Further, for the first time, self-paced e-learning courses from various accredited agencies like Coursera, Udemy, etc., were introduced to enable staff to obtain specialized skills/courses/certifications.

ii. अनुकूलित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) संस्करण 5.0 शुरू किया गया था, जो कि हमारा इन–हाउस प्लेटफॉर्म है, जिसे कर्मचारियों को पाठ्यक्रम के रूप में ज्ञान स्निपेट कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। सिस्टम 15,000 साझा करने योग्य सामग्री ऑब्जेक्ट संदर्भ मॉडल (एससीओआरएम)/वीडियो सामग्री उपयोगकर्ता समवर्ती और 30,000 मूल्यांकन समवर्ती के लिए सक्षम है। इस प्रणाली में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध इंटरफ़ेस के साथ जॉब फैमिली के अनुसार अंक प्रबंधन की क्षमता भी है। एलएमएस में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अंकों को कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में उचित महत्व दिया जाता है।

डी. विशिष्ट कार्यक्रम

i. प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों और चरणों से परिचित कराने के लिए आईआईएम के संकायों के सहयोग से डिजिटल मार्केटिंग पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ii. ग्राहक सेवाओं और सॉफ्ट स्किल्स पर फ्रंट डेस्क अधिकारियों के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के ग्राहक प्रबंधन कौशल और भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए बाहरी संकायों को लगाया गया था।

ई. समावेशिता को बढ़ावा देना

i. लर्निंग एंड डेवलपमेंट वर्टिकल का एजेंडा न केवल कर्मचारियों की व्यवहारिक शिक्षण को पूरा करना है, बल्कि प्रशिक्षण एजेंडे के एक भाग के रूप में सेमिनार जैसे विभिन्न तरीकों से कार्यबल को प्रेरित करना भी है। पिछले वर्ष की गई ऐसी ही एक पहल बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन में महिला अधिकारियों के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन करना था जहां बैंक में महिला कार्यबल को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित महिला वक्ताओं को बुलाया गया था। इसके अलावा, कार्यस्थल पर लिंग विविधता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर प्रशिक्षण और वेबिनार भी आयोजित किए जाते हैं। सभी कर्मचारियों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाने के लिए POSH पर एक ई–पाठ्यक्रम भी डिजाइन और उपलब्ध कराया गया है।

ii. बैंक 'अनियमित ऋण खातों के लिए फॉलो–अप' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 'विकलांगता में क्षमता' खोजने की पहल के तहत अपने कौशल को निखारकर दिव्यांग कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है।

iii. वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में 17,921 पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ii. The customized Learning Management System (LMS) version 5.0 was rolled out, which is our in-house platform developed to offer knowledge snippets in the shape of courses to employees accessible anytime, anywhere. The system is capable for 15,000 Sharable Content Object Reference Model (SCORM)/Video content user concurrency and 30,000 assessment concurrency. The system also has the potency for Job family wise marks management with an interface available in both Hindi and English languages. Marks scored by employees in LMS are given due weightage in employees' performance appraisal.

d. Specialized Programs

i. A specialized program on Digital Marketing was conducted in collaboration with the faculties from IIMs to equip the participants with the nuances and stages of Digital Marketing.

ii. A series of programs were conducted for Front Desk officials on Customer Services and soft skills. External faculties were engaged to enhance customer handling skills and language skills of the staff to converse with the customers.

e. Promoting inclusivity

i. Agenda of Learning & Development vertical is not just to cater to functional learning of staff, but also to motivate the workforce by different methods such as seminars as a part of training agenda. One such initiative taken last year was conducting Women's Conclave for lady executives in the Bank in Senior Management where eminent women speakers were called to motivate the women workforce in the Bank. Further, trainings and webinars are also conducted on Gender Diversity and Prevention of Sexual Harassment (POSH) at workplace. An e-course on POSH has also been designed and made available for all the employees to sensitize them on the issue.

ii. The Bank is also looking at ways to make differently abled staff more productive by honing their skills under initiative of finding 'ability in disability' by conducting training programs on 'Follow-up for irregular loan accounts'.

iii. As per statutory requirement, pre-promotion training was imparted to 17,921 eligible employees in FY 2023-24.

एफ. ज्ञान समर्थक

i. **पीएनबी डिजिटल लाइब्रेरी**, जो रेफरल बुकलेट और वीडियो की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक केंद्रीकृत भंडार है, को हमारे फील्ड स्टाफ तक आसान पहुंच के लिए सावधानीपूर्वक व्यवस्थित ढंग से सभी को ज्ञान संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

ii. कार्यबल की दक्षता में सुधार के लिए, **'पीएनबी ज्ञान कोष'** नामक एक नए डैशबोर्ड में एक स्थान पर जॉब फैमिली के आधार पर जानकारी पुनर्गठित की गई है। डैशबोर्ड को शिक्षण सामग्री/दस्तावेजों को अलग करने हेतु अनुकूलित किया गया है ताकि उनके कार्य की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए विशिष्ट संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच को सक्षम बनाया जा सके। नए जॉब फैमिली ढांचे के अनुसार इसमें सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है।

iii. **नई उत्पाद लॉन्च पुस्तिकाएं और वीडियो तैयार करना:** बैंक ने डिजिटल परिवर्तन की यात्रा शुरू की है और बैंक द्वारा डिजिटलीकरण पर कई नई पहलें की गई हैं। अध्ययन एवं ज्ञान प्रबंधन केंद्र (LKMC) ने वित्त वर्ष 2023–24 में नए उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए 87 वीडियो लॉन्च और बुकलेट तैयार किए हैं ताकि फील्ड पदाधिकारियों को समझने में आसानी हो और त्वरित संदर्भ प्राप्त हो सके।

भावी योजना

भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमबद्ध विकास के केंद्र में है और बैंकिंग क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक के बुनियादी सिद्धांत सुदृढ़ है और वे अपनी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। मजबूत खपत, सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि और मजबूत वृहत बुनियादी सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष 2023–24 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था थी और यह 2024 में जी–20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 8.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 8.6 प्रतिशत तथा सभी अनुमानों को पार करते हुए चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी तथा वित्त वर्ष 2023–24 में (अनंतिम अनुमानों के अनुसार) समग्र रूप से 8.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई है।

बैंकिंग क्षेत्र नई और चुस्त प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ अपने सिस्टम के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और क्लाउड टेक्नोलॉजीस की शक्ति का उपयोग करके, बैंक अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकते हैं। बदले में, यह उन्हें ग्राहकों के लिए डिजिटल ऑन–बोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ऋण वितरण में तेजी लाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, ये उन्नत प्रौद्योगिकियां मूल्यवान निर्णय लेने वाले टूल के रूप में काम करती हैं, जिससे बैंकों को अपने ग्राहकों के व्यवहार पैटर्न का आकलन करने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट मूल्यांकन में एआई और एमएल का उपयोग न केवल क्रेडिट वितरण तंत्र में सुधार करता है बल्कि धोखाधड़ी की रोकथाम में भी सहायता करता है।

f. **Knowledge Enablers**

i. **PNB Digital Library**, which is a centralized repository for a wide range of referral booklets and videos, was launched with the objective of providing all knowledge resources meticulously organized for the easy access to our field staff.

ii. For improving competencies of the workforce, job family wise information has been reorganized at one place in a new dashboard named **'PNB Gyan Kosh'**. The dashboard has been customized to segregate learning material/documents to enable easy access to relevant information specific to their job roles and responsibilities. Revamping the same as per New Job family framework is under process.

iii. **New product launch booklets and videos prepared:** The Bank has embarked on the journey of Digital Transformation and many new initiatives to promote Digitalization have been taken by the Bank. Learning & Knowledge Management Centre (LKMC) has prepared 87 launch videos and booklets for new products & procedures in FY 2023-24 for easy understanding and quick reference of the field functionaries.

WAY FORWARD

Indian economy is at the cusp of sequential growth and banking sector is pivotal to the economic growth of India. Banks have strong fundamentals and are well positioned to play the part. The Indian economy was the fastest growing major economy in the world in FY 2023-24 on the back of robust consumption, increased government capex and strong macro fundamentals and it will continue to be the fastest growing economy among the G-20 nations in 2024. In FY 2023-24, India's economy expanded at 8.2 per cent in Q1, 8.1 per cent in Q2, 8.6 per cent in Q3 and 7.8 per cent in Q4, surpassing all estimates, and overall it has registered growth at 8.2 per cent in FY 2023-24 (as per Provisional Estimates).

The banking sector is experiencing a transformation through the digitization and modernization of its systems with the advent of new and agile technologies. By harnessing the power of Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Cloud Technologies, banks can enhance their operational efficiency. This, in turn, enables them to streamline the digital on-boarding process for customers and expedite loan disbursals. Moreover, these advanced technologies serve as valuable decision-making tools, allowing banks to assess the behavioural patterns of their customers. Additionally, the utilization of AI and ML in credit appraisal not only improves the credit delivery mechanism but also aids in fraud prevention.

UPI की सफलता, अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने के कारण भारत नए बिज़नेस मॉडल के उदय का अनुभव कर रहा है। इसने ग्राहकों को अपने डेटा का लाभ उठाने और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सशक्त बनाने के लिए अभिनव सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि की है।

ग्राहक व्यवहार में हो रहे विकास के साथ, फिनटेक बैंकों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये बैंकों को अपनी सेवाओं को बढ़ाने और अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अग्रणी तकनीक प्रदान कर रहे हैं। फिनटेक द्वारा विकसित उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने के लिए बैंकों को फिनटेक के साथ अधिक जुड़ना चाहिए। साथ ही, फिनटेक को ग्राहकों के व्यवहार को समझने और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए बैंकों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। दोनों पक्ष मिलकर भारत के संपूर्ण वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला सकते हैं।

आगे बढ़ते हुए, हरित और सस्टेनेबल बैंकिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो वैश्विक बेंचमार्क के बाद पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) लक्ष्यों के साथ अनुरूप पहलों की दिशा में संसाधनों को निर्देशित करेगा। वित्तीय संस्थान वर्चुअल डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को शामिल करने के लिए अपनी पेशकशों का विस्तार कर रहे हैं, जो न केवल सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, बल्कि ग्राहकों के लिए भी सुलभ हैं।

बैंकिंग के लगातार विकसित होते परिदृश्य में, पंजाब नैशनल बैंक दृढ़ संकल्प के साथ आज और कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जैसा कि बैंक अपनी 130 साल की लंबी यात्रा को दर्शाता है, 'अच्छा करके अच्छा करना' एक मंत्र से बढ़कर है; यह बैंक के लोकाचार की आधारशिला है। संस्था का दृढ़ विश्वास है कि इसकी सफलता इसके विविध ग्राहक खंडों की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत और मजबूत उपस्थिति के आधार पर, बैंक अपने विकास और नवाचार को जारी रखने के लिए तैयार है। आगे देखते हुए, उद्योग में पूर्व–प्रतिष्ठित बैंक और पसंद का नियोक्ता बनने का इसका दृष्टिकोण दृढ़ है। तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए, बैंक निर्बाध डिजिटल यात्रा के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्वीकार करते हुए कि डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी से परे है, बैंक ग्राहकों और समुदायों के साथ बातचीत करने के तरीके को नया आकार दे रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों से लाभान्वित हों।

बैंक नैतिक बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, वित्तीय विकास के साथ–साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को प्राथमिकता देता है। संस्था मानती है कि स्थायी सफलता मजबूत क्रेडिट अंडरराइटिंग और सक्रिय वसूली उपायों पर टिका है, जो आस्ति की गुणवत्ता में सुधार करेगा और लाभप्रदता को बढ़ाएगा।

बैंक के समर्पित कर्मचारीगण अपने लक्षित प्रयासों के माध्यम से इसके ब्रांड मूल्य को बढ़ाना जारी रखेंगे, पंजाब नैशनल बैंक को विश्वसनीय भागीदार के रूप में मजबूत करेंगे, जिस पर ग्राहक भरोसा कर सकते हैं। साथ में, वे सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने

India is experiencing the rise of new business models due to the success of UPI, the implementation of the Account Aggregator (AA) framework and the widespread adoption of digital banking services. This has led to an increasing number of banks collaborating with innovative service providers to empower customers in leveraging their data and accessing a broader range of services.

With the evolution happening in customer behaviour, fintechs are acting as a catalyst for banks. These are providing banks with cutting-edge technologies to augment their services and cater to their customers' changing needs. Banks must engage more with fintechs to leverage the advanced technologies developed by fintechs. Also, fintechs need the expertise of banks to understand customer behaviour and increase customer engagement. The two parties together can bring a revolution to the entire financial landscape of India.

Going ahead, there will be a renewed focus on Green and Sustainable Banking, directing resources towards initiatives that align with Environment, Social and Governance (ESG) goals following global benchmarks. Financial institutions are expanding their offerings to include eco-friendly products such as virtual debit and credit cards, which are not only convenient and user-friendly but also accessible to customers.

In the ever-evolving landscape of banking, Punjab National Bank stands resolute, poised to navigate the challenges of today and tomorrow with unwavering commitment. As the bank reflects on its 130-year long journey, "Doing well by doing good" remains more than a mantra; it is the cornerstone of the Bank's ethos. The institution firmly believes that its success is intertwined with the prosperity of its diverse customer segments.

Building upon its rich legacy and strong presence in the Indian banking sector, the Bank is primed to continue its evolution and innovation. Looking ahead, its vision of becoming the pre-eminent bank in the industry and the employer of choice remains steadfast. Embracing technological advancements, the Bank is committed to enhancing customer experience through seamless digital journeys. Recognizing that digitization transcends mere technology, the Bank is reshaping the way it interacts with customers and communities, ensuring they benefit from cutting-edge digital solutions while upholding the highest ethical standards.

The Bank reaffirms its commitment to ethical banking practices, prioritizing societal and environmental well-being alongside financial growth. The institution recognizes that sustainable success hinges on robust credit underwriting and proactive recovery measures, which will drive improvements in asset quality and bolster profitability.

The Bank's dedicated employees, through their targeted efforts, will continue to elevate its brand value, reinforcing Punjab National Bank as the trusted partner upon which customers can rely. Together, they embody the institution's mission of delivering quality financial services by leveraging technology to

के संस्थान के मिशन को मूर्त रूप देते हैं, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करते हुए, अपने आदर्श वाक्य – "भरोसे का प्रतीक" के प्रति ईमानदार रहते हैं।

अपने मूल मूल्यों– टीम वर्क, नवाचार, वस्तुनिष्ठता, अनुकूलनशीलता और सत्यनिष्ठता द्वारा निर्देशित – बैंक कल की चुनौतियों को अपनाने के लिए तैयार है, पंजाब नैशनल बैंक और इसके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए अपनी ताकत और विरासत का लाभ उठा रहा है।

****

create value for all stakeholders, contributing to the economic growth of the nation, whilst staying true to its motto – "the name you can bank upon".

Guided by its core values—teamwork, innovation, objectivity, adaptability and integrity—the Bank is ready to embrace the challenges of tomorrow, leveraging its strengths and legacy to forge a brighter future for Punjab National Bank and the communities it serves.

****

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यगण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम') में यथानिर्धारित, संबंधित वर्ष के दौरान जैसा लागू है, हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब नैशनल बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के निबंधनों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई उनकी कार्यपद्धतियों तथा उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उनके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति की है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, उपर्युक्त सेबी विनियमों में यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की निबंधनों का अनुपालन इस सीमा में किया है कि इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन न हो:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(e), 9(3)(f) 9(3)(g) और 9(3)(h) के अंतर्गत एक–एक निदेशक की स्थिति बैंक के बोर्ड में रिक्त थी।

उपयोग पर प्रतिबंधः यह प्रमाणपत्र केवल बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया जाना है या जिसके हाथों में यह हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, के लिए हम किसी भी दायित्व या विधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं। इस प्रमाणपत्र की तिथि के पश्चात होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अपडेट करने का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक माह से अधिक की अवधि के लिए कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता और न ही उस कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते डी के छाजड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 304138ई

सीए नन्द किशोर सर्राफ
भागीदार
(एम. नं. 510708)
यूडीआईएनः 24510708BKBMPB2969

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 115649डब्ल्यू

सीए जय प्रकाश गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 088903)
यूडीआईएनः 24088903BKGPWN3703

कृते उमेद जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 119250डब्ल्यू

सीए दिनेश गोदिका
भागीदार
(एम. नं. 072738)
यूडीआईएनः 24072738BKEGTR4672

कृते एन के भार्गव एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000429एन

सीए एन के भार्गव
भागीदार
(एम.नं. 080624)
यूडीआईएनः 24080624BKEJW18167

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 004501सी

सीए अभिनव शर्मा
भागीदार
(एम.नं. 411219)
यूडीआईएनः 24411219BKFXEK1523

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09.05.2024

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To The Members of Punjab National Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab National Bank for the year ended on March 31, 2024, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR Regulations'), as applicable during the relevant year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us we certify that the Bank has, in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, except for the following:

The Position of one Director each under Section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(g) and 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, were vacant on the Board of the Bank.

Restriction to Use: This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For D K Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN: 304138E

CA Nand Kishore Sarraf
Partner
(M. No. 510708)
UDIN: 24510708BKBMPB2969

For S C Bapna & Associates
Chartered Accountants
FRN: 115649W

CA Jai Prakash Gupta
Partner
(M. No. 088903)
UDIN: 24088903BKGPWN3703

For Ummed Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN: 119250W

CA Dinesh Godika
Partner
(M. No. 072738)
UDIN: 24072738BKEGTR4672

For N K Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

CA N K Bhargava
Partner
(M.No. 080624)
UDIN: 24080624BKEJWA8167

For P S D & Associates
Chartered Accountants
FRN: 004501C

CA Abhinav Sharma
Partner
(M.No. 411219)
UDIN: 24411219BKFXEK1523

Place: New Delhi
Date: 09.05.2024

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट अभिशासन का सिद्धांत

बैंक निवेशकों एवं अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ाने, पारदर्शिता का उच्च मानक निर्धारित करने, कार्यक्षमता में सुधार हेतु नैतिक मूल्यों व संगठन की प्रगति में विश्वास करता है। बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता व उत्तरदायित्व पर आधारित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा कॉर्पोरेट ढांचा, कारोबार, परिचालन और प्रकटीकरण कार्यशैली उक्त कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांत के पूर्णतया अनुरूप है।

बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है।

तथापि, सूचीबद्ध इकाई होते हुए यह सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के प्रावधानों का पालन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों का तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, निदेशों आदि का उल्लंघन न किए जाने की सीमा तक करता है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक समाज के लिए मूल्यों का वर्धन करने का प्रयास करता है।

2. निदेशक मंडल

बैंक के बोर्ड का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, के अनुसार किया गया है।

2.1 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, उप–धारा (3) के खंड (एच) के तहत नामित या खंड (आई) के तहत चुने जाने वाले निदेशकों को एक या एक से अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्: कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग और (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) कारोबार प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो बैंक के लिए उपयोगी हो।

दिनांक 31.03.2024 के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना उनकी नियुक्ति तिथि, श्रेणी, अन्य समितियों की सदस्यता इत्यादि, निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का निर्धारण करने वाले चार्ट/मैट्रिक्स के साथ निम्नवत दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेश शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2024 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	07.11.2022	एम.एमएम, बी.एससी.	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में 41 वर्षों से अधिक का प्रगतिशील नेतृत्व का अनुभव।	वित्त, विपणन प्रबंधन, बिक्री और जोखिम प्रबंधन	1. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति–अध्यक्ष 2. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	1. सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (अध्यक्ष–एसआरसी और सदस्य – एसीबी)	2000
2.	अतुल कुमार गोयल	01.02.2022	सीए, बी.कॉम, सीएआईआईबी	एमडी एवं सीईओ	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, लेखा परीक्षा और लेखा	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति–अध्यक्ष 2. ग्राहक सेवा समिति–अध्यक्ष 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति – अध्यक्ष 4. सतर्कता और गैर–सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समिति – अध्यक्ष 5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति – अध्यक्ष 6. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान – अध्यक्ष 7. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति – अध्यक्ष	1. ओरिएंटल इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड (एसीबी–सदस्य) 2. पीएनबी हाऊसिंग फाइनैंस लिमिटेड (एसआरसी–सदस्य)	15

Report on Corporate Governance

1. Corporate Governance Philosophy

The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to following best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.

Our corporate structure, business, operations and disclosure practices have been strictly aligned to the above Corporate Governance Philosophy.

The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. Being a listed entity, the Bank complies with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, Directives, etc. issued by the Government of India and the Reserve Bank of India in this regard.

The Board of the Bank strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, customers and the society at large.

2. Board of Directors

The Board of the Bank is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.1 As per the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors to be nominated under clause (h) or to be elected under clause (i) of sub-section (3) shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters, namely: agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry and the special knowledge of, and practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, which would be useful to the Bank.

The Composition of the Board of Directors as on 31.03.2024 with date of their appointment, category, membership of other Committees etc. along with the Chart/Matrix setting out the skills/expertise/competence of the Directors is given below:

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoint-ment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2024
1.	K. G. Anantha-krishnan	07.11.2022	M. MM, B.Sc.	Non-Executive Chairman	Over 41 years of progressive leadership experience in pharmaceuticals industry.	Finance, Marketing Management, Sales and Risk Management	1. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above – Chairperson 2. Performance Evaluation Committee – Chairperson 3. Risk Management Committee of the Board 4. IT Strategy Committee 5. Nomination and Remuneration Committee	1. Suven Pharmaceuticals Limited (Chairperson-SRC and Member - ACB)	2000
2.	Atul Kumar Goel	01.02.2022	CA, B.Com, CAIIB	MD&CEO	Over 32 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Audit & Accounts	1. Management Committee of the Board – Chairperson 2. Customer Service Committee – Chairperson 3. Directors' Promotion Committee – Chairperson 4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases – Chairperson 5. Credit Approval Committee of the Board – Chairperson 6. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks – Chairperson 7. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery – Chairperson	1. The Oriental Insurance Company Limited (ACB-Member) 2. PNB Housing Finance Limited (SRC-Member)	15

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2024 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
							8. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की पहचान की समीक्षा के लिए समिति – अध्यक्ष 9. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति – अध्यक्ष 10. कारोबार समीक्षा समिति – अध्यक्ष 11. पूंजी जुटाव समिति – अध्यक्ष 12. रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की विशेष समिति 13. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 14. हितधारक सबंध समिति		
3.	कल्याण कुमार	21.10.2021	एम.एससी, सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, मानव संसाधन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन	1. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. कारोबार समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एसीबी – सदस्य)	शून्य
4.	बिनोद कुमार	21.11.2022	पीजीडीबीएफ, बी.एससी., सीएआईआईबी, एफआरएम	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन	1. हितधारक संबंध समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. कारोबार समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	6350

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoint-ment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2024
							8. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification – Chairperson 9. Steering Committee of the Board on HR – Chairperson 10. Business Review Committee – Chairperson 11. Capital Raising Committee – Chairperson 12. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 13. Risk Management Committee of the Board 14. Stakeholders Relationship Committee		
3.	Kalyan Kumar	21.10.2021	M.Sc., CAIIB	Executive Director	Over 29 years of experience in Nationalized Banks.	Banking, Human Resources and Digital Transformation	1. Steering Committee of the Board on HR 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	India Infrastructure Finance Company Limited (ACB – Member)	Nil
4.	Binod Kumar	21.11.2022	PGDBF, B.Sc., CAIIB, FRM	Executive Director	Over 29 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Risk Management	1. Stakeholders Relationship Committee 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	Nil	6350

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2024 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
5.	एम. परमशिवम	01.12.2022	बी.एससी (कृषि)	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग, कृषि	1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति 7. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 8. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 10. कारोबार समीक्षा समिति 11. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	25
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	09.10.2023	एम.ए., सीएआईआईबी	कार्यपालक निदेशक	राष्ट्रीयकृत बैंकों में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव	बैंकिंग	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. ग्राहक सेवा समिति 3. आईटी कार्यनीति समिति 4. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 5. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान 8. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 9. कारोबार समीक्षा समिति 10. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	6350
7.	पंकज शर्मा	11.04.2022	एमबीए, एम.ए (लोक प्रशासन) बी.टेक	भारत सरकार के नामित निदेशक	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में 19 से अधिक वर्षों का अनुभव।	अर्थशास्त्र और वित्त	1. निदेशकों की पदोन्नति समिति 2. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 3. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 4. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति 5. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 6. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति	शून्य	शून्य

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoint-ment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2024
5.	M. Paramasivam	01.12.2022	B.Sc. (Agriculture)	Executive Director	Over 34 years of experience in Nationalized Banks	Banking, Agriculture	1. Risk Management Committee of the Board 2. Management Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 7. Credit Approval Committee of the Board 8. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 10. Business Review Committee 11. Capital Raising Committee	Nil	25
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	09.10.2023	M.A., CAIIB	Executive Director	Over 34 years of experience in Nationalized Banks	Banking	1. Management Committee of the Board 2. Customer Service Committee 3. IT Strategy Committee 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 5. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 6. Credit Approval Committee of the Board 7. Election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks 8. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery 9. Business Review Committee 10. Capital Raising Committee	Nil	6350
7.	Pankaj Sharma	11.04.2022	MBA, M. A. (Public Administra-tion), B.Tech	Govt. of India Nominee Director	More than 19 years of experience in Public Financial Management.	Economics and Finance	1. Directors' Promotion Committee 2. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 3. Appellate Authority and Reviewing Authority 4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases 5. Steering Committee of the Board on HR 6. Performance Evaluation Committee	Nil	Nil

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2024 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
8.	उमा शंकर	14.07.2023	बिजनेस इकोनॉमिक्स में परास्नातक, एम.एससी., बी.कॉम. (ऑनर्स)	भारतीय रिजर्व बैंक की नामित निदेशक	केंद्रीय बैंकर के रूप में बैंकों के पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण आदि को कवर करने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव।	केन्द्रीय बैंकर	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 2. बोर्ड की प्रबंधन समिति 3. निदेशकों की पदोन्नति समिति 4. सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक समिति	शून्य	शून्य
9.	पंकज जोशी	21.12.2021	सीए, बी.कॉम	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	लेखापरीक्षा और लेखा में 17 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव	लेखापरीक्षा और लेखा	1. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. कारोबार समीक्षा समिति 5. पूंजी जुटाव समिति 6. हितधारक संबंध समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति वर्गीकरण	शून्य	शून्य
10.	संजीव कुमार सिंघल	21.12.2021	सीएमए, सीए, एलएलबी, पीजीडीएफएम, डीआईएसए, आईआरएम और फॉरेंसिक ऑडिट में डिप्लोमा, बी.कॉम,	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	लेखा परीक्षा और लेखा में 28 से अधिक वर्षों का पेशेवर अनुभव और सूचना प्रणाली, ईआरपी और आईटी अनुप्रयोगों में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा में 17 से अधिक वर्षों का अनुभव	लेखा परीक्षा और लेखा, आईटी और जोखिम प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विधि	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति – अध्यक्ष 2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 3. आईटी रणनीति समिति 4. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 5. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति वर्गीकरण 7. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 8. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 9. पूंजी जुटाव समिति	शून्य	1000
11.	डॉ. रेखा जैन	12.09.2021	पीएच.डी., एम.फिल, एम.एससी., बी.एससी. (ऑनर्स)	शेयरधारक निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, कारोबार प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन में 39 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव। आईआईएम, अहमदाबाद से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त	सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, कारोबार प्रबंधन, भुगतान और निपटान प्रणाली	1. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 2. आईटी कार्यनीति समिति – अध्यक्ष 3. हितधारक संबंध समिति – अध्यक्ष 4. नामांकन और पारिश्रमिक समिति 5. बोर्ड की प्रबंधन समिति 6. ग्राहक सेवा समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी 9. वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति	गुजरात गैस लिमिटेड (एसीबी और एसआरसी के सदस्य)	250

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoint-ment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2024
8.	Uma Sankar	14.07.2023	Master in Business Economics, M.Sc., B.com. (Hons.)	RBI Nominee Director	More than 30 years of experience as a Central Banker covering supervision of Banks, currency management, financial inclusion, training, complaints redressal, etc.	Central Banker	1. Audit Committee of the Board 2. Management Committee of the Board 3. Directors' Promotion Committee 4. Committee of Directors to Review Vigilance and Non Vigilance Cases	Nil	Nil
9.	Pankaj Joshi	21.12.2021	CA, B.Com	Part-Time Non-Official Director	Over 17 years of professional experience in audit and accounts	Audit and Accounts	1. Performance Evaluation Committee 2. Audit Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. Business Review Committee 5. Capital Raising Committee 6. Stakeholders Relationship Committee 7. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification	Nil	Nil
10.	Sanjeev Kumar Singhal	21.12.2021	CMA, CA, LLB, PGDFM, DISA, Diploma in IRM and Forensic Audit, B.Com	Part-Time Non-Official Director	Over 28 years of professional experience in audit and accounts & Over 17 years of experience in review of security and internal controls in Information systems, ERPs & IT Applications	Audit and Accounts, IT & Risk Management, Financial Management, Law	1. Audit Committee of the Board - Chairperson 2. Risk Management Committee of the Board 3. IT Strategy Committee 4. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 5. Committee of the Board to monitor the progress in recovery 6. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 7. Nomination & Remuneration Committee 8. Appellate Authority and Reviewing Authority 9. Capital Raising Committee	Nil	1000
11.	Dr. Rekha Jain	12.09.2021	Ph.D, M.Phil, M.Sc., B.Sc. (Hons.)	Shareholder Director	Over 39 years of diverse experience in Information Technology, Payment & Settlement systems, Business Management and Risk Management. Retired as Professor from IIM, Ahmedabad	Information Technology, Risk Management, Business Management, Payment & settlement systems	1. Risk Management Committee of the Board - Chairperson 2. IT Strategy Committee – Chairperson 3. Stakeholders Relationship Committee – Chairperson 4. Nomination & Remuneration Committee 5. Management Committee of the Board 6. Customer Service Committee 7. Steering Committee of the Board on HR 8. Appellate Authority and Reviewing Authority 9. Committee of the Board to monitor the progress in Recovery	Gujarat Gas Limited (Member of ACB and SRC)	250

क्र. सं.	निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति तिथि	योग्यता	निदेशक की श्रेणी	अनुभव	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता	बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	एसीबी और कंपनियों में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता (पीएनबी के अलावा)	31.03.2024 को निदेशकों द्वारा धारित पीएनबी के शेयरों की संख्या
12.	जतिंदर सिंह बजाज	06.10.2023	एम.ए. (अर्थशास्त्र)	शेयरधारक निदेशक	विपणन में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव	विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कार्मिक प्रशासन।	1. अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी – सभापति 2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति – अध्यक्ष 3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति 4. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति 5. 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 6. इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति वर्गीकरण 7. प्रदर्शन मूल्यांकन समिति 8. कारोबार समीक्षा समिति	शून्य	100

__नोट:__ उन समितियों के नाम, जिनमें निदेशक सदस्य हैं, का उल्लेख किया गया है और जहां कहीं लागू हो, अध्यक्षता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

2.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री)	निदेशक की श्रेणी	समापन तिथि	कारण
1.	अनिल कुमार मिश्रा	आरबीआई नामित निदेशक	14.07.2023	अवधि समाप्त
2.	विजय दुबे	कार्यपालक निदेशक	31.08.2023	अवधि समाप्त
3.	गौतम गुहा	शेयरधारक निदेशक	05.10.2023	अवधि समाप्त

2.3 अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड/समितियों में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	अन्य सूचीबद्ध संस्था का नाम जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध संस्थान के बोर्ड/समिति का नाम जहां निदेशक अध्यक्ष/सदस्य हैं		अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	बोर्ड एसआरसी एसीबी एनआरसी सीएसआर	सदस्य अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
2.	अतुल कुमार गोयल	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	बोर्ड एनआरसी सीएसआर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य	गैर–कार्यपालक
3.	कल्याण कुमार	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	परिचालन मामलों के लिए निदेशक मंडल की समिति	अध्यक्ष अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक
4.	बिनोद कुमार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	एम. परमशिवम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पंकज शर्मा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	उमा शंकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	पंकज जोशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	संजीव कुमार सिंघल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	डॉ. रेखा जैन	गुजरात गैस लिमिटेड	बोर्ड एसीबी एसआरसी आरएमसी एनआरसी	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक
12.	जतिंदर सिंह बजाज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Sr. No.	Name of Director Shri/Smt.	Date of Appoint-ment	Qualification	Category of Director	Experience	Skills/ Expertise/ Competence	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of the Bank	Membership/ Chairmanship of ACB and Stakeholders' Relationship Committee in Companies (other than PNB)	No. of Shares of PNB held by Directors as on 31.03.2024
12.	Jatinder Singh Bajaj	06.10.2023	M.A. (Economics)	Shareholder Director	More than 25 years of experience in Marketing	Marketing, Information Technology, Human Resources, Personnel Administration.	1. Appellate Authority and Reviewing Authority - Chairperson 2. Nomination & Remuneration Committee – Chairperson 3. Risk Management Committee of the Board 4. Audit Committee of the Board 5. Special Committee of Board to monitor and follow up fraud cases involving Rs.1.00 crore and above 6. Committee for Review of Identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification 7. Performance Evaluation Committee 8. Business Review Committee	Nil	100

Note: *The name of the Committees in which the Director is a member has been mentioned and the Chairmanship has been specifically indicated wherever applicable.*

2.2 The following members ceased to be the Directors during the year:

Sr. No.	Name of Director (Shri)	Category of Director	Date of Cessation	Reason
1.	Anil Kumar Misra	RBI Nominee Director	14.07.2023	Completion of Tenure
2.	Vijay Dube	Executive Director	31.08.2023	Completion of Tenure
3.	Gautam Guha	Shareholder Director	05.10.2023	Completion of Tenure

2.3 Details of Membership/Chairmanship of Directors in the Board/Committees of other listed entities:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Name of other Listed Entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board/Committee in other listed entity where the Director is Chairperson/ Member		Category of Directorship in other listed entities
1.	K. G. Ananthakrishnan	Suven Pharmaceuticals Limited	Board SRC ACB NRC CSR	Member Chairperson Member Member Member	Independent Director
2.	Atul Kumar Goel	PNB Housing Finance Limited	Board NRC SRC	Chairperson Member Member	Non-Executive
3.	Kalyan Kumar	PNB Gilts Ltd.	Board Committee of Directors for Operational Matters	Chairperson Chairperson	Non-Executive
4.	Binod Kumar	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	M. Paramasivam	Nil	Nil	Nil	Nil
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	Nil	Nil	Nil	Nil
7.	Pankaj Sharma	Nil	Nil	Nil	Nil
8.	Uma Sankar	Nil	Nil	Nil	Nil
9.	Pankaj Joshi	Nil	Nil	Nil	Nil
10.	Sanjeev Kumar Singhal	Nil	Nil	Nil	Nil
11.	Dr. Rekha Jain	Gujarat Gas Limited	Board ACB SRC RMC NRC	Member	Independent Director
12.	Jatinder Singh Bajaj	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	15.04.2023	12	12
2.	26.04.2023	12	11
3.	19.05.2023	12	12
4.	30.05.2023	12	12
5.	28.06.2023	12	11
6.	25.07.2023	12	12
7.	26.07.2023	12	12
8.	29.08.2023	12	12
9.	27.09.2023	11	10
10.	03.10.2023	11	11
11.	25.10.2023	12	11
12.	26.10.2023	12	12
13.	29.11.2023	12	11
14.	28.12.2023	12	12
15.	25.01.2024	12	12
16.	29.01.2024	12	9
17.	27.02.2024	12	10
18.	28.03.2024	12	10

2.5 वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों और गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	18	18	हाँ
2.	अतुल कुमार गोयल	18	18	हाँ
3.	विजय दुबे	08	07	हाँ
4.	कल्याण कुमार	18	17	हाँ
5.	बिनोद कुमार	18	18	हाँ
6.	एम. परमशिवम	18	17	हाँ
7.	बिभु प्रसाद महापात्र	08	06	हाँ
8.	पंकज शर्मा	18	16	लागू नहीं
9.	अनिल कुमार मिश्रा	05	05	नहीं
10.	उमा शंकर	13	13	नहीं
11.	पंकज जोशी	18	17	नहीं
12.	संजीव कुमार सिंघल	18	16	नहीं
13.	गौतम गुहा	10	10	हाँ
14.	डॉ. रेखा जैन	18	18	हाँ
15.	जतिंदर सिंह बजाज	08	06	लागू नहीं

नोट: लागू नहीं यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान निदेशक नहीं थे।

2.4 Details of Board Meetings held during the year:

Sr. No.	Date of the Meeting	Total Number of Directors on the Board	Number of Directors present in the Meeting
1.	15.04.2023	12	12
2.	26.04.2023	12	11
3.	19.05.2023	12	12
4.	30.05.2023	12	12
5.	28.06.2023	12	11
6.	25.07.2023	12	12
7.	26.07.2023	12	12
8.	29.08.2023	12	12
9.	27.09.2023	11	10
10.	03.10.2023	11	11
11.	25.10.2023	12	11
12.	26.10.2023	12	12
13.	29.11.2023	12	11
14.	28.12.2023	12	12
15.	25.01.2024	12	12
16.	29.01.2024	12	9
17.	27.02.2024	12	10
18.	28.03.2024	12	10

2.5 The details of number of Board Meetings & the last Annual General Meeting (AGM) attended by Directors during the Financial Year are as under:

Sr. No.	Name of Directors (Shri/ Smt.)	Board Meetings held during their tenure	Board Meetings attended	Attendance in last AGM
1.	K. G. Ananthakrishnan	18	18	Yes
2.	Atul Kumar Goel	18	18	Yes
3.	Vijay Dube	08	07	Yes
4.	Kalyan Kumar	18	17	Yes
5.	Binod Kumar	18	18	Yes
6.	M. Paramasivam	18	17	Yes
7.	Bibhu Prasad Mahapatra	08	06	N.A.
8.	Pankaj Sharma	18	16	No
9.	Anil Kumar Misra	05	05	No
10.	Uma Sankar	13	13	N.A.
11.	Pankaj Joshi	18	17	No
12.	Sanjeev Kumar Singhal	18	16	No
13.	Gautam Guha	10	10	Yes
14.	Dr. Rekha Jain	18	18	Yes
15.	Jatinder Singh Bajaj	08	06	N.A.

Note: N.A. indicates Not a Director during the relevant period.

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त/नामित किये गए निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है:

i. श्री बिभु प्रसाद महापात्र – पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक

श्री बिभु प्रसाद महापात्र ने 09 अक्टूबर, 2023 को पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री महापात्र ने वर्ष 1989 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में पंजाब नैशनल बैंक में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की और पिछले 34 वर्षों से देश भर में विभिन्न पदों पर रहकर बैंक की सेवा की है। एक अनुभवी बैंकर के रूप में, इन्होनें शाखा बैंकिंग, क्रेडिट और एमएसएमई, व्यवसाय प्रक्रिया, विदेशी मुद्रा एवं व्यापार वित्त, अनुपालन, तथा अन्य क्षेत्रों में अपने समृद्ध ज्ञान से बैंक को लाभान्वित किया है।

इससे पूर्व, श्री महापात्र मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पंजाब नैशनल बैंक के मुंबई अंचल का नेतृत्व कर रहे थे।

श्री महापात्र उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं। श्री महापात्र ने आईआईएम बैंगलोर से पीएसबी लीडरशिप के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रणनीतिक विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा भी किया है।

ii- श्रीमती उमा शंकर, आरबीआई नामित निदेशक:

पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड में आरबीआई की नामित निदेशक के रूप में 14.07.2023 से श्रीमती उमा शंकर को नामित किया गया है।

श्रीमती शंकर जून, 1993 में ग्रेड बी में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अधिकारी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्त हुईं। उन्होंने अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में आरबीआई के कार्यालयों में अपनी सेवाएं दीं है तथा उन्हें केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/शहरी सहकारी बैंकों की देखरेख, कार्मिकों का प्रशिक्षण, बैंकिंग लोकपाल के रूप में जनसामान्य की बैंकिंग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण, जनसामान्य की वित्तीय साक्षरता बढ़ाना आदि का व्यापक अनुभव है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्य–ग्रहण से पहले, उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया।

श्रीमती शंकर दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर एवं कॉमर्स (ऑनर्स) में स्नातक उपाधि धारक हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से प्रबंधन, संगठन और अभिशासन में एम.एससी. भी की है।

उनके नाम पर विभिन्न प्रकाशन हैं, जैसे, बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें और धनशोधन निवारण मानदंडों पर हैंडबुक, शहरी सहकारी बैंकों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित के वित्तीय प्रदर्शन और विकास में बाधाओं पर राष्ट्रीय स्तर की अध्ययन रिपोर्ट (संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेडिट यूनियनों के समकक्ष), शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए हैंडबुक और यूरोप में सहकारी बैंकों की सर्वोत्तम कार्य–प्रणाली पर संक्षिप्त रिपोर्ट।

2.6 Brief Profile of Directors appointed/nominated during the Financial Year is given below:

i. Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director:

Shri Bibhu Prasad Mahapatra assumed charge as the Executive Director on the Board of Punjab National Bank on October 09, 2023.

Shri Mahapatra started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1989 and has served the Bank for the last 34 years in various capacities across the country. A banking veteran, he brings to the table a wealth of knowledge across multiple domains of Branch Banking, Credit and MSME, Business Process, Forex and Trade Finance, Compliance, among others.

Previously, Shri Mahapatra was heading the Mumbai Zone of Punjab National Bank as Chief General Manager.

A post graduate in Political Science from Utkal University, he is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a diploma in Strategic Development Programme for Senior Management of PSB Leadership from IIM Bangalore.

ii. Smt. Uma Sankar, RBI Nominee Director:

Smt. Uma Sankar has been appointed as RBI Nominee Director on the Board of Punjab National Bank w.e.f. 14.07.2023.

Smt. Sankar joined the Reserve Bank of India as a Direct Recruit Officer in Grade B in June 1993. She has served in Offices of RBI at Ahmedabad, Pune, Mumbai, Trivandrum and Chennai and has wide experience in various fields of central banking such as, supervision of Banks/ Non-Banking Financial Companies/ Urban Co-operative Banks, training of personnel, resolution of banking related complaints of the common man as Banking Ombudsman, enhancing financial literacy among the public, etc.

Prior to joining the Reserve Bank of India, she worked in the Life Insurance Corporation of India (LIC) as an Assistant Administrative Officer.

Smt. Sankar holds Master in Business Economics and Bachelor's Degree in Commerce (Honors) from Delhi University. She has also been awarded with M.Sc. in Management, Organisations and Governance from London School of Economics and Political Science, London, UK.

She holds various publications in her name, viz., Handbook on Know Your Customer and Anti Money Laundering Norms for the banks, National level Study Report on the Financial Performance and Impediments in Growth of the Urban Cooperative Banks (equivalent to the credit unions in USA) exclusively managed by women, Handbook for the Directors of the Urban Cooperative Banks and Summary Report on the Best Practices of Cooperative banks in Europe.

वह 2015–16 में केरल राज्य योजना बोर्ड, केरल द्वारा स्थापित गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर कार्य समूह का हिस्सा थीं, और उन्होंने इसकी रिपोर्ट में योगदान दिया था जो फरवरी 2016 में प्रकाशित हुई थी।

उन्हें आरबीआई द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन जुबली छात्रवृत्ति 2008 से सम्मानित किया गया है।

वह वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक में तमिलनाडु और पुडुचेरी की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

iii- श्री जतिंदर सिंह बजाज – शेयरधारक निदेशक

श्री जतिंदर सिंह बजाज का दिनांक 06.10.2023 को बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया।

श्री बजाज वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र में जोनल मैनेजर इन्चार्ज (कार्यकारी निदेशक के संवर्ग में) के रूप में पदस्थ हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ शामिल हैं।

श्री बजाज ने 1989 में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। एक सशक्त नेतृत्व क्षमता, मार्केटिंग कौशल और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ, वह टीम के सभी सदस्यों के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं।

श्री बजाज के पास मार्केटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कार्मिक प्रशासन आदि में विविध तथा समृद्ध अनुभव है तथा इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मार्केटिंग के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का विशद योगदान दिया है।

3. बोर्ड की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालक अधिकारियों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन आरबीआई की पत्र संख्या 5/16/13.100/94 दिनांक 09.04.1994, संख्या बीसी/एडीएमएन/919/16.13.100/95 दिनांक 26.09.1995 और सं. डीओएस. संख्या बीसी/3/08.91.020/97 दिनांक 20.01.1997 में निहित दिशानिर्देशों तथा संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर.जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021, भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य मौजूदा दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 के तहत आवश्यक दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

She was part of the working group on Non-Banking Financial Institutions set up by Kerala State Planning Board, Kerala, 2015-16, and contributed to its report which was published in February 2016.

She was awarded the prestigious Golden Jubilee Scholarship 2008 by the RBI.

She is presently serving as Regional Director for Tamil Nadu and Puducherry, Reserve Bank of India.

iii. Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director:

Shri Jatinder Singh Bajaj has been elected as Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 06.10.2023.

Shri Bajaj is currently posted as Zonal Manager In Charge (in the cadre of Executive Director), Northern Zone of Life Insurance Corporation of India, comprising of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Leh, Punjab, Rajasthan and Chandigarh.

Shri Bajaj joined LIC in 1989 as a Direct Recruit Officer. He holds a Post Graduate Degree in the field of Economics from Punjab University, Chandigarh. With a strong leadership quality, marketing acumen and technical expertise, he connects easily with all team members.

He has diverse and rich experience in the field of Marketing, Information Technology, Human Resources, Personnel Administration etc. and has worked in various capacities on important assignments.

During his tenure with LIC, he has contributed extensively in the area of Marketing for more than 25 years.

3. Committees of the Board

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/ Government of India/SEBI Guidelines.

3.1 Audit Committee of the Board (ACB)

Brief description and terms of reference:

The Audit Committee of the Board has been constituted in terms of RBI Guidelines contained in its Letters No. 5/16/13.100/94 dated 09.04.1994, No. BC/ADMN/919/16.13.100/95 dated 26.09.1995, No. DOS.No. BC/3/08.91.020/97 dated 20.01.1997 & No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021, other extant guidelines of RBI and as required under Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The main functions of the Committee are as under: -

- संगठन, संचालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के लेखा परीक्षा कार्यों को दिशा प्रदान करना और उसका पर्यवेक्षण करना तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा कार्यों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं रिपोर्टों के संबंध में केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार–विमर्श करना और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य – प्रणाली, इसकी गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करना एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना।
- संबंधित पक्ष के लेनदेन की समीक्षा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की शर्तों के अनुसार कार्य करना।

बैंक के कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 18 (1) (ई) की शर्त के अनुसार समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, अध्यक्ष
2.	उमा शंकर	आरबीआई के नामित निदेशक, सदस्य
3.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
आमंत्रित (सुश्री/श्री): कल्याण कुमार बिनोद कुमार एम. परमशिवम बिभु प्रसाद महापात्र पंकज शर्मा		 कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री पंकज शर्मा, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, 19.07.2023 से समिति की सदस्यता समाप्त और उन्हें समिति के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया। श्रीमती उमा शंकर, आरबीआई नामित निदेशक को श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक के स्थान पर 19.07.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 14.07.2023 को पूरा हुआ। डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक को 19.07.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ। श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को 06.10.2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

- Providing direction and overseeing the audit function of the Bank including the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection including its review and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To interact with Statutory Central Auditors in respect of quarterly/ annual Financial Statements & Reports and also follow up on all the issues raised in the Long Form Audit Report.
- To review the internal inspection/ Audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow up.
- Overseeing the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- To review with the Management, the Annual Financial Statements and Auditors' Report thereon before submission to the Board for approval and also the changes in the Accounting Policies.
- To review Related Party Transactions.
- To carry out the functions as stipulated in the SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent applicable to Public Sector Banks.

The Company Secretary of the Bank acts as the Secretary to the Committee in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Chairperson
2.	Uma Sankar	RBI Nominee Director, Member
3.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
4.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member
Invitees(S/Shri): Kalyan Kumar Binod Kumar M. Paramasivam Bibhu Prasad Mahapatra Pankaj Sharma		 Executive Director Executive Director Executive Director Executive Director GoI Nominee Director

Shri Pankaj Sharma, GoI Nominee Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 19.07.2023 and was designated as Permanent Invitee for the Committee. Smt. Uma Sankar, RBI Nominee Director, was made member of the Committee w.e.f. 19.07.2023 in place of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, whose tenure completed on 14.07.2023. Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 19.07.2023.

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023. Shri Sanjeev Kumar Singhal, part-time non official Director, was designated as the Chairperson of the Committee w.e.f. 06.10.2023.

श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर 01.01.2024 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	27.04.2023	4	3
2.	19.05.2023	4	4
3.	29.05.2023	4	4
4.	16.06.2023	4	3
5.	14.07.2023	4	3
6.	26.07.2023	4	4
7.	19.08.2023	4	4
8.	12.09.2023	4	4
9.	17.10.2023	4	4
10.	26.10.2023	4	4
11.	16.11.2023	4	3
12.	15.12.2023	4	3
13.	16.01.2024	4	4
14.	25.01.2024	4	4
15.	16.02.2024	4	3
16.	19.03.2024	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	गौतम गुहा	8	8
2.	संजीव कुमार सिंघल	16	16
3.	पंकज शर्मा	5	3
4.	अनिल कुमार मिश्रा	4	4
5.	उमा शंकर	11	11
6.	पंकज जोशी	4	4
7.	रेखा जैन	7	7
8.	जतिंदर सिंह बजाज	8	5

3.2 जोखिम प्रबंधन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन जोखिम प्रबंधन पर भा.रि.बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी–520 / 21.04.103 / 2002–03 दिनांक 12.10.2002 एवं आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई / 2021–22 / 24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8 / 29.67.001 / 2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 21 के अनुसार किया गया है। ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और बैंक की विभिन्न जोखिम सीमाएं स्थापित करने तथा बैंक के साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने सहित बैंक के संपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेदारी समिति के पास है।

Shri Pankaj Joshi, Part-Time Non Official Director, was made member of the Committee w.e.f. 01.01.2024 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director.

Details of meetings held during the Financial Year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	27.04.2023	4	3
2.	19.05.2023	4	4
3.	29.05.2023	4	4
4.	16.06.2023	4	3
5.	14.07.2023	4	3
6.	26.07.2023	4	4
7.	19.08.2023	4	4
8.	12.09.2023	4	4
9.	17.10.2023	4	4
10.	26.10.2023	4	4
11.	16.11.2023	4	3
12.	15.12.2023	4	3
13.	16.01.2024	4	4
14.	25.01.2024	4	4
15.	16.02.2024	4	3
16.	19.03.2024	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Gautam Guha	8	8
2.	Sanjeev Kumar Singhal	16	16
3.	Pankaj Sharma	5	3
4.	Anil Kumar Misra	4	4
5.	Uma Sankar	11	11
6.	Pankaj Joshi	4	4
7.	Rekha Jain	7	7
8.	Jatinder Singh Bajaj	8	5

3.2 Risk Management Committee

Brief description and terms of reference:

Risk Management Committee of the Board (RMCB) has been constituted as per RBI letter DBOD No. BP-520/21.04.103/2002-03 dated 12.10.2002 on risk management, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The Committee has the overall responsibility of managing entire risk of the Bank, devising suitable risk management policy including credit, market and operational risks, risk integration, implementation of best risk management practices, setting up various risk limits and review of the cyber security of the Bank.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
6.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
आमंत्रित (सुश्री / श्री): कल्याण कुमार बिनोद कुमार बिभु प्रसाद महापात्र		 कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के कारण 01.09.2023 से समिति की सदस्यता समाप्त।

डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक को 06.10.2023 से श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के स्थान पर समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जो समिति के सदस्य के रूप में बने रहे। श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक को 06.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया। श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	17.06.2023	6	6
2.	28.08.2023	6	6
3.	26.09.2023	5	5
4.	17.11.2023	6	5
5.	15.01.2024	6	6
6.	15.02.2024	6	5
7.	20.03.2024	6	6

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रेखा जैन	7	7
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	7	7
3.	अतुल कुमार गोयल	7	7
4.	विजय दुबे	2	2
5.	कल्याण कुमार (वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में)	1	1
6.	एम. परमशिवम	2	2
7.	बिभु प्रसाद महापात्र (वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में)	1	1
8.	संजीव कुमार सिंघल	7	7
9.	गौतम गुहा	3	3
10.	जतिंदर सिंह बजाज	4	2

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

SNo.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2.	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
6.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member
Invitees(S/Shri): Kalyan Kumar Binod Kumar Bibhu Prasad Mahapatra		 Executive Director Executive Director Executive Director

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was designated as the Chairperson of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-Time Non Official Director, who continued as a member of the Committee. Shri M. Paramasivam, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023. Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	17.06.2023	6	6
2.	28.08.2023	6	6
3.	26.09.2023	5	5
4.	17.11.2023	6	5
5.	15.01.2024	6	6
6.	15.02.2024	6	5
7.	20.03.2024	6	6

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Rekha Jain	7	7
2.	K. G. Ananthakrishnan	7	7
3.	Atul Kumar Goel	7	7
4.	Vijay Dube	2	2
5.	Kalyan Kumar (as alternate arrangement)	1	1
6.	M. Paramasivam	2	2
7.	Bibhu Prasad Mahapatra (as alternate arrangement)	1	1
8.	Sanjeev Kumar Singhal	7	7
9.	Gautam Guha	3	3
10.	Jatinder Singh Bajaj	4	2

3.3 हितधारक संबंध समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 20 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली, 2000 की शर्तानुसार समिति का गठन किया गया है। समिति की भूमिका में शामिल हैं:

- बैंक के शेयरधारकों की शिकायतों की निगरानी और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकें आदि से संबंधित अनुरोध/शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य

बैठक की आवृत्ति वार्षिक है या जब भी आवश्यकता हो।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरणः

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	19.08.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रेखा जैन	1	1
2.	अतुल कुमार गोयल	1	1
3.	बिनोद कुमार	1	1
4.	पंकज जोशी	1	1

वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थितिः

वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	–	32
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों का निपटान न होने की संख्या	–	शून्य
दिनांक 31.03.2024 को लम्बित शिकायतों की संख्या	–	शून्य

3.3 Stakeholders' Relationship Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The Role of the Committee includes:

- Monitoring the grievances of the shareholders and other security holders of the Bank including requests/complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Reviewing the measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- Reviewing the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- Review the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividend and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member

The frequency of the meeting is annual or as and when required.

Details of meeting held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	19.08.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Rekha Jain	1	1
2.	Atul Kumar Goel	1	1
3.	Binod Kumar	1	1
4.	Pankaj Joshi	1	1

Status of Shareholders' Complaints received during the year:

Total no. of complaints received during FY 2023-24	–	32
No. of complaints not resolved to the satisfaction of shareholders	–	Nil
No. of complaints pending as on 31.03.2024	–	Nil

सुश्री एकता पसरीचा, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 6 के अनुसार बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन आरबीआई मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019, आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021–22/24 डीओआर. जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021–22 दिनांक 26.04.2021 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली 2015 के विनियम 19 के तहत यथा अपेक्षित अनुसार किया गया है। समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त और उचित मानदंड" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया अपनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से आरबीआई द्वारा अपने मास्टर निदेश दिनांक 02.08.2019 यथा संशोधित के द्वारा यथा निर्दिष्ट संरचना के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया था।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ। इसके अलावा, श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को शेयरधारक निदेशक, डॉ. रेखा जैन के स्थान पर 06.10.2023 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, जो समिति के सदस्य के रूप में बनी रहेंगी।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	13.09.2023	4	4

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रेखा जैन	1	1
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	1	1
3.	संजीव कुमार सिंघल	1	1
4.	गौतम गुहा	1	1
5.	जतिंदर सिंह बजाज	शून्य	शून्य

Ms. Ekta Pasricha, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4 Nomination & Remuneration Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Master Directions dated 02.08.2019, RBI Notification No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV. REC.8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and as required under Regulation 19 of SEBI (LODR) Regulation 2015. The Committee is constituted for undertaking due diligence to determine the "Fit and Proper" criteria of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub section 3 of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Further, Govt. of India vide its Notification dated 30.08.2019 directed to constitute a single Nomination and Remuneration Committee for carrying out the functions of both Nomination and Remuneration Committee with the composition as specified by RBI vide its Master Directions dated 02.08.2019, as amended.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Chairperson
2.	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023. Further, Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was designated as the Chairperson of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, who continued as a member of the Committee.

Details of meeting held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1.	13.09.2023	4	4

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Rekha Jain	1	1
2.	K. G. Ananthakrishnan	1	1
3.	Sanjeev Kumar Singhal	1	1
4.	Gautam Guha	1	1
5.	Jatinder Singh Bajaj	Nil	Nil

3.5 प्रबंधन समिति (एमसी)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

राष्ट्रीयकृत बैंकों की (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 13 के अनुसार समिति गठित की गई है। समिति निम्नलिखित मदों, जोकि एमडी एवं सीईओ/प्र.का.ऋण अनुमोदन समिति (एचओसीएसी) –।।। के विवेकाधीन अधिकारों से परे हैं, पर विचार करती है। :

ए) ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति (निधि एवं गैर–निधि आधारित)

बी) ऋण समझौता/बट्टे खातों के प्रस्ताव

सी) पूँजी और राजस्व व्यय के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

डी) परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने के प्रस्ताव जिसमें अधिग्रहण एवं किराए पर लेने संबंधी मानदंडों में विचलन भी शामिल है।

ई) मुकदमा/अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव, उनका बचाव करना इत्यादि

एफ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश एवं हामीदारी अंकन का प्रस्ताव

जी) दान से संबंधित प्रस्ताव

एच) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	उमा शंकर	भा.रि.बैंक. के नामिती निदेशक, सदस्य
7.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्रीमती उमा शंकर, आरबीआई नामित निदेशक, को दिनांक 19.07.2023 से श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था जिनका कार्यकाल 14.07.2023 को पूरा हुआ। डॉ. रेखा जैन दिनांक 19.07.2023 से समिति की सदस्य नहीं रहीं।

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 01.01.2024 से श्री पंकज जोशी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः

आयोजित बैठकों की संख्याः 25

3.5 Management Committee (MC)

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Clause 13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/ 1980. The Committee considers following matters which are beyond the discretionary powers of MD & CEO/ Head Office Credit Approval Committee (HOCAC) III:

a) Sanctioning of credit proposals (Fund based & Non-Fund based)

b) Loan compromise/ write-off proposals

c) Proposal for approval of capital and revenue expenditure

d) Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises

e) Proposals relating to filing of suits/appeals, defending them etc.

f) Proposals for Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting

g) Proposals relating to Donations

h) Any other matter referred by the Board.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Uma Sankar	RBI Nominee Director, Member
7.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Smt. Uma Sankar, RBI Nominee Director, was made member of the Committee w.e.f. 19.07.2023 in place of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, whose tenure completed on 14.07.2023. Dr. Rekha Jain ceased to be a member of the Committee w.e.f. 19.07.2023.

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 01.01.2024 in place of Shri Pankaj Joshi, Part-Time Non Official Director.

Details of Meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 25

बैठकों की तिथियां:

10.04.2023	26.04.2023	20.05.2023	29.05.2023	16.06.2023
27.06.2023	14.07.2023	25.07.2023	19.08.2023	29.08.2023
12.09.2023	27.09.2023	17.10.2023	25.10.2023	16.11.2023
30.11.2023	15.12.2023	28.12.2023	16.01.2024	20.01.2024
29.01.2024	15.02.2024	26.02.2024	19.03.2024	26.03.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	25	25
2.	विजय दुबे	10	9
3.	कल्याण कुमार	25	22
4.	बिनोद कुमार	25	25
5.	एम. परमशिवम	25	22
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	11	7
7.	अनिल कुमार मिश्रा	7	6
8.	उमा शंकर	18	18
9.	पंकज जोशी	18	18
10.	डॉ. रेखा जैन	14	14

3.6 प्रधान कार्यालय ऋण अनुमोदन समिति (स्तर–III) (प्र.का.ऋ.अ.स–III)

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

प्र.का. ऋण अनुमोदन समिति स्तर III का गठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) अधिसूचना संख्या 13/1/2006 दिनांक 05.12.2011 के अनुसार किया गया है।

समिति आठ सौ करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करती है, यदि बैंक का कुल कारोबार दस लाख करोड़ रुपये (हमारे बैंक पर लागू) से अधिक है। यह समिति एमडी एवं सीईओ की पूर्व में निहित शक्तियों की सीमा तक ओटीएस/समझौता/बट्टा खाता प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (ऋण)	सदस्य
7.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (वित्त)	सदस्य
8.	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	सदस्य

Dates of Meetings:

10.04.2023	26.04.2023	20.05.2023	29.05.2023	16.06.2023
27.06.2023	14.07.2023	25.07.2023	19.08.2023	29.08.2023
12.09.2023	27.09.2023	17.10.2023	25.10.2023	16.11.2023
30.11.2023	15.12.2023	28.12.2023	16.01.2024	20.01.2024
29.01.2024	15.02.2024	26.02.2024	19.03.2024	26.03.2024

No. of Meetings attended by Member- Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	25	25
2.	Vijay Dube	10	9
3.	Kalyan Kumar	25	22
4.	Binod Kumar	25	25
5.	M. Paramasivam	25	22
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	11	7
7.	Anil Kumar Misra	7	6
8.	Uma Sankar	18	18
9.	Pankaj Joshi	18	18
10.	Dr. Rekha Jain	14	14

3.6 The Head Office Credit Approval Committee (Level – III) (HOCAC- III)

Brief description and terms of reference:

The HO Credit Approval Committee Level III has been constituted in terms of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) Notification No.13/1/2006 dated 05.12.2011.

The Committee considers the credit proposals of up to Rupees Eight Hundred Crore, in case of Banks having total business of more than Rupees Ten Lakh Crore (applicable to our Bank). The Committee also considers OTS/ Compromise/ Write off proposals.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Chief General Manager/ General Manager (Credit)	Member
7.	Chief General Manager/ General Manager (Finance)	Member
8.	Chief General Manager/ General Manager (Risk Management)	Member

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त ।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 69

बैठकों की तिथियां:

01.04.2023	05.04.2023	15.04.2023	19.04.2023	27.04.2023
01.05.2023	04.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	23.05.2023
31.05.2023	03.06.2023	07.06.2023	14.06.2023	20.06.2023
23.06.2023	27.06.2023	06.07.2023	12.07.2023	13.07.2023
18.07.2023	27.07.2023	02.08.2023	09.08.2023	11.08.2023
16.08.2023	21.08.2023	30.08.2023	05.09.2023	09.09.2023
13.09.2023	15.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	30.09.2023
05.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	27.10.2023
01.11.2023	08.11.2023	14.11.2023	20.11.2023	30.11.2023
06.12.2023	11.12.2023	13.12.2023	19.12.2023	26.12.2023
01.01.2024	03.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	24.01.2024
31.01.2024	03.02.2024	07.02.2024	14.02.2024	17.02.2024
22.02.2024	28.02.2024	02.03.2024	05.03.2024	13.03.2024
19.03.2024	22.03.2024	27.03.2024	30.03.2024	

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	69	69
2.	विजय दुबे	28	19
3.	कल्याण कुमार	69	57
4.	बिनोद कुमार	69	64
5.	एम. परमशिवम	69	58
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	31	26

3.7 वसूली में प्रगति की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय पत्र एफ.सं.7/112/2012–बीओए दिनांक: 21.11.2012 और एफ.सं 7/2/2015–वसूली दिनांक 01.01.2016 के अनुसार किया गया है:

- एनपीए प्रबंधन में सुधार लाने हेतु विधियों एवं रणनीतियों की समीक्षा तथा वसूली में तेजी लाने हेतु विभिन्न टूलों के प्रभावी उपयोग।
- विवेक सम्मत बट्टे खातों सहित एनपीए वसूली में हुई प्रगति की निगरानी।
- डीआरटी/डीआरएटी में लंबित मामलों/आरसी की स्थिति की समीक्षा।
- क्रेडिट निगरानी तंत्र और अनियमित/कमजोर खातों की स्थिति और एनपीए की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 69

Dates of Meetings:

01.04.2023	05.04.2023	15.04.2023	19.04.2023	27.04.2023
01.05.2023	04.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	23.05.2023
31.05.2023	03.06.2023	07.06.2023	14.06.2023	20.06.2023
23.06.2023	27.06.2023	06.07.2023	12.07.2023	13.07.2023
18.07.2023	27.07.2023	02.08.2023	09.08.2023	11.08.2023
16.08.2023	21.08.2023	30.08.2023	05.09.2023	09.09.2023
13.09.2023	15.09.2023	20.09.2023	25.09.2023	30.09.2023
05.10.2023	10.10.2023	16.10.2023	25.10.2023	27.10.2023
01.11.2023	08.11.2023	14.11.2023	20.11.2023	30.11.2023
06.12.2023	11.12.2023	13.12.2023	19.12.2023	26.12.2023
01.01.2024	03.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	24.01.2024
31.01.2024	03.02.2024	07.02.2024	14.02.2024	17.02.2024
22.02.2024	28.02.2024	02.03.2024	05.03.2024	13.03.2024
19.03.2024	22.03.2024	27.03.2024	30.03.2024	

No. of Meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	69	69
2.	Vijay Dube	28	19
3.	Kalyan Kumar	69	57
4.	Binod Kumar	69	64
5.	M. Paramasivam	69	58
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	31	26

3.7 Special Committee of the Board to monitor the progress of Recovery

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of DFS, MoF letter F.No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 and F.No.7/2/2015-Recovery dated 01.01.2016 to:

- Review the ways and strategies to improve NPA management and effective utilization of various tools to expedite recovery.
- Monitor the progress of recovery in NPAs including prudential written-off accounts.
- Review the status of cases/RCs pending at DRTs/DRATs.
- Review the credit monitoring mechanism and status of irregular/weak accounts and the measures taken for prevention of NPAs.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

डॉ. रेखा जैन, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल दिनांक 05.10.2023 को पूरा हुआ।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियां

17.06.2023	24.07.2023	27.12.2023	15.02.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य – निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	4	4
2.	विजय दुबे	2	2
3.	कल्याण कुमार	4	3
4.	बिनोद कुमार	4	3
5.	एम. परमशिवम	4	3
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	1
7.	संजीव कुमार सिंघल	4	4
8.	गौतम गुहा	2	2
9.	रेखा जैन	2	2

3.8 इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के पहचान की समीक्षा के लिए समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय :

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या 01.07.2014 और पत्र दिनांक: 07.01.2015 के अनुसार समिति आदेशों की समीक्षा करने हेतु किया गया है, जिसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीआर सं. सीआईडी. बीसी.54 / 20.16.064 / 2014–15 दिनांक: 22.12.2014 के अनुसार यह "असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति" के निर्णय की भी समीक्षा करती है।

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Dr. Rekha Jain, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

17.06.2023	24.07.2023	27.12.2023	15.02.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	4	4
2.	Vijay Dube	2	2
3.	Kalyan Kumar	4	3
4.	Binod Kumar	4	3
5.	M. Paramasivam	4	3
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	2	1
7.	Sanjeev Kumar Singhal	4	4
8.	Gautam Guha	2	2
9.	Rekha Jain	2	2

3.8 Committee for Review of identification of Wilful Defaulters and Non Cooperative Borrowers Classification

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Master Circular dated 01.07.2014 and letter dated 07.01.2015 to review the orders of the Committee which has identified wilful defaulters. Further, in terms of RBI notification no. DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22.12.2014, it also reviews the decision of 'Non-Cooperative Borrower Classification Committee'.

डीएफएस दिशानिर्देश एफ.सं. 16/19/2019–बीओ. एल दिनांक 19 नवंबर, 2019 के अनुसार दो अलग–अलग समितियों असहयोगी उधारकर्ता वर्गीकरण समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति के स्थान पर एक एकल समिति का गठन किया गया है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
3.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को दिनांक 06.10.2023 को श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठकों की तिथियां:

27.06.2023	16.11.2023	16.01.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	3	3
2.	पंकज जोशी	3	3
3.	संजीव कुमार सिंघल	3	3
4.	गौतम गुहा	1	1
5.	जतिंदर सिंह बजाज	2	1

3.9 रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक पत्र संख्या आरबीआई/2004.15 डीबीएस.एफजीवी(एफ) सं./1004/23.04.01ए/2003–04 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार रु.1.00 करोड़ तथा इससे अधिक की धोखाधड़ी तथा राशि पर विचार किए बिना साइबर धोखाधड़ी के मामलों, की निगरानी तथा समीक्षा हेतु किया गया है, ताकि:

- प्रणालीगत त्रुटियों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए उपाय प्रस्तुत किए जाएं।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, वसूली एवं स्टाफ दायित्व की निगरानी।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक क़दमों की प्रभावशीलता की समीक्षा।
- निवारक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

As per DFS Guidelines vide F.No. 16/19/2019-BO.I dated 19th November 2019, in place of two separate committees of Non-Cooperative Borrower Classification Committee and Committee for review of identification of Wilful Defaulters, a single committee was constituted.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
3.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings:

27.06.2023	16.11.2023	16.01.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	3	3
2.	Pankaj Joshi	3	3
3.	Sanjeev Kumar Singhal	3	3
4.	Gautam Guha	1	1
5.	Jatinder Singh Bajaj	2	1

3.9 Special Committee of the Board to monitor and follow up Fraud Cases involving Rs.1.00 crore and above

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI Notification no. RBI/2004.15 DBS.FGV(F) No./1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.2004 for monitoring and reviewing all fraud cases of Rs.1.00 crore and above, as well as cyber frauds irrespective of the amount, so as to:

- Identify the systemic lacunae and put in place measures to plug the same.
- Monitor progress of CBI/Police investigation, recovery & staff accountability.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen the preventive mechanism.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	के. जी.अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष
2.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सदस्य
3.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7.	पंकज शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
8.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
9.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, को दिनांक 06.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा, शेयरधारक निदेशक, श्री जतिंदर सिंह बजाज को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 7

बैठकों की तिथियां:

27.04.2023	28.06.2023	12.09.2023	17.11.2023	27.12.2023
26.02.2024	20.03.2024			

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	7	7
2.	अतुल कुमार गोयल	7	7
3.	विजय दुबे	2	1
4.	कल्याण कुमार	7	7
5.	बिनोद कुमार	7	7
6.	एम. परमशिवम	7	7
7.	बिभु प्रसाद महापात्र	4	3
8.	पंकज शर्मा	7	3
9.	संजीव कुमार सिंघल	4	3
10.	गौतम गुहा	3	3
11.	जतिंदर सिंह बजाज	4	2

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Chairperson
2.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Member
3.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4.	Binod Kumar	Executive Director, Member
5.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
7.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
8.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
9.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-Time Non Official Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023. Further, Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 7

Dates of Meetings:

27.04.2023	28.06.2023	12.09.2023	17.11.2023	27.12.2023
26.02.2024	20.03.2024			

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	K. G. Ananthakrishnan	7	7
2.	Atul Kumar Goel	7	7
3.	Vijay Dube	2	1
4.	Kalyan Kumar	7	7
5.	Binod Kumar	7	7
6.	M. Paramasivam	7	7
7.	Bibhu Prasad Mahapatra	4	3
8.	Pankaj Sharma	7	3
9.	Sanjeev Kumar Singhal	4	3
10.	Gautam Guha	3	3
11.	Jatinder Singh Bajaj	4	2

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समितिः

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

समिति का गठन आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2010–11/494/डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010–11 दिनांकित 29.04.2011 के अनुसार किया गया है। बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति दस्तावेज़ का अनुमोदन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीति योजना प्रक्रिया लागू की है।
- समीक्षा करना कि सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति वास्तविक रूप से कारोबार कार्यनीति के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठन संरचना कारोबार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी कारोबार में योगदान प्रदान करती है।
- सुनिश्चित करना कि आईटी बजट में दिए गए आईटी निवेश स्वीकार्य हैं।
- कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पद्धति की निगरानी करना।
- बैंक के सतत विकास के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिमों एवं नियंत्रणों के एक्सपोज़र के बारे में जागरूक करना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी का प्रभावी मूल्यांकन करना।
- आईटी कार्यनीतियों को लागू करने के लिए उच्च प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का आंकलन करना।
- उच्च स्तरीय नीति दिशानिर्देश जारी करना (अर्थात जोखिम, वित्त पोषण अथवा सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक ढांचा तैयार किया जाए, ताकि बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण को देखते हुए आईटी से अधिकतम कारोबार मूल्य प्राप्त किया जा सके और यह पता लगाना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी प्रदर्शन मापन और कारोबार लक्ष्यों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना।

आरबीआई ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन व्यवहारों पर अपने मास्टर निदेश दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के कार्यों, संरचना और आवृत्ति से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

3.10 I.T. Strategy Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted as per RBI Circular No. RBI/2010-11/494/DBS.CO.ITC.BC.No.6/ 31.02.008/2010-11 dated 29.04.2011. The broad functions of the IT Strategy Committee of the Board are:

- Approving IT Strategy and policy document.
- Ensuring that the Management has put an effective strategic planning process in place.
- Reviewing that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT Organization structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that Management has implemented processes and practices that ensure that IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represented in the IT budgets are acceptable.
- Monitoring the method that Management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustained growth of the Bank.
- Being aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of Management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding and sourcing tasks).
- Ensuring whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT overseeing the aggregate funding of IT at Bank level and ascertaining, if the Management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance and contribution of IT to business goals.

The RBI, vide its Master Direction on Information Technology Governance, Risk, Controls and Assurance Practices dated 07.11.2023, which shall come into effect from April 1, 2024, revised guidelines related to functions, constitution and frequency of IT Strategy Committee of the Board.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्य
3.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
7.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
8.	सीआईओ (सीजीएम–आईटी)	सदस्य
9.	आमंत्रित : आई.टी. सलाहकार	

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियां:

17.06.2023	28.08.2023	17.11.2023	16.02.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. रेखा जैन	4	4
2.	के. जी. अनंतकृष्णन	4	4
3.	विजय दुबे	2	2
4.	कल्याण कुमार	4	4
5.	बिनोद कुमार	4	3
6.	एम. परमशिवम	4	3
7.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	2
8.	संजीव कुमार सिंघल	4	4

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Chairperson
2.	K. G. Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Member
3.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
4.	Binod Kumar	Executive Director, Member
5.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
7.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
8.	CIO (CGM-IT)	Member
9.	Invitees: I.T. Advisor	

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

17.06.2023	28.08.2023	17.11.2023	16.02.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Rekha Jain	4	4
2.	K. G. Ananthakrishnan	4	4
3.	Vijay Dube	2	2
4.	Kalyan Kumar	4	4
5.	Binod Kumar	4	3
6.	M. Paramasivam	4	3
7.	Bibhu Prasad Mahapatra	2	2
8.	Sanjeev Kumar Singhal	4	4

3.11 ग्राहक सेवा समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

आरबीआई के पत्र दिनांक 14.08.2004 एवं आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसरण में तिमाही आधार पर समीक्षा हेतु बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
8.	**आमंत्रित** : (i) ग्राहक सेवा – विशेषज्ञ (ii) ग्राहक प्रतिनिधि	

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः

आयोजित बैठकों की संख्याः 4

बैठकों की तिथियांः

27.06.2023	11.09.2023	27.12.2023	20.03.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्याः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	4	4
2.	विजय दुबे	1	1
3.	कल्याण कुमार	4	4
4.	बिनोद कुमार	4	4
5.	एम. परमशिवम	4	4
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	2
7.	पंकज जोशी	4	4
8.	डॉ. रेखा जैन	4	4

3.12 सतर्कता और गैर–सतर्कता/अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की समीक्षा हेतु निदेशकों की समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

समिति का गठन आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग–सतर्कता अनुभाग, एमओएफ संचार संख्या 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.10.1990 के संदर्भ में किया गया है और यह समिति सतर्कता और गैर–सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की समीक्षा करती है।

3.11 Customer Service Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of RBI letter dated 14.08.2004 and RBI Master Circular dated July 01, 2015 to review customer service of the Bank on quarterly basis.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
8.	**Invitees:** (i) Customer Service - Specialist (ii) Customer Representative	

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

27.06.2023	11.09.2023	27.12.2023	20.03.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	4	4
2.	Vijay Dube	1	1
3.	Kalyan Kumar	4	4
4.	Binod Kumar	4	4
5.	M. Paramasivam	4	4
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	2	2
7.	Pankaj Joshi	4	4
8.	Dr. Rekha Jain	4	4

3.12 Committee of the Directors to review Vigilance and Non-Vigilance/ Disciplinary Action Cases

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Department of Economic Affairs, Banking Division –Vigilance Section, MoF communication no. 10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 and reviews vigilance and non-vigilance disciplinary action cases.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य
7.	उमा शंकर	आरबीआई नामित निदेशक, सदस्य

श्रीमती उमा शंकर, आरबीआई नामित निदेशक, को 19.07.2023 को श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया था जिनका कार्यकाल 14.07.2023 को पूरा हुआ।

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को दिनांक 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तिथियां:

30.05.2023	19.08.2023	28.12.2023	26.02.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	4	4
2.	विजय दुबे	2	2
3.	कल्याण कुमार	4	3
4.	बिनोद कुमार	4	4
5.	एम. परमशिवम	4	4
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	2
7.	पंकज शर्मा	4	1
8.	अनिल कुमार मिश्रा	1	1
9.	उमा शंकर	3	3

3.13 निदेशकों की पदोन्नति समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग पत्र सं. एफ.सं.4/1/10/96–आईआर दिनांक 19.11.1997 के संदर्भ में किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने पत्र संख्या 4/3/1/2012–आईआर दिनांक 16.04.2019 के माध्यम से स्केल VI से स्केल VII में पदोन्नति के लिए चयन समिति की सरंचना के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए।

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
7.	Uma Sankar	RBI Nominee Director, Member

Smt. Uma Sankar, RBI Nominee Director, was made member of the Committee w.e.f. 19.07.2023 in place of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, whose tenure completed on 14.07.2023.

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

30.05.2023	19.08.2023	28.12.2023	26.02.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	4	4
2.	Vijay Dube	2	2
3.	Kalyan Kumar	4	3
4.	Binod Kumar	4	4
5.	M. Paramasivam	4	4
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	2	2
7.	Pankaj Sharma	4	1
8.	Anil Kumar Misra	1	1
9.	Uma Sankar	3	3

3.13 Directors Promotion Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted in terms of Govt. of India , MoF, Department of Economic Affairs Letter No. F.No. 4/1/10/96-IR dated 19.11.1997. Further, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. 4/3/1/2012-IR dated 16.04.2019 issued guidelines regarding composition of Selection Committee for promotion from Scale VI to Scale VII.

हालांकि, रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार वाले बड़े बैंकों में सीजीएम (स्केल VIII) स्तर की शुरूआत के साथ, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र सं. एफ.सं..4/3/1/2012–आईआर दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 16.04.2019 और 30.08.2019 के पत्रों द्वारा निर्दिष्ट चयन समिति बैंक के बोर्ड से नीचे के उच्चतम स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी (पंजाब नैशनल बैंक के मामले में स्केल VII से स्केल VIII में पदोन्नति के लिए)।

इसके अतिरिक्त, एकरूपता लाने के लिए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या एफ.सं.4/3/1/2012–आईआर दिनांक 01.02.2023 द्वारा सूचित किया कि चयन समिति ने दिनांक 16.04.2019, 30.08.2019 और 10.03.2021 के पत्र के माध्यम से निर्दिष्ट किया है कि स्केल VI (DGM) से स्केल VII (GM) और स्केल VII (GM) से स्केल VIII (CGM) के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए चयन समिति होगी।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
3.	उमा शंकर	आरबीआई नामिती निदेशक, सदस्य
4.	**आमंत्रितः** दो विशेषज्ञ	

आरबीआई नामित निदेशक श्रीमती उमा शंकर को आरबीआई नामित निदेशक श्री अनिल कुमार मिश्रा के स्थान पर 19.07.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 14.07.2023 को पूरा हो गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरणः

आयोजित बैठकों की संख्या : 2

बैठक की तिथिः

16.03.2024	18.03.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	2	2
2.	पंकज शर्मा	2	2
3.	अनिल कुमार मिश्रा	शून्य	शून्य
4.	उमा शंकर	2	2

3.14 अपील प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषयः

समिति का गठन पीएनबी अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1977 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी/समीक्षा प्राधिकारी के रूप में अपील और समीक्षा मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है।

However, with the introduction of CGM (Scale VIII) level in large Banks having business of more than Rs.10 lakh crore, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. F.No. 4/3/1/2012-IR dated 10.03.2021 conveyed that the Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019 and 30.08.2019 shall be the Selection Committee for promotion of Officers to the highest level below the Bank's Board (in case of Punjab National Bank - for promotion from Scale VII to Scale VIII).

Further, in order to bring uniformity, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide Letter No. F.No. 4/3/1/2012-IR dated 01.02.2023 conveyed that the Selection Committee specified vide letters dated 16.04.2019, 30.08.2019 and 10.03.2021 shall be the Selection Committee for promotion of Officers from Scale VI (DGM) to Scale VII (GM) and from Scale VII (GM) to Scale VIII (CGM).

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3.	Uma Sankar	RBI Nominee Director, Member
4.	**Invitees:** Two Experts	

Smt. Uma Sankar, RBI Nominee Director, was made member of the Committee w.e.f 19.07.2023 in place of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, whose tenure completed on 14.07.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings:

16.03.2024	18.03.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	2	2
2.	Pankaj Sharma	2	2
3.	Anil Kumar Misra	Nil	Nil
4.	Uma Sankar	2	2

3.14 Appellate Authority & Reviewing Authority Committee

Brief description and terms of reference:

The Committee has been constituted to consider Appeal and Review cases as Appellate Authority/ Reviewing Authority in terms of PNB Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1977.

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, अध्यक्ष
2.	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
3.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को 06.10.2023 को श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 3

बैठक की तिथि:

27.04.2023	24.07.2023	17.10.2023

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	गौतम गुहा	2	2
2.	जतिंदर सिंह बजाज	1	1
3.	पंकज शर्मा	3	3
4.	संजीव कुमार सिंघल	3	3
5.	डॉ. रेखा जैन	3	3

3.15 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

समिति का गठन डीएफएस के पत्र एफ.सं.9 / 18 / 2009–आईआर दिनांक 21.10.2011 के अनुसार किया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन मुद्दों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशें शामिल थीं।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
4.	डॉ. रेखा जैन	शेयरधारक निदेशक, सदस्य
5.	बाह्य मानव संसाधन विशेषज्ञ	सदस्य
आमंत्रित(श्री / श्रीमती): बिनोद कुमार एम. परमशिवम बिभु प्रसाद महापात्र		 कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक कार्यपालक निदेशक

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 6

बैठक की तिथि:

17.06.2023	24.07.2023	11.09.2023	15.12.2023
31.01.2024	20.03.2024		

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Chairperson
2.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member
4.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made Chairperson of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings:

27.04.2023	24.07.2023	17.10.2023

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

S. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Gautam Guha	2	2
2.	Jatinder Singh Bajaj	1	1
3.	Pankaj Sharma	3	3
4.	Sanjeev Kumar Singhal	3	3
5.	Dr. Rekha Jain	3	3

3.15 Steering Committee of the Board on HR

Brief description and terms of reference:

The Committee was constituted as per the DFS letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 containing the recommendations of the Khandelwal Committee on Human Resources Issues of the Public Sector Banks, formed by the Govt. of India.

Composition as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
4.	Dr. Rekha Jain	Shareholder Director, Member
5.	Outside HR Expert	Member
Invitees(S/Shri): Binod Kumar M. Paramasivam Bibhu Prasad Mahapatra		 Executive Director Executive Director Executive Director

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings:

17.06.2023	24.07.2023	11.09.2023	15.12.2023
31.01.2024	20.03.2024		

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	6	6
2.	विजय दुबे (वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में)	1	1
3.	कल्याण कुमार	5	5
4.	पंकज शर्मा	6	5
5.	डॉ. रेखा जैन	6	6

3.16 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर विचार करने के लिए समिति–सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

संक्षिप्त विवरण और विचारार्थ विषय:

भारत सरकार, डीएफएस के पत्र दिनांक 03.04.2012 के अनुसार गठित समिति, उम्मीदवारों के प्रोफाइल और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन संस्थाओं में निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है जिनमें बैंक की हिस्सेदारी है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, सेवानिवृत्ति के कारण 01.09.2023 से कार्यकाल समाप्त। श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.17 प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

समिति का गठन डीएफएस अधिसूचना एफ सं./9/5/2009–आईआर दिनांक 30.08.2019, एफ सं./9/5/2009–आईआर दिनांक 14.11.2019 और एफ सं. 9/5/2009–आईआर (पीटी II) दिनांक 23.03.2021 और ई.एफ. नं. 9/5/2009–आईआर दिनांक 06.02.2023 के अनुसार किया गया है। समिति, गुणात्मक और मात्रात्मक मुख्य प्रदर्शन सूचकों (केपीआईएस) को स्थापित करके महाप्रबंधकों, मुख्य महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा, समिति, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बोर्ड केपीआई को भी प्रस्तावित करती है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	गैर कार्यपालक अध्यक्ष,
2.	पंकज शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक, सदस्य
3.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
4.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

S.No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	6	6
2.	Vijay Dube (as alternate arrangement)	1	1
3.	Kalyan Kumar	5	5
4.	Pankaj Sharma	6	5
5.	Dr. Rekha Jain	6	6

3.16 Committee to consider election of Shareholder Directors - Voting by Public Sector Banks

Brief description and terms of reference:

The Committee is constituted in terms of GoI, DFS letter dated 03.04.2012 to decide on the candidates for election as Directors in entities in which Bank is holding a stake considering the profile and background of Candidates.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

No meeting of the Committee was held during FY 2023-24

3.17 Performance Evaluation Committee

The Committee has been formed as per DFS notification F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019, F. No. 9/5/2009-IR dated 14.11.2019, F. No. 9/5/2009-IR (Pt. II) dated 23.03.2021 and E.F. No. 9/5/2009-IR dated 06.02.2023. The Committee evaluates the performance of General Managers/ Chief General Managers and Executive Directors by setting up qualitative and quantitative Key Performance Indicators (KPIs). Also, the Committee proposes the KPIs for evaluation of performance of the Managing Director and CEO to the Board of Directors.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Shri K G Ananthakrishnan	Non-Executive Chairman, Chairperson
2.	Pankaj Sharma	Govt. Nominee Director, Member
3.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
4.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठक की तिथि:

28.06.2023	26.10.2023	27.12.2023	20.03.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	के. जी. अनंतकृष्णन	4	4
2.	पंकज शर्मा	4	3
3.	पंकज जोशी	4	4
4.	गौतम गुहा	1	1
5.	जतिंदर सिंह बजाज	3	3

3.18 कारोबार समीक्षा समिति

समिति का गठन दिनांक 19.03.2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था एवं समिति को बैंक के सभी कारोबार वर्टिकल की बोर्ड स्तर की समीक्षा सौंपी गई है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	जतिंदर सिंह बजाज	शेयरधारक निदेशक, सदस्य

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, का सेवानिवृत्ति के कारण 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

श्री जतिंदर सिंह बजाज, शेयरधारक निदेशक, को 06.10.2023 से श्री गौतम गुहा, शेयरधारक निदेशक के स्थान पर समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठक की तिथि:

27.06.2023	11.09.2023	17.11.2023	20.03.2024

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

28.06.2023	26.10.2023	27.12.2023	20.03.2024

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	K. G. Ananthakrishnan	4	4
2.	Pankaj Sharma	4	3
3.	Pankaj Joshi	4	4
4.	Gautam Guha	1	1
5.	Jatinder Singh Bajaj	3	3

3.18 Business Review Committee

The Committee has been formed as per the direction given by Board in its meeting held on 19.03.2020 and has been entrusted with the Board level review of all Business Verticals of the Bank.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Jatinder Singh Bajaj	Shareholder Director, Member

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

Shri Jatinder Singh Bajaj, Shareholder Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

27.06.2023	11.09.2023	17.11.2023	20.03.2024

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्याः

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	4	4
2.	विजय दुबे	1	1
3.	कल्याण कुमार	4	4
4.	बिनोद कुमार	4	4
5.	एम. परमशिवम	4	4
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	2	2
7.	पंकज जोशी	4	4
8.	गौतम गुहा	2	2
9.	जतिंदर सिंह बजाज	2	1

3.19 बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति

समिति का गठन दिनांक 09.07.2020 को बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पूंजी जुटाने से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है:

ए) इक्विटी शेयरों का निर्गमन और आबंटनः निर्गमन का प्रकार, अनुपात, निर्गमन का समय और मूल्य, प्रमुख प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों, हामीदारों की नियुक्ति (जैसा आवश्यक हो) और ऐसी सभी एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों की पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्था/करार आदि करना और निष्पादित करना और जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं वहां स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता तलाश करना।

बी) एक या एक से अधिक किश्तों, कूपन, परिपक्वता, क्रय विकल्प, समय, आबंटन का आधार, आबंटन तिथि और सभी पूर्व जारी/जारी करने के बाद की औपचारिकताओं, बांड जारी करने, रेटिंग एजेंसी/ट्रस्टी, प्रबंधकों/सलाहकार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन बासेल III अनुपालन एटी 1/टीयर II बांड के माध्यम से जुटाई जाने वाली पूंजी की मात्रा को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचनाः

क्र.सं.	निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती)	
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
4.	एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक, सदस्य
6.	पंकज जोशी	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य
7.	संजीव कुमार सिंघल	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, सदस्य

श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक, का सेवानिवृत्ति के कारण 01.09.2023 से समिति के सदस्य का कार्यकाल समाप्त।

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

Sr. No.	Name of Director (S/Shri)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	4	4
2.	Vijay Dube	1	1
3.	Kalyan Kumar	4	4
4.	Binod Kumar	4	4
5.	M. Paramasivam	4	4
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	2	2
7.	Pankaj Joshi	4	4
8.	Gautam Guha	2	2
9.	Jatinder Singh Bajaj	2	1

3.19 Capital Raising Committee of Board

The Committee has been constituted as per the direction given by Board in its meeting held on 09.07.2020 for deciding on various matters relating to raising of capital including but not limited to:

a) Issue and allotment of equity shares: type of issue, proportion, timing and price of issue, appointment of Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters (as may be necessary) and all such Agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and also to enter into and execute all such arrangement/agreements etc., with such Agencies and to seek the listing of Equity shares issued on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed.

b) Finalizing/approving the quantum of capital to be raised through Basel III Compliant AT1/Tier II Bonds in one or more tranches, coupon, maturity, call option, timing, basis of allotment, allotment date and all pre-issue/post-issue formalities, modification in terms and conditions for the issuance of Bonds, appointment of Rating Agency/Trustee, Arrangers/Advisors and Registrar to the Issue.

Composition of the Committee as on 31.03.2024:

Sr.No.	Name of the Director (S/Shri)	
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO, Chairperson
2.	Kalyan Kumar	Executive Director, Member
3.	Binod Kumar	Executive Director, Member
4.	M. Paramasivam	Executive Director, Member
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director, Member
6.	Pankaj Joshi	Part Time Non-Official Director, Member
7.	Sanjeev Kumar Singhal	Part Time Non-Official Director, Member

Shri Vijay Dube, Executive Director, ceased to be member of the Committee w.e.f. 01.09.2023 on account of his superannuation.

श्री संजीव कुमार सिंघल, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, को शेयरधारक निदेशक, श्री गौतम गुहा के स्थान पर 06.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 05.10.2023 को पूरा हुआ।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक, को 25.10.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	समिति के निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	16.01.2024	7	5

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य–निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	निदेशक का नाम (श्री / श्रीमती)	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	अतुल कुमार गोयल	1	1
2.	विजय दुबे	शून्य	लागू नहीं
3.	कल्याण कुमार	1	1
4.	बिनोद कुमार	1	1
5.	एम. परमशिवम	1	0
6.	बिभु प्रसाद महापात्र	1	0
7.	पंकज जोशी	1	1
8.	संजीव कुमार सिंघल	1	1
9.	गौतम गुहा	शून्य	लागू नहीं

Shri Sanjeev Kumar Singhal, Part-Time Non Official Director, was made member of the Committee w.e.f. 06.10.2023 in place of Shri Gautam Guha, Shareholder Director, whose tenure completed on 05.10.2023.

Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director, was made member of the Committee w.e.f. 25.10.2023.

Details of meetings held during the financial year:

Sr. No.	Date of Meeting	Total No. of Directors of the Committee	No of Directors Present in the Meeting
1	16.01.2024	7	5

No. of meetings attended by Member-Directors during the Financial Year:

S. No.	Name of Director (Shri/Smt.)	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Atul Kumar Goel	1	1
2.	Vijay Dube	Nil	NA
3.	Kalyan Kumar	1	1
4.	Binod Kumar	1	1
5.	M. Paramasivam	1	0
6.	Bibhu Prasad Mahapatra	1	0
7.	Pankaj Joshi	1	1
8.	Sanjeev Kumar Singhal	1	1
9.	Gautam Guha	Nil	NA

4. निदेशकों का पारिश्रमिकः

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतनमान के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	नाम (श्री)	पदनाम	भुगतान किया गया पारिश्रमिक ¼₹ में½*	पीएफ का अंशदान ¼₹ में½*	मेडिकल ¼₹ में½
1.	अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	3931488.00	269280.00	160354.21
2.	कल्याण कुमार	कार्यपालक निदेशक	3557922.67	237060.00	100352.00
3.	बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक	3557922.67	237060.00	40525.95
4.	एम. परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	3552524.00	237060.00	74520.50
5.	बिभु प्रसाद महापात्र	कार्यपालक निदेशक	1572693.16	107718.70	37896.95
6.	विजय दुबे$	कार्यपालक निदेशक	6222573.33	100700.00	6610.80

**इसमें सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल है*

$दिनांक 31.08.2023 से निदेशक का कार्यकाल समाप्त

सेवा अनुबंधों और नोटिस अवधि सहित नियुक्ति की शर्तें, सरकार के दिशा–निर्देशानुसार है। किसी भी निदेशक को कोई विच्छेद शुल्क देय नहीं है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया है।

बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है। देय शुल्क निम्नानुसार हैंः–

क्र.सं.	बैठक	प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये देय शुल्क (₹)
(ए)	बोर्ड	70,000/-
(बी)	बोर्ड की समिति	35,000/-
(सी)	बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए	20,000/- [उपरोक्त (ए) के अतिरिक्त]
(डी)	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000/- [उपरोक्त (बी) के अतिरिक्त]

वर्ष 2023–24 के दौरान गैर– कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया कुल बैठक शुल्क इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक के नाम (श्री/श्रीमती)	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹ में)
1.	के. जी. अंनतकृष्णन	25,00,000/-
2.	अनिल कुमार मिश्रा	7,35,000/-
3.	पंकज जोशी	25,00,000/-
4.	संजीव कुमार सिंघल	25,00,000/-
5.	गौतम गुहा	16,05,000/-
6.	डॉ. रेखा जैन	25,00,000/-
7.	जतिंदर सिंह बजाज	9,55,000/-

नोटः श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक (कार्यकाल 14.07.2023 को पूरा हुआ) के मामले को छोड़कर, जो अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र थे, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

5. पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरणः

ए. 31.03.2024 तक वरिष्ठ प्रबंधन का विवरणः

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान
1.	राघवेन्द्र कुमार	मुख्य सतर्कता अधिकारी	प्रधान कार्यालय
2.	दिलीप कुमार जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी – सीजीएम	वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय
3.	वी सुंदरेसन	मुख्य महाप्रबंधक	ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय
4.	समीर बाजपेयी	अंचल प्रबंधक– सीजीएम	अंचल कार्यालय, दिल्ली
5.	अमित कुमार श्रीवास्तव	समूह मुख्य जोखिम अधिकारी– सीजीएम	आईआरएमडी और एफआरएमडी, प्रधान कार्यालय
6.	हेमंत वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	आईटी प्रभाग, प्रधान कार्यालय

4. Remuneration of Directors:

The Managing Director & CEO and the Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Whole Time Director(s) during the F.Y. 2023-24 are as under:

Sr. No	Name (Shri)	Designation	Emoluments paid (₹)*	PF Contribution (₹)	Medical (₹)
1.	Atul Kumar Goel	MD & CEO	3931488.00	269280.00	160354.21
2.	Kalyan Kumar	Executive Director	3557922.67	237060.00	100352.00
3.	Binod Kumar	Executive Director	3557922.67	237060.00	40525.95
4.	M. Paramasivam	Executive Director	3552524.00	237060.00	74520.50
5.	Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director	1572693.16	107718.70	37896.95
6.	Vijay Dube$	Executive Director	6222573.33	100700.00	6610.80

** includes Gratuity and Leave Encashment on retirement*

$ Ceased to be director on 31.08.2023

Terms of appointment including service contracts and notice period are as per Government guidelines. No severance fee is payable to any Director. No performance linked incentive was paid to the whole-time directors during financial year 2023-24. Further, no stock options have been issued by the Bank to any of the Director.

The Bank does not pay remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable is as under: -

Sr. No.	Meeting	Sitting Fees payable per Meeting (₹)
(a)	Board	70,000/-
(b)	Committee of Board	35,000/-
(c)	For Chairing Board Meeting	20,000/- [in addition to (a) above]
(d)	For Chairing meeting of Committees	10,000/- [in addition to (b) above]

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2023-24 is as under:

Sr. No.	Name of the Director (Shri/Smt.)	Sitting Fee paid (₹)
1.	K. G. Ananthakrishnan	25,00,000/-
2.	Anil Kumar Misra	7,35,000/-
3.	Pankaj Joshi	25,00,000/-
4.	Sanjeev Kumar Singhal	25,00,000/-
5.	Gautam Guha	16,05,000/-
6.	Dr. Rekha Jain	25,00,000/-
7.	Jatinder Singh Bajaj	9,55,000/-

Note: No sitting fee was paid to Whole Time Directors and Directors representing Government of India and the Reserve Bank of India except in case of Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director (tenure completed on 14.07.2023) who was eligible for receiving sitting fees as per terms of his appointment.

5. Particulars of senior management including the changes therein since the close of the previous financial year:

a. Particulars of Senior Management as on 31.03.2024:

Sr. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Designation	Place of Posting
1.	Raghvendra Kumar	Chief Vigilance Officer	Head Office
2.	Dilip Kumar Jain	Chief Financial Officer - CGM	Finance Division, Head Office
3.	V Sundaresan	Chief General Manager	Credit Review and Monitoring Division, Head Office
4.	Sameer Bajpai	Zonal Manager- CGM	Zonal Office, Delhi
5.	Amit Kumar Srivastava	Group Chief Risk Officer- CGM	IRMD & FRMD, Head Office
6.	Hemant Verma	Chief General Manager	IT Division, Head Office

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान
7.	संजय वार्ष्णेय	मुख्य महाप्रबंधक	परिचालन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
8.	राकेश ग्रोवर	मुख्य महाप्रबंधक	सस्त्र प्रभाग, प्रधान कार्यालय
9.	संजीवन नीखर	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी–सीजीएम	अनुपालन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
10.	राकेश गांधी	मुख्य महाप्रबंधक	बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय
11.	राजीवा	मुख्य महाप्रबंधक	कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, प्रधान कार्यालय
12.	सुनील कुमार चुघ	मुख्य महाप्रबंधक	वित्तीय समावेशन और आरएएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय
13.	सुमंत मोहंती	अंचल प्रबंधक– सीजीएम	एचआरडीडी, प्रधान कार्यालय
14.	सुरेश कुमार राणा	मुख्य महाप्रबंधक	एचआरडीडी, प्रधान कार्यालय
15.	फ़िरोज़ हसनैन	अंचल प्रबंधक– सीजीएम	अंचल कार्यालय, मुंबई
16.	सुनील कुमार गोयल	मुख्य महाप्रबंधक	डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
17.	संजय गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक	निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग
18.	सुनील अग्रवाल	मुख्य महाप्रबंधक	बीए एवं आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय
19.	सुधांशु शेखर दास	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, पटना
20.	अखिलेश कुमार गर्ग	महाप्रबंधक	जीबीएमडी, प्रधान कार्यालय
21.	वादिसेट्टी श्रीनिवास	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, रायपुर
22.	पी महेंदर	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, कोलकाता
23.	राधा कृष्ण बाजपेयी	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, जयपुर
24.	शैलेन्द्र सिंह बोरा	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, भोपाल
25.	प्रवीन गोयल	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, अमृतसर
26.	मनीष अग्रवाल	महाप्रबंधक	मिशन परिवर्तन, प्रधान कार्यालय
27.	प्रेम कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक	एसएमईएडी, प्रधान कार्यालय
28.	किरण कुमार तरानिया	महाप्रबंधक	ट्रेजरी प्रभाग, प्रधान कार्यालय
29.	उदय भास्कर रेड्डी अल्तुरु	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, भुवनेश्वर
30.	नरेश कुमार गर्ग	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, शिमला
31.	संजीव कुमार दुबे	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, मेरठ
32.	देवार्चन साहू	महाप्रबंधक	सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
33.	एम स्वराज्य लक्ष्मी	महाप्रबंधक	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय
34.	दीपंकर महापात्रा	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, अहमदाबाद
35.	पुष्कर कुमार तराई	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, लुधियाना
36.	अजय कुमार सिंह	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, वाराणसी
37.	चितरंजन प्रुष्टी	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, गुवाहाटी
38.	जान मोहम्मद	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, आगरा
39.	(डॉ.) राजेश प्रसाद	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, चंडीगढ़
40.	दीपक कुमार श्रीवास्तव	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, हैदराबाद
41.	सच्चिदानंद दुबे	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, देहरादून
42.	मृत्युंजय	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, लखनऊ
43.	सुमंत कुमार	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, दुर्गापुर
44.	भुवनेश्वरी वेंकटरमन	अंचल प्रबंधक –जीएम	अंचल कार्यालय, चेन्नई
45.	अश्विनी कुमार पांडे	महाप्रबंधक (सीआईएसओ)	साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग, प्रधान कार्यालय
46.	बलबीर सिंह	बोर्ड सचिव	बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय
47.	एकता पसरीचा	कंपनी सचिव	बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग, प्रधान कार्यालय

Sr. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Designation	Place of Posting
7.	Sanjay Varshneya	Chief General Manager	Operations Division, Head Office
8.	Rakesh Grover	Chief General Manager	SASTRA Division, Head Office
9.	Sanjeevan Nikhar	Group Chief Compliance Officer-CGM	Compliance Division, Head Office
10.	Rakesh Gandhi	Chief General Manager	Board & Co-ordination Division, Head Office
11.	Rajeeva	Chief General Manager	Corporate Credit Division, Head Office
12.	Sunil Kumar Chugh	Chief General Manager	Financial Inclusion and RAM Division, Head Office
13.	Sumanta Mohanty	Zonal Manager- CGM	HRDD, Head Office
14.	Suresh Kumar Rana	Chief General Manager	HRDD, Head Office
15.	Firoz Hasnain	Zonal Manager- CGM	Zonal Office, Mumbai
16.	Sunil Kumar Goyal	Chief General Manager	Digital Banking Transformation Division, Head Office
17.	Sanjay Gupta	Chief General Manager	Inspection & Audit Division
18.	Sunil Agrawal	Chief General Manager	BA & RM Division, Head Office
19.	Sudhanshu Shekhar Das	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Patna
20.	Akhilesh Kumar Garg	General Manager	GBMD, Head Office
21.	Vadisetti Srinivas	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Raipur
22.	P Mahendar	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Kolkata
23.	Radha Krishan Bajpai	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Jaipur
24.	Shailendra Singh Bora	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Bhopal
25.	Parveen Goyal	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Amritsar
26.	Manish Agrawal	General Manager	Mission Parivartan, Head Office
27.	Prem Kumar Agrawal	General Manager	SMEAD, Head Office
28.	Kiran Kumar Tarania	General Manager	Treasury Division, Head Office
29.	Udaya Bhaskar Reddy Alturu	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Bhubaneshwar
30.	Naresh Kumar Garg	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Shimla
31.	Sanjeev Kumar Dubey	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Meerut
32.	Debarchan Sahoo	General Manager	General Services Administration Division, Head Office
33.	M Swarajya Lakshmi	General Manager	International Banking Division, Head Office
34.	Dipankar Mahapatra	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Ahmedabad
35.	Puskar Kumar Tarai	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Ludhiana
36.	Ajay Kumar Singh	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Varanasi
37.	Chittaranjan Prusty	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Guwahati
38.	Jan Mohammed	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Agra
39.	(Dr.)Rajesh Prasad	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Chandigarh
40.	Deepak Kumar Shrivastava	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Hyderabad
41.	Sachidanand Dubey	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Dehradun
42.	Mrityunjay	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Lucknow
43.	Sumant Kumar	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Durgapur
44.	Bhuvaneswari Venkatraman	Zonal Manager -GM	Zonal Office, Chennai
45.	Ashwini Kumar Pandey	General Manager (CISO)	Cyber And Information Security Division, Head Office
46.	Balbir Singh	Board Secretary	Board & Coordination Division, Head Office
47.	Ekta Pasricha	Company Secretary	Board & Coordination Division, Head Office

बी. वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन का विवरणः

क्र.सं.	कार्यपालक का नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	पिछला कार्यभार	नया कार्यभार	परिवर्तन की प्रभावी तिथि
1.	संजीवन नीखर	मुख्य महाप्रबंधक	ऋण समीक्षा और निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	अनुपालन प्रभाग, प्रधान कार्यालय	06.10.2023
2.	महेंद्र दोहरे	मुख्य महाप्रबंधक	बीए और आरएम प्रभाग, प्र.का.	कार्यपालक निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	09.10.2023
3.	वी सुंदरेसन	मुख्य महाप्रबंधक	अनुपालन प्रभाग, प्र.का.	ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग, प्रधान कार्यालय	10.10.2023
4.	सुमंत मोहंती	मुख्य महाप्रबंधक	जीएसएडी, प्र.का.	मानव संसाधन विकास प्रभाग, प्रधान कार्यालय	11.10.2023
5.	फ़िरोज़ हसनैन	अंचल प्रबंधक–सीजीएम	अंचल कार्यालय, कोलकाता	अंचल कार्यालय कार्यालय, मुंबई	11.10.2023
6.	सुनील अग्रवाल	मुख्य महाप्रबंधक	अंचल कार्यालय, कोलकाता	बीए एवं आरएम प्रभाग, प्रधान कार्यालय	12.10.2023

6. विवेकाधीन अपेक्षाओं का अनुपालन

क्र.सं.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
ए	**बोर्ड** – गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने के लिए पात्र हो सकते हैं।	बैंक के बोर्ड में गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं जिन्हें बैंक के व्यय पर एक कार्यालय प्रदान किया जाता है तथा उन्हें संबंधित दिशानिर्देशों और विनियमन के अनुसार अन्य व्ययों की अनुमति है।
बी	**शेयरधारकों के अधिकार** – पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सार सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध–वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, एनएसई/बीएसई को भेजे जाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एजीएम से पहले शेयरधारकों को भी भेजी जाती है।
सी	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत** – सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ वित्तीय विवरणी की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है।	बैंक की वार्षिक वित्तीय विवरणी बिना शर्त है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूचियों में दी गई हैं जो व्याख्यात्मक प्रकृति की हैं।
डी	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** – आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते है।	मुख्य महाप्रबन्धक (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की रिपोर्ट करते हैं।

7. कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रकटीकरणः

विषय सं.	शीर्षक / संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
17	निदेशक मंडल	बैंक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। निदेशक मंडल की संरचना अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जहां केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों के बीच से चुने गए निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामांकित किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड की उप–समितियों की संरचना और दायरा भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार और अन्य लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार है जो उपरोक्त रिपोर्ट में वर्णित है। बोर्ड की चर्चाओं/विचार–विमर्श का महत्वपूर्ण समय बैंक की व्यावसायिक कार्यनीति और निष्पादन, अनुपालन, शासन और जोखिम प्रोफाइल की चर्चा पर लगाया जाता है। बोर्ड की कार्यपद्धति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया
19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया
22	सतर्कता तंत्र	अनुपालन किया गया
23	संबंधित पक्षों का लेनदेन	अनुपालन किया गया

b. Details of change in Senior Management:

Sr.No.	Name of the Executive (S/Shri)	Designation	Previous Assignment	New Assignment	Effective Date of Change
1.	Sanjeevan Nikhar	Chief General Manager	Credit Review and Monitoring Division, HO	Compliance Division, Head Office	06.10.2023
2.	Mahendra Dohare	Chief General Manager	BA & RM Division, HO	Executive Director, Central Bank of India	09.10.2023
3.	V Sundaresan	Chief General Manager	Compliance Division, HO	Credit Review and Monitoring Division, Head Office	10.10.2023
4.	Sumanta Mohanty	Chief General Manager	GSAD, HO	HRD Division, Head Office	11.10.2023
5.	Firoz Hasnain	Zonal Manager- CGM	Zonal Office, Kolkata	Zonal Office, Mumbai	11.10.2023
6.	Sunil Agrawal	Chief General Manager	Zonal Office, Kolkata	BA & RM Division, Head Office	12.10.2023

6. Compliance of discretionary requirements

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
A	**The Board –** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense	The Board of the Bank has a Non-Executive Chairman who is provided with an office at Bank's expense and he is allowed other expenses as per related guidelines and regulations.
B	**Shareholders' Rights –** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The quarterly / Annual Financial Results are submitted to NSE/BSE, published in newspapers and placed on Bank's website. Annual reports are also sent to the shareholders before the AGM in accordance with SEBI guidelines.
C	**Modified opinion(s) in Audit Report –** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.
D	**Reporting of Internal Auditor –** The internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Chief General Manager (Inspection & Audit) heading the Internal Audit function reports to the Audit Committee of Board.

7. Disclosure of compliance with Corporate Governance Requirements:

Reg. No.	Title/Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of Section 9(3) of the Act, whereby all the Directors are appointed/nominated by the Government of India except the directors elected from amongst the shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the Committees of the Board is as per extant RBI/SEBI/GoI Guidelines and other applicable guidelines as detailed in the Report above. Significant time of the Board discussions/deliberations is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk management of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	Complied With
19	Nomination and Remuneration Committee	Complied With
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied With
21	Risk Management Committee	Complied With
22	Vigil Mechanism	Complied With
23	Related Party Transactions	Complied With

विषय सं.	शीर्षक / संक्षिप्त विवरण	अनुपालन की स्थिति
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक कंपनी के संबंध में कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
24ए	सचिवीय लेखा परीक्षा	अनुपालन किया गया
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के विषय में दायित्व	अनुपालन किया गया
27	अन्य कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया
46 (2) (बी) से (i) तक	वेबसाइट	अनुपालन किया गया

8. आम सभा की बैठकें

शेयरधारकों की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार हैं :

बैठक का प्रकार	दिन, तारीख और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
20वीं एजीएम	सोमवार, 26 जुलाई 2021, प्रातः 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था।	❖ 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना।
21वीं एजीएम	गुरुवार, 30 जून, 2022, प्रातः 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था।	❖ 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना। ❖ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। ❖ एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मनी मार्केट लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्था सेवाओं और ऐसे अन्य लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट में प्रकट किया जा सकता है। ❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिमों के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (एसोसिएट्स) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।(सम्बद्ध करना) ❖ ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।
22वीं एजीएम	शुक्रवार, 30 जून 2023, प्रातः 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था।	❖ 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना। ❖ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। ❖ एकमुश्त प्रतिभूतियों के लेन–देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मनी मार्केट लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्था सेवाओं और ऐसे अन्य लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना, जैसा कि पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट में प्रकट किया जा सकता है।

Reg. No.	Title/Brief description	Compliance Status
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied With
24A	Secretarial Audit	Complied With
25	Obligations with respect to Independent Directors	Complied With
26	Obligations with respect to employees including Senior Management, Key Managerial Persons, Directors and Promoters	Complied With
27	Other corporate governance requirements	Complied With
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied With

8. General Body Meetings

The details of Annual General Meetings (AGM) of shareholders during the last three years are as follows:

Type of Meeting	Day, Date & Time	Venue	Purpose
20th AGM	Monday, July 26, 2021 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	❖ To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2021.
21st AGM	Thursday, June 30, 2022 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	❖ To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2022. ❖ To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2021-22. ❖ To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture).
22nd AGM	Friday, June 30, 2023 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	❖ To discuss, approve & adopt the Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for year ended 31.03.2023. ❖ To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2022-23. ❖ To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/ purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).

बैठक का प्रकार	दिन, तारीख और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
			❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिमों के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (एसोसिएट्स) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ चालू खातों में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।(सम्बद्ध करना) ❖ ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय सहायक) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में महत्वपूर्ण संबंधी पक्ष लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री अनिल कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री पंकज शर्मा की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिनोद कुमार की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदिन करना। ❖ कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. परमशिवम की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना। ❖ बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक और गैर–कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र) के रूप में श्री के.जी. अनंतकृष्णन की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना। (विशेष प्रस्ताव) ❖ कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार करना और अनुमोदन करना। (विशेष प्रस्ताव)

असाधारण आम बैठक – 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठकों (ईजीएम) का विवरण निम्नलिखित है:

क्रमांक	दिन, तारीख और समय	कार्यक्रम का स्थान	उद्देश्य
1.	बुधवार, 27 सितंबर, 2023, प्रातः 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था।	❖ केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करना, जिनके संबंध में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पठित बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i), पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में विचार किए जाने हेतु जारी किए गए दिशानिर्देश 25 मार्च, 2015, और दिनांक 08 जुलाई, 2016 और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो के साथ पठित पीएसबी के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट और उचित' मानदंड पर अधिसूचना संख्या डीबीआर.एप्ट.सं. 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी आरबीआई मास्टर निर्देश किए गए और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो, के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं। ❖ बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्रीमती उमा शंकर की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।
2.	मंगलवार, 05 मार्च, 2024 प्रातः 11.00 बजे	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना गया स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था।	❖ 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखे पर परिचर्चा करना, अनुमोदन करना एवं अपनाना। ❖ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से बुलाई गई थी, जिसमें माना स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय था। ❖ वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या किसी अन्य अनुमत मोड या इनके संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में कुल 7500 करोड़ रुपये (शेयर प्रीमियम सहित) तक की राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करना और अनुमोदन करना, ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें लागू अधिनियमों/ विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार और सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने और भारत सरकार की शेयरधारिता 52% से कम नहीं होने के अधीन उचित समझा जाए। ❖ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिभु प्रसाद महापात्र की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।

Type of Meeting	Day, Date & Time	Venue	Purpose
			❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate). ❖ To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture). ❖ To consider and approve the appointment of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank. ❖ To consider and approve the appointment of Shri Anil Kumar Misra as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank. ❖ To consider and approve the appointment of Shri Pankaj Sharma as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank. ❖ To consider and approve the appointment of Shri Binod Kumar as Executive Director of the Bank. ❖ To consider and approve the appointment of Shri M. Paramasivam as Executive Director of the Bank. ❖ To consider and approve the appointment of Shri K. G. Ananthakrishnan as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman (Independent) on the Board of the Bank. (Special Resolution) ❖ To consider and approve Issue of equity shares to Employees through Employee Stock Purchase Scheme (ESPS). (Special Resolution)

Extraordinary General Meeting - The details of Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders held during the year ended 31st March, 2024, are as follows:

Sr.No.	Day, Date & Time	Venue	Purpose
1.	Wednesday, September 27, 2023 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	❖ To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Banking Regulation Act, 1949, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and further amendments thereto, if any read with Guidelines dated March 25, 2015 and dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks and further amendments thereto, if any. ❖ To consider and approve the appointment of Smt. Uma Sankar as Director nominated by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India on the Board of the Bank.
2.	Tuesday, March 05, 2024 at 11.00 a.m.	The meeting was convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means with the deemed venue being the Head Office of the Bank	❖ To consider and approve raising of equity capital for an amount aggregating upto ₹7500 crore (including share premium) in one or more tranches during FY 2024-25 through Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow-on Public Offer (FPO) or any other permitted mode or a combination thereof in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate, in accordance with the applicable Acts/ Regulations/Guidelines and subject to receipt of all requisite approvals and the shareholding of Govt. of India not falling below 52%. ❖ To consider and approve the appointment of Shri Bibhu Prasad Mahapatra as Executive Director of the Bank.

डाक से मताधिकार का प्रयोग (पोस्टल बैलट) – बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक के माध्यम से मतदान का कोई कार्य नहीं किया और वर्तमान में कोई पोस्टल बैलट के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

9. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V {C(10)} के अनुसार अन्य प्रकटीकरण

9.1 वर्ष के दौरान ऐसी कोई संबंधी पक्ष महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं हुआ, जिससे कि बैंक के हितों का संभावित टकराव हो।

9.2 भारतीय रिजर्व बैंक/आईसीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के सम्बन्धी पक्ष लेन–देन 31.03.2024 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के लेखों पर टिप्पणियों (अनुसूची 18) में दर्शाए गये हैं। संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन करने की नीति बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html. पर दी गयी है । यह बैंक में एक प्रमाणिक व्यवस्था है कि निदेशक बोर्ड की तथा अन्य समितियों के विचार–विमर्श में भाग नहीं लेते हैं, जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

9.3 विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबन्धित मामलों के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर लगाए गए जुर्माने का विवरण निम्नानुसार हैः

2021-22	शून्य
2022-23	शून्य
2023-24	शून्य

9.4 बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है और किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से नही रोका गया है।

9.5 विवेकाधीन और अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति क्रमशः बिंदु 6 और 7 पर विस्तार से दी गई है।

9.6 बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि के लिए रिपोर्ट के अंत में एक प्रमाणपत्र दिया है।

9.7 महत्वपूर्ण सहायक निर्धारण तथा संबन्धित पक्ष लेनदेन से निपटने के लिए नीति हेतु वेब लिंक बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

9.8 पण्य मूल्य जोखिम तथा पण्य हैजिंग गतिविधियाँ शून्य है।

9.9 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ने कोई इक्विटी पूंजी नहीं जुटाई है।

9.10 हमने व्यवहारतः कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

Postal Ballot - Bank has not conducted any business by way of postal ballot, during the financial year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

9. Other Disclosures as per Schedule V {C(10)} of SEBI (LODR) Regulations, 2015

9.1 There has been no significant related party transaction during the year that may have had potential conflict of interest with the Bank.

9.2 The Related Party Transactions of the Bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31.03.2024. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html. It is established practice in the Bank that the Directors recuse themselves from the agenda of the Board and other Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

9.3 Details of penalties imposed on the Bank by SEBI/Stock Exchanges for non-compliance in respect of matters related to Capital Market during the last three years are as under:

2021-22	Nil
2022-23	Nil
2023-24	Nil

9.4 The Bank has in place a Whistle Blower Policy and no person has been denied access to the Audit Committee.

9.5 The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at Points 6 & 7, respectively.

9.6 The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.pnbindia.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a Certificate affirming the same is given at the end of the Report.

9.7 The 'Policy for determination of material Subsidiary' and 'Policy on Related Party Transactions' is available on the website of the Bank at https://www.pnbindia.in/Policies.html.

9.8 Commodity Price Risks and Commodity hedging activities are Nil.

9.9 The Bank has not raised any equity capital during FY 2023-24.

9.10 We have obtained a certificate from the Company Secretary in Practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority.

9.11 यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं हैं जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अनिवार्यतः आवश्यक है।

9.12 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:

क्रमांक	इकाई का नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	पंजाब नैशनल बैंक	4390.34
2.	पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड	561.81
3.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	42.48
4.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	1.97
5.	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड	3.25
6.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	2.75

9.13 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

ए.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	29
बी.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	22
सी.	वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या (PoSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार टीएटी के भीतर)	07

9.14 बैंक, सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के उप–परिच्छेद (2) से (10) के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

9.15 हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

9.16 इसके अतिरिक्त यह भी पुष्टि की जाती है कि:

(i) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

(ii) कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

(iii) बैंक अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html पर उपलब्ध है।

9.17 किसी भी स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफे देने का कोई मामला नहीं था।

9.18 सेबी विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के खंड 5 ए पैरा के तहत प्रकट किए गए कुछ प्रकार के समझौतों के संबंध में प्रकटीकरण, जो बैंक पर बाध्यकारी हैं: शून्य

9.11 It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required during the financial year 2023-24.

9.12 The total fees for all services to Statutory Auditors of the Bank and its subsidiaries is as under:

Sr.No.	Name of the Entity	Amount (Rs. in Lakhs)
1.	Punjab National Bank	4390.34
2.	PNB International Limited	561.81
3.	PNB Gilts Limited	42.48
4.	PNB Investment Services Limited	1.97
5.	Druk PNB Bank Limited	3.25
6.	PNB Cards and Services Ltd.	2.75

9.13 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a.	Number of complaints filed during FY 2023-24	29
b.	Number of complaints disposed off during FY 2023-24	22
c.	Number of complaints pending as on end of the FY 2023-24 (within TAT as per provisions of PoSH Act, 2013)	07

9.14 It is confirmed that Bank is complying with the disclosure requirements in respect of Corporate Governance Report as per sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations.

9.15 The securities of the Bank were not suspended from trading during FY 2023-24.

9.16 Further it is confirmed that:

(i) In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the Management.

(ii) None of the Directors are related inter-se.

(iii) The Bank conducts familiarization programmes for its Independent Directors, details of which are available on the website of the Bank i.e. at https://www.pnbindia.in/Disclosures-in-terms-of-Regulation.html

9.17 There was no case of resignation of any Independent Director before the expiry of his/her tenure.

9.18 Disclosure in respect of certain types of agreements disclosed under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, which are binding on the Bank: Nil

10. **बैंक की चार घरेलू समनुषंगियाँ है, यथा:**

i) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड.

ii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड.

iii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

iv) पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड*

**पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन में थी और पूंजी समाप्त हो गई थी एवं परिसमापक, समापन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा।*

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध इकाई है जहां बैंक ने कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित किया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की दो अंतर्राष्ट्रीय समनुषंगियाँ है, यथा

i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड (पीएनबीआईएल), यूके

ii) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान।

बैंक की कोई मटेरियल सहायक कंपनी नहीं है।

11. संचार माध्यम

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई एंड बीएसई) में प्रचार के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, वित्तीय परिणाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से हितधारकों को भी सूचित किए जाते हैं।

शेयरधारकों के पत्राचार/सूचनाएं एवं वित्तीय परिणाम इत्यादि को किन्हीं दो (अंग्रेजी व हिन्दी) अत्यधिक परिचालन वाले समाचार पत्रों मुख्यतः फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेसलाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता में प्रकाशित किए जाते हैं।

तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम और संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को दिए गये प्रस्तुतियों को बैंक की वैबसाइट (www.pnbindia.in) के अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर दर्शाया जाता है।

सेबी परिपत्र दिनांक 13.05.2022,05.01.2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोनिक प्रति जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना दी गई थी, केवल ईमेल के माध्यम से शेयरधारकों को भेजी गई थी और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के अलावा बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया था।

सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11.07.2023 के साथ पठित सेबी परिपत्र दिनांक 13.05.2022 एवं दिनांक 07.10.2023 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को ईमेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिन्होंने अपने ईमेल आईडी को पंजीकृत किया है।

12. आम शेयरधारकों के लिए सूचना

12.1 बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक:

23वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यक्रम इस प्रकार है:

दिन, तिथि व समय	शनिवार, 29 जून 2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से (एजीएम नोटिस दिए गए विवरण के अनुसार)

10. The Bank has four domestic Subsidiaries, namely:

i) PNB Investment Services Ltd.

ii) PNB Cards and Services Ltd.

iii) PNB Gilts Ltd.

iv) PNB Insurance Broking Pvt. Ltd.*

**PNB Insurance Broking Company was in voluntary liquidation and capital stands extinguished and liquidator shall be completing the necessary formalities to conclude the winding up procedure.*

PNB Gilts Ltd. is a listed entity where the Bank has nominated two Directors on the Board of the Company.

Further, the Bank has two international subsidiaries, namely:

i) Punjab National Bank (International) Limited (PNBIL), UK

ii) Druk PNB Bank Ltd., Bhutan.

The Bank has no material subsidiary.

11. Means of Communication

The Quarterly/Annual Financial Results are submitted to the Stock Exchanges (NSE & BSE) for dissemination. Further, the Financial Results are also communicated to the stakeholders through news releases via print and electronic media.

Shareholder communications/notices and financial Results etc. are also published in widely circulated English and Hindi newspapers viz. Financial Express, Mint, Economic Times, Businessline, Business Standard, Navbharat Times and Jansatta.

The Quarterly/Annual Financial Results and presentations made to Institutional Investors/Analysts are also placed on the website of the Bank (www.pnbindia.in) besides the websites of Stock Exchanges viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The electronic copies of Annual Report for FY 2022-23 inter alia containing the Notice of AGM were sent to the shareholders only through email in accordance with SEBI Circular dated 13.05.2022 and 05.01.2023 and was also hosted on the Bank's website, besides the websites of the Stock Exchanges.

The Annual Report for FY 2023-24 shall be sent by email to those shareholders who have registered their email ids pursuant to SEBI Circular(s) dated 13.05.2022, 05.01.2023 and 07.10.2023 read with SEBI Master Circular dated 11.07.2023.

12. General Shareholders' Information

12.1 Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

The following is the schedule of the 23rd Annual General Meeting:

Day, Date & Time	Saturday, 29th June, 2024 at 11.00 a.m.
Venue	Through VC/OAVM (as detailed in the AGM Notice)

12.2 वित्तीय कैलेण्डर

वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक
31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करने एवं विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक।	9 मई, 2024
23 वीं एजीएम की तिथि और समय	29 जून, 2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे
रिकॉर्ड तिथि	22 जून, 2024
बही बंदी तिथि	23 जून, 2024 से 29 जून, 2024 तक
ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि	22 जून, 2024
ई–वोटिंग की अवधि	एजीएम नोटिस के अनुसार

12.3 लाभांश का विवरण –वित्तीय वर्ष 2023–24

(i) **लाभांशः**– बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रत्येक ₹2/- के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹1.50 के लाभांश की सिफारिश की है, जो कि बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 75% है।

(पप) **लाभांश वितरण नीतिः**– बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशों के आधार पर एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Policies.html पर उपलब्ध है।

12.4 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरणः

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैंः–

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड	सूचीकरण की आरम्भिक तिथि
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज़ ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बान्द्रा – कुर्ला कम्प्लेक्स, मुम्बईपीएनबी	PNB	24.04.2002
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड.(बीएसई) पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई	532461	25.04.2002

12.5 सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आज की तिथि तक एनएसई तथा बीएसई को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

12.6 बही बन्दी करने की तिथियाँ और रिमोट ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि – *एजीएम नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार*

12.2 Financial Calendar

Financial Year	01st April 2023 to 31st March, 2024
Board Meeting for considering and approving the Audited Financial Results of the Bank for the quarter/ financial year ended 31st March, 2024	09th May, 2024
Date & Time of the 23rd AGM	29th June, 2024 at 11.00 a.m.
Record Date	22nd June, 2024
Book Closure Dates	23rd June, 2024 to 29th June, 2024
Cut-off Date for E-voting	22nd June, 2024
E- voting period	As per AGM Notice

12.3 Dividend details – Financial Year 2023-24

(i) **Dividend:-** The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹1.50 per equity share of ₹2/- each i.e. 75% of the paid up equity capital of the Bank for FY 2023-24.

(ii) **Dividend Distribution Policy:-** The Bank has formulated a Dividend Distribution Policy based on RBI / Government of India / SEBI Guidelines which is available at Bank's website at https://www.pnbindia.in/Policies.html

12.4 Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on the following Stock Exchanges:

Stock Exchanges	Stock Code	Date of Initial Listing
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Bandra - Kurla Complex, Mumbai	PNB	24.04.2002
Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai	532461	25.04.2002

12.5 Payment of Listing Fee

The annual listing fee to NSE & BSE have been paid up to date.

12.6 Dates of Book Closure and Cut-off date for remote e-voting- *As per AGM Notice*

12.7 बाजार मूल्य (₹)डाटा/बैंक के शेयरों का प्रदर्शन'

माह	एनसीई			बीएसई			संयुक्त
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	मात्रा
अप्रैल–23	52.50	46.45	58579598	52.42	46.45	46063248	104642846
मई–23	53.85	47.90	846358317	53.82	47.90	76194353	922552670
जून–23	53.25	49.70	645115297	53.23	49.70	55226339	700341636
जुलाई–23	65.15	52.00	1793202010	65.15	52.00	108081893	1901283903
अगस्त–23	64.20	58.55	988073844	64.15	58.60	68820361	1056894205
सितम्बर–23	82.65	62.50	1967831474	82.60	62.51	111263279	2079094753
अक्टूबर–23	83.50	67.35	1242014615	83.45	67.34	94028030	1336042645
नवम्बर–23	80.80	72.65	732032044	80.85	72.71	68571596	800603640
दिसंबर–23	97.70	78.05	1306358969	97.70	78.00	105275332	1411634301
जनवरी–24	114.95	93.35	1482977508	114.95	93.40	126242783	1609220291
फरवरी–24	132.60	113.70	1788414453	132.60	113.70	106906620	1895321073
मार्च–24	132.95	114.15	851114757	133.00	114.15	49209819	900324576
कुल			**13702072886**			**1015883653**	**14717956539**

*स्रोत – एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के शेयर का मूल्य न्यूनतम ₹46.45 तथा अधिकतम ₹133.00 बीच ट्रेड हुआ तथा शेयर के फ्लोटिंग स्टॉक 295.69 करोड़ की तुलना में एनएसई एवं बीएसई में कारोबार की कुल मात्रा 1471.79 करोड़ शेयर रही।

12.8 बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का प्रदर्शनः

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर का ग्राफ के रूप में चित्रण नीचे दिया गया है:

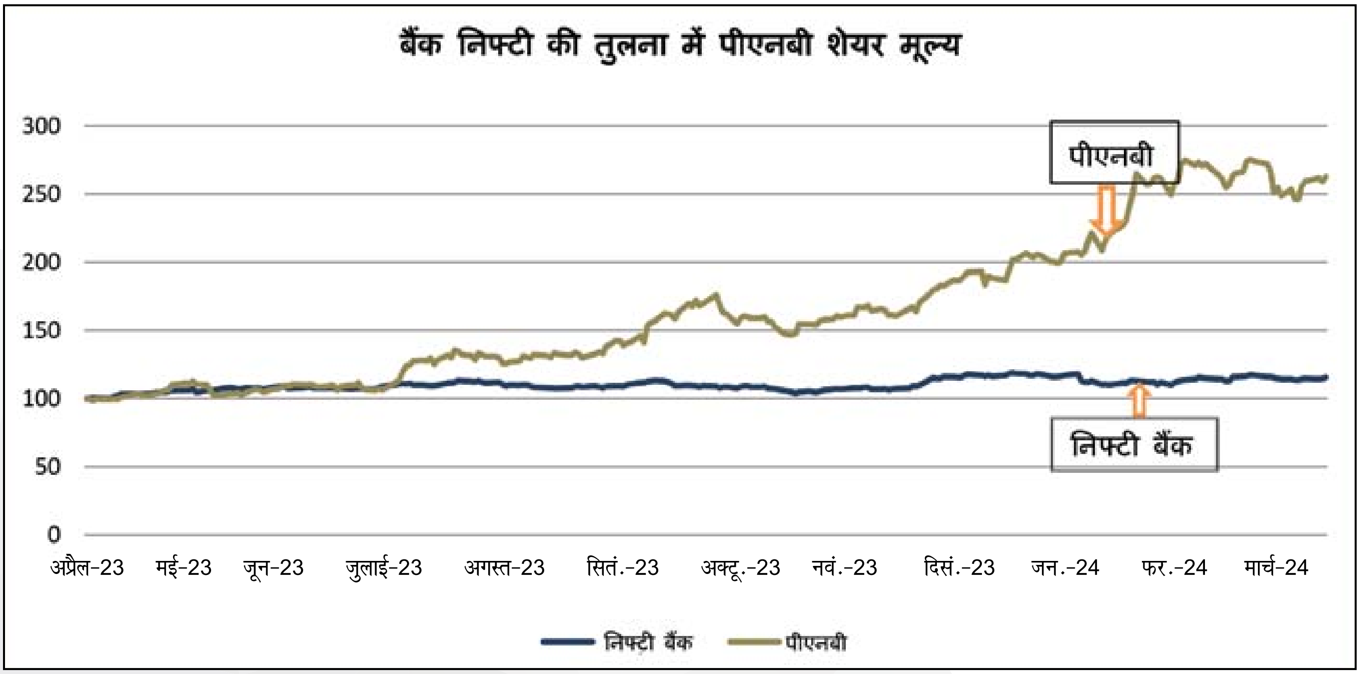

12.7 Market Price (₹) Data / Performance of Bank's shares*

Month	NSE			BSE			COMBINED
	HIGH	LOW	VOLUME	HIGH	LOW	VOLUME	VOLUME
Apr-23	52.50	46.45	58579598	52.42	46.45	46063248	104642846
May-23	53.85	47.90	846358317	53.82	47.90	76194353	922552670
Jun-23	53.25	49.70	645115297	53.23	49.70	55226339	700341636
Jul-23	65.15	52.00	1793202010	65.15	52.00	108081893	1901283903
Aug-23	64.20	58.55	988073844	64.15	58.60	68820361	1056894205
Sep-23	82.65	62.50	1967831474	82.60	62.51	111263279	2079094753
Oct-23	83.50	67.35	1242014615	83.45	67.34	94028030	1336042645
Nov-23	80.80	72.65	732032044	80.85	72.71	68571596	800603640
Dec-23	97.70	78.05	1306358969	97.70	78.00	105275332	1411634301
Jan-24	114.95	93.35	1482977508	114.95	93.40	126242783	1609220291
Feb-24	132.60	113.70	1788414453	132.60	113.70	106906620	1895321073
Mar-24	132.95	114.15	851114757	133.00	114.15	49209819	900324576
TOTAL			**13702072886**			**1015883653**	**14717956539**

**Source - NSE/BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)*

The shares of the Bank were traded between a low of ₹46.45 and high of ₹133.00 during the financial year and total volume traded at NSE & BSE was 1471.79 Crore shares as against the floating stock of 295.69 Crore shares.

12.8 Performance of Bank's share price in comparison with Bank Nifty.

The graphical depiction of performance of Bank's share vis-à-vis Bank Nifty is given below:

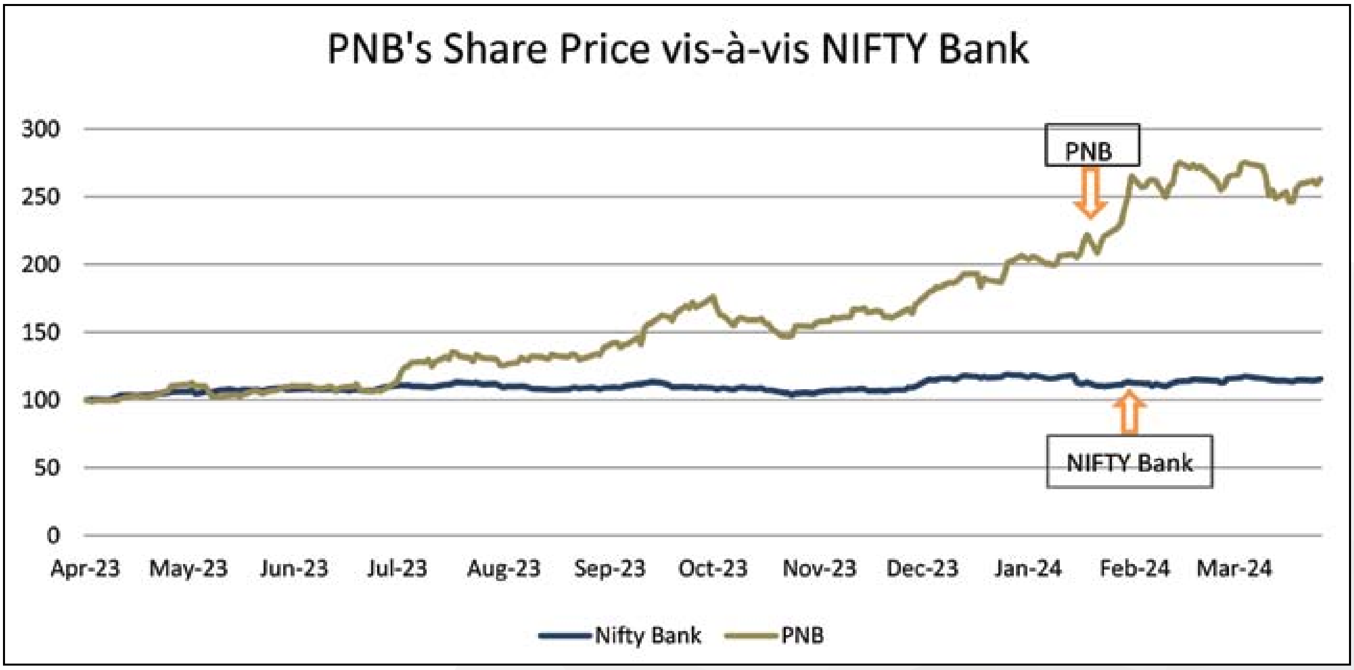

12.9 प्रति शेयर आंकड़ाः

	2021-22	2022-23	2023-24
अंकित मूल्य (₹)	2/-	2/-	2/-
31 मार्च को बंद भाव – एनएसई (₹)	35.05	46.60	124.40*
आय प्रति शेयर (₹)	3.16	2.28	7.49
₹2/- के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	0.64	0.65	1.50
लाभांश (%)	32%	32.5%	75%
बही मूल्य (₹)	54.77	60.70	67.75
प्रदत्त लाभांश (शुद्ध लाभ का %)	20.39%	28.55%	20.03%

** दिनांक 28.03.2024 को*

12.10 शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए)

मैसर्स बीटल फाइनैंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसज़ (प्रा.) लि., सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं और 01.01.2013 से यह बैंक का शेयर अंतरण है। एसटीए का सम्पर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

बीटल फाइनेंसियल एंड कंप्यूटर सर्विसज़ (प्रा.) लि. (यूनिट : पीएनबी)
'बीटल हाउस', तृतीय तल,
99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,
नई दिल्ली – 110062
दूर. सं. : 011-29961281/82/83, फैक्स : 011-29961284
ई–मेल : beetalrta@gmail.com

12.11 शेयर अंतरण पद्धति

(i) भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015, के विनियम 40(1) यथा संशोधित, के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अमूर्त रूप में ही किया जा सकता है, प्रतिभूतियों के प्रेषण (ट्रांसमिशन) या पक्षांतरण (ट्रांसपोजीशन) के अनुरोध के मामलें को छोड़कर। जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर है उनसे अपनी शेयर होल्डिंग को अमूर्त रूप में बदलने का अनुरोध किया जाता है।

(ii) भौतिक शेयरों का प्रेषण या पक्षांतरण लागू कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण बैंक की भागीदारी के बिना निक्षेपागारों अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड, (एनएसडीएल) और केन्द्रीय प्रतिभूति सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है।

(iv) शेयरधारकों से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के लिए पते और/या बैंक शासनादेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, माइकर कोड इत्यादि) में किसी भी परिवर्तन के मामले में रिकॉर्ड अद्यतित करने के लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सीधे सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

(v) सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने भौतिक रूप में बैंक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उनके संपर्क विवरण, बैंक खाते के विवरण, नामांकन आदि को अद्यतन करने के अनुरोध पत्र भेजे है।

12.12 इलैक्ट्रानिक वोटिंगः

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी नवीनतम ईमेल आईडी अपने डिपाजिटरी सहभागी या एसटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास पंजीकृत करवा लें ताकि वे रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए सक्षम हो सकें।

12.9 Per Share Data:

	2021-22	2022-23	2023-24
Face Value (₹)	2/-	2/-	2/-
Closing Price as on 31st March -NSE(₹)	35.05	46.60	124.40*
Earnings per share (₹)	3.16	2.28	7.49
Dividend per Equity Share of ₹2/- each	0.64	0.65	1.50
Dividend (%)	32%	32.5%	75%
Book Value (₹)	54.77	60.70	67.75
Dividend payout (% of Net Profit)	20.39%	28.55%	20.03%

** as on 28.03.2024*

12.10 Share Transfer Agent (STA)

M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., a SEBI registered Registrar and Share Transfer Agent is the STA of the Bank since 01.01.2013. The contact details of the STA are given below:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB)
'Beetal House', 3rd Floor
99, Madangir, Behind Local Shopping Centre
New Delhi 110062
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284
e-mail: beetalrta@gmail.com

12.11 Share Transfer System

(i) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.

(ii) The transmission or transposition of physical shares was effected in accordance with the applicable laws/guidelines.

(iii) Transfer of equity shares in electronic form is effected through the Depositories, i.e., National Securities Depository Ltd, (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) with no involvement of the Bank.

(iv) For shares held in Dematerialized form, shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and/or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No, MICR Code etc.).

(v) In accordance with SEBI Guidelines, the Bank has sent letters to the shareholders holding shares of the Bank in physical form with a request to update their contact details, Bank account details, nomination etc.

12.12 Electronic Voting:

Shareholders are requested to register their latest email IDs with their Depository Participant(s) or the STA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

12.13 पीएनबी अदावी शेयर (उचंत) खाते: सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार अदावी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	आईपीओ (2002)		एफपीओ (2005)		समामेलन के अनुसरण में दावा न किए गए शेयर#		कुल	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या		
1	वर्ष के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2023 को प्रारंभिक (अंकित मूल्य रु.2/– प्रत्येक)	58	33500	351	59975	54	1323	463	94798
2	वर्ष के दौरान शेयर अंतरण के लिए आए शेयरधारकों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको शेयर अंतरित किए गए	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अंत अर्थात 31.03.2024 (1–3) को बकाया	**58**	**33500**	**351**	**59975**	**54**	**1323**	**463**	**94798**

 # ये शेयर पूर्ववर्ती ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े अदावी शेयरों से संबंधित हैं और 01.04.2020 को पंजाब नैशनल बैंक में दोनों बैंकों के समामेलन पर पीएनबी द्वारा जारी किए गए हैं।

** यह प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज़ रहेगा जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता।*

12.14 दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार शेयरधारिता तथा वितरण पैटर्न:

i) शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	% धारित इक्विटी शेयर
भारत के राष्ट्रपति	73.15
एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी	5.06
बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कम्पनियां	8.92
म्युचुअल फण्ड	3.44
घरेलू कम्पनियां/ट्रस्ट	0.52
भारतीय जनसाधारण/निवासी व्यक्ति/एचयूएफ	8.90
समाशोधन सदस्य	0.01
कुल	**100.00**

ii) दिनांक 31.03.2024 को शेयरधारकों की संख्या: 24,13,083

iii) प्रत्येक इक्विटी शेयर का सांकेतिक मूल्य (₹) 2/-

iv) वितरण पैटर्न:

शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	अंकित मूल्य की शेयरधारिता (₹ में)	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि (₹ में)	कुल का प्रतिशत
2349531	97.37	5000 तक	446525544	893051088	4.06
38880	1.61	5001 से 10000	138934295	277868590	1.26
14156	0.59	10001 से 20000	103839884	207679768	0.94
3818	0.16	20001 से 30000	47307395	94614790	0.43
2022	0.08	30001 से 40000	36016341	72032682	0.33
1077	0.04	40001 से 50000	24679241	49358482	0.22
1929	0.08	50001 से 100000	68698895	137397790	0.62
1670	0.07	100001 और उससे अधिक	10145013963	20290027926	92.14
कुल : 2413083	**100.00**		**11011015558**	**22022031116**	**100.00**

12.13 PNB-Unclaimed Shares (Suspense) A/c: The details of unclaimed shares as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sr.No	Particulars	IPO (2002)		FPO (2005)		Unclaimed shares issued pursuant to Amalgamation (2020)#		TOTAL	
		No. of Share holders	No. of Shares	No. of Share holders	No. of Shares	No. of Share holders	No. of Shares		
1	Opening at the beginning of the year i.e. 01.04.2023 (Face Value Rs. 2/- each)	58	33500	351	59975	54	1323	463	94798
2	No. of shareholders who approached for transfer of shares during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
3	No. of shareholders to whom shares were transferred during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Outstanding at the end of the year i.e. 31.03.2024 (1-3)	**58**	**33500**	**351**	**59975**	**54**	**1323**	**463**	**94798**

 # These shares relate to the unclaimed shares lying with the erstwhile Oriental Bank of Commerce and erstwhile United Bank of India and issued by PNB pursuant to amalgamation of both the Banks into Punjab National Bank on 01.04.2020.

** It is certified that the voting rights on these shares remain frozen till the rightful owner claims the said shares.*

12.14 Shareholding and Distribution Pattern as on 31st March 2024:

i) Shareholding Pattern

Shareholders' Category	Percentage of Equity shares held
President of India	73.15
FIIs/NRIs/OCBs	5.06
Banks/Financial Institutions/ Insurance Companies	8.92
Mutual Funds	3.44
Domestic Companies/Trusts	0.52
Indian Public/Resident Individuals/HUF	8.90
Clearing Members	0.01
Total	**100.00**

ii) Number of shareholders as on 31.03.2024 24,13,083

iii) Nominal value of each Equity Share (₹) 2/-

iv) Distribution Pattern:

No. of Shareholders	Percentage of Total	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Equity Shares	Amount (₹)	Percentage to Total
2349531	97.37	Upto 5000	446525544	893051088	4.06
38880	1.61	5001 to 10000	138934295	277868590	1.26
14156	0.59	10001 to 20000	103839884	207679768	0.94
3818	0.16	20001 to 30000	47307395	94614790	0.43
2022	0.08	30001 to 40000	36016341	72032682	0.33
1077	0.04	40001 to 50000	24679241	49358482	0.22
1929	0.08	50001 to 100000	68698895	137397790	0.62
1670	0.07	100001 and above	10145013963	20290027926	92.14
Total : 2413083	**100.00**		**11011015558**	**22022031116**	**100.00**

v) दिनांक 31.03.2024 को भौगोलिक आधार पर शेयरधारकों की स्थिति:

शहर का नाम	इलैक्ट्रॉनिक				भौतिक रूप में				कुल			
	धारक	%	शेयर	%	धारक	%	शेयर	%	धारक	%	शेयर	%
अहमदाबाद	53830	2.26	40005100	0.36	657	2.08	94096	1.14	54487	2.26	40099196	0.36
बैंगलोर	58099	2.44	34118571	0.31	652	2.07	190209	2.30	58751	2.43	34308780	0.31
चैन्नई	41101	1.73	28616446	0.26	869	2.76	373089	4.51	41970	1.74	28989535	0.26
दिल्ली	154386	6.48	8173680341	74.29	4360	13.83	953379	11.52	158746	6.58	8174633720	74.24
हैदराबाद	38343	1.61	23316037	0.21	620	1.97	178755	2.16	38963	1.61	23494792	0.21
कोलकाता	68026	2.86	55043010	0.50	1215	3.85	292747	3.54	69241	2.87	55335757	0.50
मुम्बई	153000	6.42	2033237815	18.48	2299	7.29	558218	6.74	155299	6.44	2033796033	18.47
एनसीआर (अन्य)	73905	3.10	56160078	0.51	886	2.81	207517	2.51	74791	3.10	56367595	0.51
अन्य	1740875	73.10	558559926	5.08	19960	63.33	5430224	65.60	1760835	72.97	563990150	5.12
कुल	**2381565**	**100.00**	**11002737324**	**100.00**	**31518**	**100.00**	**8278234**	**100.00**	**2413083**	**100.00**	**11011015558**	**100.00**

vi) दिनांक 31.03.2024 को शेयरधारकों द्वारा भौतिक रुप में तथा डीमेट रुप में धारित शेयरों का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	भौतिक रुप में	31518	8278234	0.0752
2.	डीमैट रुप में	2381565	11002737324	99.9248
i)	एनएसडीएल	653852	2413729148	21.9210
ii)	सीडीएसएल	1727713	8589008176	78.0038
	कुल (1+2)	**2413083**	**11011015558**	**100.0000**

12.15 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है और 31.03.2024 तक कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

12.16 कमोडिटी मूल्य जोखिम शून्य हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों के संबंध में:

- बैंक के पास मिड ऑफिस, एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आईआरएमडी) द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों/बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो कि विभिन्न सीमाओं जैसे हानि सीमा को घटा कर /लाभ सीमा को जोड़कर (डीलर/करेंसी आधारित), ओवरनाइट/फॉरवर्ड ओपन पोजीशन इत्यादि को निर्धारित करके संभावित भावी नुकसान को परिभाषित करती है। डे लाइट ओपन पोज़ीशन लिमिट को निर्धारित करके इंट्रा–डे ओपन पोज़ीशन से जुड़े विनिमय जोखिम का समाधान भी किया जाता है। विभिन्न परिपक्वता अवधि में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम का समाधान आईजीएल, एजीएल और वीएआर जैसी सीमाओं द्वारा किया जाता है और मिड ऑफिस, आईआरएमडी द्वारा तय और निगरानी की जाती है।
- सभी मर्चेंट (निर्यात/आयात/आवक प्रेषण/जावक प्रेषण) आधारित लेनदेन ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर इंटरबैंक बाजार में ओटीसी डेरिवेटिव (स्वैप और फॉरवर्ड) के माध्यम से रक्षित किए जाते हैं।
- एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी के माध्यम से सृजित यूएसडी निधि को स्वाभाविक रूप से रक्षित किया जाता है, क्योंकि उसी मुद्रा में निधियों का आगमन और बहिर्गमन होता है। यूएसडी के अलावा उपर्युक्त जमाएं मुद्रा स्वैप तंत्र के माध्यम से यूएसडी में परिवर्तित होती हैं और स्वैप लागत को ध्यान में रखते हुए लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- बैंक के पास एक सुदृढ व सुपरिभाषित एमआईएस है जिसके माध्यम से दैनिक गतिविधियों को प्रत्येक दिन सभी स्तर पर उच्च प्रबन्धन के समक्ष रखा जाता है, जिसे निवेश नीति में परिभाषित किया गया है।

12.17 प्लांट का स्थान: लागू नहीं

12.18 इक्विटी संबंधी मामलों में पत्राचार हेतु पता:

कंपनी सचिव
पंजाब नैशनल बैंक
शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग
द्वितीय तल, पश्चिम विंग, प्लॉट सं.4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
दूरभाष सं. : 011- 28044857
ई–मेल : hosd@pnb.co.in

v) Geographical spread of Shareholders as on 31.03.2024:

CITY NAME	ELECTRONIC				PHYSICAL				TOTAL			
	HOLDERS	%	SHARES	%	HOLDERS	%	SHARES	%	HOLDERS	%	SHARES	%
AHMEDABAD	53830	2.26	40005100	0.36	657	2.08	94096	1.14	54487	2.26	40099196	0.36
BANGALORE	58099	2.44	34118571	0.31	652	2.07	190209	2.30	58751	2.43	34308780	0.31
CHENNAI	41101	1.73	28616446	0.26	869	2.76	373089	4.51	41970	1.74	28989535	0.26
DELHI	154386	6.48	8173680341	74.29	4360	13.83	953379	11.52	158746	6.58	8174633720	74.24
HYDERABAD	38343	1.61	23316037	0.21	620	1.97	178755	2.16	38963	1.61	23494792	0.21
KOLKATA	68026	2.86	55043010	0.50	1215	3.85	292747	3.54	69241	2.87	55335757	0.50
MUMBAI	153000	6.42	2033237815	18.48	2299	7.29	558218	6.74	155299	6.44	2033796033	18.47
NCR (Others)	73905	3.10	56160078	0.51	886	2.81	207517	2.51	74791	3.10	56367595	0.51
OTHERS	1740875	73.10	558559926	5.08	19960	63.33	5430224	65.60	1760835	72.97	563990150	5.12
TOTAL	**2381565**	**100.00**	**11002737324**	**100.00**	**31518**	**100.00**	**8278234**	**100.00**	**2413083**	**100.00**	**11011015558**	**100.00**

vi) Details of shares held by the Shareholders in Physical & Dematerialized form as on 31.03.2024

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
1.	Physical	31518	8278234	0.0752
2.	Dematerialized	2381565	11002737324	99.9248
i)	NSDL	653852	2413729148	21.9210
ii)	CDSL	1727713	8589008176	78.0038
	Total (1+2)	**2413083**	**11011015558**	**100.0000**

12.15 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the financial year 2023-24 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2024.

12.16 Commodity Price Risks are Nil. As regards foreign exchange risk and hedging activities:

- The Bank has in place a Board approved Investment Policy in line with the prudential guidelines/Bank's Guidelines framed by Mid Office, Integrated Risk Management Division (IRMD) which defines potential future losses by fixing various limits such as cut loss/take profit limits (Dealer wise/Currency wise), Overnight/forward open positions etc. Exchange risk associated with intraday open position is also addressed by fixing Daylight Open Position limit. Foreign Exchange risk arising due to mismatch of foreign currency cash flow in different maturity buckets is addressed by limits such as IGL, AGL and VaR fixed and monitored by Mid Office, IRMD.
- All merchant (Export/Import/Inward remittance/Outward remittance) based transactions are hedged through OTC derivatives (swap and forward) in Interbank market based on the requirement of the customers.
- USD funds generated through FCNR/EEFC/RFC are naturally hedged as inflow and outflow of fund takes place in the same currency. Aforesaid deposits other than USD are converted into USD through currency swap mechanism and deployed profitably after taking swap cost into account.
- Bank has a robust and well defined MIS through which activities are placed before Top Management at all levels every day which has been defined in the Investment Policy.

12.17 Plant Location: N.A.

12.18 Address for Correspondence in respect of equity related issues:

The Company Secretary
Punjab National Bank
Share Department, Board & Coordination Division,
2nd Floor, West Wing, Plot No.4, Sector-10,
Dwarka, New Delhi - 110075
Tel. No. : 011- 28044857
e-mail : hosd@pnb.co.in

12.19 ऑनलाईन शिकायत निवारण प्रणाली:

बैंक शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पूछताछ/परिवाद/शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। प्रणाली के अंतर्गत, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in under Investor info - > Others - > Online Shareholder queries/requests/grievances के अंतर्गत अपनी पूछताछ/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

12.20 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2023–24 हेतु सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए, बैंक ने मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी (प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली) को नियुक्त किया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है।

12.21 डिबेंचर न्यास : बैंक द्वारा जारी बांड्स के लिए डिबेंचर न्यासी निम्नलिखित हैं:

1. **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड:**
   यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल,
   सर पी एम रोड, फोर्ट,
   मुंबई – 400001
   टेली : (91) (22) 40807000
   ईमेल आईडी: itsl@idbitrustee.com
   वेबसाईट: www.idbitrustee.com

2. **एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:**
   मिस्त्री भवन, चतुर्थ तल, 122 दिनशॉ वच्छा रोड,
   चर्चगेट, मुंबई– 400020.
   टेली: (91) (22) 4302 5555
   ईमेल आईडी: corporate@sbicaptrustee.com
   वेबसाईट: www.sbicaptrustee.com

3. **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड:**
   रूबी, दूसरी मंजिल, एस डब्लू,
   29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम,
   मुंबई– 400 028.
   टेली: (91) (22) 6230 0451
   ईमेल आईडी: debenturetrustee@axistrustee.in
   वेबसाईट: www.axistrustee.in

12.22. संशोधन के साथ सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:

ए. बैंक की क्रेडिट रेटिंग:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज	Baa3/P-3/Stable
फिच रेटिंग्स	BBB-/F3/Stable

12.19 Online grievance redressal system:

The Bank provides an online query/grievance/complaint redressal system for resolving the shareholders' queries/grievances. Under this system, the shareholder may log in their query/complaint through the Portal provided on Bank's website www.pnbindia.in under Investor info - > Others - > Online Shareholder queries/requests/grievances.

12.20 Secretarial Audit Report:

For conducting the Secretarial Audit for FY 2023-24, the Bank has appointed M/s Ashu Gupta & Co. (Practicing Company Secretary, New Delhi). The Secretarial Audit Report is annexed at the end of the Corporate Governance Report.

12.21 Debenture Trustee(s): The following are the Debenture Trustee(s) for the Bonds issued by the Bank:

1. **IDBI Trusteeship Services Ltd:**
   Universal Insurance Building, Ground Floor,
   Sir P M Road, Fort,
   Mumbai – 400 001.
   T: (91) (22) 40807000
   Email ID: itsl@idbitrustee.com
   Website: www.idbitrustee.com

2. **SBICAP Trustee Company Ltd:**
   Mistry Bhavan, 4th Floor,
   122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate,
   Mumbai- 400020
   T: (91) (22) 4302 5555
   Email Id: corporate@sbicaptrustee.com
   Website: www.sbicaptrustee.com

3. **Axis Trustee Services Ltd.:**
   The Ruby, 2nd Floor, SW,
   29, Senapati Bapat Marg, Dadar West,
   Mumbai- 400 028
   T: (91) (22) 6230 0451
   Email Id: debenturetrustee@axistrustee.in
   Website: www.axistrustee.in

12.22 List of all credit ratings along with revisions thereto:

a. Credit Rating of the Bank:

Rating Agency	Rating
Moody's Investors Services	Baa3/P-3/Stable
Fitch Ratings	BBB-/F3/Stable

बी. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सभी घरेलू ऋण लिखत (सावधि जमा को छोड़कर) के लिए बैंक द्वारा लिए गए क्रेडिट रेटिंग का विवरण

b. Details of Credit Rating obtained by the Bank during FY 2023-24 for all domestic debt instruments (other than Fixed Deposits)

क्र. सं. Sr. No.	लिखत Instrument	श्रृंखला Series	आईएसआईएन ISIN	केयर CARE				आईसीआरए ICRA			इंडिया रेटिंग INDIA RATING			ब्रिकवर्क BRICKWORK		क्रिसिल CRISIL	
				10.04. 2023	21.06. 2023	20.09. 2023	13.12. 2023	10.08. 2023	23.11. 2023	12.12. 2023	21.06. 2023	12.09. 2023	14.09. 2023	20.12. 2023	21.06. 2023	29.11. 2023	13.12. 2023
1	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series VII	INE160A0 8076	AA/ Positive	AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable				
2	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XII	INE160A0 8183	AA/ Positive	AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable			
3	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XIII	INE160A0 8209					AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable
4	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XIV	INE160A0 8217								AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable
5	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XV	INE160A0 8225								AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable		AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable
6	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XVI	INE160A0 8233					AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable				
7	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XVII	INE160A0 8258	AA/ Positive	AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable				
8	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XVIII	INE160A0 8266	AA/ Positive	AA/ Positive	AA+/ Stable	AA+/ Stable				AA+/ Stable	AA+/ Stable	AA+/ Stable				
9	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XIX	INE160A0 8282			AA+/ Stable	AA+/ Stable						AA+/ Stable				
10	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XX	INE160A0 8290				AA+/ Stable			AA+/ Stable							AA+/ Stable
11	एटी / AT-1	श्रृंखला / Series XXI	INE160A0 8308							AA+/ Stable							AA+/ Stable
12	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XIV	INE160A0 8019*					AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable					AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
13	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XV	INE160A0 8027*								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
14	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XVI	INE160A0 8035								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
15	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XVII	INE160A0 8043								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
16	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XVIII	INE160A0 8050								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
17	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XIX	INE160A0 8092	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable				
18	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XX	INE160A0 8142								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
19	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXI	INE160A0 8159								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable

क्र. सं. Sr. No.	लिखत Instrument	श्रृंखला Series	आईएसआईएन ISIN	केयर CARE				आईसीआरए ICRA			इंडिया रेटिंग INDIA RATING			ब्रिकवर्क BRICKWORK		क्रिसिल CRISIL	
				10.04. 2023	21.06. 2023	20.09. 2023	13.12. 2023	10.08. 2023	23.11. 2023	12.12. 2023	21.06. 2023	12.09. 2023	14.09. 2023	20.12. 2023	21.06. 2023	29.11. 2023	13.12. 2023
20	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXII	INE160A0 8167								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
21	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXIII	INE160A0 8175								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
22	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series-VIII	INE695A0 9103*								AAA/ Stable				AA+/ Positive		
23	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	27.10.2014	INE141A0 8019	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable							
24	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	26.10.2015	INE141A0 8035	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable							
25	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXIV	INE160A0 8191								AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
26	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXV	INE160A0 8241	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable				
27	टीयर / Tier II बेसल / Basel - III	श्रृंखला / Series XXVI	INE160A0 8274		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable				
28	दीर्घावधि बॉण्ड / Long Term Bond	श्रृंखला / Series 1	INE160A0 8068	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable				AAA/ Stable	AAA/ Stable	AAA/ Stable		AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
29	दीर्घावधि बॉण्ड / Long Term Bond	श्रृंखला / Series 2	INE160A0 8084	AA+/ Positive	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable	AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable					AA+/ Positive	AAA/ Stable	AAA/ Stable
30	जमा प्रमाणपत्र / Certicate of Deposit			A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+	A1+		A1+	A1+	A1+

सूचना:

1. *ISIN INE160A08019 वाले बॉण्ड को ICRA AAA/स्टेबल रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/स्टेबल 23.02.2024 को परिपक्व हुआ।*
2. *ISIN INE160A08027 वाले बॉण्ड को भारत AAA/स्टेबल रेटिंग दी गई थी, CRISIL AAA/स्टेबल 28.03.2024 को परिपक्व हुआ।*
3. *ISIN INE695A09103 वाले बॉण्ड को भारत AAA/स्टेबल रेटिंग दी गई थी, CRISIL AA+/पॉजिटिव 26.06.2023 को परिपक्व हुआ।*

Notes:

1. *The bonds having ISIN INE160A08019 was rated ICRA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 23.02.2024.*
2. *The bonds having ISIN INE160A08027 was rated INDIA AAA/Stable, CRISIL AAA/Stable matured on 28.03.2024.*
3. *The bonds having ISIN INE695A09103 was rated INDIA AAA/Stable, CRISIL AA+/Positive matured on 26.06.2023.*

कृते पंजाब नैशनल बैंक
For Punjab National Bank

(अतुल कुमार गोयल)
(Atul Kumar Goel)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक : 09.05.2024
Date: 09.05.2024

घोषणा

(सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V (डी) के अनुसार)

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के खंड 26 (3) के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(अतुल कुमार गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 09.05.2024

Declaration

[As per Schedule V (D) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank, which is available on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/model-code-of-conduct.html

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct in accordance with Clause 26(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

For Punjab National Bank

(Atul Kumar Goel)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 09.05.2024

फॉर्म नं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमन 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में}

प्रति,
सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक,
प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 4,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075

हमने **पंजाब नैशनल बैंक** (जिसे यहां आगे "बैंक" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट सिद्धांतों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया था कि इससे हमें कॉरपोरेट आचरण/संवैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

सचिवीय ऑडिट करने के दौरान बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन तथा बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने **31 मार्च, 2024** को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष ('ऑडिट अवधि') को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–व्यवस्था हैं, जो इस तरीके से और यहां की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म्स एवं दाखिल की गई विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अपतटीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश यथा: –

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the financial year ended 31st March, 2024

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015

To,
The Members,
PUNJAB NATIONAL BANK,
Head Office: Plot No. 4,
Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by PUNJAB NATIONAL BANK (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has during the audit period covering the Financial Year ended on 31st March, 2024 ('Audit Period'), complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under; (to the extent Applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange, Board of India Act 1992 ('SEBI Act') viz.: -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यु) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यु) और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार से संबंधित (जिस सीमा तक लागू हो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना(बाय बैक) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;

(vi) मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और नमूना जांच के आधार पर उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, बैंक ने निम्नलिखित विशेष रूप से बैंक पर लागू कानूनों का अनुपालन किया है:

(ए) पूंजी बाजार मध्यस्थों पर यथा लागू सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश, विनियम;

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;

(सी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

(डी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970;

(ई) पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000;

(एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;

(e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (to the extent applicable)

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the audit period)

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the audit period)

(i) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(vi) I further report that, having regard to the compliance system prevailing in the Bank and on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof on test-check basis, the Bank has complied with the following specifically applicable laws to the Bank:

(a) Guidelines, regulations issued by SEBI as applicable to capital market intermediaries;

(b) Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time;

(c) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970;

(d) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(e) Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000.

(f) The Reserve Bank of India Act, 1934;

(जी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;

(एच) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

हमने निम्नलिखित लागू खंड के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (बैंक पर लागू नहीं, क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है)

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर, बैंक ने सामान्यतः निम्नलिखित सीमा को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है:

क) *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के अनुसार, बैंक को बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से एक निदेशक होना आवश्यकता थी जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (एस) अंतर्गत कामगार कर्मचारी हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाना हो लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।*

ख) *बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एफ) के अनुसार, बैंक को जो बैंक के कर्मचारियों में से एक निदेशक की आवश्यकता थी, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड(एस) के अंतर्गत कामगार न हो, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना हो, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।*

ग) *बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के अनुसार बैंक को एक निदेशक बैंक की आवश्यकता थी, जो पंद्रह वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसे रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना हो, लेकिन बैंक के बोर्ड में यह पद रिक्त है।*

घ) *बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अनुसार, बैंक के बोर्ड में एक निदेशक का पद रिक्त है।*

ङ) *सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(बी) के अंतर्गत यथावश्यक, बैंक की लेखा परीक्षा समिति में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, अर्थात 01.04.2023 से 18.07.2023 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा समिति के कम से कम दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। हालाँकि, 19.07.2023 से लेखा परीक्षा समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(बी) के अनुपालन में है।*

(g) The Banking Regulation Act, 1949;

(h) Payment and Settlement Systems Act, 2007.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. (Not applicable to the Bank, as the Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956/2013)

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

During the period under review and based on the information, explanations and management representation, the Bank has substantially complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except to the extent as mentioned below:

a) *In terms of Section 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank was required to have one Director, from among such of the employees of the Bank who are workmen under clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by Central Government but the Position is vacant on the Board of the Bank.*

b) *In terms of Section 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank was required to have one Director, from among the employees of the Bank who are not workmen under clause(s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India but the Position is vacant on the Board of the Bank.*

c) *In terms of Section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Bank was required to have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank but the Position is vacant on the Board of the Bank.*

d) *In terms of Section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Position one Director on the Board of the Bank is vacant.*

e) *As required under Regulation 18(1) (b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank did not have requisite number of independent directors on its Audit Committee i.e., at least two-thirds of the members of Audit Committee were not independent directors for the period 01.04.2023 to 18.07.2023. However, with effect from 19.07.2023, the composition of the Audit Committee is in compliance of Regulation 18(1)(b) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.*

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :–

बैंक बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और अन्य लागू दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 में प्रदत्त बैंक पर लागू कॉरपोरेट अभिशासन एवं बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है।

पूर्वगामी के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और शेयरधारक निदेशक के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे उपर्युक्त विधि के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, आम तौर पर नोटिस पहले ही भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड या समिति की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से किए गए, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां निदेशकों की असहमति विशेष रूप से दर्ज की गई थी।

बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर और बैंक के बोर्ड द्वारा समक्ष रखे गए और नोट किए गए सभी लागू कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समय–समय पर समीक्षा के आधार पर, हमारा अभिमत है कि प्रबंधन के पास लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरानः

1. बैंक ने 30.06.2023 को निजी नियोजन के आधार पर कुल रु. 3,090 करोड़ के एकत्रीकरण हेतु प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य का 7.74% बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड (श्रृंखला XXVI) जारी किया है।

2. बैंक ने 27.09.2023 को निजी नियोजन के आधार पर रु. 3,000 करोड़ के एकत्रीकरण हेतु प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य का 8.59% बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर बॉण्ड (श्रृंखला XIX) जारी किया है।

3. बैंक ने 28.12.2023 को निजी नियोजन के आधार पर कुल रु.1,153 करोड़ के एकत्रीकरण हेतु प्रत्येक रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य का 8.55% बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्ड (श्रृंखला XX) जारी किया है।

4. बैंक ने 22.03.2024 को निजी नियोजन के आधार पर कुल रु.1,859 करोड़ के एकत्रीकरण हेतु रु. 1 करोड़ के अंकित मूल्य का 8.47% बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्ड (श्रृंखला XXI) जारी किया है।

We further report that

The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and the provisions relating to Corporate Governance and composition of Board as applicable to the Bank are provided in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and other applicable guidelines.

Subject to foregoing, the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Shareholder Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the aforesaid laws.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board meetings, notices were sent in advance generally and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the Board or Committee Meetings were carried out unanimously except in such case where dissent of Director(s) was recorded specifically.

Based on the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of periodical review of compliance reports pertaining to all applicable laws laid before and taken note by the Board of the Bank, we are of the opinion that the management has adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank has issued on private placement basis 7.74% Basel III Compliant Tier II Bonds (Series XXVI) of face value of Rs. 1 Crore each aggregating to Rs. 3,090 Crore on 30.06.2023.

2. The Bank has issued on private placement basis 8.59% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds (Series XIX) of face value of Rs. 1 Crore each aggregating to Rs. 3,000 Crore on 27.09.2023.

3. The Bank has issued on private placement basis 8.55% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds (Series XX) of face value of Rs. 1 Crore each aggregating to Rs. 1,153 Crore on 28.12.2023.

4. The Bank has issued on private placement basis 8.47% Basel III Compliant Additional Tier I Bonds (Series XXI) of face value of Rs. 1 Crore each aggregating to Rs. 1,859 Crore on 22.03.2024.

5. बैंक ने 26.06.2023 को रु.500 करोड़ के एकत्रीकरण के लिए प्रत्येक 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 8.75% बेसल III टियर II बॉण्ड (श्रृंखला VIII) भुनाए हैं।

6. बैंक ने 23.02.2024 को रु.1,000 करोड़ के एकत्रीकरण के लिए प्रत्येक 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 9.65% बेसल III टियर II बॉण्ड (श्रृंखला XIV) भुनाए हैं।

7. बैंक ने 28.03.2024 को रु.500 करोड़ के एकत्रीकरण के लिए प्रत्येक 10 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 9.68% बेसल III टियर II बॉण्ड (श्रृंखला XV) को भुनाए हैं।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाओं पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016', 'भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) दिशानिर्देश 2016', के कुछ प्रावधानों और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के गैर–अनुपालना के लिए दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के सकारण आदेश (विधि) के माध्यम से बैंक पर रु.72 लाख (बहत्तर लाख रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया।

कृते आशु गुप्ता एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07/05/2024

आशु गुप्ता
(प्रोपराइटर)
एफसीएस नं.: 4123 | सीपी नं.: 6646
यूडीआईएनः F004123F000325906
पीआर नंबरः 730/2020

नोटः यह रिपोर्ट उक्त तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

5. The Bank has redeemed 8.75% Basel III Tier II Bonds (Series VIII) of face value of Rs.10 lakhs each aggregating to Rs. 500 Crore on 26.06.2023.

6. The Bank has redeemed 9.65% Basel III Tier II Bonds (Series XIV) of face value of Rs.10 lakhs each aggregating to Rs. 1,000 Crore on 23.02.2024.

7. The Bank has redeemed 9.68% Basel III Tier II Bonds (Series XV) of face value of Rs.10 lakhs each aggregating to Rs. 500 Crore on 28.03.2024.

8. The Reserve Bank of India vide speaking order dated 30th October 2023 imposed, a penalty of Rs. 72 Lakh (Rupees Seventy-Two Lakh only) on the Bank for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016', 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions, 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks'.

For **Ashu Gupta & Co.**
Company Secretaries

Place: New Delhi
Date: 07/05/2024

Ashu Gupta
(Prop.)
FCS No.: 4123 | CP No.: 6646
UDIN: F004123F000325906
PR No.: 730/2020

Note: This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms integral part of this Report.

अनुलग्नक–ए

सदस्यगण,
पंजाब नैशनल बैंक,
प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 4
सेक्टर 10, द्वारका,
नई दिल्ली–110075

उक्त तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, जो हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. इस लेखापरीक्षा में बैंक द्वारा, लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों के रखरखाव के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि यह वैधानिक लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन की पुष्टि प्राप्त की है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते आशु गुप्ता एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07/05/2024

आशु गुप्ता
(प्रो.)
एफसीएस नंबरः 4123 | सीपी नंबरः 6646
पीआर नंबरः 730/2020
यूडीआईएनः F004123F000325906

Annexure-A

The Members,
PUNJAB NATIONAL BANK,
Head Office: Plot No. 4
Sector 10, Dwarka,
NEW DELHI–110075

Our Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. The compliance by the Bank of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same has been subject to review by statutory audit and other designated professionals.

4. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Ashu Gupta & Co.**
Company Secretaries

Place: New Delhi
Date: 07/05/2024

Ashu Gupta
(Prop.)
FCS No.: 4123 | CP No.: 6646
PR No.: 730/2020
UDIN: F004123F000325906

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी [सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं]
विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खण्ड (10)(i) के अनुसार)

प्रति,
सदस्यगण
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 4, सेक्टर–10,
द्वारका, नई दिल्ली – 110075

हमने **पंजाब नैशनल बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट सं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075** (जिसे यहां आगे 'बैंक' कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त सुसंगत रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा मेरे समक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–सी उप खण्ड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

हमारे अभिमत में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा जैसा आवश्यक समझा जाए पोर्टल (www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) के सत्यापन और बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रखने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया हैः–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1	श्री के. जी. अनंतकृष्णन	00019325	07.11.2022
2	श्री अतुल कुमार गोयल	07266897	01.02.2022
3	श्री विजय दुबे+	09107884	01.04.2020
4	श्री कल्याण कुमार	09631251	21.10.2021
5	श्री बिनोद कुमार	07361689	21.11.2022
6	श्री एम. परमशिवम	08997088	01.12.2022
7	श्री पंकज शर्मा	–	11.04.2022
8	श्री अनिल कुमार मिश्रा++	08066460	25.02.2022
9	श्री पंकज जोशी	06385037	21.12.2021
10	श्री संजीव कुमार सिंघल	00162680	21.12.2021
11	श्री गौतम गुहा+++	06894434	18.03.2021
12	डॉ. रेखा जैन	01586688	12.09.2021
13	श्री बिभु प्रसाद महापात्र	08756848	09.10.2023
14	श्रीमती उमा शंकर	–	14.07.2023
15	श्री जतिंदर सिंह बजाज	–	06.10.2023

+ 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर बैंक के निदेशक का कार्यकाल समाप्त।
++ 14.07.2023 से बैंक के निदेशक का कार्यकाल समाप्त।
+++ 05.10.2023 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर बैंक के निदेशक का कार्यकाल समाप्त।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सत्यापन के आधार पर, इस पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कार्य किया है।

कृते **एसजीएस एसोसिएट्स एलएलपी**
कंपनी सचिव
एफआरएन L2021DE011600

(सीएस डी.पी. गुप्ता)
एफसीएसः 2411
एम.सं.: 1509
आईसीएसआई पीआरः 2023 का 5321
आईसीएसआई यूडीआईएनः F002411F000290512

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 2 मई, 2024

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015)

To,
The Members of
Punjab National Bank
Head Office: Plot No. 4, Sector-10,
Dwarka, New Delhi - 110075

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of PUNJAB NATIONAL BANK having its Head office at **Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075** (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:-

Sr. No.	Name of the Director	DIN	Date of appointment in the Bank
1	Sh. K. G. Ananthakrishnan	00019325	07.11.2022
2	Sh. Atul Kumar Goel	07266897	01.02.2022
3	Sh. Vijay Dube+	09107884	01.04.2020
4	Sh. Kalyan Kumar	09631251	21.10.2021
5	Sh. Binod Kumar	07361689	21.11.2022
6	Sh. M. Paramasivam	08997088	01.12.2022
7	Sh. Pankaj Sharma	-	11.04.2022
8	Sh. Anil Kumar Misra++	08066460	25.02.2022
9	Sh. Pankaj Joshi	06385037	21.12.2021
10	Sh. Sanjeev Kumar Singhal	00162680	21.12.2021
11	Sh. Gautam Guha+++	06894434	18.03.2021
12	Dr. Rekha Jain	01586688	12.09.2021
13	Sh. Bibhu Prasad Mahapatra	08756848	09.10.2023
14	Smt. Uma Sankar	-	14.07.2023
15	Sh. Jatinder Singh Bajaj	-	06.10.2023

+ ceased to be Director of the Bank upon completion of his tenure on superannuation on 31.08.2023.
++ ceased to be Director of the Bank w.e.f. 14.07.2023.
+++ ceased to be Director of the Bank upon completion of his tenure on 05.10.2023.

Ensuring the eligibility of the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **SGS ASSOCIATES LLP**
Company Secretaries
FRN L2021DE011600

(CS D.P. GUPTA)
FCS: 2411
M.NO: 1509
ICSI PR: 5321 of 2023
ICSI UDIN: F002411F000290512

Place: New Delhi
Date: 2nd May 2024

कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

Business Responsibility & Sustainability Report

कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग प्रारूप

खंड ए इकाई का एक व्यापक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके उत्पाद और पेशकश, परिचालनात्मक फुटप्रिंट, संबंधित पक्ष, कर्मचारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल एवं पारदर्शिता शामिल हैं।

खंड बी इकाई से संबंधित प्रबंधन और प्रक्रिया के प्रकटीकरण का विवरण देता है, जिसमें एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए कार्यान्वित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है।

खंड सी में इकाई को सिद्धांतों और मूल तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों में एकीकृत करने में अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस जानकारी को एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांतों पर मैप किया गया है और इसे "आवश्यक" और "नेतृत्व" संकेतकों में वर्गीकृत किया गया है।

खंड एः सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1. **सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है और इसलिए सीआईएन की आवश्यकता सहित कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं हैं। बैंक के पास एक सीआईएन – 'पीयूएनबी' है, जो एमसीए पोर्टल पर आईईपीएफ फॉर्म दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए है।
2. **सूचीबद्ध इकाई का नामः** पंजाब नैशनल बैंक है
3. **स्थापना का वर्षः** बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं अंतरण अधिनियम) 1970 के तहत 1895 में गठित हुई एवं 1970 में राष्ट्रीकृत हुई।
4. **पंजीकृत कार्यालय का पताः** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली –110075
5. **कॉर्पोरेट पताः** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
6. **ई-मेलः** care@pnb.co.in
7. **टेलीफोनः** 011–28044436
8. **वेबसाईटः** www.pnbindia.in
9. **वित्तीय वर्ष जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही हैः** वित्तीय वर्ष 2023–24
10. **स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैः** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11. **प्रदत्त पूंजीः** 31 मार्च 2024 को 2/– रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के 1101,10,15,558 शेयर, जिनकी कुल कीमत 2,202.20 करोड़ रुपये है

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING FORMAT

SECTION A offers a comprehensive overview of the entity, including its products and offerings, operational footprint, related parties, employees, Corporate Social Responsibility initiatives and transparency.

SECTION B details management and process disclosures related to the entity, highlighting the structures, policies, and processes implemented to adopt the NGRBC Principles and Core Elements.

SECTION C is designed to assist entities in demonstrating their performance in integrating the Principles and Core elements into key processes and decisions. The information is mapped to nine principles of NGRBC and is categorized into "Essential" and "Leadership" indicators.

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity:** The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank is not a company registered under the Companies Act, 1956/2013 and therefore the provisions of the Companies Act including with respect to requirement of CIN are not applicable to the Bank. The Bank has a CIN - 'PUNB' for the limited purpose of filing of IEPF forms on MCA portal.
2. **Name of the Listed Entity:** Punjab National Bank
3. **Year of incorporation:** Incorporated in 1895 and nationalized in 1970 under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
4. **Registered office address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
5. **Corporate address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075
6. **E-mail:** care@pnb.co.in
7. **Telephone:** 011-28044436
8. **Website:** www.pnbindia.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** FY 2023-24
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.
11. **Paid-up Capital:** 1101,10,15,558 Shares of face value of INR 2/- each amounting to Rs 2,202.20 Crore as on March 31, 2024

12. **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है**

नामः श्री दीपक सिंह

पदः महाप्रबंधक (नामित), कार्यनीति प्रबंधन और आर्थिक परामर्श प्रभाग

टेलीफोन नं.: 011–28044436

ई-मेल आईडीः eicsmead@pnb.co.in

13. **रिपोर्टिंग सीमा क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) या एक समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं, एक साथ लिया जाता है)।** इस रिपोर्ट में किए गए खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर हैं जो विभिन्न कारोबार संबंधी वर्टिकल में पूरे भारत में बैंक के परिचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

14. **आश्वासन प्रदाता का नामः** मैसर्स उम्मेद जैन एंड कंपनी, मुंबई

15. **प्राप्त आश्वासनों के प्रकारः** बीआरएसआर कोर संकेतक – उचित आश्वासन; सेलेक्ट बीआरएसआर संकेतक – सीमित आश्वासन

II. <u>उत्पाद / सेवाएँ</u>

16. **कारोबारी गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन):**

क्र. सं.	प्रमुख गतिविधियों का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1.	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ	बैंक विभिन्न बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा आदि और ऋण वित्तपोषण जैसे विभिन्न प्रकार की जमाओं की स्वीकृति शामिल है। इसमें मूल रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: **रिटेल बैंकिंग** – पीएनबी ग्राहक–केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करता है और ग्राहक के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुशल और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। इन सेवाओं में बचत और चालू खाते के रूप में जमा स्वीकार करना, सावधि जमा, आवास ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि खुदरा ऋण के व्यापक हिस्से को अग्रिम देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड, डीमैट सेवाएं, बीमा योजनाएं आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती हैं ताकि धन में वृद्धि हो और उनकी आस्तियों की सुरक्षा हो सके।	100%

12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report**

Name: Shri Deepak Singh

Designation: General Manager (Designate), Strategic Management and Economic Advisory Division

Telephone No.: 011-28044436

Email id: eicsmead@pnb.co.in

13. **Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).** Disclosures made in this report are on a standalone basis focusing on the bank's operation pan India across various business verticals.

14. **Name of assurance provider:** M/s Ummed Jain & Co., Mumbai

15. **Type of assurance obtained:** BRSR Core Indicators – Reasonable assurance; Select BRSR Indicators – Limited assurance

II. **<u>Products/services</u>**

16. **Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Banking and Financial Services	The bank provides various banking products and financial services primarily including acceptance of various kinds of deposits like savings, term, current, recurring deposit etc. and credit financing. It basically includes following: **Retail Banking** – PNB follows a customer-centric approach and strives to deliver efficient and personalized services to meet financial goals of the customer. These services include acceptance of deposits in form of savings and current account, fixed deposits, advancing of wide range of retail loans like home loans, car loans, education loans, personal loans, debit card, credit cards, prepaid cards, digital banking services like internet banking, mobile banking, etc. Additionally, various third party products like mutual funds, demat services, insurance plans are offered customized as per need so as to grow wealth and protect their assets.	100%

		कृषि और ग्रामीण बैंकिंग – किसानों और कृषि क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए, फसल ऋण, कृषि–संबद्ध क्षेत्रों को ऋण, एसएचजी को ऋण, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं आदि जैसी कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बैंक अपनी कृषि बीमा योजनाओं के माध्यम से भी किसानों का समर्थन करता है जो फसलों, पशुधन, कृषि बुनियादी ढांचे को कवर करती है। बैंक के पास शाखाओं का समृद्ध नेटवर्क है जो देश भर में कृषि बैंकिंग सेवाओं में सुविधा सुनिश्चित करता है और कृषक समुदाय का उत्थान करता है। बैंक रहित ग्रामीण लोगों को बुनियादी बचत जमा खाते, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण स्वैपिंग योजना, एसएचजी और विभिन्न अन्य क्रेडिट उत्पाद प्रदान किए जाते हैं। **एमएसएमई बैंकिंग** – पीएनबी एमएसएमई को समर्थन देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण, व्यापार वित्त जैसी व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। बैंक उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे फंड ट्रांसफर, बैंकिंग ऐप आदि में सहायता करता है। **कॉर्पोरेट बैंकिंग** – बैंक कॉर्पोरेट्स और कारोबार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। सेवाओं में कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, सावधि ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, ट्रेजरी और परामर्शी सेवाएं आदि शामिल हैं। यह आयात निर्यात वित्तपोषण, ऋण पत्र, बैंक गारंटी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए व्यवसाय को सहायता प्रदान करता है और ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने और उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।	

		Agriculture and Rural Banking – To cater to unique needs of farmers and agriculture sector, a range of services like crop loans, credit to agri-allied sectors, lending to SHGs, term loans and working capital facilities to the Food & Agro processing sector etc. are provided. The bank also supports farmers through its agriculture insurance schemes which covers crops, livestock, farm infrastructure. The bank is having rich network of branches ensuring convenience in agriculture banking services across the country uplifting farming community. The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products. **MSME Banking** – PNB provides wide range of services like working capital loan, term loans, trade finance tailored made for supporting MSMEs. Bank facilitates women and marginalized communities by promoting entrepreneurship. Additionally, it aids MSMEs with digital banking services like fund transfers, banking apps etc. **Corporate Banking** – The bank offers comprehensive range of products and services to cater to diverse needs of corporates and businesses. The services include working capital financing, term loans, corporate lending, treasury and advisory services etc. It also facilitates international trade transactions like import export financing, letter of credit, bank guarantees etc. Additionally, bank provides assistance to business to manage foreign exchange risk, interest rate risk, investment portfolios and provides guidance to clients to make informed decisions and achieve their financial goals.	

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ *(इकाई के टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन)*:

क्र. सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल योगदान वाले टर्नओवर का %
1.	जमा (चालू जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा)	64191	100%
2.	अग्रिम (कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण कॉर्पोरेट ऋण)		
3.	तृतीय पक्ष सेवाएं		

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	10136 शाखाएं, 12131 एटीएम, 1158 कार्यालय	23,425
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं*	शाखाएं: दुबई और गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद	02

**एक वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह खंड लागू नहीं है*

19. इकाई द्वारा सेवाएं प्रदत्त बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश (लक्षदीप को छोड़कर)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के संक्षिप्त प्रकार

एक वित्तीय सेवा संगठन होने के नाते बैंक ग्राहकों की एक विविधतापूर्ण को पूरा करता है:

बैंकिंग परिचालन में, बैंक व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स, किसानों, सरकार, स्टार्ट–अप, एमएसएमई आदि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है और प्रत्येक खंड के लिए उसके पास उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। हमारे ग्राहक विभिन्न उद्योगों और पृष्ठभूमियों से आते हैं। बैंक अपनी प्रक्रियाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम व्यक्तियों, व्यक्तियों के संयुक्त खाते, अनिवासी व्यक्तियों, साझेदारी फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, कंपनियों, एमएसएमई, सरकार, बड़े कॉर्पोरेट्स आदि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं।

17. Products/Services sold by the entity *(accounting for 90% of the entity's Turnover)*:

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total contributed Turnover
1.	Deposits (Current Deposits, Term Deposits, Recurring Deposits)	64191	100%
2.	Advances (Agriculture lending, MSME Lending, Retail lending, Corporate lending)		
3.	Third Party Services		

III. Operations

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	10136 Branches, 12131 ATMs, 1158 offices	23,425
International	Not Applicable*	Branches at: Dubai and Gift City, Ahmedabad	02

**Being a financial service entity this section is Not Applicable*

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	28 States & 7 Union Territories (except Lakshadweep)
International (No. of Countries)	1

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not Applicable

c. A brief on types of customers

Being a financial services organization the Bank caters to diverse range of customers:

In banking operation, the Bank caters to various types of customers including Individuals, Corporates, Farmers, Government, Start-ups, MSMEs etc. and has a wide array of products and services for each segment. Our customers come from a wide spectrum of industries and backgrounds. The bank is continuously working to provide customer centric banking services to improve its processes and products and ensure inclusive growth. We cater to diverse range of customers including individuals, joint account of individuals, Non-resident individuals, partnership firm, societies, trust, associations, companies, MSMEs, Government, Large corporates etc.

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (डी)	102349	77359	75.58%	24990	24.42%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	कुल कर्मचारी (डी+ई)	102349	77359	75.58%	24990	24.42%
	कामगार					
4.	स्थायी एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	कुल कामगार (एफ+जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
	दिव्यांग कामगार					
1.	स्थायी (डी)	2878	2366	82.21%	512	17.79%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)	2878	2366	82.21%	512	17.79%
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	12	2	16.67
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	7	1	14.29

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)

	वित्तीय वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष में टर्नओवर दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.92%	2.86%	3.66%	4.48%	3.21%	4.17%	5.24%	3.77%	4.89%
स्थायी कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	EMPLOYEES					
1.	Permanent (D)	102349	77359	75.58%	24990	24.42%
2.	Other than Permanent (E)	NA	NA	NA	NA	NA
3.	**Total employees (D + E)**	102349	77359	75.58%	24990	24.42%
	WORKERS					
4.	Permanent (F)	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Other than Permanent (G)	NA	NA	NA	NA	NA
6.	**Total workers (F + G)**	NA	NA	NA	NA	NA

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES					
1.	Permanent (D)	2878	2366	82.21%	512	17.79%
2.	Other than Permanent (E)	NA	NA	NA	NA	NA
3.	**Total differently abled employees (D + E)**	2878	2366	82.21%	512	17.79%
	DIFFERENTLY ABLED WORKERS					
4.	Permanent (F)	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Other than Permanent (G)	NA	NA	NA	NA	NA
6.	**Total differently abled employees (F + G)**	NA	NA	NA	NA	NA

21. Participation/Inclusion/Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	12	2	16.67
Key Management Personnel	7	1	14.29

22. Turnover rate for permanent employees and workers

(Disclose trends for the past 3 years)

	FY 2023-24 (Turnover rate in current FY)			FY 2022-23 (Turnover rate in previous FY)			FY 2021-22 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	3.92%	2.86%	3.66%	4.48%	3.21%	4.17%	5.24%	3.77%	4.89%
Permanent Workers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियाँ (संयुक्त वेंचर्स सहित)

23. (ए) होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ /संयुक्त वेंचर्स के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ/संयुक्त वेंचर्स के नाम (ए)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी/ संयुक्त वेंचर्स है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1.	पंजाब नैशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड (पीएनबीआईएल)	अनुषंगी	100.00	नहीं
2.	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान	अनुषंगी	51.00	नहीं
3.	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	संयुक्त वेंचर्स	20.02	नहीं
4.	पीएनबी इनवेस्टमेंट सर्विसेज लि.	अनुषंगी	100.00	नहीं
5.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.	अनुषंगी	100.00	नहीं
6.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	अनुषंगी	74.07	नहीं
7.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	28.13	नहीं
8.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	30.00	नहीं
9.	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	23.00	नहीं
10.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	20.90	नहीं
11.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना	सहयोगी	35.00	नहीं
12.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	सहयोगी	35.00	नहीं
13.	हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी	सहयोगी	35.00	नहीं
14.	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	सहयोगी	35.00	नहीं
15.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ	सहयोगी	35.00	नहीं
16.	आसाम ग्रामीण विकास बैंक, आसाम	सहयोगी	35.00	नहीं
17.	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल	सहयोगी	35.00	नहीं
18.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	सहयोगी	35.00	नहीं
19.	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल	सहयोगी	35.00	नहीं

VI. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

नहीं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर प्रावधान पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्थान के रूप में, बैंक के पास सीएसआर पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII द्वारा निर्देशित है। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ समाज को वापस लौटाने और समुदायों के उत्थान के प्राथमिक उद्देश्य से संचालित होती हैं। सीएसआर के तहत निष्पादित गतिविधियां इस रिपोर्ट के सिद्धांत 8 के बिंदु 6 पर हैं।

(ii) टर्नओवर (रुपये में) – 120285 करोड़ रुपये (टर्नओवर कुल आय को प्रदर्शित करता है)

(iii) नेटवर्थ (रुपये में) – 74600 करोड़ रुपये

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	Punjab National Bank International Ltd. (PNBIL)	Subsidiary	100.00	No
2.	DRUK PNB Bank Ltd, Bhutan	Subsidiary	51.00	No
3.	Everest Bank Ltd.	Joint Venture	20.02	No
4.	PNB Investment Services Ltd.	Subsidiary	100.00	No
5.	PNB Cards & Services Ltd.	Subsidiary	100.00	No
6.	PNB Gilts Ltd.	Subsidiary	74.07	No
7.	PNB Housing Finance Ltd.	Associate	28.13	No
8.	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	Associate	30.00	No
9.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	Associate	23.00	No
10.	India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.	Associate	20.90	No
11.	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna	Associate	35.00	No
12.	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	Associate	35.00	No
13.	Himachal Gramin Bank, Mandi	Associate	35.00	No
14.	Punjab Gramin Bank, Kapurthala	Associate	35.00	No
15.	Prathama UP Gramin Bank, Meerut	Associate	35.00	No
16.	Assam Gramin Vikash Bank, Assam	Associate	35.00	No
17.	Bangiya Gramin Vikash Bank, West Bengal	Associate	35.00	No
18.	Tripura Gramin Bank, Agartala	Associate	35.00	No
19.	Manipur Rural Bank, Imphal	Associate	35.00	No

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

No, CSR provisions are not applicable to Punjab National Bank, as per Section 135 of Companies Act. However, as a socially responsible institution committed to strengthen social ties with the community at large, the bank has a board approved Policy on CSR which is reviewed annually. It is guided by Schedule VII of the Companies Act 2013 under Ministry of Corporate Affairs concerning Corporate Social Responsibility. Our CSR activities are driven by the primary motive of giving back to society and uplifting communities. The activities executed under CSR are at Point 6 of Principle 8 of this report.

(ii) Turnover (in Rs.) – Rs.120285 Crore (Turnover Represents Total Income)

(iii) Net worth (in Rs.) – Rs.74600 Crore

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	स्थापित शिकायत निवारण तंत्र (हाँ/नहीं) *(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)*	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	शून्य						
निवेशकों (शेयरधारकों के अलावा)	हां, बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर निवेशक कॉर्नर में विस्तृत जानकारी दी गई है, https://www.pnbindia.in/basic-information.html	शून्य					
शेयरधारकों		32	0	शून्य	38	0	शून्य
कर्मचारी और कामगार	हाँ–आंतरिक इंट्रानेट पर उपलब्ध एचआरएमएस के माध्यम से "पीएनबी समाधान" (एचआर मामलों से संबंधित शिकायतें)	2368	29	लंबित शिकायतें टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के तहत हैं।	2879	0	शून्य
ग्राहक	हाँ, पॉलिसी को कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in, पर **'ग्राहक सेवा – नीतियां'** टैब के अंतर्गत रखा गया है।	1130195*	32351	उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया था।	1355037*	23185	उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया था।
मूल्य श्रंखला भागीदार	लागू नहीं						
अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य						

**वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 104520 और 1025675 है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल से प्राप्त शिकायतों की संख्या क्रमशः 123141 और 1231896 है।*

26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें)
1	भौतिक जोखिम– लू, चक्रवात और बाढ़ की गंभीरता में वृद्धि	आर	अप्रत्यक्ष (परिचालन) लागत में वृद्धि, संपार्श्विक का अवमूल्यन	पोर्टफोलियो और खाता स्तर के एक्सपोजर का आंकलन करना और भूगोल विशिष्ट दृष्टिकोण का पालन करना। विविधीकरण के प्रयास और जोखिम को कम करने की संभावना।	नकारात्मक
2	संक्रमण जोखिम– कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उन्नत उत्सर्जन–रिपोर्टिंग दायित्व, कम उत्सर्जन विकल्पों के साथ मौजूदा उत्पादों और सेवाओं का प्रतिस्थापन	आर	ऋण जोखिम में वृद्धि हो जाना, स्टैण्डर्ड, अतरल परिसंपत्तियों की संभावना	शमन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जाएगी 1. हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना 2. ब्राउन सेक्टरों के लिए सतर्क दृष्टिकोण 3. हार्ड टू एबेट क्षेत्रों में दक्षता की ओर जोर देना	नकारात्मक

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) *(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)*	FY 2023-24			FY 2022-23		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	NIL						
Investors (other than shareholders)	Yes, the details are given in Investor Corner at Bank's corporate website, https://www.pnbindia.in/basic-information.html	NIL					
Shareholders		32	0	Nil	38	0	Nil
Employees and workers	Yes-Internal "PNB Samadhaan " through HRMS **(complaints related to HR matters)** available at internet	2368	29	Pending complaints are lying within Turnaround Time (TAT).	2879	0	Nil
Customers	Yes, Policy is placed at the Corporate Website www.pnbindia.in, under Tab **'Customer Care – Policies'.**	1130195*	32351	Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.	1355037*	23185	Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.
Value Chain Partners	Not Applicable						
Other (please specify)	NIL						

** For FY 2023-24, number of complaints received from CGRMS portal and CRM portal are 104520 and 1025675 respectively. Similarly, for FY 2022-23, number of complaints received from CGRMS portal and CRM portal are 123141 and 1231896 respectively.*

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Physical Risk- Increased Severity of heatwaves, cyclones and floods	R	Increased indirect (operating) costs, Devaluation of collateral	Assessing portfolio and account level exposure and following a geography specific approach. Diversification efforts and possibility to reduce exposure.	Negative
2	Transition Risk- Carbon Pricing mechanism, Enhanced emissions-reporting obligations, Substitution of existing products and services with lower emissions options	R	Increased credit risk, potential for stranded, illiquid assets	Segmented strategy for different sectors will be followed for mitigation 1. Promote Green sectors 2. Cautious approach for Brown sectors 3. Push towards efficiency in Hard to Abate sectors	Negative

क्र. सं.	महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें)
3	डिजिटल नवाचार/ परिवर्तन	ओ	बैंक लगातार अपने ग्राहकों के लिए मजबूत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के साथ डिजिटल नवाचारों को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अपने ग्राहकों के लिए एक सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों में परिवर्तन किया है।	लागू नहीं	सकारात्मक
4	सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिम	आर	डेटा और/या सुरक्षा उल्लंघनों के कारण ग्राहकों में अविश्वास, प्रतिष्ठात्मक क्षति, प्रत्यक्ष भौतिक हानि, नियामक दंड हो सकता है	आईटी जोखिम प्रबंधन, आईएस और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में निरंतर सुधार। सुदृढ़ शासन एवं संगठन।	नकारात्मक
5	हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों/परियोजनाओं को वित्तपोषण	ओ	उभरती स्थिरता संबंधी वित्तपोषण, पर्यावरण अनुकूल ब्रांड पहचान में अधिक बाजार हिस्सेदारी।	लागू नहीं	सकारात्मक
6	वित्तीय समावेशन	ओ	बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बैंक में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने विशाल नेटवर्क/ टचपॉइंट का लाभ उठाने की क्षमता है, जिससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।	लागू नहीं	सकारात्मक
7	ग्राहक सेवा	ओ	ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पादों और सेवाओं में सुधार करने, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ग्राहक प्रतिधारण की संभावना।	लागू नहीं	सकारात्मक
8	परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार	ओ	नकारात्मक नेट स्लिपेज और बेहतर अंडरराइटिंग मानक के कारण परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार। ऋण घाटे को कम करके, लाभप्रदता और पूंजी आधार में सुधार करके बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में सीधे योगदान देता है।	लागू नहीं	सकारात्मक
9	बढ़ी हुई पारदर्शिता और प्रकटीकरण	ओ	निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है, विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है, तथा बाजार में स्थिति और हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत बनाता है।	लागू नहीं	सकारात्मक
10	मानव संसाधन परिवर्तन	ओ	बैंक ने एक महत्वाकांक्षी मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना, 'उड़ान' शुरू की है, जिसके अंतर्गत नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी), मानव संसाधन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण आदि शुरू किए गए हैं, जिससे कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि हो रही है।	लागू नहीं	सकारात्मक

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
3	Digital innovations/ transformation	O	The Bank consistently aims to develop digital innovations with robust features and functionalities for its customers. Its digital platforms have undergone a transformation in last two years to offer a seamless banking experience for its customers	NA	Positive
4	Information & Cyber Security Risk	R	Data and/ or security breaches could cause customer dis-trust, reputational damage, direct material loss, regulatory penalties	Ongoing improvements in IT Risk Management, IS and Cybersecurity Risk Management. Robust governance and organization.	Negative
5	Financing to green, social and sustainability linked activities/ projects	O	More market share in the emerging sustainability related financing, environment friendly brand recognition	NA	Positive
6	Financial Inclusion	O	Bank actively participates in the Government's efforts to foster financial inclusion. The bank has the potential to leverage its vast networks/touchpoint to promote financial inclusion thus generating positive impact on society	NA	Positive
7	Customer Service	O	Potential to improve products and services based on customer feedback, increasing market share, customer retention	NA	Positive
8	Improving Asset Quality	O	Continuously, improving asset quality due to negative net slippage and better underwriting standard. Contributes directly to the Bank's financial performance by minimizing credit losses, improving profitability, and capital base.	NA	Positive
9	Enhanced Transparency and disclosures	O	Enhances investor trust, ensures adherence to regulatory requirements, and bolsters market positioning and relationships with stakeholders	NA	Positive
10	Human Resource Transformation	O	The Bank launched an ambitious Human Resource Transformation project, 'UDAAN', under which Leadership Development Programs (LDP), digitalisation of HR journeys and processes, capacity building etc has been started thus creating the enhancing the employee satisfaction.	NA	Positive

खंड बीः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबारों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

क्र. सं.	सिद्धांत विवरण
पी1	कारोबार को ईमानदारी के साथ एवं नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और अभिशासित करना चाहिए।
पी2	कारोबार को वस्तुओं और सेवाओं को टिकाऊ एवं सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए।
पी3	कारोबार को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।
पी4	कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पी5	कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी6	कारोबार को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।
पी7	कारोबार को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।
पी8	कारोबार को समावेशी विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
पी9	कारोबार को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियां बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ नीतियां आंतरिक नीतियां हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हां, नीतियों को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया गया है।								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	नहीं								
4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड /प्रमाणन /लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम आपके निकाय द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	Bank has Information Security Management System Certification: ISO / IEC 27001: 2013								
5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हो।	नीतियों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का कार्यनिष्पादन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	बैंक के अलग–अलग विभाग हैं जो नीति की प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों की निगरानी करते हैं। बोर्ड समय–समय पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी करता है।								
अभिशासन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण									
7. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थापन के संबंध में लचीलापन है)। वैश्विक स्तर पर, ग्रह, समाज और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर उनके गहन प्रभाव के कारण ग्रीन व्यवहार को अपनाने पर महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP 26) के 26वें सत्र के दौरान 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इसके अनुरूप हमारा बैंक स्थायी व्यवसाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण में दृढ़ है, और खुद को जिम्मेदार और टिकाऊ वित्त प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है। दीर्घकालिक सफलता की आधारशिला के रूप में स्थिरता को पहचानते हुए, बैंक अपने संचालन के सभी पहलुओं में स्थिरता को एकीकृत करके ग्रीन व्यवहार को सक्रिय रूप से अपना रहा है, जिसका उद्देश्य अपने सभी हितधारकों के हितों को एक स्थायी तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है। इस रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से बैंक की कारोबारी जिम्मेदारी और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता, इसके परिचालन ढांचे में स्थिरता को शामिल करने के लिए इसके निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है, जो हमारे बैंक, इसके हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए सकारात्मक बदलाव को उत्प्रेरित करती है। हम वंचित समुदायों के उत्थान के लिए हरित वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने से संबंधित रणनीतियों को लागू कर रहे हैं।									

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

S No.	Principle Description
P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.
P7	Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner.

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	The policies are available on the Bank's website www.pnbindia.in. However, some policies are internal policies and available to internal stakeholders only.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Yes, the policies have been translated into procedures.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	NA								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Bank has Information Security Management System Certification: ISO / IEC 27001: 2013								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No specific target is being set under the policies.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	The Bank has separate departments that monitors the commitments, goals and targets of the policy. The Board also reviews the performance periodically from time to time.								
Governance, leadership and oversight									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure). At a global scale, there exists significant emphasis on the adoption of ESG practices due to their profound impact on the planet, society and long term value creation. India, during the 26th session of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 26) announced its commitment to achieving net zero emissions by 2070. In line with this our bank remains steadfast in its dedication to drive sustainable business growth, positioning itself as a provider of responsible and sustainable finance. Recognizing sustainability as a cornerstone of long term success, the bank is actively embracing ESG practices by integrating sustainability into all facets of its operations aiming to harmonize the interests of all its stakeholders in a sustainable manner. The bank's adherence to business responsibility and sustainability as evident through this report, underscores its ongoing endeavors to infuse sustainability in its operational framework, catalyzing positive change for our Bank, its stakeholders, and society at large. We are implementing strategies pertaining to green financing and promoting financial inclusion to uplift underserved communities.									

पर्यावरण के मोर्चे पर हमारे बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं कि हमारे संचालन एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर अग्रसर हों। स्थिरता को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमने कागज़ की खपत में कमी और डिजिटल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने सहित विभिन्न ऊर्जा और संसाधन संरक्षण उपायों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, हमने बैंक की विभिन्न इमारतों में सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए हैं और अपने प्रधान कार्यालय भवन में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए हमारे स्वामित्व वाली अधिकांश इमारतों में वर्षा जल संचयन (RWH) प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा, सभी आगामी और निर्माणाधीन इमारतों को वर्षा जल अपवाह के संग्रह को अधिकतम करने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध किया गया है। हमारे ऋण देने के तरीकों में, हम अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा, जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक ने कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ हैं:) जलवायु जोखिम से निपटने के लिए दृष्टिकोण पत्र–कार्यान्वयन योजना, इ) हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण रूपरेखा; ब) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (GHG) माप के लिए रूपरेखा, क) भौतिक जोखिम आदि के लिए जलवायु जोखिम दबाव परीक्षण आयोजित किया।

समाज को वापस देना ही हमारा उद्देश्य रहा है, और बैंक अपनी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों का समर्थन करने में सबसे आगे है। इसके साथ ही, बैंक अपने कार्यस्थल में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। कार्यस्थल में पहले से मौजूद विविधता के अलावा, बैंक ने "जेंडर विविधता नीति" तैयार की है, जिसमें महिला केंद्रित उपाय अपनाए गए हैं।

इसके अलावा, बैंक उच्च स्तर के नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए शासन संबंधी व्यवहार को बढ़ाने के लिए समर्पित है। बैंक ने साइबर सुरक्षा नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, ग्राहक अधिकार नीति आदि जैसी अच्छी तरह से परिभाषित नीतियां और मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, बैंक अपने परिचालन में व्यवसाय मॉडल और ईएसजी उपायों के एकीकरण में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

8. कारोबार उत्तरदायित्व नीतियों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री बिनोद कुमार कार्यपालक निदेशक
9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	स्थिरता से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में स्थिरता एवं लचीलापन समिति (एसएआरसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति (बोर्ड की उप–समिति) को स्थिरता से संबंधित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

<table>
<tr><th>समीक्षा का विषय</th><th colspan="9">बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/ कोई अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी</th><th colspan="9">आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ कोई अन्य – कृपया बताएं)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई</td><td>पी 1</td><td>पी 2</td><td>पी 3</td><td>पी 4</td><td>पी 5</td><td>पी 6</td><td>पी 7</td><td>पी 8</td><td>पी 9</td><td>पी 1</td><td>पी 2</td><td>पी 3</td><td>पी 4</td><td>पी 5</td><td>पी 6</td><td>पी 7</td><td>पी 8</td><td>पी 9</td></tr>
<tr><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td>हाँ</td><td colspan="9">सक्षम प्राधिकारी वार्षिक आधार पर या आवश्यकतानुसार नीतियों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा के बाद नीति में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार</td><td colspan="18">बैंक की सभी नीतियों को अनुमोदन के लिए बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाता है। साथ ही, बैंक लागू मौजूदा नियमों का अनुपालन करता है।
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर उक्त प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा नियुक्त प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है तथा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया जाता है।</td></tr>
</table>

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

लागू नहीं

On environmental front our Bank has undertaken various initiatives to ensure that our operations are geared towards a sustainable and green future. With focus on embracing sustainability, we have adopted various energy and resource conservation measures including paper reduction and streamlining digital processes. Additionally, we have commissioned solar energy plants at various Bank's buildings and installed Electric Vehicle Charging stations at our Head Office building. Rain Water Harvesting (RWH) systems have been installed in the majority of our owned buildings to conserve rain water for future usage. Furthermore, all upcoming and under-construction buildings have been extensively planned to maximize the collection of rainwater run-off. In our lending practices, we prioritize sectors like renewable energy, solar power, etc. Moreover, to manage climate risk, the bank has taken many initiatives, some of which are: a) Approach paper to address climate risk –Implementation Plan, b) Financing Framework for Green, Social and Sustainability Linked Activities/ Projects; c) Framework for Green House Gas emission (GHG) measurement, d) Conducted Climate Risk Stress Testing for Physical Risk etc.

Giving back to society has been the purpose, and the Bank is at the forefront of supporting underprivileged sections of society through our various CSR activities and rural training centers. Along with this, the Bank remains unwavering in its commitment to foster diversity, equity, and inclusion within its workplace. Apart from already existing diversity in work place, the Bank has formulated "Gender Diversity Policy" wherein women centric measures are adopted.

Moreover, Bank is dedicated to enhancing governance practices by upholding high levels of ethical standards, ensuring transparency, fostering accountability, and complying with regulatory requirements. The Bank has well defined policies and standard operating procedures such as Cyber Security Policy, Whistle Blower Policy, Customer Rights Policy etc.

Looking ahead, the bank is focused on improving integration of business model and ESG measures into its operations, thus reinforcing commitment to sustainable growth.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Binod Kumar Executive Director
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Sustainability and Resilience Committee (SARC) headed by MD & CEO has been formed for governance of sustainability related activities. Further, Risk Management Committee (sub-committee of Board) has been assigned sustainability related roles and responsibilities.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
Performance against above policies and follow up action	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Annually, or as and when required, The competent authorities review the policies annually or as and when required. The necessary changes in the policy are implemented post review.								
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	Policies of the bank are placed to Board/Competent Authority for approval. Also, the Bank is in compliance with the extant regulations as applicable. Secretarial Audit Report is signed by Practicing Company Secretary appointed by the bank for the said purpose and it is published in annual report and filed in the stock exchange,																	

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	N	N	N	N	N	N	N	N	N

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Not Applicable

खंड सीः सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाई के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशतः**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	11	सभी	100.00%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4	सभी	100.00%
निदेशक मण्डल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	1502	सभी	74.39%
श्रमिक	लागू नहीं		

2. **वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रारूप में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/ सजा/अधिनिर्णय/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण, (नोटरू इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
जुर्माना/दंड	-	भारतीय रिजर्व बैंक	रु.72 लाख	भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने 30 अक्टूबर 2023 के आदेश के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016', भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिम पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बैंक पर ₹72 लाख (बहत्तर लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।	शून्य
समझौता	लागू नहीं				
चक्रवृद्धि शुल्क	लागू नहीं				
गैर–मौद्रिक					
कारावास	शून्य		स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए बैंक की नीति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।		
सज़ा	शून्य				

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

ESSENTIAL INDICATORS

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics /principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	11	All	100.00%
Key Managerial Personnel	4	All	100.00%
Employees other than BoD and KMPs	1502	All	74.39%
Workers	NA		

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
Details	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	-	The Reserve Bank of India	Rs. 72 lakhs	The Reserve Bank of India In exercise of powers conferred under section 47A (1) (c) read with sections 46(4)(i) and 51 (1) of the Banking Regulation Act 1949, RBI vide speaking order dated 30 October 2023 imposed, a penalty of ₹72 Lakh (Rupees Seventy-Two Lakh) on Bank for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016', 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions, 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks'	Nil
Settlement	NA				
Compounding fee	NA				
Non-Monetary					
Imprisonment	Nil		In terms of the Bank's Policy for determining materiality of events to be Reported to Stock Exchanges, no such instance has been reported to the Stock Exchanges during FY 2023-24.		
Punishment	Nil				

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियाँ/न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक के पास निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से अनैतिक व्यवहारों, भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और धन की हेराफेरी की जाँच करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह निवेशक और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने और संगठन की दक्षता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित व्यवहारों को सुनिश्चित करना और बैंक के हितों की रक्षा करना और सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। यह नीति https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अलावा बैंक के पास कई अन्य चौनल भी हैं जिनके माध्यम से ग्राहक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की घटनाओं की रिपोर्ट जैसे बैंक का ऑन–लाइन शिकायत निवारण पोर्टल सेंट्रलाइज्ड ग्रिवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (CGRMS), संपर्क केंद्र, ईमेल Care@pnb.co.in पर कर सकते हैं।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

3. **Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.**

The Bank has a Whistle Blower Policy to check unethical practices, corruption, malpractices, embezzlements, and misappropriation of funds through preventive vigilance measures. It is committed to enhance investor and other stakeholders' confidence and set high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The objective of having the policy in place is to ensure practices based on transparency, accountability and protect the interest of the bank and adhere to the statutory and regulatory requirements. The policy is present on the website https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html. Besides this bank also have various other channel through which customers can report instances of corruption and bribery like bank's on-line grievance redressal portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), contact centers, email at care@pnb.co.in.

5. **Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	NIL	NIL
Workers	NIL	NIL

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

Details	FY 2023-24		FY 2022-23	
	No.	Remarks	No.	Remarks
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors 3.	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	39 दिन	42 दिन

9. **कारोबार का खुलापन**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	मेट्रिक	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीदारी का संकेन्द्रण	ए. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	बी. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	सी. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	ए. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को की गई बिक्री	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	बी. डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	सी. डीलरों/वितरकों को की गई कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
आरपीटी का हिस्सा	ए. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	0.00%	0.00%
	बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)*	1.21%	0.96%
	सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	0.96%	0.77%
	डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	0.18%	0.19%

*ऋण के असाइनमेंट पर प्राप्त ब्याज और अन्य शुल्क, प्राप्त किराया, कमीशन, प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं।

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

Not Applicable

8. **Number of days of accounts payables (Accounts payable *365) / (Cost of goods/services procured) in the following format:**

	FY 2023-24	FY 2022-23
Number of days of accounts payables	39 Days	42 Days

9. **Open-ness of business**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metric	FY 2023-24	FY 2022-23
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	Not Material	Not Material
	b. Number of trading houses where purchases are made from	Not Material	Not Material
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	Not Material	Not Material
Concentration of Sales	a. Sales to dealers / distributors as % of total sales	Not Material	Not Material
	b. Number of dealers / distributors to whom sales are made	Not Material	Not Material
	c. Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors	Not Material	Not Material
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)	0.00%	0.00%
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)*	1.21%	0.96%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	0.96%	0.77%
	d. Investments (Invest-ments in related parties / Total Investments made)	0.18%	0.19%

Including interest and other charges received on assignments of loan, rent received, commission, dividend received, etc.

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।		

2. **क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

   हां, बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने की प्रक्रियाएं बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता में शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में पुष्टि निदेशकों से ज्वाइनिंग के समय और उसके बाद वार्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और कॉर्पोरेट नैतिकता, मूल्य और स्थिरता को बनाए रखने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक तिमाही आधार पर कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी बोर्ड सदस्य आदर्श आचार संहिता का पालन करें।

सिद्धांत 2 कारोबार को इस तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हो

1. **इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास एवं पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य		
पूंजीगत व्यय	26.21 लाख	-	द्वारका बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। इसमें 60 किलोवाट के 2 डुअल गन डीसी फास्ट चार्जर और 7.5 किलोवाट के 3 टाइप 2 एसी चार्जर शामिल हैं। कुल लागत: ₹26.21 लाख

2. ए. **क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां नहीं)**

   चूंकि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, इसलिए परिचालन के लिए कागज को छोड़कर सामग्री की खरीद महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यालय के लिए अन्य खरीद के लिए, बैंक के पास एक खरीद नीति है जिसमें स्थिरता सोर्सिंग दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, जैसे एसी इकाइयों की स्टार रेटिंग के लिए न्यूनतम सीमा की खरीद, ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए न्यूनतम मानक।

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Awareness programs conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:**

Total no. of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
No such awareness programme held for value chain partners.		

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.**

   Yes, Processes to avoid / manage conflicts of interests involving members of the Board are included in the Model Code of Conduct for all members of the Board. Confirmation with regard to adherence to the Model Code of Conduct is obtained from the Directors at the time of joining and thereafter, on annual basis. The auditor's certificate on corporate governance in the Integrated Annual Report reflects the Bank's commitment to ensuring management accountability and upholding corporate ethics, value and sustainability. The bank publishes corporate governance reports quarterly and ensures Model Code of Conduct is followed by all board members.

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

1. **Percentage of Research and Development and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

Details	FY 2023-24	FY 2022-23	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NIL		
Capex	26.21 lacs	-	Electrical Vehicle Charging infrastructure has been set up at HO Dwarka building. It includes 2 no. of 60 KW Dual Gun DC Fast Charger and 3 nos. of 7.5 KW Type 2 AC Charger. Total cost: ₹26.21 lacs

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**

   As the Bank is in the Financial Services sector, material purchase for operations is not significant except for paper. For other procurement for office, the Bank has a Procurement policy wherein sustainability sourcing guidelines are mandated, like purchase of minimum threshold for star ratings of AC units, minimum standards for procurement of energy efficient electrical & electronic equipments.

बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये?

इन इनपुट को वर्तमान में हमारी रिपोर्टिंग में मात्राबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमा स्वीकार करना और ऋण वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है। बैंक के मुख्य कारोबार संचालन की तुलना में स्थायी साधनों के माध्यम से प्राप्त इनपुट का अनुपात न्यूनतम रहता है। फिर भी, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार वस्तुओं का स्रोत बनाता है।

3. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई–कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, रिसाइक्लिंग और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

बैंक अपने परिचालन से उत्पन्न कचरे के स्थायी प्रबंधन की दिशा में लगातार काम कर रहा है। बैंक तीन प्रकार के गैर–खतरनाक कचरे से निपटता है – ई–कचरा, सूखा कचरा (कागज़ का कचरा) और गीला कचरा (कैफेटेरिया, सीवेज), जिनमें से ई–कचरे का निपटान अधिकृत रीसाइकिलर्स के माध्यम से किया जाता है। हम नीचे उल्लिखित अपशिष्ट श्रेणियों के लिए व्यवहारों का पालन कर रहे हैं।

(ए) **प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)** – बैंक प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। प्रधान कार्यालय से सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है और हमने सभी मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मल्टीपल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह कांच के जार रख दिए हैं। हमारे प्रधान कार्यालय में हमने एक वेंडर पार्टनर को रखा है जो हमारे गीले और सूखे कचरे को इकट्ठा करके उसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खाद/रीसाइकिल करता है।

(बी) **ई–कचरा** – हमारे ई–कचरे में मोटे तौर पर कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, प्रिंटर, बैटरी आदि शामिल हैं। ऐसे सभी ई–कचरे का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

- विक्रेता से बायबैक विकल्प
- खुली नीलामी/निविदा के माध्यम से हार्डवेयर का निपटान
- पात्र संस्थाओं को उपहार/दान
- ई–कचरा स्क्रैप डीलरों के माध्यम से निपटान

(सी) **खतरनाक अपशिष्ट** – हमारी बैंक सेवाओं में किसी भी प्रकार के खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन या निपटान शामिल नहीं है। इसलिए यह लागू नहीं है।

(डी) **अन्य अपशिष्ट** – हमारे सभी कार्यालय/शाखाएं 100: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा बैग का उपयोग करके सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करके निकटतम नगरपालिका डस्टबिन में डाल देते हैं।

4. **क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।**

यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता क्योंकि बैंक सेवा क्षेत्र में है और ग्राहकों के लिए कोई सामान नहीं बनाता है।

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

These inputs are not currently quantified in our reporting as the primary functions of the bank include the acceptance of deposits and the provision of credit financing. The proportion of inputs sourced through sustainable means remains minimal in comparison to the bank's core business operations. Nonetheless, the bank sources items as per the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

The Bank is working progressively towards sustainable management of waste generated from its operations. The Bank deals with three types of non-hazardous waste – e-waste, dry waste (paper waste) and wet waste (cafeteria, sewage), of which e-waste is disposed through authorized recyclers. We have been following practices for below mention waste categories.

(a) **Plastics (including packaging) –** The Bank is aggressively working towards minimizing the use of plastic bottles. Single use plastic bottles are being phased out from Head Office and we have replaced multiple use plastic water bottles with glass jars across all meeting and video conferencing rooms. At our HO we have engaged a vendor partner who collects our Wet and Dry waste to Compost/Recycle it in an eco-friendly manner.

(b) **E-waste –** Our E-waste broadly includes computers, servers, scanners, printers, Batteries, etc. All such E-wastes are being disposed of in following manner:

- Buyback option from Vendor
- Disposal of Hardware by way of open auction/tender
- Gift/donation to eligible institutions
- Disposal through E-Waste Scrap Dealers

(c) **Hazardous waste –** Our Bank services do not involve producing or disposing hazardous waste of any kind. Hence this is not applicable.

(d) **Other waste –** All our offices/branches use 100% biodegradable plastic garbage bags to collect and dispose it to nearest municipal dustbin for dry and wet waste

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

The question is Not Applicable for the Bank as the Bank is in the service industry and does not produce any goods for the customers.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) संचालित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एन आई सी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार का % योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब–लिंक प्रदान करें।
उद्योग/क्षेत्र की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होगा।					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से जिसकी पहचाना की गई है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ–साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद का नाम/सेवा	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) (मूल्य के अनुसार) में उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री का उल्लेख करें	उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऐसी किसी भी रीसाइकल या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है।		

4. उत्पादों की उपयोग क्षमता की समाप्ति पर बेकार उत्पाद से तैयार माल और पैकेजिंग, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, रीसाइकल और सुरक्षित रूप से निपटाए गए उत्पाद की मात्रा (मीट्रिक टन में):

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित रूप से निपटाए गए	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित रूप से निपटाए गए
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	हमारे कार्यालय परिसर से उत्पन्न प्लास्टिक कचरा न्यूनतम है क्योंकि हमारे कार्यालय परिसर में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग सहित अधिकांश प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के हैं और उनका निपटान निकटतम नगरपालिका कूड़ेदानों में जा रहा है। उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा मीट्रिक टन के संदर्भ में नगण्य है, इसलिए यह हमारी व्यावसायिक इकाई के लिए प्रासंगिक नहीं है।					
ई–कचरा	हार्डवेयर को बायबैक ऑप्शन के माध्यम से निपटाया गया, जिसकी कीमत 93,18,160 रुपये थी। इसके अलावा 10 टन ई–कचरा जैसे सर्वर, मॉनिटर, सीपीयू/ऑल इन वन और प्रिंटर को ई–कचरा स्क्रैप डीलर द्वारा निपटाया गया (राशि 10,33,798 रुपये)			हार्डवेयर का निपटान 51,95,870 रुपये की राशि के बायबैक विकल्प द्वारा किया गया।		
खतरनाक अपशिष्ट	चूंकि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, इसलिए बैंक सेवाओं में किसी भी तरह के खतरनाक कचरे का उत्पादन या निपटान शामिल नहीं है। इसलिए यह हमारे मामले में लागू नहीं है।					
अन्य अपशिष्ट	प्रधान कार्यालय स्तर पर सूखा और गीला कचरा		25.50 मीट्रिक टन	आंकड़ा उपलब्ध नहीं		

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नही	

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

NIC Code	Name of Product / Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
Not Applicable given the nature of industry.					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products/services, as identified in the Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken
Not applicable	Not applicable	Not applicable

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2023-24	FY 2022-23
No such recycled or reused input material used for providing services.		

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:**

Particulars	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	Plastic waste generated from our office premises are minimal as the majority of the plastics used in our office premises including plastic bags are biodegradable in nature and same are being disposed to nearest municipal dustbins. The amount of plastic waste generated is negligible in terms of metric tonnes, hence it is not relevant to our business entity.					
E-waste	Hardware disposed off by buy back option amounting Rs.93,18,160. Also 10 tonnes of e-waste like servers, monitor, CPU/All in one & Printer were disposed off by e-waste scrap dealer (Amount Rs.10,33,798)			Hardware disposed off by buy back option amounting Rs.51,95,870.		
Hazardous waste	As the Bank is in the Financial Services sector, Bank services do not involve producing or disposing hazardous waste of any kind. Hence this is not applicable in our case.					
Other waste	Dry and wet waste at HO level		25.50 MT	Data not available.		

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
Not Applicable	

सिद्धांत 3 कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरणः

वर्ग	कुल (ए)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %								डे केयर सुविधाएं	
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ			
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (इ/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
		स्थायी कर्मचारी									
पुरुष	77359	77359	100	77359	100	0	0	77359	100	15	0.02%
महिला	24990	24990	100	24990	100	24990	100	0	0	63	0.25%
कुल	102349	102349	100	102349	100	24990	100	77359	100	78	0.08%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बी. कामगारों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरणः

वर्ग	कुल (ए)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %								डे केयर सुविधाएं	
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ			
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (इ/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
		स्थायी कर्मचारी									
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सी. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण के हेतु किए गए उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय

	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 गत वित्तीय वर्ष
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.47%	0.50%

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

ESSENTIAL INDICATORS

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	Total (A)	% of employees covered by								Day Care facilities	
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits			
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (E / A)
		Permanent employees									
Male	77359	77359	100	77359	100	0	0	77359	100	15	0.02%
Female	24990	24990	100	24990	100	24990	100	0	0	63	0.25%
Total	102349	102349	100	102349	100	24990	100	77359	100	78	0.08%
Other than Permanent employees											
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

b. **Details of measures for the well-being of workers:**

Category	Total (A)	% of workers covered by								Day Care facilities	
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits			
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (E / A)
		Permanent workers									
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other than Permanent workers											
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

c. **Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format**

	FY 2023-24 Current Financial Year	FY 2022-23 Previous Financial Year
Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company	0.47%	0.50%

2. चालू वित्तीय वर्ष और गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2022-23 गत वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचा. रियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ /नहीं/लागू नहीं)	संख्या % के रूप में कवर किए गए कर्मचारी कुल कर्मचारी	संख्या कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिक	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ / नहीं/ लागू नहीं)
पीएफ	0.20%	लागू नहीं	हाँ *	0.23%	लागू नहीं	हाँ *
ग्रेच्युटी	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – पेंशन	21.92%	लागू नहीं	हाँ *	24.43%	लागू नहीं	हाँ *
अन्य –एनपीएस	77.88%	लागू नहीं	हाँ	75.34%	लागू नहीं	हाँ

**कटौती की गई और बैंक के स्वयं के पीएफ और पेंशन ट्रस्ट में जमा की गई*

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

बैंक लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएँ दिव्यांगजनों (कर्मचारी और ग्राहक दोनों) के लिए बिना किसी असुविधा के पहुँच योग्य हों, इसके लिए रैंप सुविधा और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। बैंक के अपने भवनों के निर्माण और लीज़ के आधार पर परिसर किराए पर लेने के दौरान इसका ध्यान रखा जाता है। स्थायी रैंप प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं, हालाँकि, ऐसे मामलों में जहाँ लीज़ के परिसर में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहाँ अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है। दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के दिशा–निर्देश बैंक द्वारा लीज़ परिसर किराए पर लेने की नीति में शामिल किए गए हैं। इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस), भारत सरकार को नियमित आधार पर इसके अनुपालन की सूचना भी दी जाती है। इसके अलावा, बैंक दिव्यांगजनों को डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी भी प्रदान करता है।

वर्तमान में, बैंक के कुल 12131 एटीएम में से 11249 एटीएम (अर्थात 92.73% एटीएम) और बैंक की कुल 10136 शाखाओं में से 8355 शाखाओं (अर्थात 82.43% शाखाएं) में रैंप की सुविधा है। शेष शाखाओं (17.57%) और एटीएम (7.27%) के लिए रैंप सुविधा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं।

4. **क्या इकाई के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, बैंक की ग्राहक अधिकार नीति है जो विकलांगजनो को समान अवसर प्रदान करती है।

बैंक की विविधता नीति सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर लागू होती है और बैंक रोजगार के अवसर पैदा करता है तथा उन्हें अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ अन्य कर्मचारियों के बराबर हैं। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यभार सौंपते समय यथोचित ध्यान रखा जाता है ताकि वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद आसानी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। दिव्यांग कर्मचारियों को विभिन्न लाभ/सुविधाएँ जैसे कि दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रावधान, ग्रामीण/अर्ध–शहरी तैनाती से छूट, सुविधाजनक स्थान पर तैनाती आदि प्रदान की जाती हैं।

5. **स्थायी कर्मचारियों और पितृत्व अवकाश लेने वाले कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगारों	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर*	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100.00%	99.93%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100.00%	99.39%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100.00%	99.75%	लागू नहीं	लागू नहीं

**उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मातृत्व/पितृत्व अवकाश वित्त वर्ष 2022–23 में समाप्त हो गया और वित्त वर्ष 2023–24 में उन्होंने बैंक छोड़ (किसी भी कारण से) दिया*

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	0.20%	NA	Y*	0.23%	NA	Y *
Gratuity	100.00%	NA	NA	100.00%	NA	NA
ESI	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Others – Pension	21.92%	NA	Y*	24.43%	NA	Y *
Others – NPS	77.88%	NA	Y	75.34%	NA	Y

** Deducted and deposited in Bank`s own PF and Pension Trust*

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Bank is continuously making efforts that all its offices/branches are accessible without any inconvenience to Divynagjans (both employees and customers), by ensuring ramp facility and disabled friendly amenities. This is taken care while construction of the bank's own buildings & during hiring of premises on lease basis. The efforts are made to provide permanent ramp, however, in cases where the permanent ramp is not available in leased premises, temporary ramp facilities are provided. The guidelines for providing barrier free environment for "Divyangjans" are incorporated in the Policy for Hiring Lease Premises by Bank. The compliance also reported to DFS, GOI in this regard on regular basis. Further, Bank also provides doorstep delivery of financial services to Divyangjans through doorstep banking.

At present, Bank's 11249 ATMs out of total 12131 ATMs (i.e. 92.73% ATMs) and Bank's 8355 branches out of total 10136 branches (i.e. 82.43% Branches) have ramp facilities. For, the remaining branches (17.57%) and ATMs (7.27%) it is impractical to provide ramp facility, where notice have been displayed in compliance of RBI guidelines.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes, the Bank has a Customer Rights policy which gives equal opportunity to disabled persons. The policy is available on the Bank's website www.pnbindia.in.

The Diversity Policy of the Bank is applicable to all differently abled employees and the Bank creates employment opportunities and provide them with a conducive work environment. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. Proper care is taken at the time of assigning duties to employees with disabilities so that they are able to discharge their duties easily, in spite of their disability. Various benefits/perquisites are available to staff members with disabilities such as provision of special computer software for visually impaired employees, exemption from rural/semi-urban postings, convenient place of posting etc.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate*	Return to work rate	Retention rate
Male	100.00%	99.93%	NA	NA
Female	100.00%	99.39%	NA	NA
Total	100.00%	99.75%	NA	NA

**Considering those employees whose maternity/Paternity leave ended in FY 2022-23 and Left the Bank (Because of any reason) in FY 2023-24*

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

विवरण	हां नही *(यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)*
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, बैंक के कर्मचारियों के सामने आने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए बैंक के पास 'पीएनबी समाधान' नामक एक औपचारिक मंच है, जिसके लिए सभी कर्मचारियों को एचआरएमएस में एक कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि वे एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें। पीएनबी समाधान में सेवारत कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है या स्पष्ट तौर पर अन्याय या उत्पीड़न का मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएश या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	102349	100595	98.29%	104120	100075	96.12%
पुरुष	77359	76049	98.31%	79054	75887	95.99%
महिला	24990	24546	98.22%	25066	24188	96.50%
कुल स्थायी कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.**

Particulars	Yes/No *(If Yes, then give details of the mechanism in brief)*
Permanent Workers	N.A.
Other than Permanent Workers	N.A.
Permanent Employees	Yes, Bank has "PNB Samadhaan" a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, for which a functionality has been provided in HRMS for all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization.
Other than Permanent Employees	N.A.

7. **Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	%(B/A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	%(D/C)
Total Permanent Employees	102349	100595	98.29%	104120	100075	96.12%
Male	77359	76049	98.31%	79054	75887	95.99%
Female	24990	24546	98.22%	25066	24188	96.50%
Total Permanent Workers	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24						वित्त वर्ष 2022-23			
	कुल ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)		सं. (इ)	% (इ / डी)	सं. (एफ)	% (एफ / डी)
	कर्मचारी									
पुरुष	77359	2043	2.65	56998	73.68	79054	1813	2.29	56810	71.86
महिला	24990	799	3.20	17581	70.35	25066	648	2.59	17453	69.63
कुल	102349	2842	2.77	74579	72.87	104120	2461	2.36	74263	71.32
*पॉश	-	219	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	102349	3061	3.00	-	-	-	-	-	-	-
	कामगार									
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

*यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक इन–हाउस ओपन वेबिनार (पंजीकरण आवश्यक नहीं था) आयोजित किया गया जिसमें 219 कर्मचारियों ने भाग लिया।

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24*			वित्त वर्ष 2022-23*		
	कुल (ए)	सं.(बी)	%(बी / ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	% (डी / सी)
	कर्मचारी					
पुरुष	79054	38166	48.28%	78857	38234	48.49%
महिला	25066	12488	49.82%	24287	12263	50.49%
कुल	104120	50654	48.65%	103144	50497	48.96%
	कामगार					
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

*वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा केवल अधिकारियों के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है। जब भी आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है क्योंकि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्त वर्ष 2023–24 में किया जा रहा है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्त वर्ष 2022–23 में किया गया था।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

ए. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां / नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्षेत्र क्या है?

हां, मानक मानदंडों के अनुसार

बैंक अपने कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा पर बहुत ज़ोर देता है। अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास और प्राथमिक चिकित्सा किट जैसे सुरक्षा उपकरणों के लिए नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किए जाते हैं। प्रत्येक शाखा और कार्यालय में नियमित जांच की जाती है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि विद्युत और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है, और आवश्यकतानुसार त्वरित उपाय लागू किए जाते हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए समूह सावधि बीमा और स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

8. **Details of training given to employees and workers:**

Category	FY 2023-24						FY 2022-23			
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
	Employees									
Male	77359	2043	2.65	56998	73.68	79054	1813	2.29	56810	71.86
Female	24990	799	3.20	17581	70.35	25066	648	2.59	17453	69.63
Total	102349	2842	2.77	74579	72.87	104120	2461	2.36	74263	71.32
*POSH	-	219	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	102349	3061	3.00	-	-	-	-	-	-	-
	Workers									
Male	NA									
Female										
Total										

An in-house open webinar (registration was not required) was conducted on Prevention of Sexual Harassment which was attended by 219 employees.

9. **Details of performance and career development reviews of employees and worker:**

Category	FY 2023-24*			FY 2022-23*		
	Total (A)	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No. (D)	% (D/C)
	Employees					
Male	79054	38166	48.28%	78857	38234	48.49%
Female	25066	12488	49.82%	24287	12263	50.49%
Total	104120	50654	48.65%	103144	50497	48.96%
	Workers					
Male	Not Applicable					
Female						
Total						

**Annual performance appraisal reviews is done on yearly basis for officers only. Figures have been regrouped whenever considered necessary as annual performance appraisal for FY 2022-23 is being done in FY 2023-24. Similarly, annual performance appraisal for FY 2021-22 was done in FY 2022-23.*

10. **Health and safety management system:**

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, as per standard norms

The bank places a high emphasis on its employees' well-being and security. Regular inspections and assessments are conducted for safety equipment such as fire extinguishers, emergency exits, and first aid kits. Each branch and office undergoes routine checks to verify that electrical and fire safety standards are met, with prompt measures implemented as needed. Moreover, the provision of group term insurance and health insurance for employees offers extra protection against unexpected events.

बी. **कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने तथा इकाई द्वारा नियमित एवं गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन–सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?**

बैंक की भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा नीतियों और सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार पर्याप्त निवारक और सुरक्षात्मक उपाय लागू करना आवश्यक है।

नियमित जोखिम पहचान: भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार बैंक के सभी परिसरों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, जोखिम वर्गीकरण के अनुसार खतरों/जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय लागू किए जाते हैं। बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की टीम है और वे बैंक के परिसर में नियमित निरीक्षण करते हैं। जोखिम/खतरों की पहचान के लिए नियमित निरीक्षण और ऑडिट के लिए सुपरिभाषित जाँच–सूची और निरीक्षण/ऑडिट के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

गैर–नियमित जोखिम पहचान: घटना की जांच के दौरान किसी भी गैप के मामले में आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं, कार्य परमिट/हॉट वर्क परमिट, मॉक ड्रिल आदि जारी करने/योजना बनाने, कर्मचारी फीडबैक के दौरान खतरों की पहचान की जाती है। बैंक ने चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट आदि के दौरान बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों पर व्यापक दिशानिर्देश भी बनाए हैं।

सी. **क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)**

हाँ

डी. **क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)**

हां, बैंक के सभी कर्मचारी समूह बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। बीमित राशि के अतिरिक्त किए गए खर्च कॉर्पोरेट बफर के अंतर्गत आते हैं। बैंक के पास एक नई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) बीमा पॉलिसी भी है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति काम के घंटे)	कर्मचारी	1.48^	0.00
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	4.00*	3.00*
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

^प्रति वर्ष न्यूनतम 250 कार्य दिवस मानकर।
काम के घंटे किसी बैंक में ग्राहक डीलिंग के औसत समय पर आधारित होते हैं।
**1 कर्मचारी ने 2023–24 में 38 दिनों की छुट्टियों का लाभ उठाया। 2022–23 में किसी भी कर्मचारी ने छुट्टी नहीं ली।*

- चूंकि बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है और निर्माण स्थलों पर कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए बैंक में काम करते समय मृत्यु या चोट लगने की घटनाएं बहुत कम होती हैं।
- इसके अलावा, बैंक को ऐसे आंकड़े रखने की आवश्यकता नहीं है।

b. **What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?**

Adequate preventive and protective measures are essential to be implemented as per physical security & fire safety policies and well defined procedures of the bank.

Routine Risk Identification: All the bank's premises are classified in various risk categories according to parameters prescribed by Indian Banking Association. Further, necessary preventive measures are implemented to mitigate the hazards/ risks as per risk categorization. Bank has team of security officers and fire officers and they conduct regular inspection at the bank's premises. Well defined checklists and formats of inspection/ audits are prescribed for regular inspection and audits for identify risk/ hazards.

Non-Routine Risk Identification: Necessary preventive measures are taken in case of any gaps observed during incident investigation, hazards identification during issuance/ planning of work permit/ hot work permit, mock drills, employee feedback etc. Bank has also put in place broad guidelines on actions that can be taken by Bank staff during theft, burglarly, dacoity, robbery etc.

c. **Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)**

Yes

d. **Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)**

Yes, all employees of the Bank are covered under the Group Insurance policy. Expenses incurred above the sum insured are covered under the corporate buffer. The Bank also has a New Group Personal Accidental (GPA) Insurance Policy.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2023-24	FY 2022-23
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	1.48^	0.00
	Workers	NA	NA
Total recordable work-related injuries	Employees	4.00*	3.00*
	Workers	NA	NA
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NA	NA
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NA	NA

^Assuming minimum of 250 working days per annum.
Work hours have been based on average consumer dealing time in a bank.
**1 Employee availed the leaves of 38 days in 2023-24. No employee availed leave in 2022-23.*

- As the Banking industry is a service industry and no work is being done on construction sites, there may be very rare incidents of fatalities or injuries that take place while working in the Bank.
- Further, the Bank is not required to maintain such data.

12. **सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।**

बैंक मानता है कि सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उसकी सफलता और विकास का अभिन्न अंग है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी प्रमुख जोखिमों में परिसर, शाखा, प्रशासनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा और एटीएम सुरक्षा, करेंसी चेस्ट और पारगमन में नकदी की सुरक्षा, परिसर की विद्युत सुरक्षा आदि शामिल हैं। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अग्नि सुरक्षा नीति, शारीरिक सुरक्षा नीति, आदि जैसी विभिन्न नीतियां बनाई हैं।

बैंक अग्नि सुरक्षा उपकरण और सीसीटीवी निगरानी स्थापित करके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करता है। बैंक की नीति दिशानिर्देशों के अनुसार अग्निशमन अधिकारियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा आयोजित करके इसे सुनिश्चित किया जाता है।

भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य नकदी हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

इसके अलावा, बैंक के पास शाखा परिवेश के संबंध में एक नीति है, जिसमें अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ शामिल हैं।

13. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः**

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य परिस्थितियां	"पीएनबी समाधान" बैंक के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए एक औपचारिक मंच है, जो सेवारत कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को कवर करता है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया है और प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण बैंक के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएटी के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।					
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

14. **वर्ष के लिए मूल्यांकनः**

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	लागू नहीं
कार्य परिस्थितियां	

15. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।**

बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को आग जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी के बारे में जानकारी देता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। बैंक के कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है कि ऐसी कोई घटना न घटे।

12. **Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.**

The bank recognizes safe and healthy workplace is integral to its success and growth. The major workplace safety related risks include fire safety at premises, Branch, administrative buildings and ATM security, security of currency chests and cash in transit, electrical safety of premises etc. To ensure safe and healthy workplace bank has formulated various policies like fire safety policy, physical security policy, etc.

The Bank takes measure to ensure safety of workplace by installation of Fire safety equipment and CCTV surveillance. The same is ensured by conducting regular audits by fire officers as per Bank's policy guidelines.

The Physical Security Policy aims to provide a safe and secure environment to all the Branches and Offices of the Bank by minimizing impact of cash loss incidents, unfortunate incidents and the natural disaster.

Further, Bank has a policy in respect of Branch Ambience, which includes the amenities to be provided for ensuring convenience to all its employees and customers.

13. **Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

Details	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	"PNB SAMADHAAN" a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, which covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization. This is well streamlined process and all grievances received are redressed by the respective authority within TAT as per provisions of Bank's guidelines.					
Health & Safety						

14. **Assessments for the year:**

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Not Applicable
Working Conditions	

15. **Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.**

The Bank regularly communicates and provides training to its employees regarding safe evacuation during instances such as fire. The Bank's offices are equipped with fire safety instrument and regular audit is done to ensure that no such incident happens.

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या इकाई (ए) कर्मचारियों (हाँ) (बी) कामगारों (हाँ) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

   हां, बैंक मृतक कर्मचारी के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करता है। मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी/आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जाती है। कर्मचारी के सेवांत लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक रूप से देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।**

   लागू नहीं

3. **ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया:**

विवरण	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कार्मिकों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्मिक/कामगार	4*	3*	शून्य	शून्य

डकैती और लूट का विरोध करते समय घायल हुए कर्मचारियों को उचित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे अब अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं।

4. **क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरन्तर रोजगार प्रदान करने और आजीविका के समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं)**

   हां, सेवानिवृत्ति के अंतिम महीने में सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े सभी कर्मचारियों को ट्रांजिशन सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण में सेवानिवृत्ति के प्रबंधन के साथ–साथ बैंक के भीतर और बैंक के बाहर मौजूद अवसरों पर भी सत्र शामिल थे।

5. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

	मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	लागू नहीं
कार्य परिस्थितियाँ	

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए अथवा वर्तमान में चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Yes) (B) Workers (Yes).**

   Yes, the Bank offers Payment of Lump sum Ex-gratia amount to the kins of the deceased employee. Compassionate Appointment is offered to the spouse/dependent of the deceased employee. Terminal benefits of the employee are settled on a priority basis.

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

   Not Applicable

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

Particulars	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/ workers that are rehabilitated or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2022-23
Employees/workers	4*	3*	Nil	Nil

Employees who got injured while resisting dacoity and robbery. They have been appropriately rewarded and have since resumed their duties.

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)**

   Yes, transition assistance training is provided to all the employees on verge of retirement in the last month of their retirement. This training included sessions on managing the retirement as well as opportunities' that exist within bank and outside bank as well.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Not Applicable
Working Conditions	

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

   Not Applicable

सिद्धांत 4: कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हितधारकों की पहचान करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। शेयरधारकों को बैंक के हितधारकों में से एक माना जाता है।

एक बैंक परस्पर जुड़े हुए विश्व में कार्य करता है और उसके हितधारकों पर उसकी गतिविधियों के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है और इसके विपरीत क्रम में। हितधारकों की पहचान बैंक द्वारा सम्बन्धों, अंतःक्रियाओं और कारोबार के प्रदर्शन, बैंक संचालन और कारोबार पर पड़ने वाले उनके मूल्य संवर्धन प्रभाव के आधार पर की गई है।

हितधारक समूहों में मुख्य रूप से शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, नियामक निकाय आदि शामिल हैं। बैंक का कार्य है हितधारकों को सहायता प्रदान करना और बैंक के संचालन और प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में हितधारकों को शामिल करना। उदाहरण के लिए, कार्मिक एक महत्वपूर्ण हितधारक समूह हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं और इस तरह बैंक के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाते हैं।

हितधारक समूहों के साथ नियमित चर्चा की जाती है ताकि उनकी अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

2. **अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ व्यवसाय की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/तिमाही/अन्य – कृपया उल्लेख करें)	कारोबार के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित कारोबार का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें	तिमाही, अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक और आवश्यकतानुसार।	लेखा परीक्षित/ऑडिटेड वित्तीय परिणामों, लाभांश की घोषणा, शेयरधारक निदेशक के चुनाव, इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयोजित आम बैठकों के दौरान शेयरधारकों के साथ चर्चा। आम बैठकों के दौरान उठाए गए प्रश्नों/चिंताओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है। शिकायतों और अनुरोधों का शीघ्रता से समाधान/उत्तर दिया जाता है। निवेशकों/विश्लेषकों आदि के साथ समय–समय पर बातचीत भी की जाती है और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शेयरधारकों के लाभ के लिए उनके संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण किए जाते हैं।
कार्मिक	नहीं	आंतरिक पत्राचार/संचार जैसे ईमेल और परिपत्र, वेबिनार, टाउनहॉल बैठकें, अंचल प्रबन्धक सम्मेलन, समाधान पोर्टल	निरंतर	कार्मिकों की अपेक्षाओं को समझना और उनका समाधान करना, साथ ही कार्मिकों को प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराना। इसके अतिरिक्त यह कार्मिकों के विभिन्न मुद्दों का उचित तरीके से समाधान करने का भी प्रयास करता है।
ग्राहक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, वेबसाइट	बार–बार/लगातार/निरंतर	बेहतर सेवाएँ और मार्केटिंग
सरकार	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	नियमित आधार पर चर्चा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जाती हैं।	बैंक का प्रदर्शन। दिशानिर्देशों का अनुपालन
विनियामक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें, ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी	नियमित आधार पर चर्चा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जाती हैं।	बैंक का प्रदर्शन। दिशानिर्देशों का अनुपालन

नेतृत्व संकेतक

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि प्रत्यायोजित किए जाते हैं, बोर्ड को ऐसे परामर्शों से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

ग्राहक बैंक के मुख्य हितधारक हैं और यह शिकायतों, नए उत्पादों और सेवाओं, ग्राहक सेवा आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है। बैंक नए दिशा–निर्देशों और नियामक आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने के लिए बैठकों, सम्मेलनों, ईमेल के माध्यम से नियामक के साथ भी जुड़ता है। ऐसी चर्चाओं के कार्यवृत तैयार किए जाते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड के साथ साझा किए जाते हैं।

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.**

There is no process to identify stakeholders. Shareholders are considered to be one of the stakeholders of the Bank.

A bank operates in an inter-connected world and it is significant to understand the impact of its activities on its stakeholders and vice versa. The stakeholders have been identified by the bank on the basis of relationships, interactions and impact they have on the business performance, bank operations and their value addition to the business.

The stakeholder groups majorly comprise of shareholders, customers, employees, regulatory bodies, etc. The Bank's role is to aid and engage with the stakeholders in areas which are relevant for operations and performance of the bank. For example, employees are a vital stakeholder group as they are first hand contact with its customers and thereby facilitating performance of bank.

Regular interactions are undertaken with the stakeholder groups to evaluate and address their expectations in an efficient manner.

2. **List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.**

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Shareholders	No	Emails, Newspapers, Letters, Notices, Website, Stock Exchange Disclosures, Webcast/Audio Calls, Investor Conferences, General Meetings	Quarterly, Half yearly, Annually and as and when required.	Engagement with shareholders during General Meetings held for seeking approval for the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Election of Shareholder Director, Raising of Equity Capital. The queries/ concern raised during the General Meetings are addressed in a time bound manner. Complaints and Requests are resolved/responded to expeditiously. Interactions with Investors/Analysts etc., are also held from time to time and requisite disclosures in respect thereof are made for the benefit of all shareholders in accordance with regulatory guidelines.
Employees	No	Internal communication like emails and circulars, webinars, townhall meetings, Zonal Managers' Conferences, SAMADHAAN Portal	Frequently	To address and learn the expectations of employees while also communicating management's expectations to employees. Additionally it also seeks to resolve various issues of employees suitably.
Customers	No	Emails, Newspapers, Letters, Website	Frequently	Better services and marketing
Government	No	Emails, Letters, Meetings	Engagement on regular basis and meeting are conducted as and when required.	Performance of the Bank. Compliance of guidelines
Regulator	No	Emails, Letters, Meetings, Offsite and Onsite monitoring	Engagement on regular basis and meeting are conducted as and when required.	Performance of the Bank. Compliance of guidelines

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

Customers are key stakeholders of bank and it actively engages with customers on various issues like grievances, complaints, new products and services, customer care etc. Bank also engages with regulator through meetings, conferences, emails to discuss regarding new guidelines and regulatory requirements. Minutes of such discussions are recorded and shared with the Board for further action.

बैंक विभिन्न प्लेटफॉर्म और संचार चैनलों के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क भी सुनिश्चित करता है। इसमें कर्मचारियों की शिकायतों और चिंताओं को दूर करना, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एकत्र करना, आंतरिक मेल और प्रसार के माध्यम से नए उत्पादों, सेवाओं और विकास के विषय में उन्हें जानकारी देना शामिल है।

आम बैठकों में शेयरधारकों के साथ कार्यसूची मदों जैसे लेखा परीक्षित/ऑडिटेड वित्तीय परिणामों की स्वीकृति, लाभांश की घोषणा, इक्विटी पूंजी जुटाना, शेयरधारक निदेशक का चुनाव आदि पर चर्चा भी की जाती है, जिसमें बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, हितधारक संपर्क समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सहित बैंक के निदेशक भी मौजूद होते हैं। शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को रिकॉर्ड में लिया जाता है। इसके अलावा, शेयरधारकों के निर्णय (मतदान परिणाम) की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है और बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे दृष्टांतों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।**

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट आदि शामिल हैं, नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व शेयरधारकों को भेजी जाती है। एजीएम में चर्चा के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा जाता है और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

3. **कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ संबद्धता के उदाहरणों का विवरण दें।**

बैंक समाज के वंचित, बैंकिंग सेवाओं से रहित और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों की मदद करता है जिससे वे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। इन वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) आदि में सक्रिय भागीदार रहा है और विशेष रूप से वंचित और सीमांत हितधारकों के लिए उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत कर रहा है।

Bank also ensures continuous engagement with its employees through various platforms and communication channels. These include addressing employee grievances and concerns, gathering employee feedback, appraising them regarding new products, services and developments through internal mails and circulations.

Interactions are also held with the shareholders on agenda items viz. approval of the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Raising of Equity Capital, Election of Shareholder Director, etc., at the General Meetings wherein the Directors of the Bank including the Chairman of Audit Committee of the Board, Stakeholders Relationship Committee and the Nomination & Remuneration Committee are also present. The feedback received from the shareholders is taken on record. Further, the decision of the shareholders (Voting Results) is intimated to the Stock Exchanges and also hosted on the website of the Bank.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

The Annual Report of the Bank inter alia containing the Financial Statements, Corporate Social Responsibility Report, etc. is sent to the shareholders at least 21 clear days before the date of Annual General Meeting (AGM) in compliance of the Regulatory Guidelines. The feedback received from the shareholders during the interactions at the AGM is taken into account and necessary action is taken, wherever required.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development. Bank has been an active participant in various Government schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Mudra Yoajna (PMMY), Stand Up India, Start Up India, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Atal Pension Yojana (APY), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) etc. and comes out with products and services specifically for disadvantaged and marginalized stakeholders.

सिद्धांत 5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

<u>आवश्यक संकेतक</u>

1. **कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	कवर किए गए कार्मिकों / कामगारों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर नही किए गए कार्मिकों / कामगारों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
	कार्मिक					
स्थायी	102349	3061	3	शून्य		
स्थायी के अलावा अन्य	0	0	0			
कुल कार्मिक	102349	3061	3			
कामगार						
स्थायी	शून्य					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कामगार						

2. **निम्नलिखित प्रारूप में कार्मिकों और कामगारों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण:**

   कार्मिकों को द्विपक्षीय समझौते/संयुक्त नोट के अनुसार भुगतान किया जाता है तथा बैंक में ऐसा कोई न्यूनतम वेतन नहीं है।

3. **पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण, अगले प्रारूप में:**

   ए. औसत पारिश्रमिक /मजदूरी

	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / मजदूरी वेतन	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / मजदूरी वेतन
निदेशक मण्डल (बी ओ डी)*	6	रु. 35000.00	1	रु. 35000.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक#	6	रु. 290540.00^	1	रु. 181117.45^
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	77358	रु. 67678.90^	24989	रु. 63049.70
कामगार	लागू नही			

वर्ष 2023–24 के दौरान गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क के आधार पर

^मार्च 2024 तक बेसिक और डीए पर आधारित

 # केएमपी – क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; ख) कार्यपालक निदेशक; ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी; और घ) कंपनी सचिव

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

<u>**ESSENTIAL INDICATORS**</u>

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Total (A)	No. of employees / workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. Employees/ workers covered (D)	% (D/C)
	Employees					
Permanent	102349	3061	3	NIL		
Other than permanent	0	0	0			
Total Employees	102349	3061	3			
Workers						
Permanent	NIL					
Other than permanent						
Total Workers						

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:**

   Employees are paid in line with Bipartite Settlement/Joint Note and there are no such minimum wages in Bank.

3. **Details of remuneration / salary / wages, in the following format:**

   a. Median remuneration/wages

	Male		Female	
	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD)*	6	Rs. 35000.00	1	Rs. 35000.00
Key Managerial Personnel#	6	Rs. 290540.00^	1	Rs. 181117.45^
Employees other than BoD and KMP	77358	Rs. 67678.90^	24989	Rs. 63049.70
Workers	NA			

**based on the Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2023-24*

^based on Basic and DA as on March'24

 # KMP – a) the Managing Director & Chief Executive Officer; b) Executive Directors(s); c) Chief Financial Officer; and d) Company Secretary

बी. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा महिलाओं को दिए गए कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में सकल वेतनः

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	22.28%	21.85%

4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा मानवाधिकारों को प्रभावित करने या इसके कारण उत्पन्न या इससे जनित मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई केन्द्रित बिन्दु (व्यक्तिगत/समिति) (हां/नहीं) – मानव संसाधन विकास

हां, ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए प्रधान कार्यालय –मानव संसाधन विकास (प्र.का.–मा.सं.वि.) (आरक्षण सेल) में एक सेल है।

5. मानवाधिकार मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें – मानव संसाधन विकास

कार्मिकों के लिए,

बैंक के पास कार्मिकों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल 'समाधान' है, जहां मानवाधिकार संबंधी शिकायतों सहित सभी शिकायतें की जा सकती हैं।

6. कार्मिको/कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतें:

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	29	7	POSH अधिनियम 2013 के अनुसार आईसीसी जांच समय सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन है	16	03	समाधान के बाद से
कार्यस्थल पर भेदभाव (विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राप्त)	50 (2023 – कैलेंडर वर्ष*)	0	-	27 (2022 – कैलेंडर वर्ष*)	0	-
बाल श्रम	लागू नही					
बलपूर्वक श्रम /अनैच्छिक श्रम	लागू नही					
वेतन	लागू नही					
अन्य मानव अधिकार संबंधित मामले	लागू नही					

** CY= कैलेंडर वर्ष*

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	29	16
POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों की शिकायतों का प्रतिशत	0.12%	0.06%
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	10	7

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

	FY 2023-24	FY 2022-23
Gross Wages paid to females as % of total wages	22.28%	21.85%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes, Cell at Head Office – Human Resource Development (HO-HRD) (Reservation Cell) deals with such complaints.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

For Employees

The Bank has an online grievance redressal portal "Samadhaan" for employees where all complaints including Human rights related complaints may be made.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	29	7	ICC Enquiry in under process within time line as per POSH Act 2013	16	03	Since Resolved
Discrimination at workplace (Received through various Commissions)	50 (2023 –CY*)	0	-	27 (2022 –CY*)	0	-
Child Labour	NA					
Forced Labour/ Involuntary Labour	NA					
Wages	NA					
Other human Rights related issues	NA					

**CY= Calendar Year*

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	29	16
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.12%	0.06%
Complaints on POSH upheld	10	7

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों से बचाव के लिए तंत्र।**

- पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक/ईडब्ल्यूएस कार्मिकों के हितों की रक्षा करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणाम से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- बैंक के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए 'पीएनबी समाधान' एक औपचारिक मंच उपलब्ध है और सभी कर्मचारियों को एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एचआरएमएस में कार्यक्षमता प्रदान की गई है। पीएनबी समाधान में सेवारत कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है, जो उनके कार्य को प्रभावित करती है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महाप्रबंधक के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसके अतिरिक्त, मंडल कार्यालय के साथ–साथ अंचल कार्यालय स्तर पर भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रत्येक मण्डल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में एक आरक्षण प्रकोष्ठ/सेल स्थापित किया गया है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए बैंक की अपनी आंतरिक नीति है। सभी प्रशासनिक कार्यालयों अर्थात मण्डल कार्याय, अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है और उक्त आईसीसी की संरचना पूर्ण रूप से POSH अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक/कारोबारी समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

हां, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक के व्यावसायिक समझौते और अनुबंध ऐसे हितधारकों के साथ हों जो मानवाधिकारों का अनुपालन करते हों।

10. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा या तृतीय पक्ष)
बाल श्रम	लागू नहीं
जबरन/अनैच्छिक श्रम	लागू नहीं
यौन उत्पीड़न	ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है
कार्यस्थल पर भेदभाव	ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है
वेतन	लागू नहीं
अन्य, कृपया उल्लेख करें	लागू नहीं

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

लागू नहीं

8. **Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

- Bank has undertaken following steps to safeguard interest of SC/ST/OBC/PwBD/Ex-SERVICEMEN/EWS employees and prevent adverse consequence to the complainant in discrimination and harassment:
- "PNB SAMADHAAN", a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank is available and a functionality has been provided in HRMS or all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members which have a bearing on their work. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is clear cut case of injustice or victimization.
- The Chief Liaison Officer for SC/ST and OBC has been appointed in the rank of General Manager to safeguard the interest of employees belonging to SC/ST, OBC, Ex-Servicemen, EWS and PwBD at Head Office level. Further, Liaison Officer have also been appointed at Circle Office as well as Zonal Office level.
- A reservation cell has been set up at every Circle Office/ Zonal Office/ Head Officer to look into the grievances of SC/ST and OBC employees.
- Bank has its Internal policy for handling the Sexual Harassment Complaints in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013. The Internal Complaint Committees (ICCs) have been constituted at all administrative offices i.e. Circle Office, Zonal Office and Head Office level and compositions of the said ICCs are strictly in terms of the provision of the POSH Act 2013.

9. **Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)**

Yes, we ensure that the Bank's business agreement and contracts are with stakeholders who comply with human rights.

10. **Assessments for the year:**

Category	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Not Applicable
Forced/involuntary labour	Not Applicable
Sexual harassment	No such assessment is being done
Discrimination at workplace	No such assessment is being done
Wages	Not Applicable
Others – please specify	Not Applicable

11. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.**

Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. **मानव अधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

नहीं। हालाँकि, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी लेन–देन में उसकी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ मौलिक मानवाधिकारों का सख्ती से पालन करें, जैसा कि मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है। यह प्रतिबद्धता इसके संचालन के हर पहलू में दिखाई देती है, जो नैतिक और जिम्मेदार आचरण के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्मिकों को नैतिक व्यवहार, मानवाधिकारों के सम्मान और अपने सभी व्यावसायिक लेन–देन में ईमानदारी बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण।**

बैंक ने सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कोई भेदभाव न करने की नीति लागू की है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी गतिविधियाँ और निर्णय समुचित सावधानी के साथ किया जाता है।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताके अनुसार के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

बैंक लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएँ दिव्यांग आगंतुकों के लिए बिना किसी असुविधा के सुलभ हों। बैंक के कुल 12131 एटीएम में 11249 एटीएम (अर्थात 92.73% एटीएम) और बैंक की कुल 10136 शाखाओं में से 8355 शाखाओं (अर्थात 82.43% शाखाएँ) में रैंप की सुविधा है। शेष शाखाओं (17.57%) और एटीएम (7.27%)जहाँ आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं के लिए रैंप की सुविधा प्रदान करना अव्यवहारिक है।

बैंक विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के बैंकर गाइड का संदर्भ लेता है। बैंक बिना किसी भेदभाव के दृष्टिबाधित सहित दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. **श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन विवरण:**

विवरण	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	
अन्य, कृपया उल्लेख करें	

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

लागू नहीं

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.**

No. However, the Bank ensures that its business processes strictly adhere to fundamental human rights in all its transactions, as articulated in Human Rights Statement. This commitment is reflected in every aspect of its operations, underscoring the Bank's dedication to ethical and responsible conduct. Additionally, the bank conducts various awareness and training programmes designed to sensitize its employees regarding ethical behaviour, respect for human rights and the importance of maintaining integrity in all its business dealings.

2. **Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.**

The Bank has put in place no discrimination policy underscoring its commitment to fair and equitable treatment for all stakeholders. It ensures that all activities and decisions are conducted with due diligence.

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

The Bank is continuously making efforts that all its offices/branches are accessible without any inconvenience to differently abled visitors. Bank's 11249 ATMs out of total 12131 ATMs (i.e. 92.73% ATMs) and Bank's 8355 branches out of total 10136 branches (i.e. 82.43% Branches) have ramp facilities. For, the remaining branches (17.57%) and ATMs (7.27%) it is impractical to provide ramp facility, where notice have been displayed in compliance of RBI guidelines.

The Bank refers the Reserve Banks of India and IBA's Banker's guide for customers with special needs. Bank is committed to offer all its banking services and products to customers with disabilities including visually impaired without discrimination.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

Category	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	NA
Discrimination at workplace	
Child Labour	
Forced Labour/Involuntary Labour	
Wages	
Others – please specify	

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

Not Applicable

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखने वाले तथा इसका संरक्षण करने और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

मापदंड	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत उपभोग (ए)	1,126 गीगा जूल	1,065 गीगा जूल
कुल ईंधन उपभोग (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	1,126 गीगा जूल	1,065 गीगा जूल
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (डी)	9,90,950 गीगा जूल	10,50,133 गीगा जूल
कुल ईंधन उपभोग (ई)	2,32,086 गीगा जूल	2,26,148 गीगा जूल
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग (एफ)	लागू नही	लागू नही
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	12,23,036 गीगा जूल	12,76,281 गीगा जूल
कुल ऊर्जा उपभोग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	12,24,162 गीगा जूल	12,77,346 गीगा जूल
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा उपभोग / परिचालन से राजस्व)	1.02	1.31
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	लागू नही	लागू नही
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	लागू नही	लागू नही
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? – नहीं

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

   हमारा बैंक डीसी के रूप में चिह्नित नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	1,126 Giga Joule	1,065 Giga Joule
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	1,126 Giga Joule	1,065 Giga Joule
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	9,90,950 Giga Joule	10,50,133 Giga Joule
Total fuel consumption (E)	2,32,086 Giga Joule	2,26,148 Giga Joule
Energy consumption through other sources (F)	NA	NA
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	12,23,036 Giga Joule	12,76,281 Giga Joule
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	12,24,162 Giga Joule	12,77,346 Giga Joule
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	1.02	1.31
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP)	NA	NA
Energy intensity in terms of physical output	NA	NA
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? – No

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

   Our Bank is not identified as DC, hence the same is not applicable.

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) भू–पृष्ठ जल	3,68,461	3,18,562
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	11,28,752	9,55,687
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
जल निकासी का कुल आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	14,97,213	12,74,249
जल उपभोग का कुल आयतन (किलोलीटर में)	14,97,213	12,74,249
जल की गहनता प्रति रुपए टर्नओवर (कुल जल उपभोग / परिचालन से राजस्व)	1.24	1.31
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल की गहनता (कुल जल उपभोग / परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित)	लागू नहीं	लागू नहीं
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल की गहनता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल की गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का इकाई द्वारा चयन किया जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) – नहीं

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
गंतव्य और जल–शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) भू–पृष्ठ जल	बैंक औद्योगिक अपशिष्ट जल जनरेट नहीं करता है। हालाँकि, उत्पादित सीवेज के लिए, बैंक ने हमारे कुछ बड़े कार्यालय परिसरों में सीवेज जल–शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करके सक्रिय कदम उठाए हैं। बैंक के अधिकांश कार्यालय देश भर में फैली शाखाएँ हैं, जहाँ सीवेज को स्थानीय दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्सरित किया जाता है, यानी नगरपालिका या अन्य निकायों को निस्सरित किया जाता है, जहाँ उनके द्वारा उपयुक्त जल–शोधन किया जाता है। इसलिए, इसे बैंक की रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया गया है।	
– कोई जल–शोधन नहीं		
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
कोई जल–शोधन नहीं		
–जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल		
– कोई जल–शोधन नहीं		
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) थर्ड पार्टी वाटर		
– कोई जल–शोधन नहीं		
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई जल–शोधन नहीं		
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करे		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

नोट: प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) – नहीं

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	3,68,461	3,18,562
(ii) Groundwater	NA	NA
(iii) Third party water	11,28,752	9,55,687
(iv) Seawater / desalinated water	NA	NA
(v) Others	NA	NA
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	14,97,213	12,74,249
Total volume of water consumption (in kilolitres)	14,97,213	12,74,249
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption / Revenue from operations)	1.24	1.31
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP)	NA	NA
Water intensity in terms of physical output	NA	NA
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

4. **Provide the following details related to water discharged:**

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	The Bank does not generate industrial wastewater. However, for the sewage that is produced, Bank have taken proactive steps by installing sewage treatment plants (STP) at some of our larger office premises. The majority of offices of Bank are branches spread nationwide, wherein the sewage is discharged as per local guidelines i.e. discharge is made to municipality or other bodies as applicable, wherein suitable treatment is done by them. Hence, it is not included in Bank's reporting.	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) To Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) To Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

5. **क्या इकाई ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

बैंक के प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, मुंबई के बीकेसी पीएनबी प्रगति टावर्स और गुरुग्राम में पीएनबी बिल्डिंग जैसी अन्य प्रमुख भवनों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इस प्रकार, इन इमारतों में बागवानी और शौचालय फ्लश के लिए एसटीपी से शोधित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है।

6. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

हमारे बैंक के कारोबार की प्रकृति वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित वायु प्रदूषक नहीं है, इसलिए यह वायु प्रदुषण में योगदान नहीं देता है। हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों ने इनडोर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए अपने कार्यालय परिसर में इनडोर पौधे लगाए हैं।

पैरामीटर	*कृपया इकाई निर्दिष्ट करें*	*वित्त वर्ष 2023-24*	*वित्त वर्ष 2022-23*
एनओएक्स	लागू नहीं		
एसोएक्स			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
संकटजनक वायु प्रदूषक (HAP)			
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें			

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – लागू नहीं

7. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	*इकाई*	*वित्त वर्ष 2023–24*	*वित्त वर्ष 2022–23*
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	*मीट्रिक टन CO2 के समकक्ष*	8,494	7,866
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	*मीट्रिक टन CO2 समकक्ष*	1,97,089	2,08,860
प्रति रुपया टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	-	1.71	2.23
प्रति रुपया टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता समायोजित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.**

The Bank's Head Office is installed with a zero liquid discharge Sewage Treatment Plant. Further, in other major buildings like PNB Pragati Towers BKC, Mumbai and PNB Building at Gurugram, Sewage Treatment Plants have been installed. As such, the STP treated water is reused towards horticulture and toilet flush in these buildings.

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:**

The nature of business of our Bank does not amount to air pollutants as defined in the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981, as such not contributing to air pollution. The Head Office and administrative offices of our Bank has placed indoor plants in their office premises to keep a check on the indoor air pollution.

Parameter	*Please specify unit*	*FY 2023-24*	*FY 2022-23*
NOx	NOT APPLICABLE		
SOx			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others –please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - NA

7. **Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:**

Parameter	*Unit*	*FY 2023-24*	*FY 2022-23*
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	*Metric tonnes of CO_2 equivalent*	8,494	7,866
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	*Metric tonnes of CO_2 equivalent*	1,97,089	2,08,860
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)	-	1.71	2.23
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted	NA	NA	NA

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/ परिचालन से राजस्व समायोजित किया गया पीपीपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

8. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

बैंक ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

ए) चल रहे वृक्षारोपण अभियान पीएनबी पलाश में लगभग 1.10 लाख पौधे लगाए गए।

बी) इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना।

सी) प्रशासनिक कार्यालयों, बैक ऑफिसों और शाखाओं में ऊर्जा कुशल फाइव स्टार एसी और विद्युत उपकरणों की स्थापना।

डी) बैंक ने पहले ही मौजूदा भवनों में 612 किलोवाट पावर की रूफ टॉप सौर प्रणाली स्थापित कर ली है तथा बैंक के अन्य भवनों में 603 किलोवाट पावर की सौर प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है।

ई) द्वारका, नई दिल्ली में स्थित पीएनबी प्रधान कार्यालय भवन एक फाइव स्टार जीआरआईएचए रेटेड भवन है। निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं में बैंक ग्रीन बिल्डिंग की योजना बना रहा है।

एफ) प्रशासनिक भवनों में ओक्युपेंसी सेंसर लाइटों का इंस्टालेशन।

जी) प्रधान कार्यालय भवन में सौर हीटर का उपयोग।

एच) पेट्रोल या डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल से आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय में साइकिलिंग स्टैण्ड का निर्माण, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन हाउस गैस के साथ–साथ पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी।

आइ) कर्मचारियों के दैनिक आवागमन हेतु कारपूल सेवाओं के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

जे) बैंक परिसर में एलईडी लाइट फिक्स्चर का उपयोग किया जा रहा है जो सर्वाधिक ऊर्जा कुशल फिक्स्चर हैं।

के) टाइमर सुविधा के साथ एलईडी ग्लो साइन बोर्ड का इंस्टालेशन, जो दिन के उजाले में स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे।

एल) हमारे प्रधान कार्यालय भवन में गैस आधारित जेन–सेटों का उपयोग।

एम) कागज के नैपकिन की खपत को कम करने के लिए शौचालयों में हैंड ड्रायर की स्थापना।

एन) प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण के लिए अभियान।

Parameter	Unit	FY 2023-24	FY 2022-23
for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP)	NA	NA	NA
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	NA	NA	NA
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

8. **Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.**

Bank has adopted following measures to reduce the GHG emission:

a) Planting of approximately 1.10 lakh plants in the ongoing tree plantation drive PNB PALAASH.

b) Installation of EV charging stations to encourage the use of EVs.

c) Installation of energy efficient five star ACs and electrical equipment in administrative offices, back offices and branches.

d) Bank has already installed 612 KWp of Roof top solar System in the existing buildings and planning to install 603 KWp solar systems in other Bank's buildings.

e) PNB Head Office building situated at Dwarka, New Delhi is a five star GRIHA rated building. The Bank is planning for GREEN buildings in ongoing building construction projects.

f) Installation of occupancy sensor lights in administrative buildings.

g) Use of Solar heaters in Head Office Building.

h) Construction of Cycling stand in the Head Office to encourage commute by cycles in place of petrol or diesel vehicles resulting in decrease of Green House Gas as well as carbon footprint in the environment.

i) Emphasis is being given to use carpool services by daily commuters of employees.

j) LED light fixtures which are most energy efficient fixtures are being used in Bank's premises.

k) Installation of LED glow sign boards with timer facility which automatically switches off at daylight.

l) Use of Gas based Gen-sets in our Head Office building.

m) Installation of hand dryers in washrooms to reduce consumption of paper napkins.

n) Drive for recycling of plastic waste.

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	हमारे कार्यालय परिसर से उत्पन्न प्लास्टिक कचरा न्यूनतम है क्योंकि हमारे कार्यालय परिसर में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग सहित अधिकांश प्लास्टिक प्रकृति में बायोडिग्रेडेबल हैं। मीट्रिक टन के संदर्भ में उत्पन्न मात्रा नगण्य है, इसलिए यह हमारी गतिविधियों के लिए प्रासंगिक नहीं है।	
ई–कचरा (बी)	हार्डवेयर को बायबैक ऑप्शन के माध्यम से निपटाया गया, जिसकी कीमत रु. 93,18,160 थी। इसके अलावा 10 टन ई–कचरा जैसे सर्वर, मॉनिटर, सीपीयू/ऑल इन वन और प्रिंटर को ई–कचरा स्क्रैप डीलर द्वारा निपटाया गया (राशि रु. 10,33,798)	हार्डवेयर का निपटान रु. 51,95,870 की राशि के बायबैक विकल्प द्वारा किया गया।
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	हमारी सेवाओं में किसी भी तरह के बायो–मेडिकल कचरे का उत्पादन या निपटान शामिल नहीं है। इसलिए यह हमारे उद्योग में लागू नहीं है।	
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)	हम किसी भी तरह के निर्माण मलबे या विध्वंस अपशिष्ट का उत्पादन या निपटान नहीं करते हैं। इसलिए यह लागू नहीं है।	
बैटरी अपशिष्ट (ई)	बैटरी अपशिष्ट का अधिकांश भाग पुनर्चक्रित किया जाता है।	
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	हमारी सेवाओं में किसी भी तरह का रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करना शामिल नहीं है। इसलिए यह हमारे उद्योग में लागू नहीं है।	
अन्य संकटजनक अपशिष्ट, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें। (जी)	हमारी सेवाओं में किसी भी तरह के संकटजनक कचरे का उत्पादन या निपटान शामिल नहीं है। इसलिए यह हमारे उद्योग में लागू नहीं है।	
अन्य गैर– संकटजनक अपशिष्ट जनरेट किए गए (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। संरचना के अनुसार ब्रेक–अप (अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार)	हमारी सेवाओं में किसी भी तरह के बायो–मेडिकल कचरे का उत्पादन या निपटान शामिल नहीं है। इसलिए यह हमारे उद्योग में लागू नहीं है।	
कुल (एबी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रति रुपया टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	लागू नहीं	लागू नहीं
शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर की अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	लागू नहीं	लागू नहीं
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं

9. **Provide details related to waste management by the entity, in the following format:**

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste *(A)*	Plastic waste generated from our office premises are minimal as the majority of the plastics used in our office premises including plastic bags are biodegradable in nature. The amount generated is negligible in terms of metric tonnes, hence it isn't relevant to our activities.	
E-waste *(B)*	Hardware disposed off by buy back option amounting Rs.93,18,160. Also 10 tonnes of e-waste like servers, monitor, CPU/ All in one & Printer were disposed off by e-waste scrap dealer (Amount Rs.10,33,798)	Hardware disposed off by buy back option amounting Rs.51,95,870.
Bio-medical waste *(C)*	Our services do not involve producing or disposing of Bio- medical waste of any kind. Hence this is not applicable in our industry.	
Construction and demolition waste *(D)*	We do not produce or dispose of any kind of construction debris or demolition waste. Hence it is not applicable.	
Battery waste (E)	Majority of Battery waste is recycled	
Radioactive waste *(F)*	Our services do not involve producing of radioactive waste of any kind. Hence this is not applicable in our industry.	
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	Our services do not involve producing or disposing hazardous waste of any kind. Hence this is not applicable in our industry.	
Other Non-hazardous waste generated *(H)*. Please specify, if any. Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	Our services do not involve producing or disposing of Bio- medical waste of any kind. Hence this is not applicable in our industry.	
Total (A+B + C + D + E + F + G+ H)	NA	NA
Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated / Revenue from operations)	NA	NA
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP)	NA	NA
Waste intensity in terms of physical output	NA	NA

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक)– इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित		
(ii) पुनः उपयोग		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	हमारे यहां अपशिष्ट उत्पादन न्यूनतम है, जिसके परिणामस्वरूप भस्मीकरण या लैंडफिलिंग गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है।	
(ii) लैंडफिलिंग		
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

एक बैंक के रूप में हमारा मिशन अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और जितना संभव हो सके रीसाइकिल करना है। हमारे कचरे में मुख्य रूप से भोजन, अपशिष्ट, कागज और ई–कचरा शामिल है।

प्लास्टिक कचरे में कमी: हमने प्लास्टिक दस्तावेज फोल्डरों की खरीद बंद कर दी है और अपने स्टाफ सदस्यों को अपने कार्यालयों में कांच की बोतलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों की संख्या कम हो सके। हमारी सभी सुविधाएँ सूखे और गीले अपशिष्ट को एकत्रित करने और निपटाने के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा बैग का उपयोग करती हैं।

कागज और छपाई का उपयोग कम करना: हमने कागज की जरूरत को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए सुदृढ़ उपाय लागू किए हैं। कार्यालयों में कागज के इस्तेमाल को और कम करना एक सतत गतिविधि है।

ई–कचरा प्रबंधन: हमारे ई–कचरे में मोटे तौर पर कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, यूपीएस, बैटरी आदि शामिल हैं। ऐसे सभी ई–कचरे का निपटान पंजीकृत ई–कचरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है।

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	NA	
(ii) Re-used		
(iii) Other recovery operations		
Total		
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	Our waste generation is minimal and consequently there is no requirement of incineration or landfilling activities.	
(ii) Landfilling		
(iii) Other disposal operations		
Total	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

As a Bank our mission is to reduce waste production and recycle as much as possible. Our waste primarily comprises of food, waste, paper and e-waste.

Reduction of plastic waste: We have stopped procurement of plastic document folders and encourage our employees to use glass bottles at our offices to reduce the number of plastic bottles being discarded after use. All our facilities use 100% biodegradable plastic garbage bags to collect and dispose of dry and wet waste.

Reducing paper and printing consumption: We have implemented strong measures for digitising processes to reduce the need for paper. Further minimising the usage of paper across offices is an ongoing activity.

E-waste management: Our E-waste broadly includes computers, servers, scanners, UPSs, batteries, etc. All such E-wastes are being disposed off through registered E-waste vendors.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

बैंक की पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा यदि कोई उपचारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दीजिए।
ykxw ugha			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं।

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

बैंक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निस्सरण (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम – लागू नहीं

(ii) परिचालन की प्रकृति – लागू नहीं

(iii) जल निकासी, उपभोग और निस्सरण निम्नलिखित प्रारूप में:

बैंक में पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग तक ही सीमित है। चूंकि हम विनिर्माण संगठन नहीं हैं, इसलिए निर्धारित तालिका बैंक पर लागू नहीं होती। हालांकि, हम निम्नलिखित उपायों का पालन कर रहे हैं। कार्यालय में, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि पानी का कम से कम उपयोग किया जाए। पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के शौचालयों में सेंसर नल लगाए गए हैं। कार्यालयों और शाखाओं से निकलने वाले घरेलू कचरे (सीवेज) को बिना शोधन के जलीय निकायों में जाने की अनुमति नहीं है।

The Bank does not have branches/offices inside the ecologically sensitive areas. Accordingly, the same is not applicable to Bank.

S. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
Not Applicable			

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not Applicable.

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

The Bank is complying with applicable statutory guidelines.

LEADERSHIP INDICATORS

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) Name of the area - NA

(ii) Nature of operations - NA

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:

The Bank use of water is strictly limited to human consumption. As we are not a manufacturing organization, the prescribed table does not apply to the Bank. However, we are adhering to following measures. In the office, efforts have been made to ensure that water is used sparingly. Sensor taps are put in office washrooms in a variety of offices to reduce water consumption. Domestic trash (sewage) from offices and branches is not allowed to enter aquatic bodies without treatment.

i]jkehVj	foÙk o"kZ 2023&24	foÙk o"kZ 2022&23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल	बैंक ने भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल (भू–पृष्ठ जल)के प्रवाह को रोकने के लिए अपने स्वामित्व वाली अधिकांश इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित की है। वर्षा जल (सतह जल) के अधिकतम संचयन/संग्रहण के लिए सभी आगामीधनिर्माणाधीन इमारतों में बड़े पैमाने पर योजना बनाई गई है। स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण से पानी का कनेक्शन प्राप्त करके पानी की आवश्यकता पूरी की जाती है। हालाँकि, गर्मियों के चरम महीनों के दौरान, आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उसी स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण से संपर्क किया जाता है।	
(ii) भूजल		
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	लागू नहीं	
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता (जल उपभोग/कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में	लागू नहीं	
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) थर्ड पार्टी वाटर में		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल जलस्राव (किलोलीटर में)		

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

Parameter	FY 2023-24	FY 2022-23
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	Bank has installed Rain Water Harvesting (RWH) system is majority of its owned buildings to arrest the rain water (surface water) run-off for future usage. All upcoming /under-construction buildings have been extensively planned for maximum consolidation/ collection of rain water (surface water) run-off. Water requirement is fulfilled upon obtaining water connection from the local statutory authority. However, during peak summer months, as per requirement, the same local statutory authority is approached for extra supply.	
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water	Not Applicable	
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)		
Total volume of water consumption (in kilolitres)		
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
Water intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity		
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water	Not Applicable	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Into Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Into Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	**वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
श्रेणी 1–खरीदी गई वस्तु और सेवाएं	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन	525.00	-
श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में शामिल नहीं)		8,175	8,360
श्रेणी 5–परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट (कागज अपशिष्ट और ई–कचरा) के		83	-
श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा		11,336	8,191
श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन		81,787	-
श्रेणी 15– निवेश (वित्तपोषित उत्सर्जन)		100,538,098	96,090,123
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन* **	$MtCO_2e$	100,640,004	96,106,674
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन*	$MtCO_2e$ / रुपया लाख	8.37	9.88

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – ***नहीं***

****श्रेणी 1 (खरीदी गई वस्तु और सेवाएं), श्रेणी 3 (ईंधन और ऊर्जा संबंधी गतिविधियां, श्रेणी 5 (परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट), श्रेणी 6 (व्यावसायिक यात्रा), श्रेणी 7 (कर्मचारी आवागमन) और श्रेणी 15 (निवेश) के लिए*

***स्कोप 3 उत्सर्जन शामिल हैं "श्रेणी 1– खरीदी गई वस्तु और सेवाएं (525 MtCO2e), श्रेणी 5– परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट– कागज (82.68 MtCO2e) और श्रेणी 7– कर्मचारी आवागमन (81,787.19 MtCO2e) के लिए स्कोप 3 उत्सर्जन की गणना केवल *वित्त वर्ष 24 के लिए की गई है'वर्ष के लिए कुल आय को डिनोमिनेटर में माना गया है*

3. **उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण प्रदान करें।**

बैंक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने का काम करता है और इस प्रकार जैव विविधता पर हमारा कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। हालाँकि, नए बैंक भवनों के निर्माण से पहले, जैव विविधता पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण जैसे पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण, वन विभाग, खनन आदि से सभी अनुमतियाँ/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं।

4. **यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ–साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:**

2. **Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	**FY 2023-24	FY 2022-23
Category 1- Purchased Goods and Services	Metric tonnes of CO_2 equivalent	525.00	-
Category 3: Fuel and Energy Related activities (not included in scope 1 and scope 2)		8,175	8,360
Category 5 – Waste generated in operations (Paper Waste and E-Waste)		83	-
Category 6 – Business Travel		11,336	8,191
Category 7: Employee Commuting		81,787	-
Category 15- Investments (Financed Emissions)		100,538,098	96,090,123
Total Scope 3 emissions* **	$MtCO_2e$	100,640,004	96,106,674
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover*	$MtCO_2e$ / INR Lakh	8.37	9.88

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? : ***No***

****Includes Scope 3 emissions for category 1 (Purchased goods and services), category 3 (Fuel and energy related activities, category 5 (waste generated in operations), category 6 (business travel), category 7 (employee commuting) and category 15 (investments)*

***Scope 3 emissions for category 1- Purchased Goods & Services (525 $MtCO_2e$), category 5- waste generated in operations- paper (82.68 $MtCO_2e$) and category 7- employee commuting (81,787.19 $MtCO_2e$) has been computed only for FY24*

**Total Income for the year has been considered in the denominator*

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

The Bank deals in providing financial services and as such we do not have direct impacts on biodiversity. However, prior to undertaking construction of new Bank buildings, all permissions / no-objection certificates from the relevant local statutory authority are obtained viz. Environmental Assessment Authority, Forest Department, mining etc. to mitigate any adverse impact on bio-diversity.

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:**

की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब–लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
ए)	नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए बैंक के अपने भवनों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना तथा बैंक के स्वामित्व वाले मौजूदा भवनों और बैंक के बनने वाले भवनों के लिए भी इसकी योजना बनाई गई है।	
बी)	बीईई स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद। बैंक परिसर में 3 या अधिक स्टार रेटेड एसी का उपयोग किया जा रहा है जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं।	
सी)	बैंक परिसर में एलईडी लाइट फिक्स्चर का उपयोग किया जा रहा है जो सर्वाधिक ऊर्जा कुशल फिक्स्चर हैं।	
डी)	बैंक के अपने प्रशासनिक भवनों में ऑक्यूपेंसी सेंसर की स्थापना।	
ई)	भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बैंक परिसर में एसी का परिचालन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बनाए रखने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।	
एफ)	इसके अलावा, टाइमर सुविधा के साथ एलईडी ग्लो साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो दिन के उजाले में स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं।	
जी)	बैंक ने प्रधान कार्यालय भवन में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है।	
एच)	हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने अभियान पलाश के तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं ।	
आइ)	बैंक किसी भी प्रकार की खराबी को रोकने के लिए हर दो साल में बैंक शाखाओं/परिसरों का विद्युत लेखा परीक्षा और अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करता है।	

Initiative undertaken	Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)*	Outcome of the initiative
a)	Installation of roof top solar energy plants on Bank's own buildings for utilising renewable energy and the same has been planned for existing Bank owned buildings and for Bank's upcoming buildings also.	
b)	Procurement of BEE star-rated energy efficient electrical & electronic equipment's. 3 or more star rated AC's are being used in bank's premise which consume less energy.	
c)	LED light fixtures which are most energy efficient fixtures are being used in Bank's premises.	
d)	Installation of occupancy sensors in Bank's own administrative buildings.	
e)	Guidelines have been issued for maintaining the operational temperature of AC's across Bank's premises at 24° C or more in line with the Government of India guidelines.	
f)	Further LED glow sign boards are being installed with timer facility which automatically switches off at daylight.	
g)	Bank has set up Electric Vehicle (EV) charging station in the head office building.	
h)	Bank has planted more than 1 lacs plants under its drive name Palaash to help to increase the oxygen in air.	
i)	Bank conduct Electrical audit & fire Safety audit of Bank Branches /premises in every two years to prevent any kind of faults.	

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

कारोबार निरंतरता योजना

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना के लिए नीति बनाई है, जो आईटी, गैर–आईटी और मानव संसाधन से संबंधित पहलुओं सहित बैंक के सभी व्यावसायिक संचालन को कवर करती है। यह नियामक दिशानिर्देशों के साथ संरेखित एक प्रभावी बीसीपी की स्थापना, देखरेख और कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, आपदा रिकवरी योजना, महामारी प्रतिक्रिया के साथ–साथ परीक्षण, प्रशिक्षण, बैकअप, वैकल्पिक साइट, रिकवरी व्यवस्था का प्रावधान शामिल है जो बैंक को आपदा से निपटने और उबरने में सक्षम बनाता है और संचालन की विश्वसनीयता और निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसकी प्रभावशीलता के लिए समय–समय पर समीक्षा और ऑडिट भी किए जाते हैं।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

लागू नहीं

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Business Continuity Plan

Bank has in place Board approved Policy for Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan which covers all the business operations of the Bank including IT, Non-IT and HR related aspects. It outlines well defined governance structure to establish, oversee and implement an effective BCP aligned with the regulatory guidelines. It incorporates emergency response plan, disaster recovery plan, pandemic response along with the provision of testing, training, backup, alternate site, recovery arrangements which together enable bank to respond and recover from disaster and ensure reliability and seamless continuity of operations. It also undergoes periodic reviews and audits for its effectiveness.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

Not Applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Not Applicable

सिद्धांत 7 ऐसे कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते को कारोबार जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

1. क) व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या।

व्यापार और उद्योग मंडलों/संघो के साथ आठ (7) संबद्धताएं हैं

ख) उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर (आईसीसी)	राष्ट्रीय
2	एसोचैम	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
4	दिल्ली उत्पादकता परिषद	राज्य
5	सार्वजनिक उद्यम स्थायी परिषद (SCOPE)	राष्ट्रीय
6	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
7	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले के संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्र. सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	इस तरह के समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक/अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1	केवाईसी–एएमएल नीति	बैंक बैंकिंग उद्योग के विनियमन द्वारा शासित होता है, और बैंक की आंतरिक नीति भी उसी से संचालित होती है।	हाँ	हर वर्ष और जब भी आवश्यक हो	www.pnbindia.in
2	शिकायत निवारण नीति				
3	ग्राहक मुआवजा नीति				
4	बैंक जमा पर मॉडल नीति				
5	चेक संग्रहण नीति				
6	बैंक के लिए व्हिसिल ब्लोअर नीति				
7	ग्राहक अधिकार नीति				
8	सोशल मिडिया नीति				

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

1. a) **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

There are Seven (7) affiliations with trade and industry chambers/ associations

b) **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.**

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	International Chamber of Commerce (ICC)	National
2	ASSOCHAM	National
3	Confederation of Indian Industry	National
4	Delhi Productivity Council	State
5	Standing Council of Public Enterprises (SCOPE)	National
6	PHD Chamber of Commerce	National
7	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)	National

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
NIL		

LEADERSHIP INDICATORS

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated (Policies available in public domain)	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1	KYC-AML Policy	Bank is governed by the regulation of banking industry, and Bank's internal policy is governed by the same.	Yes	Annually & as and when requried	www.pnbindia.in
2	Grievance Redressal Policy				
3	Customer Compensation Policy				
4	Model policy on Bank Deposits				
5	Cheque Collection Policy				
6	Whistle Blower Policy for bank				
7	Customer Rights Policy				
8	Social Media Policy				

सिद्धांत 8 कारोबार को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   लागू नहीं

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

   लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।**

   बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रबंधन पोर्टल है जिसे सेंट्रलाइज्ड शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत पर नजर भी रख सकता है। ग्राहक शिकायतें प्राप्त करने के विभिन्न चौनल इस प्रकार हैं:

   - संपर्क केंद्र (टोल फ्री/टोल नंबर)
   - इंटरनेट बैंकिंग सेवा/मोबाइल बैंकिंग ऐप/कॉर्पोरेट वेबसाइट।
   - ईमेल करें care@pnb.co.in
   - एमडी एवं सीईओ/चेयरमैन/वित्त मंत्रालय/आरबीआई आदि।
   - लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम)/आईएनजीआरएएम।
   - सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
   - डाक
   - शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायत।
   - ग्राहकों की शिकायतों को दो ऑनलाइन पोर्टलों अर्थात् सीजीआरएमएस पोर्टल और संपर्क केंद्र के सीआरएम पोर्टल पर संग्रहीत किया जाता है। सीजीआरएमएस पोर्टल और सीआरएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति मुख्यतः क्रमशः गैर–डिजिटल और डिजिटल लेनदेन से संबंधित है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट में इनपुट का मूल्य):**

(करोड़ रुपए में)

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2023–24
सीधे छोटे उत्पादकों/एमएसएमई से प्राप्त	15.68%	उपलब्ध नहीं है
सीधे भारत के भीतर से	96.27%*	21.13%*

**यह आंकड़ा एमएसएमई से प्राप्त सामग्री सहित है। एमएसई खरीद केवल GeM के माध्यम से की गई खरीद के लिए उपलब्ध है। इसलिए उपरोक्त आंकड़े केवल GeM के माध्यम से बैंक की खरीद के लिए हैं।*

(मूल्यह्रास को छोड़कर कुल एसएसएफ और रख–रखाव व्यय के प्रतिशत के रूप में की गई गणना)

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.**

   Not Applicable

2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:**

   Not Applicable

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

   The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Various Channels through which Customer Grievances is received are as under:

   - Contact centres (Toll free/ Tolled numbers)
   - Internet Banking Service / Mobile Banking app / Corporate Website.
   - Email at care@pnb.co.in
   - MD & CEO / Chairman/ Ministry of Finance/RBI etc.
   - Department of Public Grievance (CPGRAM)/INGRAM.
   - Social Media such as Facebook, Twitter, LinkedIn and other social media platforms.
   - Post
   - Complaints in Person at Branch Offices.

   The customer's complaints are stored in two online portals i.e CGRMS Portal and Contact Centre's CRM Portal. The nature of complaints received at CGRMS Portal and CRM Portal are largely Non-Digital & Digital transaction related respectively.

4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

	FY 2023-24	FY 2022-23
Directly sourced from small producers/MSMEs	15.68%	Not Available
Directly from within India	96.27%*	21.13%*

**The figure is inclusive of materials sourced from MSMEs. The MSE procurement is available only for the procurement done through GeM portal. Hence the above figures are for the procurement of Bank through GeM only.*

(Calculation done as percentage of total SFF & Maintenance expenses excluding depreciation)

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन–निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
ग्रामीण	21.58%	21.08%
अर्ध शहरी	18.05%	17.73%
शहरी	32.35%	32.72%
महानगर	28.03%	28.47%

स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया गया है – ग्रामीण/अर्ध–शहरी/शहरी/महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	42362
		सोनभद्र	50000
		चंदौली	281030
2	असम	बारपेटा	26800
		हैलाकांडी	54890
		दरांग	57200
3	मुंबई	गडचिरोली	48000
4	राजस्थान	जैसलमेर	75200
		करौली	31500
5	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	125000
		हरिद्वार	279000
6	गुजरात	दाहोद	62000
		नर्मदा	781000
7	हिमाचल प्रदेश	चंबा	34000
8	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	295600
		विजयनगरम	100000
9	तेलंगाना	भूपालपल्ली	50,000
10	कर्नाटक	हुबली	40000

3. क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति है जो मोटे तौर पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रसारित सामान्य

5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

Location	FY 2023-24	FY 2022-23
Rural	21.58%	21.08%
Semi-urban	18.05%	17.73%
Urban	32.35%	32.72%
Metropolitan	28.03%	28.47%

(Place categorized as per RBI Classification System - rural / semi-urban / urban / metropolitan)

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):**

Not Applicable

2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:**

S. No.	State	Aspirational District	Amount spent (In INR)
1	Uttar Pradesh	Fatehpur	42362
		Sonbhadra	50000
		Chandauli	281030
2	Assam	Barpeta	26800
		Hailakandi	54890
		Darrang	57200
3	Mumbai	Gadchiroli	48000
4	Rajasthan	Jaisalmer	75200
		Karauli	31500
5	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	125000
		Haridwar	279000
6	Gujarat	Dahod	62000
		Narmada	781000
7	Himachal Pradesh	Chamba	34000
8	Andhara Pradesh	Visakhapatnam	295600
		Vizianagaram	100000
9	Telangana	Bhupalapally	50000
10	Karnataka	Hubli	40000

3. a) **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)**

Bank has a Board approved Procurement Policy which is broadly based on General Financial rules circulated by

वित्तीय नियमों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE's) के माध्यम से अधिमान्य खरीद के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। स्टार्ट–अप को बैंक की खरीद के लिए निविदा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ छूट भी दी जाती है। दिशा–निर्देशों के तहत एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई से खरीद के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इसके अलावा बैंक की खरीद नीति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति भी शामिल है।

ख) आप किन उपेक्षित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्टार्ट–अप।

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमाराशि स्वीकार करना और ऋण वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है एवं बैंक की कुल खरीद की तुलना में हाशिए पर /कमजोर समूह से खरीद करना न्यूनतम है। हालाँकि, हमने सीधे छोटे/एमएसएमई उत्पादकों से स्रोत प्राप्त किया है। इसे पहले ही सिद्धांत 8 (आवश्यक संकेतक) के बिंदु 4 में उद्धृत किया जा चुका है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):

लागू नहीं

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान

बैंक अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए सीएसआर गतिविधियां चलाता है, जिसके माध्यम से जाति, रंग आदि के बावजूद समाज के सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी सीएसआर नीति में सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत तथा समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी अन्य ऐसे कोष में योगदान देने का प्रावधान किया है। उपर्युक्त निधियों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 23–24 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

<u>वित्त वर्ष 2023–2024 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:</u>

- 129वे स्थापना दिवस पर दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों को बुनियादी ढांचे का सहयोग किया गया।

department of Expenditure, Ministry of Finance. Further, the policy also includes guidelines issued by MSME Ministry for Preferential Procurement through Micro and Small Enterprise (MSE's). For instance, we have procured 15.68% of inputs from small producers through Government e-marketplace (GeM) portal. Start-ups are also given certain relaxations to ensure their participation in the tender for Bank's procurement. Under guidelines, certain targets are also fixed for procurement from MSE's of SC/ST Entrepreneur.

Also Bank's Procurement Policy includes Purchase Preference Policy issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry.

b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Micro and Small enterprises, Startups.

c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

The primary functions of the bank include the acceptance of deposits and the provision of credit financing and procurement from marginalized/vulnerable group remains minimal in comparison to the bank's total procurement. However, we have directly source from small/ MSMEs producers. The same has already been cited at point 4, Principle 8 (essential Indicator).

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Not Applicable

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Not Applicable

6. Details of beneficiaries of CSR Projects: during FY 2023-24

Bank undertakes CSR activities keeping in mind our social commitments through which all sections of the society are benefitted in large irrespective of caste, colour etc.

Additionally, Bank in its CSR policy has provision to contribute any other such fund set-up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development & relief and funds for the welfare of the marginalized section of the society. Any proposal related to above mentioned funds are considered on priority basis. CSR activities undertaken during FY23-24 are as follows:

<u>During the period FY 2023-2024, the following CSR activities have been undertaken:</u>

- Infrastructure support to 2 Delhi Government schools on 129th Foundation Day.

- आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हुगली और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अंधेपन नियंत्रण और नेत्र जांच कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट को सहायता प्रदान की गई।
- भवन श्री कालिका माता समिति को एक एक्स–रे मशीन उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के साथ सहयोगप्रदान किया गया।
- शिमला के हमीरपुर जिले के स्कूलों में शैक्षिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए "एक से श्रेष्ठ" अभियान।
- हेराल्ड एकेडमी जूनियर पब्लिक स्कूल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कंप्यूटर, इन्वर्टर और अन्य स्कूल फर्नीचर प्रदान किए गए।
- दिल्ली में दैनिक आपूर्ति के लिए आश्रय गृह अपनाघर, बवाना को सहायता प्रदान की गई।
- भुवनेश्वर में 1 वेंटिलेटर और 10 आईसीयू बेड की खरीद के लिए शिक्षा श्ओश अनुसंधान को सहायता प्रदान की गई।
- जेसीपी अटारी स्टेडियम, अमृतसर में 200 स्टील बेंचों की खरीद के लिए बीएसएफ के साथ साझेदारी की गई।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए श्रीहर ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस दान की गई।
- पीएनबी प्रेरणा सदस्यों ने प्रभावित लोगों के लिए नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली में बाढ़ राहत गतिविधि आयोजित की गई।
- कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए 15 अगस्त 2023 को कैनसपोर्ट को सहायता प्रदान की गई।
- बोशिया गेंदों की खरीद के लिए भारतीय बोशिया खेल महासंघ के साथ सहयोग किया गया।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय छानबे ब्लाक मिर्जापुर में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया।
- एम्स ट्रॉमा सेंटर के पास पावरग्रिड विश्राम सदन में भाऊराव देवरस सेवान्यास को एक रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध कराई गई।
- मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए माओल्केकेई फाउंडेशन का समर्थन किया गया।
- वाटर कूलर और कंबल की खरीद के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को सहायता प्रदान की गई।
- पुस्तकालय के उन्नयन के लिए श्री कांची कामकोटि पीठम चौरिटेबल ट्रस्ट को सहायता प्रदान की गई।
- मच्छरदानी वितरण के लिए SERI की सहायता की गई।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कपड़े वितरित करने के लिए निम्बार्क मठ सेवा समिति के साथ साझेदारी की गई।
- अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में डोनयी पोलो सांस्कृतिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट (डीपीसीसीटी) द्वारा संचालित स्कूलों के आदिवासी छात्रों के लिए सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराए गए।
- भाऊराव देवराव सेवा न्यास एम्स झज्जर को रोटी मेकर मशीन प्रदान की गई।
- सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई परियोजना के अंतर्गत एफ–टेक को सहायता प्रदान की गई।
- गंगा फाउंडेशन को चलने–फिरने संबंधी समस्या से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 2–व्हील चेयर प्रदान की गई।

- Support to Nimbark Math Seva Samiti Trust towards implementation of Blindness control and Eye screening programe in the District of Hooghly & Paschim Medinipur under Arambag constituency.
- Collaboration with ZO Dehradun for providing one X-Ray Machine to Bhawan Shri Kalika Mata Samiti.
- "Ek Se Sreshtha" campaign for providing educational infrastructure to schools in Hamirpur district of Shimla.
- Computer, inverter and other school furniture were provided during an event held with Herald Academy Junior Public School, Pauri Garhwal, Uttrakhand.
- Support to shelter home Apna Ghar, Bawana for daily supplies in Delhi.
- Support to Shiksha 'o' Anusandhan for procurement of 1 ventilator and 10 ICU beds in Bhubaneshwar.
- Partnered with BSF for purchase of 200 steel benches at JCP Attari Stadium, Amritsar.
- Donated one ambulance to SRIHER trust for helping economically weaker section.
- PNB PRERNA members conducted flood relief activity at Noida link road Mayur Vihar Phase 2 Delhi for affected people.
- Support to Cansupport on 15th Aug 2023 for the people who are affected with cancer.
- Collaborated with Boccia sports federation of India for purchase of boccia balls.
- Provided one roti maker to Bhaorao Deoras Seva Nyas at Powergrid Vishram Sadan near AIIMS Trauma centre.
- National flag installation at Upper Primary School Chhanbey block Mirzapur.
- Supported Maolkekei foundation to help internally displaced people of Manipur.
- Aided National Association for Blind for purchase of water cooler and blankets.
- Assisted Sri Kanchi Kamakoti Peetam Charitable Trust for upgradation of Library.
- Helped SERI for mosquito net distribution.
- Partnered with Nimbark Math Seva Samiti for distribution of clothes to economically weaker section.
- Provided winter clothes for tribal students of schools run by Donyi Polo Cultural & Charitable Trust (DPCCT) Itanagar, Arunachal Pradesh.
- Provided Roti maker machine to Bhaorao Deorao Seva Nyas AIIMS Jhajjar.
- Aided F-tech under project Grassroot Level Action for development of Micro Enterprises.
- Provided 2-wheel chair for persons with mobility issue to The Ganga Foundation.

- पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कपड़ा वितरण के लिए निम्बार्क मठ सेवा समिति को सहायता।
- दिल्ली की अपराजिता महिला समिति को वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की गई।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम पहल के लिए शिविर के आयोजन में SERI की सहायता की गई।
- दवाओं और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं के लिए दिल्ली कल्याण परिषद, पालना के साथ सहयोग किया गया।
- दिल्ली सरकार के एक स्कूल में मिनी विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए फाउंडेशन को सहायता प्रदान की गई।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनएस एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित अनाथालय को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में जागरूकता और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए एनजीओ कैप्ड के साथ साझेदारी की गई।
- भारतीय विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली भजन समाज सेक्टर 7 द्वारका राम मंदिर को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की गई।
- वायु सेना बेस पालम को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की गई।

सिद्धांत 9 कारोबार को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण निगरानी पोर्टल है जिसे सेंट्रलाइज्ड शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत पर नजर भी रख सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा और मोबाइल बैंकिंग सेवा के माध्यम से सीजीआरएमएस में अपने अनुरोध/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

   बैंक के पास गुरुग्राम और नोएडा में प्राथमिक संपर्क केंद्र हैं, जहाँ दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24 x 7 x 365 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन दो प्राथमिक साइटों के अलावा, बैंक ने अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो द्वितीयक संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं।

   बैंक नियमित आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:**

fooj.k	dy dkjkckj d çfr'kr d : i e
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

- Support to Nimbark Math Seva Samiti for cloth distribution to economically weaker section in West Bengal.
- Aided Aprajita Mahila Samiti, Delhi for providing education to underprivileged children.
- Assisted SERI in organising camp for public health care programme initiative.
- Collaborated with Delhi Council for Welfare, Palna for medicines and daily needs item.
- Supported Foundation for Mini Science Centre installation in a Delhi Govt. school.
- Partnered with NGO CAPED for cervical cancer awareness & infrastructural support to orphanage run by N.S. Educational Trust on occasion of International Women's day.
- Infrastructural support to Delhi Bhajan Samaj Sector 7 Dwarka Ram Mandir for promoting Indian heritage and culture.
- Infrastructural support to Air Force base Palam.

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

   The Bank has an on-line Grievance Redressal Monitoring Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/ complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service & Mobile Banking Service.

   The Bank has Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24 x 7 x 365 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers.

   Bank conducts Customer Satisfaction Surveys on regular basis. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

Particulars	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

*पोर्टल पर शिकायतों की श्रेणी निर्धारित प्रारूप में नहीं रखी जाती है। हालाँकि, RBI के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

f'kdk;r dk vk/kkj] ¼vFkkZr~ lacaf/kr f'kdk;rsa½	o"kZ dh çkjaHk esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku çkIr f'kdk;rksa dh la[;k	fiNys o"kZ dh rqyuk esa çkIr f'kdk;rksa dh la[;k esa % dh of)/deh	o"kZ ds var esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	30 fnuksa ls vf/kd le; ls yafcr f'kdk;rksa dh la[;k 5 gsA
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13442	489664	-35.08	12262	457
एटीएम / डेबिट कार्ड	1814	316892	-13.89	5054	38
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	303	21582	-38.29	458	10
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	106	14532	107.54	225	9
ऋण और अग्रिम	128	8594	37.07	332	14
vU;	7392	278931	51.16	14020	1673
dqy	**23185**	**1130195**	**-16.59**	**32351**	**2201**
xr o"kZ ¼foÙk o"kZ 2022&23½#^					
इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	19128	754265	-24.50	13442	263
एटीएम/डेबिट कार्ड	6521	367991	-26.64	1814	1
खाता खोलना/खाते के परिचालन में कठिनाई	235	34976	3.02	303	3
वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	1	7002	147.68	106	0
ऋण और अग्रिम	60	6270	23.57	128	3
vU;	4657	184533	-5.74	7392	185
dqy	**30602**	**1355037**	**-22.05**	**23185**	**455**

#शिकायतों की संख्या से संबंधित आंकड़ों में सभी प्रकार की शिकायतें शामिल हैं।'

^जब भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है क्योंकि हमने सीजीआरएमएस और सीआरएम पोर्टल दोनों से प्राप्त शिकायतों पर विचार किया है।

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

विवरण	ugha	okil cqykus dk dkj.k
स्वैच्छिक रिकॉल	लागू नहीं	
बलपूर्वक रिकॉल		

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

The Category of the Grievances are not maintained at the Portal in the prescribed Format. However, the disclosure in terms of RBI guidelines is as under:

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year (FY 2023-24)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	13442	489664	-35.08	12262	457
ATM/Debit Cards	1814	316892	-13.89	5054	38
Account opening/ difficulty in operation of accounts	303	21582	-38.29	458	10
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	106	14532	107.54	225	9
Loans and advances	128	8594	37.07	332	14
Others	7392	278931	51.16	14020	1673
Total	**23185**	**1130195**	**-16.59**	**32351**	**2201**
Previous Year (FY 2022-23)#^					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	19128	754265	-24.50	13442	263
ATM/Debit Cards	6521	367991	-26.64	1814	1
Account opening/ difficulty in operation of accounts	235	34976	3.02	303	3
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	1	7002	147.68	106	0
Loans and advances	60	6270	23.57	128	3
Others	4657	184533	-5.74	7392	185
Total	**30602**	**1355037**	**-22.05**	**23185**	**455**

#Data regarding number of complaints includes all type of complaints.

^Figures have been regrouped whenever considered necessary as we have considered complaints received from both CGRMS and CRM portal

4. **Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

Particulars	No.	Reasons for recall
Voluntary recalls	Not Applicable	
Forced recalls		

5. **क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'साइबर सुरक्षा नीति' है। यह साइबर सुरक्षा (सीएस) नीति आरबीआई के निर्धारित दिशा–निर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार साइबर सुरक्षा के बारे में प्रबंधन के विचारों और स्थिति को घोषित करने वाले संक्षिप्त और व्यावहारिक बयान शामिल हैं।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयताय उत्पाद रिकॉल की घटनाओं की पुनरावृत्तिय उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई/दंड।**

ग्राहकों के साथ–साथ बैंक के कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने/विज्ञापित करने के लिए कई पहल की गई हैं –

1. बैंक के ग्राहकों के बीच साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंक की वेबसाइट पर साइबर जागरूकता क्रिएटिव पोस्ट किए जाते हैं।
2. बैंक प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन करता है, ताकि अंतिम बिन्दुओं पर सक्रिय निर्देशिका के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता पृष्ठ पोस्ट करके फील्ड पदाधिकारियों और ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके।
3. हम समय–समय पर बैंक के कर्मचारियों के लिए फिशिंग ड्रिल भी आयोजित करते हैं। जो कर्मचारी फिशिंग लिंक पर क्लिक करते हैं उन्हें साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

ए.	डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या	शून्य
बी.	ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
सी.	डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो,	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnbindia.in), इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और संपर्क केंद्र।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी ग्राहकों को विभिन्न चौनलों जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnbindia.in), एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दी जाती है।

5. **Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

Bank has a Board approved "Cyber Security Policy". This Cyber Security (CS) Policy has been framed based on stipulated RBI guidelines, the Information Technology Act and International Standards. It consists of concise and practical series of statements, declaring the management's views and position regarding Cyber Security, according to Bank's specific requirements. Availalbe on intranet of the bank.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.**

Several initiatives have been taken to spread/advertise the Cyber security awareness among the Customers as well as Bank's staffs –

1. Cyber awareness creatives are posted on various social media platform and bank's website to spread awareness on cyber hygiene among the Bank's customer.
2. Bank conducts Cyber Jagrookta Diwas on 1st Wednesday of each month to spread awareness among the field functionaries and customers through posting cyber security awareness pages through Active directory on end points and on social media platforms.
3. We also conduct phishing drill for the staffs of the bank on periodic basis. Those staffs who click on the phishing links are provided training on Cyber Security.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**

a.	Number of instances of data breaches	NIL
b.	Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers	NIL
c.	Impact, if any, of the data breaches	NA

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

Corporate Website (www.pnbindia.in), Internet Banking Service, Mobile Banking Service & Contact Centers.

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

The information regarding Safe Usage of Bank's various products and services are disseminated to the Customer through various Channels such as, Corporate Website (www.pnbindia.in), SMS, Internet Banking Services, Mobile Banking Services, Contact Centre, Social Media etc.

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।**

सेवा बाधित होने के संबंध में सूचना का प्रसार नियमित आधार पर किया जाता है।

4. **क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

5. **क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

बैंक नियमित आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

Dissemination of information regarding outages are done on regular basis.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/ Not Applicable) If yes, provide details in brief.**

Not Applicable

5. **Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

Bank conducts Customer Satisfaction Surveys on regular basis.

उमेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

51, स्नेहधारा,
जीवन विकास केंद्र मार्ग,
अंधेरी (ई), मुंबई – 69
फ़ोन: 91–22–26827498
91–9323600966, 8890033333
ईमेल: ujc1981@gmail.com

प्रेक्टिसनरों की स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट

निदेशक मंडल, पंजाब नैशनल बैंक

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) में स्थिरता प्रकटीकरण पर उचित आश्वासन रिपोर्ट कोर प्रारूप (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की 'चिह्नित स्थिरता सूचना' (ISI) कहा जाता है। ISI को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए बैंक की कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग में शामिल किया गया है।

अभिमत

हमने 20 मई 2024 के अनुबंध के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक के लिए एक युक्ति उचित युक्त आश्वासन का कार्य निष्पादित करने का वचन दिया है, जो कि बीआरएसआर कोर (संदर्भित अनुबंध 1) से संबंधित नीचे सूचीबद्ध बैंक की स्थिरता प्रकटीकरण ("चिह्नित स्थिरता सूचना"), सेबी द्वारा 12 जुलाई 2023 के परिपत्र द्वारा यथा अधिसूचित, के संबंध में है। यह स्थिरता सूचना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए बैंक के बीआरएसआर में शामिल है। यह कार्य आश्वासन प्रेक्टिसनरों, पर्यावरण और सामाजिक पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा संचालित किया गया था।

आश्वासन के अधीन चिह्नित स्थिरता सूचना (आईएसआई)	आश्वासन के अधीन अवधि	रिपोर्टिंग मानदंड
बीआरएसआर कोर (अनुबंध 1 देखें) सेबी द्वारा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–एसईसी–2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 द्वारा अधिसूचित	1 अप्रैल से, 2023 से 31 मार्च 2024	– भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर) के विनियमन 34 (2) (एफ) – सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शन नोट – विश्व संसाधन संस्थान (WRI) / सतत विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) ग्रीनहाउस गैस (GHG) प्रोटोकॉल (एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक – स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट (SSAE) 3000, "एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन", जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

UMMED JAIN & CO.
Chartered Accountants

51, Snehdhara,
JeevanVikas Kendra Marg,
Andheri (E), Mumbai - 69
Ph: 91-22-26827498
91-9323600966, 8890033333
E-mail: ujc1981@gmail.com

Independent Practitioners' Reasonable Assurance Report

To the Board of Directors of Punjab National Bank,

Reasonable Assurance Report on the sustainability disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Core Format (called 'Identified Sustainability Information' (ISI) of Punjab National Bank (the 'Bank') for the period from 1st April 2023 to 31st March 2024.The ISI is included in the Business Responsibility and Sustainability Reporting of the Bank for the period from 1st April 2023 to 31st March 2024.

Opinion

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Punjab National Bank vide agreement dated 20th May 2024 in respect of the agreed Bank's sustainability disclosures listed below (the 'Identified Sustainability Information') pertaining to BRSR Core (refer to Annexure 1) as notified by SEBI Vide Circular Dated 12th July 2023. This Sustainability Information is included in BRSR of the bank for the period from 1st April 2023 to 31st March 2024. This engagement was conducted by a multidisciplinary team including assurance practitioners, environmental and social professionals.

Identified Sustainability Information (ISI) subject to assurance	Period subject to assurance	Reporting criteria
BRSR Core (refer Annexure 1) Notified by SEBI Vide circular Number SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12th July, 2023	From 1st April, 2023 to 31 March 2024	- Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR) - Guidance notes for BRSR format issued by SEBI - World Resource Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards - Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information, "issued by the Sustainability Reporting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India.

हमारा उचित आश्वासन का कार्य 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में था, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, केवल सूचना प्रदान करना तथा हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है, इसलिए हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

चिह्नित स्थिरता सूचना के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन स्थिरता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन करने या स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, लागू कानूनों और विनियमों पर विचार करते हुए, यदि कोई हो, रिपोर्टिंग से संबंधित स्थिरता की सूचना, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री, तैयारी, और मानदंडों के अनुसार चिह्नित स्थिरता सूचना की प्रस्तुति। इस उत्तरदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव और चिह्नित स्थिरता सूचना का प्रमाण शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है।

अंतर्निहित सीमाएँ

स्थापित प्रेक्टिस के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति जिस पर गैर–वित्तीय सूचना का मूल्यांकन और प्रमाणन करना अलग–अलग लेकिन स्वीकार्य उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देता है और संस्थाओं के बीच तुलनात्मकता को प्रभावित कर सकता है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा किया है और इस आश्वासन के कार्य का संचालन करने के लिए आवश्यक दक्षताएं और अनुभव हैं।

फर्म गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, "ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण" को लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करती है।

चिह्नित स्थिरता सूचना (आईएसआई) के लिए हमारा उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर चिह्नित स्थिरता सूचना पर हमारे द्वारा एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट (एसएसएई) 3000, "एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन" के अनुसार अपने कार्य का संचालन किया है। इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार, सभी भौतिक मामलों में, चिह्नित स्थिरता सूचना तैयार की गई है या नहीं, इसके बारे में

Our Reasonable assurance engagement was with respect to the year ended March 31st, 2024, information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Management's Responsibility for the identified Sustainability information

The Bank's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information, considering applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation, and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent limitations

The absence of a significant body of established practice on which to evaluate and measure non-financial information allows for different but acceptable measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibilities for the identified Sustainability Information (ISI)

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.

We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information is prepared,

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी योजना बनाएं और अपना कार्य निष्पादित करें। एक उचित आश्वासन के कार्य में चिह्नित स्थिरता सूचना के एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आंकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकित जोखिमों पर प्रतिक्रिया देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, प्रदर्शित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नीतियों की रिपोर्टिंग करना, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमत या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था। कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को करने में, हमने:

1. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों और बीआरएसआर कोर के लिए सेबी परिपत्र के अनुसार विषय वस्तु एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) और बैंक के सलाहकार और उनकी टीम के लिए उत्तरदायी बैंक के प्रबंधन के प्रासंगिक कर्मियों का साक्षात्कार लिया।
2. रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं, कार्यालयों और अन्य स्थानों (अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को छोड़कर) के लिए समेकन की जाँच की।
3. टर्नओवर आधारित गहन संकेतकों के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की कुल आय पर भरोसा किया।
4. नमूना शाखाओं, कार्यालयों और कवर किए गए अन्य स्थानों पर चिह्नित स्थिरता संकेतकों के प्रतिदर्श आधार पर पर्याप्त परीक्षण किया गया है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को दर्ज किए गए अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया था, एकत्र किया गया और रिपोर्ट किया गया था। इसमें नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित रिकॉर्ड का आकलन और परीक्षण करना शामिल था।
5. एक्सट्रपलेशन के लिए प्रतिदर्श शाखाओं के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता का आकलन किया।
6. अनुमानित वार्षिक डेटा पर पहुंचने के लिए नमूना शाखाओं के लिए डेटा के एक्सट्रपलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
7. डेटा विश्लेषण के लिए बैंक और उसके सलाहकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता थ्रेसहोल्ड की उपयुक्तता का आकलन किया।
8. ऐतिहासिक डेटा में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया।

अपवाद:

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम उस पर निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित लोगों के अलावा बैंक के परिचालन।
- बीआरएसआर के पहलू और चिह्नित स्थिरता सूचना के अलावा डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)।

in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records. Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:

1. Interviewed relevant personnel of Bank's management responsible for Sustainability, Environmental Social Governance (ESG) and the bank's consultant and their team for understanding the process of collecting, collating, and reporting the subject matter as per Global Reporting Initiative (GRI) Standards and SEBI circular for BRSR core.
2. Checked the consolidation for various branches, offices, and other locations (excluding international operations) to ensure the completeness of data being reported.
3. Relied on the total income from the published audited financial statements for turnover based intensity indicators.
4. Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Indicators at sample branches, offices and other locations covered, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing including recalculation of sample data.
5. Assessed the appropriateness of basis used for selecting sample branches for extrapolation.
6. Assessed the appropriateness of calculations used for extrapolation of data for sample branches to arrive at estimated annual data.
7. Assessed the appropriateness of various assumptions, estimations and materiality thresholds used by the bank and its consultant for data analysis.
8. Performed analytical procedures to analyze trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

Exclusions:

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Operations of the Bank other than those mentioned in the "Scope of Assurance".
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.

- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी अर्थात 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024
- ऐसे कथन जो बैंक द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।

उचित आश्वासन अभिमत

हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्यों के आधार पर, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए चिह्नित स्थिरता सूचना (जैसा कि " चिह्नित स्थिरता सूचना" के अंतर्गत कहा गया है) उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार, सभी महतवपूर्ण मामलों में तैयार की जाती है।

उपयोग प्रतिबंध

हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है, ताकि बैंक के स्थिरता प्रदर्शन और गतिविधियों पर रिपोर्ट करने में बैंक की सहायता की जा सके। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे डिलिवरेबल्स का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारे प्रदेय के पते के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है जिसे हमारे प्रदेय दिखाए गए हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नंबर 119250डब्ल्यू

सी.ए. अखिल जैन
भागीदार
सदस्य सं. 137970
यूडीआईएन:24137970BKFJBY4742

दिनांक: 30/05/2024
स्थान: दिल्ली

- Data and information outside the defined reporting period i.e. 1st April 2023 to 31st march, 2024
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Bank.

Reasonable Assurance Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended 31st March 2024 (as stated under "Identified Sustainability Information") are prepared in all material respects, in accordance with the criteria above.

Restriction on use

Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of Punjab National Bank at the request of the Bank solely, to assist Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Bank. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our Deliverables. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Ummed Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 119250W

CA. Akhil Jain
Partner
M. No. 137970
UDIN:24137970BKFJBY4742

Date: 30/05/2024
Place: Delhi

BLANK PAGE

अनुबंध 1

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
बीआरएसआर संकेतक	
सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।	
विशेषता 1: ग्रीन–हाउस गैस (जीएचजी) फुट प्रिंट	
प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी मात्रा:	यथोचित
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप पर उत्सर्जन की मात्रा	
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा	
विशेषता 2: जल फुट प्रिंट	
प्रश्न 3: जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण:	यथोचित
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)	
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति	
रुपया कारोबार में जल की मात्रा	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में जल की मात्रा	
प्रश्न 4: निस्सरित जल से संबंधित विवरण:	
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)	
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	
विशेषता 3: ऊर्जा फुट प्रिंट	
प्रश्न 1: कुल ऊर्जा उपभोग/खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की मात्रा का विवरण:	यथोचित
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा	
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर ऊर्जा की मात्रा	
भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा की मात्रा	
विशेषता 4: परिपत्रता को अपनाना – इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण	
प्रश्न 9: इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	यथोचित
कुल उत्पन्न कचरा (मीट्रिक टन में)	
प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर पर कचरा मात्रा (कुल उत्पन्न कचरा/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कचरे की मात्रा	
भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कचरे की मात्रा	
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)	
उत्पन्न कचरा की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)	

Annexure-1

BRSR Core Attributes

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.	
Attribute 1: Green-House Gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of Greenhouse Gas Emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:	Reasonable
Total Scope 1 Emissions	
Total Scope 2 Emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity in terms of physical output/any other relevant metric	
Attribute 2: Water Footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kilolitres)	
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	
Total volume of water consumption (in kilolitres)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Water intensity in terms of physical output/any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)	
Total water discharged (in kilolitres)	
Attribute 3: Energy Footprint	
Question 1: Details of total Energy Consumption (in joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total Energy consumed from Renewable sources	
Total Energy consumed from Non-renewable sources	
Energy Intensity per rupee crore of turnover (Total energy consume/revenue from operation)	
Energy Intensity per rupee Crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy Intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity -Details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total waste generated (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (total waste generated/revenue from operations)	
Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of Physical output /any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 3: कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा बढ़ाना	
प्रश्न 1(ग): कर्मचारियों एवं कामगारों (स्थायी एवं गैर–स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय:	यथोचित
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	
प्रश्न 11: कर्मचारियों एवं कामगारों हेतु सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:	
सबसे कम समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे)	
रिकॉर्ड योग्य कुल कार्य–संबंधी चोटें	
मृतकों की संख्या	
गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषताएँ 6: कारोबार में जेंडर विविधता को सक्षम बनाना	
प्रश्न 3 (बी): संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन:	यथोचित
प्रश्न 7: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शिकायत क्षेत्र	
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के अनुसार शिकायतें	
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं/लंबित	
सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना	
प्रश्न 4: आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट): क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त। ख. सीधे भारत के अंतर्गत	यथोचित
प्रश्न 5: छोटे शहरों में रोजगार सृजन– छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों सहित) को भुगतान किया गया वेतन, कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में बताएं।	
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए	
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	
प्रश्न 7: डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों संबन्धित घटनाओं की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत सी. डेटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो	यथोचित

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 3: Businesses should respect and promote the Well -being of all Employees, including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing employee Well-being and Safety	
Question 1 (c): Spending on measures towards Well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent):	Reasonable
Cost incurred on wellbeing measures as a %age of total revenue of the company	
Question 11: Details of Safety related incidents for employees and workers:	
Lost time injury frequency rate (LTIFR) (per one million -person hours worked)	
Total recordable work -related injuries	
No. of Fatalities	
High consequence work - related injury or ill -health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote Human Rights	
Attributes 6: Enabling Gender Diversity in in business	
Question 3 (b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:	Reasonable
Question 7: Complaints field under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition, and Redressal) Act,2013	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees/workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Business should promote inclusive growth and Equitable Development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (Inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSME's/small producers. b: Directly from within India	Reasonable
Question 5: Job creation in smaller towns- Disclose wages paid to persons employed (including employees of workers employed on a permanent or non- permanent/ on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their Consumers in a Responsible manner	
Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers	
Question 7: Provide the following information relating to data breaches: a. Number of instances of data breaches b. Percentage of data Breaches involving personally identifiable information of customers c. Impact, if any, of the data breaches	Reasonable

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन करना चाहिए	
विशेषता 9: व्यवसाय का खुलापन	
प्रश्न 8: देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)	
प्रश्न 9: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का ब्यौरा, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ अग्रिम और निवेश:	
खरीदारी का संकेन्द्रण	
बिक्री का संकेन्द्रण	यथोचित
आरपीटी के शेयर क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable	
Attribute 9: Open-ness of Business	
Question 8: Number of days of Accounts Payable ((Accounts payable *365)/Cost of goods/services procured)	Reasonable
Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along with advances &investments, with related parties:	
Concentration of Purchases	
Concentration of Sales	
Shares of RPTs in a. Purchases (Purchases with related parties/Total Purchases) b. Sales (Sales to related parties/Total Sales) c. Loans &Advances (Loans &Advances given to Related Parties/Total loans & Advances) d. Investments (Investments In Related Parties/ Total Investments Made)	

BLANK PAGE

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2023–24

Corporate Social Responsibility Report 2023-24

वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट 2023–24 के लिए एमडी एवं सीईओ का संदेश

MD & CEO's Message for Annual CSR Report 2023-24

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पंजाब नैशनल बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पंजाब नैशनल बैंक में हम 'समाज को वापस देना' के आदर्श सिद्धांत पर चलते हैं यह प्रतिबद्धता हमारी प्रकृति में समाहित है। देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, हम सकारात्मक परिवर्तन लाने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं।

वित्त वर्ष 24 में शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य सेवा की उन्नति की दिशा में निरंतरता और नवाचार हमारी गतिविधियों के अभिन्न स्तंभ रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि समाज के लिए आज हमारा योगदान एक बेहतर कल का निर्माण करेगा। समाज और पर्यावरण के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना के साथ, हम व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को समृद्ध बनाने में देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

समाज को वापस देना

हमारी सीएसआर नीति में समाज के विभिन्न पहलुओं में योगदान देने वाली विभिन्न पहलें शामिल हैं। शैक्षिक बुनियादी ढ़ांचे को उन्नत करने से लेकर स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने और वंचित वर्गों की सहायता करने तक, हम समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं।

अखिल भारतीय समर्थन

पीएनबी की जरूरतमंद समुदायों तक पहुँचकर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता पूरे देश में फैली हुई है। चाहे मणिपुर में अशांति के समय आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत प्रयासों के माध्यम से हो, या बोशिया स्पोर्ट्स फेडरेशन की सहायता जैसे खेल पहलों के लिए समर्थन हो, नैशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जैसे गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करके दिव्यांगों की सहायता करना हो, हम पूरे देश में मदद और सहायता प्रदान करने में सक्रिय रहे हैं।

भावी नेतृत्व का विकास

भावी पीढ़ियों को आकार देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, हमने शैक्षिक बुनियादी ढ़ांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकारी स्कूलों के साथ सहयोग करके, हमने शैक्षणिक संस्थानों के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाया जा सके।

स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाना

बैंक देश भर में स्वास्थ्य सेवा के परितंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका पर गौरव महसूस करता है। विशेष रूप से सुविधाहीन और वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहल के

I am deeply honoured to present to you the Corporate Social Responsibility (CSR) report of Punjab National Bank for the fiscal year 2023-24. At Punjab National Bank, we are guided by the fundamental principle of "Giving back to society," a commitment ingrained in our ethos. As the nation's leading public sector bank, we recognize our responsibility in driving positive change and fostering societal development.

Sustainability and initiatives towards the advancement of education, sports and healthcare have been integral pillars of our activities in FY24. We firmly believe that our contributions to society today shape a better tomorrow. With a deep sense of duty towards society, and the environment, we strive to fulfil our role as one of the nation's largest banks in enriching the lives of individuals and communities.

Giving Back to Society

Our CSR Policy encompasses various initiatives contributing towards different aspects of society. From upgrading educational infrastructures to supporting healthcare, and aiding marginalized sections, we endeavour to make a positive impact on lives across diverse segments of society.

Pan-India Support

PNB's commitment extends across the length and breadth of the nation, reaching communities in need and making a positive impact. Whether through relief efforts in Manipur during times of unrest for Internally Displaced Persons, support for sports initiatives such as assisting the Boccia Sports Federation, aiding the differently abled by extending support to NGOs like the National Association for the Blind, we have been proactive in providing aid and assistance across the country.

Nurturing Future Leaders

Recognizing the critical role of education in shaping future generations, we have focused on improving educational infrastructure. Collaborating with government schools, we have made significant contributions towards improving overall environment of educational institutions, thereby empowering present and future generations.

Enhancing Healthcare Access

The Bank takes great pride in its role in fortifying the healthcare ecosystem nationwide. In alignment with government initiatives aimed at broadening healthcare services' reach, particularly for disadvantaged and marginalized communities, we have been

अनुरूप, हम इस क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। हमारे योगदान में जागरूकता अभियान चलाने के साथ–साथ एम्बुलेंस सुविधाएं, रोगी देखभाल सहायता और स्वच्छता मानकों को बढ़ाना शामिल है।

स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, हमने ग्रामीण महिलाओं सहित वंचित समुदायों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की वैश्विक गंभीरता को पहचानते हुए, पीएनबी इस गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अपने ठोस प्रयासों के माध्यम से, हम स्वास्थ्य सेवा जागरूकता, पहुंच और समावेशिता में सार्थक योगदान देने का प्रयास करते हैं, जिससे एक स्वस्थ और अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण होता है।

कल्याणकारी योजनाएं और राष्ट्रीय पहल

पीएनबी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है जैसे कि पीएनबी विकास–ग्राम गोद लेने की योजना, 76 आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) तथा 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करने जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आरसेटी केंद्रों में कुल 60,721 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 47,911 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों से हैं और 47,899 महिलाएं शामिल हैं।

हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देना भी बैंक के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, हमारी सीनियर हॉकी टीम के चार खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों, पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, पुरुषों के हॉकी विश्व कप और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया।

कॉरपोरेट स्वयंसेवा

हमारी सीएसआर गतिविधियों का अंतर्निहित संदेश यह है कि हम आज जो भी करेंगे, उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम स्टाफ सदस्यों और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ सीएसआर गतिविधियां कर रहे हैं। बैंक के एक लाख से अधिक कर्मचारियों ने पूरे देश में 'पलाश' परियोजना के तहत कम–से–कम 2 पौधे लगाए हैं।

हम 'पीएनबी प्रेरणा' के प्रयासों की भी सराहना करते हैं, जो बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की पत्नियों की एक संस्था है, जो बैंक के इन सीएसआर प्रयासों को आगे बढ़ाने में स्वैच्छिक रूप से शामिल रहता है।

बैंक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपने हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय तरीके से कार्य करने की प्रतिबद्धता मानता है। इस रणनीति के केंद्र में, जीवंत समुदायों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के प्रति हमारे बैंक की अटूट प्रतिबद्धता निहित है। सामुदायिक विकास में निरंतर सहयोग देने और उसे बढ़ावा देने के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों में हमारे निवेश के माध्यम से, सीएसआर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को व्यापक पहचान मिली हैं और इसे सराहा गया है।

बैंक जिम्मेदारी के साथ विकास करने, अटूट संबंध बनाने और अपने सभी हितधारकों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने में विश्वास करता है। आने वाले समय में, हम एक बेहतर समाज के निर्माण के उद्देश्य से कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समुदाय की सहायता करना जारी रखेंगे। हम संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से कारोबार करना भी जारी रखेंगे। अंत में, मैं हमारे सभी भागीदारों और पीएनबी परिवार के सदस्यों को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों में पूरे दिल से भागीदारी की।

अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

proactive in this segment also. Our contributions encompass providing ambulance facilities, patient care support, and enhancing hygiene standards, alongside conducting awareness campaigns.

In addition to bolstering healthcare initiatives, we have extended significant support to marginalized communities, including rural women. Recognizing the global severity of cervical cancer, PNB is actively working towards raising awareness about this pressing issue. Through our concerted efforts, we strive to make meaningful contributions to healthcare awareness, accessibility, and inclusivity, fostering a healthier and more equitable society.

Welfare Schemes and National Initiatives

PNB is running several welfare schemes such as PNB VIKAS- Village Adoption Scheme, socio-economic empowerment through setting up 76 RSETIs (Rural Self Employment Training Institute) & 12 Farmers' Training Centres. During the FY 2023-24, a total of 60,721 persons were trained in RSETI centres out of which 47,911 belong to BPL Families and 47,899 were women.

Promoting our National Game Hockey has also been a key area of focus for the bank. It gives me immense pleasure to share that during the fiscal year, four players from our senior hockey team proudly represented our nation in prestigious international tournaments such as the Asian Games, Men's Asian Champions Trophy, Men's Hockey World Cup, and Commonwealth Games in Birmingham.

Corporate Volunteering

The underlying message of our CSR activities is whatever we do today, will have an impact on future generations. We have been undertaking CSR activities with full participation of staff members and the local populace. The one lakh plus employees of the Bank planted minimum 2 saplings under the project 'PALAASH' across the country.

We also acknowledge the efforts of PNB PRERNA, an association comprising of senior women officials of the bank and the wives of senior bank officials, who have been voluntarily involved in carrying forward these CSR efforts of the Bank.

The Bank considers Corporate Social Responsibility (CSR) as a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while simultaneously recognizing the interests of its stakeholders. At the heart of this strategy, lies our bank's unwavering commitment to creating and sustaining vibrant communities. Through our investment in institutions and programs to support and enhance community development in a sustainable fashion, our commitment to CSR is amply recognized and lauded.

The Bank believes in growing responsibly, forging deeper relationships, and engaging meaningfully with all our stakeholders. Going forward, we will continue to support the society through active participation in programs aimed at creating a better society. We will also continue to conduct business in a sensitive and responsible manner. In the end, I want to express my sincere thanks to all our partners & members of PNB Parivaar for their whole hearted participation in CSR activities during FY23-24.

Atul Kumar Goel
Managing Director & CEO

पंजाब नैशनल बैंक का कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण

1. पंजाब नैशनल बैंक में, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से संचालित करने की प्रतिबद्धता है। बैंक अपने हितधारकों जैसे निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, कारोबार भागीदारों, स्थानीय समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज की प्राथमिकताओं को पहचानता है और इसका लक्ष्य समाज के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और इसका उद्देश्य समाज के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस रणनीति के केंद्र में जीवंत समुदायों के पोषण के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता उन संस्थानों और कार्यक्रमों में बैंक के सहयोग के माध्यम से जीवंत होती हैं जो सतत सामुदायिक विकास को बढ़ावा देते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक की सीएसआर गतिविधियाँ जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रमों के साथ–साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सुधार लाने पर केंद्रित थी।

2. बैंक अपनी सीएसआर कार्यनीति के एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करता है:

2.1 हरित पहल और स्थायित्व

पीएनबी एक संगठन के रूप में पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। निम्नलिखित उठाए गए कदम अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। पीएनबी नीतिगत स्तर पर बदलाव करके एक बड़ी छलांग लगाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है और इसका उद्देश्य निम्नानुसार अधिक टिकाऊ प्रक्रियाओं को अपनाना है:

1. बेहतर दक्षता, पहुंच, निर्बाध संचार और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं की शुरूआत
2. कार्यालयों के भीतर नोट्स/संचार की डिजिटल आवाजाही को प्रोत्साहित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना
3. अंचल और मंडल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम/आयोजन
4. वृक्षारोपण अभियान
5. डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तंत्र
6. ग्रीन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण को बढ़ावा देना
7. नियमित आधार पर रिसाइक्लिंग शिविरों का आयोजन
8. नामित कार्यालयों में साइकिल पार्किंग जोन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
9. बैंक के सभी कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण ओलंपिक की शुरुआत

Punjab National Bank's Corporate Social Responsibility Approach

1. At Punjab National Bank, Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner. The Bank recognises the priorities of its stakeholders such as investors, customers, employees, business partners, local communities, and society at large, and aims to enhance the society's quality of life. At the heart of this strategy is the Bank's unwavering commitment to nurturing vibrant communities. This commitment comes to life through the Bank's support in institutions and programmes that promote sustainable community development. During FY 2023-24, the Bank's CSR activities were focussed towards improving education, health, skill empowerment programmes for the public, as well as social welfare activities on a Pan India basis through its field offices.

2. The Bank makes following commitments as a part of its CSR strategy:

2.1 Green Initiatives & Sustainability

PNB as an organisation is committed to environmental sustainability and is taking proactive steps to reduce its carbon footprint. The following steps undertaken are examples of the Bank's commitment towards a more sustainable future. PNB is also determined to take a major leap by making policy level changes and aims at adopting more sustainable processes as under:

1. Introducing digital processes for better efficiency, accessibility, seamless communication, and enhanced customer experience
2. Encouraging digital movement of notes/communications within offices and reducing carbon emissions
3. Awareness programmes/events at Zonal & Circle level
4. Tree Plantation drive
5. Mechanism for digital record keeping
6. Promoting Green Project Financing & Electric Vehicle Financing
7. Holding of Recycling camps on regular basis
8. Setting up of Cycle parking zones & Electric Vehicle charging stations at designated offices
9. Introduction of Energy Conservation Olympics across all offices of the bank

प्रधान कार्यालय, द्वारका में वृक्षारोपण अभियान में एमडी और सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल

MD & CEO Shri Atul Kumar Goel in a tree plantation drive at Head office, Dwarka

2.2 स्वास्थ्य

जरूरत पड़ने पर हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिल सके, अपनी इस प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हुए, पीएनबी ने वंचित मरीजों के लिए अस्पताल पहुंच में सुधार के साथ–साथ अस्पताल के बुनियादी ढ़ांचे के उन्नयन का समर्थन करने में बड़ा योगदान दिया है।

2.2 Health

As part of its commitment to ensuring that everyone may access healthcare when needed, PNB has made major contributions towards improving hospital access for underprivileged patients as well as supporting hospital infrastructure upgrades.

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, भुवनेश्वर को वेंटिलेटर और आईसीयू बेड सौंपे।

Sh. Atul Kumar Goel, MD & CEO handed over ventilators and ICU beds to Siksha 'O' Anusandhan, Bhubaneshwar, for upgrading health infrastructure

बैंक के 129 वां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर, एमडी और सीईओ, श्री अतुल कुमार गोयल ने कार्यपालक निदेशक श्री कल्याण कुमार और श्री बिनोद कुमार के साथ प्रधान कार्यालय, द्वारका में स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष सभी अंचलों में इसी तरह के शिविर आयोजित किए गए।

On the eve of the Bank's 129th Foundation Day, MD & CEO, Shri Atul Kumar Goel, along with Executive Directors Shri Kalyan Kumar and Shri Binod Kumar, boosted the morale of the staff at a blood donation camp organised for staff members at the Head Office, Dwarka. Similar camps were organised across all the zones throughout the year to raise awareness about blood donation.

एमडी और सीईओ, श्री अतुल कुमार गोयल ने पीएनबी प्रेरणा की अध्यक्षा, श्रीमती पूनम गोयल के साथ, पुरी में जगन्नाथ मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए मंदिर समिति को एक एम्बुलेंस प्रदान की।

MD & CEO, Shri Atul Kumar Goel, along with PNB Prerna's President, Smt. Poonam Goel, provided an ambulance to the temple committee for the service of devotees visiting the Jagannath Temple in Puri.

अहमदाबाद अंचल के दौरे के दौरान ईडी श्री कल्याण कुमार ने सरकारी अस्पताल को 'स्ट्रेचर युक्त गाड़ी' भेंट की।

During the visit to Ahmedabad Zone, ED Shri Kalyan Kumar presented a 'Cart with Stretcher' to the government hospital.

कार्यपालक निदेशक, श्री बिनोद कुमार और श्री बिभु प्रसाद महापात्र ने ओडिशा में भुवनेश्वर अंचल कार्यालय के माध्यम से भक्तों की सुविधा के लिए जगन्नाथ मंदिर के लिए एक ई–रिक्शा प्रदान किया।

Executive Directors, Shri Binod Kumar and Shri Bibhu Prasad Mahapatra, provided an e-rickshaw to the Jagannath Temple for the convenience of devotees through the Bhubaneswar zonal office in Odisha.

तस्वीर 1: अमृतसर अंचल ने जालंधर में श्री देवी तालाब चौरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को एंबुलेंस मुहैया कराई

Pic 1: ZO Amritsar provided ambulance at Jalandhar to Shree Devi Talab Charitable Trust Hospital

2.3 शिक्षा पहल

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक ने समुदाय के भीतर शिक्षा को उन्नत बनाने और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक सीएसआर परियोजना शुरू की। यह प्रतिबद्धता युवा पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य के पोषण के लिए बैंक के समर्पण को दर्शाती है। शैक्षिक कार्यक्रमों और पहलों में निवेश करके, बैंक का उद्देश्य सतत विकास में योगदान करना और बच्चों और युवाओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना है।

तस्वीर 2: चेन्नई अंचल ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए श्रीहर ट्रस्ट को एम्बुलेंस सौंपी।

Pic 2: ZO Chennai handed over Ambulance to SRIHER Trust for upgrading health infrastructure

2.3 Education Initiatives

During the fiscal year 2023-24, the bank initiated a CSR project aimed at advancing education and enhancing educational infrastructure within the community. This commitment reflects the bank's dedication to nurturing a brighter future for the younger generation. By investing in educational programs and initiatives, the bank aims to contribute to sustainable development and empower children and youth with essential knowledge and skills.

एमडी और सीईओ श्री अतुल कुमार गोयल ने गोवा के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोवा स्पेशल स्कूल एसोसिएशन को स्कूल के बुनियादी ढांचे के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए।

MD & CEO Shri Atul Kumar Goel provided Rs 5 Lakhs to Goa Special School Association in the presence of Hon'ble Chief Minister of Goa for school infrastructure essentials

कुछ योगदानों में पीएनबी मंडल कार्यालय, जालंधर द्वारा माता कलसन मेमोरियल पब्लिक स्कूल को स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वस्तुओं का दान शामिल था।

Some of the contributions included donation of school uniforms and stationery items to Mata Kalsan Memorial Public School by PNB Circle Office, Jalandhar.

मंडल कार्यालय जालंधर द्वारा अंचल प्रमुख अमृतसर की उपस्थिति में माता कलसन मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी वस्तुओं का योगदान

Contribution of School uniforms and stationery items to Mata Kalsan Memorial Public School by CO Jalandhar in the presence of Zonal Head Amritsar

शिमला के हमीरपुर जिले में एक सीएसआर कार्यक्रम में मंडल कार्यालय हमीरपुर के कर्मचारी स्कूली छात्रों को डेस्क किट सौंपते हुए

Staff from Circle Office Hamirpur in a CSR event handing over Desk Kits to school students in Hamirpur District of Shimla

पीएनबी ने भाई कन्हैया शैक्षणिक संस्थान, गाँव मोरीवाला, सिरसा को 100 सीलिंग फैन प्रदान किया।

PNB provided 100 ceiling fans to Bhai Kanhaiya Educational Institute, Village Moriwala, Sirsa

पीएनबी ने मोदी निम्न बुनियादी विद्यालय को वाटर प्यूरीफायर और आरओ सिस्टम प्रदान किया।

PNB provided water purifiers and RO systems to Modi Nimn Buniyade Vidyalaya.

उत्तराखंड में हेराल्ड पब्लिक स्कूल के साथ सीएसआर पहल, जिसमें स्कूल को कंप्यूटर और स्कूल की आपूर्ति दी गई।

CSR initiative with Herald Public School in Uttarakhand, wherein the school received computers and school supplies

2.4 कॉरपोरेट स्वयंसेवा

'समाज को वापस देना' बैंक की सीएसआर गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य है। सीएसआर के संबंध में बैंक अपने कर्मचारियों को जो संदेश देना चाहता है, वह यह है कि "आज हम जो कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा"। इस प्रकार, बैंक में की गई सीएसआर गतिविधियों में हमारे स्टाफ सदस्यों और स्थानीय आबादी की सक्रिय भागीदारी शामिल है। इस वर्ष के दौरान देश भर में 1 लाख से अधिक प्रत्येक कर्मचारियों ने दो पौधे लगाए।

2.4 Corporate Volunteering

"Giving back to the society" is the prime motive behind the Bank's CSR activities. The message that the Bank wants to give to its staff regarding CSR is that "whatever we do today, will have an impact on future generations". Thus, the CSR activities undertaken at the Bank involves the active participation of its staff members and the local populace. During this year, more than 1 lakh employees planted two saplings across the country.

मंडल कार्यालय, मालदा में आयोजित स्वच्छता अभियान में सभी स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया

All the staff members participated in the cleanliness drive organized at Circle Office, Malda

पीएनबी पलाश अभियान के तहत देश भर के कर्मचारियों ने पौधे लगाए।

Employees across the nation planted saplings as part of the PNB Palaash campaign.

2.5 खेलों को बढ़ावा

बैंक लगातार राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा दे रहा है। अप्रैल 2004 में अपनी स्थापना के बाद से, बैंक की वरिष्ठ हॉकी टीम में 23 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं, जिनमें से सभी बैंक के कर्मचारी हैं।

बैंक खिलाड़ियों को पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए सभी लॉजिस्टिक्स सहायता और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। वरिष्ठ हॉकी टीम के खिलाड़ियों को खेल किट, आहार भत्ता, कोच, आहार विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं, एस्ट्रो टर्फ मैदान आदि प्रदान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीनियर हॉकी टीम और कोच की फीस पर निवेश की गई कुल राशि 46.43 लाख रुपये थी।

प्रदर्शन की मुख्य बातें और हॉकी टूर्नामेंट का विवरण जिसमें पीएनबी टीम ने भाग लिया और समीक्षा अवधि के दौरान उसकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	टूर्नामेंट की तिथि	टूर्नामेंट / चौंपियनशिप	पीएनबी हॉकी टीम की स्थिति
1	18 / 05 / 2023– 28 / 05 / 2023	12वां लक्ष्मी अम्मल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट	तीसरा स्थान
2	24 / 08 / 2023– 03 / 09 / 2023	94वां अखिल भारतीय एमसीसी–मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट	सेमीफाइनलिस्ट

पीएनबी हॉकी टीम के चार खिलाड़ी – श्री शमशेर सिंह, श्री मनदीप मोर, श्री अभिषेक और श्री सुखजीत सिंह ने वित्त वर्ष 23–24 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।

2.5 Promotion of Sports

The Bank is continuously promoting the National Sport Hockey. Since its inception in April 2004, the bank's Senior Hockey team has grown to encompass 23 players, all of whom are employees of the bank.

The Bank provides all logistics support and infrastructure facilities to the players for developing professional skills. Senior Hockey team players are provided with playing kit, diet allowance, coach, dietician, physiotherapist's services, astro turf ground, etc.

During the FY 2023-24, the total amount invested on Senior Hockey Team and coach fee was Rs. 46.43 lakh.

Performance Highlights and details of Hockey tournaments in which PNB team participated and its achievements during the review period are as below:

S. No.	Date of Tournament	Tournaments/ championships	PNB Hockey team Position
1	18/05/2023-28/05/2023	12th Lakshmi Ammal Memorial Hockey Tournament	3rd Place
2	24/08/2023-03/09/2023	94th all India MCC-Murugappa Gold Cup Hockey Tournament	Semi-Finalist

Four players of the PNB Hockey Team - Mr. Shamsher Singh, Mr. Mandeep Mor, Mr. Abhishek, and Mr. Sukhjeet Singh - represented the Indian National Hockey Team during FY23-24.

तीन खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चीन के हांग्झू में आयोजित एशियाई खेल 2022 में, स्वर्ण पदक जीतने वाले तीन खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे।

पीएनबी हॉकी टीम के नौ खिलाड़ियों ने कुछ अलग–अलग समय पर भारतीय सीनियर और जूनियर पुरुष हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। समीक्षा अवधि के दौरान पीएनबी हॉकी टीम की भागीदारी की झलक इस प्रकार है:

Three players were part of the Indian Hockey contingent which represented India at Hockey World Cup 2023. In Asian Games 2022 held in Hangzhou, China, three of the players were part of Gold Medal winning Indian Men's Hockey Team.

Nine players from PNB Hockey Team at some points of time have represented Indian Senior & Junior Men's Hockey Team. Glimpse of the PNB Hockey team's participation during the review period are as under:

पीएनबी हॉकी टीम को 94वें अखिल भारतीय एमसीसी–मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 में सेमी फाइनलिस्ट के रूप में रखा गया था।

PNB Hockey Team was placed as a Semi Finalist at 94th all India MCC-Murugappa Gold Cup Hockey Tournament 2023

2.6 सामाजिक निवेश

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, बैंक किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्रों, पीएनबी प्रेरणा और अन्य पहलों के माध्यम से समाज में योगदान देता है। बैंक वंचित समुदायों को बेरोजगारी और गरीबी से उबरने एवं शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपना भविष्य बनाने में मदद करता है। इन सभी पहलों को सामाजिक निवेश माना जाता है।

किसान प्रशिक्षण केंद्र (FTCs): बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है जो पीएनबी किसान कल्याण ट्रस्ट के दायरे में आते हैं। केंद्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों, कंप्यूटर, सिलाई/कढ़ाई, और अन्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। स्थापना के बाद से, एफटीसी ने 31 मार्च 2024 तक 61,555 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 18,28,024 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों को किसानों के खेतों में मिट्टी परीक्षण सुविधाओं वाली एक मोबाइल वैन और किसानों को सूचनात्मक वीडियो क्लिप के ऑडियो विजुअल प्रदर्शन के लिए एलईडी से भी सुसज्जित किया गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इस पहल के तहत 446.62 लाख रुपये खर्च किए।

2.6 Social Investments

Being a socially responsible organisation, the Bank contributes to the society through Farmers Training Centers & Rural Self Employment & Training Institutes, Financial Literacy & Credit Counselling Centres, PNB Prerna and other initiatives. The Bank helps the underprivileged communities to overcome unemployment and poverty and shape their own future through education and skill development programmes. All these initiatives are considered as social investment.

Farmers' Training Centres (FTCs): The Bank has established 12 Farmers' Training Centres which comes under the ambit of PNB Farmers Welfare Trust. The centres provide free of cost training on agriculture & allied activities, computers, tailoring/embroidery, and other entrepreneurship development programmes. Since inception, FTCs has imparted training to 18,28,024 people through 61,555 training programmes as of 31st March 2024. These training centres have been also equipped with a mobile van having soil testing facilities at the farmers' fields and LED for audio visual display of informative video clips to the farmers. The Bank spent Rs.446.62 Lakhs under this initiative during FY 2023-24.

विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
2023–24	3156	96313

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): भारत में 76 आरसेटी(ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) और 2 ग्रामीण विकास केंद्र (पीएनबी की पहलें) काम कर रहे हैं जो स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इन केंद्रों में 60,721 लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 47,911 बीपीएल परिवारों के थे और 47,899 महिलाएं थीं।

आरसेटी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 6,02,566 लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 4,04,491 महिलाएं और 1,90,592 अनुसूचित जाति और 36,568 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं।

स्वरोजगार में आरसेटी का प्रभाव इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 3,94,855 लोगों को स्वरोजगार मिला। समीक्षा वर्ष वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान कुल व्यय 3857.36 लाख रुपये था।

The detail is as under:

Financial Year	No. of Programmes	No. of Trainees
2023-24	3156	96313

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs): There are 76 RSETIs (under the aegis of MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India that are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures. 60,721 people were trained in these centres during the FY 2023-24, out of which 47,911 belonged to BPL families and 47,899 were women.

Since its inception, RSETIs has trained 6,02,566 people, out of which 4,04,491 were women and 1,90,592 were SC category and 36,568 were ST category.

Impact of RSETIs in Self-Employment: 3,94,855 people got self-employed after getting training from these institutions. Total expenditure during the review year FY23-24 was Rs. 3857.36 Lakhs.

आरसेटी डिब्रूगढ़ में बीसी सखी मिशन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया

Provided training programme under BC Sakhi Mission at RSETI Dibrugarh

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरसेटी मोहाली में सिलाई कार्यशाला आयोजित की गई थी

To empower women, tailoring workshop was conducted at RSETI Mohali

पीएनबी विकास योजना: बैंक की पीएनबी विकास योजना नामक एक योजना है जिसके तहत 307 गांवों को विभिन्न कल्याण/विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनके समग्र विकास के लिए गोद लिया गया है।

2.7 अन्य सीएसआर पहलें

A. पीएनबी प्रेरणा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के पति/पत्नी के साथ-साथ बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारियों का एक संघ, बैंक की सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने/बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संघ का मुख्य उद्देश्य बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल का सहयोग करना है।

PNB VIKAS YOJANA: Bank has a scheme titled PNB VIKAS YOJANA under which 307 villages have been adopted for their holistic development through various welfare/developmental activities.

2.7 Other CSR Initiatives

A. PNB Prerna, an association of the spouses of the senior officials of the Bank as well as senior lady officials of the Bank, have been performing a vital role in undertaking/promoting the Bank's CSR activities. The prime objective of the Association is to support the Corporate Social Responsibility initiatives of the Bank.

श्रीमती पूनम गोयल, अध्यक्षा पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती साधना कुमारी और श्रीमती गौरी सिंह, उपाध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा, ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की।

Smt. Poonam Goel, President PNB Prerna, Smt. Sadhana Kumari, & Smt. Gouri Singh Vice Presidents PNB Prerna, provided infrastructural support to National Association for the Blind

श्रीमती पूनम गोयल, अध्यक्षा पीएनबी प्रेरणा, श्रीमती साधना कुमारी, श्रीमती गौरी सिंह और श्रीमती अनिता महापात्र, उपाध्यक्ष पीएनबी प्रेरणा, ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता के लिए कैप्ड फाउंडेशन को सहायता प्रदान की

Smt. Poonam Goel, President PNB Prerna, Smt. Sadhana Kumari, Smt. Gouri Singh & Smt. Anita Mahapatra, Vice Presidents PNB Prerna, provided support to CAPED foundation for Cervical Cancer Awareness

B. सीएसआर के तहत अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

B. Other Welfare activities under CSR

मंडल कार्यालय श्रीनगर ने भारतीय सेना के बादामी बाग छावनी, श्रीनगर को 1 गोल्फ कार्ट और 2 यात्री ऑटो प्रदान किया

Circle Office Srinagar provided 1 Golf Cart and 2 passenger autos to Indian Army's Badami Bagh Cantonment, Srinagar

अंचल कार्यालय अमृतसर ने अटारी बॉर्डर अमृतसर में 200 सार्वजनिक बैठने की कुर्सियाँ सौंपीं

ZO Amritsar handed over 200 public seating chairs at Attari border Amritsar

पीएनबी मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में विभिन्न आवश्यक वस्तुएं प्रदान करके मदद कर रहा है

PNB helping internally displaced people in Manipur by providing various essential items in relief camps

पीएनबी ने खेल उपकरण प्रदान करके बोच्चिया फेडरेशन का सहयोग किया

PNB supported BOCCIA Federation by providing sports equipment

अंचल कार्यालय चंडीगढ़ ने मरीजों के लाभ के लिए एम्स झज्जर को रोटी मेकर मशीन प्रदान की

ZO Chandigarh provided roti maker machine to AIIMS Jhajjar for the benefit of patients

अंचल कार्यालय अहमदाबाद ने अनाथालय, शिशु गृह को आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति प्रदान की

ZO Ahmedabad provided essential furniture supplies to the orphanage, Shishu Gruh

अंचल कार्यालय जयपुर ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जयपुर को कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदान किया। सोसायटी मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने एवं योग और ध्यान के माध्यम से संतुलित जीवन जीने के लिए काम करती है

ZO Jaipur provided computers & printers to Yogada Satsang Society of India, Jaipur. The society works around raising awareness on mental health and leading a balanced life through Yoga and Meditation

अंचल कार्यालय दिल्ली ने सेवा भारती संस्थान, दिल्ली के साथ वंचित लोगों के लिए कंबल वितरित किया

ZO Delhi distributed blankets for underprivileged people with the Sewa Bharti Institute, Delhi

अंचल कार्यालय अहमदाबाद ने नगर देवी श्री भद्रकाली माताजी मंदिर में सार्वजनिक पेयजल सुविधा प्रदान की

ZO Ahmedabad provided a public drinking water facility at the Nagar Devi Shri Bhadrakali Mataji Mandir

अंचल कार्यालय कोलकाता ने रामकृष्ण शारदा आश्रम, अंतपुर में गरीब और वंचित लोगों को कंबल वितरित किया

ZO Kolkata distributed blankets to the poor and underprivileged people at the Ramakrishna Sarada Asharam, Antpur

31.03.2024 (समेकित) के लिए बासेल III के अंतर्गत स्तम्भ-3 प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III (समेकित आधार पर और महत्वपूर्ण अनुपात अर्थात पूंजी, एनपीए और उद्योगवार प्रकटीकरण एकल आधार पर) फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तम्भ 3 का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाईट पर अलग से प्रदर्शित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईटः www.pnbindia.in > Regulatory Disclosures > Basel III Disclosures > Financial year 2023-2024 देखें।

(वेब लिंकः https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures.html)

इस खण्ड में निम्नलिखित प्रकटीकरण सम्मिलित हैंः–

क्र.स.	तालिकाएं	विवरण
1.	तालिका DF - 1	प्रयोज्यता का दायरा
2.	तालिका DF - 2	पूंजी पर्याप्तता
3.	तालिका DF - 3	ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटीकरण
4.	तालिका DF - 4	ऋण जोखिमः मानक दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
5.	तालिका DF - 5	ऋण जोखिम न्यूनीकरण : – मानक दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
6.	तालिका DF - 6	प्रतिभूतिकरणः मानक दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
7.	तालिका DF - 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
8.	तालिका DF - 8	परिचालनगत जोखिम
9.	तालिका DF - 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
10.	तालिका DF - 10	प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम से सम्बन्धित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण
11.	तालिका DF - 11	पूंजी की संरचना
12.	तालिका DF - 12	पूंजी की संरचना – मिलान सम्बन्धी अपेक्षाएं
13.	तालिका DF - 13	विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
14.	तालिका DF - 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें एवं नियम
15.	तालिका DF - 15	पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकताएं
16.	तालिका DF - 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही की स्थिति के लिए प्रकटीकरण
17.	तालिका DF - 17	लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर माप की संक्षिप्त तुलना
18.	तालिका DF - 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट

Pillar-3 Disclosures under Basel III for 31.03.2024 (CONSOLIDATED)

Pillar 3 Disclosures under Basel III (Consolidated Basis and Important Ratios I.e. Capital, NPA and Industry Wise Exposure on Solo Basis) Framework for the Year ended March 31, 2024 as per guidelines of RBI have been disclosed separately on Bank's website. For details, please visit our website: www.pnbindia.in > Regulatory Disclosures > Basel III Disclosures > Financial year 2023-2024

(web link: https://www.pnbindia.in/Basel-III-Disclosures.html)

The section contains following disclosures:-

Sl. No.	Tables	Particulars
1.	Table DF - 1	Scope of Application
2.	Table DF - 2	Capital Adequacy
3.	Table DF - 3	Credit Risk: General Disclosures
4.	Table DF - 4	Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach
5.	Table DF - 5	Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach
6.	Table DF - 6	Securitisation: Disclosure for Standardised Approach
7.	Table DF - 7	Market Risk in Trading Book
8.	Table DF - 8	Operational Risk
9.	Table DF - 9	Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
10.	Table DF - 10	General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk
11.	Table DF - 11	Composition of Capital
12.	Table DF - 12	Composition of Capital – Reconciliation Requirements
13.	Table DF - 13	Main features of Regulatory Capital Instruments
14.	Table DF - 14	Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments.
15.	Table DF - 15	Disclosure Requirements for Remuneration
16.	Table DF - 16	Equities – Disclosures for Banking Book Positions
17.	Table DF - 17	Summary Comparison of Accounting Assets vs Leverage Ratio Exposure Measure
18.	Table DF - 18	Leverage Ratio Common Disclosure Template

एकल वित्तीय विवरणियां
Standalone Financial Statements

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने संलग्न पंजाब नैशनल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा तथा समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें समाप्त वर्ष की इस तिथि के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित प्रधान कार्यालय, 22 अंचल कार्यालय और
   - i. 20 घरेलू शाखाएं, ट्रेजरी प्रभाग, क्रेडिट कार्ड प्रभाग तथा 37 अन्य कार्यालयों की लेखा परीक्षा शामिल है।
   - ii. 1629 भारतीय शाखाओं और अन्य कार्यालयों की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।
   - iii. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 1 विदेशी शाखा की लेखा परीक्षा की गई।
   - iv. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई।

   हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। तुलन–पत्र में लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण बैंक की 9638 शाखाओं और अन्य कार्यालयों की विवरणी, जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, भी शामिल है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 26.68% अग्रिम, 66.60% जमा राशि है, 20.53% ब्याज आय और 60.27% ब्याज व्यय होता है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और:
   - क. दिए गए नोट्स के साथ पठित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;
   - ख. इस नोट के साथ पठित लाभ और हानि लेखा सही लाभ शेष (यथा लागू) दर्शाता है; तथा
   - ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2024, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office, 22 Zonal Offices and
   - i. 20 branches, Treasury division, Credit Card division and 37 other offices audited by us.
   - ii. 1629 Indian branches and other offices audited by statutory branch auditors.
   - iii. 1 foreign branch audited by local auditors.
   - iv. 1 International Banking Unit situated at Gujarat International Finance Tec-City (Gift City) audited by Statutory Branch Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 9638 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 26.68% of advances, 66.60 % of deposits, 20.53% of interest income and 60.27% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
   - a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2024;
   - b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and
   - c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अभिमत का आधार

3. हमने आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित किया गया है। प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं, जो एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, सहित भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को निष्पादित और गैर– निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है।	हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशा–निर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ–साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया गया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31 March 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No 5) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity.	Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और एकल वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा–परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	• तर्क/डेटा की सटीकता को लागू करने/ कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की। • किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक संचालन या कमी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रलेखनों, परिचालन/प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित शाखाओं/संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं / टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा–परीक्षा, निरीक्षण लेखा–परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, नियामक लेखा–परीक्षा रिपोर्टों और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्टों की समीक्षा की। **हमारा परिणामः** लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
निवेश – गैर–निष्पादित निवेश के लिए मूल्यांकन एवं पहचान तथा प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बांड्स, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीद और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के निवेश शामिल है, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/ निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है।

In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	• Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and its corrective action. • Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on as per RBI guidelines basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system. **Our Results:** The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.
Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Schedule 8 to the Standalone Financial Statements, read with the Accounting Policy No 4) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines. • We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.

आरबीआई के संबंधित परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का अनुकूल गैर–निर्धारण और उस पर प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति के प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े / सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	• निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। • हमने एनपीआई की पहचान, और आय के अनुकूल परिवर्तन और प्रावधान की व्यवस्था की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। **हमारा परिणाम:** लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन: आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण। नियामकों आदि के लिए अन्य अनुपालन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है।इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: –** • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना। • बैंक के विनियमों / नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना।

Valuation of Investments, identification of Non performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	• For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. **Our Results:** The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.
Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines. Other compliances to regulators etc., is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	**Our audit approach included: -** • Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. • Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution".

	हमारा परिणाम निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सिस्टम से इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने हेतु क्षमता में संवर्द्धन करने की आवश्यकता है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन। बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे :–** • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है।

एकल वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उसपर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट अनुलग्नक सहित, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट (किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्त निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

   एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविकरूप से गलत प्रतीत होती है।

   यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत सामग्री हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

	Our Results: There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.
Litigation & Contingent Liabilities Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	**Our audit approach included: -** • Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; • Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; • Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and • Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा शासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो लागू लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं उसका पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उन्हें लागू करना; निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि; ये उचित एवं विवेकपूर्ण हैं; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण; जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं; जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करता है तथा या तो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण सामग्री से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानकों (SAs)के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण सामग्री का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो।

धोखाधड़ी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सृजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, इसे सही विवरणी माना जाता है, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है।

लेखामानकों (SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain

अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

वास्तविकता एकल वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं,अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. हमने बैंक के वित्तीय विवरणों में शामिल 1629 (संख्या) शाखाओं और अन्य कार्यालयों और 1 विदेशी शाखा के और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई के एकल वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक रु. 2,74,666.07 करोड़ की कुल आस्ति और उक्त तिथि को समाप्त तिमाही के लिए रु. 19,064.58 करोड़ का कुल राजस्व, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचारार्थ है, दर्शाती है। 31 मार्च, 2024 को इन शाखाओं और अन्य कार्यालयों और विदेशी शाखाओं में अग्रिमों का 22.61%, जमाराशि का 26.43% तथा अनर्जक आस्तियों का 31.10% और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 15.85% शामिल हैं। इन शाखाओं का वित्तीय विवरण/जानकारी शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमाराअभिमत जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

9. 31 मार्च, 2023 को समाप्त गत वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय परिणामों की संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी, उनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक फर्म हैं और उन्होंने 19 मई, 2023 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

इन मामले के संबंध में हमारा अभिमत बदला नहीं है।

विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तैयार किए गए हैं;

11. उपर्युक्त पैराग्राफ 8 और 9 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements / information of 1629 (number) branches and other offices, 1 foreign branch and 1 International Banking Unit situated at GIFT City included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2,74,666.07 crores as at 31st March 2024 and total revenue of Rs. 19,064.58 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and other offices and foreign branches cover 22.61% of advances, 26.43% of deposits and 31.10% of non-performing assets as at 31st March 2024 and 15.85% of revenue for the year ended 31st March 2024. The financial statements / information of these branches has been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

9. The Standalone Financial results of the Bank for the previous year ended 31st March, 2023 were audited by the joint auditors, three of them are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial results vide report dated May 19, 2023.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

बी. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और

सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

12. आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के अनुवर्ती पत्र के साथ पठित, 17 मार्च 2020 के पत्र क्रमांक डीओएस.एआरजी सं. 6270 / 08.91.001 / 2019–20 द्वारा यथा अपेक्षित, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

ए. हमारे अभिमत में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।

बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई सीमा, प्रतिबंध नहीं है या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च 2024 को एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा गया है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;

बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter No. DOS. ARG. No. 6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19 May 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a. In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31 March 2024.

13. We further report that:

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नन्द किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं . 510708)
(M.No. 510708)
यूडीआईएन: 24510708BKBMOZ4669
UDIN: 24510708BKBMOZ4669

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)
यूडीआईएन: 24088903BKGPWJ9925
UDIN: 24088903BKGPWJ9925

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M.No. 072738)
यूडीआईएन: 24072738BKEGTP3401
UDIN: 24072738BKEGTP3401

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000429एन
FRN: 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M.No.080624)
यूडीआईएन: 24080624BKEJVW5565
UDIN: 24080624BKEJVW5565

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M.No. 411219)
यूडीआईएन: 24411219BKFXEG9474
UDIN: 24411219BKFXEG9474

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक: 09 मई, 2024
Date: May 09, 2024

लेखा परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट हेतु अनुबंध 'ए'

(हमारी उस तिथि की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस.एआरजी सं. 6270/08 91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथासंशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों को हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च 2024 तक की पंजाब नैशनल बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखापरीक्षित किया है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सम्मिलित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक प्रबंधन पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। इन उत्तरदायित्यों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, क्रियान्वयन और रखरखाव जो बैंक की नीतियों के पालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उसका पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत यथोपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी निहित है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (**"आईसीएआई"**) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (**"मार्गदर्शन नोट"**) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab National Bank (**"the Bank"**) as of 31 March, 2024 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (**"the Guidance Note"**) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (**"the ICAI"**) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि भौतिक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और भाव का परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक चूक के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को विश्वसनीयता और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन वर्ग और निदेशकों के प्राधिकरणानुसार किए जा रहे हैं, तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गठबंधन की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अभिमाव शामिल हैं त्रुटि या धोखाधड़ी के हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट से विवरण में भौतिक चूक हो सकती है।

अभिमत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोटों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं जो 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे

understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting that were operating effectively as at 31 March, 2024, based on the criteria

थे, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर पर्याप्त है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक 1631 शाखाओं/कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों/शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इन मामले के संबंध में हमारा अभिमत बदला नहीं है।

for internal financial control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1631 branches/offices is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नन्द किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)
यूडीआईएन: **24510708BKBMOZ4669**
UDIN: 24510708BKBMOZ4669

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)
यूडीआईएन: **24088903BKGPWJ9925**
UDIN: 24088903BKGPWJ9925

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M.No. 072738)
यूडीआईएन: **24072738BKEGTP3401**
UDIN: 24072738BKEGTP3401

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000429एन
FRN: 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M.No.080624)
यूडीआईएन: **24080624BKEJVW5565**
UDIN: 24080624BKEJVW5565

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M.No. 411219)
यूडीआईएन: **24411219BKFXEG9474**
UDIN: 24411219BKFXEG9474

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांक: 09 मई, 2024
Date: May 09, 2024

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र

PUNJAB NATIONAL BANK — STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2024

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
पूंजी एवं देयताएं **Capital and Liabilities**			
पूंजी Capital	1	2202,20,31	2202,20,31
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	104274,37,03	97653,45,61
जमाराशियाँ Deposits	3	1369712,80,55	1281163,10,45
उधार Borrowings	4	50429,85,35	51291,73,08
अन्य देयताएं और प्रावधान Other liabilities and provisions	5	35215,77,49	29520,86,78
कुल / Total		**1561835,00,73**	**1461831,36,23**
आस्तियां **Assets**			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	65032,91,16	78176,57,52
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	64071,66,93	76932,23,31
निवेश Investments	8	420318,20,69	395996,71,63
अग्रिम Advances	9	934430,59,24	830833,98,13
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	12318,77,37	12051,07,45
अन्य आस्तियां Other Assets	11	65662,85,34	67840,78,19
कुल / Total		**1561835,00,73**	**1461831,36,23**
आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	12	223523,68,66	644471,87,67
वसूली के लिए बिल Bills for Collection		36019,11,64	34377,59,61
प्रमुख लेखांकन नीतियां **Significant Accounting Policies**	17		
लेखों पर टिप्पणियां **Notes on Accounts**	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

प्रबुद्ध शर्मा **Prabudh Sharma** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	मुकेश कुमार **Mukesh Kumar** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	आर के खीची **R K Khichi** उप महाप्रबंधक **Deputy General Manager**	प्रवीण कुमार शर्मा **Praveen Kumar Sharma** महाप्रबंधक **General Manager**

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र
Bibhu Prasad Mahapatra
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बिनोद कुमार
Binod Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 304138E**

कृते एस सी बपना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 115649W**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 510708)**

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 088903)**

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 072738)**

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 000429N**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No.080624)**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 411219)**

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi

दिनांकः 9 मई, 2024
Date: May 09, 2024

पंजाब नैशनल बैंक – 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि लेखा
PUNJAB NATIONAL BANK — STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
I.	**आय Income**			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	106901,62,00	85144,11,13
	अन्य आय Other Income	14	13383,53,96	12142,53,13
	कुल / Total		**120285,15,96**	**97286,64,26**
II.	**व्यय Expenditure**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	66818,55,20	50652,47,47
	परिचालन खर्च Operating expenses	16	28535,79,80	24105,40,85
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		16686,19,41	20021,55,45
	कुल / Total		**112040,54,41**	**94779,43,77**
III.	**लाभ / हानि Profit/Loss**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) Net Profit/(Loss) for the year		**8244,61,55**	**2507,20,49**
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते में शेष Add: Balance in Profit and Loss A/c		79,25	0
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ Profit available for Appropriation		**8245,40,80**	**2507,20,49**
IV.	**विनियोजन Appropriations**			
	सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Statutory Reserves		2061,15,39	626,80,13
	पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Capital Reserves		46,28,24	52,15,39
	निवेश आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Investment Reserve		0	0

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve		288,95,13	194,74,12
आयकर अधिनियम के अनुसार विशेष आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Special Reserve as per Income Tax Act		397,12,00	250,00,00
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		1651,65,23	715,71,60
अन्य आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to Other Reserves		3799,44,00	667,00,00
लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account		80,81	79,25
कुल / Total		8245,40,80	2507,20,49
प्रति शेयर आय (रु. में) (मूल / डाईल्युटेड) (अंकित मूल्य 2 रु. प्रति शेयर) **Earning per Share (Rs.) (Basic/Diluted) (Nominal Value Rs.2 per share)**		**7.49**	**2.28**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **Significant Accounting Policies**	**17**		
लेखों पर टिप्पणियां **Notes on Accounts**	**18**		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ और हानि लेखों का एक अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

प्रबुद्ध शर्मा **Prabudh Sharma** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	मुकेश कुमार **Mukesh Kumar** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	आर के खीची **R K Khichi** उप महाप्रबंधक **Deputy General Manager**	प्रवीण कुमार शर्मा **Praveen Kumar Sharma** महाप्रबंधक **General Manager**

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र **Bibhu Prasad Mahapatra** कार्यपालक निदेशक **Executive Director**	एम परमशिवम **M Paramasivam** कार्यपालक निदेशक **Executive Director**	बिनोद कुमार **Binod Kumar** कार्यपालक निदेशक **Executive Director**	कल्याण कुमार **Kalyan Kumar** कार्यपालक निदेशक **Executive Director**

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 304138E**

कृते एस सी बपना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 115649W**

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 119250W**

सनदी लेखाकार किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 510708)**

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 088903)**

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 072738)**

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 000429N**

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन/**FRN: 004501C**

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No.080624)**

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं./**M.No. 411219)**

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांकः 9 मई, 2024
Date: May 09, 2024

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars			31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 1–पूँजी SCHEDULE 1 - CAPITAL					
प्राधिकृत Authorised					
प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity Shares of Rs. 2 each)			3000,00,00		3000,00,00
जारी एवं अभिदत्त Issued and Subscribed					
प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 रुपये के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each)			2202,20,31		2202,20,31
प्रदत्त Paid Up					
प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous year 1101,10,15,558 Equity Shares of Rs. 2 each)			2202,20,31		2202,20,31
[उपर्युक्त में प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each held by Central Government]					
कुल / Total			**2202,20,31**		**2202,20,31**
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS					
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियां Statutory Reserves**				
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	15778,28,38		15151,48,25	
	जोड़ें: लाभ व हानि वियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	2061,15,39	**17839,43,77**	626,80,13	**15778,28,38**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां **Capital Reserves**				
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां **a) Revaluation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	8455,12,74		7048,62,41	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	20,39,61		2113,65,84	
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	1,22,08		376,00,78	
आरक्षित निधियों में अंतरित (निवल) Transfer to Other Reserves (net)	168,67,28	**8305,62,99**	331,14,73	**8455,12,74**
बी) अन्य **b) Others**				
(9268.29 करोड़ रुपये के समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crore)				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	16627,56,12		16575,40,73	
जोड़ें: लाभ व हानि वियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	46,28,24	**16673,84,36**	52,15,39	**16627,56,12**
III. शेयर प्रीमियम **Share Premium**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	46012,18,78		46012,18,78	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	0	**46012,18,78**	0	**46012,18,78**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ **Revenue and Other Reserves**				
ए) निवेश आरक्षित निधि **a) Investment Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	386,34,51		386,34,51	
जोड़ें: लाभ व हानि वियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	0	**386,34,51**	0	**386,34,51**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
बी) निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि **b) Investment Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1588,40,07		1393,65,95	
जोड़ें: लाभ व हानि वियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	288,95,13	**1877,35,20**	194,74,12	**1588,40,07**
सी) विनिमय उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि **c) Exchange Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	230,10,87		419,43,44	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Addition during the year	9,63,91		95,85,08	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	86,34	**238,88,44**	285,17,65	**230,10,87**
डी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि **d) Special Reserve under Sec.36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3618,66,00		3368,66,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	397,12,00	**4015,78,00**	250,00,00	**3618,66,00**
ई) अन्य रिजर्व **e) Other Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	4955,98,89		2928,89,16	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	0		1028,95,00	
जोड़ें: लाभ व हानि वियोजन खाते से अंतरित Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	3799,44,00		667,00,00	
जोड़ें: पुर्नमूल्यांकन आरक्षित निधियों से अंतरण (निवल) Add: Transfer from Revaluation Reserves (net)	168,67,28	**8924,10,17**	331,14,73	**4955,98,89**
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि **Balance in Profit and Loss Account**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	79,25		0	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	8244,61,55		2507,20,49	
घटाएं: लाभ और हानि के विवरण के अनुसार विनियोग Less: Appropriations as per Statement of Profit & Loss	8244,59,99	**80,81**	2506,41,24	**79,25**
कुल (I, II, III, IV और V) **Total (I, II, III, IV and V)**		**104274,37,03**		**97653,45,61**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 3 – जमाराशियां **SCHEDULE 3 - DEPOSITS**				
ए. I मांग जमाराशियां **A.I. Demand Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	3334,39,70		3197,04,11	
(ii) अन्य से From Others	68866,63,11		70831,03,04	
		72201,02,81		**74028,07,15**
II. बचत बैंक जमाराशियां **Savings Bank Deposits**		**480298,32,81**		**463987,24,88**
III. मियादी जमाराशियां **Term Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	66126,76,26		50980,03,15	
(ii) अन्य से From Others	751086,68,67		692167,75,27	
		817213,44,93		**743147,78,42**
कुल (I, II और III) **Total (I, II and III)**		**1369712,80,55**		**1281163,10,45**
बी. **B.** (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India		1333364,99,49		1251708,09,19
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India		36347,81,06		29455,01,26
कुल / Total		**1369712,80,55**		**1281163,10,45**
अनुसूची 4 – उधार राशियां **SCHEDULE 4 - BORROWINGS**				
I. भारत में उधार राशियां **Borrowings in India**				
(a) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank of India		0		0
(b) अन्य बैंकों से Other Banks		15,43		55,80
(c) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies		3458,15,14		6921,49,34

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars			31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
(d) असुरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड Unsecured Redeemable Bonds					
(i) टियर–I बॉण्ड (शाश्वत ऋण लिखत) Tier-I Bonds (Perpetual Debt Instruments)	16192,00,00			10180,00,00	
(ii) अपर टियर–II बॉण्ड Upper Tier-II Bonds	0			0	
(iii) टियर–II पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण Subordinate debts for Tier II Capital	20003,00,00			18913,00,00	
(iv) दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड Long term infrastructure bonds	2800,00,00			2800,00,00	
		38995,00,00			31893,00,00
II. **भारत के बाहर उधार राशियां** **Borrowings outside India**		7976,54,78			12476,67,94
कुल (I और II) TOTAL (I and II)		**50429,85,35**			**51291,73,08**
उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां Secured Borrowings included in I and II above		2168,53,00			4765,86,00

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल Bills Payable	3313,46,84	3673,81,79
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	0	1
III. उपचित ब्याज Interest accrued	4060,33,03	3322,99,35
IV. आस्थगित कर देयता (निवल) Deferred Tax Liability (Net)	0	0
V. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)	27841,97,62	22524,05,63
कुल / Total	**35215,77,49**	**29520,86,78**

अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	3534,16,93	3712,99,91
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Balance with Reserve Bank of India		
(a) चालू खाते में in Current Account	61498,74,23	53337,57,61
(b) अन्य खातों में in Other Accounts	0	21126,00,00
कुल (I और II) Total (I and II)	**65032,91,16**	**78176,57,52**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**				
I. भारत में **In India**				
(i) बैंकों में शेष राशि: Balances with Banks				
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	4,05,08		5,20,62	
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	22148,15,56		16754,58,11	
		22152,20,64		**16759,78,73**
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at Call and Short Notice				
(क) बैंकों के पास (a) with Banks	0		0	
(बी) अन्य संस्थाओं के पास (b) with Other Institutions	22766,84,06		23057,66,37	
		22766,84,06		**23057,66,37**
कुल (i और ii) **Total (i and ii)**		**44919,04,70**		**39817,45,10**
II. भारत से बाहर **Outside India**				
(i) बैंकों में शेष राशि: Balances with Banks				
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	3764,39,98		13517,99,50	
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	15388,22,25		23596,78,71	
		19152,62,23		**37114,78,21**
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि: Money at Call and Short Notice		0		0
कुल (i और ii) **Total (i and ii)**		**19152,62,23**		**37114,78,21**
समग्र जोड़ (I और II) **Grand Total (I and II)**		**64071,66,93**		**76932,23,31**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 8 – निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश **Investments in India in**		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities	372073,67,28	352415,23,18
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	15,00	15,00
(iii) शेयर Shares	2841,30,04	3061,59,23
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड Debentures and Bonds	32202,40,72	30622,26,57
(v) सहायक और/या संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थानों सहित) Subsidiaries and/or joint ventures (including sponsored institutions)	2483,16,42	1891,26,52
(vi) अन्य Others	3752,18,96	1452,38,41
म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण–पत्र आदि। Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL, Commercial Papers & Certificate of Deposits, etc.		
कुल / Total	**413352,88,42**	**389442,88,91**
II. भारत से बाहर निवेश **Investments outside India in**		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	4109,93,85	3850,26,67
(ii) विदेश में सहायक कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint ventures abroad	2218,69,55	2145,86,75
(iii) अन्य Others	636,68,87	557,69,30
कुल / Total	**6965,32,27**	**6553,82,72**
समग्र जोड़ (I और II) Grand Total (I and II)	**420318,20,69**	**395996,71,63**
III. भारत में निवेश **Investments in India**		
(i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of investments	421618,63,16	398450,62,35
(ii) घटाएँ: मूल्यह्रास के प्रावधानों का कुल योग Less: Aggregate of provisions for depreciation	8265,74,74	9007,73,44
(iii) निवल निवेश Net investment	**413352,88,42**	**389442,88,91**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

		विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
IV.		**भारत के बाहर निवेश Investments outside India**		
	(i)	निवेश का सकल मूल्य Gross value of investments	7382,91,54	6979,93,86
	(ii)	घटाएँ: मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग Less: Aggregate of provisions for depreciation	417,59,27	426,11,14
	(iii)	निवल निवेश Net investment	**6965,32,27**	**6553,82,72**
		समग्र जोड़ (III और IV) Grand Total (III and IV)	**420318,20,69**	**395996,71,63**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

A.	(i)	खरीदे गए और भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted	5598,87,94	3580,27,45
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती–योग्य ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	402744,86,45	375668,82,91
	(iii)	मीयादी ऋण Term loans	526086,84,85	451584,87,77
		कुल / Total*	**934430,59,24**	**830833,98,13**
B.	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इनमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	688040,94,19	656973,71,10
	(ii)	बैंक / सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत Covered by Bank/Government guarantees	32372,64,42	22824,72,54
	(iii)	अप्रतिभूत Unsecured	214017,00,63	151035,54,49
		कुल / Total	**934430,59,24**	**830833,98,13**
सी.I. C.I.		**भारत में अग्रिम Advances in India**		
	(i)	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	257461,03,15	238476,43,81
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	161112,74,10	166389,08,15
	(iii)	बैंक Banks	0	0
	(iv)	अन्य Others	476546,79,76	392660,21,11
		कुल / Total	**895120,57,01**	**797525,73,07**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
सी.II. भारत के बाहर अग्रिम **C.II. Advances outside India**			
(i) बैंकों से प्राप्य Due from banks		18279,55,88	15055,53,52
(ii) अन्य से प्राप्य Due from others			
(a) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted		1563,61,33	676,18,91
(b) सामूहिक ऋण Syndicated loans		5849,20,33	5988,07,97
(c) अन्य Others		13617,64,69	11588,44,66
कुल / Total		**39310,02,23**	**33308,25,06**
समग्र जोड़ (सी.I और सी.II) **Grand Total (C.I and C.II)**		**934430,59,24**	**830833,98,13**

**प्रावधानों के सुविधावार वर्गीकरण को पुनः व्यवस्थित किया गया है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को लाभ के कुल में कोई बदलाव किए बिना पुनः समूहित किया गया है।*

**The facility wise categorization of provisions has been realignd. Accordingly, previous year's figure have been regrouped without any change in total of advances.*

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

	31.03.2024		31.03.2023	
ए मूर्त आस्तियां **A Tangible Assets**				
I. परिसर **Premises**				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत / मूल्यांकन पर At cost / valuation as on 31st March of the preceding year	12087,14,86		10500,01,33	
जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन Add: Revaluation during the year	19,17,53		1737,65,06	
अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the period	109,39,03		25,83,73	
	12215,71,42		**12263,50,12**	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	97,29		176,35,26	
	12214,74,13		**12087,14,86**	
घटाएं: अब तक मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) Less: Depreciation to date (Including on revalued amount)	2028,32,45		1805,29,74	
		10186,41,68		**10281,85,12**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars			31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
II.	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	9787,29,49		9142,42,92	
	जोड़े: अवधि के दौरान वृद्धि Add: Addition during the period	930,46,74		656,12,19	
		10717,76,23		**9798,55,11**	
	घटाएं: अवधि के दौरान कटौती Less: Deduction during the period	13,01,68		11,25,62	
		10704,74,55		**9787,29,49**	
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास Less: Depreciation to date	8776,36,72		8202,52,12	
			1928,37,83		**1584,77,37**
III	**पट्टे वाली आस्तियां** **Leased Assets**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	25,23,86		25,23,86	
	जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन Add: Addition/adjustment during the year	0		0	
		25,23,86		**25,23,86**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	0		0	
		25,23,86		**25,23,86**	
	घटाएं: आज तक का परिशोधन / पट्टा समायोजन Less: Amortisation/lease adjustment to date	25,23,86		25,23,86	
			0		0
	(I, II और III) का जोड़ Total (I, II and III)		**12114,79,51**		**11866,62,49**
बी B	**अमूर्त आस्तियां** **Intangible Assets**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर **Computer Software**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1251,32,90		1209,31,43	
	जोड़े: वर्ष के दौरान जोड़ Add: Addition during the period	117,90,53		42,01,47	
		1369,23,43		**1251,32,90**	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती Less: Deduction during the year	79,00		0	
		1368,44,43		**1251,32,90**	
	घटाएं: आज तक परिशोधित Less: Amortised to date	1164,46,57		1066,87,94	
	कुल / Total		**203,97,86**		**184,44,96**
	(ए और बी) का कुल योग Grand Total (A and B)		**12318,77,37**		**12051,07,45**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां **SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS**		
I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	0	0
II. उपचित ब्याज Interest accrued	11678,04,11	8757,89,78
III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	11061,58,95	13166,93,48
IV. स्टेशनरी और स्टांप Stationery and stamps	7,79,30	6,15,44
V. दावों के निपटन से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	26,44,97	26,44,97
VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred tax asset (net)	22741,53,03	23761,16,30
VII. अन्य Others	20147,44,98	22122,18,22
[प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी के कारण रु.12231,82,68 हजार आदि; नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी आदि के साथ जमा राशियाँ शामिल है; पिछले वर्ष रु.13956,74,50 हजार] [includes deposits with NABARD/SIDBI/NHB, etc. Rs.12231,82,68 thousands on account of shortfall in priority sector targets; Previous year Rs.13956,74,50 thousands]		
कुल/Total	**65662,85,34**	**67840,78,19**
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	771,34,69	814,56,23
(ii) अपील, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांग Disputed income tax and interest tax demands under appeals, references etc.	7362,88,10	8687,76,12
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं Liability for partly paid investments	209,36,02	252,55,55
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	132782,70,12	558442,35,10
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
(a) भारत में In India	54421,03,84	49201,17,84
(b) भारत के बाहर Outside India	4298,42,83	4633,63,80
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	18178,62,64	16849,97,22
VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	5499,30,42	5589,85,81
कुल/Total	**223523,68,66**	**644471,87,67**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

	विवरण Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED**		
I.	अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट Interest/discount on advances/bills	75939,30,89	57319,23,00
II.	निवेश पर आय Income on investments	27644,79,80	25142,86,15
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	2778,89,10	1890,38,98
IV.	अन्य Others	538,62,21	791,63,00
	कुल/Total	**106901,62,00**	**85144,11,13**

	विवरण Particulars	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023
	अनुसूची 14 – अन्य आय **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME**				
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage		4226,21,40		3927,69,46
II.	निवेश की बिक्री से लाभ Profit on sale of Investments	1483,92,46		1130,60,31	
	घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of Investments	130,26,94		83,88,89	
			1353,65,52		1046,71,42
III.	निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of investments	1668,80,91		545,44,89	
	घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	2331,37,28		2729,33,96	
			-662,56,37		-2183,89,07
IV.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	7,07,04		15,58,59	
	घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	39,74		13,03,01	
			6,67,30		2,55,58
V.	विनिमय लेन–देन पर लाभ Profit on exchange transactions	498,36,65		863,93,29	
	घटाएं: विनिमय लेन–देन पर हानि Less: Loss on exchange transactions	32,22,17		60,28,77	
			466,14,48		803,64,52
VI.	विदेशों/भारत में सहायक कंपनियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India		33,44,99		84,36,66
VII	विविध आय Miscellaneous Income		7959,96,64		8461,44,56
	कुल/Total		**13383,53,96**		**12142,53,13**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	62310,79,96	46845,98,85
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर–बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	1289,86,25	1149,08,89
III. अन्य Others	3217,88,99	2657,39,73
कुल / Total	**66818,55,20**	**50652,47,47**
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	18486,31,04	14810,00,57
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था Rent, taxes and lighting	1325,76,52	1317,88,96
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	169,28,55	159,39,18
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	93,49,05	98,19,68
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on bank's property	895,24,94	896,55,51
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	2,83,17	2,42,91
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	43,90,34	43,49,26
VIII. विधि प्रभार Law charges	141,08,88	120,74,95
IX. पोस्टेज, टेलीग्राम, दूरभाष आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	331,98,05	330,51,04
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	795,86,16	778,79,29
XI. बीमा Insurance	1697,99,34	1550,85,81
XII. अन्य व्यय Other expenditure	4552,03,76	3996,53,69
कुल / Total	**28535,79,80**	**24105,40,85**

अनुसूची 17:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्त वर्ष 2023–24

1. तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं तथा समस्त महत्वपूर्ण दृष्टियो से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस) तथा ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी कार्यालयों के सम्बन्ध में, संबंधित देशों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया गया है, अन्यत्र यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त।

वित्तीय विवरणियों को उपचय अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियां एवं निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लेखित न हों।

2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणियों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचारार्थ अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेक सम्मत और तर्कसंगत हैं।

भावी परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यांवित हुए हैं।

वर्तमान एवं भावी अवधि में लेखांकन अनुमानों में किसी प्रकार का संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से माना जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो।

3. राजस्व निर्धारण

3.1 आय/व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को मिलाकर गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय का निर्धारण वसूली होने पर किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियम (जिसे इसके पश्चात् समेकित रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार है।

SCHEDULE 17 :

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE FY 2023-24

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India unless otherwise stated encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोग का तरीका निम्नानुसार होगाः

(ए) एनपीए खातों में वसूली का विनियोग (वसूली कार्रवाई की विधि/स्थिति/चरण पर विचार किये बिना) प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में विनियमित किया जाएगाः

I. सरफेसी कार्रवाई के अधीन सहित वसूली हेतु किए गए व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकार्ड किये गये)

II. इसके बाद अप्राप्त/उपचित ब्याज के लिए

III. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात् खाते में बकाया एनपीए

स्पष्टीकरणः

उन उधारकर्ताओं के मामले में, जिनके पास कई खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर प्रणाली उसी खाते के व्यय, दर्ज ब्याज और मूलधन की बकाया राशि के लिए वसूली को विनियोजित करती है।

इसके अतिरिक्त , अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, दर्ज ब्याज और मूलधन को विनियोजित करती है।

(बी) हालाँकि, समझौते के मामले में, एनसीएलटी के माध्यम से समाधान/निपटान, तकनीकी रूप से राइट ऑफ (टीडब्ल्यूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/सीजीएमएफयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

(सी) वाद दायर/डिक्री खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगीः

i. संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।

ii. न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में बताया गया है।

उपरोक्त में किसी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा अपनी निहित शक्तियों के तहत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

3.4 एनपीए की बिक्री, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अनुसार लेखांकित किया गया है।

3.5 कमीशन, (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूच्यूअल फंड कारोबार, साखपत्र एवं बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराए, व्यापार बैंकिंग लेनदेनों से प्राप्त आय और 'व्यापार' के रूप में नामित रूपया व्युत्पन्नी पर आय वसूली होने पर और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज को वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को इसका क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।

3.6 वाद दायर खातों के मामले में संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ – हानि लेखे में डाले जाते हैं और इसकी वसूली होने पर उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Appropriation of Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be regulated in the following order of priority:

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery (earlier recorded in Memorandum Dues)

ii. Thereafter towards the interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Clarification:

In case of borrowers who are having multiple accounts - On receiving recovery in one account system appropriates recovery towards Expenditure, Recorded Interest and Principal outstanding of same account. Further, surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Recorded Interest and Principal outstanding of another account for same Customer.

(b) However, in case of Compromise, Resolution/Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE/ECGC/GECL/CGMFU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and interest.

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under: -

i. As per the directives of the concerned Court.

ii. In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committee's up to HOCAC-III & Management Committee for proposals under its vested powers.

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज़ेस) के अनुसार लाभ–हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वांइटस पर आधारित है।

3.10 मीयादी जमा (टीडी) परिपक्व होता है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, देय होगी।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4. **निवेश**

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन ''निपटान तिथि'' को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में यथानिर्दिष्ट छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 नीचे दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' तथा ''व्यापार हेतु धारित'' श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(ए) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में रखा गया है।

(बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार–चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को ''व्यापार हेतु धारित'' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

(सी) जो प्रतिभूतियां उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आतीं उन्हें ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

4.4 समनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है।

बशर्ते कि जहां अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से अधिक हो, अभिमूल्यन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और सुरक्षा को बही मूल्य पर अंतरित कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, प्रतिभूति के विरुद्ध रखे गए मूल्यह्रास का प्रावधान (अंतरण की तारीख पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो, सहित) को कम करने के लिए समायोजित किया जाएगा। बाजार मूल्य पर बही मूल्य और प्रतिभूति बाजार मूल्य पर अंतरित की जाएगी।

हालांकि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात् ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है।

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 If Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. **INVESTMENTS:**

4.1 The transactions in Securities are recorded on 'Settlement Date'.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading' in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under 'Held to Maturity'.

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under 'Held for Trading'.

(c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under 'Available for Sale'.

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value.

Provided that where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation shall be ignored, and the security shall be transferred at the book value.

Provided further that in cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

(ए) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अदा की गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि को अग्रिम राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है और इसे लागत से बाहर रखा गया है।

(बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज अर्थात् खंडित अवधि के लिए ब्याज की अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं के रूप में की गई है।

(सी) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए के दिशा–निर्देशानुसार, निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

परिपक्वता तक धारित :

(i) परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहां भी अंकित मूल्य/मोचन मूल्य की तुलना में बही मूल्य अधिक होता है, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम का ऐसा परिशोधन कटौती के रूप में 'निवेश पर आय' के तहत अर्जित ब्याज में परिलक्षित होता है।

(ii) समनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किये गये निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास को हटाकर किया गया है।

(iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयर का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार हेतु धारित :

(ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	
	I. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्सड इनकम मनी मार्किट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाज़ार मूल्यों/परिपक्वता आय पर।
	II. राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
(बी)	केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी वाली प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड (अग्रिमों के स्वरूप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/ भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय आधार पर
(सी)	ट्रेज़री बिल	रखाव लागत पर

4.6 In determining acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT), etc., paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities, i.e., broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

Held to Maturity

(i) Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/ redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head 'Income on investments' as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities	
	I. Central Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL).
	II. State Govt. Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(c)	Treasury Bills	At carrying cost

(डी)	इक्विटी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा नवीनतम तुलन–पत्र (जिस तिथि को नवीनतम तुलन–पत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तिथि से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होगी) के अनुसार शेयरों के ब्रेक–अप मूल्य पर।अन्यथा प्रति कंपनी रु.1/–
(ई)	अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त परिपक्वता आय पर किंतु मोचन मूल्य से अधिक नहीं।
(एफ)	बॉण्ड्स और डिबेंचर (अग्रिमों के स्वरूप में नहीं)	यदि कोट किया गया हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक/एफआईएमएमडीए मार्गनिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त परिपक्वता आय पर।
(जी)	म्यूचुअल फण्ड के यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव के अनुसार और यदि कोट न किया गया हो, तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर
(एच)	वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर
(आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर
(जे)	प्रतिभूति रसीदें	एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीद)/अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को समय–समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवलआस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके मूल्यांकित किया जाएगा।
		एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) में से कम मूल्य पर, बैंक अपने खाते में निवेश को निरंतर आधार पर ले जाएगा, जब तक कि इसका हस्तांतरण या इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती।
		यदि अंतरणकर्ता (बैंक) द्वारा हस्तांतरित ऋणों के लिए जारी किए गए एसआर में अंतरित आस्ति के प्रति जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बहियों में एसआर का मूल्य निम्न से कम होगा :
		i) ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवलआस्ति मूल्य (एनएवी); और
		ii) एसआर का अंकित मूल्य लागू अनुमानित प्रावधान दर से घटाया गया यदि ऋण बैंक की बहियों में जारी था
(के)	उद्यम पूँजी निधियाँ	उद्यम पूँजी निधियों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर(एनएवी)
(एल)	अन्य निवेश	लागत में मूल्यह्रास को घटाकर रखाव लागत पर

(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet. (The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise at Re.1 per company.
(e)	Preference shares	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted.
(h)	Commercial Paper	At carrying cost.
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost.
(j)	Security receipts	Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
		The Bank shall carry the investment in its books, on an ongoing basis until its transfer or its realization, at lower of redemption value of SRs arrived based on NAV, and the Net Book Value (NBV) of the transferred stressed loan at the time of transfer.
		If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following:
		i) Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and
		ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the bank.
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF.
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी वर्ग में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग–अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि जोड़ी जाती है। यदि शुद्ध मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि शुद्ध वृद्धि दर्शायी नहीं जाती है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाज़ार हेतु चिह्नित करने के पश्चात् अपरिवर्तित रहता है।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन श्रेणी (एचटीएम और एएफएस) पर ध्यान दिए बिना वहन लागत पर किया जाएगा।

4.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण तथा आय गैर–निर्धारण के अधीन हैं। गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान, अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के प्रति समंजन (सैट ऑफ) नहीं किया गया है।

एक ईकाई द्वारा प्राप्त् की गई ऋण सुविधा यदि बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी ईकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में या इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। तथापि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता वहां तदनुरूपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों अर्थात बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहां प्रावधान वाईटीएम या आईआरएसी मानदंड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया गया है।

4.9 किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ व हानि लेखे में ले जाया जाता है किंतु 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में वर्ष के अंत में उसकी समतुल्य राशि (सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि और कर को घटाकर) 'पूंजी आरक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश के मोचन पर लाभ या हानि अर्जित ब्याज आय से अतिरिक्त/कटौती के रूप में निवेश पर अर्जित ब्याज आय में परिलक्षित होता है।

4.10 वापस खरीद व्यवस्था के अन्तर्गत पुनःखरीदी/पुनः बेची गयी प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर लेखांकित किया जाता है।

4.11 रेपो व रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन–देनों के तौर पर लिया जाता है। हालांकि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन–देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन रेपो/रिवर्स रेपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियाँ में प्रदर्शित होता है। उक्त प्रविष्टियों परिपक्वता तिथि पर रिवर्स की जाती है। लागत व राजस्व को ब्याज व्यय/आय माना जाता है, जैसा भी मामला हो। रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधारी) के अंतर्गत रखा जाता है।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

Investments in sponsored regional rural banks shall be valued at carrying cost irrespective of Category (HTM & AFS).

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/ provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities, i.e., bonds, debentures, etc., where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount transferred to Statutory Reserve) is appropriated to 'Capital Reserve Account', at year end.

Profit or loss on redemption of investments in AFS & HFT category is reflected in interest earned income on investments, as an addition/deduction from interest income earned.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings).

4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) लेन–देन व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किये गये हैं। व्यापारिक लेन–देन बाज़ार मूल्य पर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अदलाबदली की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत् मूल्यन किया गया है :

बचाव अदला बदली (हैज स्वैप)

ब्याज दर अदला–बदली जो ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की प्रतिरक्षा करती है, को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाज़ार मूल्य अथवा लागत में से कम कीमत पर लिया जाता है।

अदला बदली की समाप्ति पर लाभ या हानि को अदलाबदली की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो भी कम हो, पर माना जाता है ।

व्यापारिक अदला बदली (ट्रेडिंग स्वाप)

व्यापारिक अदलाबदली की लेन देन को वित्तीय विवरणियों में रिकार्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाज़ार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित ब्याज दर पर मूल्यांकित किए जाते हैं और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्पः

अन्य बैंक के साथ बैक टू बैक कान्ट्रेक्ट के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाज़ार मूल्य पर नहीं है, क्योंकि इसमें बाज़ार जोखिम नहीं है ।

प्राप्त प्रीमियम को देयता के रूप में रखा गया है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ व हानि लेखे में अन्तरित किया गया है ।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधान

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादित और गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है ।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ख) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों की उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित हैं।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में ऋणों एवं अग्रिमों, का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भा.रि.बैंक मानक, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिम जो वसूली के रिकार्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार क्षति के रूप में चिन्हित हैं, किंतु जो भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक हैं, को मेजबान देश में बकाया राशि की सीमा तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित रूप में माना गया है:

(ए) एआरसी में अंतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड::

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी में हस्तान्तरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें हस्तांतरण हुआ है। जब हस्तांतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है तो बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है।

दूसरी ओर, जब हस्तांतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी में हस्तान्तरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर देंगे और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि और/या एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू सर्टिफिकेट्स (पीटीसी)/अन्य प्रतिभूतियों का मोचन या हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित होगा जिस सीमा तक प्राप्त नकदी आस्ति के एनबीवी से अधिक है।

(बी) एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरितियों को हस्तांतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंडः

i. जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरितियों को हस्तांतरित करता है, तो संपूर्ण हस्तांतरण विचार प्राप्त होने पर उसे बही से हटा दिया जाता है।

ii. यदि एआरसी के अलावा अन्य हस्तांतरितियों को हस्तांतरण, हस्तांतरण के समय शुद्ध एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट की जाती है जिसमें हस्तांतरण हुआ है।

iii. यदि बिक्री पर विचार हस्तांतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए है, तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स कर दिया गया है।

(सी) ज्ञापन देय राशि से अधिक प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को आनुपातिक रूप से ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/टर्म लोन पर आय ब्याज, आदि।

यदि, अतिरिक्त राशि को बाद में, उदाहरण के लिए, डीआरटी/न्यायालय के आदेश या किसी अन्य घटना के कारण वापस किया जाना है, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी मद में डेबिट किया जाएगा।

5.4 पुनःसंरचित आस्तियां :

अग्रिमों के पुनः संरचना/पुनः निर्धारण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के समय–समय पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनःसंरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में ह्रास के प्रावधान की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के कुल जोखिम के 5% पर अनुमानित रूप से की जाती है।

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) Prudential norms for the transfer transactions to ARCs:

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank has debited the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal are limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer"

(b) Prudential norms for the transfer transactions to transferee(s) other than ARCs - Provisioning norms:

i. When the bank transfers its NPAs to transferee(s) other than ARCs, the same are removed from the books on receipt of the entire transfer consideration.

ii. If the transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

iii. If the sale consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions has been reversed.

(c) The excess amount received, if any, over & above memoranda dues is credited proportionately to the respective heads of Income Interest on Loans and Advances say Income Interest on CC/ Term Loan, etc.

In case, the excess amount is to be returned subsequently due to, e.g., DRT/Court orders or any other eventuality, the same head is debited to refund the excess amount recovered.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किया गया है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य'' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं और निवल एनपीए निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है ।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते ऋणों के विरूद्ध वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ–हानि खातें में लिया जाता है।

5.7 कंट्री एक्सपोज़र के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों अर्थात् मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, उच्च, मध्यम उच्च और बहुत उच्च में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों की 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे कंट्री एक्सपोज़र में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान 'अन्य'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.8 भारतीय कम्पनियों की स्टेप डाउन अनुषंगियों के सभी एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान् किया गया है (सभी ओवरसीज एक्स्पोजरों पर लागू कंट्री जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और नियामक जोखिम के लिए बैंक एक्स्पोजर हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. आरबीआई/2015.16/279डीबीआर.आईबीडी.बीसीसंख्या.68/23.37.001/2015–16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण को उनकी परम्परागत लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है पुनर्मूल्यन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट तैयार करना, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च की गयी व्यवसायिक फीस लागत में शामिल है। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्यक्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions – Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.7 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions – Others'.

5.8 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 मूल्यह्रास

ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यह्रास के लिये प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित आयु पर स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार किया जाता है। कम्प्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है।

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर किया गया है :

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
फ्रीहोल्ड संपत्ति	
भूमि	शून्य
निर्माण लागत पर प्रदान की जाने वाली मूल्यह्रास दर जहाँ भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती और उसे अलग नहीं किया जा सकता है।	2.50% (40 वर्ष स्ट्रेट लाइन मेथड या शेष आयु जो भी कम हो)
बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहाँ पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड और पट्टे वाली भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2.50%
पट्टे वाली भूमि पर निर्मित जहाँ पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसरों के अतिरिक्त चल परिसंपत्तियां	
फ़र्नीचर और फिक्सचर्स – स्टील वस्तुएं	5.00%
फ़र्नीचर और फिक्सचर्स – लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की वस्तुएं और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर–कारें एवं साईकलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं लैपटॉप,आईपैड आदि सर्वर्स, नेटवर्क, उपकरण एवं स्वचालित टेलर मशीन (कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अनिवार्य भाग सॉफ्टवेयर निर्माण के साथ)	33.33%
कार्यालय की ₹25000.00 से कम राशि की अचल आस्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर, 1,500/– रुपये से अधिक की लागत वाली वस्तुएं जिन्हें अलग से उपयोग किया जा सकता है) जिसकी सामान्यतः अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीनों से कम है, को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। 1,500/– रुपये से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति की खरीद का वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है। ₹25000/– तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।	

सी. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त नई आस्तियों पर मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

6.4 Depreciation:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below: -

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL
Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated	2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures- Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, Laptop, I- pad, etc., Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	33.33%
Items of office fixed assets amounting less than Rs. 25,000/- and/or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense (except to staff, items costing more than Rs. 1,500/- which can be separately used). Assets costing less than Rs. 1,500/- each are depreciated@100% in the year of purchase. Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue.	

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed-off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed-off, i.e., daily basis.

डी. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिये प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत पर तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यह्रास भवन पर लागू दर से समग्र लागत पर की जाती है।

ई. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम यदि कोई है, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

एफ. पुनर्मूल्यन आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों की शेष उपयोगी आयु के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामान्यता

आस्तियों की रखरखाव लागत को आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर कोई अपसामान्यता दिखाई देने पर प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षित किया जाता है। एक अपसामान्य हानि तभी मानी जाती है जहां एक आस्ति की रखाव लागत इसकी वसूली राशि से ज्यादा होती है। वसूली योग्य राशि आस्ति की निवल बिक्री कीमत और उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होती है। उपयोगिता मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह कर पूर्व छूट दर में प्रयुक्त उसके वर्तमान मूल्य को घटाया जाता है जो उस समय धन के वर्तमान बाजार मूल्य और आस्ति के वर्गीकृत जोखिमों को दर्शाता है।

अपसामान्यता के पश्चात, यदि कोई है, मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि में संशोधित रखाव लागत पर किया जाता है। पूर्व में हुई अपसामान्यता हानि परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढाई या रिवर्स की जाती है। हालांकि, रिवर्सल के पश्चात रखाव मूल्य उस रखाव मूल्य से ऊपर नहीं बढ़ता है जो यदि कोई अपसामान्यता नहीं हुई हो तो सामान्य मूल्यह्रास प्रभारित करके विद्यमान होगा।

8. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

उपदान

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

पेंशन

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

बैंक 01.04.2010 को और इसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) चला रहा है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी, बैंक से अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ–साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के अंशदान के साथ योजना में

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. IMPAIRMENT OF ASSETS:

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. EMPLOYMENT BENEFITS:

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay

योगदान करते हैं। सम्बन्धित कर्मचारी की पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक ये अंशदान रखे जाते है। बैंक ऐसे अंशदान से उस वर्ष व्यय मानता है जिससे यह सम्बंधित है। स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां

उपचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां जैसे अर्जित छुट्टियाँ (पीएल) और बीमारी की छुट्टियाँ (अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टियों सहित) बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दी जाती हैं। अर्जित छुट्टी (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

कर्मचारी लाभों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' है।

9. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेनों का परिवर्तन और शेष

विदेशी विनिमय में शामिल लेनदेन लेखामानक 11 ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार लेखांकित किए जाते हैं।

9.1 पूर्ववर्ती लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में अंतरण की तिथि को लागू विनिमय दरों के आधार पर लेखांकन किया जाता है, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के मार्गनिर्देशन के अनुसार तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दरों के आधार पर अन्य सभी मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों व अन्य दायित्वों को प्रारंभिक रूप से कल्पित दर पर दर्ज किया जाता है और समतुल्य भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।

9.2 अचल आस्तियों जिसे परंपरागत दर पर रखा जाता है, से इतर गैर मौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को प्रभावी विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

9.3 बकाया वायदा विनिमय स्पॉट व वायदा संविदाओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा तुलन पत्र तिथि पर अधिसूचित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और फलस्वरूप मूल्यांकन पर हुए लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

विदेशी विनिमय स्पॉट/वायदा संविदा/डील्स (मर्चेंट व इंटर बैंक), जो कि ट्रेडिंग व मर्चट हैज के लिए नहीं किए गए हैं तथा ये तुलन पत्र की तिथि तक बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए फेडाई (एफईडीएआई) स्पॉट/फॉर्वड की समाप्ति पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकित होते है। इस तरह के वायदा विनिमय संविदा

plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc., are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

The valuation method used for defined benefit obligations for employee benefits is 'Projected Unit Credit Method'.

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or

के आरम्भ से उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट को संविदा की समयावधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

9.4 आय तथा व्यय की मदें लेन–देन की तारीख को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उनसे भिन्न दरों पर उत्पन्न विनिमय अंतर जिस पर वे शुरूआत में दर्ज किए गए थे, उस अवधि के लिए जिनमें वे उत्पन्न हुए थे आय या व्यय के रूप में माने जाते हैं।

मुद्रा फ्यूचर व्यापार में खुली स्थिति के विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण खाते में लाभ/हानि दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृहों के साथ निपटाए जाते हैं और ऐसे लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है।

9.5 विदेशी शाखाएं/अपतटीय बैंकिंग इकाइयां:

(i) विदेशी शाखाएं और अपतटीय बैंकिंग यूनिट के परिचालनों को ''गैर समाकलित विदेशी परिचालन'' में वर्गीकृत किया गया है और विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को ''समाकलित विदेशी परिचालनों'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ii) समाकलित विदेश परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और गैर समाकलित विदेशी परिचालनों को लेखांकन मानक– 11 में दिए गए निर्धारण के अनुसार किया गया है ।

(iii) गैर समाकलित परिचालनों के लाभ/हानि को विनिमय उतार–चढ़ाव प्रारक्षित निधि में जमा/नामे किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित वर्तमान कर, जहां लागू हो तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होता है। आयकर अधिनियम,1961 तथा लेखांकन मानक 22 के प्रावधानों के अनुसार ही वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय की गणना होती है। विदेश में स्थित कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को शामिल करने के बाद आय पर कर के लिए लेखांकन किया जाता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के कर नियमों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब विस्तार के लिए इस बात के ठोस प्रमाण हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयताओं में हुआ परिवर्तन शामिल है। आस्थगित कर आस्ति व देयता, वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच के समय अंतराल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। आस्थगित कर आस्ति व देयता की गणना कर की दर तथा कर नियमों का प्रयोग, जो कि तुलन पत्र तिथि में अधिनियमित या वास्तविक अधिनियमित किया गया हो, किया जाता है। आस्थगित कर आस्ति व देयता में परिवर्तन का प्रभाव लाभ व हानि खातों में दिखाई देता है। आस्थगित कर आस्ति को पहचाना जाता है तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः आकलित किया जाता है, जो प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित

discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss

होती है कि क्या उनकी वसूली यथोचित/वर्चुअली निश्चित मानी गई हैं।

11. प्रति शेयर आय

बैंक की प्रति शेयर आधारभूत और ह्रासित आय की आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार होती है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयर की भारित संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर ह्रासित आय संभावित कमजोर क्षमता को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया या परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर ह्रासित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "एएस – 29 प्रावधान आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुपालन में, बैंक प्रावधान को केवल तभी मान्यता देता है जब पूर्व घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व हो तथा जिसके परिणामतः धनों का सम्भावित बहिर्गमन हो, दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ आवश्यक हो तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सकती हो।

एक आकस्मिक देयता पैसे के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन वैसे मामले में बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम/अल्प है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वितीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया जाता है।

13. बुलियन ट्रांजेक्शनः

बैंक बुलियन का आयात करता है जिसमें ग्राहकों को प्रेषण आधार पर बेचने के लिए बहुमूल्य मेटल बार शामिल है। आयात विशेषतः बैक – टू – बैक आधार पर होता है तथा ग्राहक को उसका मूल्य सप्लायर द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। इन बुलियन ट्रांजेक्शनों में बैंक शुल्क अर्जित करता है।

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक स्वर्ण को जमा व उस पर ऋण देता है जिसे प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के साथ ब्याज आय/आय के रूप में वर्गीकृत मामले के आधार पर जमाराशि/अग्रिम की तरह माना जाता है।

account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/virtually certain.

11. EARNINGS PER SHARE:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. BULLION TRANSACTIONS:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions.

The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. खंडवार रिपोर्टिंग:

बैंक, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की अनुपालना में बिजनेस खंड की पहचान प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीय रिपोर्टिंग खंड के रुप में करता है।

15. दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के आरबीआई परिपत्र सं. एफआईडीडी.कां. प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015–16 के अनुसार बैंक, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय कर प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेनदेन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में शामिल है:–

ए) आरबीआई के पास नकद और जमा शेष, बैंकों के साथ जमा शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि।

बी) रिवर्स रेपो में शेष राशि आरबीआई द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 19.05.2022 (अर्थात् अनुसूची 6, अनुसूची 7 और अनुसूची 9 के तहत, जैसा लागू हो) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट की जाती है। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट किया जाता है।

14. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan. BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI vide its circular dated 19.05.2022, (i.e., under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां (एकल) – 31.03.2024

1. विनियामक पूंजी

1. ए) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती को घटाकर, यदि कोई हो)	81187.00	73927.95
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	15698.26	9677.73
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	96885.26	83605.67
iv)	टियर 2 पूंजी	20581.01	18551.14
v)	**कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)**	**117466.27**	**102156.81**
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	735434.54	658981.51
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	11.04%	11.22%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	13.17%	12.69%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	2.80%	2.81%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	15.97%	15.50%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.95%	4.75%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.15%	73.15%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें:	6012.00	4214.00
	ए) बेसल III अनुरूप सतत गैर–संचयी वरीयता शेयर,	शून्य	शून्य
	बी) बेसल III अनुरूप, स्थाई ऋण लिखत	6012.00	4214.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से बेसल III के अनुरूप:	3090.00	4000.00
	ए) टीयर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत	3090.00	4000.00
	बी) स्थाई संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य
	सी) प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य
	डी) प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18: NOTES TO ACCOUNTS (STANDALONE) – 31.03.2024

1. Regulatory Capital

1. a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	81187.00	73927.95
ii)	Additional Tier 1 capital	15698.26	9677.73
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	96885.26	83605.67
iv)	Tier 2 capital	20581.01	18551.14
v)	**Total capital (Tier 1+Tier 2)**	**117466.27**	**102156.81**
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	735434.54	658981.51
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.04%	11.22%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.17%	12.69%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.80%	2.81%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.97%	15.50%
xi)	Leverage Ratio	5.95%	4.75%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.15%	73.15%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the Year	Nil	Nil
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:	6012.00	4214.00
	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares,	Nil	Nil
	b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	6012.00	4214.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Basel III compliant:	3090.00	4000.00
	a) Debt Capital Instruments as Tier 2 Capital	3090.00	4000.00
	b) Perpetual Cumulative Preference Shares	Nil	Nil
	c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	Nil	Nil
	d) Redeemable Cumulative Preference Shares	Nil	Nil

आरबीआई ने परिपत्र सं. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 के माध्यम से बैंकों को CET-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है।

नोटः सीईटी 1 पूंजी में ₹9268.29 करोड़ रुपये का समामेलन निधियां शामिल है।

1. बी) प्रारक्षित निधियों से राशि निकालना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रारक्षित निधि	आहरित राशि	प्रयोजन
1.	एक्सचेंज उतार–चढ़ाव रिज़र्व	0.00 (285.18)	
2.	पुनर्मूल्यांकन निधि	1.22 (376.01)	पुनर्मूल्यांकित संपत्ति की वहन लागत में कमी

2. आस्ति देयता प्रबंधन

1. ए) आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के परिपक्वतास्वरुप

(राशि ₹ करोड़ में)

	जमाराशियाँ	अग्रिम	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	21771.17	3654.28	0.00	50.56	2983.29	1208.07
	(13519.24)	(9979.58)	(0.00)	(977.62)	(11891.37)	(34928.02)
2 से 7 दिन	37650.59	5721.96	324.93	500.08	4513.36	3728.19
	(26725.83)	(14502.50)	(1026.87)	(780.65)	(4268.95)	(3853.94)
8 से 14 दिन	37146.10	13806.14	199.50	181.52	86.93	1564.36
	(25535.79)	(14875.09)	(2588.48)	(629.81)	(2188.94)	(1840.57)
15 से 30 दिन	34448.16	35042.51	1423.82	0.00	8677.93	10389.14
	(46173.15)	(70595.39)	(2110.34)	(1643.40)	(4693.79)	(6088.86)
31 दिन से 2 माह	38878.58	66321.11	2876.98	210.93	6208.87	6346.10
	(40611.38)	(48231.89)	(4646.06)	(1168.67)	(11128.81)	(10476.81)
2 माह से अधिक और 3 माह तक	30851.88	55582.74	1183.85	1066.56	6347.57	5015.51
	(37209.54)	(44123.99)	(1694.28)	(1886.67)	(5410.40)	(7012.05)
3 माह से अधिक और 6 माह तक	70675.55	80195.75	2564.08	2223.18	16448.96	16028.15
	(68095.19)	(59038.95)	(2198.18)	(1275.63)	(10504.41)	(7216.06)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	156010.44	79092.74	6405.17	10170.42	5670.58	11490.48
	(106622.66)	(55635.62)	(9592.29)	(5960.44)	(10998.42)	(7372.68)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	181583.02	318831.17	54353.29	4406.28	16368.25	12016.00
	(164915.71)	(170774.92)	(33549.94)	(15153.45)	(19260.06)	(12588.81)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	393399.82	101720.59	60741.11	826.99	6084.24	5056.52
	(392696.69)	(222016.97)	(54102.41)	(17.47)	(13796.90)	(5875.23)
5 वर्ष से अधिक	367297.49	174461.60	298928.80	30793.34	2453.11	2483.16
	(359057.92)	(121059.08)	(293921.72)	(21797.92)	(2012.79)	(2283.10)
कुल	**1369712.81**	**934430.59**	**429001.54**	**50429.85**	**75843.08**	**75325.67**
	(1281163.11)	**(830833.98)**	**(405430.57)**	**(51291.73)**	**(96154.84)**	**(99536.14)**

RBI vide circular no. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

Note: CET 1 Capital includes Amalgamation Reserve of ₹9268.29 Crore

1. b) Draw down from Reserves

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Reserves	Amount drawn	Purpose
1.	Exchange Fluctuation Reserve	0.00 (285.18)	
2.	Revaluation Reserves	1.22 (376.01)	Reduction in carrying cost of revalued property

2. Asset liability management

2. a) Maturity Pattern of certain items of assets and liabilities

	Deposits	Advances	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	21771.17	3654.28	0.00	50.56	2983.29	1208.07
	(13519.24)	(9979.58)	(0.00)	(977.62)	(11891.37)	(34928.02)
2 to 7 days	37650.59	5721.96	324.93	500.08	4513.36	3728.19
	(26725.83)	(14502.50)	(1026.87)	(780.65)	(4268.95)	(3853.94)
8 to 14 days	37146.10	13806.14	199.50	181.52	86.93	1564.36
	(25535.79)	(14875.09)	(2588.48)	(629.81)	(2188.94)	(1840.57)
15 to 30 Days	34448.16	35042.51	1423.82	0.00	8677.93	10389.14
	(46173.15)	(70595.39)	(2110.34)	(1643.40)	(4693.79)	(6088.86)
31 days to 2 months	38878.58	66321.11	2876.98	210.93	6208.87	6346.10
	(40611.38)	(48231.89)	(4646.06)	(1168.67)	(11128.81)	(10476.81)
Over 2 months and up to 3 months	30851.88	55582.74	1183.85	1066.56	6347.57	5015.51
	(37209.54)	(44123.99)	(1694.28)	(1886.67)	(5410.40)	(7012.05)
Over 3 months and up to 6 Months	70675.55	80195.75	2564.08	2223.18	16448.96	16028.15
	(68095.19)	(59038.95)	(2198.18)	(1275.63)	(10504.41)	(7216.06)
Over 6 months and up to 1 year	156010.44	79092.74	6405.17	10170.42	5670.58	11490.48
	(106622.66)	(55635.62)	(9592.29)	(5960.44)	(10998.42)	(7372.68)
Over 1 year and up to 3 years	181583.02	318831.17	54353.29	4406.28	16368.25	12016.00
	(164915.71)	(170774.92)	(33549.94)	(15153.45)	(19260.06)	(12588.81)
Over 3 years and up to 5 years	393399.82	101720.59	60741.11	826.99	6084.24	5056.52
	(392696.69)	(222016.97)	(54102.41)	(17.47)	(13796.90)	(5875.23)
Over 5 years	367297.49	174461.60	298928.80	30793.34	2453.11	2483.16
	(359057.92)	(121059.08)	(293921.72)	(21797.92)	(2012.79)	(2283.10)
Total	**1369712.81**	**934430.59**	**429001.54**	**50429.85**	**75843.08**	**75325.67**
	(1281163.11)	**(830833.98)**	**(405430.57)**	**(51291.73)**	**(96154.84)**	**(99536.14)**

2 बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने 1 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन किया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में भार रहित उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) रहें जिससे कि चलनिधि दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिनों के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कम हानि पर/बिना किसी हानि के आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर के दो घटक है:

i. उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियों के स्टॉक का मूल्य (एचक्यूएलए) – द न्यूमरेटर।
ii. कुल शुद्ध नकदी प्रवाहः 30 दिनों के लिए दबाव परिदृश्य में कुल अनुमानित नकदी का बहिर्गमन घटाकर कुल अनुमानित नकदी का आगमन (इनफ्लो) – द डिनोमिनेटर।

एलसीआर की परिभाषा :

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)}}{\text{अगले 30 दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्गमन}} \geq 100\% \text{ (01.04.2021 से प्रभावी)}$$

नीचे दी गई समय–सीमा के साथ निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यक स्तर के साथ एलसीआर की आवश्यकता बैंकों पर बाध्यकारी हो गई है:

	1 जनवरी, 2015	1 जनवरी, 2016	1 जनवरी, 2017	1 जनवरी, 2018	1 जनवरी, 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ तिमाही के लिए, 100% विनियामक अपेक्षाओं के समेकित स्तर पर दैनिक औसत एलसीआर 141.61% (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) रहा।

बैंक के एलसीआर का मुख्य घटक, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां हैं (एचक्यूसएलए) जिससे हर समय बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से बुनियादी निधियां प्राप्त की जा सके। बैंक के कुल जमा संविभाग का लगभग 67.19% खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक योगदान करते हैं जो 31.03.2024 को 5/10% का लो रन ऑफ फैक्टर आकर्षित करता है।

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चल आस्ति की संरचना (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए में स्तर 1 व स्तर 2 आस्तियां समाविष्ट हैं। स्तर 2 आस्तियों को उनकी बाजार क्षमता और कीमत अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए स्तर 2ए एवं स्तर 2बी में विभाजित किया गया है।

स्तर 1 – आस्तियां वे आस्तियां हैं जो उच्चप्रवाही हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्तर 1 आस्तियों में हाथ में नकदी, अधिक सीआरआर, न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी सॉवरेन द्वारा जारी या गारंटी प्रदत्त विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ एमएसएफ व एफएएलएलसीआर जिनका मूल्य ₹3,05,815.63/– करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है।

स्तर 2ए व 2बी वे आस्तियां हैं जो न्यून प्रवाही हैं और जिनकी भार राशि ₹6,443.73 करोड़ (दैनिक अवलोकनों के साधारण औसत पर आधारित) है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन औसत एचक्यूएलए का अलग–अलग विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

2 b) Liquidity coverage ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

The bank has implemented RBI guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) from 1st January 2015.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

i. The value of the stock of High Quality Liquid Assets (HQLA)–The Numerator.
ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days - The denominator.

Definition of LCR:

$$\frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\% \text{ (w.e.f 01.04.2021)}$$

The LCR requirement has become binding on the banks with the following minimum required level as per the time-line given below:

	Jan 1, 2015	Jan 1, 2016	Jan 1, 2017	Jan 1, 2018	Jan 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

For Q4 FY'2023-24, the daily average LCR was 141.61% (based on simple average of daily observations) at consolidated level, as against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers. The retail and small business customer's contribute about 67.19% of total deposit portfolio of the bank, which attracts low run-off factor of 5/10% as on 31.03.2024.

Composition of High Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprises of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility.

Level-1assets are those assets which are highly liquid. For quarter ended March 31, 2024, the Level-1 asset of the bank includes Cash in Hand, Excess CRR, Government Securities in excess of minimum SLR, Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereign, MSF and FALLCR totalling to ₹3,05,815.63/- Cr (based on simple average of daily observations).

Level-2A & 2B assets are those assets which are less liquid and their weighted amount comes to ₹6,443.73 Cr (based on simple average of daily observations). Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2024 is given hereunder:

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए)	एचक्यूएलए में औसतन योगदान %
स्तर 1 आस्तियां	
हाथ में नकदी	**1.46%**
अतिरिक्त सीआरआर शेष	**0.77%**
आवश्यक न्यूनतम एसएलआर के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	**22.39%**
एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एनडीटीएल का 2 प्रतिशत की सीमा तक)	**8.02%**
बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% जोखिम भार वाली विदेशी स्वायतों द्वारा जारी या गारंटी की गई विपणनयोग्य प्रतिभूतियाँ	**1.18%**
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा – एफएएलएलसीआर (वर्तमान में एनडीटीएल के 16% तक)	**64.12%**
कुल स्तर 1 आस्तियाँ	**97.94%**
कुल स्तर 2ए आस्तियाँ	**1.84%**
कुल स्तर 2बी आस्तियाँ	**0.22%**
एचक्यूएलए का कुल स्टाक	**100.00%**

निधीयन स्रोतों का संकेन्द्रण

इस मैट्रिक में निधियों के वे स्रोत शामिल हैं, जिनका आहरण चलनिधियों को बढ़ा सकता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष और प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत से अपेक्षित इसके निधीयन की निगरानी द्वारा बैंक के निधीयन संकेन्द्रण को व्यक्त करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/लिखत/उत्पाद" को एकल प्रतिपक्ष लिखत/उत्पाद या बैंक के कुल दायित्व का 1% से अधिक दायित्व वाले प्रतिपक्षी से जुड़े या सम्बद्ध समूह के रुप में परिभाषित किया गया है।

31.03.2024 तक बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा/उधार) नहीं है। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं का 31 मार्च, 2024 तक बैंक की कुल जमा का 3.87% है। महत्वपूर्ण उत्पाद/साधन में बचत निधि, चालू जमाराशि, और स्थायी मियादी जमाराशि शामिल है जो कि व्यापक रूप से फैला हुआ है और बैंक के लिए संकेन्द्रण जोखिम को सृजित नहीं कर सकता है।

व्युत्पन्न एक्सपोज़र

बैंक के पास व्युत्पन्न में कम एक्सपोज़र है, जो कि चलनिधि तरलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है।

मुद्रा असंतुलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि उस मुद्रा की कुल देयता बैंक की कुल देयता का 5 प्रतिशत या इससे अधिक है। हमारे मामले में, इस मानक पर केवल यूएसडी (बैंक की कुल देयताओं का 9.48%) आती है जिसका एलसीआर होरिजन में कुल बाह्य प्रवाह पर प्रभाव आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि बैंक के तुलन पत्र के आकार को देखते हुए इसका प्रभाव बहुत ही कम है।

समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और अंतःक्रिया के केंद्रीकरण का स्तर

समूह इकाइयां स्वयं तरलता का प्रबंधन कर रही हैं। हालाँकि बैंक ने तनाव की अवधि में समूह की तरलता की आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए एक समूह–व्यापी आकस्मिक निधि योजना बनाई है।

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average %age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	**1.46%**
Excess CRR balance	**0.77%**
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	**22.39%**
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	**8.02%**
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	**1.18%**
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	**64.12%**
Total Level 1 Assets	**97.94%**
Total Level 2A Assets	**1.84%**
Total Level 2B Assets	**0.22%**
Total Stock of HQLAs	**100.00%**

Concentration of Funding Sources

This metric includes those sources of funding, whose withdrawal could trigger liquidity risks. It aims to address the funding concentration of bank by monitoring its funding requirement from each significant counterparty and each significant product/ instrument. As per RBI guidelines, a "significant counterparty/Instrument/product" is defined as a single counterparty/Instrument/product or group of connected or affiliated counter-parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

The bank has no significant counterparty (deposits/borrowings) as at 31.03.2024. Top 20 depositors of the bank constitute 3.87% of bank's total Deposit as on March 31, 2024. The significant product/ instrument include Saving Fund, Current deposit and Core Term Deposit the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Derivative exposure

The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

Currency Mismatch

As per RBI guidelines, a currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, only USD (9.48 % of bank's total liabilities) falls in this criteria whose impact on total outflows in LCR horizon can be managed easily as the impact is not large considering the size of balance sheet of the bank.

Degree of centralization of liquidity management and interaction between group's units

The group entities are managing liquidity on their own. However, the bank has put in place a group-wide contingency funding plan to take care of liquidity requirement of the group as a whole in the stress period.

चलनिधि कवरेज अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		मार्च 24 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 23 को समाप्त तिमाही		सितंबर 23 को समाप्त तिमाही		जून 23 को समाप्त तिमाही		मार्च 23 को समाप्त तिमाही	
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)*	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)*	कुल निर्धारित मूल्य (औसत)
	दैनिक जांच की साधारण औसत के आधार पर	63 डेटाप्वाइंट		62 डेटाप्वाइंट		65 डेटाप्वाइंट		61 डेटाप्वाइंट		63 डेटाप्वाइंट	
	उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्तियां										
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		**3,12,259.36**		**3,01,354.70**		**3,05,341.05**		**3,05,865.27**		**2,95,254.95**
	नकदी का बहिर्गमन										
2	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा, जिनमें से:	**9,04,026.17**	**85,482.28**	**8,88,978.92**	**84,043.42**	**8,73,808.43**	**82,608.44**	**8,56,679.56**	**80,907.69**	**8,40,710.12**	**79,289.81**
(i)	स्थिर जमा	98,406.71	4,920.34	97,089.38	4,854.47	95,448.16	4,772.41	95,068.13	4,753.45	95,624.11	4,781.21
(ii)	कम स्थिर जमा	8,05,619.45	80,561.95	7,91,889.53	79,188.95	7,78,360.27	77,836.03	7,61,611.44	76,154.24	7,45,086.01	74,508.60
3	असुरक्षित थोक निधि, जिनमें से:	**2,71,070.14**	**1,51,887.56**	**2,52,662.71**	**1,39,144.82**	**2,54,916.75**	**1,37,521.24**	**2,56,723.35**	**1,38,368.90**	**2,40,162.41**	**1,29,990.16**
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष)	2,71,070.14	1,51,887.56	2,52,662.71	1,39,144.82	2,54,916.75	1,37,521.24	2,56,723.35	1,38,368.90	2,40,162.41	1,29,990.16
(iii)	असुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सुरक्षित थोक वित्त पोषण		-		-		-		-		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से	**64,112.79**	**5,922.71**	**63,684.79**	**10,193.70**	**56,919.18**	**5,763.08**	**54,241.26**	**5,623.35**	**52,241.31**	**5,850.03**
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	558.13	558.13	4,757.83	4,757.83	365.77	365.77	413.76	256.19	221.62	221.62
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और चलनिधि की सुविधाएं	63,554.66	5,364.58	58,926.95	5,435.87	56,553.41	5,397.31	53,827.50	5,367.16	52,019.69	5,628.41
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	**1,32,117.80**	**5,768.02**	**1,52,830.96**	**9,628.21**	**1,53,095.11**	**8,286.81**	**1,51,033.59**	**9,319.01**	**1,43,739.79**	**8,085.79**
8	कुल नकदी का बहिर्गमन		**2,49,060.56**		**2,43,010.15**		**2,34,179.57**		**2,34,218.95**		**2,23,215.79**
	नकदी अंतर्वाह										
9	सुरक्षित ऋण (जैसे रिवर्स रेपो)	5,461.28	-	1,899.58	-	2,822.98	-	10,987.80	-	3,146.27	0.00
10	पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह	30,110.61	23,354.22	27,480.42	22,030.43	32,059.18	24,024.33	39,229.82	32,972.79	40,858.69	33,053.53
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	5,650.94	5,194.65	1,163.49	778.97	5,635.12	5,635.12	9,639.98	9,534.70	8,228.79	8,228.79
12	कुल नकदी अंतर्वाह	**41,222.84**	**28,548.87**	**30,543.50**	**22,809.39**	**40,517.28**	**29,659.45**	**59,857.60**	**42,507.49**	**52,233.75**	**41,282.32**
13	कुल एचक्यूएलए		3,12,259.36		3,01,354.70		3,05,341.05		3,05,865.27		2,95,254.95
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		2,20,511.69		2,20,200.76		2,04,520.11		1,91,711.46		1,81,933.47
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		141.61		136.85		149.30		159.54		162.29

**पिछली तिमाही की तुलना में दैनिक प्रेक्षणों का सामान्य औसत।*

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount in ₹ crore)

		Quarter ended Mar'24		Quarter ended Dec'23		Quarter ended Sep'23		Quarter ended June'23		Quarter ended Mar'23	
		Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)*	Total Weighted Value (average)
	Based on the simple average of daily observations	63 Data Points		62 Data Points		65 data Points		61 Data Points		63 Data Points	
	High Quality Liquid Assets										
1	**Total High Quality Liquid Assets (HQLA)**		**3,12,259.36**		**3,01,354.70**		**3,05,341.05**		**3,05,865.27**		**2,95,254.95**
	Cash Outflows										
2	**Retail deposits and deposits from small business customers of which :**	**9,04,026.17**	**85,482.28**	**8,88,978.92**	**84,043.42**	**8,73,808.43**	**82,608.44**	**8,56,679.56**	**80,907.69**	**8,40,710.12**	**79,289.81**
(i)	**Stable deposits**	98,406.71	4,920.34	97,089.38	4,854.47	95,448.16	4,772.41	95,068.13	4,753.45	95,624.11	4,781.21
(ii)	**Less stable deposits**	8,05,619.45	80,561.95	7,91,889.53	79,188.95	7,78,360.27	77,836.03	7,61,611.44	76,154.24	7,45,086.01	74,508.60
3	**Unsecured wholesale funding, of which:**	**2,71,070.14**	**1,51,887.56**	**2,52,662.71**	**1,39,144.82**	**2,54,916.75**	**1,37,521.24**	**2,56,723.35**	**1,38,368.90**	**2,40,162.41**	**1,29,990.16**
(i)	**Operational deposits (all counterparties)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	**Non-operational deposits (all counterparties)**	2,71,070.14	1,51,887.56	2,52,662.71	1,39,144.82	2,54,916.75	1,37,521.24	2,56,723.35	1,38,368.90	2,40,162.41	1,29,990.16
(iii)	**Unsecured debt**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Secured wholesale funding**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
5	**Additional requirements, of which**	**64,112.79**	**5,922.71**	**63,684.79**	**10,193.70**	**56,919.18**	**5,763.08**	**54,241.26**	**5,623.35**	**52,241.31**	**5,850.03**
(i)	**Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements**	558.13	558.13	4,757.83	4,757.83	365.77	365.77	413.76	256.19	221.62	221.62
(ii)	**Outflows related to loss of funding on debt products**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	**Credit and liquidity facilities**	63,554.66	5,364.58	58,926.95	5,435.87	56,553.41	5,397.31	53,827.50	5,367.16	52,019.69	5,628.41
6	**Other contractual funding obligations**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Other contingent funding obligations**	**1,32,117.80**	**5,768.02**	**1,52,830.96**	**9,628.21**	**1,53,095.11**	**8,286.81**	**1,51,033.59**	**9,319.01**	**1,43,739.79**	**8,085.79**
8	**Total Cash Outflows**		**2,49,060.56**		**2,43,010.15**		**2,34,179.57**		**2,34,218.95**		**2,23,215.79**
	Cash Inflows										
9	**Secured lending (e.g. reverse repos)**	5,461.28	-	1,899.58	-	2,822.98	-	10,987.80	-	3,146.27	0.00
10	**Inflows from fully performing exposures**	30,110.61	23,354.22	27,480.42	22,030.43	32,059.18	24,024.33	39,229.82	32,972.79	40,858.69	33,053.53
11	**Other cash inflows**	5,650.94	5,194.65	1,163.49	778.97	5,635.12	5,635.12	9,639.98	9,534.70	8,228.79	8,228.79
12	**Total Cash Inflows**	**41,222.84**	**28,548.87**	**30,543.50**	**22,809.39**	**40,517.28**	**29,659.45**	**59,857.60**	**42,507.49**	**52,233.75**	**41,282.32**
13	**TOTAL HQLA**		3,12,259.36		3,01,354.70		3,05,341.05		3,05,865.27		2,95,254.95
14	**Total Net Cash Outflows**		2,20,511.69		2,20,200.76		2,04,520.11		1,91,711.46		1,81,933.47
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		141.61		136.85		149.30		159.54		162.29

**Simple averages of Daily observations over previous quarter.*

2. सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बासेल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बैंक की चलनिधि प्रोफ़ाइल के अल्पकालिक लचीलेपन को बढ़ावा देने वाले एलसीआर दिशानिर्देश 9 जून, 2014 के परिपत्र DBOD.BP.BC. No.120/21.04.098/2013-14 के माध्यम से जारी किए गए हैं। दूसरी ओर एनएसएफआर दिशानिर्देश भविष्य के वित्त पोषण दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्त पोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घकालीन अवधि के दौरान वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय संदर्भ में, एनएसएफआर के दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधियन" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा निर्धारित किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधियन ("आवश्यक स्थिर निधियन") (आरएसएफ) की राशि उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ–साथ इसकी तुलनपत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोज़र का एक कार्य है। विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (अर्थात जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्नी–संबंधित एक्सपोज़र, और उसी अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से निकलने वाले अंतर्वाह के साथ ऑफसेट के लिए तनावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन–ऑफ कारक आरबीआई द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एकल बैंक के लिए और 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी समूह के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है।

पीएनबी ने 31 मार्च, 2024 को समेकित आधार पर ₹8,53,748 करोड़ की आरएसएफ आवश्यकता के विरुद्ध ₹12,19,306 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को बनाए रखा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 142.82% था।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बासेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों और खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसाय ग्राहकों और गैर–वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों के अनुसार कुल नियामक पूंजी द्वारा संचालित होता है। आवश्यक स्थिर निधियन(आरएसएफ) के तहत, प्राथमिक संचालक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार–रहित प्रदर्शन कर रहे हैं।

2. c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are significant components of the Basel III reforms. The LCR guidelines which promote short term resilience of a bank's liquidity profile have been issued vide circular DBOD. BP.BC.No.120/21.04.098/2013-14 dated June 9, 2014. The NSFR guidelines on the other hand ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress.

In the Indian context, the guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group effective October 1, 2021 is 100%.

PNB on a consolidated basis at 31st March, 2024 maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹12,19,306 Crore against the RSF requirement of ₹8,53,748 Crore. The NSFR for the quarter ended March 31, 2024 was at 142.82%.

The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basel III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

BLANK PAGE

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

		समेकित									
एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत		31.03.2024					31.12.2023				
(₹ करोड़ में)		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
एएसएफ मद											
1	पूंजी: (2+3)	1,06,264	0	0	35,147	1,41,411	1,00,053	0	0	35,734	1,35,787
2	विनियामक पूंजी	1,06,264	0	0	30,701	1,36,965	1,00,053	0	0	29,636	1,29,689
3	अन्य पूंजी लिखत	0	0	0	4,446	4,446	0	0	0	6,098	6,098
4	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6)	4,58,694	1,38,733	3,88,178	697	8,93,279	4,62,657	1,45,494	3,65,773	822	8,82,739
5	स्थिर जमा	73,119	11,697	25,930	271	1,05,480	73,393	12,818	21,498	242	1,02,565
6	कम स्थिर जमा	3,85,574	1,27,036	3,62,248	426	7,87,799	3,89,264	1,32,676	3,44,275	581	7,80,174
7	थोक वित्तपोषण: (8+9)	71,129	89,154	1,44,891	23,484	1,76,071	83,331	1,58,883	74,450	25,345	1,83,267
8	परिचालन जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधियन	71,129	89,154	1,44,891	23,484	1,76,071	83,331	1,58,883	74,450	25,345	1,83,267
10	अन्य देयताएं: (11+12)	44,768	80,825	3,800	8,545	8,545	11,555	77,404	4,651	9,413	10,455
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0	0	0			0	0	0	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	44,768	80,825	3,800	8,545	8,545	11,555	77,404	4,651	9,413	10,455
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**12,19,306**					**12,12,247**
आरएसएफ मद											
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					18,766					18,313
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	4,066	33	0	0	2,050	2,335	29	0	0	1,182
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	5,305	2,75,584	85,986	6,97,126	7,10,302	3,161	2,44,485	86,243	6,87,034	6,99,670
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0	23,824	0	0	2,382	0	866	120	0	272
18	गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण	0	81,054	18,580	86,942	1,08,391	0	85,857	22,996	96,256	1,20,633
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0	1,37,425	62,044	4,49,966	4,52,458	0	1,27,417	59,900	4,43,383	4,44,639
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	75,063	42,312	1,48,736	1,55,366	0	68,103	36,755	1,32,486	1,38,536
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से:	0	29,867	2,177	82,392	73,111	0	25,943	1,878	67,911	60,528
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	23,566	1,847	64,723	54,776	0	21,241	1,628	55,537	47,534
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	5,305	3,414	3,184	77,825	73,960	3,161	4,402	1,349	79,484	73,598
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	1,00,468	1,572	949	14,373	1,17,302	1,08,258	1,729	915	20,502	1,31,345
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान	398	0	0	0	339	397	3	0	0	340
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0	0	0	0	-	0	11	0	0	11
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	22	0	0	0	22	28	0	0	0	28
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	1,00,048	1,572	949	14,373	1,16,941	1,07,833	1,716	915	20,502	1,30,967
30	तुलन–पत्रोत्तर मद	0	759	66,606	65,364	5,328	0	967	67,328	61,043	5,244
31	**कुल आरएसएफ**					**8,53,748**					**8,55,754**
32	**निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)**					**142.82**					**141.66**

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		31.03.2024					31.12.2023				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	1,06,264	0	0	35,147	1,41,411	1,00,053	0	0	35,734	1,35,787
2	Regulatory capital	1,06,264	0	0	30,701	1,36,965	1,00,053	0	0	29,636	1,29,689
3	Other capital instruments	0	0	0	4,446	4,446	0	0	0	6,098	6,098
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	4,58,694	1,38,733	3,88,178	697	8,93,279	4,62,657	1,45,494	3,65,773	822	8,82,739
5	Stable deposits	73,119	11,697	25,930	271	1,05,480	73,393	12,818	21,498	242	1,02,565
6	Less stable deposits	3,85,574	1,27,036	3,62,248	426	7,87,799	3,89,264	1,32,676	3,44,275	581	7,80,174
7	Wholesale funding: (8+9)	71,129	89,154	1,44,891	23,484	1,76,071	83,331	1,58,883	74,450	25,345	1,83,267
8	Operational deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	71,129	89,154	1,44,891	23,484	1,76,071	83,331	1,58,883	74,450	25,345	1,83,267
10	Other liabilities: (11+12)	44,768	80,825	3,800	8,545	8,545	11,555	77,404	4,651	9,413	10,455
11	NSFR derivative liabilities		0	0	0			0	0	0	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	44,768	80,825	3,800	8,545	8,545	11,555	77,404	4,651	9,413	10,455
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**12,19,306**					**12,12,247**
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					18,766					18,313
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	4,066	33	0	0	2,050	2,335	29	0	0	1,182
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	5,305	2,75,584	85,986	6,97,126	7,10,302	3,161	2,44,485	86,243	6,87,034	6,99,670
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	23,824	0	0	2,382	0	866	120	0	272
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	81,054	18,580	86,942	1,08,391	0	85,857	22,996	96,256	1,20,633
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	1,37,425	62,044	4,49,966	4,52,458	0	1,27,417	59,900	4,43,383	4,44,639
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	75,063	42,312	1,48,736	1,55,366	0	68,103	36,755	1,32,486	1,38,536
21	Performing residential mortgages, of which:	0	29,867	2,177	82,392	73,111	0	25,943	1,878	67,911	60,528
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	23,566	1,847	64,723	54,776	0	21,241	1,628	55,537	47,534
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	5,305	3,414	3,184	77,825	73,960	3,161	4,402	1,349	79,484	73,598
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1,00,468	1,572	949	14,373	1,17,302	1,08,258	1,729	915	20,502	1,31,345
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	398	0	0	0	339	397	3	0	0	340
27	NSFR derivative assets	0	0	0	0	-	0	11	0	0	11
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	22	0	0	0	22	28	0	0	0	28
29	All other assets not included in the above categories	1,00,048	1,572	949	14,373	1,16,941	1,07,833	1,716	915	20,502	1,30,967
30	Off-balance sheet items	0	759	66,606	65,364	5,328	0	967	67,328	61,043	5,244
31	**Total RSF**					**8,53,748**					**8,55,754**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**142.82**					**141.66**

निवल स्थिर निधियन अनुपात पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

	समेकित										
	एनएसएफआर प्रकटीकरण यथावत	31.03.2024					31.12.2023				
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य
	(₹ करोड़ में)	कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
	एएसएफ मद										
1	पूंजी: (2+3)	1,11,757	0	0	36,580	1,48,337	1,11,657	0	2,000	31,308	1,42,965
2	विनियामक पूंजी	1,11,757	0	0	29,083	1,40,840	1,11,657	0	0	26,228	1,37,885
3	अन्य पूंजी लिखत	0	0	0	7,497	7,497	0	0	2,000	5,080	5,080
4	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6)	4,50,339	28,915	62,612	4,29,887	9,20,522	4,46,919	31,101	1,06,444	3,80,126	9,08,618
5	स्थिर जमा	48860	3,978	6282	41,612	97,776	48,346	4,191	10,428	37,595	97,392
6	कम स्थिर जमा	4,01,479	24,936	56,330	3,88,275	8,22,745	3,98,573	26,910	96,016	3,42,531	8,11,226
7	थोक वित्तपोषण: (8+9)	79,783	77,785	40,981	97,311	1,96,274	89,420	1,09,581	66,161	96,652	2,29,234
8	परिचालन जमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधियन	79,783	77,785	40981	97,311	1,96,274	89,420	1,09,581	66,161	96,652	2,29,234
10	अन्य देयताएं: (11+12)	18,437	86,764	2038	8,469	8,484	7,363	29,002	56	7,080	7,090
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां		0	0	0			0	0	5	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	18,437	86,764	2,038	8,469	8,484	7,363	29,002	56	7,075	7,090
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**12,73,617**					**12,87,906**
	आरएसएफ मद										
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					18,274					18,240
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	6,338	57	0	0	3,198	14,441	44	0	0	7,243
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	19,581	69,049	54,181	8,55,251	7,62,598	9,370	65,507	55,227	7,32,555	7,29,295
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0	1,018	114	0	285	0	764	310	0	231
18	गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए कार्यशील ऋण और वित्तीय संस्थानों के लिए असुरक्षित कार्यशील ऋण	0	31,095	16,529	1,57,784	1,70,713	0	32,746	11,406	1,40,904	1,51,519
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए कार्यशील ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0	30,150	29,244	5,19,975	4,30,583	0	24,776	33,849	4,10,472	4,29,145
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	11,212	10,747	2,08,858	1,46,739	0	10,723	14,567	2,34,622	1,65,148
21	कार्यशील आवासीय बंधक, जिनमें से:	0	5,537	5,092	96,672	70,312	0	3,519	5,375	90,604	66,002
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	4,790	4,507	85,872	60,465	0	3,051	4,660	78,759	55,343
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	19,581	1,249	3,201	80,820	90,706	9,370	3,702	4,288	90,574	82,398
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	88,603	1,083	49	31,103	1,20,604	98,096	697	27	21,283	1,19,921
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान	412	0	0	0	351	347	0	0	0	295
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	8	23	0	0	31	23	0	0	0	23
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0	38	0	0	38	41	0	0	0	41
29	अन्य सभी आस्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	88,183	1,023	49	31,103	1,201,85	97,686	697	27	21,283	1,19,562
30	तुलन–पत्रोत्तर मद	0	1,060	1,12,760	60,876	7,514	0	1,078	55,691	65,170	4,794
31	**कुल आरएसएफ**					**9,12,187**					**8,79,493**
32	**निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)**					**139.62**					**146.44**

QUANTITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

Consolidated											
NSFR Disclosure as on		30.09.2023					30.06.2023				
(₹ in Crore)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	1,11,757	0	0	36,580	1,48,337	1,11,657	0	2,000	31,308	1,42,965
2	Regulatory capital	1,11,757	0	0	29,083	1,40,840	1,11,657	0	0	26,228	1,37,885
3	Other capital instruments	0	0	0	7,497	7,497	0	0	2,000	5,080	5,080
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	4,50,339	28,915	62,612	4,29,887	9,20,522	4,46,919	31,101	1,06,444	3,80,126	9,08,618
5	Stable deposits	48860	3,978	6282	41,612	97,776	48,346	4,191	10,428	37,595	97,392
6	Less stable deposits	4,01,479	24,936	56,330	3,88,275	8,22,745	3,98,573	26,910	96,016	3,42,531	8,11,226
7	Wholesale funding: (8+9)	79,783	77,785	40,981	97,311	1,96,274	89,420	1,09,581	66,161	96,652	2,29,234
8	Operational deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Other wholesale funding	79,783	77,785	40981	97,311	1,96,274	89,420	1,09,581	66,161	96,652	2,29,234
10	Other liabilities: (11+12)	18,437	86,764	2038	8,469	8,484	7,363	29,002	56	7,080	7,090
11	NSFR derivative liabilities		0	0	0			0	0	5	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	18,437	86,764	2,038	8,469	8,484	7,363	29,002	56	7,075	7,090
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**12,73,617**					**12,87,906**
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					18,274					18,240
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	6,338	57	0	0	3,198	14,441	44	0	0	7,243
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	19,581	69,049	54,181	8,55,251	7,62,598	9,370	65,507	55,227	7,32,555	7,29,295
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	1,018	114	0	285	0	764	310	0	231
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	31,095	16,529	1,57,784	1,70,713	0	32,746	11,406	1,40,904	1,51,519
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	30,150	29,244	5,19,975	4,30,583	0	24,776	33,849	4,10,472	4,29,145
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	11,212	10,747	2,08,858	1,46,739	0	10,723	14,567	2,34,622	1,65,148
21	Performing residential mortgages, of which:	0	5,537	5,092	96,672	70,312	0	3,519	5,375	90,604	66,002
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	4,790	4,507	85,872	60,465	0	3,051	4,660	78,759	55,343
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	19,581	1,249	3,201	80,820	90,706	9,370	3,702	4,288	90,574	82,398
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	88,603	1,083	49	31,103	1,20,604	98,096	697	27	21,283	1,19,921
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	412	0	0	0	351	347	0	0	0	295
27	NSFR derivative assets	8	23	0	0	31	23	0	0	0	23
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	38	0	0	38	41	0	0	0	41
29	All other assets not included in the above categories	88,183	1,023	49	31,103	1,201,85	97,686	697	27	21,283	1,19,562
30	Off-balance sheet items	0	1,060	1,12,760	60,876	7,514	0	1,078	55,691	65,170	4,794
31	**Total RSF**					**9,12,187**					**8,79,493**
32	**Net Stable Funding Ratio (%)**					**139.62**					**146.44**

3 निवेश

3. ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2024 तक (चालू वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	318422.64	0.15	5.13	4200.65	2882.64	149.32	325660.53	0.00	2560.28	0.20	2560.49	328221.02
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.99	0.00	498.45	0.00	499.44	0.00	341.59	0.00	341.59	841.03
निवल	**318422.64**	**0.15**	**4.14**	**4200.65**	**2384.19**	**149.32**	**325161.09**	**0.00**	**2218.70**	**0.20**	**2218.90**	**327379.99**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	51868.50	0.00	5174.07	32576.05	100.00	4456.94	94175.57	4154.31	0.00	668.12	4822.43	98998.00
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	2336.91	4574.29	1.03	854.08	7766.31	44.37	0.00	31.63	76.01	7842.31
निवल	**51868.50**	**0.00**	**2837.16**	**28001.76**	**98.97**	**3602.87**	**86409.26**	**4109.94**	**0.00**	**636.49**	**4746.42**	**91155.69**
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	1782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.53
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	**1782.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1782.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1782.53**
कुल निवेश	**372073.67**	**0.15**	**5179.21**	**36776.69**	**2982.64**	**4606.27**	**421618.63**	**4154.31**	**2560.28**	**668.32**	**7382.92**	**429001.55**
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान#	0.00	0.00	0.99	0.00	498.45	0.00	499.44	0.00	341.59	0.00	341.59	841.03
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	2336.91	4574.29	1.03	854.08	7766.31	44.37	0.00	31.63	76.01	7842.31
निवल	**372073.67**	**0.15**	**2841.30**	**32202.41**	**2483.16**	**3752.19**	**413352.88**	**4109.94**	**2218.70**	**636.69**	**6965.32**	**420318.21**

 # केवल एचटीएम

नोट: सरकारी प्रतिभूतियाँ, अंकित मूल्य रु. 1,14,585.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60,362.65 करोड़ रुपये) 31 मार्च, 2024 तक रेपो, TREPS उधार और प्रतिभूति निपटान के लिए RBI/CCIL/NSCCL/ICCL/MCX/SHCIL के पास मार्जिन के रूप में रखे गए हैं। सीसीआईएल के साथ मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 110.11 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

3. Investments

3. a) Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2024 (Current FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	318422.64	0.15	5.13	4200.65	2882.64	149.32	325660.53	0.00	2560.28	0.20	2560.49	328221.02
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.99	0.00	498.45	0.00	499.44	0.00	341.59	0.00	341.59	841.03
Net	**318422.64**	**0.15**	**4.14**	**4200.65**	**2384.19**	**149.32**	**325161.09**	**0.00**	**2218.70**	**0.20**	**2218.90**	**327379.99**
Available for Sale												
Gross	51868.50	0.00	5174.07	32576.05	100.00	4456.94	94175.57	4154.31	0.00	668.12	4822.43	98998.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	2336.91	4574.29	1.03	854.08	7766.31	44.37	0.00	31.63	76.01	7842.31
Net	**51868.50**	**0.00**	**2837.16**	**28001.76**	**98.97**	**3602.87**	**86409.26**	**4109.94**	**0.00**	**636.49**	**4746.42**	**91155.69**
Held for Trading												
Gross	1782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.53
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	**1782.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1782.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1782.53**
Total Investments	**372073.67**	**0.15**	**5179.21**	**36776.69**	**2982.64**	**4606.27**	**421618.63**	**4154.31**	**2560.28**	**668.32**	**7382.92**	**429001.55**
Less: Provision for non-Performing investments (NPI)#	0.00	0.00	0.99	0.00	498.45	0.00	499.44	0.00	341.59	0.00	341.59	841.03
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	2336.91	4574.29	1.03	854.08	7766.31	44.37	0.00	31.63	76.01	7842.31
Net	**372073.67**	**0.15**	**2841.30**	**32202.41**	**2483.16**	**3752.19**	**413352.88**	**4109.94**	**2218.70**	**636.69**	**6965.32**	**420318.21**

 # HTM only

Note: The Government Securities, face value of Rs. 1,14,585.01 Crore (Previous Year Rs. 60,362.65 Crore) have been kept as margin with RBI/CCIL/NSCCL/ICCL/MCX/ SHCIL towards Repo, TREPS borrowing & Securities Settlement as on March 31, 2024. Against which Rs. 110.11 crore has been utilized to meet margin requirements with CCIL

31.03.2023 तक (गत वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर और बांड	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	समनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	308287.81	0.15	5.13	4516.53	2188.11	223.42	315221.14	0.00	2487.46	0.20	2487.66	317708.80
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
निवल	**308287.81**	**0.15**	**4.12**	**4516.53**	**1793.71**	**223.42**	**314825.73**	**0.00**	**2145.87**	**0.20**	**2146.07**	**316971.80**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	44479.70	0.00	5674.10	30185.27	100.00	2660.63	83099.70	3895.22	0.00	597.06	4492.28	87591.98
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	481.86	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.13	44.96	0.00	39.57	84.52	8696.65
निवल	**43997.84**	**0.00**	**3057.47**	**26105.74**	**97.55**	**1228.97**	**74487.57**	**3850.27**	**0.00**	**557.49**	**4407.76**	**78895.33**
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
निवल	**129.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129.58**
कुल निवेश	**352897.29**	**0.15**	**5679.23**	**34701.80**	**2288.11**	**2884.05**	**398450.62**	**3895.22**	**2487.46**	**597.26**	**6979.94**	**405430.56**
घटाएं: अनर्जक निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान#	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	482.06	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.33	44.96	0.00	39.57	84.52	8696.85
निवल	**352415.23**	**0.15**	**3061.59**	**30622.27**	**1891.27**	**1452.38**	**389442.89**	**3850.27**	**2145.87**	**557.69**	**6553.83**	**395996.72**

 # केवल एचटीएम

As at 31.03.2023 (Previous FY)

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	308287.81	0.15	5.13	4516.53	2188.11	223.42	315221.14	0.00	2487.46	0.20	2487.66	317708.80
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
Net	**308287.81**	**0.15**	**4.12**	**4516.53**	**1793.71**	**223.42**	**314825.73**	**0.00**	**2145.87**	**0.20**	**2146.07**	**316971.80**
Available for Sale												
Gross	44479.70	0.00	5674.10	30185.27	100.00	2660.63	83099.70	3895.22	0.00	597.06	4492.28	87591.98
Less: Provision for depreciation and NPI	481.86	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.13	44.96	0.00	39.57	84.52	8696.65
Net	**43997.84**	**0.00**	**3057.47**	**26105.74**	**97.55**	**1228.97**	**74487.57**	**3850.27**	**0.00**	**557.49**	**4407.76**	**78895.33**
Held for Trading												
Gross	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	129.79
Less: Provision for depreciation and NPI	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
Net	**129.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129.58**
Total Investments	**352897.29**	**0.15**	**5679.23**	**34701.80**	**2288.11**	**2884.05**	**398450.62**	**3895.22**	**2487.46**	**597.26**	**6979.94**	**405430.56**
Less: Provision for non-Performing investments (NPI)#	0.00	0.00	1.01	0.00	394.39	0.00	395.40	0.00	341.59	0.00	341.59	736.99
Less: Provision for depreciation and NPI	482.06	0.00	2616.63	4079.53	2.45	1431.67	8612.33	44.96	0.00	39.57	84.52	8696.85
Net	**352415.23**	**0.15**	**3061.59**	**30622.27**	**1891.27**	**1452.38**	**389442.89**	**3850.27**	**2145.87**	**557.69**	**6553.83**	**395996.72**

 # HTM only

3. बी) मूल्यह्रास और निवेश अस्थिर रिज़र्व के प्रावधानों का उतार–चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
ए)	प्रारम्भिक शेष	9433.85	7225.30
बी)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	28.39	2467.60
सी)	जोड़ें: पुनर्गठन के कारण आनुपातिक प्रावधान को एनपीआई प्रावधान में स्थानांतरित कर दिया गया	1772.06	1012.26
डी)	घटाएं: वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधान के लिए बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलिखित राशि	1748.70	65.13
ई)	घटाएं: बेची/पुनर्गठित/बट्टे खाते में डाली गई प्रतिभूतियों के विरुद्ध प्रावधान	802.25	1206.18
एफ)	अंतिम शेष	8683.35	9433.84
ii)	अस्थिर रिज़र्व निवेश में उतार–चढ़ाव		
ए)	प्रारम्भिक शेष	1588.40	1393.66
बी)	जोड़ें: लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से अंतरित राशि	288.95	194.74
सी)	घटाएं: गिरावट	0.00	0.00
डी)	अंतिम शेष	1877.35	1588.40
iii)	एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी (निवल) में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.02%	2.01%

3. सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का दिनांक 31.03.2023 को एचटीएम श्रेणी में कुल मूल्य धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(पिछले वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25.08.2021 के अनुसार निवल अनुमत छूट के बाद एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का दिनांक 31.03.2022 को एचटीएम श्रेणी में कुल मूल्य धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं बढ़ा।

इसलिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।)

3. डी) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

3. डी). i) अनर्जक गैर–एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	प्रारम्भिक शेष	7002.58	7027.26
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1456.86	1818.17
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	1799.05	1842.85
डी)	अंतिम शेष	6660.39	7002.58
ई)	कुल धारित प्रावधान	6660.39	7001.51

3. b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a)	Opening balance	9433.85	7225.30
b)	Add: Provision made during the year	28.39	2467.60
c)	Add: Proportionate Provision transferred to NPI Provision on account of restructuring	1772.06	1012.26
d)	Less: Write off / write back of excess provisions during the Year	1748.70	65.13
e)	Less: Provisions against securities sold/ restructured/ write-off	802.25	1206.18
f)	Closing balance	8683.35	9433.84
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a)	Opening balance	1588.40	1393.66
b)	Add: Transfer from P&L Appropriation A/c	288.95	194.74
c)	Less: Drawdown	0.00	0.00
d)	Closing balance	1877.35	1588.40
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)	2.02%	2.01%

3. c) Sale and transfers to/from HTM category:

The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR.MRG.42/21.04.141/ 2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2023 to 31st March 2024 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2023.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.

(Previous year: The total value of sales and transfers of securities to / from HTM category after netting permitted exclusions in terms of RBI Master Circular No. DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated 25.08.2021 during 1st April 2022 to 31st March 2023 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2022.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines.)

3. d) Non-SLR investment portfolio

3. d) i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance	7002.58	7027.26
b)	Additions during the year	1456.86	1818.17
c)	Reductions during the above period	1799.05	1842.85
d)	Closing balance	6660.39	7002.58
e)	Total provisions held	6660.39	7001.51

3. डी) ii) गैर एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		"निवेश श्रेणी से नीचे" की प्रतिभूतियों की मात्रा		"बिना रेटिंग की" प्रतिभूतियों की मात्रा		"गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों" की मात्रा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
a)	पीएसयू	14,079.89	15,419.93	13,063.09	9,573.05	1,082.14	1,249.07	-	-	1,782.98	2,289.17
b)	एफआई	6,777.09	6,972.83	6,432.53	4,794.66	44.00	44.00	-	-	-	-
c)	बैंक	6,703.22	5,340.74	5,682.59	2,234.06	-	51.12	-	-	-	-
d)	निजी कॉर्पोरेट	11,311.40	8,897.09	7,934.97	7,857.26	5,619.02	4,972.21	-	-	-	-
e)	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	3,960.13	3,388.55	3,960.13	3,388.55	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य*	70,109.14	68,703.35	9,554.46	5,907.33	920.29	93.36	-	-	-	-
g)	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	8,683.34	8,952.22	8,266.13	8,312.88	5,355.76	4,694.29	-	-	-	-
	जोड़ **	**104257.53**	**99770.27**	**38361.64**	**25442.03**	**2309.69**	**1715.47**	**0.00**	**0.00**	**1782.98**	**2289.17**

**अन्य में ₹56,013.14 करोड़ (गत वर्ष ₹56189.38 करोड़) (मूल्यह्रास को घटाकर, यदि कोई हो) की विशेष सरकारी प्रतिभूतियां एवं अमेरिकी ट्रेजरी और चीन सरकार के बांड/स्थानीय सरकार के बांड शामिल हैं।*

***उपरोक्त कॉलम में 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं हो सकती।*

3. d) ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	PSUs	14,079.89	15,419.93	13,063.09	9,573.05	1,082.14	1,249.07	-	-	1,782.98	2,289.17
b)	FIs	6,777.09	6,972.83	6,432.53	4,794.66	44.00	44.00	-	-	-	-
c)	Banks	6,703.22	5,340.74	5,682.59	2,234.06	-	51.12	-	-	-	-
d)	Private Corporates	11,311.40	8,897.09	7,934.97	7,857.26	5,619.02	4,972.21	-	-	-	-
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	3,960.13	3,388.55	3,960.13	3,388.55	-	-	-	-	-	-
f)	Others*	70,109.14	68,703.35	9,554.46	5,907.33	920.29	93.36	-	-	-	-
g)	Less: Provision held towards depreciation	8,683.34	8,952.22	8,266.13	8,312.88	5,355.76	4,694.29	-	-	-	-
	Total **	**104257.53**	**99770.27**	**38361.64**	**25442.03**	**2309.69**	**1715.47**	**0.00**	**0.00**	**1782.98**	**2289.17**

**Others include special Govt. Securities of ₹ 56,013.14 Crore (previous year ₹56189.38 Crore) [Net of depreciation, if any] and includes US Treasury and China govt. bonds/local govt. bond.*

***Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.*

3. ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संबंध में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2024 को बकाया
i)	रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	3.93	4299.94	742.69	0.00
		(15.18)	(2022.08)	(254.20)	(0.00)
	बी) कॉपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii)	रिवर्स रेपो के अन्तर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
	ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.13	14064.35	685.46	34.84
		(10.08)	(11817.61)	(285.58)	(11817.61)
	बी) कॉपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	सी) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

3. एफ) सरकारी प्रतिभूतियों के उधार से संबंधित प्रकटीकरण

	चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	गत वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	गत वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	चालू वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	गत वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेन–देन की कुल मात्रा	गत वर्ष के दौरान लेन–देन की कुल मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया	गत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ										
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ		शून्य								
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ										
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ										

3. e) Repo transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

		Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2024
i)	Securities sold under repo				
	a) Government securities	3.93	4299.94	742.69	0.00
		(15.18)	(2022.08)	(254.20)	(0.00)
	b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii)	Securities purchased under reverse repo				
	a) Government securities	5.13	14064.35	685.46	34.84
		(10.08)	(11817.61)	(285.58)	(11817.61)
	b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

3. f) Disclosure related to Government Securities Lending

<table>
<tr><th></th><th>Minimum outstanding during the current year</th><th>Minimum outstanding during the previous year</th><th>Maximum outstanding during the current year</th><th>Maximum outstanding during the previous year</th><th>Daily Average outstanding during the current year</th><th>Daily Average outstanding during the previous year</th><th>Total volume of transaction during the current year</th><th>Total volume of transaction during the previous year</th><th>Outstanding as on March 31 of the current financial year</th><th>Outstanding as on March 31 of the previous financial year</th></tr>
<tr><td>Securities lent through GSL transactions</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Securities borrowed through GSL transactions</td><td></td><td rowspan="2" colspan="7">NIL</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Securities placed as collateral under GSL transactions</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Securities received as collateral under GSL transactions</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4. आस्ति गुणवता

4. ए) अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनएपीए						
प्रारम्भिक शेष	807353.02 (692656.32)	12226.61 (16401.47)	43413.63 (59009.18)	21687.43 (17037.39)	77327.67 (92448.04)	884680.69 (785104.36)
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					5826.20 (16028.92)	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					26810.81 (31149.29)	
अंतिम शेष	**926981.65 (807353.02)**	**4875.91 (12226.61)**	**39550.75 (43413.63)**	**11916.39 (21687.43)**	**56343.05 (77327.67)**	**983324.70 (884680.69)**
*निम्न के कारण सकल एनपीए में कमी:						
i) उन्नयन					3447.81 (4770.30)	3447.81 (4770.30)
ii) वसूली (उन्नयन खातों से वसूली को छोड़कर)					7105.78 (9800.99)	7105.78 (9800.99)
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					12495.85* (13362.86)	12495.85 (13362.86)
iv) ऊपर (iii) के तहत अलावा अन्य को बट्टे खाते में डालना					3761.37 (3215.14)	3761.37 (3215.14)

**तकनीकी राइट–ऑफ के लिए बैंक की नीति के अनुरूप 2060.14 करोड़ रुपये के दो खातों को अनमार्क करने के बाद।*

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रावधान (उतार–चढ़ाव प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	7746.99 (5986.96)	1793.48 (2649.76)	30479.17 (37253.77)	21551.14 (16953.10)	53823.79 (56856.63)	61570.78 (62843.59)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					18217.40 (18660.80	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					23327.74 (21693.64)	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	**7768.19 (7746.99)**	**1934.27 (1793.48)**	**35048.10 (30479.17)**	**11731.08 (21551.14)**	**48713.45 (53823.79)**	**56481.64 (61570.78)**

4. Asset Quality

4. a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	807353.02 (692656.32)	12226.61 (16401.47)	43413.63 (59009.18)	21687.43 (17037.39)	77327.67 (92448.04)	884680.69 (785104.36)
Add: Additions during the Year					5826.20 (16028.92)	
Less: Reductions during the Year *					26810.81 (31149.29)	
Closing balance	**926981.65 (807353.02)**	**4875.91 (12226.61)**	**39550.75 (43413.63)**	**11916.39 (21687.43)**	**56343.05 (77327.67)**	**983324.70 (884680.69)**
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					3447.81 (4770.30)	3447.81 (4770.30)
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					7105.78 (9800.99)	7105.78 (9800.99)
iii) Technical/ Prudential Write-offs					12495.85* (13362.86)	12495.85 (13362.86)
iv) Write-offs other than those under (iii) above					3761.37 (3215.14)	3761.37 (3215.14)

**After netting off unmarking of TWO a/c of Rs. 2060.14 Crores in line with the Bank's Policy for Technical Write-off*

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	7746.99 (5986.96)	1793.48 (2649.76)	30479.17 (37253.77)	21551.14 (16953.10)	53823.79 (56856.63)	61570.78 (62843.59)
Add: Fresh provisions made during the Year					18217.40 (18660.80	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					23327.74 (21693.64)	
Closing balance of provisions held	**7768.19 (7746.99)**	**1934.27 (1793.48)**	**35048.10 (30479.17)**	**11731.08 (21551.14)**	**48713.45 (53823.79)**	**56481.64 (61570.78)**

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
निवल एनपीए						
प्रारम्भिक शेष		10433.12 (13751.71)	12015.63 (21072.72)	136.29 (84.30)	22585.04 (34908.73)	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					3519.69 (10852.35)	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती'					19305.96 (23176.04)	
अंतिम शेष		**2941.65 (10433.12)**	**3671.81 (12015.63)**	**185.31 (136.29)**	**6978.77 (22585.04)**	**6978.77 (22585.04)**

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
उतार चढ़ाव प्रावधान						
प्रारम्भिक शेष						0.00 (0.00)
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						150.00 (0.00)
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						0.00 (0.00)
उतार–चढ़ाव प्रावधानों का अंतिम शेष						**150.00 (0.00)**

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						95122.55 (97300.75)
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना						14695.31 (13538.42)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली						18652.11 (15716.62)
अंतिम शेष						**91165.75 (95122.55)**

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	गत वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	5.73%	8.74%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.73%	2.72%
प्रावधान कवरेज अनुपात	95.39%	86.90%

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Net NPAs						
Opening balance		10433.12 (13751.71)	12015.63 (21072.72)	136.29 (84.30)	22585.04 (34908.73)	
Add: Fresh additions during the year					3519.69 (10852.35)	
Less: Reductions during the year					19305.96 (23176.04)	
Closing Balance		**2941.65 (10433.12)**	**3671.81 (12015.63)**	**185.31 (136.29)**	**6978.77 (22585.04)**	**6978.77 (22585.04)**

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Floating Provisions						
Opening balance						0.00 (0.00)
Add: Additional provisions made during the Year						150.00 (0.00)
Less: Amount drawn down during the Year						0.00 (0.00)
Closing balance of floating provisions						**150.00 (0.00)**

(Amount in ₹ crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts						95122.55 (97300.75)
Add: Technical/ Prudential write-offs during the Year						14695.31 (13538.42)
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the Year						18652.11 (15716.62)
Closing balance						**91165.75 (95122.55)**

(Amount in ₹ crore)

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	5.73%	8.74%
Net NPA to Net Advances	0.73%	2.72%
Provision Coverage Ratio	95.39%	86.90%

4. बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	31.03.2024 को			31.03.2023 को		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	सकल एनपीए का उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
प्राथमिकता क्षेत्र							
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	120321.34	21247.52	17.66%	106547.99	25483.76	23.92%
2	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	48757.77	6020.69	12.35%	47239.16	7435.81	15.74%
	जिसमें से						
	आयरन और स्टील				5219.31	606.23	11.62%
3	सेवाएं	90642.21	13709.39	15.12%	81885.58	16833.41	20.56%
4	व्यक्तिगत ऋण	33240.69	1829.62	5.50%	33508.80	2156.37	6.44%
	जिसमें से						
	शिक्षा ऋण	5245.27	727.02	13.86%	6482.91	885.02	13.65%
	आवास ऋण	27923.25	1074.32	3.85%	26956.32	1236.63	4.59%
	उप जोड़ (i)	**292962.07**	**42807.21**	**14.61%**	**269181.52**	**51909.35**	**19.28%**
गैर प्राथमिकता क्षेत्र							
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	37866.38	731.68	1.93%	35577.81	609.68	1.71%
2	उद्योग	122938.43	4988.65	4.06%	126556.63	14313.59	11.31%
	जिसमें से						
	बिजली उत्पादन	17384.34	1216.77	7.00%	16344.71	470.91	2.88%
	आयरन और स्टील	16210.33	265.84	1.64%	15006.73	330.54	2.20%
	सड़कें और पुल	29843.83	782.88	2.62%	27736.38	1130.75	4.08%
3	सेवाएं	239198.91	526.35	0.22%	191433.12	2222.31	1.16%
	एनबीएफसीएस	113316.54	6.27	0.01%	102933.01	14.00	0.01%
4	व्यक्तिगत ऋण	290358.91	7289.17	2.51%	261931.60	8272.74	3.16%
	जिसमें से						
	आवास ऋण	108190.14	1656.63	1.53%	62828.19	2037.53	3.24%
	बंधक ऋण	19812.99	670.94	3.39%	25512.05	812.78	3.19%
	वाहन/ऑटो ऋण	23766.16	508.59	2.14%	44414.89	539.75	1.22%
	उप जोड़ (ii)	**690362.62**	**13535.84**	**1.96%**	**615499.16**	**25418.32**	**4.13%**
	कुल (i+ii)	**983324.70**	**56343.05**	**5.73%**	**884680.69**	**77327.67**	**8.74%**

4. सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कुल आस्तियां	70205.70	61211.00
कुल एनपीए	1695.86	1676.86
कुल राजस्व	3672.18	2052.77

4. b) **Sector-wise Advances and Gross NPAs**

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Sector	AS ON 31.03.2024			AS ON 31.03.2023		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
Priority Sector							
1	Agriculture and allied activities	120321.34	21247.52	17.66%	106547.99	25483.76	23.92%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	48757.77	6020.69	12.35%	47239.16	7435.81	15.74%
	of which						
	Iron and Steel				5219.31	606.23	11.62%
3	Services	90642.21	13709.39	15.12%	81885.58	16833.41	20.56%
4	Personal Loan	33240.69	1829.62	5.50%	33508.80	2156.37	6.44%
	of which						
	Education loans	5245.27	727.02	13.86%	6482.91	885.02	13.65%
	Housing loans	27923.25	1074.32	3.85%	26956.32	1236.63	4.59%
	Sub-total (i)	**292962.07**	**42807.21**	**14.61%**	**269181.52**	**51909.35**	**19.28%**
Non Priority Sector							
1	Agriculture and allied activities	37866.38	731.68	1.93%	35577.81	609.68	1.71%
2	Industry	122938.43	4988.65	4.06%	126556.63	14313.59	11.31%
	of which						
	Electricity Generation	17384.34	1216.77	7.00%	16344.71	470.91	2.88%
	Iron and Steel	16210.33	265.84	1.64%	15006.73	330.54	2.20%
	Roads and Bridges	29843.83	782.88	2.62%	27736.38	1130.75	4.08%
3	Services	239198.91	526.35	0.22%	191433.12	2222.31	1.16%
	NBFCS	113316.54	6.27	0.01%	102933.01	14.00	0.01%
4	Personal Loan	290358.91	7289.17	2.51%	261931.60	8272.74	3.16%
	of which						
	Housing loans	108190.14	1656.63	1.53%	62828.19	2037.53	3.24%
	Mortgage loan	19812.99	670.94	3.39%	25512.05	812.78	3.19%
	Vehicle/auto loans	23766.16	508.59	2.14%	44414.89	539.75	1.22%
	Sub-total (ii)	**690362.62**	**13535.84**	**1.96%**	**615499.16**	**25418.32**	**4.13%**
	Total (i+ii)	**983324.70**	**56343.05**	**5.73%**	**884680.69**	**77327.67**	**8.74%**

4. c) **Overseas assets, NPAs and revenue**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	70205.70	61211.00
Total NPAs	1695.86	1676.86
Total Revenue	3672.18	2052.77

4. डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

4. डी) i) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018–19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजना से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	04	3392.73	10	3358.52
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक आस्तियों की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनर्गठन आदि के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि	04	3392.73	10	3358.52
वर्ष के दौरान पुनर्गठन पर इक्विटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण	1	Re. 1	6	331.82

4. डी) ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर नंबर बीपी बीसी 45/21.04.048/2018–19 के अनुसार, कुल बैंकिंग एक्सपोज़र रु. 1500.00 करोड़ और उससे अधिक है, बैंक के पास 31 मार्च, 2024 को 21 खातों में 2196.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (एफबी+एनएफबी)	31.03.2024 तक ऋण एनपीए की राशि (ए) से बाहर (एफबी+एनएफबी)	31.03.2024 को (बी) में से ऋण की राशि एनपीए (एफबी)	31.03.2024 तक ऋण की राशि मानक (ए) से बाहर	31.12.2023 तक रखा गया कुल अतिरिक्त प्रावधान	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) किया गया	31.03.2024 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
6396.95	3392.77	434.75	3004.18	2308.36	(112.18)	2196.18

गत वर्ष (वित्त वर्ष 2022–23) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर नंबर बीपी बीसी 45/21.04.048/2018–19 की शर्तों के अनुसार, बैंक के पास 31 मार्च, 2023 को 18 खातों में 2371.03 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋणों की राशि (एफबी+एनएफबी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि (एफबी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2023 को ऋण की राशि (एफबी)	31.12.2022 तक धारित प्रावधान	31.03.2023 तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान	31.03.2023 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
8794.28	3414.48	3414.48	2712.17	-341.14	2371.03

4. d) Particulars of resolution plan and restructuring

4. d) i) Disclosure related to Resolution Plan implemented during the year in terms of RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year		Previous Year	
	No. of Accts	Amount	No. of Accts	Amount
Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc.	04	3392.73	10	3358.52
The amount of standard assets subjected to restructuring etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	04	3392.73	10	3358.52
Acquisition of shares due to conversion of equity on re-structuring during the year	1	Re. 1	6	331.82

4 d) ii) In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, having total banking exposure of Rs.1500.00 Crore and above, the Bank is holding additional provision of Rs.2196.18 Crore as on March 31, 2024 in 21 accounts as summarized below:

(Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB)	Amount of Loans NPA as on 31.03.2024 out of (a) (FB+NFB)	Amount of loans NPA as on 31.03.2024 out of (b) (FB)	Amount of loans Standard as on 31.03.2024 out of (a)	Total Additional Provision held as on 31.12.2023	Additional Provision / (Reversal) made during quarter ended 31.03.2024	Total Provision held as on 31.03.2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
6396.95	3392.77	434.75	3004.18	2308.36	(112.18)	2196.18

Previous Year (FY 2022-23) In terms of RBI Circular DBR No. BP. BC 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, the Bank is holding additional provision of Rs. 2371.03 Crore as on March 31, 2023 in 18 accounts as detailed below:

(Amount in ₹ crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (FB+NFB)	Amount of Loans to be classified as NPA (FB)	Amount of loans as on 31.03.2023 out of (b) classified as NPA (FB)	Provision held as on 31.12.2022	Additional Provision made during quarter ended 31.03.2023	Provision held as on 31.03.2023
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8794.28	3414.48	3414.48	2712.17	-341.14	2371.03

4. डी) iii) पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

31.03.2024 (चालू वर्ष)

(राशि ₹ लाखो में)

क्र. सं.	पुनर्गठन के प्रकार → / आस्ति वर्गीकरण → / विवरण		सीडीआर तंत्र के तहत: स्टैण्डर्ड (ए)	सब–स्टैण्डर्ड (बी)	संदिग्ध (सी)	हानि (डी)	कुल (ई)	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत: स्टैण्डर्ड (जी)	सब–स्टैण्डर्ड (एच)	संदिग्ध (आई)	हानि (जे)	कुल (के)	अन्य: स्टैण्डर्ड (एल)	सब–स्टैण्डर्ड (एम)	संदिग्ध (एन)	हानि (ओ)	कुल	कुल: स्टैण्डर्ड	सब–स्टैण्डर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल
1	1 अप्रैल 2023 तक (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	175	16	134	0	325	182	9	114	0	305.00	357	25	250	0	632
		बकाया राशि	0.00	0.00	6373.89	0.00	6373.89	2921.01	1373.73	8594.19	0.00	12888.93	758598.83	66.29	36151.27	0.00	794816.39	761519.84	1440.42	51119.35	0.00	814079.21
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	219.59	0.00	219.59	239.35	17.56	2901.94	0.00	3158.85	29594.20	1.37	104.34	0.00	29699.91	29833.55	18.93	3225.87	0.00	33078.35
2	वर्ष 2023–24 के दौरान नवीनतम पुनर्गठन (मौजूदा खातों में बकाया में अतिरिक्त वृद्धि)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	7	1	0	8	882	18	1	0	901.00	882	25	2	0	909
		बकाया राशि	0.00	0.00	-2.26	0.00	-2.26	0.00	1060.98	315.31	0.00	1376.29	6155.00	182.87	14.57	0.00	6353.30	6155.86	1243.85	327.62	0.00	7727.33
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-47.74	0.00	-47.74	0.00	53.04	15.77	0.00	68.81	615.59	0.55	0.04	0.00	616.18	615.59	53.59	-31.93	0.00	637.25
3	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठन मानक श्रेणी के लिए अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	7	-4	-3	0	0	0	0	0	0	0.00	7	-4	-3	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.83	-280.13	-11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.83	-280.13	-11.70	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	-14.01	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	-14.01	-0.59	0.00	0.00
4	वित्त वर्ष 2023–24 की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम, जो वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-8	1	7	0	0	-53.00	-1	-107	0	-161.00	-61	0	-100	0	-161
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.15	66.75	27.40	0.00	0.00	-990.92	0.00	-19020.51	0.00	-20011.43	-1085.07	66.75	-18993.11	0.00	-20011.43
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.71	3.34	1.37	0.00	0.00	-49.55	0.00	-64.28	0.00	-113.83	-54.26	3.34	-62.91	0.00	-113.83
6	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना (निकास)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-27	-5	-46	0	-78	-78	0	0	0	-78.00	-105	-5	-46	0	-156
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590.27	-1066.19	-1131.74	0.00	-2788.20	-128499.82	-60.07	-16544.81	0.00	-145104.70	-129090.99	-1126.26	-17676.55	0.00	-147892.90
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	-2.17	-133.57	0.00	-132.14	-5948.75	-1.06	-1.11	0.00	-5950.92	-5945.15	-3.23	-134.68	0.00	-6083.06
7	31 मार्च, 24 को खातों का पुनर्गठन (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	147	15	93	0	255	933	26	8	0	967	1080	41	103	0	1224
		बकाया राशि	0.00	0.00	6371.63	0.00	6371.63	2528.42	1155.14	7793.46	0.00	11477.02	635263.95	189.09	600.52	0.00	636053.56	637729.37	1344.23	14765.61	0.00	653902.21
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	171.85	0.00	171.85	252.84	57.76	2784.92	0.00	3095.52	24211.49	0.86	38.99	0.00	24251.34	24464.33	58.62	2995.76	0.00	27.518.71

Table title: संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2024 तक)

4. d) iii). Disclosure of Restructured Accounts

31.03.2024 (Current Year)

(Amount in ₹ Lakhs)

Sl No.	Type of Restructuring → / Assest Classification →	Details	Under CDR Mechanism: Standard (a)	Sub-Standard (b)	Doubtful (c)	Loss (d)	Total (e)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Standard (f)	Sub-Standard (g)	Doubtful (h)	Loss (i)	Total (j)	Others: Standard (k)	Sub-Standard (l)	Doubtful (m)	Loss (n)	Total (o)	Total: Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 2023 (opening figure)	No. of borrowers	0	0	2	0	2	175	16	134	0	325	182	9	114	0	305.00	357	25	250	0	632
		Amount outstanding	0.00	0.00	6373.89	0.00	6373.89	2921.01	1373.73	8594.19	0.00	12888.93	758598.83	66.29	36151.27	0.00	794816.39	761519.84	1440.42	51119.35	0.00	814079.21
		Provision thereon	0.00	0.00	219.59	0.00	219.59	239.35	17.56	2901.94	0.00	3158.85	29594.20	1.37	104.34	0.00	29699.91	29833.55	18.93	3225.87	0.00	33078.35
2	Fresh restructuring during the year 2023-24 (plus addition in o/s in existing a/cs)	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	7	1	0	8	882	18	1	0	901.00	882	25	2	0	909
		Amount outstanding	0.00	0.00	-2.26	0.00	-2.26	0.00	1060.98	315.31	0.00	1376.29	6155.00	182.87	14.57	0.00	6353.30	6155.86	1243.85	327.62	0.00	7727.33
		Provision thereon	0.00	0.00	-47.74	0.00	-47.74	0.00	53.04	15.77	0.00	68.81	615.59	0.55	0.04	0.00	616.18	615.59	53.59	-31.93	0.00	637.25
3	Upgradation to restructured standard category during the FY 2023-24	No. of borrowers	0	0	0	0	0	7	-4	-3	0	0	0	0	0	0	0.00	7	-4	-3	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.83	-280.13	-11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.83	-280.13	-11.70	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	-14.01	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	-14.01	-0.59	0.00	0.00
4	Restructured standard advances at the begining of the FY 2023-24, which cease to attract higher provisionining and / or additional risk weight at the end of FY 2023-24 and hence need not be shown as restructured standard	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	downgrada-tion of restructured accounts during the FY 2023-24	No. of borrowers	0	0	0	0	0	-8	1	7	0	0	-53.00	-1	-107	0	-161.00	-61	0	-100	0	-161
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.15	66.75	27.40	0.00	0.00	-990.92	0.00	-19020.51	0.00	-20011.43	-1085.07	66.75	-18993.11	0.00	-20011.43
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.71	3.34	1.37	0.00	0.00	-49.55	0.00	-64.28	0.00	-113.83	-54.26	3.34	-62.91	0.00	-113.83
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2023-24	No. of borrowers	0	0	0	0	0	-27	-5	-46	0	-78	-78	0	0	0	-78.00	-105	-5	-46	0	-156
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-590.27	-1066.19	-1131.74	0.00	-2788.20	-128499.82	-60.07	-16544.81	0.00	-145104.70	-129090.99	-1126.26	-17676.55	0.00	-147892.90
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	-2.17	-133.57	0.00	-132.14	-5948.75	-1.06	-1.11	0.00	-5950.92	-5945.15	-3.23	-134.68	0.00	-6083.06
7	Accounts Restructured as on Mar 31, 24 (Closing Figures)	No. of borrowers	0	0	2	0	2	147	15	93	0	255	933	26	8	0	967	1080	41	103	0	1224
		Amount outstanding	0.00	0.00	6371.63	0.00	6371.63	2528.42	1155.14	7793.46	0.00	11477.02	635263.95	189.09	600.52	0.00	636053.56	637729.37	1344.23	14765.61	0.00	653902.21
		Provision thereon	0.00	0.00	171.85	0.00	171.85	252.84	57.76	2784.92	0.00	3095.52	24211.49	0.86	38.99	0.00	24251.34	24464.33	58.62	2995.76	0.00	27.518.71

4. डी) iii) पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

31.03.2023 (गत वर्ष)

(राशि ₹ लाखो में)

क्र. सं.	पुनर्गठन के प्रकार →		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		स्टैण्डर्ड	सब–स्टैण्डर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल	स्टैण्डर्ड	सब–स्टैण्डर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल	स्टैण्डर्ड	सब–स्टैण्डर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल	स्टैण्डर्ड	सब– स्टैण्डर्ड	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण		(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)	(एम)	(एन)	(ओ)						
1	1 अप्रैल 2022 तक (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	2	3	0	5	233	47	141	0	421	6,704	1671	774	0	9,149.00	6,937	1,720	918	0	9,575
		बकाया राशि	0.00	7001.01	72400.87	0.00	79,401.88	5,488.05	4531.64	26651.01	0.00	36,670.70	4,62,037.99	102053.80	99247.67	0.00	6,63,339.46	4,67,526.04	1,13,586.45	1,98,299.55	0.00	7,79,412.04
		उस पर प्रावधान	0.00	222.83	786.84	0.00	1,009.66	537.00	1412.52	2624.55	0.00	4,574.07	16,708.87	541.73	5882.30	0.00	23,132.90	17,245.87	2,177.08	9,293.69	0.00	28,716.64
2	वर्ष 2022–23 के दौरान नवीनतम पुनर्गठन (मौजूदा खातों में बकाया में अतिरिक्त वृद्धि)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	34	127	120	0	281.00	34	127	123	0	284
		बकाया राशि	0.00	0.00	6373.89	0	6,373.89	0.00	0.00	1426.19	0	1,426.19	6,55,979.83	194.83	47791.22	0.00	7,03,965.88	6,55,979.83	194.83	55,591.30	0.00	7,11,765.96
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	219.59	0.00	219.59	0.00	0.00	196.40	0.00	196.40	13,366.04	7.80	102.68	0.00	13,476.52	13,366.04	7.80	518.67	0.00	13,892.51
3	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पुनर्गठन मानक श्रेणी के लिए अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	0	0	0	1.00	2	-1	0	0	1
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00	32.66	0	0.00	0.00	32.66	33.26	-0.60	0.00	0.00	32.66
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0	0.00	0.01	0.04	-0.03	0.00	0.00	0.01
4	वित्त वर्ष 2022–23 की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम, जो वित्त वर्ष 2022–23 के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इसलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-2	0	0	-2	-70	1	69	0	0	-6160.00	-5	-780	0	-6,945.00	-6,230	-6	-711	0	-6,947
		बकाया राशि	0.00	-7001.01	0.00	0.00	-7001.01	-2,049.31	-2077.16	4,126.47	0.00	0.00	-349385.22	-66848.25	-110600.65	0.00	-5,26,834.12	-3,51,434.53	-75,926.42	-1,06,474.18	0.00	-5,33,835.13
		उस पर प्रावधान	0.00	-222.83	0.00	0.00	-222.83	-24.24	-20.77	45.01	0.00	0.00	620.64	-276.87	-5870.43	0.00	-5,526.66	596.40	-520.47	-5,825.42	0.00	-5,749.49
6	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना (निकास)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-3	0	-3	11	-31	-77	0	-97	-397	-1784	0	0	-2,181.00	-386	-1,815	-80	0	-2,281
		बकाया राशि	0.00	0.00	-72,400.87	0.00	-72400.87	-518.33	-1080.15	-23609.48	0.00	-25,207.96	-10066.43	-35334.09	-286.96	0.00	-45,687.48	-10,584.76	-36,414.24	-96,297.31	0.00	-1,43,296.31
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	-786.84	0.00	-786.84	-273.44	-1374.16	35.98	0.00	-1,611.62	-1101.36	-271.29	-10.21	0.00	-1,382.86	-1,374.80	-1,645.45	-761.07	0.00	-3,781.32
7	31 मार्च, 23 को खातों का पुनर्गठन (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	2	0	2	175	16	134	0	325	182	9	114	0	305.00	357	25	250	0	632
		बकाया राशि	0.00	0.00	6,373.89	0.00	6,373.89	2,921.01	1,373.73	8,594.19	0	12,888.93	7,58,598.83	66.29	36,151.28	0	7,94,816.40	7,61,519.84	1,440.02	51,119.36	0.00	8,14,079.22
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	219.59	0.00	219.58	239.35	17.56	2,901.94	0	3,158.85	29,594.20	1.37	104.34	0	29,699.91	29,833.55	18.93	3,225.87	0.00	33,078.35

(संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2023 तक))

4. d) iii). Disclosure of Restructured Accounts

31.03.2023 (Previous Year)

(Amount in ₹ Lakhs)

Sl No.	Type of Restructuring → / Assest Classification →	Details	Under CDR Mechanism: Standard (a)	Under CDR Mechanism: Sub-Standard (b)	Under CDR Mechanism: Doubtful (c)	Under CDR Mechanism: Loss (d)	Under CDR Mechanism: Total (e)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Standard (f)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Sub-Standard (g)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Doubtful (h)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Loss (i)	Under SME Debt Restructuring Mechanism: Total (j)	Others: Standard (k)	Others: Sub-Standard (l)	Others: Doubtful (m)	Others: Loss (n)	Others: Total (o)	Total: Standard	Total: Sub-Standard	Total: Doubtful	Total: Loss	Total: Total
1	Restructured Accounts as on April 1 2022 (opening figure)	No. of borrowers	0	2	3	0	5	233	47	141	0	421	6,704	1671	774	0	9,149.00	6,937	1,720	918	0	9,575
		Amount outstanding	0.00	7001.01	72400.87	0.00	79,401.88	5,488.05	4531.64	26651.01	0.00	36,670.70	4,62,037.99	102053.80	99247.67	0.00	6,63,339.46	4,67,526.04	1,13,586.45	1,98,299.55	0.00	7,79,412.04
		Provision thereon	0.00	222.83	786.84	0.00	1,009.66	537.00	1412.52	2624.55	0.00	4,574.07	16,708.87	541.73	5882.30	0.00	23,132.90	17,245.87	2,177.08	9,293.69	0.00	28,716.64
2	Fresh restructuring during the year 2022-23 (plus addition in o/s in existing a/cs)	No. of borrowers	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	34	127	120	0	281.00	34	127	123	0	284
		Amount outstanding	0.00	0.00	6373.89	0	6,373.89	0.00	0.00	1426.19	0	1,426.19	6,55,979.83	194.83	47791.22	0.00	7,03,965.88	6,55,979.83	194.83	55,591.30	0.00	7,11,765.96
		Provision thereon	0.00	0.00	219.59	0.00	219.59	0.00	0.00	196.40	0.00	196.40	13,366.04	7.80	102.68	0.00	13,476.52	13,366.04	7.80	518.67	0.00	13,892.51
3	Upgradation to restructured standard category during the FY 2022-23	No. of borrowers	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	0	0	0	1.00	2	-1	0	0	1
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	-0.60	0.00	0.00	0.00	32.66	0	0.00	0.00	32.66	33.26	-0.60	0.00	0.00	32.66
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0	0	0.00	0.01	0.04	-0.03	0.00	0.00	0.01
4	Restructured standard advances at the begining of the FY 2022-23, which cease to attract higher provisionining and / or additional risk weight at the end of FY 2022-23 and hence need not be shown as restructured standard	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	downgrada-tion of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	0	-2	0	0	-2	-70	1	69	0	0	-6160.00	-5	-780	0	-6,945.00	-6,230	-6	-711	0	-6,947
		Amount outstanding	0.00	-7001.01	0.00	0.00	-7001.01	-2,049.31	-2077.16	4,126.47	0.00	0.00	-349385.22	-66848.25	-110600.65	0.00	-5,26,834.12	-3,51,434.53	-75,926.42	-1,06,474.18	0.00	-5,33,835.13
		Provision thereon	0.00	-222.83	0.00	0.00	-222.83	-24.24	-20.77	45.01	0.00	0.00	620.64	-276.87	-5870.43	0.00	-5,526.66	596.40	-520.47	-5,825.42	0.00	-5,749.49
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2022-23	No. of borrowers	0	0	-3	0	-3	11	-31	-77	0	-97	-397	-1784	0	0	-2,181.00	-386	-1,815	-80	0	-2,281
		Amount outstanding	0.00	0.00	-72,400.87	0.00	-72400.87	-518.33	-1080.15	-23609.48	0.00	-25,207.96	-10066.43	-35334.09	-286.96	0.00	-45,687.48	-10,584.76	-36,414.24	-96,297.31	0.00	-1,43,296.31
		Provision thereon	0.00	0.00	-786.84	0.00	-786.84	-273.44	-1374.16	35.98	0.00	-1,611.62	-1101.36	-271.29	-10.21	0.00	-1,382.86	-1,374.80	-1,645.45	-761.07	0.00	-3,781.32
7	Accounts Restructured as on Mar 31, 23 (Closing Figures)	No. of borrowers	0	0	2	0	2	175	16	134	0	325	182	9	114	0	305.00	357	25	250	0	632
		Amount outstanding	0.00	0.00	6,373.89	0.00	6,373.89	2,921.01	1,373.73	8,594.19	0	12,888.93	7,58,598.83	66.29	36,151.28	0	7,94,816.40	7,61,519.84	1,440.02	51,119.36	0.00	8,14,079.22
		Provision thereon	0.00	0.00	219.59	0.00	219.58	239.35	17.56	2,901.94	0	3,158.85	29,594.20	1.37	104.34	0	29,699.91	29,833.55	18.93	3,225.87	0.00	33,078.35

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2023) as per revised guidelines Under

4. डी) iv) 31.03.2024 को तनावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
31.03.2024 को					
मानक के रूप में वर्गीकृत	3	998.84	102.84	896.00	853.63
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	2	323.12	14.21	308.91	323.12
31.03.2023 को					
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	146.54	48.95	97.59	50.52
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	5	2359.25	934.12	1425.13	2336.42

4. डी) v) 31.03.2024 को रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण
(खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		खाते जहां ऋण का इक्विटी में परिवर्तन हो गया है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वर्तमान वर्ष 31.03.2024: शून्य						
गत वर्ष 31.03.2023: शून्य						

4. डी) vi) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं):

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2024 को बकाया राशि		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन/इक्विटी शेयरों को गिरवी रखना लंबित हैं, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां ऋण से इक्विटी में परिवर्तन किया गया है/इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया		खाते जहां नए शेयर जारी करके या प्रवर्तकों के इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है, के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वर्तमान वर्ष 31.03.2024: शून्य								
गत वर्ष 31.03.2023: शून्य								

4. डी) vii) 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋणों के लिए अस्थिर संरचना के अनुप्रयोग पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	अस्थिर संरचना में लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	अस्थिर संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशि		अस्थिर संरचना में लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	अस्थिर संरचना लागू करने से पहले	अस्थिर संरचना लागू करने के बाद
वर्तमान वर्ष 31.03.2024: शून्य					
गत वर्ष 31.03.2023: शून्य					

4. d) iv) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
As on 31.03.2024					
Classified as Standard	3	998.84	102.84	896.00	853.63
Classified as NPA	2	323.12	14.21	308.91	323.12
As on 31.03.2023					
Classified as Standard	2	146.54	48.95	97.59	50.52
Classified as NPA	5	2359.25	934.12	1425.13	2336.42

4. d) v) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(Accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has been taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year 31.03.2024: NIL						
Previous Year 31.03.2023: NIL						

4. d) vi) Disclosures on Change in ownership outside Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):

(Amount in ₹ Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2024		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Current Year 31.03.2024 : NIL								
Previous Year 31.03.2023: NIL								

4. d) vii) Disclosures on application of Flexible Structuring to Existing Loans as on 31.03.2024:

(Amount in ₹ Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Current Year 31.03.2024: NIL					
Previous Year 31.03.2023: NIL					

4. डी) viii) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड–स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):

(राशि ₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31.03.2024 को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वर्तमान वर्ष: शून्य			
गत वर्ष: शून्य			

4. ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई के मास्टर निर्देश – प्रस्तुति और प्रकटीकरण संख्या DOR.ACC.REC.N0.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (25 अक्टूबर, 2023 को अद्यतन) के अनुसार, यदि आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 5% से अधिक है और/या आरबीआई द्वारा इसकी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए का 5% से अधिक है, तो बैंकों को आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है।

आरबीआई द्वारा उपरोक्त पहलू पर किसी भी विचलन का आकलन नहीं किया गया है, इसलिए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

आरबीआई मास्टर दिशा–निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2021–22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021–22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (20 फरवरी, 2023 तक अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर पिछले वर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में संपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

4. एफ) ऋण एक्सपोज़र के हस्तांतरण का प्रकटीकरण: अन्य संस्थाओं से / को हस्तांतरित और प्राप्त किए गए ऋण की कुल राशि, जो चूक/दबाव ऋणों में नहीं है:

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021–22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

4. एफ) i) ऋण जो चूक में नहीं, हस्तांतरित किए गए:

(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2024 - वर्तमान वर्ष	31.03.2023 - गत वर्ष
शून्य	शून्य

4. d) viii) **Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):**

(Amount in ₹ Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2024		
	Classified as Standard	Classified as Standard restructured	Classified as NPA
Current Year: NIL			
Previous Year: NIL			

4. e) **Divergence in Asset Classification and Provisioning**

As per RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures No. DOR.ACC.REC.N0.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on October 25, 2023), in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process, exceeds 5% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and/or additional gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process, exceed 5% of the reported incremental Gross NPAs for the reference period, then the banks are required to disclose divergence from prudential norms on income recognition, assets classification and provisioning.

No divergences on the above aspect has been assessed by RBI, hence no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2022-23.

(Previous year Disclosure on divergence in Asset classification and provisioning for NPAs is not required w.r.t. RBI's annual supervisory process for the year ended March 31, 2022 based on conditions mentioned in RBI Master Direction no. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (Updated as on February 20, 2023).

4. f) **Disclosure of transfer of loan exposures: Total amount of loan not in default / stressed loans transferred and acquired to / from other entities:**

In accordance with RBI circular no. DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the details of loans transferred/acquired during the FY ended March 31, 2024 are given below:

4. f) i) **Loans not in default transferred:**

(Amount in ₹ Crore)

31.03.2024 - Current year	31.03.2023 - Previous Year
NIL	NIL

ऐसे ऋण जो समनुदेशन के माध्यम से पूल बायआउट द्वारा डिफ़ॉल्ट अधिग्रहित नहीं किए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष (01.04.2023 से 31.03.2024)	गत वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023)
ऋण की राशि	11732.99	5222.55
भारित औसत परिपक्वता (महीनों में)	69.57	57.94
भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	11.69	14.33
लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारण (प्रवर्तक द्वारा)	10.00%	10.00%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	150.07%	115.70%
श्रेणीकृत ऋणों का श्रेणी वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

4. एफ) ii) वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वर्ष (01.04.2023 से 31.03.2024)

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

गत वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023)

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य

Loans not in default acquired through pool buyout via assignment:

(Amount in ₹ Crore)

	Current Period (01.04.2023 to 31.03.2024)	Previous Period (01.04.2022 to 31.03.2023)
Amount of Loan	11732.99	5222.55
Weighted average maturity (in months)	69.57	57.94
Weighted average holding period (in months)	11.69	14.33
Retention of beneficial economic interest (by originator)	10.00%	10.00%
Tangible security coverage	150.07%	115.70%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

4. f) ii) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as SMA:

Current Year (01.04.2023 to 31.03.2024)

(All Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

Previous Year (01.04.2022 to 31.03.2023)

(All Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	NIL	NIL	NIL

4. एफ) iii) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

वर्तमान वर्ष (01.04.2023 से 31.03.2024)

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

गत वर्ष (01.04.2022 से 31.03.2023)

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. एफ) iv) वर्ष के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण

31.03.2024 वर्तमान वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए
खातों की संख्या	20	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	4928.70	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	1247.66	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	46.99	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखे में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	73.68	शून्य	शून्य

4. f) iii) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as SMA:

Current Year (01.04.2023 to 31.03.2024)

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

Previous Year (01.04.2022 to 31.03.2023)

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. f) iv) Details of stressed Loans transferred during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2024 Current Year

(All Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	20	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	4928.70	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	1247.66	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	46.99	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	73.68	NIL	NIL

31.03.2023 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरितियों के लिए	अन्य अनुमत अंतरितियों के लिए
खातों की संख्या	7	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	1409.12	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	32.20	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	617.71	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	95.62	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि लेखे में वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा	585.51	शून्य	शून्य

4. एफ) v) वर्ष के दौरान अर्जित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण – एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण:

31.03.2024 वर्तमान वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

31.03.2023 गत वर्ष

(कुल राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफ, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अर्जित ऋणों का बकाया कुल मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

4. एफ) vi) 31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य 31.03.2024	बही मूल्य 31.03.2023
आरआर1+	11.72	28.72
आरआर1	212.06	262.86
आरआर2	62.78	94.68
आरआर3	60.63	136.49
आरआर4	0.00	443.44
आरआर5	437.85	389.93
वापस ली गई रेटिंग	502.94	162.07
कुल	1287.98	1518.19

+आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 साल के बाद रेटिंग लागू नहीं होती है।

31.03.2023 Previous Year

(All Amount in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	7	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1409.12	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	32.20	NIL	NIL
Aggregate consideration	617.71	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	95.62	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	585.51	NIL	NIL

4. f) v) Details of stressed Loans acquired during the Year - loans classified as NPA:

31.03.2024 Current Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

31.03.2023 Previous Year

(all Amount in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL

4. f) vi) Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2024:

(Amount in ₹ Crore)

Recovery Rating Band	Book Value 31.03.2024	Book Value 31.03.2023
RR1+	11.72	28.72
RR1	212.06	262.86
RR2	62.78	94.68
RR3	60.63	136.49
RR4	0.00	443.44
RR5	437.85	389.93
Rating Withdrawn	502.94	162.07
Total	1287.98	1518.19

+As per RBI guidelines post 8 years Rating is not applicable.

4. एफ) vii) प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान वर्ष (31.03.2024 को)			गत वर्ष (31.03.2023 को)		
		पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर	8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर	8 से अधिक वर्ष पहले जारी किए गए एसआर
ए)	उन एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	0.34	788.76	498.88	87.99	1291.51	138.69
	(ए) के प्रति किया गया प्रावधान	0.34	788.76	498.88	87.99	1291.51	138.69
बी)	उन एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए अंतर्निहित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(बी) के प्रति किया गया प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (ए)+(बी)		**0.34**	**788.76**	**498.88**	**87.99**	**1291.51**	**138.69**

4. जी) धोखाधड़ी खाते

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	उधार	52	164
	गैर उधार	79	125
	डिजिटल धोखाधड़ी	6981	00
	कुल	**7112**	**289**
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधार*	1752.91	1580.46
	गैर उधार	31.25	228.64
	डिजिटल धोखाधड़ी	19.43	0.00
	कुल	**1803.59**	**1809.10**
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधार	1425.70	1578.46
	गैर उधार	16.97	224.22
	डिजिटल धोखाधड़ी	0.00	0.00
	कुल	**1442.67**	**1802.68**
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से आहरित किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-	-	-

**उधार धोखाधड़ी की 31.03.2024 तक बकाया राशि 1425.70 करोड़ रुपये है।*

4. f) vii) Investments in Security Receipts (SRs):

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		Current Year (As on 31.03.2024)			Previous Year (As on 31.03.2023)		
		SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
a)	Book value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying	0.34	788.76	498.88	87.99	1291.51	138.69
	Provision held against (a)	0.34	788.76	498.88	87.99	1291.51	138.69
b)	Book value of SRs where NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies are the underlying	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (a) + (b)		**0.34**	**788.76**	**498.88**	**87.99**	**1291.51**	**138.69**

4. g) Fraud accounts

		Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	Borrowal	52	164
	Non Borrowal	79	125
	Digital Fraud	6981	00
	TOTAL	**7112**	**289**
Amount involved in fraud (₹ crore)	Borrowal*	1752.91	1580.46
	Non Borrowal	31.25	228.64
	Digital Fraud	19.43	0.00
	TOTAL	**1803.59**	**1809.10**
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal	1425.70	1578.46
	Non Borrowal	16.97	224.22
	Digital Fraud	0.00	0.00
	TOTAL	**1442.67**	**1802.68**
Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	-	-

** Amount outstanding as on 31.03.2024 the Borrowal Fraud is Rs. 1425.70 crore.*

4. एच) i) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018–19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर.सं. बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019–20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी. बीसी/4/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – अग्रिमों का पुनर्गठन" पर, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	किया गया प्रावधान
4853	545.79	49.24

4. h) i) In accordance with RBI circular no. DBR. No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019-20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", the detail of MSME restructured accounts is as under:

(Amount in ₹ Crore)

No. of Accounts Restructured	Amount	Provision held
4853	545.79	49.24

4. एच) ii) "संकल्प रूपरेखा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के कोविड –19 संबंधित दबाव का समाधान" आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर. आरईसी.12/21.04.048/2021–22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार पुनर्गठित खातों का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि	किया गया प्रावधान
24995	2147.98	268.49

4. h) ii) In accordance with RBI circular no. DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 05, 2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)" the details of accounts restructured is as under:

(Amount in ₹ Crore)

No. of Accounts Restructured	Amount	Provision held
24995	2147.98	268.49

4. एच) iii) आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2020–21/16 डीओआर. सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 और आरबीआई/2021–22/31 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021–22 दिनांक 5 मई, 2021 के अनुसार कोविड 19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिए गए हैं:

4. h) iii) Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI Circular RBI/2020-21/16 DOR. No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 and RBI/2021-22/31 DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – 30.09.2023 (ए) के अनुसार स्थिति	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया	(ए) का, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) का, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – 31.03.2024 को स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	441.88	12.62	0.00	45.95	453.86
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2196.49	0.00	0.00	555.33	1863.20
*जिनमें से एमएसएमई	313.93	0.00	0.00	107.59	214.34
अन्य	2.68	0.00	0.00	0.26	3.93
कुल ओटीआर 1.0	**2641.05**	**12.62**	**0.00**	**601.54**	**2320.99**
व्यक्तिगत ऋण	4041.84	157.15	0.00	417.58	3660.87
कारोबार ऋण	130.24	5.92	0.00	22.72	128.21
छोटा कारोबार	564.79	36.96	0.00	76.88	490.14
कुल ओटीआर 2.0	**4736.87**	**200.03**	**0.00**	**517.18**	**4279.22**
कुल योग	**7377.92**	**212.65**	**0.00**	**1118.72**	**6600.21**

**249 उधारकर्ता खाते हैं, जिनका बैंक में कुल 17.81 करोड़ रुपये का एक्सपोज़र है, जहां समाधान योजनाओं को लागू किया गया था और अब 5 मई, 2021 को आरबीआई के समाधान ढांचे 2.0 के तहत संशोधित किया गया है।*

5. एक्सपोजर्स

5. ए. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	**प्रत्यक्ष एक्सपोज़र**		
ए)	आवासीय सम्पत्ति बंधक –		
	आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी द्वारा अधिकार में ली गई है या ली जायेगी या किराये पर दी गई है, पर बन्धक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण		
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत आवास ऋण	27245.87	28491.37
	अन्य आवासीय बंधक	126933.66	69493.35
	कुल	**154179.53**	**97984.72**
बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा –		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोडाउन स्पेस, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	निधि आधारित	22719.46	15679.28
	गैर निधि आधारित	714.15	626.41
	कुल	**23433.61**	**16305.69**
सी)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र में निवेश –		
	i. आवासीय	0.00	0.00
	ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00	0.00
ii)	**अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र**		
	विदेशी कार्यालयों सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कम्पनियों (एच एफ सी) हेतु निधि आधारित व गैर निधि आधारित एक्सपोज़रः	42808.75	45887.15
	बैंक द्वारा आवास कम्पनियों एवं कॉर्पोरेशन में किया गया निवेश	5357.81	6251.82
	कुल	**48166.56**	**52138.97**
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र	**225779.70**	**166429.38**

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 30.09.2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at 31.03.2024
Personal Loans	441.88	12.62	0.00	45.95	453.86
Corporate persons*	2196.49	0.00	0.00	555.33	1863.20
* Of which MSMEs	313.93	0.00	0.00	107.59	214.34
Others	2.68	0.00	0.00	0.26	3.93
Total OTR 1.0	**2641.05**	**12.62**	**0.00**	**601.54**	**2320.99**
Personal Loans	4041.84	157.15	0.00	417.58	3660.87
Business Loans	130.24	5.92	0.00	22.72	128.21
Small Business	564.79	36.96	0.00	76.88	490.14
Total OTR 2.0	**4736.87**	**200.03**	**0.00**	**517.18**	**4279.22**
Grand Total	**7377.92**	**212.65**	**0.00**	**1118.72**	**6600.21**

There are 249 borrower accounts having aggregate exposure of Rs.17.81 Crore to the Bank where resolution plans had been implemented and now modified under RBI's resolution framework 2.0 dated May 5, 2021.

5. Exposures

5. a) Exposure to real estate sector

(Amount in ₹ Crore)

	Category	Current Year	Previous Year
i)	**Direct Exposure**		
a)	Residential Mortgages–		
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.		
	Housing loans classified as priority sector	27245.87	28491.37
	Others Residential Mortgages	126933.66	69493.35
	Total	**154179.53**	**97984.72**
b)	Commercial Real Estate–		
	Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.).;		
	Fund Based	22719.46	15679.28
	Non Fund Based	714.15	626.41
	Total	**23433.61**	**16305.69**
c)	Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures–		
	i. Residential	0.00	0.00
	ii. Commercial Real Estate	0.00	0.00
ii)	**Indirect Exposure**		
	Fund based and non-fund-based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including Foreign Offices.	42808.75	45887.15
	Investments made by the Bank in Housing Companies and Corporations	5357.81	6251.82
	Total	**48166.56**	**52138.97**
	Total Exposure to Real Estate Sector	**225779.70**	**166429.38**

5. बी. पूँजी बाज़ार को एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जो निगमित ऋण की मूल निधि में ही एक मात्र निवेश नहीं है;	2297.05	2634.50
ii)	शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बंध पत्रों / ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना अग्रिम;	0.62	0.66
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखा गया हो;	NIL	NIL
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति तक प्रतिभूति दी गई हो अर्थात् जहाँ परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय ऋण पत्रों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती हैं;	204.88	432.84
v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गई गारंटियाँ;	25.40	25.00
vi)	संसाधनों को जुटाने की संभावना में नयी कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्डों / ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों पर या प्रतिभूति के बिना निगमित कंपनियों को स्वीकृत ऋण;	शून्य	शून्य
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राइमरी इश्यू के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त	शून्य	शून्य
x)	वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	306.30	659.37
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र	**2834.25**	**3752.37**

5. सी) जोखिम श्रेणीवार–देश सम्बन्धी एक्सपोज़र

31.03.2024 तक कुल शुद्ध वित्त पोषित एक्सपोजर ₹38,157.97 करोड़ है। 31.12.2023 को बैंक की कुल संपत्ति ₹15,23,992.00 करोड़ थी, कुल संपत्ति का 1% ₹15,239.92 करोड़ है। 31.12.2023 तक किसी भी देश में बैंक का एक्सपोज़र बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं है। इसलिए, 31.03.2024 तक देश के जोखिम के संबंध में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(पिछला वर्षः 31.03.2023 तक कुल शुद्ध वित्त पोषित एक्सपोजर ₹52,827.59 करोड़ है। 31.12.2022 को बैंक की कुल संपत्ति ₹14,01,797 करोड़ थी, कुल संपत्ति का 1% ₹14,017.97 करोड़ है। 31.12.2022 को बैंक ने यूएसए में एक्सपोजर ₹14,017.97 करोड़ से अधिक कर लिया, यानी बैंक की कुल संपत्ति का 1%। इसलिए, 31.03.2023 तक देश के जोखिम के संबंध में ₹11.82 करोड़ का प्रावधान आवश्यक है।

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	ईसीजीसी रेटिंग	31.03.2024 को निधिक एक्सपोज़र (निवल) (वर्तमान वर्ष)	31.03.2024 को धारित प्रावधान (वर्तमान वर्ष)	31.03.2023 को निधिक एक्सपोज़र (निवल) (गत वर्ष)	31.03.2023 को धारित प्रावधान (गत वर्ष)
नगण्य	A1	20274.91	0.00	30344.40	11.82
कम	A2	17264.01	0.00	21812.89	0.00
सामान्य से कम	B1	473.01	0.00	275.02	0.00
सामान्य	B2	11.02	0.00	394.25	0.00
सामान्य से उच्च	C1	130.97	0.00	0.62	0.00
उच्च	C2	0.42	0.00	0.41	0.00
अति उच्च	D	3.63	0.00	0.00	0.00
कुल		**38157.97**	**0.00**	**52827.59**	**11.82**

5. b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	2297.05	2634.50
ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.62	0.66
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	204.88	432.84
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	25.40	25.00
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	NIL	NIL
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	306.30	659.37
	Total exposure to capital market	**2834.25**	**3752.37**

5. c) Risk category-wise country exposure

Total Net Funded Exposure as on 31.03.2024 is ₹38,157.97 Crores. Total assets of the Bank as on 31.12.2023 were ₹15,23,992.00 Crores, 1% of total asset is ₹15,239.92 Crore. Bank exposure to any country is not beyond 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2023. Hence, no provision is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2024.

(Previous year: Total Net Funded Exposure as on 31.03.2023 is ₹52,827.59 Crores. Total assets of the Bank as on 31.12.2022 were ₹14,01,797 Crores, 1% of total asset is ₹14,017.97 Crore. Bank exceeded the exposure to USA beyond ₹14,017.97 Crores i.e. 1% of Total Assets of the Bank as on 31.12.2022. Hence, provision of ₹11.82 Crores is required with respect to country risk exposure as on 31.03.2023.

(Amount in ₹ Crore)

Risk Category	ECGC Rating	Funded Exposure (net) as on 31.03.2024 (Current Year)	Provision held as on 31.03.2024 (Current Year)	Funded Exposure (net) as on 31.03.2023 (Previous Year)	Provision held as on 31.03.2023 (Previous Year)
Insignificant	A1	20274.91	0.00	30344.40	11.82
Low	A2	17264.01	0.00	21812.89	0.00
Moderately Low	B1	473.01	0.00	275.02	0.00
Moderate	B2	11.02	0.00	394.25	0.00
Moderately High	C1	130.97	0.00	0.62	0.00
High	C2	0.42	0.00	0.41	0.00
Very High	D	3.63	0.00	0.00	0.00
Total		**38157.97**	**0.00**	**52827.59**	**11.82**

5. डी) अप्रतिभूत अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	214017.01	151035.55
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है।	0.00	6218.08
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	11002.90

5. ई) फैक्टरिंग एक्सपोज़र

फैक्टरिंग एक्सपोज़र (टीआरईडीएस के अंतर्गत)

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्तमान वर्ष में बकाया शेष	गत वर्ष में बकाया शेष
981.19	827.88

5. एफ) इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	6974.66	8193.42
ii)	शीर्ष 20 इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	6974.66	8193.42
iii)	उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के लिए इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.54%	0.71%
iv)	इंट्रा–ग्रुप एक्सपोज़र और नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं

5. जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की ऋण प्रबंधन और जोखिम नीति 2023–24 में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वर्तमान क्रेडिट प्रबंधन और जोखिम नीति में निम्नानुसार शामिल किया है:

"आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ब्याज और मूल्यह्रास से पहले वार्षिक आय (ईबीआईडी) के साथ तिमाही के अंत में उधारकर्ताओं की बहियों में मुद्रा के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की निगरानी

5. d) Unsecured advances

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Unsecured Advances of the Bank	214017.01	151035.55
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0.00	6218.08
Estimated value of such intangible securities	0.00	11002.90

5. e) Factoring exposures

Factoring exposures (Under TReDS)

(Amount in ₹ Crore)

Balance Outstanding Current Year	Balance Outstanding Previous Year
981.19	827.88

5. f) Intra-group exposures

(Amount in ₹ Crore)

Sl.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Total amount of intra-group exposures	6974.66	8193.42
ii)	Total amount of top 20 intra-group exposures	6974.66	8193.42
iii)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrower/customers	0.54%	0.71%
iv)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action, if any	NA	NA

5. g) Unhedged foreign currency exposure

The Bank has framed a policy to manage Currency Induced Credit Risk and has been incorporated in Bank's Credit Management & Risk Policy 2023-24 as follows:

In terms of RBI guidelines, the Bank has framed a policy to manage currency induced credit risk and has incorporated the same in bank's current Credit Management & Risk Policy as follows:

"In terms of RBI guidelines, Bank monitors the currency wise Unhedged Foreign Currency Exposure in the books of borrowers at quarter ends along-with the Annualized Earnings before Interest &

करता है। वृद्धिशील प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान के ऊपर कुल ऋण एक्सपोज़र का 0 से 80 बीपीएस तक) और पूंजी की आवश्यकता संभावित नुकसान (विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, उधारकर्ताओं को उनके बहियों में उनके अरक्षित विदेशी एक्सपोज़र के कारण जिनका सामना करना पड़ सकता है। बैंक अलग प्रभार रखता है और ऐसे एक्सपोज़र के लिए जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकता है उनके प्रावधान की आवश्यकता होती है। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण भी किया जाएगा।"

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 31.03.2024	गत वर्ष 31.03.2023
वृद्धिशील प्रावधान (घरेलू)	132.22	127.42
वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी)	0.83	4.93
कुल वृद्धिशील प्रावधान	133.05	132.35
जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	809.34	949.47
वृद्धिशील पूंजी धारित आरडब्ल्यूए (@11.50%)	93.07	109.19

बैंक ने आरबीआई परिपत्र RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31.03.2024 को ₹133.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹132.35 करोड़) प्रावधान किया है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

6. ए) जमाराशियों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	53012.40	59620.75
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.07%	4.86%

नोट: उपरोक्त जमा आंकड़ों में बैंक द्वारा धारित अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है।

6. बी) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	177171.32	153698.47
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	18.02%	17.37%

Depreciation (EBID). The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the Bank shall also be made."

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year 31.03.2024	Previous Year 31.03.2023
Incremental Provision (Domestic)	132.22	127.42
Incremental Provision (Overseas)	0.83	4.93
Total incremental Provision	133.05	132.35
Risk Weighted Assets (RWA)	809.34	949.47
Incremental Capital held RWA (@11.50%)	93.07	109.19

The Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI Circular RBI/2022-23/131 DOR.MRG. REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹133.05 Crores as on 31.03.2024 (previous year ₹ 132.35 Crores).

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

6. a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	53012.40	59620.75
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the Bank	4.07%	4.86%

Note: The above deposit figures do not include Inter Bank deposit held by Bank.

6. b) Concentration of advances

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	177171.32	153698.47
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	18.02%	17.37%

6. सी) एक्सपोज़र का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	222717.18	194823.45
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोज़र में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	17.36%	16.87%

6. डी) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	5378.09	14311.77
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र के एक्सपोज़र का प्रतिशत।	9.55%	18.51%

7. व्युत्पन्न

7. ए) ब्याज दर की अदला–बदली (स्वैप)

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	अदलाबदली करारों का कल्पित सिद्धांत	25.00	745.00
ii)	यदि काउन्टर पार्टियां समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, उनसे होने वाला नुकसान	0.00	0.23
iii)	अदलाबदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	NIL	NIL
iv)	अदलाबदली के कारण उत्पन्न ऋण जोखिम$	NIL	NIL
v)	अदलाबदली बही का उचित मूल्य@	-0.1757	-2.5804

नोट : स्वैप की प्रकृति और शर्तों सहित क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वैप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

$ संकेन्द्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में एक्सपोज़र या उच्च क्षमता वाली कंपनियों के साथ अदला–बदली हो सकते हैं।

@ ये सभी स्वैप सौदे ट्रेडिंग स्वैप हैं और उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट वैल्यू है.

"उपरोक्त ट्रेड इंटरबैंक के साथ ₹25.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹745.00 करोड़) और वित्तीय संस्थान के साथ ₹शून्य (पिछले वर्ष ₹शून्य) के लिए किया गया ब्याज दर स्वैप सौदा है।

"केवल एक ही सौदा है जहां भुगतान फ्लोटिंग दर पर किया जाता है और निश्चित अनुबंध दर पर प्राप्त किया जाता है।"

6. c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	222717.18	194823.45
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the Bank on borrowers/customers	17.36%	16.87%

6. d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	5378.09	14311.77
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	9.55%	18.51%

7. Derivatives

7. a) Interest rate swap

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of swap agreements	25.00	745.00
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.00	0.23
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps$	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book@	-0.1757	-2.5804

Note: Nature and terms of swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps should also be disclosed.

$Examples of concentration could be exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.

@All these swaps deals are Trading swap and the fair value is its mark to market value.

"The above Trades are Interest rate Swap Deal done with Interbank for ₹25.00Crores (previous year ₹745.00Crores) and with Financial Institution ₹ NIL (previous year ₹NIL).

"There is only one deal where payment is made at floating rate and received at Fixed Contract rate".

7. बी) एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानिक मूल राशि (लिखतवार)		
	ए) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार)		
	ए) ब्याज दर वायदा	शून्य	शून्य
iii)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि तथा जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडिंग वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूल राशि का बकाया बाजार भाव पर अंकित मूल्य (मार्क–टू–मार्केट) जो ''अत्यधिक प्रभावी'' नहीं है (लिखतवार)	शून्य	शून्य

7. सी) व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

7. सी) i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक अपने स्वयं के तुलन पत्र मदों की बचाव–व्यवस्था तथा कारोबारी उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों का उपयोग करता है। व्युत्पन्नी परिचालन का जोखिम प्रबंधन एक वरिष्ठ कार्यपालक के नेतृत्व में होता है, जो आनुक्रमिक कार्यों से स्वतंत्र, शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। कारोबार की स्थिति को दैनिक आधार पर बाजार भाव पर अंकित किया जाता है।

व्युत्पन्नी नीति को एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम का मापन शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बचाव–व्यवस्था वाले लेनदेन किए जाते हैं। जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है। बचाव–व्यवस्था के लिए नीति एवं उसकी निगरानी हेतु प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

बचाव–व्यवस्था एवं गैर– बचाव–व्यवस्था लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति विद्यमान है, जिसमें आय, प्रीमियम एवं छूट की पहचान शामिल है।

बकाया अनुबंधों, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक का मूल्यांकन एवं ऋण जोखिम का न्यूनीकरण किया जा रहा है।

7. b) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ Crore)

S.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument wise)		
	a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2024 (instrument wise)		
	a) Interest Rate Futures	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

7. c) Disclosures on risk exposure in derivatives

7. c) i) Qualitative disclosures

The Bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by Integrated Risk Management Division, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks are in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts.

Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation are being done.

7. सी) ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
			मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
ए)	व्युत्पन्न (अनुमानित मूलधन राशि)					
	i) बचाव–व्यवस्था के लिए		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) कारोबार के लिए		0.00	25.00	0.00	745.00
बी)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित					
	बचाव–व्यवस्था					
	i) आस्ति (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) देयता (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
	कारोबार					
	i) आस्ति (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) देयता (-)		0.00	-0.1757	0.00	-2.5804
सी)	ऋण एक्सपोज़र [1]		0.00	0.1250	0.00	4.0817
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)					
	i) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) कारोबार डेरिवेटिव्स पर		0.00	0.07	0.00	2.13
ई)	वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम और न्यूनतम 100* PV01					
	i) बचाव–व्यवस्था पर	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
		न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) कारोबार पर अधिकतम	अधिकतम	0.00	0.16	0.00	3.94
		न्यूनतम	0.00	0.07	0.00	2.13

[1]बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति को अपनाया है।

7. डी) ऋण चूक अदला–बदली

चूंकि बैंक ऋण चूक अदला–बदली (क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप) अनुबंधों के मूल्य निर्धारण के लिए किसी स्वामित्व वाले मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग नहीं कर रहा है, एवं यह काउंटर अनुबंध (ओटीसी) पर आधारित है जिसमें बाजार की गतिशीलता द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है।

इस प्रकार, वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7. c) ii) Quantitative disclosures

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No	Particulars		Current Year		Previous Year	
			Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives Currency
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)					
	i) For hedging		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) For trading		0.00	25.00	0.00	745.00
b)	Marked to Market Positions					
	Hedging					
	i) Asset (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
	Trading					
	i) Asset (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) Liability (-)		0.00	-0.1757	0.00	-2.5804
c)	Credit Exposure [1]		0.00	0.1250	0.00	4.0817
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)					
	i) on hedging derivatives		0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading derivatives		0.00	0.07	0.00	2.13
e)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year					
	i) on hedging	maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
		minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) on trading	maximum	0.00	0.16	0.00	3.94
		minimum	0.00	0.07	0.00	2.13

[1]Banks adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per Reserve Bank of India instructions.

7. d) Credit default swaps

Since the Bank is not using any proprietary pricing model for pricing Credit default swaps contracts, and it is over the counter contract (OTC), the price is determined by the market dynamics.

As such no disclosure is to be made in terms of extant RBI guidelines for Current & Previous year.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या / राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सरल, पारदर्शी एवं तुलनीय (एसटीसी)		गैर–एसटीसी लेनदेन	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी को रिपोर्ट किया जाना है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन–पत्र पर एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए जोखिम की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ए) तुलन–पत्र में न आने वाले एक्सपोज़र i) स्व– प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलन–पत्र पर एक्सपोज़र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) स्व– प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़र • प्रथम हानि • अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ / हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	चलनिधि सहयोग, पोस्ट–सिक्योरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन, कृपया प्रत्येक सुविधा जैसे ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। ए) भुगतान की गई राशि बी) प्राप्त चुकौती सी) बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. Disclosures relating to securitization

(Numbers / Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Simple, Transparent and Comparable (STC)		Non-STC transactions	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures i) Exposure to own securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures				
	i) Exposure to own securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations • First loss • Others	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization.	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of liquidity support, post-securitization asset servicing, etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided, please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL	NIL	NIL

8.	विगत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि एवं संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	निवेशक की शिकायतें ए) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं बी) लंबित शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. तुलन–पत्र में न आने वाले प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	5345.97	5069.32
ii)	जोड़: वर्ष के दौरान डीईए कोष में अंतरित राशि	452.84	370.09
iii)	कमी: वर्ष के दौरान दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	328.26	93.44
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशियों का अंतिम शेष	5470.55	5345.97

** यह राशि आकस्मिक देनदारियों – अन्य, मदों के रूप में दिखाई जाएगी जिनके लिए बैंक 31.03.2024 को वित्तीय विवरण की अनुसूची 12 के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंक को एटीएम शिकायतों सहित ग्राहकों एवं लोकपाल के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष (31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष)	#गत वर्ष (31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष)
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1.		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	23185	30602
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1130195	1355037
3.		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	1121029	1362454
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त की गई शिकायतों की संख्या	618884	425357
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	32351	23185

8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/ top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly / Indirectly received and (b) Complaints out standing	NIL	NIL	NIL	NIL

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored			
Current Year		Previous Year	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	5345.97	5069.32
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the Year	452.84	370.09
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims during the Year	328.26	93.44
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	5470.55	5345.97

** The amount will be reflected as Contingent Liabilities – Others, items for which the Bank is contingently liable under Schedule 12 of the financial statement as on 31.03.2024

11. Disclosure of complaints

a) Summary Information on Complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman, including ATM complaints

Sr. No.		Particulars	Current Year (FY ended 31.03.2024)	#Previous Year (FY ended 31.03.2023)
Complaints received by the Bank from its customers				
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	23185	30602
2.		Number of complaints received during the year	1130195	1355037
3.		Number of complaints disposed during the year	1121029	1362454
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	618884	425357
4.		Number of complaints pending at the end of the year	32351	23185

बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त की जाने वाली अनुरक्षणीय शिकायतें				
क्र. सं.		विवरण	वर्तमान वर्ष (31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष)	#गत वर्ष (31.03.2023 को समाप्त वित्त वर्ष)
5.		बैंक को लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	10188	9384
	5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3749	3340
	5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / परामर्श के माध्यम से सुलझाई गई शिकायतों की संख्या	6438	6042
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा निर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	1	2
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील के अलावा)	0	0

नोट:

1. *अनुरक्षणीय शिकायतें एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्ववर्ती बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं एवं योजना के दायरे में आती हैं।*
2. *शिकायतों के डेटा में बैंक के दोनों पोर्टल अर्थात सीजीआरएमएस और सीआरएम पोर्टल शामिल हैं।*

\# *शिकायतों की संख्या के आंकड़ों में सभी प्रकार की शिकायतें शामिल हैं।*

बी) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार*

शिकायतों के आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में : वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वर्तमान वर्ष					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13442	489664	-35.08	12262	457
एटीएम / डेबिट कार्ड	1814	316892	-13.89	5054	38
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई	303	21582	-38.29	458	10
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	106	14532	107.54	225	9
ऋण एवं अग्रिम	128	8594	37.07	332	14
अन्य	7392	278931	51.16	14020	1673
कुल	**23185**	**1130195**	**-16.59**	**32351**	**2201**

Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman				
Sr. No.		Particulars	Current Year (FY ended 31.03.2024)	#Previous Year (FY ended 31.03.2023)
5.		Number of maintainable complaints received by the Banks from Office of Ombudsman	10188	9384
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman	3749	3340
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	6438	6042
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank	1	2
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note:

1. *Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.*
2. *Complaints data consist of both portals i.e. CGRMS & CRM Portal of the Bank.*

\# *Data regarding number of complaints includes all type of complaints.*

b) Top five grounds* of complaints received by the Bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
Current Year					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	13442	489664	-35.08	12262	457
ATM/Debit Cards	1814	316892	-13.89	5054	38
Account opening/ difficulty in operation of accounts	303	21582	-38.29	458	10
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	106	14532	107.54	225	9
Loans and advances	128	8594	37.07	332	14
Others	7392	278931	51.16	14020	1673
Total	**23185**	**1130195**	**-16.59**	**32351**	**2201**

#गत वर्ष (वित्त वर्ष 2022–23)					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	19128	754265	-24.50	13442	263
एटीएम / डेबिट कार्ड	6521	367991	-26.64	1814	1
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई	235	34976	3.02	303	3
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	1	7002	147.68	106	0
ऋण एवं अग्रिम	60	6270	23.57	128	3
अन्य	4657	184533	-5.74	7392	185
कुल	**30602**	**1355037**	**-22.05**	**23185**	**455**

 # शिकायतों की संख्या के आंकड़ों में सभी प्रकार की शिकायतें शामिल हैं

**27 जनवरी, 2021 के परिपत्र CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 के परिशिष्ट 1 में प्रदान की गई शिकायतों के आधार की पहचान करने के लिए मास्टर सूची के अनुसार 'बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना।*

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा

12. i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

क्र. सं.	चालू वर्ष (दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष)	गतवर्ष (दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष)
1.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने 30 अक्टूबर 2023 के मौखिक आदेश के तहत' भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016', 'भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिम पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 'और' बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र' के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए बैंक पर 72 लाख (बहत्तर लाख रुपये) का जुर्माना लगाया।	शून्य

12. ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	शून्य

12. iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग):

क्रमांक	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	शून्य	शून्य

12. iv) रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत चूक से संबंधित प्रकटीकरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा	उदाहरणों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

#Previous Year (FY 2022-23)					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	19128	754265	-24.50	13442	263
ATM/Debit Cards	6521	367991	-26.64	1814	1
Account opening/ difficulty in operation of accounts	235	34976	3.02	303	3
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	1	7002	147.68	106	0
Loans and advances	60	6270	23.57	128	3
Others	4657	184533	-5.74	7392	185
Total	**30602**	**1355037**	**-22.05**	**23185**	**455**

 # Data regarding number of complaints includes all type of complaints.

**As per Master List for identifying grounds of complaints as provided in Appendix 1 to circular CEPD.CO.PRD.Cir.No.01/13.01.013/2020-21 dated January 27, 2021 on 'Strengthening the Grievance Redress Mechanism of Banks'.*

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

12. i) Banking Regulation Act, 1949

Sl. No.	Current Year (FY ended 31.03.2024)	Previous Year (FY Ended 31.03.2023)
1.	In exercise of powers conferred under section 47A (1)(c) read with sections 46(4) (i) and 51 (1) of the Banking Regulation Act 1949, RBI vide speaking order dated 30 October 2023 imposed, a penalty of ₹72 Lakh (Rupees Seventy-Two Lakh) on Bank for non-compliance with certain provisions of 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016', 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Advances) Directions, 2016' and 'Master Circular on Customer Service in Banks'.	NIL

12. ii) Payment and Settlement System Act, 2007:

Sl.No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	NIL

12. iii) Government Securities Act, 2006 (Bouncing of SGL):

Sl.No.	Current Year	Previous Year
1.	NIL	NIL

12. (iv) Disclosure relating to default under reverse repo transaction:

(Amount in ₹ Crore)

Current Year		Previous Year	
Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India	Number of instances	Quantum of penalty paid to Reserve Bank of India
NIL	NIL	NIL	NIL

13. पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक पर खुलासाः

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पद का नाम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
श्री अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.44	0.48
श्री कल्याण कुमार कार्यपालक	कार्यपालक निदेशक	0.39	0.35
श्री बिनोद कुमार	कार्यपालक निदेशक	0.38	0.13
श्री एम परमशिवम	कार्यपालक निदेशक	0.39	0.12
श्री विभु प्रसाद महापात्रा	कार्यपालक निदेशक	0.17	0.00
श्री विजय दुबे (31.08.2023 को सेवानिवृत्त)	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.63	0.42
श्री संजय कुमार	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	0.91
श्री स्वरूप कुमार साहा	पूर्व कार्यपालक निदेशक	0.00	0.13
कुल		**2.40**	**2.54**

14. अन्य प्रकटीकरण

14. ए) व्यवसाय अनुपात

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.98%	6.07%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.87%	0.87%
जमा की लागत	4.91%	4.10%
निवल ब्याज मार्जिन	3.09%	3.06%
कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.63%	1.61%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.54%	0.18%
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (₹ करोड़ में)	23.84	21.64
प्रति कर्मचारी लाभ (₹करोड़ में)	0.09	0.03

14. बी) बैंकएश्योरेंस व्यापार

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क / ब्रोकरेज का विवरण		
(i) जीवन बीमा व्यवसाय;	338.24	310.39
(ii) गैर–जीवन बीमा व्यवसाय;	109.70	117.99
(iii) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई);	5.63	5.63
(iv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	2.26	1.86
कुल	**455.83**	**435.87**

13. Disclosure on remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officer:

(Amount in ₹ Crore)

Name	Designation	Current Year	Previous Year
Shri Atul Kumar Goel	Managing Director & CEO	0.44	0.48
Shri Kalyan Kumar	Executive Director	0.39	0.35
Shri Binod Kumar	Executive Director	0.38	0.13
Shri M Paramasivam	Executive Director	0.39	0.12
Shri Bibhu Prasad Mahapatra	Executive Director	0.17	0.00
Shri Vijay Dube (Superannuated on 31.08.2023)	Ex Executive Director	0.63	0.42
Shri Sanjay Kumar	Ex Executive Director	0.00	0.91
Shri Swarup Kumar Saha	Ex Executive Director	0.00	0.13
Total		**2.40**	**2.54**

14. Other Disclosure

14. a) Business ratios

Particular	Current Year	Previous Year
Interest Income as a percentage to Working Funds	6.98%	6.07%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.87%	0.87%
Cost of Deposits	4.91%	4.10%
Net Interest Margin	3.09%	3.06%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.63%	1.61%
Return on Assets	0.54%	0.18%
Business (deposits plus advances) per employee (in ₹crore)	23.84	21.64
Profit per employee (in ₹crore)	0.09	0.03

14. b) Bancassurance business

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Details of Fees/ Brokerage earned in respect of Insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by the Bank		
(i) Life Insurance Business;	338.24	310.39
(ii) Non-life Insurance Business;	109.70	117.99
(iii) Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY);	5.63	5.63
(iv) Prime Minister Suraksha Bima Yojna	2.26	1.86
TOTAL	**455.83**	**435.87**

14. सी) विपणन और वितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बैंक द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का विवरण		
(i) म्युचुअल फंड व्यवसाय;	8.60	8.26
(ii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई);	11.07	13.90
(iii) आधार पर आय/कमीशन;	2.30	3.32
(iv) पेंशन;	114.47	114.45
(v) कर एवं अन्य;	48.67	57.19
(vi) सरकारी जमा योजना;	22.99	17.78
(vii) करेंसी चेस्ट	2.36	2.96
कुल	**210.46**	**217.86**

14. डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्रों (पीएलएससी) के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसएलसी के प्रकार	चालू वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी	चालू वर्ष के दौरान बेचा गया पीएसएलसी	गत वर्ष के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी	गत वर्ष के दौरान बेचा गया पीएसएलसी
1	कृषि	11990.00	0.00	8000.00	0.00
2	छोटे एवं सीमांत किसान	29010.00	4000.00	10500.00	0.00
3	अति लघु उद्योग	15000.00	0.00	0.00	2207.00
4	सामान्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**56000.00**	**4000.00**	**18500.00**	**2207.00**
खरीदे गए पीएसएलसी के लिए भुगतान किया गया शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)		547.28	23.70	175.50	10.51

14. ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

	लाभ और हानि खाते में नामे किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	एनपीआई के लिए प्रावधान	-1407.33	173.22
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	12345.01	15902.82
iii)	आयकर के लिए किया गया प्रावधान	4949.59	1781.06
	वर्तमान कर	3,929.96	29.38
	आस्थगित कर	1,019.63	1751.68
iv)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1.68	1779.06
v)	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ विवरण के साथ	797.25	385.39
	कुल	**16686.19**	**17304.86**

ब्यौरा	चालू वर्ष	गत वर्ष
एफआईटीएल सहित मानक पुनर्रचित	85.52	-474.94
अन्य	711.73	860.33

14. c) Marketing and distribution

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Details of Fee/remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by the Bank		
(i) Mutual Fund Business;	8.60	8.26
(ii) Atal Pension Yojna (APY);	11.07	13.90
(iii) Income / Commission on Aadhar;	2.30	3.32
(iv) Pension;	114.47	114.45
(v) Taxes & Others;	48.67	57.19
(vi) Govt. Deposit Scheme;	22.99	17.78
(vii) Currency Chest	2.36	2.96
TOTAL	**210.46**	**217.86**

14. d) Disclosures regarding Priority Sector Lending certificates (PLSCs)

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Types of PSLCs	PSLC bought during the Current Year	PSLC sold during the Current Year	PSLC bought during the Previous Year	PSLC sold during the Previous Year
1	Agriculture	11990.00	0.00	8000.00	0.00
2	Small and Marginal Farmers	29010.00	4000.00	10500.00	0.00
3	Micro Enterprises	15000.00	0.00	0.00	2207.00
4	General	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		**56000.00**	**4000.00**	**18500.00**	**2207.00**
Fee Paid/received for PSLCs purchased/Sold (Excluding GST)		547.28	23.70	175.50	10.51

14. e) Provisions and contingencies

(Amount in ₹ Crore)

	Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i)	Provisions for NPI	-1407.33	173.22
ii)	Provision towards NPA	12345.01	15902.82
iii)	Provision made towards Income Tax	4949.59	1781.06
	Current Tax	3,929.96	29.38
	Deferred Tax	1,019.63	1751.68
iv)	Provision towards Standard Assets	1.68	1779.06
v)	Other Provisions and Contingencies (with details)	797.25	385.39
	TOTAL	**16686.19**	**17304.86**

Detail	Current Year	Previous Year
Standard Restructured including FITL	85.52	-474.94
Others	711.73	860.33

14. एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन

इस संबंध में हुई प्रगति सहित इंड एएस कार्यान्वयन की कार्यनीतिः

"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), बीमाकर्ताओं/बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए इंड एएस रोडमैप को केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 18 जनवरी 2016 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 से लागू इंडएएस को एमसीए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिसे आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति (2017–18/2642) दिनांक 5 अप्रैल 2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्थगित कर दिया गया था। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22.03.2019 के तहत अगली सूचना तक इंड एएस के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समय–समय की गई प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए बैंक की एक सुनियोजित कार्यनीति है और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की है। इसके अलावा, बैंक निर्धारित अवधि के अनुसार प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरणी आरबीआई को प्रस्तुत कर रहा है।"

14. जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1736.44	1591.50
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

14. एच) हरित जमा से एकत्रित की गई/जुटाई गई धनराशि के उपयोग से निवेश/पोर्टफोलियो स्तर की जानकारीः

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वर्ष वित्तीय वर्ष	संचयी*
जुटाई गई कुल हरित जमा (ए)	शून्य	लागू नही	शून्य
हरित जमा निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	- लागू नहीं -		
(2) ऊर्जा दक्षता			
(3) स्वच्छ परिवहन			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन			
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन			
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण			
(7) हरित इमारतें			
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन			
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण			
आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग)			
आवंटित नहीं की गई हरित जमा/ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए – बी)			
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण जो पात्र हरित गतिविधियों/प्रोजेक्ट/परियोजनाओं के आवंटन के लिए लंबित है।			

**इसमें वह संचयी राशि शामिल है, जो तब से है, जब से रिपोर्टिंग संस्था ने हरित जमा/की पेशकश शुरू की है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए*

14. f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The strategy for Ind AS implementation, including the progress made in this regard:

"IND AS roadmap for scheduled commercial banks (excluding regional rural banks), insurers/insurance companies and non-banking financial companies (NBFCs) was issued by Union Ministry of Corporate Affairs (MCA) through press release dated 18 January 2016. IND AS was applicable to the Bank in accordance with the MCA press release from financial year 2018-19 which was deferred to financial year 2019-20 vide RBI's Press Release (2017-18/2642) dated 5 April 2018. RBI has further deferred implementation of IND AS till further notice vide its Circular no DBR.BP.BC.No. 29/21.07.001/2018-19 dated 22.03.2019. The Bank accordingly, has appointed a Consultant to assist in implementation of the Ind AS. The Audit Committee of the Board is being apprised of the progress made from time to time. The Bank has a well-planned strategy for Ind AS implementation and has made substantial progress in this regard. Further, Bank is submitting the Proforma Ind AS Financial Statements to the RBI as per prescribed periodicity."

14. g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1736.44	1591.50
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

14. h) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	Nil	NA	Nil
Use of green deposit funds**			
(1) Renewable Energy	- Not Applicable -		
(2) Energy Efficiency			
(3) Clean Transportation			
(4) Climate Change Adaptation			
(5) Sustainable Water and Waste Management			
(6) Pollution Prevention and Control			
(7) Green Buildings			
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation			
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)			
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)			
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects			

**This contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending*

वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमाराशियों का विवरण सम्मिलित होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई हरित जमा की वास्तविक राशि और ऐसी निधि के उपयोग के बारे में प्रकटीकरण के तहत जानकारी दी जाएगी।

***प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, रिपोर्टिंग संस्था उप–क्षेत्र को आवंटित निधि के आधार पर उप–श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान "नवीकरणीय ऊर्जा" के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप–श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं।*

15. कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण

15. ए) लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तनः

वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान लेखांकन मानक 5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

(पिछला वर्षः 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम उन्हीं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और प्रणालियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था।

15. बी) लेखा मानक 9 – राजस्व मान्यता

आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है। (पिछला वर्षः आय की कुछ मदों को लेखा नीति संख्या 3.5 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, उक्त आय को भौतिक नहीं माना जाता है)।

15. सी) लेखा मानक 10 – संपतियां, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आस्तियों के प्रत्येक वर्ष के लिए किये गए कुल मूल्यह्रास का ब्यौराः

(राशि ₹ करोड़ में)

संपत्ति का वर्ग	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	223.03	201.97
अन्य अचल संपत्तियां	573.84	547.79
पट्टे पर दी गई संपत्तियां	0	0
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	98.38	146.80
कुल	**895.25**	**896.56**

March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.

***Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy".*

15. Other Disclosures with respect to certain Accounting Standards

15. a) Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Change in Accounting Policy:

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

There is no material impact of changes in significant Accounting Policies followed for preparation of financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 as compared to those followed for the financial statements for the year ended March 31, 2023.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the same significant Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022.

15. b) Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material. (Previous year: Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy No. 3.5. However, the said income is not considered to be material).

15. c) Accounting Standard 10 - Properties, Plant and Equipment

Break-up of total depreciation for the FY ended March 31, 2024 for each class of assets:

(Amount in ₹ Crore)

Class of assets	Current Year	Previous Year
Premises	223.03	201.97
Other fixed assets	573.84	547.79
Leased assets	0	0
Computer software	98.38	146.80
Total	**895.25**	**896.56**

15. डी) लेखांकन मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावः

एक्सचेंज रिज़र्व में उतार–चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारम्भिक शेष	230.11	419.43
लाभ और हानि खाते में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	1.12	6.05
परिसंपत्तियों और देनदारियों के अंतरण के कारण वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती	7.65	79.98
कटौतीः प्रारम्भिक पूंजी/आरक्षित निधि/हांगकांग शाखा बंद करने का विनियोजन	0.00	-275.35
अंतिम शेष	238.88	230.11

15. d) Accounting Standard 11 –The Effects of Changes in foreign exchange rates:

Movement of Exchange Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	230.11	419.43
Addition/Deduction during the year due to change in Profit & Loss account	1.12	6.05
Addition/Deduction during the year due to translation of Assets & Liabilities	7.65	79.98
Deduction: Seed Capital /Reserves/ Appropriation of Hong Kong Branch Closure	0.00	-275.35
Closing Balance	238.88	230.11

15. ई) लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ:

एएस–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण:
लेखा नीति के अनुरूप और लेखांकन मानक – 15(आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत है:
ए. परिभाषित लाभ योजनाएँ

तालिका I – प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
छूट दर	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

तालिका II – दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	49177.52	48456.97	3835.58	4078.52	3791.63	3629.66
जोड़ें:	ब्याज लागत	3544.18	3373.37	256.00	251.26	239.20	211.89
जोड़ें:	वर्तमान सेवा लागत	393.87	375.38	213.18	224.09	393.54	366.95
घटाएँ:	प्रदत्त लाभ	-4170.79	-3719.34	-532.33	-624.34	-643.53	-603.71
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (संतुलनकारी आंकडें)	3045.99	691.14	129.00	-93.95	142.83	186.84
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**51990.77**	**49177.52**	**3901.43**	**3835.58**	**3923.67**	**3791.63**

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	48147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
जोड़ें:	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3540.89	3351.11	279.37	258.55	225.90	189.37
जोड़ें:	बैंक द्वारा प्रदत्त योगदान	1887.74	207.53	48.12	305.76	840.52	638.07
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत योगदान (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ:	प्रदत्त लाभ	-4170.79	-3719.34	-532.33	-624.34	-643.53	-603.71
	बीमांकिक (हानि)/योजना आस्तियों पर लाभ (संतुलनकारी आंकडें)	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**50876.65**	**49133.26**	**3860.18**	**4042.76**	**3919.56**	**3416.31**

15. e) Accounting Standard 15 – Employees Benefits:

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15(R):
In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:
A. Defined benefit Plans

TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Discount Rate	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
Expected Return on Plan Assets	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
Rate of Escalation In salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

TABLE II - Changes in Present value of the obligation *(All Amount in ₹ Crore)*

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Obligation at the beginning of period	49177.52	48456.97	3835.58	4078.52	3791.63	3629.66
Add:	Interest Cost	3544.18	3373.37	256.00	251.26	239.20	211.89
Add:	Current Service Cost	393.87	375.38	213.18	224.09	393.54	366.95
Less:	Benefits paid	-4170.79	-3719.34	-532.33	-624.34	-643.53	-603.71
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	3045.99	691.14	129.00	-93.95	142.83	186.84
	Present value of Obligation as at the end of the period	**51990.77**	**49177.52**	**3901.43**	**3835.58**	**3923.67**	**3791.63**

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	49133.26	48147.78	4042.76	4071.40	3416.31	3122.19
Add:	Expected return on Plan assets	3540.89	3351.11	279.37	258.55	225.90	189.37
Add:	Contributions paid by Bank	1887.74	207.53	48.12	305.76	840.52	638.07
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits Paid	-4170.79	-3719.34	-532.33	-624.34	-643.53	-603.71
	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	**50876.65**	**49133.26**	**3860.18**	**4042.76**	**3919.56**	**3416.31**

तालिका IV – योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3540.89	3351.11	279.37	258.55	225.90	189.37
जोड़ें:	योजना आस्तियों पर बीमांकिक (हानि)/लाभ	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**4026.44**	**3542.29**	**301.63**	**289.94**	**306.26**	**259.76**

तालिका V – शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की मान्यता प्राप्त

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) – बाध्यताएं	3045.99	691.14	129.00	-93.95	142.83	186.84
	अवधि के लिए योजना आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-485.55	-191.18	-22.26	-31.39	-80.36	-70.39
	अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
	अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
	वर्ष के अंत में अनभिज्ञात बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-

तालिका VI – तुलन पत्र में मान्य राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	परिभाषित लाभ दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	51990.77	49177.52	3901.43	3835.58	3923.67	3791.63
घटाएँ:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	50876.65	49133.26	3860.18	4042.76	3919.56	3416.31
	घाटा/(अधिशेष)	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**1114.12**	**44.26**	**41.25**	**-207.18**	**4.11**	**375.32**
	तुलन पत्र में राशि						
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति (पारिवारिक पेंशन देयता पर)						
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**1114.12**	**44.26**	**41.25**	**-207.18**	**4.11**	**375.32**
	एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित नकारात्मक राशि	-	-	-	-	-	-
	भावी अंशदानों में कटौती और उपलब्ध भावी कटौती का वर्तमान मूल्य	-	-	-	-	-	-
	एएस–15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार मान्य आस्ति	-	-	-	-	-	-

TABLE IV - Actual Return on Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Expected return on Plan Assets	3540.89	3351.11	279.37	258.55	225.90	189.37
Add:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39
	Actual Return on Plan Assets	**4026.44**	**3542.29**	**301.63**	**289.94**	**306.26**	**259.76**

TABLE V - Net Actuarial (gain) / loss recognized

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	3045.99	691.14	129.00	-93.95	142.83	186.84
	Actuarial (gain)/ loss for the period - Plan Assets	-485.55	-191.18	-22.26	-31.39	-80.36	-70.39
	Total (gain) /loss for the period	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
	Actuarial (gain)/ loss recognized in the period	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-	-	-

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Defined Benefit Obligation	51990.77	49177.52	3901.43	3835.58	3923.67	3791.63
Less:	Fair value of Plan Assets	50876.65	49133.26	3860.18	4042.76	3919.56	3416.31
	Deficit/ (Surplus)	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32
	Net Liability/ (Asset)	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32
	Amounts in the Balance Sheet						
	Liability Recognized in the Balance Sheet	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)						
	Net Liability/ (Asset)	**1114.12**	**44.26**	**41.25**	**-207.18**	**4.11**	**375.32**
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	-	-	-	-	-	-
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-

तालिका VII – लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	वर्तमान सेवा लागत	393.87	375.38	213.18	224.09	393.54	366.95
जोड़ें:	ब्याज लागत	3544.18	3373.37	256.00	251.26	239.20	211.89
घटाएँ:	योजना संपत्ति पर संभावित लाभ	-3540.89	-3351.11	-279.37	-258.55	-225.90	-189.37
जोड़ें:	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत–मान्यता प्राप्त (पारिवारिक पेंशन देयता पर)	-	1520.16	-	-	-	-
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2957.60	2417.76	296.55	91.46	469.31	505.92

तालिका VIII – तुलन पत्र में मान्य होने वाली शुद्ध देयता में घट–बढ़

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	प्रारम्भिक शुद्ध देयता	44.26	-1210.97	-207.18	7.12	375.32	507.47
जोड़ें:	व्यय	2957.60	2417.76	296.55	91.46	469.31	505.92
घटाएँ:	संदत्त अंशदान	-1887.74	-1162.53	-48.12	-305.76	-840.52	-638.07
घटाएँ:	कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-	-	-
	अंतिम शुद्ध देयता (वर्तमान अवधि में तुलन पत्र में मान्य देयता)	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32

तालिका IX – वर्तमान अवधि के लिए राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	51990.77	49177.52	3901.43	3835.58	3923.67	3791.63
घटाएँ:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	50876.65	49133.26	3860.18	4042.76	3919.56	3416.31
	अधिशेष/(घाटा)	-1114.12	-44.26	-41.25	207.18	-4.11	-375.32
	योजना देयताओं में अनुभाविक समायोजन – हानि/(लाभ)	4214.80	1763.45	47.86	31.43	110.94	213.31
	योजना आस्तियों में अनुभाविक समायोजन – (हानि)/लाभ	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Current Service Cost	393.87	375.38	213.18	224.09	393.54	366.95
Add:	Interest cost	3544.18	3373.37	256.00	251.26	239.20	211.89
Less:	Expected return on Plan assets	-3540.89	-3351.11	-279.37	-258.55	-225.90	-189.37
Add:	Net Actuarial (gain) / loss recognized in year	2560.44	499.96	106.74	-125.34	62.47	116.45
Add:	Past Service Cost-Recognized (on Family Pension liability)	-	1520.16	-	-	-	-
	Expenses recognized in the statement of profit and loss	2957.60	2417.76	296.55	91.46	469.31	505.92

TABLE VIII - Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Opening Net Liability	44.26	-1210.97	-207.18	7.12	375.32	507.47
Add:	Expense	2957.60	2417.76	296.55	91.46	469.31	505.92
Less:	Contributions Paid	-1887.74	-1162.53	-48.12	-305.76	-840.52	-638.07
Less:	Benefits Paid by the company	-	-	-	-	-	-
	Closing Net Liability/ (Asset) recognised in B/S in current period)	1114.12	44.26	41.25	-207.18	4.11	375.32

TABLE IX - Amount for the current Period

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Obligation	51990.77	49177.52	3901.43	3835.58	3923.67	3791.63
Less:	Fair value of Plan Assets	50876.65	49133.26	3860.18	4042.76	3919.56	3416.31
	Surplus / (Deficit)	-1114.12	-44.26	-41.25	207.18	-4.11	-375.32
	Experience Adjustments in Plan Liabilities -loss / (gain)	4214.80	1763.45	47.86	31.43	110.94	213.31
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39

तालिका X – ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2024	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2.80%	3.00%	4.93%	4.85%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार प्रतिभूति	9.48%	10.05%	7.64%	5.90%	0.00%	0.00%
उच्च किस्म कॉर्पोरेट बांड	5.77%	5.85%	2.97%	3.28%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर/म्यूच्यूअल फण्ड निवेश	0.23%	0.24%	0.54%	0.41%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना/एफडीआर	3.27%	2.47%	5.07%	3.80%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ/जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	75.12%	75.81%	75.36%	71.82%	100.00%	100.00%
अन्य जमाराशियां, उपचय आदि	3.33%	2.58%	3.49%	9.94%	0.00%	0.00%
कुल जोड़	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
आगामी वर्ष के दौरान बैंक का श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	1950.00	890.00	240.00	210.00	510.00	440.00

तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी तथा अन्य छुट्टी (गैर निधिक)		छुट्टी किराया रियायत (गैर निधिक)		सिल्वर जुबली बोनस (गैर निधिक)	
	31.03.2024	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24
संक्रमणशील देयता का प्रारम्भिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
संक्रमणशील देयता का अंतिम शेष	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्र में मान्य देयता	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाज़ार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गयी है।
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन से संबंधित योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न 7.25% होगा और ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण निधि पर 7.20% प्रति वर्ष होगा।
वेतनवृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है।
पलायन दर	पिछले अनुभव और स्वैच्छिक निकासी से संबंधित अपेक्षित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में पलायन की दर 1% मानी गई है।

TABLE X - Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust

	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Government Of India Securities	2.80%	3.00%	4.93%	4.85%	0.00%	0.00%
State Govt. Securities	9.48%	10.05%	7.64%	5.90%	0.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds	5.77%	5.85%	2.97%	3.28%	0.00%	0.00%
Equity Shares of listed companies/Mutual fund investments	0.23%	0.24%	0.54%	0.41%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special deposit scheme/FDR's	3.27%	2.47%	5.07%	3.80%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer/ Investment in Life Insurance Companies	75.12%	75.81%	75.36%	71.82%	100.00%	100.00%
Other Deposits, Accruals etc.	3.33%	2.58%	3.49%	9.94%	0.00%	0.00%
TOTAL	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

TABLE XI - Enterprise's Best Estimate of Contribution during Next Year

	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
Bank's best estimate of Contribution during next year	1950.00	890.00	240.00	210.00	510.00	440.00

TABLE XII - Other Long Term employee benefits (Unfunded)

Particulars	Sick Leave & Other Leaves (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Present Value of Obligation	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24
Opening Balance of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
Closing Balance Of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Liability Recognized in balance Sheet	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24

Particulars	Basis of assumption
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension will be 7.25% and for Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.20% p.a.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a.
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

15. ई) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:–

"बैंक ने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है । राष्ट्रीय सिक्योरिटी डिपाजिटरी लि. (प्रोटीन ई–गव. टेक्नोलोजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान = ₹1382.37 करोड़

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान = ₹1220.32 करोड़

योगदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल है

15. एफ) लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग

खंड पहचान

I. प्राथमिक (व्यावसायिक खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:–

i) **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर कारोबार परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii) **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग:** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2020–21/53, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.23/21.06.201/2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, के अनुसार कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii) **रिटेल बैंकिंग:** रिटेल बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोज़र ₹7.50 करोड़ से कम है।

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन खंड जो उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं, इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड) :

i) घरेलू परिचालन – भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय ।

ii) विदेशी परिचालन – भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय और भारत में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंकिंग इकाईयां।

III. आवंटन का आधार :

ब्याज आय का आबंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है

थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्ति और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ आम आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड में आरोपित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर आबंटित माना जाता है।

15. e) Defined Contribution Plans: -

"The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean eGov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

The details of contribution are as under: -

During the FY 2023-24 = ₹ 1382.37 Crores

During the FY 2022-23 = ₹ 1220.32 Crores

Contribution includes both Bank + Employee contribution

15 f) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Segment Identification

I. Primary (Business Segment):

The following are the primary segments of the Bank:-

i) **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii) **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii) **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50Crores.

iv) Other Banking Operations Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. Secondary (Geographical Segment):

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. Basis of allocation

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

भाग – ए : व्यवसायिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्ति वर्ष	
		31.03.2024 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1	**खंड राजस्व**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	31591.96	26806.82
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	51613.87	40482.23
	(c) रिटेल बैंकिंग	34668.13	26872.68
	1) डिजिटल बैंकिंग	0.13	0.02
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	34668.00	26872.66
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	2411.20	3124.91
	कुल राजस्व	**120285.16**	**97286.64**
2	**खंड परिणाम**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	7599.64	6807.92
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	4505.80	-2966.67
	(c) रिटेल बैंकिंग	**5689.10**	**3853.99**
	1) डिजिटल बैंकिंग	-6.39	-4.35
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	5695.49	3858.34
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	748.15	1149.12
	कुल	**18542.69**	**8844.36**
	अनाबंटित व्यय	5348.48	4556.10
	कर के पूर्व लाभ	**13194.21**	**4288.26**
	कर हेतु प्रावधान	4949.59	1781.06
	असामान्य मदें	0	0
	निवल लाभ	**8244.62**	**2507.20**
3	**आस्ति खंड**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	469259.29	467011.82
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	664707.59	600703.68
	(c) रिटेल बैंकिंग	341974.64	299324.50
	1) डिजिटल बैंकिंग	2.30	1.86
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	341972.34	299322.64
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	41868.31	47728.85
	(e) अनाबंटित	44025.18	47062.51
	कुल	**1561835.01**	**1461831.36**
4	**देयता खंड**		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	449440.63	449348
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	636634.39	577983.22
	(c) रिटेल बैंकिंग	327531.71	288003.13
	1) डिजिटल बैंकिंग	21.44	6.09
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	327510.27	287997.04
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	40100.05	45923.59
	(e) अनाबंटित	1651.66	717.76
	कुल	**1455358.44**	**1361975.70**

PART A – BUSINESS SEGMENTS

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury Operations	31591.96	26806.82
	(b) Corporate/Wholesale Banking	51613.87	40482.23
	(c) Retail Banking	34668.13	26872.68
	1) Digital Banking	0.13	0.02
	2) Other Retail Banking	34668.00	26872.66
	(d) Other Banking Operations	2411.20	3124.91
	Total Revenue	**120285.16**	**97286.64**
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury Operations	7599.64	6807.92
	(b) Corporate/Wholesale Banking	4505.80	-2966.67
	(c) Retail Banking	**5689.10**	**3853.99**
	1) Digital Banking	-6.39	-4.35
	2) Other Retail Banking	5695.49	3858.34
	(d) Other Banking Operations	748.15	1149.12
	Total	**18542.69**	**8844.36**
	Unallocated Expenditure	5348.48	4556.10
	Profit before Tax	**13194.21**	**4288.26**
	Provision for Tax	4949.59	1781.06
	Extraordinary items	0	0
	Net profit	**8244.62**	**2507.20**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury Operations	469259.29	467011.82
	(b) Corporate/Wholesale Banking	664707.59	600703.68
	(c) Retail Banking	341974.64	299324.50
	1) Digital Banking	2.30	1.86
	2) Other Retail Banking	341972.34	299322.64
	(d) Other Banking Operations	41868.31	47728.85
	(e) Unallocated	44025.18	47062.51
	Total	**1561835.01**	**1461831.36**
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury Operations	449440.63	449348
	(b) Corporate/Wholesale Banking	636634.39	577983.22
	(c) Retail Banking	327531.71	288003.13
	1) Digital Banking	21.44	6.09
	2) Other Retail Banking	327510.27	287997.04
	(d) Other Banking Operations	40100.05	45923.59
	(e) Unallocated	1651.66	717.76
	Total	**1455358.44**	**1361975.70**

5	नियोजित पूंजी		
	(a) ट्रेजरी परिचालन	19818.66	17663.82
	(b) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	28073.20	22720.46
	(c) रिटेल बैंकिंग	14442.93	11321.37
	1) डिजिटल बैंकिंग	-19.14	-4.23
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	14462.07	11325.60
	(d) अन्य बैंकिंग परिचालन	1768.26	1805.26
	(e) अनाबंटित	42373.52	46344.75
	नियोजित कुल पूंजी	**106476.57**	**99855.66**

भाग बी – भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	एकल	
		समाप्ति वर्ष	
		31.03.2024 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1	राजस्व		
	(क) घरेलू	116632.53	95277.08
	(बी) अंतर्राष्ट्रीय	3652.63	2009.56
	कुल	**120285.16**	**97286.64**
2	आस्तियां		
	(क) घरेलू	1491629.31	1400620.35
	(बी) अंतर्राष्ट्रीय	70205.70	61211.01
	कुल	**1561835.01**	**1461831.36**

नोटः

1. *खंड देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।*
2. *आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022–23/19डीओआर.एयूटी.आरईसी 12/22.01.001/2022–23 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के अनुसार लेखा मानक 17, खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग खंड को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में माना गया है। 31 मार्च, 2024, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) का परिचालन शुरू कर दिया है और रिटेल बैंकिंग कार्यों के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकटीकृत किया गया खंड जानकारी उक्त डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) से संबंधित है।*
3. *जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।*

15. जी) लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक – 18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरणः

संबंधित पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंधः

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):

i) श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31.08.2023 तक*
iii) श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक
v) श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक
vi) श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक

** दिनांक 31.08.2023 को कार्यकाल समाप्त*

5	Capital Employed		
	(a) Treasury Operations	19818.66	17663.82
	(b) Corporate/Wholesale Banking	28073.20	22720.46
	(c) Retail Banking	14442.93	11321.37
	1) Digital Banking	-19.14	-4.23
	2) Other Retail Banking	14462.07	11325.60
	(d) Other Banking Operations	1768.26	1805.26
	(e) Unallocated	42373.52	46344.75
	Total Capital Employed	**106476.57**	**99855.66**

PART B - GEOGRAPHICAL SEGMENTS

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	STANDALONE	
		Year Ended	
		31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
1	Revenue		
	(a) Domestic	116632.53	95277.08
	(b) International	3652.63	2009.56
	Total	**120285.16**	**97286.64**
2	Assets		
	(a) Domestic	1491629.31	1400620.35
	(b) International	70205.70	61211.01
	Total	**1561835.01**	**1461831.36**

Notes:

1. *Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.*
2. *As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2024, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank have commenced operations and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.*
3. *Figures of the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.*

15. g) Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard – 18 issued by ICAI:

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP):

i) Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO
ii) Shri Vijay Dube, Executive Director up to 31.08.2023*
iii) Shri Kalyan Kumar, Executive Director
iv) Shri Binod Kumar, Executive Director
v) Shri M. Paramasivam, Executive Director
vi) Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director

** Tenure completed on 31.08.2023*

समनुषंगी:

i) पीएनबी गिल्ट्स लि.
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
iv) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि., यूके.
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान.

सहयोगी:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि'
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माती, कज़ाकिस्तान''
iv) केनरा एचएसबीसी इन्श्योरेन्स कं. लि.
v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मण्डी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

**पीएनबी ने ब्रैंड इक्विटी के रूप में रु. 700.48/– के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।*

***एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।*

अन्य:

i) पीएनबी सेंटेनरी रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट

Subsidiaries:

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Co. Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

**PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at a consideration of Rs. 700.48 as brand equity.*

***AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.*

Others:

i) PNB Centenary Rural Development Trust

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मूल** (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियां**	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
पारिश्रमिक	लागू नही	लागू नही	-	2.40	-	2.40
	लागू नही	लागू नही	-	(2.54)	-	(2.54)
उधार						
वर्ष के अंत तक बकाया	लागू नही	लागू नही	24.98	-	-	24.98
	लागू नही	लागू नही	(25.00)	-	-	(25.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	लागू नही	लागू नही	24.98	-	-	24.98
	लागू नही	लागू नही	(25.00)	-	-	(25.00)
जमाराशि						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	892.02	-	-	892.02
	लागू नही	लागू नही	(1,079.87)	-	-	(1,079.87)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	1,135.78	-	-	1,135.78
	लागू नही	लागू नही	(1,134.32)	-	-	(1,134.32)
अन्य देयताएँ						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(0.64)	-	-	(0.64)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(2.77)	-	-	(2.77)
अग्रिम (अन्य)						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	2,691.63	-	-	2,691.63
	लागू नही	लागू नही	(4,636.68)	-	-	(4,636.68)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	4,892.67	-	-	4,892.67
	लागू नही	लागू नही	(4,651.76)	-	-	(4,651.76)
निवेश						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	1,316.29	-	-	1,316.29
	लागू नही	लागू नही	(817.54)	-	-	(817.54)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	1,316.29	-	-	1,316.29
	लागू नही	लागू नही	(817.54)	-	-	(817.54)
अन्य आस्तियां						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	104.41	-	-	104.41
	लागू नही	लागू नही	(84.70)	-	-	(84.70)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	121.58	-	-	121.58
	लागू नही	लागू नही	(152.03)	-	-	(152.03)
गैर–निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	8.92	-	-	8.92
	लागू नही	लागू नही	(7.63)	-	-	(7.63)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	8.92	-	-	8.92
	लागू नही	लागू नही	(7.63)	-	-	(7.63)
अन्य पर चुकाया ब्याज	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(9.45)	-	-	(9.45)
ब्याज प्राप्त – अन्य	लागू नही	लागू नही	555.96	-	-	555.96
	लागू नही	लागू नही	(556.62)	-	-	(556.62)
प्रबंधन संविदाएँ	लागू नही	लागू नही	0.54	-	-	0.54
	लागू नही	लागू नही	(0.54)	-	-	(0.54)
बैंक प्रभार	लागू नही	लागू नही	1.12	-	-	1.12
	लागू नही	लागू नही	(1.26)	-	-	(1.26)
अन्य व्यय	लागू नही	लागू नही	37.73	-	-	37.73
	लागू नही	लागू नही	(5.42)	-	-	(5.42)
अन्य आय	लागू नही	लागू नही	393.53	-	-	393.53
	लागू नही	लागू नही	(322.55)	-	-	(322.55)

नोटः 1. ''अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक – 18 ''सम्बन्धित पार्टी प्रकटीकरण'' के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, से लेनदेन में कोई प्रकटीकरण करने से छूट देता है।

2. इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरुप के लेन–देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों से किए गए लेन–देन भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान को घटाकर है, यदि कोई हो।

4. जहाँ भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Parent** (as per ownership or control)	Subsidiaries**	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Remuneration	NA	NA	-	2.40	-	2.40
	NA	NA	-	(2.54)	-	(2.54)
Borrowings						
Outstanding as at the year end	NA	NA	24.98	-	-	24.98
	NA	NA	(25.00)	-	-	(25.00)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	24.98	-	-	24.98
	NA	NA	(25.00)	-	-	(25.00)
Deposits						
Outstanding as at the year end	NA	NA	892.02	-	-	892.02
	NA	NA	(1,079.87)	-	-	(1,079.87)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	1,135.78	-	-	1,135.78
	NA	NA	(1,134.32)	-	-	(1,134.32)
Other Liabilities						
Outstanding as at the year end	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(0.64)	-	-	(0.64)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(2.77)	-	-	(2.77)
Advances (Others)						
Outstanding as at the year end	NA	NA	2,691.63	-	-	2,691.63
	NA	NA	(4,636.68)	-	-	(4,636.68)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	4,892.67	-	-	4,892.67
	NA	NA	(4,651.76)	-	-	(4,651.76)
Investments						
Outstanding as at the year end	NA	NA	1,316.29	-	-	1,316.29
	NA	NA	(817.54)	-	-	(817.54)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	1,316.29	-	-	1,316.29
	NA	NA	(817.54)	-	-	(817.54)
Other Assets						
Outstanding as at the year end	NA	NA	104.41	-	-	104.41
	NA	NA	(84.70)	-	-	(84.70)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	121.58	-	-	121.58
	NA	NA	(152.03)	-	-	(152.03)
Non funded Commitments (LCs/BGs)						
Outstanding as at the year end	NA	NA	8.92	-	-	8.92
	NA	NA	(7.63)	-	-	(7.63)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	8.92	-	-	8.92
	NA	NA	(7.63)	-	-	(7.63)
Interest Paid Others	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(9.45)	-	-	(9.45)
Interest received Others	NA	NA	555.96	-	-	555.96
	NA	NA	(556.62)	-	-	(556.62)
Management contracts	NA	NA	0.54	-	-	0.54
	NA	NA	(0.54)	-	-	(0.54)
Bank Charges	NA	NA	1.12	-	-	1.12
	NA	NA	(1.26)	-	-	(1.26)
Other Expenditure	NA	NA	37.73	-	-	37.73
	NA	NA	(5.42)	-	-	(5.42)
Other Income	NA	NA	393.53	-	-	393.53
	NA	NA	(322.55)	-	-	(322.55)

Notes:
1. ***The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.*
2. *Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.*
3. *The amounts reported are net of provision, if any.*
4. *Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.*

15. एच) लेखा मानक 19 – पट्टा

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जो कि बैंक के विकल्प पर प्रत्येक 3/5 वें वर्ष के अंत में सामान्य रूप से नवीकरणीय होते हैं।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2024 को गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (गत वर्षः शून्य)।

iii. बैंक ने मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पर रुपये 21.70 करोड़ का पट्टा समकारी आरक्षित निधि का निर्माण किया है।

iv. परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

वर्ष 31.03.2024 को समाप्त चालू वर्ष		वर्ष 31.03.2023 को समाप्त गत वर्ष	
पट्टे/किराये के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)	पट्टे/किराये के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
15912	814.59	15813	802.06

15. आई) लेखा मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए	ईपीएस – मूल/ह्रासित (₹ में) (गैर वार्षिक)	7.49	2.28
बी	कर के पश्चात गणक के रूप में उपयोग की गई राशि पर लाभ/(हानि) (₹ 000 में)	82446155	25072049
सी	शेयर का अंकित मूल्य	प्रत्येक ₹2.00	प्रत्येक ₹2.00
डी	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	11011015558	11011015558

15. जे) (i) लेखा मानक – 22 : आय पर करों के सम्बन्ध में लेखांकन

बैंक ने लेखा नीति सं. 10. के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयता की पहचान की है जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
छुट्टी नकदीकरण और अन्य के लिए प्रावधान	426.79	137.95
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	23107.83	24319.67
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	0.00	0.00
अन्य आकस्मिकताएं	259.68	248.00
कुल	**23794.30**	**24705.62**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-335.25	-304.80
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	1388.02	1249.26
कुल	**1052.77**	**944.46**
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	**22741.53**	**23761.16**

15. h) Accounting Standard 19 – Lease

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3rd / 5th year.

ii. As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2024: NIL (Previous year: NIL).

iii. Bank has created lease equalization reserve for Rs. 21.70 Cr. on the straight line method for the period ended March 2024.

iv. Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

Current Year Ended 31.03.2024		Previous Year Ended 31.03.2023	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)
15912	814.59	15813	802.06

15. i) Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Sl.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
A	EPS - Basic / Diluted (in ₹) (Non Annualized)	7.49	2.28
B	Amount used as numerator Profit/ (Loss) after tax (₹ in 000)	82446155	25072049
C	Nominal value of share	₹2.00 each	₹2.00 each
D	Weighted average number of equity shares used as the denominator	11011015558	11011015558

15. j) (i) Accounting Standard 22- Accounting for taxes on Income

The Bank has recognized deferred tax assets and liability as per accounting policy no. 10. Major components of which are set out below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for Leave encashment & others	426.79	137.95
Provision for bad & doubtful debts	23107.83	24319.67
Taxable loss (carried forward)	0.00	0.00
Other Contingencies	259.68	248.00
Total	**23794.30**	**24705.62**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-335.25	-304.80
Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act 1961.	1388.02	1249.26
Total	**1052.77**	**944.46**
Deferred Tax Assets (Net)	**22741.53**	**23761.16**

31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के लिए लाभ और हानि लेखे में आस्थगित कर आस्ति ₹1019.63 करोड़ (पिछले वर्षः डेबिट ₹1751.69 करोड़) में नामे डाली गई है।

ii) वर्तमान करः 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹3929.96 करोड़ डेबिट किए हैं (पिछले वर्षः डेबिट ₹29.38 करोड़)। तदनुसार, वर्तमान कर और आस्थगित कर संपत्तियों के कारण कुल कर व्यय लाभ और हानि खाते में ₹4949.59 करोड़ है।

iii) "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत आने वाले अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कर/स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांगों के संबंध में विभाग/ बैंक द्वारा समायोजित विवादित राशि शामिल हैं।

iv) ₹6956.02 करोड़ (गत वर्ष ₹8475.38 करोड़) की विवादित आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय, इन मुददों पर विशेषज्ञ की राय और/अथवा बैंक की अपीलों पर हुए निर्णय के अनुसमर्थन के अनुसार किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृतियां धारणीय नहीं है।

v) बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और आयकर अधिनियम 1961 के पूर्व प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के समापन के लिए आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

vi) वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और क्रमशः भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 – "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार किया जाता है। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशी क्षेत्राधिकार में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

15. के) लेखा मानक 23: समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन

चूँकि बैंक की अपनी सहयोगी संस्थाओं में सहभागी स्वरुप का निवेश है और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का अधिकार है, अतः बैंक की समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे निवेशों को मान्यता दी गई है। (गत वर्षः चूंकि बैंक के अपने सहयोगियों में निवेश सहभागी स्वरुप का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है)।

15. एल) लेखा मानक 24 – परिचालन बंद होना

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों का भुगतान हुआ हो तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े।

(गत वर्षः दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की शैडिंग और आस्तियों की वसूली हुई हो, तथा किसी परिचालन को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे उक्त प्रभाव पड़े)।

The deferred tax assets ₹ 1019.63 Crore is debited to Profit & Loss Account for the financial year ended 31.03.2024 (Previous year: Debited ₹ 1751.69 Crores).

ii) Current Tax: During the financial year ended 31.03.2023 the bank has debited ₹3929.96 Crore to Profit & Loss Account (Previous Year: Debited ₹29.38 Crore) on account of current tax. Accordingly, the total tax expenses on account of current tax & deferred tax assets charged to Profit & Loss account amounts to ₹4949.59 Crore.

iii) Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Bank in respect of tax demands for various assessment years.

iv) No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹6956.02 Crore (Previous year ₹ 8475.38 Crore) as in the Bank's view, duly supported by expert opinion and/or decision in Bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable.

v) The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income for the financial year ended 31.03.2024 as per the earlier provisions of Income Tax Act, 1961.

vi) The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22- "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively. The current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 after taking appropriate relief for taxes paid on foreign jurisdiction.

15. k) Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

(Previous year: Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank).

15. l) Accounting Standard 24 – Discontinuing operations

During the period from 01.04.2023 to 31.03.2024, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect.

(Previous year: During the period from 01.04.2022 to 31.03.2023, the bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which have the above effect).

15. एम) लेखा मानक 26 – अमूर्त आस्ति

विवरण	उपयोगी अवधि (वर्षों की संख्या)	प्रयुक्त की गई परिशोधन दरें	परिशोधन पद्धति
सॉफ़्टवेयर	03	33.33%	सीधी रेखा विधि

अमूर्त संपत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	कुल ब्लॉक					परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	01.04.2023 तक	परिवर्धन	अन्य समायोजन	पुनर्वर्गीकरण / हटाना	31.03.2024 तक	01.04.2023 तक	वर्ष के लिए	पुनर्वर्गीकरण / हटाना	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सॉफ़्टवेयर	1251.33	117.90	0.79	0.00	1368.44	1066.88	98.38	0.79	1164.46	203.98	184.45
अन्य यदि कोई हो तो कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1251.33**	**117.90**	**0.79**	**0.00**	**1368.44**	**1066.88**	**98.38**	**0.79**	**1164.46**	**203.98**	**184.45**
गत वित्त वर्ष 2022. 23	1209.31	42.01	0.00	0.00	1251.33	920.08	146.80	0.00	1066.88	184.45	NA

15. एन) लेखा मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा "वित्तीय आस्तियों" का है जिनपर लेखा मानक 28 "आस्तियों का ह्रास" लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2024 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है।

(गत वर्ष : बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा "वित्तीय आस्तियों" का है जिनपर लेखा मानक 28 "आस्तियों का ह्रास" लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2023 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है)।

15. ओ) लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प) देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वेतन बकाया	कानूनी मामले / आकस्मिकताएं
प्रारंभिक शेष	459.51	85.58
	(0.00)	(83.51)
वर्ष के दौरान जोड़ा गया / प्रदान किया गया	1779.10	43.30
	(459.51)	(4.98)
अवधि के दौरान प्रयुक्त / रिवर्स राशियां	2088.61	9.23
	(0.00)	(2.91)
31.03.2024 तक शेष	**150.00**	**119.65**
	(459.51)	**(85.58)**
बहिर्वाह / अनिश्चितताओं का समय	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह
	(वास्तविक भुगतान पर)	(निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह)

*अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर

15. m) Accounting Standard 26 – Intangible asset

Particulars	Useful life (No. of Years)	Amortization rates used	Amortization Method
Software	03	33.33%	Straight Line Method

Intangible Assets

(Amount in ₹ Crores)

Particulars	Gross Block					Amortization				Net Block	
	As at 01.04.2023	Additions	Other Adjustments	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.2024	As at 01.04.2023	For the year	Reclassifications / Deletions	As at 31.03.2024	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Software	1251.33	117.90	0.79	0.00	1368.44	1066.88	98.38	0.79	1164.46	203.98	184.45
Other if any, please specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1251.33**	**117.90**	**0.79**	**0.00**	**1368.44**	**1066.88**	**98.38**	**0.79**	**1164.46**	**203.98**	**184.45**
FY 2022-23	1209.31	42.01	0.00	0.00	1251.33	920.08	146.80	0.00	1066.88	184.45	NA

15. n) Accounting Standard 28 – Impairment of assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2024 requiring recognition in terms of the said standard.

(Previous year: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2023 requiring recognition in terms of the said standard).

15. o) Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) Movement of provisions for liabilities*

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Salary arrears	Legal cases/ contingencies
Opening Balance	459.51	85.58
	(0.00)	(83.51)
Addition / Provided during the Year	1779.10	43.30
	(459.51)	(4.98)
Amounts used/ Reversed during the Year	2088.61	9.23
	(0.00)	(2.91)
Balance as at 31.03.2024	**150.00**	**119.65**
	(459.51)	**(85.58)**
Timing of outflow/uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	(On actual Payment)	(Outflow on settlement / crystallization)

*Excluding provisions for others

ii) आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 देखें

क्रम संख्या (I), (II), (III), (IV), (V) एवं (VI) में ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय / मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर समझौते के परिणाम, अपीलों के निपटान, मांगी जा रही राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण और संबंधित पक्षों द्वारा मांग उठाने पर निर्भर हैं।

अन्य प्रकटीकरण:

16. व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोज़र (एलई) ढांचे के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु क्रेडिट एक्सपोज़र जहां अधिक था, उसके संबंध में बैंक का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 31.03.2024 के लिए टियर –1 पूंजी ₹89617.67 करोड़ के आधार पर व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में बड़े एक्सपोज़र (एलई) ढांचे के अनुसार उन खातों का विवरण नीचे दिया गया है, जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा को पार किया है: –

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2024 को)	31.03.2024 को टियर–1 पूंजी के % के रूप में कुल एक्सपोज़र	बकाया (31.03.2024 को)	31.03.2024 को टीयर–1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर
व्यक्तिगत						
1.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	₹17923.53 करोड़ (टियर–I पूंजी का 20%)	20785.63	23.19%*	20535.62	22.91%*
*समूह						
शून्य						

(31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2024 को)	31.03.2023 को टियर–1 पूंजी के % के रूप में कुल एक्सपोज़र	बकाया (31.03.2024 को)	31.03.2023 को टीयर–1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया एक्सपोजर
व्यक्तिगत						
1.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	₹12149.56 करोड़ (टियर–I पूंजी का 20%)	12735.80	20.97%	12686.13	$20.88%
*समूह						
शून्य						

आरबीआई के परिपत्र दिनांक 03.06.2019 ने बैंक के बोर्ड की शक्तियों के तहत एकल प्रतिपक्ष के 20% की सीमा के अतिरिक्त 5% का लाभ दिया है। बोर्ड ने दिनांक 28.03.2017 की अपनी बैठक में यह मंजूरी दी है कि बैंक असाधारण परिस्थितियों में बड़े एक्सपोज़र के रूप में वर्गीकृत एकल प्रतिपक्षकार के लिए एक्सपोज़र सीमा को 20% की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त और 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

**उसे बोर्ड द्वारा दिनांक 16.11.2023 की बैठक में अनुमोदित किया गया था।*

$बोर्ड की दिनांक 04.06.2022 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

ii) Refer Schedule-12 on contingent liabilities

Such liabilities at S.No.(I), (II), (III), (IV), (V) & (VI) are dependent upon the outcome of Court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

Other Disclosures:

16. Bank's Disclosure in respect of Credit Exposures where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual/Group Borrowers for the Financial year ended 31.03.2024:

Details of accounts where Bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier – 1 Capital of ₹89617.67 Crores for the financial year ended 31.03.2024 are as below:-

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2024)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2024	Outstanding (as on 31.03.2024)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.2024
Individual						
1.	Small Industries Development Bank of India	₹17923.53 Crores (20% of Tier – I Capital)	20785.63	23.19%*	20535.62	22.91%*
*Group						
NIL						

(FY ended 31.03.2023)

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Name of the Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (as on 31.03.2023)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2023	Outstanding (as on 31.03.2023)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier – 1 Capital as on 31.03.2023
Individual						
1.	Small Industries Development Bank of India	₹12149.56 Crores (20% of Tier – I Capital)	12735.80	20.97%	12686.13	$20.88%
*Group						
NIL						

RBI Circular dated 03.06.2019 has given leverage of 5% over and above the ceiling of 20% of single counterparty under the Bank's Board Power. Board in its meeting dated 28.03.2017 has approved that bank may in exceptional circumstances consider enhancement of the exposure ceiling for single counterparty classified as Large Exposure up to 5% over and above ceiling of 20%.

** The same was approved by the Board in its meeting dated 16.11.2023.*

$The same was approved by the Board in its meeting dated 04.06.2022.

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (ऊपर यथा उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोज़र (छूट प्राप्त एक्सपोज़र के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।

(गत वर्ष – 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत और समूह खातों (ऊपर यथा उल्लिखित को छोड़कर) के सभी एक्सपोज़र (छूट प्राप्त एक्सपोज़र के अलावा) एलई फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित नियामक सीमाओं के भीतर हैं।)

17. प्रकटीकरण: चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

ए. आरआरबी के संदर्भ में:

दिनांक 31.03.2024 को, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी) और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) की ओर से इन प्रायोजित आरआरबी को मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) में सक्षम बनाने के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है।

वित्त वर्ष 2023 के लिए उपरोक्त आरआरबी के वित्तीय विवरण/स्थिति और पीएनबी द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र के आधार पर, मुद्रा ने एजीवीबी और एमआरबी के लिए एक्सपोजर सीमा निर्धारित की और मुद्रा के तहत इन आरआरबी को क्रमशः 56.79 करोड़ रुपये और 1.92 करोड़ रुपये की एक्सपोजर सीमा तक एमएलआई के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा यह पुष्टि की जाती है कि दिनांक 31.03.2024 तक दोनों बैंकों एजीवीबी और एमआरबी ने मुद्रा से कोई पुनर्वित्त नहीं लिया है।

बी. सहायक कंपनी एवं एसोशिएट्स:

"बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में नियामक, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA) को यू.के स्थित अपनी अनुषंगी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड के संबंध में एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि यदि पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी न कर पाए तो बैंक उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगा"।

उक्त चुकौती आश्वासन पत्र दिनांक 15.03.2022 को हमारी अनुषंगी पीएनबीआईएल से संबंधित पीआरए के पक्ष में हमारे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नवीनीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह नवीनीकरण पीआरए और आरबीआई के निर्देश के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त एलओसी का वार्षिक मूल्यांकन भी दिनांक 28.03.2024 को बोर्ड की बैठक में रखे गए नोट दिनांक 16.03.2024 द्वारा किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने समूह संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए, वित्तीय वर्ष– 2023–24 के लिए चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं हैं।

18. प्रकटीकरण: वचन पत्र

"बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियम 3(3) के अंतर्गत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए वचन पत्र प्रदान किया है कि:

"बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, चलनिधि सहित) और संचालन के दौरान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम करने के लिए विनियोजित हो सकता है"।

All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts for the year ended 31.03.2024 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.

(Previous year- All the exposure (other than exempted exposure) of Individual and Group Accounts (except as mentioned above) for the financial year ended 31.03.2023 are within the prescribed regulatory limits, as per LE Framework.).

17. Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

a. Regarding RRBs:

As on 31.03.2024, PNB (as a Sponsor Bank) has issued Letters of Comfort in favour of Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd.) on behalf of Assam Gramin Vikash Bank (AGVB) and Manipur Rural Bank (MRB) for enabling these Sponsored RRBs to become Member Lending Institutions (MLIs) for MUDRA Loans.

On the basis of financials of the above RRBs for FY 2023 and Letter of Comfort issued by us, MUDRA worked out the exposure limits for AGVB and MRB and these RRBs were accepted as MLI up to the exposure limit under MUDRA for Rs. 56.79 Crore and Rs. 1.92 Crore respectively. Further, the banks AGVB and MRB have not availed any refinance from MUDRA as on 31.03.2024. Hence, there is no financial impact.

b. Regarding Subsidiaries and other Associates:

The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due.

The said Letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further, Annual assessment of impact of LOC was approved by the Board in its meeting held on 28.03.2024, as per which the Bank does not foresee any crystallization of financial obligation. Therefore, there is no financial impact on account of this LOC for FY 2023-24.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (subsidiaries and associates).

18. Disclosure: Letter of Undertaking-

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3(3) of International Financial Service Centre Authority(IFSCA) that:

"Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation".

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और चुकौती आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं है।

19. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट

पीएनबी क्रेडिट कार्ड धारक जब कभी अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके खरीददारी करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के अंक प्रदान किए जाते हैं। ये रिवार्ड के अंक मर्चेंट संस्थान पर कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय जारी किए जाते हैं। कार्डधारक इन एकत्रित अंकों को रिडीम कर सकता है। रिवॉर्ड अंकों के कारण देय राशि को दैनिक आधार पर लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है और विविध प्रावधान खाते में क्रेडिट किया जाता है।

बकाया रिवॉर्ड प्वाइंट (क्रेडिट कार्ड) और उनके संबंध में किए गए प्रावधान की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया शेष रिवार्ड प्वाइंट	430866133	225980457
इन प्वाइंट के लिए किया गया प्रावधान (₹ करोड़ में)*	5.39	2.82

**क्रेडिट कार्ड के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के प्रति 1 पॉइंट के लिए ₹0.50 का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स के ट्रेंड एनालिसिस पर नवीनतम एक्चुअरी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तरह अनुमानित आधार पर संचित रिवार्ड पॉइंट्स के 25% की दर से रिडेम्पशन का प्रावधान किया गया है।*

20. गैर–बैंकिंग आस्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

चालू वर्ष		गत वर्ष	
संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष	संपत्तियों की संख्या	बकाया शेष
12	26.45	12	26.45

21. रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत उधार दी गई या अर्जित की गई कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ:

चालू वर्ष	गत वर्ष
शून्य	शून्य

22. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने अवरुद्ध खाते तैयार करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया अंतर शाखा क्रेडिट प्रविष्टियों की राशि की गणना की। तदनुसार, ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) की राशि को किये गए (समायोजन को घटाकर अनुसूची–5 में "अन्य देयताएं–अन्य" के तहत शामिल किया गया है)।

23. परिसर में ₹3.72 करोड़ (लागत) की 10 संपत्तियां शामिल हैं। मूल्यह्रास राशि ₹2.34 करोड़ जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गत वर्ष: परिसर में ₹3.72 करोड़ (लागत) की संपत्ति और रुपये 2.27 करोड़ की मूल्यह्रास राशि शामिल हैं जो शीर्षक विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

19. Reward Points of Credit Card –

PNB Credit Card holders are rewarded as and when they make purchases through usage of Credit Card. Reward Points are generated at the time of usage of Credit Card by Cardholder at merchant Establishment. Card holder can redeem the accumulated reward points. The amount payable on account of reward points is charged to Profit and Loss account and credited to Sundry Provision Account on daily basis.

Position of outstanding reward points of Credit Cards and Provision thereon:

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance Reward Points outstanding	430866133	225980457
Provision held for these points (₹ in Crore)*	5.39	2.82

**The provision held against Rewards points in respect of Credit Cards has been worked out at ₹0.50 for 1 point. As per latest actuary report on Trend Analysis of credit card rewards points redemption provision has been made @25% of accumulated Reward points.*

20. Disclosure related to Non -Banking assets:

(Amount in ₹ Crore)

Current Year		Previous Year	
No. of Properties	Balance Outstanding	No. of Properties	Balance Outstanding
12	26.45	12	26.45

21. Corporate debt securities lent or acquired under repo or reverse repo transactions:

Current Year	Previous Year
NIL	NIL

22. As per RBI guidelines, the Bank worked out the amount of Inter Branch Credit entries outstanding for more than 5 years to create a Blocked Account. Accordingly, a sum of ₹ Nil Crores (previous year ₹ Nil Crores) [net of adjustments since carried out has been included under "Other Liabilities-others" in Schedule-5].

23. Premises includes 10 properties amounting to ₹3.72Crore (cost) & depreciation amount to Rs. 2.34 Crore are awaiting registration of title deeds.

Previous year: Premises includes properties amounting to ₹3.72Crore (cost) & depreciation amount to Rs. 2.27 Crore are awaiting registration of title deeds.

24. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिसर में ₹115.23 करोड़ का पूंजीगत कार्य शामिल है (पिछले वित्तीय वर्ष दिनांक 31.03.2023 में ₹42.37 करोड़)।

25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन मार्च, 2024 (वित्तीय वर्ष 2023–24) को समाप्त वर्ष के दौरान की गई खरीद के लिए किया गया है और अधिनियम के अनुसार विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई देरी नहीं हुई थी, इसलिए मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023–24) के दौरान कोई दंडात्मक ब्याज लागू नहीं होगा।

26. मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकन भाग पर मूल्यह्रास ₹167.79 करोड़ (मार्च 2023 को समाप्त गत वर्ष ₹166.92 करोड़) है।

27. 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने अचल संपत्तियों (अनुसूची –10 का हिस्सा) का पुनर्मूल्यांकन नही किया है। (पिछले वित्त वर्ष 2022–23 में बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (निवल) 1756.82 करोड़ रुपये की राशि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा की गई है।

28. आरबीआई के पत्र सं. बीपीसी.7201/21.04.132/2017–18 दिनांक 08.02.2018 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार को दीर्घकालिक ऋण (एलटीएल) के लिए अग्रिम के संबंध में 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1751.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1871.68 करोड़) के मौजूदा बकाया का 5% होने के नाते ₹87.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹93.58 करोड़) का प्रावधान किया है।

29. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए खातों के लिए आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सं. बीपी.15199/21.04.048/2016–17 दिनांक 23 जून 2017 (आरबीआई सूची–1) और पत्र सं. डीबीआर.बीपी.1908 /21.04.048 /2017–18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 (आरबीआई सूची–2) के अनुसार, (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान) 31 मार्च, 2024 तक (सकल एनपीए अग्रिम का 100.00%) बैंक के पास कुल ₹7991.75 करोड़ का प्रावधान है। (गत वर्ष ₹9297.46 करोड़ (आरबीआई सूची 1 और सूची 2 खातों का कुल प्रावधान), सकल एनपीए अग्रिम का 100.00%)।

30. निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (75.00%) के लाभांश की सिफारिश की है।

31. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. संख्या 91/21.04.018/2022–23 दिनांक 13.12.2022, के संदर्भ में कुल आय का एक प्रतिशत से अधिक 'अनुसूची 14 – अन्य आय' के अंतर्गत उपशीर्ष 'विविध आय' के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण, इस प्रकार है:

24. Premises includes Capital work in progress of ₹115.23 Crore as on 31.03.2024 (in the previous year as on 31.03.2023, ₹42.37 Crore).

25. Guidelines given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during the year ended March 2024 (FY 2023-24) and payments have been made to the Vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, no penal interest applicable during year ended March, 2024 (FY 2023-24)

26. Depreciation on Revalued Portion of Premises for the current financial year ended March, 2024 is ₹167.79 Crores (Previous year ended March, 2023 ₹166.92 Crores).

27. During the Financial Year ended 31.03.2024 the Bank has not Revalued Immovable Properties (forming part of Schedule -10). (In the Previous financial year 2022-23 the Bank has revalued Immovable Properties, based on the reports obtained from the external independent valuers. The revaluation surplus amount to Rs. 1756.82 crore is credited to the revaluation reserves).

28. In compliance of RBI letter no. BPC.7201/21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018, Bank has made a provision of ₹87.59 Crore (Previous year ₹93.58 Crore) being 5 % of the existing outstanding of ₹1751.93 Crore (Previous year ₹1871.68 Crore) as on 31.03.2024 in respect of Advance to Government of Punjab Long term Loan (LTL).

29. As per RBI Letter no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 (RBI List-1) and Letter no. DBR.BP.1908/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 (RBI List-2) for the accounts under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), where the Bank is having exposure, the Bank is holding total provision of Rs.7991.75 Crore (Aggregate provision for RBI List 1 and List 2 accounts is 100%) as on March 31, 2024. (Previous Year ₹9297.46 Crore (Aggregate provision of RBI List 1 and List 2 accounts), 100.00% of Gross NPA advances).

30. The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.1.50 per equity share (75.00%) for the year ended March 31, 2024 subject to requisite approvals.

31. In terms of RBI Circular no. DOR.ACC.REC. No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under the subhead 'Miscellaneous Income' under the head 'Schedule 14 - Other Income' exceeding one percent of total income, is as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

उप–शीर्ष के अंतर्गत मदें	चालू वर्ष	गत वर्ष
बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	6100.58	6508.05
एटीएम / कियोस्क प्रभार	1% से अधिक नहीं	984.73

- अनुसूची 16 में 'अन्य व्यय' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: परिचालन व्यय जो कुल आय का 1% से अधिक हो।
- अनुसूची 5 में 'अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: अन्य देयताएं और प्रावधान जो कुल संपत्ति के 1% से अधिक है।
- अनुसूची 11 में 'अन्य' के अंतर्गत कोई मद नहीं है: अन्य आस्तियां जो कुल आस्तियों के 1% से अधिक हैं।

32. I. पिछली अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

II. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जहां कहीं दिए गए हैं गत वर्ष से संबंधित हैं।

(Amount in ₹ Crore)

Items under the Sub-head	Current Year	Previous Year
Realisation in written off A/Cs	6100.58	6508.05
ATM / Kiosk Charges	Not exceeding 1%	984.73

- There is no item under 'Other expenditure' in schedule 16: Operating Expenses that exceeds 1% of total income.
- There is no item under 'Others (including provisions)' in schedule 5: Other Liabilities and Provisions that exceeds 1% of total assets.
- There is no item under 'Others' in schedule 11: Other Assets that exceeds 1% of total assets.

32. I. Figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

II. Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF STANDALONE CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs.000 को छोड़ दिया गया हैं) (Rs.000's omitted)

	विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
ए. A.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** **Cash Flow from Operating Activities**			
	कर के पश्चात निवल लाभ/हानि Net Profit/ (Loss) after Tax		8244,61,55	2507,20,49
	कर के लिए प्रावधान Provision for Tax		4949,58,97	1781,06,01
(I)	**कर से पूर्व निवल लाभ** **Net Profit/ (Loss) before tax**	(i)	**13194,20,52**	**4288,26,50**
(II)	**निम्नलिखित के लिए समायोजन:** **Adjustments for:**			
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		895,24,94	896,55,51
	निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(विमोचन) Depreciation/(Release) and Provision on Investments (Net]		-742,11,83	2356,68,36
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Non Performing Assets		12345,01,25	15902,81,81
	मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets		87,19,80	1304,12,53
	अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)		711,72,66	860,32,69
	अनुषंगी/अन्य से लाभांश Dividend from Subsidiary / Others		-33,44,99	-84,36,66
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (net)		-6,67,30	-2,55,58
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश से आय Income from investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates		-137,39,47	0
	बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		2956,57,66	2414,99,31
	उप-जोड़ **Sub Total**	(ii)	**16076,12,72**	**23648,57,97**
(III)	**निम्नलिखित के लिए समायोजन:** **Adjustment for :**			
	निवेशों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Investments		-22810,50,39	-25575,80,06
	अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease / (Increase) in Advances		-115941,62,37	-117522,17,41

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

	विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
	अन्य परिसंपत्तियों में ह्रास / (वृद्धि) Decrease / (Increase) in Other Assets		-1134,06,25	2115,18,59
	जमा राशियों में वृद्धि / (ह्रास) Increase / (Decrease) in Deposits		88549,70,10	134944,65,49
	उधारों में वृद्धि / (ह्रास) Increase / (Decrease) in Borrowings		-7963,87,73	1126,32,15
	अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास) Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions		3960,04,63	-72,86,37
	उप–जोड़ Sub Total	**(iii)**	**-55340,32,01**	**-4984,67,61**
	परिचालनों से उत्पन्न नकदी Cash generated from Operations	**(i+ii+iii)**	**-26069,98,77**	**22952,16,87**
	प्रत्यक्ष कर (प्रतिदय को घटाकर) Direct Taxes paid (net off refund)		-1824,61,17	-1172,19,62
(ए) (A)	**निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी Net Cash from/(used) Operating Activities**	**(ए) (A)**	**-27894,59,94**	**21779,97,25**
(बी) (B)	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities**			
	अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)		-1137,10,04	-533,80,93
	अनुषंगी / अन्य से लाभांश की वसूली Dividend recd from Subsidiary/Others		33,44,99	84,36,66
	अनुषंगी / अन्य में निवेश (निवल) Investment in Subsidiary/Others (net)		-435,68,49	-232,79,64
	निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी Net Cash from/(used) in Investing Activities	**(बी) (B)**	**-1539,33,54**	**-682,23,91**
(सी) (C)	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Financing Activities**			
	शेयर पूंजी / शेयर आवेदन राशि / शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium		0	0
	बॉण्डों (निवल) का निर्गमध / (मोचन) Issue/(Redemption) of Bonds (net)		7102,00,00	4484,00,00
	बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		-2956,57,66	-2414,99,31
	लाभांश दिया Dividend paid		-715,71,60	-704,70,50
	वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी Net Cash from Financing Activities	**(सी) (C)**	**3429,70,74**	**1364,30,19**

(रु.000 को छोड़ दिया गया है) (Rs. 000's omitted)

विवरण Particulars			31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
(डी) (D)	**नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल परिवर्तन Net Change in Cash and Cash Equivalents**	**(ए+बी+सी) (A+B+C)**	**-26004,22,74**	**22462,03,53**
	वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year			
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India		78176,57,52	85736,11,66
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks & Money at Call & Short Notice		76932,23,31	46910,65,64
			155108,80,83	**132646,77,30**
	वर्ष की अंत में नकदी और नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the year			
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India		65032,91,16	78176,57,52
	बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks & Money at Call & Short Notice		64071,66,93	76932,23,31
			129104,58,09	**155108,80,83**

टिप्पणियाँ
Notes :-

1 नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है। Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.

2 प्रदत्त प्रत्यक्ष करों (प्रतिदेय का घटाकर) को परिचालन से उद्धत माना गया है तथा इन्हें निवेश तथा वित्तीयन कार्यकलापों के मध्य विभक्त नहीं किया गया है। Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

3 पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित किया गया है। Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

4 नकदी और नकद तुल्य में कैश ऑन हैंड, आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और मांग व अन्य सूचना पर देय धन शामिल है। Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

मुकेश कुमार
Mukesh Kumar
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक और सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र
Bibhu Prasad Mahapatra
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बिनोद कुमार
Binod Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड को.
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 304138ई
FRN: 304138E

कृते एस सी बपना एंड एशोसिएशन
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते उमेद जैन एंड को
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकर किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(M.No. 510708)

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(M.No. 088903)

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(M.No. 072738)

कृते एन के भार्गव एंड को.
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
FRN: 000429N

कृते पी एस डी एंड एशोसिएशन
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(M.No.080624)

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(M.No. 411219)

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांकः 9 मई, 2024
Date: May 09, 2024

BLANK PAGE

समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2024 को पंजाब नैशनल बैंक ("बैंक"), इसकी समनुषंगियों (मूल और इसकी समनुषंगियों को एक साथ 'समूह' कहा जाता है), और सहायक कंपनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और इसके साथ संलग्न अन्य व्याख्यात्मक जानकारी की लेखा परीक्षा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 9 मई 2024 के माध्यम से हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई पंजाब नैशनल बैंक (बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ;

   ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 04 समनुषंगी और 8 सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और;

   iii. 01 समनुषंगी और 6 सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित लेखे।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं समनुषंगियों और सहायक कंपनियों की अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई समनुषंगियों/सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारे विचार के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और :

   ए. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित तुलन पत्र सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और सही प्रकार से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके;

   बी. टिप्पणियों सहित पठित, समेकित लाभ और हानि लेखा, सही लाभ शेष दर्शाता है; तथा

   सी. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

3. हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा लेखा परीक्षा पर जारी मानकों (एस ए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियाँ आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Punjab National Bank

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the attached Consolidated Financial Statements of Punjab National Bank ("the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as ("the Group"), and associates as at 31 March 2024, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

   i. Audited Financial Statements of Punjab National Bank (the Bank), audited by us, vide our audit report dated 09 May 2024;

   ii. Audited Financial Statements of 4 Subsidiary and 8 Associates, audited by other auditors; and

   iii. Unaudited accounts of 1 Subsidiary and 6 Associates.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/associates as furnished by the management the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and :

   a. the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair view of Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31 March, 2024;

   b. the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

   c. the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial

की जिम्मेदारियाँ खंड में वर्णित की गई हैं। भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं सहित इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में और उन पर अपना मत बनाने में समग्र रूप से देखे गए हैं और हमने इन मामलों पर अलग से मत नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामलों के रूप में वर्णित निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले को किस प्रकार से दर्शाया गया है
अग्रिम – वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 5 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें,) अग्रिमों को निष्पादित और गैर–निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इन पर प्रावधानीकरण किया गया है। बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत एसएएससीएल एप्लीकेशन में अग्रिमों की पूरी प्रणाली द्वारा संचालित निर्धारण और उनके वर्गीकरण को लागू किया है। विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत एनपीए के प्रावधानीकरण की सीमा मुख्य रूप से इसकी अवधि और अन्तर्निहित प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर आधारित है। आवश्यकता के आधार पर इसकी मैन्युअल रूप से समीक्षा भी की जाती है।	हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आस्तियों के वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्र, दिशानिर्देश एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश और बैंक के आंतरिक निर्देश और प्रक्रियायों को सम्मिलित किया गया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया और समझा गया। • डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ–साथ प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक परीक्षण के संचालनात्मक प्रभावशीलता का जाँच परीक्षण किया गया, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया के संयोजन की जांच भी शामिल है।

Statements' section of our report. We are independent of the Group in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9. to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No 5) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The Bank has implemented complete system driven recognition of advances and their classification in SASCL Application under Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. The same are also reviewed manually based on necessity.	Our audit approach included an understanding of the Bank's software, circulars, guidelines and directives of the Reserve Bank of India and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: • Evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the Relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • Test checked the design and implementation as well as operational effectiveness of relevant internal controls and substantive testing, including involvement of manual process in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.

विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित उपयोग या प्रतिभूति के गलत मूल्य निर्धारण की स्थिति में, क्योंकि प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण में उच्च स्तर का अनुमान और निर्णय शामिल होता है, अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वस्तुतः गलत तरीके से प्रस्तुत किया सकता है, और समेकित वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों का वर्गीकरण और इसके प्रावधानीकरण को हमारी लेखा–परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	• तर्क / डेटा की सटीकता को लागू करने / कार्यान्वयन में त्रुटियों और चूक और इसकी सुधारात्मक कार्रवाई की पहचान करने के लिए बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की। • किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक संचालन या कमी का पता लगाने के लिए बड़े और दबावग्रस्त अग्रिमों के जांच परीक्षण के आधार पर आरबीआई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रलेखनों, परिचालन / प्रदर्शन और अग्रिम खातों की निगरानी की समीक्षा की गई, हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित शाखाओं / संबंधित प्रभागों के संबंध में आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकरण की जांच की गई। शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमने उनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा की। • जांच परीक्षण के आधार पर किसी प्रतिकूल विशेषताओं / टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखा–परीक्षा, निरीक्षण लेखा–परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, नियामक लेखा–परीक्षा रिपोर्टों और बैंक सिस्टम से जारी रिपोर्टों की समीक्षा की।

In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the Standalone Financial Statements the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	• Reviewed the Bank's monitoring mechanisms to identify errors and omission in applying/ implementation of logic / data integrity and its corrective action. • Reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on as per RBI guidelines basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, examination of classification as per prudential norms of the RBI, in respect of the branches / relevant divisions audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of "Baseline Requirements for the NPA classification Solution". • Reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, risk based internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments, and reviewed the reports generated from the Bank's system.

	हमारा परिणामः लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।
निवेश–मूल्यांकन और गैर–निष्पादित निवेश की पहचान तथा प्रावधानीकरण (लेखा नीति संख्या 4 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीद और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यांकन, गैर–निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुरूपी गैर–निर्धारण तथा उस पर प्रावधान आरबीआई के संबंधित परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई द्वारा उद्धत दरें, गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के मामले में एनएवी (NAV) और प्रतिभूति रसीदें आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े/सूचना का संग्रह शामिल है। कुछ निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित धारणाओं सहित सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणों पर आधारित मूल्यांकन के लिए मूल्य का निर्धारण	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निदेशों के संदर्भ सहित निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभाव का परीक्षण एवं समीक्षा शामिल की गई है और गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन से संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, निवेशों से संबंधित प्रावधान/अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। • हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन किया है। • निवेश के चयनित नमूने के लिए (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की सभी श्रेणियों को कवर करते हुए) हमने आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निदेशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। • हमने एनपीआई की पहचान, और आय के तदनुरूपी रिवर्सल और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है। **हमारा परिणामः** लेनदेन के महत्व को देखते हुए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के परिणाम उचित और संतोषजनक पाए गए।

	Our Results: The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.
Investments – valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments (Refer Schedule 8 to the Consolidated Financial Statements, read with the Accounting Policy No 4) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Valuation of Investments, identification of Non performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of mutual funds & security receipts etc. Certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, implementation, operating effectiveness of internal controls and audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments as per RBI guidelines. • We reviewed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. • For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. **Our Results:** The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality.

आदि शामिल होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई कीमत सही द्योतक नहीं हो सकती, लेकिन आज तक के निवेशों का एक निष्पक्ष निर्धारण हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि के महत्व को देखते हुए, उक्त को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का आकलन: आईआरएसी मानदंडों सहित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लेनदेन की रिकॉर्डिंग, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आईटी नियंत्रण। नियामकों आदि का अन्य अनुपालन, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और अन्य संबद्ध प्रणालियों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा माना है क्योंकि नियंत्रण में किसी भी चूक, सत्यापन विफलताएं, गलत इनपुट डेटा और गलत डेटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन और विनियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं: –** • विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना • बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जिसमें एप्लिकेशन, अभिगम नियंत्रण शामिल है, जो नमूना जाँच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • सिस्टम में डेटा की फीडिंग को समझना और बैंक में मौजूद आईटी सिस्टम से वित्तीय जानकारी और विवरणों को निकालना। • बैंक के विनियमों/नीति में किसी भी बदलाव के कारण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जाँच करना। • सिस्टम द्वारा नमूना आधार पर जनरेट रिपोर्टों की समीक्षा करना। • "एनपीए वर्गीकरण समाधान के लिए आधारभूत आवश्यकताओं" की समीक्षा सहित सीबीएस द्वारा उपयोग किए गए

assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	
Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms. Other compliances to regulators etc., is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	Our audit approach included: - • Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of customers. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank. • Checking of the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Bank. • Reviewed the reports generated by the system on sample basis. • Reviewed the report of independent IT Expert on review of SASCL Application (Income

	एसएएससीएल एप्लिकेशन (आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण समाधान) की समीक्षा पर स्वतंत्र आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की समीक्षा करना। **<u>हमारा परिणाम:</u>** निरंतर प्रगति हो रही है, फिर भी सिस्टम के इनपुट/आउटपुट डेटा में आ रही कमियों को नियंत्रित करने हेतु इसकी क्षमता में संवर्द्धन की आवश्यकता है।
मुकदमेबाजी और आकस्मिक देयताएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों और बैंक द्वारा बाध्यता के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन। बैंक का मूल्यांकन, मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पूर्व अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा गया, कानूनी एवं स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने उपर्युक्त क्षेत्र को मुकदमों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसे कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयोज्यता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून की व्याख्या के अंतर्गत संबंधित विषय के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्न शामिल रहे:–** • कर मुकदमों और आकस्मिक देयताओं की वर्तमान स्थिति को जानना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त आदेशों और/या पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना; • उसमें प्रस्तुत किए गए आधारों के संदर्भ में और विचाराधीन विषय के गुण–दोष, उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह का मूल्यांकन करना; तथा • जहां भी आवश्यकता हुई, कानूनी और कर सलाहकारों की राय का सहारा लिया गया है।

	Recognition and Asset Classification solution) used by CBS including the review of “Baseline Requirements for the NPA classification Solution”. **<u>Our Results:</u>** There is continuous progress, still the system needs to be strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.
Litigation & Contingent Liabilities Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes and various other claims filed by other parties upon the Bank not acknowledged as debts. The Bank’s assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank’s reported profit and the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of litigations which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/interpretation of law involved.	**Our audit approach included: -** • Going through the current status of the tax litigations and contingent liabilities; • Examining the orders and/or communication received from various Tax Authorities/ Judicial forums and follow up action thereon; • Evaluating the merits of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and • Wherever required, reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, अनुलग्नक सहित, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट (किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल हैं। वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्त निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के अनुसार वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी के तथ्य गलत विवरण हैं, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी से बचाव एवं पता लगाने हेतु तथा अन्य अनियमितताओं हेतु,; उचित लेखा नीतियों के चयन एवं आवेदन; निर्णय लेने तथा यह अनुमानित करना कि; ये उचित एवं विवेकपूर्ण हैं; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण; जो लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं; जो सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टि करता है तथा यातो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त हों, ऐसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन, एक कार्यशील संस्थान के रूप में बने रहने के लिए बैंक के सामर्थ्य के मूल्यांकन, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्थान से संबंधित मामले तथा लेखा के आधार पर कार्यशील संस्थान को तब तक उपयोग करने जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए उत्तरदायी है।

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Directors' Report, including annexures, Corporate Governance Report and other reports (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखामानकों (SAs) के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही त्रुटिपूर्ण विवरण का पता लगाएगी, जब यह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से त्रुटिपूर्ण विवरण सृजित हो सकता है तथा यदि वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से,इसे सही विवरणी माना जाता है, तो इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की अपेक्षा की जा सकती है।

   लेखामानकों(SAs) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों के वास्तविक त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले त्रुटिपूर्ण विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली अशुद्धि की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर कार्यशील संस्थान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित किसी विवरण में अनिश्चितता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में संचालन जारी रखने की बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे अभिमत को बदलने के लिए वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, के लिए हमारे लेखा परीक्षकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में संचालन बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control on the consolidated financial statements.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं के समेकित वित्तीय परिणामों/वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के निर्देशन, पर्यवेक्षण और लेखापरीक्षा के कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

वास्तविकता वित्तीय विवरणों में त्रुटिपूर्ण विवरणों की महत्ता है, जो वैयक्तिक रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य की संभाव्यता की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई त्रुटिपूर्ण सामग्री के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

हम अन्य मामलों के मध्य आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विषय में, अभिशासन प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं जो हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में संवाद करने हेतु जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर तर्कसंगत रूप से विचार कर सकते हैं।

अभिशासन प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial results/financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in; (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. The accompanying consolidated financial statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of:

- चार (04) समनुषंगियां अर्थात (i) ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (ii) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (iii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड तथा (iv) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक रुपये 27,767.78 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाती है, रुपये 1,875.97 करोड़ का कुल राजस्व एवं कर के बाद कुल निवल लाभ/(हानि) में समूह का रुपये 105.66 करोड़ का हिस्सा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत केवल उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

- आठ (8) घरेलू सहयोगी कंपनी जिनके वित्तीय परिणामों/विवरणों में कर के बाद निवल लाभ में समूह का हिस्सा रु. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रु. 777.85 करोड़, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त गत वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों की संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी, उनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक फर्म हैं और उन्होंने 19 मई, 2023 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

   - एक (01) समनुषंगी अर्थात (i) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक रुपये 8,388.94 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाती है, रुपये 532.53 करोड़ का कुल राजस्व तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल निवल लाभ का हिस्सा 89.19 करोड़ रुपये है जिसे बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

   - एक (01) विदेशी सहयोगी कंपनी जिसके वित्तीय परिणामों/विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः रुपये 45.60 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ/(हानि) का समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

- Four (04) subsidiaries viz. (i) Druk PNB Bank Limited, (ii) PNB Gilts Limited, (iii) PNB Investment Services Limited and (iv) PNB Cards and Services Limited whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 27,767.78 crore as at 31 March 2024, total revenues of Rs.1,875.97 crore, and the Group's share of total net profit/(loss) after tax of Rs.105.66 crore for the year ended on that date have been audited by its respective independent auditor whose reports have been furnished to us, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

- Eight (8) domestic associates whose financial results/ statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 777.85 crore for the year ended 31 March 2024 respectively, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information has been audited by their respective independent auditors whose audit reports have been furnished, and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

- The Consolidated Financial results of the Bank for the previous year ended 31st March, 2023 were audited by the joint auditors, three of them are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial results vide report dated May 19, 2023.

9. The accompanying consolidated financial statements includes the unaudited financial results/statements and other unaudited financial information, in respect of:

   - One (01) subsidiary viz. (i) Punjab National Bank (International) Ltd. whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 8,388.94 crores as at 31 March, 2024, total revenues of Rs. 532.53 crores and share of total net profit after tax of Rs. 89.19 crores for the year ended on that date have been furnished by the management of the Bank.

   - One (01) foreign associate whose financial results/ statements include Group's share of net profit/ (loss) after tax of Rs. 45.60 crores for the year ended 31 March 2024 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information has been furnished by the management of the Bank.

- पांच (05) घरेलू सहयोगी कंपनी जिनके वित्तीय परिणाम/विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रु क्रमशः 80.57 करोड़ रुपये का कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

हमारे अभिमत में एवं निदेशक मंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में विवरण पर हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

अन्य सांविधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त 8 से 9 पैराग्राफ में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की आवश्यकतानुसार और इसके अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं किः

    ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;

    बी. बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं; और

    सी. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों को हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

    डी. हमने ऐसा कोई वित्तीय लेन–देन या मामला नहीं देखा है जिसका बैंक के कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

12. आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के अनुवर्ती पत्र के साथ पठित, 17 मार्च 2020 के पत्र क्रमांक डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 द्वारा यथा अपेक्षित, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैंः

    ए. हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं, जिस सीमा तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते हैं।

- Five (05) domestic associate whose financial results/statements include Group's share of net profit/(loss) after tax of Rs. 80.57 crores for the year ended 31 March 2024 respectively, as considered in the Consolidated Financial Statements whose financial results/financial statements, other financial information has been furnished by the management of the Bank.

In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Board of Directors, these financial statements/financial results / financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Statement is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 and 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;]

    b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

    c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and

    d. We have not observed any financial transaction or matter which has adverse effect on the functioning of the bank.

12. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a. In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

बी. वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसा कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी. खातों के रखरखाव और बैंक से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

ई. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समेकित वित्तीय विवरण पर लागू नहीं होता है।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

ए. हमारे अभिमत में, बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित रूप से बहियों को रखा है। जैसाकि यह हमारी उन बहियों की जांच से प्रकट होता है और हमारे द्वारा संपर्क नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं;

बी. इस रिपोर्ट द्वारा अवलोकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह की विवरणियाँ, लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाती हैं;

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा–परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है; और

डी. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जब तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होते।

b. There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualification from being a director of the bank under sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith of the Bank.

e. The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.

13. We further report that:

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 304138ई
FRN: 304138E

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार नंद किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M. No. 510708)
यूडीआईएनः 24510708BKBMPA6841
UDIN: 24510708BKBMPA6841

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M. No. 088903)
यूडीआईएनः 24088903BKGPWL3464
UDIN: 24088903BKGPWL3464

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M. No. 072738)
यूडीआईएनः 24072738BKEGTQ9787
UDIN: 24072738BKEGTQ9787

कृते एन. के. भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 000429एन
FRN: 000429N

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएनः 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार एन. के. भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M. No. 080624)
यूडीआईएनः 24080624BKEJVX8468
UDIN: 24080624BKEJVX8468

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M. No. 411219)
यूडीआईएनः 24411219BKFXEH1892
UDIN: 24411219BKFXEH1892

स्थानः नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांकः 09 मई, 2024
Date: 09 May 2024

पंजाब नैशनल बैंक–समेकित बैलेंस शीट 31 मार्च, 2024
PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2024

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
पूंजी और देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**			
पूंजी Capital	1	2202.20	2202.20
आरक्षित निधि और अधिशेष Reserves and Surplus	2	108184.53	100678.30
अल्पांश हित Minority Interest	2A	560.77	459.38
जमाराशि Deposits	3	1379225.24	1290347.07
उधार राशि Borrowings	4	72585.62	70148.62
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	35877.60	29813.37
कुल TOTAL		**1598635.96**	**1493648.94**
आस्तियां **ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	65325.13	78213.52
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	66075.06	79114.96
निवेश Investments	8	446421.27	416913.84
अग्रिम Advances	9	941762.47	837458.98
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	12347.84	12083.96
अन्य आस्तियां Other Assets	11	66704.19	69863.68
समेकन पर गुडविल Goodwill on Consolidation			
कुल TOTAL		**1598635.96**	**1493648.94**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	224540.02	645263.22
वसूली के लिए बिल Bills for Collection		36019.12	34377.60
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणिया Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

प्रबुद्ध शर्मा **Prabudh Sharma** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	मुकेश कुमार **Mukesh Kumar** सहायक महाप्रबंधक **Asstt. General Manager**	आर के खीची **R K Khichi** उप महाप्रबंधक **Deputy General Manager**	प्रवीण कुमार शर्मा **Praveen Kumar Sharma** महाप्रबंधक **General Manager**

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र
Bibhu Prasad Mahapatra
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम. परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बिनोद कुमार
Binod Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नन्द किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M.No. 072738)

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000429एन
FRN: 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M.No.080624)

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M.No. 411219)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 09 मई, 2024
Date: May 09, 2024

पंजाब नैशनल बैंक–समेकित लाभ और हानि लेखा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

PUNJAB NATIONAL BANK-CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
I. आय **I. INCOME**			
अर्जित आय Interest earned	13	109064.58	86845.29
अन्य आय Other income	14	13329.43	12239.59
कुल / TOTAL		**122394.01**	**99084.88**
II. व्यय **II. EXPENDITURE**			
अर्जित आय Interest expended	15	68534.16	51816.99
परिचालन खर्च Operating expenses	16	28808.98	24335.68
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions and contingencies		16721.96	19862.87
कुल / TOTAL		**114065.10**	**96015.54**
सहायक संस्थाओं में अर्जन का अंश (निवल) Share of earnings in Associates (net)	17	828.24	289.44
अल्पांश हित की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ / (हानि) Consolidated Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' Interest		9157.15	3358.78
घटाएं: अल्पांश हित Less : Minorities Interest		49.95	10.33
अवधि के लिए समूह का स्रोतजन्य समेकित लाभ / (हानि) **Consolidated Profit/(loss) for the period attributable to the group**		**9107.20**	**3348.45**
जोड़ें: समूह का स्रोतजन्य आगे लाया गया समेकित लाभ / (हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		3280.03	2538.54
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for Appropriation**		**12387.23**	**5886.99**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
III. विनियोजन III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Statutory Reserves		2091.66	626.80
पूंजी आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Capital Reserves		46.28	52.15
निवेश आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Investment Reserves		0.00	0.00
निवेश घट बढ़ आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Investment Fluctuation Reserves		288.95	194.74
अन्य आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Other Reserves		3935.56	767.55
आयकर के अनुसार विशेष आरक्षित निधि को अंतरित Transfer to Special Reserves as per Income Tax Act		401.56	250.00
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		1651.65	715.72
समेकित तुलन पत्र में ले जाया गया जमा शेष Balance carried over to consolidated balance sheet		3971.57	3280.03
		12387.23	**5886.99**
प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) (मूल/डाईल्युटेड) Earnings per Share (In Rs.) (Basic/ Diluted)		**8.27**	**3.04**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

प्रबुद्ध शर्मा Prabudh Sharma सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager	**मुकेश कुमार Mukesh Kumar सहायक महाप्रबंधक Asstt. General Manager**	**आर के खीची R K Khichi उप महाप्रबंधक Deputy General Manager**	**प्रवीण कुमार शर्मा Praveen Kumar Sharma महाप्रबंधक General Manager**

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र Bibhu Prasad Mahapatra कार्यपालक निदेशक Executive Director	**एम. परमशिवम M Paramasivam कार्यपालक निदेशक Executive Director**	**बिनोद कुमार Binod Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director**	**कल्याण कुमार Kalyan Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director**

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नन्द किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M.No. 072738)

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000429एन
FRN: 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M.No.080624)

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M.No. 411219)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 09 मई, 2024
Date: May 09, 2024

समेकित लेखों की अनुसूचियां (पंजाब नैशनल बैंक)
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED ACCOUNTS (PUNJAB NATIONAL BANK)

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 1 – पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital प्रत्येक रु. 2 के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 रुपये के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous year 1500,00,00,000 Equity shares of Rs. 2 each)		3000.00		3000.00
जारी एवं अभिदत्त Issued and Subscribed प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 रुपये के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each)		2202.20		2202.20
प्रदत्त Paid up प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.2 के 1101,10,15,558 इक्विटी शेयर) (Previous Year 1101,10,15,558 Equity shares of Rs. 2 each) [उपर्युक्त में प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रत्येक रु. 2 के 805,41,25,685 इक्विटी शेयर) केंद्र सरकार द्वारा धारित किए गए हैं] [The above includes 805,41,25,685 equity shares of Rs. 2 each (Previous Year 805,41,25,685 Equity shares of Rs. 2 each) held by Central Government]		2202.20		2202.20
कुल TOTAL		**2202.20**		**2202.20**
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां Statutory Reserves				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	16152.24		15525.44	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2091.66		626.80	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	0.00	**18243.90**	0.00	**16152.24**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां Capital Reserves				
ए. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि **a. Revaluation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	8455.12		7048.62	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	20.40		2113.66	
वर्ष के दौरान कटौती Deduction during the year	1.22		376.01	
घटाएँ: अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित Less: Transfer to other reserves	168.67		331.15	
(संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास के कारण) (being depreciation on revalued portion of property)		**8305.63**		**8455.12**
बी. अन्य **b. Others**				
(रु.9268.29 करोड़ की समामेलन आरक्षित निधि सहित) (including Amalgamation Reserve of Rs. 9268.29 Crores)				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	16681.51		16629.36	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	46.28	**16727.79**	52.15	**16681.51**
II ए. समेकन पर आरक्षित पूंजी (निवल) A. Capital Reserve on consolidation (Net)		**74.21**		**74.21**
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	46038.53		46038.53	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**46038.53**	-	**46038.53**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue and Other Reserves				
ए. निवेश आरक्षित निधि **a. Investment Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	386.35		386.35	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-	**386.35**	-	**386.35**
बी. निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि **b. Investment Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1635.06		1440.32	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि Add: Addition during the year	288.95	**1924.01**	194.74	**1635.06**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
सी. अन्य आरक्षित निधि **c. Other Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3513.07		1321.59	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	3933.59		1697.16	
जोड़ें: पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transfer from Revaluation Reserve	168.67		331.15	
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	-0.01	**7615.33**	163.17	**3513.07**
डी. विनिमय उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि **d. Exchange Fluctuation Reserve**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	843.52		1008.10	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि (निवल) Add: Addition during the year (Net)	11.61		95.85	
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less) : Adjustment during the year	21.87	**877.00**	-260.43	**843.52**
ई. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि **e. Special Reserve under Sec.36 (1) (viii) of Income Tax Act,1961**				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	3618.66		3368.66	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	401.56	**4020.22**	250.00	**3618.66**
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि **Balance in Profit & Loss Account**		**3971.57**		**3280.03**
कुल (I, II, III, IV और V) **Total (I, II, III, IV and V)**		**108184.53**		**100678.30**

अनुसूची 2ए – अल्पांश हित
Schedule 2A - Minority Interest

उस तिथि को अल्पांश हित जब मूल सहायक संस्था का संबंध अस्तित्व में आया Minority Interest at the date on which the parent subsidiary relationship came into existence	149.25	149.25
परवर्ती वृद्धि/कमी Subsequent increase/ decrease	411.52	310.13
तुलन पत्र की तिथि पर अल्पांश हित **Minority Interest at the date of balance sheet**	**560.77**	**459.38**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 3 – जमाराशियां SCHEDULE 3 - DEPOSITS				
ए. I मांग जमाराशियां **A. I Demand Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	3290.71		3200.55	
(ii) अन्य से From Others	70295.93	**73586.64**	72587.74	**75788.29**
II बचत बैंक जमाराशियां **Savings Banks Deposits**		**481272.10**		**465153.67**
III मियादी जमाराशियां **Term Deposits**				
(i) बैंकों से From Banks	66451.02		51083.07	
(ii) अन्य से From Others	757915.48	**824366.50**	698322.04	**749405.11**
कुल (I, II और III) TOTAL (I, II and III)		**1379225.24**		**1290347.07**
बी. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां B. (i) Deposits of branches In India		1333208.55		1251329.97
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां (ii) Deposits of branches outside India		46016.69		39017.10
कुल TOTAL (i, ii)		**1379225.24**		**1290347.07**
अनुसूची 4 – उधार राशियां SCHEDULE 4 - BORROWINGS				
I. भारत में उधार राशियां **Borrowings in India**				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India		0.00		0.00
(ii) अन्य बैंक Other Banks		2713.70		1869.36
(iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies		22793.97		23803.18
(iv) बॉण्ड (टियर–I, टियर–II, गौण ऋण सहित) Bonds (including Tier-I, Tier-II, Subordinated Debts)		36301.40		29199.40
(v) दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड Long Term Infrastructure Bonds		2800.00		2800.00
II. भारत के बाहर उधार राशियां **Borrowings outside India**		**7976.55**		**12476.68**
कुल (I और II) TOTAL (I and II)		**72585.62**		**70148.62**
उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां Secured Borrowings included in I and II above		**21464.34**		**21597.55**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. देय बिल Bills payable		3361.27		3718.85
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		0.04		0.05
III. उपचित ब्याज Interest accrued		4281.31		3451.14
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) Others (including provisions)		28234.98		22643.33
I, II, III और IV का योग TOTAL OF I, II, III and IV		**35877.60**		**29813.37**
अनुसूची 6 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. हाथ में नकदी Cash in hand (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) (including foreign currency notes)		3553.35		3735.22
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि Balance with Reserve Bank of India				
(i) चालू खाते में in Current account	61771.78		53352.30	
(ii) अन्य खातों में in Other Accounts	0.00	61771.78	21126.00	74478.30
कुल (I और II) TOTAL (I and II)		**65325.13**		**78213.52**
अनुसूची 7 – बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE				
I. भारत में In India				
(i) बैंकों में शेष राशि: Balance with Banks:				
(ए) चालू खातों में (a) In Current accounts	5.82		25.09	
(बी) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit accounts	22148.29	**22154.11**	16754.71	**16779.80**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
(ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशिः Money at Call and Short Notice:				
(क) बैंकों के पास (a) with Banks	369.17		0.00	
(बी) अन्य संस्थाओं के पास (b) with Other Institutions	22766.84	23136.01	23057.66	23057.66
कुल (i और ii) **TOTAL (i and ii)**		**45290.12**		**39837.46**
II. भारत से बाहर **II. Outside India**				
(i) चालू खातों में In Current accounts	5313.31		15405.09	
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit accounts	15388.22		23596.79	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि Money at call and short notice	83.41		275.62	
कुल (i, ii और iii) **TOTAL (i, ii and iii)**		**20784.94**		**39277.50**
समग्र जोड़ (I और II) **GRAND TOTAL (I and II)**		**66075.06**		**79114.96**
अनुसूची 8 – निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**				
I. भारत में निवेश **Investments in India in**				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities		392758.11		369306.55
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities		0.15		0.15
(iii) शेयर Shares		2843.68		3061.59
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड Debentures and Bonds		34660.68		33153.84
(v) सहयोगी संस्थाएं Associates		5502.46		4304.70
(vi) अन्य Others म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआरसीआईएल वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण–पत्र आदि। Mutual Funds, Venture Capital Funds, ARCIL Commercial Papers, Certificate of Deposits, etc.		4434.32		1452.39
I का कुल **TOTAL of I**		**440199.40**		**411279.22**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
II. भारत से बाहर निवेश **Investments outside India**		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	4518.88	4324.37
(ii) सहयोगी संस्थाएं Associates	368.72	337.22
(iii) अन्य निवेश Other investments	1334.27	973.03
II का कुल TOTAL of II	**6221.87**	**5634.62**
III. भारत में निवेश **Investments in India**		
i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of Investments	448513.51	420441.66
ii) घटाएँः मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग Less: Aggregate of provisions for depreciation	8314.11	9162.44
iii) निवल निवेश Net Investment	**440199.40**	**411279.22**
IV. भारत के बाहर निवेश **Investments outside India**		
i) निवेश का सकल मूल्य Gross value of Investments	6706.19	6126.47
ii) घटाएँ मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का कुल योग Less: Aggregate of provisions for depreciation	484.32	491.85
iii) निवल निवेश Net Investment	**6221.87**	**5634.62**
(I), (II) का समग्र जोड़ GRAND TOTAL of (I), (II)	**446421.27**	**416913.84**

अनुसूची 9 – अग्रिम

SCHEDULE 9 - ADVANCES

ए. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल **A.** i) Bills purchased and discounted	5598.88	3580.27
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती–योग्य ऋण ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	403530.45	376124.54
iii) मियादी ऋण iii) Term loans	532633.14	457754.17
कुल (i, ii तथा iii)* Total (i, ii and iii)*	**941762.47**	**837458.98**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत **B.** Secured by tangible assets (इनमें बही ऋणों पर दिए गए अग्रिम शामिल हैं) (including advances against book debts)	694883.24	663558.23
ii) बैंक/सरकारी गारंटी Covered by Bank/Government Guarantees	32372.64	22824.73
iii) अप्रतिभूत Unsecured	214506.59	151076.02
कुल (i, ii और iii) Total (i, ii and iii)	**941762.47**	**837458.98**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
सी.(I) भारत में अग्रिम **C.(I)** Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority sector	257461.03	238476.44
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public sector	161112.74	166389.08
iii) बैंक Banks	4.05	0.00
iv) अन्य Others	476215.94	393261.26
कुल (i, ii, iii और iv) Total (i, ii, iii and iv)	**894793.76**	**798126.78**
सी. (II) भारत के बाहर अग्रिम **C. (II) Advances outside India**		
i) बैंकों से प्राप्य Due from banks	18280.41	15055.54
ii) अन्य से प्राप्य Due from others		
(ए) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	1563.61	676.19
(बी) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	12371.80	11068.44
(सी) अन्य (c) Others	14752.89	12532.03
कुल (i और ii) **Total (i and ii)**	**46968.71**	**39332.20**
सी (i) और सी (ii) का कुल योग **GRAND TOTAL of C (I) and C (II)**	**941762.47**	**837458.98**

**प्रावधानों के सुविधा–वार वर्गीकरण को फिर से व्यवस्थित किया गया है। तदनुसार, पिछले वर्ष के आंकड़ों को कुल अग्रिमों में कोई बदलाव किए बिना पुनः समूहीकृत किया गया है।*
**The facility-wise categorization of provisions has been realigned. Accordingly, previous year's figures have been regrouped without any change in total of advances.*

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 10 – अचल आस्तियां				
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर				
I. Premises				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	12093.04		10505.91	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	109.39		25.84	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.97		176.35	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन Revaluation during the year	19.18		1737.65	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	2031.85	**10188.79**	1808.67	**10284.37**
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)				
II. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	9867.23		9217.64	
विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन Revaluation due to exchange rate fluctuation	2.42		0.00	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	946.40		661.18	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	13.31		11.58	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	8849.33	**1953.41**	8266.57	**1600.66**
IIए. पट्टे वाली आस्तियां				
IIA. Leased Assets				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	25.33		25.33	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	0.00		0.00	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	0.00		0.00	
अब तक मूल्यह्रास Depreciation to date	25.30	**0.03**	25.29	**0.04**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को As on 31.03.2024		31.03.2023 को As on 31.03.2023
IIबी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
IIB. Computer Software				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर At Cost as on 31st March of preceeding year	1287.72		1233.94	
विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यन Revaluation due to exchange rate fluctuation	0.80		0.00	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	119.21		53.78	
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	11.76		0.00	
वर्ष के दौरान समायोजन Adjustment during the year	0.79		0.00	
आज तक परिशोधित Amortised to date	1189.57	**205.61**	1088.84	**198.89**
I, II, IIए, IIबी का योग **TOTAL OF I, II, IIA, IIB**		**12347.84**		**12083.96**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) Inter office adjustment (Net)	0.00	0.00
II. उपचित ब्याज Interest accrued	12061.67	9107.22
III. अग्रिम अदा किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	11061.89	13171.92
IV. स्टेशनरी और स्टांप Stationery and stamps	8.11	6.43
V. दावों के निपटन से प्राप्य गैर–बैंकिंग आस्तियां Non banking assets acquired in satisfaction of claims	26.45	26.45
VI. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax asset (net)	22955.42	23973.49
VII. अन्य Others	20590.65	23578.17
I, II, III, IV, V, VI और VII का योग **TOTAL of I, II, III, IV, V, VI and VII**	**66704.19**	**69863.68**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2024 को As on 31.03.2024	31.03.2023 को As on 31.03.2023
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. (i) बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है		
(i) Claims against the bank not acknowledged as debts	771.35	814.56
(ii) अपील, संदर्भों आदि के अधीन विवादित आयकर व ब्याज कर मांग		
(ii) Disputed income tax and interest tax demands under appeal, references, etc.	7373.97	8691.13
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		
Liability for partly paid investments	209.36	252.56
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता		
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	133554.22	558916.88
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटी		
Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में		
(a) In India	54647.36	49507.22
(ख) भारत के बाहर		
(b) Outside India	4308.96	4644.20
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		
Acceptance, Endorsements and Other obligations	18175.49	16846.81
VI. ऐसी अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
Other items for which the Bank is contingently liable	5499.31	5589.86
कुल (I, II, III, IV, V तथा VI)		
TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)	**224540.02**	**645263.22**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज **SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED**				
I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट Interest/discount on advances/bills		76515.79		57741.67
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित) Income on Investments (including dividends)		29187.14		26401.79
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष और अंतर–बैंक निधियों पर ब्याज Intt on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds		2822.85		1909.98
IV. अन्य Others		538.80		791.85
कुल (I, II, III तथा IV) **TOTAL (I, II, III and IV)**		**109064.58**		**86845.29**
अनुसूची 14 – अन्य आय **SCHEDULE 14 - OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage		4250.84		3952.93
II. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ घटाएँ: भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Profit on sale of land, buildings and other assets	7.06		15.61	
Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	0.40	6.66	13.03	2.58
III. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन पर लाभ घटाएँ: विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन पर हानि Profit on exchange transaction	504.99		875.65	
Less: Loss on exchange transaction	32.22	472.77	60.29	815.37
IV. निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि Profit on sale of investments (net)	1411.54		1137.77	
Less: Loss on sale of investments	134.07	1277.47	356.68	781.09
V. निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यन पर हानि Profit on revaluation of investments	1668.81		545.45	
Less: Loss on revaluation of investments	2331.37	-662.56	2339.43	-1793.98
VI. विविध आय Miscellaneous Income		7984.25		8481.61
कुल (I, II, III, IV, V और VI) TOTAL (I, II, III, IV, V and VI)		**13329.43**		**12239.59**
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**				
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits		62607.49		47018.04
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर–बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings		1289.86		1149.32
III. अन्य Others		4636.81		3649.63
कुल (I, II तथा III) TOTAL (I, II and III)		**68534.16**		**51816.99**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय				
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees		18643.24		14942.59
II. किराया, कर और बिजली व्यवस्था Rent, taxes and lighting		1342.05		1334.41
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery		171.66		160.74
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity		94.47		99.40
V. (ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (a) Depreciation on bank's property other than leased assets	905.60		904.87	
(बी) पट्टे पर दी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased assets	0.00	905.60	0.00	904.87
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses		3.39		3.08
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)		51.20		47.62
VIII. विधि प्रभार Law charges		162.69		137.59
IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि। Postage, telegrams, telephones, etc.		336.19		335.33
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and Maintenance		808.02		786.72
XI. बीमा Insurance		1700.17		1552.84
XII. अन्य व्यय Other expenditure		4590.30		4030.49
I से XII तक का कुल जोड़ TOTAL of I to XII		**28808.98**		**24335.68**
अनुसूची 17 – सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा				
SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS/LOSS IN ASSOCIATES				
(ए) भारत में सहयोगी संस्थाओं में आय का हिस्सा (a) Share of Earnings in Associates in India		782.64		244.89
(बी) भारत के बाहर सहयोगी संस्थाओं में आय का हिस्सा (b) Share of Earnings in Associates outside India		45.60		44.55
(ए और बी) का योग TOTAL of (a and b)		**828.24**		**289.44**

अनुसूची 18 – समेकित वित्तीय विवरणियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार:

समेकित वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और समस्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू संविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र तथा दिशानिर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, लेखांकन मानदण्ड (एएस) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ज्ञापन व भारत में बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रथाएं भी शामिल हैं।

विदेशी इकाइयों के संबंध में अन्यत्र विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संबंधित विदेशी राष्ट्रों में लागू सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया है।

वित्तीय विवरणियों को उपार्जित अवधारणा के साथ कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार तथा निरंतर अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो।

अनुमानों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में किए गए अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकसम्मत और तर्कसंगत हैं।

भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित हुए हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।

2. समेकन प्रक्रिया:

समनुषंगियां

i) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
iv) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यू.के.
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड, भूटान

सहयोगी कंपनियां:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाखिस्तान**
iv) केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

SCHEDULE 18 : CONSOLIDATED FINANCIAL

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION:

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Companies Act, 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

In respect of foreign entities, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with except as specified elsewhere.

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

USE OF ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Future results could differ from these estimates.

Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. CONSOLIDATION PROCEDURES:

Subsidiaries

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Company Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.

v) इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
vi) एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

**पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में रु. 700.48 के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।*

***एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस 18.09.2020 को रद्द कर दिया तथा यह परिसमापन की प्रक्रिया में है।*

2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां (ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार 5 अनुषंगियां और 15 सहायक कंपनियां सम्मिलित हैं) निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई हैं:

i. पंजाब नैशनल बैंक (मूल/बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां,

ii. लेखा मानक 21 के अनुसार, मूल बैंक की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की मदों अर्थात आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों को परस्पर पंक्ति दर पंक्ति एकत्रित करते हुए तथा महत्वपूर्ण अंतः शेषों समूह/लेन–देनों को हटाकर, उनके प्रबंधन द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात तथा जहां कहीं जरुरी था वहां समान लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन करने के पश्चात तैयार किए गए हैं। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल बैंक की रेपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2023 को ही तैयार किए जाते हैं।

iii. विदेशी अनुषंगियों का विदेशी मुद्रा अंतरण निम्न आधार पर किया गया है:

(i) आय व व्यय – अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत दरों पर।

(ii) आस्तियां व देयताएं – रिपोर्टिंग तिथि को लागू दरों पर विदेशी मुद्रा अंतरण के परिणामस्वरूप आय अंतर चाहे वह लाभ अथवा हानि हो, प्रारक्षितियों और अधिशेष विदेशी मुद्रा अंतरण रिज़र्व – के अधीन सम्मिलित किया गया है।

(iii) जहां मताधिकार शक्ति में समूह का 20% या इससे अधिक अंश है, वहां सहायक संस्थाओं में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक–23 के अनुसार इक्विटी पद्धति द्वारा किया गया है।

2.2 अनुषंगियों में इसके निवेश के समूह की लागत तथा समूह के अनुषंगियों की इक्विटी के भाग के बीच के अंतर को साख/पूंजी आरक्षित निधि माना गया है।

2.3 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित में निम्नलिखित शामिल हैं:

v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

**PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.*

***AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.*

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 5 Subsidiaries and 15 Associates as per detail given above) have been prepared on the basis of:

i. Audited financial statements of Punjab National Bank (Parent/ the Bank),

ii. As per AS 21, line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments, wherever required, to conform to uniform accounting policies, based on data received from these subsidiaries, duly Audited/ certified by their Management. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. March 31, 2023.

iii. Foreign currency translation of overseas subsidiaries has been done as under:

(i) Income and Expenditure - at weighted average rates prevailing during the period.

(ii) Assets and Liabilities - at rates applicable at reporting date.

The resultant foreign currency translation difference, whether gain or loss, has been included under Reserves and Surplus - Foreign Currency Translation Reserve.

(iii) Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power, have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as Goodwill/Capital Reserve.

2.3 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

ए) अनुषंगी में जिस तिथि को निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश हित को देय इक्विटी की राशि; तथा

बी) मूल बैंक–समनुषंगी के मध्य समन्वय होने की तिथि से इक्विटी शेयर के परिचालनों में अल्पांश शेयर।

मूल बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 आय और व्यय (पैरा 3.5 में संदर्भित मदों से भिन्न) को सामान्यतः उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

3.2 अग्रिमों और निवेशों को शामिल करते हुए गैर–अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की आय का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देशों के विनियामकों (जिसे इसके पश्चात समेकित रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के पश्चात किया गया है।

3.3 प्राथमिकता के क्रम में वसूली के विनियोजन का तरीका इस प्रकार होगा:

(ए) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन (वसूली कार्रवाई के तरीके/स्थिति/चरण पर विचार किए बिना)निम्न प्राथमिकता के क्रम में विनियमित किया जाएगा:

i. वसूली के लिए किया गया व्यय/फुटकर खर्च (पूर्व में ज्ञापन देयों में रिकॉर्ड किए गए)

ii. इसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपार्जित ब्याज के लिए।

iii. प्रमुख अनियमितताएं अर्थात खाते में एनपीए बकाया।

स्पष्टीकरण:

उन उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एकाधिक खाते हैं – एक खाते में वसूली प्राप्त करने पर सिस्टम उसी खाते के व्यय, दर्ज ब्याज और मूलधन के बकाया के लिए वसूली को विनियोजित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, उसी ग्राहक के लिए दूसरे खाते के व्यय, दर्ज ब्याज और मूलधन का ध्यान रखती है।

(बी) हालाँकि, एनसीएलटी के माध्यम से किए जाने वाले समझौते और समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से राइट ऑफ (टीडब्लूओ) और सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी/जीईसीएल/सीजीएमएफयू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, प्रभारों और ब्याज के लिए विनियोजित किया जाएगा।

(सी) वाद दायर /डिक्री वाले खातों के मामले में, वसूली निम्नानुसार विनियोजित की जाएगी: –

i. संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार।

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) में उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त में किसी भी प्रकार की विसंगतियों पर एचओसीएसी–III (एचओसीएसी–III तक की विभिन्न समितियों की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए) और प्रबंधन समिति द्वारा निहित शक्तियों के अंतर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made; and

b) The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT:

3. REVENUE RECOGNITION:

3.1 Income & expenditure (other than items referred to in paragraph 3.5) are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Income from Non- Performing Assets (NPAs), comprising of advances and investments, is recognized upon realization, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in the case of foreign offices (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities).

3.3 Mode of appropriation of recovery in order of priority will be as below:

(a) Appropriation of Recoveries in NPA accounts (irrespective of the mode / status / stage of recovery actions) shall be regulated in the following order of priority:

i. Expenditure/Out of Pocket Expenses incurred for Recovery (earlier recorded in Memorandum Dues)

ii. Thereafter towards the interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account.

Clarification:

In case of borrowers who are having multiple accounts - On receiving recovery in one account system appropriates recovery towards Expenditure, Recorded Interest and Principal outstanding of same account. Further, surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Recorded Interest and Principal outstanding of another account for same Customer.

(b) However, in case of Compromise, Resolution/Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE/ECGC/GECL/CGMFU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and interest.

(c) In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under: -

i. As per the directives of the concerned Court.

ii. In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point (a) above.

Any exceptions to the above may be considered by HOCAC-III (for proposals falling under the powers of various committee's up to HOCAC-III & Management Committee for proposals under its vested powers.

3.4 एनपीए की बिक्री, को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा पैरा 5.3 के अंतर्गत जैसा निर्धारित है, लेखांकित किया जाता है।

3.5 कमीशन (सरकारी कारोबार, बीमा कारोबार, म्यूचुअल फंड कारोबार, साख पत्र और बैंक गारंटी को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और 'व्यापार' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय वसूली और बीमा दावों को निपटान पर लेखांकित किया जाता है। अतिदेय देशी बिलों पर ब्याज की वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है और अतिदेय विदेशी बिल पर ब्याज को उसके क्रिस्टलीकरण होने तक क्रिस्टलीकरण पर तथा उसके बाद वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है।

3.6 वाद दाखिल खातों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य खर्चे लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किए जाते हैं और इनकी वसूली होने पर, उनकी गणना तदनुसार की जाती है।

3.7 आयकर के रिफंड पर ब्याज से होने वाली आय को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

3.8 परिचालनगत पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए वृद्धि लागत सहित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के ऊपर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

3.9 क्रेडिट कार्डों पर रिवार्ड प्वाइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया प्वाइंटों पर आधारित है।

3.10 मीयादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू होगा।

3.11 लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) की गणना लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश की गणना की जाती है।

4. निवेश:

4.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन 'निपटान तिथि' को दर्ज किया जाता है।

4.2 निवेशों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए में यथानिर्दिष्ट निवेश को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(ए) बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

(बी) बैंक द्वारा अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर उतार–चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार हेतु रखे जाने की मंशा से अर्जित प्रतिभूतियों को 'व्यापार हेतु धारित' निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

(सी) जो प्रतिभूतियां, उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं, उन्हें 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

3.4 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI and as disclosed under Para 5.3.

3.5 Commission (excluding on Government Business, Insurance Business, Mutual Fund Business, Letter of Credit and Bank Guarantee), exchange, locker rent and Income on Rupee Derivatives designated as 'Trading' are accounted for on realization and insurance claims are accounted for on settlement. Interest on overdue inland bills is accounted for on realization and interest on overdue foreign bill, till its crystallization is accounted for on crystallization and thereafter on realization.

3.6 In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery, the same are accounted for as such.

3.7 Income from interest on refund of income tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

3.8 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

3.9 Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

3.10 If Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank attracts rate of interest as applicable to savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower.

3.11 Dividend (excluding Interim Dividend) is accounted for as and when the right to receive the dividend is established.

4. INVESTMENTS:

4.1 The transactions in Securities are recorded on 'Settlement Date'.

4.2 Investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4.3 Investments have been categorized into 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading' in terms of RBI guidelines as under:

(a) Securities acquired by the Bank with an intention to hold till maturity are classified under 'Held to Maturity'.

(b) The securities acquired by the Bank with an intention to trade by taking advantages of short-term price/ interest rate movements are classified under 'Held for Trading'.

(c) The securities, which do not fall within the above two categories, are classified under 'Available for Sale'.

4.4 समनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.5 प्रतिभूतियों का अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है।

बशर्ते कि जहां अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से अधिक हो, मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, प्रतिभूति पर रखे गए मूल्यह्रास के प्रावधान (अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो, सहित) को बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने हेतु समायोजित किया जाएगा और प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाएगा।

हालाँकि, प्रतिभूतियों का एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के पश्चात, ये प्रतिभूतियां तुरंत पुनर्मूल्यांकित की जाती है और परिणाम स्वरुप मूल्यह्रास, यदि कोई है, प्रदान किया जाता है।

4.6 किसी निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:

(ए) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में संदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) इत्यादि प्रारंभिक राजस्व व्ययों के रूप में माना गया है तथा लागत से बाहर रखा गया है।

(बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज, अर्थात खंडित अवधि के लिए ब्याज अधिग्रहण लागत/बिक्री के प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसकी गणना उपचित ब्याज में की गई है, न की देय में।

(सी) निवेशों की सभी श्रेणियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.7 निवेश का मूल्यांकन आरबीआई/एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशोंनुसार, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

परिपक्वता तक धारित

(i) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अधीन निवेशों को अर्जन लागत पर लिया गया है।

जहां कहीं अंकित मूल्य/प्रतिदान मूल्य से बही मूल्य अधिक हो तो, प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऐसे प्रीमियम परिशोधन को 'निवेशों पर आय' शीर्षक के अंतर्गत अर्जित ब्याज में कटौती के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

(ii) अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश का मूल्यांकन, अस्थायी निवेश से भिन्न प्रत्येक व्यक्तिगत निवेशों की प्रकृति में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत में से ह्रास हटाकर किया गया है।

(iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(iv) उद्यम पूंजी में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

(v) एचटीएम श्रेणी में रखे गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है।

4.4 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

4.5 Transfer of securities from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value.

Provided that where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation shall be ignored, and the security shall be transferred at the book value.

Provided further that in cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.

However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

4.6 In determining acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT), etc., paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses upfront and excluded from cost.

(b) Interest accrued up to the date of acquisition/sale of securities, i.e., broken- period interest is excluded from the acquisition cost/sale consideration and the same is accounted as interest accrued but not due.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for all categories of investments.

4.7 Investments are valued as per RBI/ FIMMDA guidelines, on the following basis:

Held to Maturity

(i) Investments under 'Held to Maturity' category are carried at acquisition cost.

Wherever the book value is higher than the face value/ redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity on straight line basis. Such amortization of premium is reflected in Interest Earned under the head 'Income on investments' as a deduction.

(ii) Investments in subsidiaries/joint ventures/associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature for each investment individually.

(iii) Investments in sponsored regional rural banks are valued at carrying cost.

(iv) Investment in Venture Capital is valued at carrying cost.

(v) Equity shares held in HTM category are valued at carrying cost.

बिक्री हेतु उपलब्ध एवं व्यापार हेतु धारितः

ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	
	I. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा यथा प्रकाशित बाजार मूल्यों/परिपक्वता प्रतिफल।
	II. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
(बी)	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
(सी)	ट्रेजरी बिल	रखाव लागत पर
(डी)	इक्विटी शेयर	बाजार मूल्य, यदि कोट किया गया हो तो, अन्यथा नवीनतम तुलन पत्र (जिस तारीख को नवीनतम तुलन पत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होगी) के अनुसार शेयरों के ब्रेक–अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु.1/– पर।
(ई)	अधिमानी शेयर	बाजार मूल्य, यदि कोट किया गया हो तो, अन्यथा आरबीआई/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर किंतु प्रतिदान मूल्य से अधिक नहीं।
(एफ)	बॉण्ड और डिबेंचर (अग्रिमों की प्रकृति के नहीं)	बाजार मूल्य, यदि कोट किया गया हो तो, अन्यथा आरबीआई/एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
(जी)	म्यूचुअल फंडों के यूनिट	यदि कोट किया गया हो तो स्टॉक एक्सचेंज के भाव अनुसार और यदि कोट नहीं किया गया हो तो पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर।
(एच)	वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
(आई)	जमा प्रमाणपत्र	रखाव लागत पर
(जे)	प्रतिभूति रसीदें	एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) द्वारा जारी एसआर (प्रतिभूति रसीदें)/अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को समय–समय पर ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके मूल्यांकित किया जाएगा।
		एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और अंतरित दबावग्रस्त ऋण के निवल बही मूल्य (एनबीवी) के कम होने पर बैंक अपने खाते में निवेश को निरंतर आधार पर तब तक ले जाएगा जब तक कि इसका अंतरण या इसकी प्राप्ति नहीं हो जाती।
		यदि अंतरणकर्ता (बैंक) द्वारा अंतरित ऋणों पर जारी एसआर में निवेश अंतरित आस्ति पर जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बहियों पर एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम होगा :
		i) ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी); और
		ii) यदि बैंक की बही में ऋण जारी था, तो एसआर का अंकित मूल्य लागू अनुमानित प्रावधान दर से घटा दिया गया था।
(के)	उद्यम पूंजी निधियां	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर।
(एल)	अन्य निवेश	मूल्य ह्रास को घटाकर रखाव लागत पर।

Available for Sale and Held for Trading:

(a)	Govt. Securities	
	I. Central Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL).
	II. State Govt. Securities	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
(c)	Treasury Bills	At carrying cost
(d)	Equity shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet. (The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise at Re.1 per company.
(e)	Preference shares	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
(f)	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
(g)	Units of mutual funds	As per stock exchange quotation, if quoted; at repurchase price/NAV, if unquoted.
(h)	Commercial Paper	At carrying cost.
(i)	Certificate of Deposits	At carrying cost.
(j)	Security receipts	Investments by lenders in SRs (Security Receipts) / other securities issued by ARCs (Asset Reconstruction Companies) shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.
		The Bank shall carry the investment in its books, on an ongoing basis until its transfer or its realization, at lower of redemption value of SRs arrived based on NAV, and the Net Book Value (NBV) of the transferred stressed loan at the time of transfer.
		If the investment by the transferor (Bank) in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following:
		i) Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments; and
		ii) Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the bank.
(k)	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF.
(l)	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन प्रत्येक स्क्रिप के लिए अलग–अलग तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि की जाती है। यदि निवल मूल्यह्रास है तो प्रत्येक वर्गीकरण के लिए प्रावधान किया जाता है जबकि निवल वृद्धि नहीं दर्शायी जाती। मूल्यह्रास के प्रावधान पर, व्यक्तिगत प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार हेतु चिन्हित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहता है।

प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को श्रेणी (एचटीएम एवं एएफएस) पर ध्यान दिए बिना रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

4.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के एनपीआई वर्गीकरण के विवेकी मानदंडों के अनुरूप निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय अमान्यीकरण के अधीन हैं। अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में वृद्धि के समक्ष समंजन (सेट ऑफ) नहीं किया गया है।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा बैंक की बही में एनपीए है, तो उसी इकाई द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश एनपीआई के रूप में और इसके विलोमतः माना जाएगा। हालांकि एनपीआई अधिमानी शेयरों के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। वहां तदनुरुपी ऋण सुविधा को एनपीए नहीं माना जाएगा।

प्रतिभूतियों, अर्थात् बॉण्ड, डिबेंचर आदि के मामले में, जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, प्रावधान वाईटीएम (YTM) या आईआरएसी (IRAC) मानदंडों के आधार पर किया गया है।

4.9 किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ व हानि लेखे में ले जाया जाता है, किंतु 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री से हुए लाभ के मामले में, उसके बराबर की राशि (टैक्स घटाकर और सांविधिक रिज़र्व में अंतरित की जाने वाली राशि) 'पूंजी प्रारक्षित निधि' खाते में विनियोजित की जाती है।

एएफएस और एचएफटी श्रेणी में निवेश के मोचन पर लाभ या हानि, अर्जित ब्याज आय जमा/कटौती के रूप में, निवेश पर अर्जित ब्याज आय में परिलक्षित होता है।

4.10 पुनर्खरीद व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय की गई प्रतिभूतियों को उनकी मूल लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

4.11 रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची व खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार व उधारी लेन–देनों के तौर पर हिसाब में लिया जाता है। हालाँकि, सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेन–देन के मामले में प्रतिभूतियों को अंतरित किया जाता है तथा प्रतिभूतियों की ऐसा संचालन रेपो/रिवर्स रेपो खातों का प्रयोग करके और प्रति प्रविष्टियों में प्रदर्शित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तिथि पर उलट दी जाती हैं। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में हिसाब में लिया जाता है। रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

4.12 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन–देन अथवा व्यापार अथवा प्रतिरक्षा के प्रयोजन से किए गए हैं। व्यापारिक लेन–देन बाजार मूल्य पर है। आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का निम्नवत मूल्यन किया गया है:

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

Investments in sponsored regional rural banks shall be valued at carrying cost irrespective of Category (HTM & AFS).

4.8 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/ provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

In case of securities, i.e., bonds, debentures, etc., where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

4.9 Profit or loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss account but, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount transferred to Statutory Reserve) is appropriated to 'Capital Reserve Account', at year end.

Profit or loss on redemption of investments in AFS & HFT category is reflected in interest earned income on investments, as an addition/deduction from interest income earned.

4.10 Securities repurchased/resold under buy back arrangement are accounted for at original cost.

4.11 The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under schedule 4 (Borrowings).

4.12 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

हेज स्वैप्स

ब्याज दर जो हेज ब्याज वाहक आस्ति अथवा देयता की अदला–बदली करती है, को उपार्जित आधार पर लेखांकित किया जाता है, किसी आस्ति अथवा देयता के साथ अभिहित अदलाबदली को छोड़कर जो वित्तीय विवरणी में बाजार मूल्य अथवा कम कीमत पर लिया जाता है।

स्वैप की समाप्ति पर लाभ व हानियों की अदलाबदली को बकाया संविदागत अवधि अथवा आस्ति/देयताओं की शेष अवधि में से कम निर्धारित किया जाता है।

ट्रेडिंग स्वैप

व्यापारिक स्वैप का लेनदेन वित्तीय विवरणियों में रिकॉर्ड किए गए परिवर्तनों सहित बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है।

व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रविष्ट किए गए विनिमय व्यापारिक व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) विनिमय द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दर पर मूल्यांकित किया जाता है और प्राप्त लाभों एवं हानियों को लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है।

4.13 विदेशी मुद्रा विकल्पः

अन्य बैंक के साथ बैक–टू–बैक अनुबंध के रूप में बैंक द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा विकल्प बाजार मूल्य पर नहीं हैं, क्योंकि इसमें बाजार जोखिम नहीं है।

प्राप्त प्रीमियम को दायित्व के रूप में रखा जाता है और परिपक्वता/निरस्तीकरण पर लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

5. ऋण/अग्रिम और इसके लिए प्रावधानः

5.1 अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में किया जाता है और उनके लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

(ए) अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदेहास्पद एवं हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को घटाकर उल्लेखित है।

5.2 विदेशी कार्यालयों के संबंध में, ऋणों एवं अग्रिमों का वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानकों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

विदेशी शाखाओं में रखे ऋण एवं अग्रिमों जो वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों के लिए मेजबान देश के विनियमों के अनुसार हानि के रूप में चिह्नित हैं, किंतु जो आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक हैं, मेजबान देश में मौजूदा बकाया राशि को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

5.3 बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार माना गया हैः

(ए) एआरसी में अंतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडः

जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी में अंतरित किया जाता है, तो बैंक उस वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखे में कमी को डेबिट कर देता है जिसमें अंतरण हुआ है। जब अंतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है तो बैंकों को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए कांउटरसाइकिल या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति होती है।

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at lower of market value or cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

Trading Swaps

Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

4.13 Foreign Currency Options:

Foreign currency options written by the Bank with a back-to-back contract with another bank are not marked to market since there is no market risk.

Premium received is held as a liability and transferred to the Profit and Loss Account on maturity/cancellation.

5. LOANS / ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets; provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by RBI.

(a) Advances are classified: Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

(b) Advances are stated net of specific loan loss provisions, provision for diminution in fair value of restructured advances.

5.2 In respect of foreign offices, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

Loans and advances held at the overseas branches that are identified as impaired as per host country regulations for reasons other than record of recovery, but which are standard as per the extant RBI guidelines, are classified as NPAs to the extent of amount outstanding in the host country.

5.3 Financial Assets sold are recognized as under:

(a) Prudential norms for the transfer transactions to ARCs:

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, the Bank has debited the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

दूसरी ओर, जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी में अंतरित किया जाता है, तो ऋणदाता राशि प्राप्त होने के वर्ष में लाभ व हानि लेखे में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्ति कर देंगे और केवल जब प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन या प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)/एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, इस तरह का रिवर्सल उस सीमा तक सीमित है जहां तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक हो जाती है।

(बी) एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरण लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रावधान मानदंडः

i. जब बैंक अपने एनपीए को एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरितियों को अंतरित करता है, तो संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर उसे बहियों से हटा दिया जाता है।

ii. यदि एआरसी के अलावा अन्य अंतरिती(यों) को अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम कीमत पर होता है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखे में डेबिट किया जाता है जिसमें अंतरण हुआ है।

iii. यदि बिक्री प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी (NBV) से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान वापस ले लिया जाता है।

(सी) ज्ञापन बकाया के अतिरिक्त प्राप्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को ऋण और अग्रिम पर आय ब्याज के संबंधित शीर्षों में आनुपातिक रूप से जमा किया जाता है, जैसे कि सीसी/ सावधि ऋण पर आय ब्याज, आदि।

यदि अतिरिक्त राशि बाद में, उदाहरणार्थ डी.आर.टी./न्यायालय के आदेश या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण वापस की जानी हो, तो वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उसी शीर्ष को डेबिट किया जाता है।

5.4 पुनर्गठित आस्तियांः

अग्रिमों के पुर्नसंरचना/पुनःनिर्धारण के मामले में आरबीआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को उन खातों के लिए आरबीआई के दिशनिर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य शर्तों पर मापा जाता है जहां बैंक को कुल देय राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक के कुल जोखिम के 5% पर की जाती है।

5.5 एनपीए पर वर्गीकृत प्रावधानों के अतिरिक्त, आरबीआई के मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान – अन्य' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है और निवल एनपीए निकालने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

5.6 पूर्व वर्षों में बट्टे खाते में ऋणों पर वसूल की गई राशि और प्रावधानों को उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्यों में विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है और इसे लाभ और हानि लेखे में लिया जाता है।

On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal are limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer"

(b) Prudential norms for the transfer transactions to transferee(s) other than ARCs - Provisioning norms:

i. When the bank transfers its NPAs to transferee(s) other than ARCs, the same are removed from the books on receipt of the entire transfer consideration.

ii. If the transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

iii. If the sale consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions has been reversed.

(c) The excess amount received, if any, over & above memoranda dues is credited proportionately to the respective heads of Income Interest on Loans and Advances say Income Interest on CC/ Term Loan, etc.

In case, the excess amount is to be returned subsequently due to, e.g., DRT/Court orders or any other eventuality, the same head is debited to refund the excess amount recovered.

5.4 Restructured Assets:

For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with guidelines issued by RBI from time to time. Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to the bank are Rupees One Crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI guidelines.

5.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head 'Other Liabilities & Provisions – Others' and are not considered for arriving at the Net NPAs.

5.6 Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized in the profit and loss account.

5.7 किसी देश में एक्सपोज़र के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, किसी देश के एक्सपोज़रों (अपने देश के अलावा अन्य) के लिए भी प्रावधान किया गया है। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में अर्थात् मामूली, कम, कम मध्यम, मध्यम, मध्यम उच्च, उच्च और बहुत उच्च, में वर्गीकृत किया गया है और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक देश के मामले में यदि बैंक का देश एक्सपोज़र (निवल) कुल वित्त पोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश एक्सपोज़र में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान – अन्य' के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

5.8 भारतीय कंपनियों की अनुषंगी संस्थाओं के सभी एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करने वाली मानक आस्ति बनाने के विरुद्ध 2% का एक अतिरिक्त प्रावधान (सभी ओवरसीज एक्सपोज़रों पर लागू देश जोखिम के अतिरिक्त) ताकि ढ़ांचे की जटिलता होने से उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम को कवर किया जा सके, विभिन्न क्षेत्राधिकार में विभिन्न मध्यवती संस्थाओं की अवस्थिति होने से भारतीय कंपनी और उससे काफी हद तक राजनैतिक और विनियामक जोखिम के लिए बैंक एक्सपोज़र हो सकता है। (आरबीआई परि.सं. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार)।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

6.1 जिन परिसरों का पुनर्मूल्यांकन हो चुका है उन्हें छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनकी परंपरागत लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन को घटाकर दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास को उसमें से कम कर दिया जाता है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत कर अमूर्त आस्तियों के साथ जोड़ दिया गया है।

6.3 खरीददारी की लागत सहित सभी खर्चे जैसे साइट की तैयारी, संस्थापना लागत, पूंजीकरण के समय तक आस्ति पर खर्च किए गए पेशेवर शुल्क शामिल हैं। आस्तियों पर खर्च किए गए परिवर्ती खर्चे केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है।

6.4 मूल्यह्रास:

ए. आस्तियों (भूमि सहित जहां कीमत अलग न की जा सकती हो) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान आस्ति की प्रत्याशित अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है। कंप्यूटरों को छोड़कर जहां इसकी गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी–रेखा पद्धति से की जाती है।

5.7 Provision for Country Exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the 'Other Liabilities & Provisions – Others'.

5.8 An additional provision of 2% (in addition to country risk provision that is applicable to all overseas exposures) against standard assets representing all exposures to step down subsidiaries of Indian Corporates has been made to cover the additional risk arising from complexity in the structure, location of different intermediary entities in different jurisdictions exposing the Indian Company, and hence the Bank, to a greater political and regulatory risk. (As per RBI Cir.No. RBI/ 2015.16/279 DBR. IBD.BC No. 68/ 23.37.001/ 2015-16 dated 31.12.2015).

6. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT:

6.1 Property, Plant & Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortization, wherever applicable, except those premises, which have been revalued. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from.

6.2 Software is capitalized and clubbed under Intangible assets.

6.3 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization. Subsequent expenditure/s incurred on the assets are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.4 Depreciation:

A. Depreciation on assets (including land where value is not separable) is provided on straight-line method based on estimated life of the asset, except in respect of computers where it is calculated on the straight-line method, at the rates prescribed by RBI.

बी. ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया है:–

विवरण	मूल्यह्रास की दर
परिसर	
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड)	
भूमि	शून्य
निर्माण लागत पर प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास पर जहां भूमि की लागत को अलग किया जाता है और कुल लागत पर जहां भूमि की लागत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और उसे अलग नहीं किया जा सकता।	2.50% (40 वर्ष सीधी रेखा विधि या शेष अवधि जो भी कम हो)
बेमियादी पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख नहीं है	शून्य
पट्टे पर ली गई भूमि जहां पट्टे की अवधि का उल्लेख है	पट्टे की अवधि पर
भवन	
फ्री होल्ड भूमि और पट्टे की भूमि पर निर्मित, जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से अधिक है	2.50%
पट्टे की भूमि पर निर्मित जहां पट्टे की अवधि 40 वर्ष से कम है	पट्टे की अवधि पर
परिसर के अतिरिक्त अचल आस्तियां	
फर्नीचर और फिक्स्चर– स्टील की वस्तुएं	5.00%
फर्नीचर और फिक्स्चर–लकड़ी की वस्तुएं	10.00%
गद्दे	20.00%
मोबाइल फ़ोन उपकरण	33.33%
मशीनरी, बिजली की और विविध वस्तुएं	15.00%
मोटर कारें और साइकिलें	15.00%
कंप्यूटर, एटीएम और संबंधित वस्तुएं, लैपटॉप, आईपैड, आदि, सर्वर, नेटवर्क, उपकरण और स्वचालित टेलर मशीनें (कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंश सॉफ्टवेयर सहित)	33.33%

कार्यालय अचल आस्तियों की वे वस्तुएं जिनकी कीमत 25,000/– रुपये से कम है और/या जिनकी उपयोगी अवधि अधिग्रहण की तिथि से 12 महीने से कम है, उन्हें व्यय के रूप में माना जाता (कर्मचारियों के लिए, 1,500/– रुपये से अधिक की लागत वाली वस्तुओं को छोड़कर, जिनका अलग से उपयोग किया जा सकता है)। 1,500/– रुपये से कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति का क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास किया जाता है।

रु. 25,000/– तक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम/डेटा बेस की लागत को राजस्व प्रभारित किया जाता है।

सी. बैंक के अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य आस्तियों में नए परिवर्धन पर जिन आस्तियों को उपजोड़ में लाया जा रहा है मूल्यह्रास की दर उसी दिन से प्रदान की जाती है और वर्ष के दौरान बेची गई/निपटान की गई आस्तियों के मामले में जिस तारीख तक इसे बेचा/निपटान किया जाता है, अर्थात दैनिक आधार पर मूल्यह्रास की दर प्रदान की जाती है।

B. Depreciation on assets has been provided at the rates furnished below: -

Particulars	Rate of Depreciation
PREMISES	
Freehold Properties	
Land	NIL
Depreciation to be provided on Construction Cost where the land cost is segregated and on total cost where the land cost is not ascertainable and cannot be segregated	2.50% (40 years Straight Line Method or remaining life whichever is lower)
Land acquired on perpetual lease where no lease period is mentioned	NIL
Land acquired on lease where lease period is mentioned	Over lease period
Building	
Constructed on free hold land and on leased land, where lease period is above 40 years	2.50%
Constructed on leased land where lease period is below 40 years	Over lease period
FIXED ASSETS EXCEPT PREMISES	
Furniture and fixtures- Steel articles	5.00%
Furniture and fixtures-wooden articles	10.00%
Mattresses	20.00%
Mobile Phone Instruments	33.33%
Machinery, electrical and miscellaneous articles	15.00%
Motor cars and cycles	15.00%
Computers, ATMs and related items, Laptop, I- pad, etc., Servers, Network, Equipment & Automated Teller Machines (Including software forming an integral part of computer hardware)	33.33%

Items of office fixed assets amounting less than Rs. 25,000/- and/or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as expense (except to staff, items costing more than Rs. 1,500/- which can be separately used). Assets costing less than Rs. 1,500/- each are depreciated@100% in the year of purchase.

Cost of Application Software / Operating System / Data base amounting up to Rs. 25,000/- are charged to revenue.

C. Depreciation on fresh additions to assets other than Bank's own premises is provided from the day in which the assets are capitalized and in the case of assets sold/disposed-off during the year, up to the date in which it is sold/ disposed-off, i.e., daily basis.

डी. वर्ष के अंत में मौजूद बैंक के अपने स्वामित्व के परिसरों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। निर्माण लागत को तभी मूल्यह्रास किया जाता है जब भवन सभी प्रकार से पूरा हो जाता है। जहां भूमि और भवन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां मूल्यह्रास भवनों पर लागू समग्र लागत दर पर प्रदान किया जाता है।

ई. पट्टाधारित परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की संपूर्ण अवधि पर परिशोधित है और पट्टा किराया संबंधित वर्ष(वर्षों) में प्रभारित किया जाता है।

एफ. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मूल्यह्रास की दर पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन की गई आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर निश्चित की जाती है।

7. आस्तियों की अपसामात्यता:

आस्तियों की वहन लागत की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है, यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो किसी परिसंपत्ति की वहन लागत इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर हानि को मान्यता दी जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो कि धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

हानि के बाद, यदि कोई हो, मूल्यह्रास संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन लागत पर प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालाँकि, वहन मूल्य को उत्क्रमण के बाद वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो कि सामान्य मूल्यह्रास चार्ज करने से प्रबल होता अगर कोई हानि नहीं होती।

8. एम्प्लॉयमेंट लाभ:

भविष्य निधि:

भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। ये अंशदान लाभ व हानि लेखे में चार्ज किए जाते हैं।

उपदान:

उपदान देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

पेंशन :

पेंशन देयता एक सुपरिभाषित लाभ दायित्व है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। यह योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है।

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होनें 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक ज्वाइन किया है उनके लिए एक नई पेंशन योजना

D. The depreciation on bank's own premises existing at the close of the year is charged for full year. The construction cost is depreciated only when the building is complete in all respects. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

E. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year(s).

F. The Revalued assets is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

7. IMPAIRMENT OF ASSETS:

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. EMPLOYMENT BENEFITS:

PROVIDENT FUND:

Provident fund is a defined contribution scheme as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss A/c.

GRATUITY:

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

PENSION:

Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees who have joined the Bank on or after 01.04.2010. As per the scheme, the covered employees

(एनपीएस) का परिचालन किया है। इस योजना के अनुसार पात्र कर्मचारी बैंक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% के योगदान के साथ अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते हैं। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक, इन योगदानों को बरकरार रखा जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होने पर, समेकित योगदान राशि को एनपीएस ट्रस्ट में अंतरित कर दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां:

संचयन मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जैसे विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) और बीमारी अवकाश (अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश सहित) प्रदान की जाती है। विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की योजना बैंक द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ:

अन्य कर्मचारी लाभ, जैसे छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), सिल्वर जुबली अवार्ड, इत्यादि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं।

जहां तक विदेश स्थित शाखाओं और कार्यालयों का संबंध है, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को दिए गए लाभों के अलावा अन्य सभी लाभ उन देशों में लागू कानूनों के अनुसार मूल्यांकित और लेखांकित किए गए हैं।

कर्मचारी लाभों के लिए सुपरिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि का रूपांतरण:

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन–देन का लेखा–जोखा एएस 11, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार किया जाता है।

9.1 फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के अनुसार तत्कालीन लंदन शाखाओं के अग्रिमों को छोड़कर, जिनका भारत में पार्किंग की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब लगाया जाता है, अन्य सभी मौद्रिक संपत्तियां और देनदारियां, गारंटियां, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व प्रचलित विनिमय दरों के समतुल्य भारतीय रुपये में रूपांतरित किए जाते हैं।

9.2 अचल आस्तियों के अतिरिक्त गैर–मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती हैं, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

9.3 बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को FEDAI द्वारा अधिसूचित दरों पर तुलन पत्र की तारीख के अनुसार रूपांतरित किया जाता है और रूपांतरण पर परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा स्पॉट/फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स/सौदे (मर्चेंट और इंटर–बैंक) जो ट्रेडिंग/मर्चेंट हेज के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और तुलन पत्र की

contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with contribution of 14% of their basic pay plus dearness allowance from the Bank. Pending completion of the registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate. Upon the receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

COMPENSATED ABSENCES:

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave (PL) and Sick Leave (including unavailed casual leave) are provided for based on actuarial valuation. The scheme for Privilege Leave (PL) is funded by the Bank and is managed by a separate trust.

OTHER EMPLOYEE BENEFITS:

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession (LFC), Silver Jubilee Award, etc., are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

The valuation method used for defined benefit obligations for employee benefits is 'Projected Unit Credit Method'.

9. TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS & BALANCES:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, 'The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates'.

9.1 Except advances of erstwhile London branches which are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of parking in India, all other monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

9.2 Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

9.3 Outstanding Forward exchange spot and forward contracts are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss on translation is taken to Profit & Loss Account.

Foreign exchange spot/forward contracts/deals (Merchant and Inter-bank) which are not intended for trading/Merchant Hedge and are outstanding on the Balance Sheet date, are reverse

तारीख पर बकाया हैं, विनिमय लाभ पर पुनर्मूल्यांकन प्रभाव को हटाने के लिए क्लोजिंग FEDAI स्पॉट/फॉरवर्ड दर पर रिवर्स पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह के फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में ब्याज व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

9.4 आय तथा व्यय की मदों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, उन दरों से भिन्न होते हैं, जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, आय या व्यय के रूप में उस अवधि में जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनकी पहचान की जाती है।

मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि, दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ निपटाए जाते हैं एवं ऐसे लाभ/हानि की लाभ व हानि खाते में पहचान की जाती है।

9.5 भारत के बाहर के कार्यालय/विदेश स्थित बैंकिंग इकाईयाँ:

(i) विदेशी शाखाओं एवं विदेश स्थित बैंकिंग इकाई के परिचालन को 'गैर–समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालन को 'समाकलन विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) समाकलन विदेशी परिचालनों और गैर–समाकलन विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा एस–11 के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(iii) विनिमय उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप गैर–समाकलन परिचालनों का लाभ/हानि में विनिमय उतार–चढ़ाव रिज़र्व में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

10. आय पर कर

आयकर व्यय, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जहाँ भी लागू हों, और बैंक द्वारा किए गए आस्थगित कर व्यय सहित वर्तमान कर की कुल राशि है। वर्तमान कर और आस्थगित कर क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 के अनुसार – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, जो संबंधित न्यायालयों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

एमएटी क्रेडिट को एक संपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और जिस सीमा तक इस बात के विश्वासप्रद साक्ष्य हों कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं को वर्तमान वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और घाटे को अग्रेषित करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तिथि में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया

re-valued at the closing FEDAI spot/forward rate in order to remove revaluation effect on exchange profit. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the life of the contract.

9.4 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognized in the Profit and Loss Account.

9.5 Offices outside India / Offshore Banking Units:

(i) Operations of foreign branches and off shore banking unit are classified as 'Non-integral foreign operations' and operations of representative offices abroad are classified as 'integral foreign operations'.

(ii) Foreign currency transactions of integral foreign operations and non-integral foreign operations are accounted for as prescribed by AS-11.

(iii) Exchange Fluctuation resulting into Profit / loss of non-integral operations is credited /debited to Exchange Fluctuation Reserve.

10. TAXES ON INCOME

Income tax expense is the aggregate amount of current tax including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

MAT credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the income Tax Act, 1961.

Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred

है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ एवं हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान एवं प्रत्येक रेपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के विस्समति पर आधारित होता है जैसे कि उनकी प्राप्ति यथोचित/वास्तव में निश्चित हो।

11. प्रति शेयर आय :

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। बेसिक आय प्रति शेयर की गणना वर्ष के लिए विशेषकर इक्विटी शेयरधारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से भाग करके प्राप्त की जाती है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय संभावित डाइल्यूशन को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया गया हो या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया हो। प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुरूप, बैंक इनके प्रावधान की पहचान केवल तभी करता है, जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो, तथा जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो जो दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ हेतु आवश्यक हो, तथा जब दायित्व की विश्वसनीय राशि अनुमानित की जा सके।

एक आकस्मिक देयता मुद्रा के संदर्भ में एक संभावित देयता है, जो अनिश्चित विशिष्ट घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। एक संभावित दायित्व जो भविष्य की घटना के प्रकट होने के आधार पर उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे आकस्मिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, जो मामले बैंक के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, लेकिन बैंक पर किसी भी दायित्व के उत्पन्न होने की संभावना कम है, वे मामले दूरस्थ है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं होती है।

13. बुलियन लेनदेन :

बैंक अपने ग्राहक को बेचने के लिए खेप के आधार पर कीमती धातु की छड़ों सहित बुलियन का आयात करता है। आयात आमतौर पर बैंक–टू–बैंक आधार पर होता है। तथा ग्राहक को उसका मूल्य आपूर्तिकर्ता द्वारा अंकित मूल्य पर देना होता है। बैंक ऐसे बुलियन लेनदेन पर शुल्क अर्जित करता है।

शुल्क को कमीशन आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक गोल्ड जमा व ऋण स्वीकारता है, जिसे देय ब्याज के रूप में जैसा मामला हो के आधार पर जमा अग्रणियां के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realization is considered as reasonably/ virtually certain.

11. EARNINGS PER SHARE:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Diluted Earnings per Share reflects the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

In conformity with AS 29, 'Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

A Contingent Liability is a potential liability, in terms of money, which may arise depending on the outcome of an uncertain specific event. A possible obligation which may or may not arise depending on how a future event unfolds has been recognized as Contingent Liability.

Further, the cases which although have been filed against the Bank, but possibility of any obligation arising upon the Bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent Liability.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. BULLION TRANSACTIONS:

The Bank imports bullion including precious metal bars on a consignment basis for selling to its customers. The imports are typically on a back-to-back basis and are priced to the customer based on price quoted by the supplier. The Bank earns a fee on such bullion transactions.

The fee is classified under commission income. The Bank also accepts deposits and lends gold, which is treated as deposits/ advances as the case may be with the interest paid / received classified as interest expense/income.

14. खंडवार रिपोर्टिंग:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में, बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड एवं भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

15. 7 अप्रैल, 2016 को आरबीआई परिपत्र FIDD.CO.Plan.BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 के अनुसार, पीएसएलसी का विक्रय या क्रय प्राथमिकता क्षेत्र के पोर्टफोलियो में व्यापार करता है। इन लेन–देन में जोखिमों या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं है। पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किया गया शुल्क 'व्यय' के रूप में माना जाता है और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'अन्य आय' के रूप में माना जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल हैं:

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष, बैंक के पास शेष और कॉल एवं शॉर्ट नोटिस पर मुद्रा।

बी) आरबीआई द्वारा इसके परिपत्र दिनांक 19.05.2022 (अर्थात, अनुसूची 6, अनुसूची 7 एवं अनुसूची 9 के अंतर्गत, जो भी लागू हो) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार रिवर्स रेपो में शेष राशि की रिपोर्ट की जाती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) के अंतर्गत बैंक द्वारा रखी गई शेष राशि को भी इसी तरह रिपोर्ट किया जाता है।

14. SEGMENT REPORTING:

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

15. The Bank, in accordance with RBI Circular FIDD.CO.Plan. BC.23/ 04.09.01/ 2015-16 dated April 7, 2016, trades in Priority Sector portfolio by selling or buying PSLC. There is no transfer of risks or loan assets in these transactions. The fee paid for purchase of the PSLC is treated as an 'Expense' and the Fee received from sale of PSLCs is treated as 'Other Income'.

16. CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include:

a) Cash and Balances with RBI, Balances with Bank and money at call and short notice.

b) The balances in Reverse Repo are reported as per the guidelines provided by RBI vide its circular dated 19.05.2022, (i.e., under schedule 6, schedule 7 and schedule 9, as applicable). The balance held by the Bank under Standing Deposit Facility (SDF) is also reported similarly.

लेखों पर टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में 05 अनुषंगी एवं 15 सहयोगी (जो बैंक पंजाब नैशनल बैंक के साथ, मूल, समूह का गठन करते हैं) पर विचार किया गया है:

(% में)

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	निगमन का देश	को वोटिंग पावर के रूप में धारित %	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड[1]	भारत	74.07	74.07
2.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड[1]	भारत	100.00	100.00
3.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड[1]	भारत	100.00	100.00
4.	पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड यूके[$]	यूनाइटेड किंगडम	100.00	100.00
5.	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान*	भूटान	51.00	51.00

$पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति ली गई है।

1 कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूरक लेखा परीक्षा और उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन हैं।

**ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान का लेखा वर्ष मूल कंपनी के वर्ष से अलग है।*

2. समेकित वित्तीय विवरण में माने गए सहयोगी इस प्रकार हैं:

(% में)

क्र. सं.	एसोसिएट्स	निगमन देश	को स्वामित्व प्रतिशत के रूप में अनुपात	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	भारत	30.00	30.00
2.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	28.13	32.52
3.	जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माटी, कजाकिस्तान**	कजाकिस्तान	41.64	41.64
4.	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	23.00	23.00
5.	भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड[$]	भारत	20.90	20.90
6.	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड[$]***	नेपाल	20.02	20.02
7.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना[$]	भारत	35.00	35.00
8.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी[$]	भारत	35.00	35.00
9.	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला[$]	भारत	35.00	35.00
10.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक	भारत	35.00	35.00
11.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद[$]	भारत	35.00	35.00
12.	असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी	भारत	35.00	35.00
13.	बंगीया ग्रामीण विकास बैंक, (पश्चिम बंगाल)	भारत	35.00	35.00
14.	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल	भारत	35.00	35.00
15.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला	भारत	35.00	35.00

$पीएनबी समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लिया गया है।

**पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 रुपये के शेयर पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।*

***18.09.2020 एएफआर ने जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया एवं परिसमापन*

NOTES TO ACCOUNTS

1. The 05 Subsidiaries and 15 Associates (which along with Punjab National Bank, the parent, constitute the Group) are considered in the preparation of the consolidated financial statements are as under:

(in %)

Sl. No.	Name of the Subsidiary Company	Country of incorporation	% Voting power held as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Gilts Limited[1]	India	74.07	74.07
2.	PNB Investment Services Ltd.[1]	India	100.00	100.00
3.	PNB Cards and Services Ltd.[1]	India	100.00	100.00
4.	Punjab National Bank (International) Ltd.UK[$]	United Kingdom	100.00	100.00
5.	Druk PNB Bank Ltd. Bhutan*	Bhutan	51.00	51.00

$Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

1The financial statements of the company is subject to Supplementary Audit by the Comptroller & Audit General of India, under the Companies Act, 2013 and receipt of their report.

**Druk PNB Bank Ltd. Bhutan follows accounting year different from that of the parent.*

2. Associates considered in consolidated financial statements are as under:

(in %)

Sl. No.	Associates	Country of incorporation	Proportion of ownership percentage as at	
			Current Year	Previous Year
1.	PNB Metlife India Insurance Company Ltd*	India	30.00	30.00
2.	PNB Housing Finance Limited	India	28.13	32.52
3.	JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**	Kazakhstan	41.64	41.64
4.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	India	23.00	23.00
5.	India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.[$]	India	20.90	20.90
6.	Everest Bank Ltd.[$]***	Nepal	20.02	20.02
7.	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna[$]	India	35.00	35.00
8.	Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi[$]	India	35.00	35.00
9.	Punjab Gramin Bank, Kapurthala[$]	India	35.00	35.00
10.	Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak	India	35.00	35.00
11.	Prathama UP Gramin Bank, Moradabad[$]	India	35.00	35.00
12.	Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati	India	35.00	35.00
13.	Bangiya Gramin Vikas Bank, (West Bengal)	India	35.00	35.00
14.	Manipur Rural Bank, Imphal	India	35.00	35.00
15.	Tripura Gramin Bank, Agartala	India	35.00	35.00

$Un-Audited Financials have been taken while preparing consolidated financial statements of PNB group.

**PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at consideration of Rs. 700.48 as brand equity.*

के अधीन है।

***एवरेस्ट बैंक लिमिटेड मूल कंपनी के वर्ष से अलग लेखांकन वर्ष का अनुसरण करता है।

3.1 आरक्षित पूंजी

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
समेकन पर पूंजी आरक्षित (निवल)	74.21	74.21

3.2 स्थायी बॉण्ड/अधीनस्थ ऋण टियर I और टियर II पूंजी के रूप में वर्धित राशि:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान वर्धित गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि,		
जिसका कि:	6012.00	4214.00
ए) बेसल III अनुरूप स्थायी गैर–संचयी वरीयता शेयर,	शून्य	शून्य
बी) बेसल III अनुपालक स्थायी ऋण इंस्ट्रूमेंट्स	6012.00	4214.00
वर्ष के दौरान वर्धित टियर 2 पूंजी की राशि, *जिसमें से बेसल III अनुपालक:*	3090.00	4101.98
ए) टियर 2 पूंजी के रूप में ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंट्स	3090.00	4101.98
बी) संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य
सी) प्रतिदेय गैर–संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य
डी) मोचनयोग्य संचयी वरीयता शेयर	शून्य	शून्य

3.3 बैंक समूह का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III के अनुसार) इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों का निवल, यदि कोई हो)	83256.67	75580.00
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	16001.74	9972.33
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	99258.41	85552.33
iv)	टियर 2 पूंजी	20950.77	18910.34
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	120209.18	104462.67
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	751614.25	672297.09
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	11.08%	11.24%
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	13.21%	12.73%
ix)	टियर 2 अनुपात (टियर 2 पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	2.79%	2.81%
x)	पूंजी के जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	16.00%	15.54%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.96%	4.77%

नोटः सीईटीआई कैपिटल में समामेलन रिजर्व रु. 9268.29 करोड़ शामिल है।

***AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.*

****Everest Bank Ltd. Follows accounting year different from that of the parent.*

3.1 Capital Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Capital Reserve on Consolidation (Net)	74.21	74.21

3.2 Perpetual bonds/sub-ordinated debt raised as Tier I and Tier II Capital:

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year,		
of which:	6012.00	4214.00
a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares,	NIL	NIL
b) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	6012.00	4214.00
Amount of Tier 2 capital raised during the year, of *which Basel III compliant* :	3090.00	4101.98
a) Debt Capital Instruments as Tier 2 Capital	3090.00	4101.98
b) Perpetual Cumulative Preference Shares	NIL	NIL
c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares	NIL	NIL
d) Redeemable Cumulative Preference Shares	NIL	NIL

3.3 The capital adequacy ratio (as per Basel III) of the bank group is as under:

(Amount in Rs Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	83256.67	75580.00
ii)	Additional Tier 1 capital	16001.74	9972.33
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	99258.41	85552.33
iv)	Tier 2 capital	20950.77	18910.34
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	120209.18	104462.67
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	751614.25	672297.09
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.08%	11.24%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.21%	12.73%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.79%	2.81%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.00%	15.54%
xi)	Leverage Ratio	5.96%	4.77%

Note: CETI Capital includes Amalgamation Reserve Rs. 9268.29 Crore.

आरबीआई ने परिपत्र सं. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 ने CET–1 पूंजी के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार करने का विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

4. लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण

4.1 लेखा मानक 5 – अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन

वर्तमान और गत वर्ष के दौरान लेखा मानक 5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई वास्तविक पूर्व अवधि की आय/व्यय मदें नहीं थीं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखा नीतियों एवं रीतियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जिनका पालन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था।

(गत वर्ष: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम उन्हीं लेखा नीतियों और रीतियों का पालन करते हुए तैयार किए गए हैं, जैसा कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणों में किया गया था)।

4.2 लेखा मानक 9 – राजस्व निर्धारण

जिस आय को वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। (गत वर्ष: जिस आय के वसूली के आधार पर लेखांकित किया गया है, उसे महत्वपूर्ण नहीं माना गया है)।

4.3 लेखा मानक 10 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

आस्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए अवधि/वित्त वर्ष हेतु कुल मूल्यह्रास का ब्रेक–अप

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण (आस्ति वर्ग)	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिसर	223.18	202.12
अन्य अचल आस्तियां	578.66	551.95
पट्टाकृत आस्तियां	0.01	0.01
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	103.75	150.79
कुल	**905.60**	**904.87**

4.4 लेखा मानक 11– विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव रिजर्व का संचलन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक जमा	843.52	1008.10
लाभ और हानि लेखे में परिवर्तन के कारण वित्त वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	3.10	6.05
आस्ति और देयताओं के ट्रांसलेशन के कारण वित्त वर्ष के दौरान जोड़/कटौती	30.39	79.26
अन्य समायोजन	0.00	-249.89
अंतिम शेष	877.00	843.52

RBI vide circular No. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated 12th May, 2023 has given discretion to banks to consider Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and Deferred Tax Asset for purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

4. Disclosures required by Accounting Standards

4.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Change in Accounting Policies

During the Current and Previous year there were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under Accounting Standard 5.

The financial results for the year ended March 31, 2024 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2023.

(Previous year: The financial results for the year ended March 31, 2023 have been prepared following the same Accounting Policies and practices as those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2022).

4.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material. (Previous year: The income which has been accounted for on realization basis is not considered to be material).

4.3 Accounting Standard 10 – Properties, Plant and Equipment.

Break-up of total depreciation for the period/ FY for each class of assets

(Amount in Rs Crore)

Particulars (Class of Assets)	Current Year	Previous Year
Premises	223.18	202.12
Other fixed assets	578.66	551.95
Leased assets	0.01	0.01
Computer software	103.75	150.79
Total	905.60	904.87

4.4 Accounting Standard 11- The effects of Changes in Foreign Exchange rates:

Movement of Foreign Currency Fluctuation Reserve

(Amount in Rs Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	843.52	1008.10
Addition/Deduction during the FY due to change in Profit & Loss account	3.10	6.05
Addition/Deduction during the FY due to translation of Assets & Liabilities	30.39	79.26
Other Adjustment	0.00	-249.89
Closing Balance	877.00	843.52

4.5 लेखा मानक 15 (संशोधित) – कर्मचारी लाभः

एएस–15 (आर) के अनुसार प्रकटीकरणः
लेखांकन नीति के अनुरूप एवं लेखा मानक – 15 (आर) के अनुसार, रोजगार लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः
ए. परिभाषित लाभ योजनाएं

तालिका I – प्रधान बीमांकिक मान्यता और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
बट्टा दर	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

तालिका II – दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन *(सभी राशि करोड़ में)*

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	49177.52	48456.97	4119.93	4296.64	3901.33	3728.80
जोड़ें:	ब्याज लागत	3544.18	3373.37	275.97	267.02	242.70	214.80
जोड़ें:	चालू सेवा लागत	393.87	375.38	245.38	255.83	562.78	515.38
घटाएं:	पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
	प्रदत्त लाभ	-4170.79	-3719.34	-559.08	-625.83	-767.99	-721.44
	दायित्वों पर बीमांकिक हानि/(लाभ) (मिलान आंकड़े)	3045.99	691.14	125.95	-73.73	97.44	163.76
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**51990.77**	**49177.52**	**4208.16**	**4119.94**	**4036.32**	**3901.30**

तालिका III – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि की शुरुआत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49133.26	48147.78	4372.87	4339.26	3416.31	3122.19
जोड़ें:	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	3540.89	3351.11	300.10	279.59	225.90	189.37
जोड़ें:	बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान	1887.74	207.53	77.73	353.60	840.52	638.07
जोड़ें:	पिछली सेवा लागत के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त अंशदान (फैमिली पेंशन देयता पर)	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं:	प्रदत्त लाभ	-4170.79	-3719.34	-556.69	-626.00	-643.53	-603.71
	बीमांकिक (हानि)/योजनागत आस्तियों पर लाभ (अंतिम मूल्य)	485.55	191.18	22.26	26.44	80.36	70.39
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**50876.65**	**49133.26**	**4216.27**	**4372.89**	**3919.56**	**3416.31**

तालिका IV – योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	3540.89	3351.11	300.1	279.59	225.90	189.37
जोड़ें:	बीमांकिक (हानि)/योजनागत आस्तियों पर लाभ	485.55	191.18	22.26	26.44	80.36	70.39
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**4026.44**	**3542.29**	**322.36**	**306.03**	**306.26**	**259.76**

4.5 Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits:

DISCLOSURE IN ACCORDANCE WITH AS-15(R):
In line with the accounting policy and as per the Accounting Standard – 15(R), the summarized position of employment benefits is as under:
A. Defined benefit Plans

TABLE I - Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Discount Rate	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
Expected Return on Plan Assets	7.25%	7.45%	7.20%	7.45%	7.20%	7.45%
Rate of Escalation In salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

TABLE II - Changes in Present value of the obligation ***(ALL AMOUNTS IN CRORES)***

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Obligation at the beginning of period	49177.52	48456.97	4119.93	4296.64	3901.33	3728.80
Add:	Interest Cost	3544.18	3373.37	275.97	267.02	242.70	214.80
Add:	Current Service Cost	393.87	375.38	245.38	255.83	562.78	515.38
Less:	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
	Benefits paid	-4170.79	-3719.34	-559.08	-625.83	-767.99	-721.44
	Actuarial loss / (gain) on obligations (Balancing Figure)	3045.99	691.14	125.95	-73.73	97.44	163.76
	Present value of Obligation as at the end of the period	**51990.77**	**49177.52**	**4208.16**	**4119.94**	**4036.32**	**3901.30**

TABLE III - Changes in the FV of the Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	49133.26	48147.78	4372.87	4339.26	3416.31	3122.19
Add:	Expected return on Plan assets	3540.89	3351.11	300.10	279.59	225.90	189.37
Add:	Contributions paid by Bank	1887.74	207.53	77.73	353.60	840.52	638.07
Add:	Contributions paid by Bank for Past Service Cost (on Family Pension liability)	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less:	Benefits Paid	-4170.79	-3719.34	-556.69	-626.00	-643.53	-603.71
	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets (Balancing Figure)	485.55	191.18	22.26	26.44	80.36	70.39
	Fair value of Plan Assets as at the end of the period	**50876.65**	**49133.26**	**4216.27**	**4372.89**	**3919.56**	**3416.31**

TABLE IV - Changes in the FV of the Plan Assets

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Expected return on Plan Assets	3540.89	3351.11	300.1	279.59	225.90	189.37
Add:	Actuarial (loss) / gain on Plan Assets	485.55	191.18	22.26	26.44	80.36	70.39
	Actual Return on Plan Assets	**4026.44**	**3542.29**	**322.36**	**306.03**	**306.26**	**259.76**

तालिका V – निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि निर्धारित

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	अवधि के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ) – दायित्व	3045.99	691.14	123.824863	-74.306605	188.812735	163.118505
	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजना आस्तियों	-485.55	-191.18	-19.7	-30.01	-80.36	-70.39
	अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	2560.44	499.96	104.12	-104.32	108.45	92.73
	अवधि में निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि	**2560.44**	**499.96**	**104.12**	**-104.32**	**108.45**	**92.73**
	वर्ष के अंत में गैर–निर्धारित बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-

तालिका VI – तुलन पत्र में निर्धारित राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	51990.77	49177.52	4205.50	4117.45	4035.72	3900.87
घटाएं:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	50876.65	49133.26	4216.27	4372.87	3919.56	3416.31
	घाटा/(अधिशेष)	1114.12	44.26	-10.77	-255.42	116.16	484.56
	गैर–निर्धारित पिछली सेवा लागत (फैमिली पेंशन देयता पर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**1114.12**	**44.26**	**-10.77**	**-255.42**	**116.16**	**484.56**
	तुलन पत्र में राशि						
	तुलन पत्र में निर्धारित देयता	1114.12	44.26	-10.77	-255.42	116.16	484.56
	तुलन पत्र में निर्धारित आस्तियां (फैमिली पेंशन देयता पर)						
	शुद्ध देयता/(आस्ति)	**1114.12**	**44.26**	**-10.77**	**-255.42**	**116.16**	**484.56**
	एएस–15 (आर) के पैरा 55 के अंतर्गत निर्धारित ऋणात्मक राशि	-	-	-	-	-	-
	उपलब्ध धनवापसी का वर्तमान मूल्य और भावी अंशदान में कटौती	-	-	-	-	-	-
	एएस–15 (आर) के पैरा 59 (बी) के अनुसार निर्धारित आस्ति	-	-	-	-	-	-

सारणी VII – लाभ और हानि लेखे में निर्धारित व्यय

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	393.87	375.38	244.95	255.50	562.53	515.28
जोड़ें:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3544.18	3373.37	275.97	267.02	242.70	214.80
घटाएं:	घाटा/(अधिशेष)	-3540.89	-3351.11	-300.1	-279.59	-225.90	-189.37
जोड़ें:	गैर–निर्धारित पिछली सेवा लागत (फैमिली पेंशन देयता पर)	2560.44	499.96	104.12	-104.32	108.45	92.73
जोड़ें:	शुद्ध देयता/(आस्ति)	-	1,520.16	-	-	0.05	-
	तुलन पत्र में राशि	**2957.60**	**2417.76**	**324.95**	**138.62**	**687.83**	**633.45**

तालिका VIII – तुलन पत्र में निर्धारित की जाने वाली शुद्ध देयता में संचलन

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	प्रारंभिक शुद्ध देयता	44.26	-1210.97	-207.14	7.14	375.34	507.52
जोड़ें:	व्यय	2957.60	2417.76	296.67	91.47	469.48	505.93
घटाएं:	प्रदत्त अंशदान	-1887.74	-1162.53	-77.73	-353.60	-840.52	-638.07
घटाएं:	कंपनी द्वारा प्रदत्त लाभ	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.03
	अंतिम शुद्ध देयता (आस्ति) (चालू अवधि में तुलन पत्र में निर्धारित देयता)	**1114.12**	**44.26**	**11.79**	**-255.00**	**4.30**	**375.34**

TABLE V - Net Actuarial (gain) / loss recognized

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Actuarial loss / (gain) for the period - Obligations	3045.99	691.14	123.824863	-74.306605	188.812735	163.118505
	Actuarial (gain)/ loss for the period - Plan Assets	-485.55	-191.18	-19.7	-30.01	-80.36	-70.39
	Total (gain) /loss for the period	2560.44	499.96	104.12	-104.32	108.45	92.73
	Actuarial (gain)/ loss recognized in the period	**2560.44**	**499.96**	**104.12**	**-104.32**	**108.45**	**92.73**
	Unrecognized Actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-	-	-

TABLE VI - Amount recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Defined Benefit Obligation	51990.77	49177.52	4205.50	4117.45	4035.72	3900.87
Less:	Fair value of Plan Assets	50876.65	49133.26	4216.27	4372.87	3919.56	3416.31
	Deficit/ (Surplus)	1114.12	44.26	-10.77	-255.42	116.16	484.56
	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Liability/ (Asset)	**1114.12**	**44.26**	**-10.77**	**-255.42**	**116.16**	**484.56**
	Amounts in the Balance Sheet						
	Liability Recognized in the Balance Sheet	1114.12	44.26	-10.77	-255.42	116.16	484.56
	Assets Recognized in the Balance Sheet (on Family Pension liability)						
	Net Liability/ (Asset)	**1114.12**	**44.26**	**-10.77**	**-255.42**	**116.16**	**484.56**
	Negative amount determined under Paragraph 55 of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-
	Present value of available refunds and reductions in future contributions	-	-	-	-	-	-
	Asset recognized as per Paragraph 59 (b) of AS-15 (R)	-	-	-	-	-	-

TABLE VII - Expense to be recognized in Profit and loss Account

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Defined Benefit Obligation	393.87	375.38	244.95	255.50	562.53	515.28
Add:	Fair value of Plan Assets	3544.18	3373.37	275.97	267.02	242.70	214.80
Less	Deficit/ (Surplus)	-3540.89	-3351.11	-300.1	-279.59	-225.90	-189.37
Add:	Unrecognized Past Service cost (on Family Pension liability)	2560.44	499.96	104.12	-104.32	108.45	92.73
Add:	Net Liability/ (Asset)	-	1,520.16	-	-	0.05	-
	Amounts in the Balance Sheet	**2957.60**	**2417.76**	**324.95**	**138.62**	**687.83**	**633.45**

TABLE VIII- Movement in Net Liability to be recognized in Balance Sheet

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Opening Net Liability	44.26	-1210.97	-207.14	7.14	375.34	507.52
Add:	Expense	2957.60	2417.76	296.67	91.47	469.48	505.93
Less:	Contributions Paid	-1887.74	-1162.53	-77.73	-353.60	-840.52	-638.07
Less	Benefits Paid by the company	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.03
	Closing Net Liability/ (Asset) recognized in B/S in current period)	**1114.12**	**44.26**	**11.79**	**-255.00**	**4.30**	**375.34**

तालिका IX – चालू अवधि के लिए राशि

		पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	दायित्वों का वर्तमान मूल्य	51990.77	49177.52	4208.16	4119.94	4036.32	3901.30
घटाएं:	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	50876.65	49133.26	4216.27	4372.89	3919.56	3416.31
	अधिशेष / (घाटा)	**-1114.12**	**-44.26**	**8.11**	**252.95**	**-116.76**	**-484.99**
	योजना देयताओं में आनुभविक समायोजन – हानि / (लाभ)	4214.80	1763.45	47.87	31.43	110.94	213.31
	योजना आस्तियों में समायोजन – (हानि) / लाभ	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39

तालिका X – ट्रस्ट (मूल कंपनी) द्वारा प्रबंधित योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना आस्तियों का प्रतिशत)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	2.80%	3.00%	4.93%	4.85%	0.00%	0.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	9.48%	10.05%	7.64%	5.90%	0.00%	0.00%
उच्च किस्म के कॉर्पोरेट बॉण्ड	5.77%	5.85%	2.97%	3.28%	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड निवेश	0.23%	0.24%	0.54%	0.41%	0.00%	0.00%
संपत्ति	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना / एफडीआर	3.27%	2.47%	5.07%	3.80%	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / जीवन बीमा कंपनियों में निवेश	75.12%	75.81%	75.36%	71.82%	100.00%	100.00%
अन्य जमा राशियां, उपार्जित आदि	3.33%	2.58%	3.49%	9.94%	0.00%	0.00%
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

तालिका XI – आगामी वर्ष के दौरान उद्यम के अंशदान का श्रेष्ठतम अनुमान

	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
आगामी वर्ष के दौरान बैंक के श्रेष्ठतम अंशदान का अनुमान	1950.00	890.00	240.08	210.09	510.08	440.08

तालिका XII – अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर–निधिक)

विवरण	बीमारी की छुट्टी और अन्य छुट्टियां (गैर–निधिक)		छुट्टी किराया रियायत (गैर–निधिक)		सिल्वर जुबली बोनस (गैर–निधिक)	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24
संक्रमणशील देयता का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणशील देयता	-	-	-	-	-	-
संक्रमणशील देयता का इतिशेष	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में निर्धारित देयता	**1207.03**	**216.35**	**91.68**	**257.64**	**22.11**	**20.24**

विवरण	धारणा का आधार
बट्टा दर	दायित्वों की अनुमानित अवधि तथा मुद्रा के अनुरूप अवधि के सरकारी बंध पत्रों (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) पर तुलन पत्र की तिथि को बाजार प्राप्तियों के अनुसार बट्टा दर निर्धारित की गई है।
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की संभावित दर	यह माना जाता है कि पेंशन से संबंधित योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ 7.25% होगा और उपदान और छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए 7.20% प्रति वर्ष होगा।
वेतन वृद्धि दर (एसईआर)	आईबीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापक मार्गदर्शन के आधार पर, बैंक के लिए एसईआर को 6.00% प्रति वर्ष लिया गया है।
पलायन दर	संबंधित गत अनुभव और स्वैच्छिक निकासी से संबंधित अपेक्षित भावी अनुभव के संदर्भ में पलायन दर 1% निर्धारित की गई है।

TABLE IX - Amount for the current Period

		PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	Present value of Obligation	51990.77	49177.52	4208.16	4119.94	4036.32	3901.30
Less	Fair value of Plan Assets	50876.65	49133.26	4216.27	4372.89	3919.56	3416.31
	Surplus / (Deficit)	**-1114.12**	**-44.26**	**8.11**	**252.95**	**-116.76**	**-484.99**
	Experience Adjustments in Plan Liabilities -loss / (gain)	4214.80	1763.45	47.87	31.43	110.94	213.31
	Experience Adjustments in Plan Assets (loss) / gain	485.55	191.18	22.26	31.39	80.36	70.39

TABLE X - Major Categories of Plan Assets (as percentage of Total Plan Assets) as managed by Trust (Parent Company)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Government Of India Securities	2.80%	3.00%	4.93%	4.85%	0.00%	0.00%
State Govt. Securities	9.48%	10.05%	7.64%	5.90%	0.00%	0.00%
High Quality Corporate Bonds	5.77%	5.85%	2.97%	3.28%	0.00%	0.00%
Equity Shares of listed companies/Mutual fund investments	0.23%	0.24%	0.54%	0.41%	0.00%	0.00%
Property	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Special deposit scheme/FDR's	3.27%	2.47%	5.07%	3.80%	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer/ Investment in Life Insurance Companies	75.12%	75.81%	75.36%	71.82%	100.00%	100.00%
Other Deposits, Accruals etc.	3.33%	2.58%	3.49%	9.94%	0.00%	0.00%
TOTAL	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

TABLE XI - Enterprise's Best Estimate of Contribution during Next Year

	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
Bank's best estimate of Contribution during next year	1950.00	890.00	240.08	210.09	510.08	440.08

TABLE XII - Other Long Term employee benefits (Unfunded)

Particulars	Sick Leave & Other Leaves (Unfunded)		Leave Fare concession (unfunded)		Silver Jubilee Bonus (unfunded)	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Present Value of Obligation	1207.03	216.35	91.68	257.64	22.11	20.24
Opening Balance of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-	-	-
Closing Balance Of Transitional Liability	-	-	-	-	-	-
Liability Recognized in balance Sheet	**1207.03**	**216.35**	**91.68**	**257.64**	**22.11**	**20.24**

Particulars	Basis of assumption
Discount Rate	Discount Rate has been determined by reference to market yields at the balance Sheet date on Government bonds (published by FBIL) of term consistent with currency and estimated term of the obligations.
Expected Rate of Return on Plan Assets	It is assumed that return on the plan assets pertaining to the Pension will be 7.25% and for Gratuity and Leave Encashment fund will be 7.20% p.a.
Salary Escalation Rate (SER)	Based on the broad guidance provided by IBA, SER for the bank has been taken at 6.00% p.a.
Attrition Rate	Attrition rate is assumed at 1% taken with reference to past experience and expected future experience related to voluntary withdrawals.

4.5 i) परिभाषित अंशदान योजनाएं (मूल कंपनी): –

बैंक ने दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू अंशदान योजना को परिभाषित किया है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है। राष्ट्रीय सिक्योरिटी डिपाजिटरी लि. (प्रोटीन ई–गव. टेक्नोलोजीज लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंशदान का विवरण इस प्रकार है:–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान = ₹1382.37 करोड़	*योगदान में बैंक + कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल है*
वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान = ₹1220.32 करोड़	

4.6 लेखा मानक 17 – खंडवार रेपोर्टिंग

खंडवार पहचान

I. प्राथमिक (कारोबार खंड):

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:–

i) **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर कारोबार परिचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii) **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग:** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई / 2020–21/53. डीओआर. सं. बीपी. बीसी 23/21.06. 201/2020–21, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, के अनुसार कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग खंड में रु.7.50 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले उधारकर्ताओं की उधार गतिविधियां शामिल हैं।

iii) **रिटेल बैंकिंग:** रिटेल बैंकिंग खंड में उन उधारकर्ताओं के खातों को शामिल किया गया है जिनका एक्सपोज़र रु.7.50 करोड़ से कम है।

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II द्वितीयक (भौगोलिक खंड):

i) **घरेलू परिचालन:** भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय

ii) **विदेशी परिचालन:** भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय और भारत में परिचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित (ऑफशोर) बैंकिंग इकाईयां।

III- आवंटन का आधार

ब्याज आय का आवंटन विभिन्न खंडों से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है

थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग खंड/अन्य बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होने वाले व्यय आबंटित किए जाते हैं।

प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी की गणना उस विशेष खंड की आस्तियों और देनदारियों के आधार पर की जाती है।

बैंक के पास कुछ सामान्य आस्तियां और देनदारियां हैं, जिन्हें किसी भी खंड के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना जाता है।

4.5 i) Defined Contribution Plans (Parent Company): -

The Bank has Defined Contribution Plan applicable to all categories of employees joining the Bank on or after 01.04.2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (Protean eGov Technologies Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. The details of contribution are as under: -

During the FY 2023-24 = ₹1382.37 Crores	*Contribution includes both Bank + Employee contribution*
During the FY 2022-23 = ₹1220.32 Crores	

4.6 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Segment Identification

I. Primary (Business Segment):

The following are the primary segments of the Bank:-

i) **Treasury:** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii) **Corporate / Wholesale Banking:** As per the RBI guidelines RBI/2020-21/53, DOR.No.BP.BC.23/21.06.201/2020-21, dated 12th October 2020, the Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50Crores and above.

iii) **Retail Banking:** The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50Crores.

iv) **Other Banking Operations** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II Secondary (Geographical Segment):

i) **Domestic Operations:** Branches/Offices having operations in India

ii) **Foreign Operations:** Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

III. Basis of allocation

The interest income is allocated on the basis of actual interest received from different segments

Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment/other banking segment

Capital employed for each segment is calculated based on the assets and liabilities of that particular segment

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

भाग ए – कारोबार खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2024 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1	**खंड राजस्व**		
	(ए) ट्रेजरी परिचालन	33002.49	28123.94
	(बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	51947.45	40732.73
	(सी) रिटेल बैंकिंग	34973.38	27071.27
	1) डिजिटल बैंकिंग	0.13	0.02
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	34973.25	27071.25
	(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	2470.69	3156.94
	कुल राजस्व	**122394.01**	**99084.88**
2	**खंड परिणाम**		
	(ए) ट्रेजरी परिचालन	7538.00	7185.00
	(बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	4634.24	-2816.51
	(सी) रिटेल बैंकिंग	5756.92	3920.39
	1) डिजिटल बैंकिंग	-6.39	-4.35
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	5763.31	3924.74
	(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	751.03	1128.64
	कुल	18680.19	9417.52
	अनाबंटित व्यय	5348.48	4556.10
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
	कर पूर्व लाभ	13331.71	4861.42
	कर हेतु प्रावधान	5002.80	1792.08
	असामान्य मदें	0.00	0.00
	एसोसिएट्स में अर्जितांश (निवल)	828.24	289.44
	अल्पांश हितलाभ	49.95	10.33
	शुद्ध लाभ	9107.20	3348.45
3	**आस्ति खंड**		
	(ए) ट्रेजरी परिचालन	496903.42	490396.13
	(बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	668803.90	604518.31
	(सी) रिटेल बैंकिंग	345192.68	302145.46
	1) डिजिटल बैंकिंग	2.30	1.86
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	345190.38	302143.60
	(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	43710.78	49526.55
	(ई) अनाबंटित	44025.18	47062.49
	कुल	1598635.96	1493648.94
4	**देयता खंड**		
	(ए) ट्रेजरी परिचालन	471888.14	468241.16
	(बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	641942.73	582274.16
	(सी) रिटेल बैंकिंग	331892.60	292978.42
	1) डिजिटल बैंकिंग	21.44	6.09
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	331871.16	292972.33
	(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	40268.67	46056.66
	(ई) अनाबंटित	2257.09	1218.04
	कुल	1488249.23	1390768.44

PART A – BUSINESS SEGMENTS

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Year Ended	
		31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury Operations	33002.49	28123.94
	(b) Corporate/Wholesale Banking	51947.45	40732.73
	(c) Retail Banking	34973.38	27071.27
	1) Digital Banking	0.13	0.02
	2) Other Retail Banking	34973.25	27071.25
	(d) Other Banking Operations	2470.69	3156.94
	Total Revenue	**122394.01**	**99084.88**
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury Operations	7538.00	7185.00
	(b) Corporate/Wholesale Banking	4634.24	-2816.51
	(c) Retail Banking	5756.92	3920.39
	1) Digital Banking	-6.39	-4.35
	2) Other Retail Banking	5763.31	3924.74
	(d) Other Banking Operations	751.03	1128.64
	Total	18680.19	9417.52
	Unallocated Expenditure	5348.48	4556.10
	Provisions & Contingencies		
	Profit before Tax	13331.71	4861.42
	Provision for Tax	5002.80	1792.08
	Extraordinary items	0.00	0.00
	Share of Earning in Associates(Net)	828.24	289.44
	Minority Interest	49.95	10.33
	Net profit	9107.20	3348.45
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury Operations	496903.42	490396.13
	(b) Corporate/Wholesale Banking	668803.90	604518.31
	(c) Retail Banking	345192.68	302145.46
	1) Digital Banking	2.30	1.86
	2) Other Retail Banking	345190.38	302143.60
	(d) Other Banking Operations	43710.78	49526.55
	(e) Unallocated	44025.18	47062.49
	Total	1598635.96	1493648.94
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury Operations	471888.14	468241.16
	(b) Corporate/Wholesale Banking	641942.73	582274.16
	(c) Retail Banking	331892.60	292978.42
	1) Digital Banking	21.44	6.09
	2) Other Retail Banking	331871.16	292972.33
	(d) Other Banking Operations	40268.67	46056.66
	(e) Unallocated	2257.09	1218.04
	Total	1488249.23	1390768.44

5	नियोजित पूँजी		
	(ए) ट्रेजरी परिचालन	25015.28	22154.97
	(बी) कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	26861.17	22244.15
	(सी) रिटेल बैंकिंग	13300.08	9167.04
	1) डिजिटल बैंकिंग	-19.14	-4.23
	2) अन्य रिटेल बैंकिंग	13319.22	9171.27
	(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन	3442.11	3469.89
	(ई) अनाबंटित	41768.09	45844.45
	कुल नियोजित पूँजी	110386.73	102880.50

भाग बी – भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	समेकित	
		समाप्ति वर्ष	
		31.03.2024 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
1	**राजस्व**		
	(ए) घरेलू	117982.87	96537.10
	(बी) अंतरराष्ट्रीय	4411.14	2547.78
	कुल	**122394.01**	**99084.88**
2	**आस्तियां**		
	(ए) घरेलू	1516423.79	1420938.21
	(बी) अंतरराष्ट्रीय	82212.17	72710.73
	कुल	**1598635.96**	**1493648.94**

नोट:

1. *खंड देयताएं उनकी संबंधित खंड आस्तियों के अनुपात में वितरित की गई हैं।*
2. *जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है पिछली अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।*
3. *आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 दिनांक 07 अप्रैल 2022 के अनुसार लेखा मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण के उद्देश्य से, डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रिटेल बैंकिंग के तहत उप–खंड के रूप में माना गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 8 (आठ) डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) का परिचालन शुरू कर दिया है और रिटेल बैंकिंग संचालन के तहत डिजिटल बैंकिंग के रूप में प्रकटीकृत किया गया खंड जानकारी उक्त डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) से संबंधित है।*

4.7 लेखा मानक 18 – आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण: (मूल कंपनी)

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी):

i) श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) श्री विजय दुबे, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31.08.2023* तक
iii) श्री कल्याण कुमार, कार्यपालक निदेशक
iv) श्री बिनोद कुमार, कार्यपालक निदेशक
v) श्री एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक
vi) श्री बिभु प्रसाद महापात्र, कार्यपालक निदेशक

** दिनांक 31.08.2023 को कार्यकाल समाप्त*

5	Capital Employed		
	(a) Treasury Operations	25015.28	22154.97
	(b) Corporate/Wholesale Banking	26861.17	22244.15
	(c) Retail Banking	13300.08	9167.04
	1) Digital Banking	-19.14	-4.23
	2) Other Retail Banking	13319.22	9171.27
	(d) Other Banking Operations	3442.11	3469.89
	(e) Unallocated	41768.09	45844.45
	Total Capital Employed	110386.73	102880.50

PART B - GEOGRAPHICAL SEGMENTS

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	CONSOLIDATED	
		Year Ended	
		31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
1	**Revenue**		
	(a) Domestic	117982.87	96537.10
	(b) International	4411.14	2547.78
	Total	**122394.01**	**99084.88**
2	**Assets**		
	(a) Domestic	1516423.79	1420938.21
	(b) International	82212.17	72710.73
	Total	**1598635.96**	**1493648.94**

Notes :

1. *Segment Liabilities are distributed in the ratio of their respective Segment Assets.*
2. *Figures of the previous period have been re-grouped/re-classified wherever necessary.*
3. *As per RBI Circular RBI/2022-23/19 DOR.AUT.REC. 12/22.01.001/2022-23 dated April 07, 2022, for the purpose of disclosure under Accounting Standard 17, Segment Reporting, Digital Banking Segment has been identified as sub-segment under Retail Banking by Reserve Bank of India (RBI). As on March 31, 2024, 8 (eight) Digital Banking Units (DBUs) of the Bank have commenced operations and the segment information disclosed as Digital Banking under Retail Banking Operations is related to the said DBUs.*

4.7 Accounting Standard 18 - Disclosure of Related Parties as per Accounting Standard –18 issued by ICAI: (Parent Company)

Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Key Management Personnel (KMP):

i) Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO
ii) Shri Vijay Dube, Executive Director up to 31.08.2023*
iii) Shri Kalyan Kumar, Executive Director
iv) Shri Binod Kumar, Executive Director
v) Shri M. Paramasivam, Executive Director
vi) Shri Bibhu Prasad Mahapatra, Executive Director

** Tenure completed on 31.08.2023*

समनुषंगी:

i) पीएनबी गिल्ट्स लि.
ii) पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लि.
iii) पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि.
iv) पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लि., यूके
v) ड्रुक पीएनबी बैंक लि., भूटान

सहयोगी:

i) पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी*
ii) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
iii) जेएससी (टेंगरी बैंक), अल्माती, कजाकिस्तान**
iv) केनरा, एचएसबीसी, लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.
v) भारत एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कं. लि.
vi) एवेरेस्ट बैंक लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल
vii) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
viii) हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण बैंक, मंडी
ix) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
x) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
xi) प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
xii) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
xiii) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल
xiv) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
xv) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

**पीएनबी ने ब्रांड इक्विटी के रूप में 700.48 के प्रतिफल पर पीएनबी मेटलाइफ में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।*

***एएफआर ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह परिसमापन के अधीन है।*

अन्य:

i) पीएनबी शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट

Subsidiaries:

i) PNB Gilts Ltd.
ii) PNB Investment Services Ltd.
iii) PNB Cards and Services Ltd.
iv) Punjab National Bank (International) Ltd., UK.
v) Druk PNB Bank Ltd, Bhutan.

Associates:

i) PNB Metlife India Insurance Co. Ltd*
ii) PNB Housing Finance Limited
iii) JSC (Tengri Bank), Almaty, Kazakhstan**
iv) Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.
v) India SME Asset Reconstruction Co. Ltd.
vi) Everest Bank Limited, Kathmandu, Nepal
vii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
viii) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
ix) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
x) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
xi) Prathama UP Gramin Bank, Moradabad
xii) Assam Gramin Vikas Bank, Guwahati
xiii) Bangiya Gramin Vikas Bank, West Bengal
xiv) Manipur Rural Bank, Imphal
xv) Tripura Gramin Bank, Agartala

**PNB has acquired 30% stake in PNB Metlife at a consideration of Rs. 700.48 as brand equity.*

***AFR revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f. 18.09.2020 and is under Liquidation.*

Others:

i) PNB Centenary Rural Development Trust

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन: *(राशि ₹ करोड़ में)*

विवरण	मूल** (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	अनुषंगियां**	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
पारिश्रमिक	लागू नही	लागू नही	-	2.40	-	2.40
	लागू नही	लागू नही	-	(2.54)	-	(2.54)
उधार						
वर्ष के अंत तक बकाया	लागू नही	लागू नही	24.98	-	-	24.98
	लागू नही	लागू नही	(25.00)	-	-	(25.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	लागू नही	लागू नही	24.98	-	-	24.98
	लागू नही	लागू नही	(25.00)	-	-	(25.00)
जमाराशि						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	892.02	-	-	892.02
	लागू नही	लागू नही	(1,079.87)	-	-	(1,079.87)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	1,135.78	-	-	1,135.78
	लागू नही	लागू नही	(1,134.32)	-	-	(1,134.32)
अन्य देयताएँ						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(0.64)	-	-	(0.64)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(2.77)	-	-	(2.77)
अग्रिम (अन्य)						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	2,691.63	-	-	2,691.63
	लागू नही	लागू नही	(4,636.68)	-	-	(4,636.68)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	4,892.67	-	-	4,892.67
	लागू नही	लागू नही	(4,651.76)	-	-	(4,651.76)
निवेश						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	1,316.29	-	-	1,316.29
	लागू नही	लागू नही	(817.54)	-	-	(817.54)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	1,316.29	-	-	1,316.29
	लागू नही	लागू नही	(817.54)	-	-	(817.54)
अन्य आस्तियां						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	104.41	-	-	104.41
	लागू नही	लागू नही	(84.70)	-	-	(84.70)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	121.58	-	-	121.58
	लागू नही	लागू नही	(152.03)	-	-	(152.03)
गैर–निधिक प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)						
वर्ष के अंत में बकाया	लागू नही	लागू नही	8.92	-	-	8.92
	लागू नही	लागू नही	(7.63)	-	-	(7.63)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	लागू नही	लागू नही	8.92	-	-	8.92
	लागू नही	लागू नही	(7.63)	-	-	(7.63)
प्रदत्त ब्याज – अन्य	लागू नही	लागू नही	2.12	-	-	2.12
	लागू नही	लागू नही	(9.45)	-	-	(9.45)
ब्याज प्राप्त – अन्य	लागू नही	लागू नही	555.96	-	-	555.96
	लागू नही	लागू नही	(556.62)	-	-	(556.62)
प्रबंधन संविदाएँ	लागू नही	लागू नही	0.54	-	-	0.54
	लागू नही	लागू नही	(0.54)	-	-	(0.54)
बैंक प्रभार	लागू नही	लागू नही	1.12	-	-	1.12
	लागू नही	लागू नही	(1.26)	-	-	(1.26)
अन्य व्यय	लागू नही	लागू नही	37.73	-	-	37.73
	लागू नही	लागू नही	(5.42)	-	-	(5.42)
अन्य व्यय	लागू नही	लागू नही	393.53	-	-	393.53
	लागू नही	लागू नही	(322.55)	-	-	(322.55)

*नोट: 1. **अनुषंगियों और कुछ सहयोगी संस्थाओं के साथ हुए लेनदेन का प्रकटीकरण लेखा मानक – 18 "सम्बन्धित पार्टी प्रकटीकरण" के पैरा 9 के मद्देनजर नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उनकी ऐसी अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा नियंत्रित हों, से लेनदेन में कोई प्रकटीकरण करने से छूट देता है।*

2. इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरुप के लेन–देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों से किए गए लेन–देन भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. रिपोर्ट की गई राशि प्रावधान को घटाकर है, यदि कोई हो।

4. जहाँ भी आंकड़े कोष्ठक में दिए गए पिछले वर्ष से संबंधित हैं और जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Transactions with Related Parties:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Parent** (as per ownership or control)	Subsidiaries**	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Remuneration	NA	NA	-	2.40	-	2.40
	NA	NA	-	(2.54)	-	(2.54)
Borrowings						
Outstanding as at the year end	NA	NA	24.98	-	-	24.98
	NA	NA	(25.00)	-	-	(25.00)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	24.98	-	-	24.98
	NA	NA	(25.00)	-	-	(25.00)
Deposits						
Outstanding as at the year end	NA	NA	892.02	-	-	892.02
	NA	NA	(1,079.87)	-	-	(1,079.87)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	1,135.78	-	-	1,135.78
	NA	NA	(1,134.32)	-	-	(1,134.32)
Other Liabilities						
Outstanding as at the year end	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(0.64)	-	-	(0.64)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(2.77)	-	-	(2.77)
Advances (Others)						
Outstanding as at the year end	NA	NA	2,691.63	-	-	2,691.63
	NA	NA	(4,636.68)	-	-	(4,636.68)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	4,892.67	-	-	4,892.67
	NA	NA	(4,651.76)	-	-	(4,651.76)
Investments						
Outstanding as at the year end	NA	NA	1,316.29	-	-	1,316.29
	NA	NA	(817.54)	-	-	(817.54)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	1,316.29	-	-	1,316.29
	NA	NA	(817.54)	-	-	(817.54)
Other Assets						
Outstanding as at the year end	NA	NA	104.41	-	-	104.41
	NA	NA	(84.70)	-	-	(84.70)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	121.58	-	-	121.58
	NA	NA	(152.03)	-	-	(152.03)
Non funded Commitments (LCs/BGs)						
Outstanding as at the year end	NA	NA	8.92	-	-	8.92
	NA	NA	(7.63)	-	-	(7.63)
Maximum outstanding during the year	NA	NA	8.92	-	-	8.92
	NA	NA	(7.63)	-	-	(7.63)
Interest Paid Others	NA	NA	2.12	-	-	2.12
	NA	NA	(9.45)	-	-	(9.45)
Interest received Others	NA	NA	555.96	-	-	555.96
	NA	NA	(556.62)	-	-	(556.62)
Management contracts	NA	NA	0.54	-	-	0.54
	NA	NA	(0.54)	-	-	(0.54)
Bank Charges	NA	NA	1.12	-	-	1.12
	NA	NA	(1.26)	-	-	(1.26)
Other Expenditure	NA	NA	37.73	-	-	37.73
	NA	NA	(5.42)	-	-	(5.42)
Other Income	NA	NA	393.53	-	-	393.53
	NA	NA	(322.55)	-	-	(322.55)

Notes:
1. ***The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of para-9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also state controlled.*
2. *Further, in terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.*
3. *The amounts reported are net of provision, if any.*
4. *Figures in brackets relate to previous year and have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.*

4.8. लेखांकन मानक 19 – पट्टा (मूल कंपनी)

i. परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल होते हैं, जोकि बैंक के विकल्प पर प्रत्येक 3/5वें वर्ष के अंत में सामान्य रूप से नवीकरणीय होते हैं।

ii. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2024 को गैर–रद्द करने योग्य पट्टाः शून्य (गत वर्षः शून्य)।

iii. बैंक ने मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति पर 21.70 करोड़ रुपये का लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया है।

iv. परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है:

31.03.2024 को समाप्त चालू वर्ष		31.03.2023 को समाप्त गत वर्ष	
पट्टे/किराये के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)	पट्टे/किराये के परिसर की संख्या	(राशि ₹ करोड़ में)
15912	814.59	15813	802.06

4.9 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रति शेयर अर्जन	मूल	8.27	3.04
	ह्रासित	8.27	3.04
कर के पश्चात् गणक के रूप में उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)		9107.20	3348.45
शेयरों का अंकित मूल्य		₹2.00 प्रत्येक	₹2.00 प्रत्येक
डिनोमिनेटर के रूप में प्रयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		11011015558	11011015558

4.10 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आस्थगित कर आस्तियां		
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	23107.94	24319.77
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	427.14	138.28
पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.04	0.04
कर योग्य हानि (आगे ले जाया गया)	208.43	208.77
निगमन–पूर्व व्यय	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	2.20	0.33
अन्य आकस्मिकताएँ	262.44	250.77
कुल	**24008.20**	**24917.96**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-335.24	-304.79
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौती	1388.02	1249.26
अन्य	0.00	0.00
कुल	**1052.78**	**944.47**
आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) – निवल	**22955.42**	**23973.49**

4.8. Accounting Standard 19 - Lease (Parent Company)

i. Operating lease primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the bank normally at the end of every 3rd / 5th year.

ii. As per information available, Non-Cancellable lease as on 31.03.2024: NIL (Previous year: NIL).

iii. Bank has created lease equalization reserve for Rs. 21.70 Cr. on the straight line method for the period ended March 2024.

iv. Amount of lease payment recognized in P & L Account for operating lease is as under:

Current Year Ended 31.03.2024		Previous Year Ended 31.03.2023	
No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)	No. of lease / rented premises	(Amount in ₹Crore)
15912	814.59	15813	802.06

4.9 Accounting Standard 20 - Earnings per Share

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
Earnings per Share	Basic	8.27	3.04
	Diluted	8.27	3.04
Amount used as numerator Profit after tax (Rs. In Crore)		9107.20	3348.45
Nominal value of shares		₹2.00 each	₹2.00 each
Weighted average number of equity shares used as the denominator		11011015558	11011015558

4.10 Major components of deferred tax assets and liability are set out below:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for bad & doubtful debts	23107.94	24319.77
Provision for leave encashment	427.14	138.28
Provision for Pension & Gratuity	0.04	0.04
Taxable Loss (Carried Forward)	208.43	208.77
Pre-Incorporation Expenditure	0.00	0.00
Depreciation on fixed assets	2.20	0.33
Others Contingencies	262.44	250.77
Total	**24008.20**	**24917.96**
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on fixed assets	-335.24	-304.79
Deduction u/s 36(1)(viii)of Income- tax Act,1961	1388.02	1249.26
Others	0.00	0.00
Total	**1052.78**	**944.47**
Deferred Tax Assets/ (Liability) – Net	**22955.42**	**23973.49**

4.11 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों का ह्रास

बैंक की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2024 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है।

(गत वर्ष की आस्तियों में एक बड़ा हिस्सा 'वित्तीय आस्तियों' का है, जिन पर लेखा मानक 28 'आस्तियों का ह्रास' लागू नहीं है। बैंक की राय में इन आस्तियों (जिन पर मानक लागू होता है) की उक्त मानक की शर्त के अधीन अपेक्षित पहचान के लिए 31.03.2023 को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक ह्रास नहीं है)।

4.12 लेखांकन मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

i. देयताओं के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बातचीत के अधीन बकाया वेतन	कानूनी मामले / आकस्मिकताएँ
1 अप्रैल 2023 को शेष	459.63 (0.00)	85.58 (83.51)
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	2041.73 (459.63)	43.30 (4.98)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त / राशियाँ	2351.35 (0.00)	9.23 (2.91)
31.03.2024 को शेष	150.00 (459.63)	119.65 (85.58)
बहिर्वाह / अनिश्चितताओं का समय	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह
	वास्तविक भुगतान पर	निपटान / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्वाह

**अन्य के लिए प्रावधान को छोड़कर*

ii- लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्षक के तहत दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
एनपीआई के लिए प्रावधान	-1407.33	173.22
एनपीए के लिए प्रावधान	12171.97	15828.44
एनपीए के लिए फ्लोटिंग प्रावधान (आरबीआई प्रावधान मानदंडों से अधिक)	150.00	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	6.33	1786.56
आय के लिए किया गया प्रावधान वर्तमान कर आस्थगित कर	5002.80 3984.74 1018.06	1792.08 62.27 1729.81
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	798.19	282.56
कुल	**16721.96**	**19862.86**

4.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2024 requiring recognition in terms of the said standard.

(Previous year: A substantial portion of the bank's assets comprises 'financial assets' to which Accounting Standard 28 'Impairment of Assets' is Not Applicable. In the opinion of the bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) to any material extent as at 31.03.2023 requiring recognition in terms of the said standard).

4.12 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Movement of provisions for liabilities*

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Salary arrears under negotiation	Legal cases/ contingencies
Balance as at 1st April 2023	459.63 (0.00)	85.58 (83.51)
Provided during the year	2041.73 (459.63)	43.30 (4.98)
Amounts used/Reversed during the year	2351.35 (0.00)	9.23 (2.91)
Balance as at 31.03.2024	150.00 (459.63)	119.65 (85.58)
Timing of outflow/uncertainties	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization
	On actual Payment	Outflow on settlement / crystallization

**Excluding provisions for others*

ii Break-up of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account is as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions for NPI	-1407.33	173.22
Provision towards NPAs	12171.97	15828.44
Floating provisions for NPAs (over and above RBI provisioning norms)	150.00	0.00
Provision towards Standard Assets	6.33	1786.56
Provision made towards Income Current Tax Deferred Tax	5002.80 3984.74 1018.06	1792.08 62.27 1729.81
Other Provisions & Contingencies	798.19	282.56
Total	**16721.96**	**19862.86**

4.13 आकस्मिक देयताओं पर अनुसूची–12 का संदर्भ लें

ऐसी देयताएं क्रमशः न्यायालय/मध्यस्थता/अदालत के बाहर निपटान के परिणाम, अपीलों के निपटान और मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, हस्तांतरण और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढ़ाने पर निर्भर होती हैं।

4.14 फ्लोटिंग प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा	150.00	0.00
वर्ष के दौरान निकाली गई निकासी का उद्देश्य और राशि	0.00	0.00
जमा शेष	150.00	0.00

4.15 प्रकटीकरण: चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

क. आरआरबी के संबंध में

31.03.2024 तक, पीएनबी (एक प्रायोजक बैंक के रूप में) ने असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी) और मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) की ओर से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) के पक्ष में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है, ताकि ये प्रायोजित आरआरबी मुद्रा ऋण के लिए सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएं (एमएलआई) बन सकें।

वित्त वर्ष 2023 के लिए उपरोक्त आरआरबी की वित्तीय स्थिति और हमारे द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट के आधार पर, मुद्रा ने एजीवीबी और एमआरबी के लिए एक्सपोजर सीमा निर्धारित की और इन आरआरबी को क्रमशः 56.79 करोड़ रुपये और 1.92 करोड़ रुपये की मुद्रा के तहत एक्सपोजर सीमा तक एमएलआई के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा, बैंकों एजीवीबी और एमआरबी ने 31.03.2024 तक मुद्रा से कोई पुनर्वित्त नहीं लिया है। इसलिए, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ख. सहायक कंपनियों और अन्य सहयोगियों के संबंध में:

बैंक ने यूनाइटेड किंगडम में विनियामक प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (PRA) को एक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है, जिसमें यह प्रतिबद्धता जताई गई है कि बैंक अपनी सहायक कंपनी पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड, यूके को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर सके।

हमारे बोर्ड से हमारी सहायक कंपनी PNBIL के संबंध में PRA के पक्ष में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उक्त लेटर ऑफ कंफर्ट को 15.03.2022 को नवीनीकृत किया गया है, जिसमें हमने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नवीनीकरण PRA और RBI के निर्देशानुसार किया गया था। इसके अलावा, 28.03.2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में LOC के प्रभाव के वार्षिक मूल्यांकन को मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार बैंक को वित्तीय दायित्व के किसी भी क्रिस्टलीकरण की उम्मीद नहीं है। इसलिए, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए इस LOC के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, समूह इकाईयों को (सहायक और सहयोगी) बैंक ने कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है।

4.13 Refer Schedule-12 on Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively.

4.14 Break-up of Floating Provisions is as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	0.00	0.00
Quantum of floating provisions made during the year	150.00	0.00
Purpose and amount of draw down made during the year	0.00	0.00
Closing balance	150.00	0.00

4.15 Disclosure: Letter of Comfort (LoC)

a. Regarding RRBs

As on 31.03.2024, PNB (as a Sponsor Bank) has issued Letters of Comfort in favour of Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd.) on behalf of Assam Gramin Vikash Bank (AGVB) and Manipur Rural Bank (MRB) for enabling these Sponsored RRBs to become Member Lending Institutions (MLIs) for MUDRA Loans.

On the basis of financials of the above RRBs for FY 2023 and Letter of Comfort issued by us, MUDRA worked out the exposure limits for AGVB and MRB and these RRBs were accepted as MLI up to the exposure limit under MUDRA for Rs. 56.79 Crore and Rs. 1.92 Crore respectively. Further, the banks AGVB and MRB have not availed any refinance from MUDRA as on 31.03.2024. Hence, there is no financial impact.

b. Regarding Subsidiaries and other Associates:

The Bank has issued a Letter of Comfort to Prudential Regulation Authority (PRA), the regulator in United Kingdom, committing that the bank shall provide financial support to its subsidiary, Punjab National Bank (International) Ltd., UK so that it meets its financial commitments as and when they fall due.

The said Letter of Comfort has been renewed on 15.03.2022 after seeking approval of our Board in favor of PRA w.r.t. our subsidiary PNBIL wherein we have reiterated our commitment. The renewal was done as per instruction of PRA and RBI. Further, Annual assessment of impact of LOC was approved by the Board in its meeting held on 28.03.2024, as per which the Bank does not foresee any crystallization of financial obligation. Therefore, there is no financial impact on account of this LOC for FY 2023-24.

Apart from the above, the Bank has not issued any Letter of Comfort to Group Entities (subsidiaries and associates).

4.16 प्रकटीकरणः वचन पत्र

बैंक ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विनियमन 3(3) के अंतर्गत पीएनबी आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा के लिए एक वचन पत्र प्रदान किया है किः

"बैंक समर्थन और सहायता प्रदान करेगा (जब भी आवश्यक हो, तरलता सहित) और बैंकिंग इकाई को अपने दायित्वों के दौरान अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो सकता है।"

उपरोक्त के अलावा बैंक ने विदेशी शाखाओं के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है और आश्वासन पत्र के तहत कोई संचयी वित्तीय दायित्व नहीं हैं।

4.17 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरण" पर लेखा मानक 21, "समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा मानक 23 और "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर लेखांकन मानक 27 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4.19 धोखाधड़ी खाते

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
धोखाधड़ी की संख्या की सूचना दी गई	उधार	52	164
	गैर उधार	79	125
	डिजिटल धोखाधड़ी	6981	00
	कुल	7112	289
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	उधार	1752.91	1580.46
	गैर उधार	31.25	228.64
	डिजिटल धोखाधड़ी	19.43	0.00
	कुल	1803.59	1809.10
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किये गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	उधार*	1425.70	1578.46
	गैर उधार	16.97	224.22
	डिजिटल धोखाधड़ी	0.00	0.00
	कुल	1442.67	1802.68
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट की गई अपरिशोधित प्रावधान की राशि। (₹ करोड़)	-	-	1028.95

** 31.03.2024 तक उधार धोखाधड़ी की बकाया राशि 1425.70 करोड़ रुपये है।*

5.1 गत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक होने पर, पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित / पुनःवर्गीकृत किया गया है।

5.2 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष से संबंधित हैं।

4.16 Disclosure: Letter of Undertaking

The Bank has provided a Letter of Undertaking for PNB IBU Gift City Branch under Regulation 3(3) of International Financial Service Centre Authority(IFSCA) that:

"Bank will provide support and assistance (including liquidity, whenever needed) and as may be appropriate to enable the banking unit to meet its obligations in the course of its obligation".

Apart from the above the Bank has not issued any Letter of Comfort for overseas branches and there are no cumulative financial obligations under Letter of Comfort.

4.17 The Consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by RBI.

4.19 Fraud accounts

Particulars		Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	Borrowal	52	164
	Non Borrowal	79	125
	Digital Fraud	6981	00
	TOTAL	7112	289
Amount involved in fraud (₹ crore)	Borrowal	1752.91	1580.46
	Non Borrowal	31.25	228.64
	Digital Fraud	19.43	0.00
	TOTAL	1803.59	1809.10
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	Borrowal*	1425.70	1578.46
	Non Borrowal	16.97	224.22
	Digital Fraud	0.00	0.00
	TOTAL	1442.67	1802.68
Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year. (₹ crore)	-	-	1028.95

**Amount outstanding as on 31.03.2024 the Borrowal Fraud is Rs. 1425.70 crore.*

5.1 Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

5.2 Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(राशि करोड़ में) (Rs. in Crore)

	विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
ए. **A.**	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** **Cash Flow from Operating Activities**			
	कर के पश्चात निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss) after Tax		9107.20	3348.45
	कर के लिए प्रावधान Provision for Tax		5002.80	1792.08
(I)	**कर से पूर्व निवल लाभ** **Net Profit before tax**	**(i)**	**14110.00**	**5140.53**
(II)	**निम्नलिखित के लिए समायोजन:** **Adjustments for:**			
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets		905.60	904.87
	निवेश [निवल] पर मूल्यह्रास/(रिलीज़) Depreciation/(Release) on Investments [net]		(742.12)	1966.77
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for non performing assets		12321.98	15828.44
	मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision on Standard Assets		91.85	1311.62
	अन्य प्रावधान (निवल) Other Provision (net)		712.67	757.50
	एसोसिएट्स में उपार्जन का शेयर Shares of earning in Associates		(803.22)	(289.44)
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से लाभ/हानि Profit / Loss on sale of Fixed Assets (net)		(6.66)	(2.58)
	बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		2970.10	2467.94
	उप जोड़ **Sub Total**	**(ii)**	**15450.20**	**22945.12**
(III)	**निम्नलिखित के लिए समायोजन:** **Adjustment for:**			
	निवेशों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Investments		(27599.32)	(29448.23)
	अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Advances		(116625.46)	(118492.65)
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Other Assets		62.90	1130.00
	जमा राशियों में वृद्धि/(ह्रास) Increase/(Decrease) in Deposits		88878.16	136112.62

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars		31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
उधारों में वृद्धि/(ह्रास) Increase/(Decrease) in Borrowings		(4665.00)	6315.23
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions		4323.79	93.62
उप जोड़ Sub Total	**(iii)**	**(55624.93)**	**(4289.40)**
परिचालनों से निर्मित नकदी Cash generated from Operations	**(i+ii+iii)**	**(26064.73)**	**23796.25**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदेय को घटाकर) Direct Taxes paid (net off Refund)		(1874.71)	(1204.15)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी Net Cash from Operating Activities	**(ए) (A)**	**(27939.44)**	**22592.10**
बी. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. Cash Flow from Investing Activities			
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर) Purchase of Fixed Assets (net off Sales)		(1143.65)	(552.39)
सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यम/आरआरबी(यों) में निवेश (निवल) Investment in Subsidiaries/JV/RRBs (net)		(362.77)	(180.08)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी Net Cash used in Investing Activities	**(बी) (B)**	**(1506.42)**	**(732.47)**
सी. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. Cash flow from Financing Activities			
शेयर पूंजी/शेयर आवेदन राशि/शेयर प्रीमियम Share Capital/Share Application Money/Share Premium		-	-
जारी/बॉण्ड (निवल) का (मोचन) Issue/(Redemption) of Bonds (net)		7102.00	4461.72
प्रदत्त लाभांश Dividend paid		(715.72)	(704.71)
बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Bonds		(2970.11)	(2467.94)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि/(ह्रास) Increase/ (Decrease) in Minority Interest		101.40	(14.09)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी Net Cash from Financing Activities	**(सी) (C)**	**3517.57**	**1274.98**
डी. नकदी तथा नकदी तुल्यों से निवल परिवर्तन D. Net Change in Cash and Cash Equivalents	**(ए+बी+सी) (A+B+C)**	**(25928.29)**	**23134.60**
अवधि के आरंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India		78213.52	86127.84
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice		79114.96	48066.04
		157328.48	**134193.88**

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
अवधि के समापन में नकदी तथा नकदी तुल्य Cash and Cash Equivalents at the end of the period		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	65325.13	78213.52
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	66075.06	79114.96
	131400.19	**157328.48**

टिप्पणियाँ :–
Notes :-

1 नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Cash flow statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been regrouped wherever considered necessary.

2 प्रत्यक्ष करों का भुगतान (प्रतिदेय को घटाकर) को परिचालन कार्यकलापों से निर्मित माना जाता है तथा उन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है।
Direct taxes paid (net off refund) are treated as arising from operating activities and are not bifurcated between investing and financing activities.

3 वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।
Figures of previous period have been regrouped wherever considered necessary to conform current period classification.

4 नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है
Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice

प्रबुद्ध शर्मा
Prabudh Sharma
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

मुकेश कुमार
Mukesh Kumar
सहायक महाप्रबंधक
Asstt. General Manager

आर के खीची
R K Khichi
उप महाप्रबंधक
Deputy General Manager

प्रवीण कुमार शर्मा
Praveen Kumar Sharma
महाप्रबंधक
General Manager

डी के जैन
D K Jain
मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएफओ
Chief General Manager & CFO

बिभु प्रसाद महापात्र
Bibhu Prasad Mahapatra
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

एम. परमशिवम
M Paramasivam
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

बिनोद कुमार
Binod Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

कल्याण कुमार
Kalyan Kumar
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

अतुल कुमार गोयल
Atul Kumar Goel
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & CEO

के जी अनंतकृष्णन
K G Ananthakrishnan
अध्यक्ष
Chairman

डॉ. रेखा जैन
Dr. Rekha Jain
निदेशक
Director

संजीव कुमार सिंघल
Sanjeev Kumar Singhal
निदेशक
Director

पंकज जोशी
Pankaj Joshi
निदेशक
Director

उमा शंकर
Uma Sankar
निदेशक
Director

पंकज शर्मा
Pankaj Sharma
निदेशक
Director

कृते डी के छाजड़ एंड कंपनी
For D K Chhajer & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 304138ई
FRN: 304138E

सनदी लेखाकार नन्द किशोर सर्राफ
CA Nand Kishore Sarraf
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 510708)
(M.No. 510708)

कृते एस सी बापना एंड एसोसिएट्स
For S C Bapna & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 115649डब्ल्यू
FRN: 115649W

सनदी लेखाकार जय प्रकाश गुप्ता
CA Jai Prakash Gupta
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 088903)
(M.No. 088903)

कृते उमेद जैन एंड कंपनी
For Ummed Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 119250डब्ल्यू
FRN: 119250W

सनदी लेखाकार दिनेश गोदिका
CA Dinesh Godika
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 072738)
(M.No. 072738)

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
For N K Bhargava & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 000429एन
FRN: 000429N

सनदी लेखाकार एन के भार्गव
CA N K Bhargava
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 080624)
(M.No.080624)

कृते पी एस डी एंड एसोसिएट्स
For P S D & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन: 004501सी
FRN: 004501C

सनदी लेखाकार अभिनव शर्मा
CA Abhinav Sharma
भागीदार
Partner
(सदस्य सं. 411219)
(M.No. 411219)

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 09 मई, 2024
Date: May 09, 2024

BLANK PAGE

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, और कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार और श्री एम.परमशिवम के साथ प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में उड़ान (UDAAN) टूल एवं कार्यप्रणाली का शुभारंभ करते हुए

Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO with Executive Directors, Shri Kalyan Kumar, Shri Binod Kumar and Shri M.Paramasivam launched the UDAAN tools & functionalities at Head Office, Dwarka, New Delhi

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकगण श्री विजय दुबे (सेवानिवृत्त) श्री कल्याण कुमार एवं श्री एम परमशिवम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में बैंक का 129 वां स्थापना दिवस मनाते हुए

Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO alongwith Executive Directors Shri Vijay Dube (since retired.), Shri Kalyan Kumar & Shri M. Paramasivam and other senior officers celebrating Bank's 129th Foundation day at head office Dwarka, New Delhi.

श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एवं सीईओ, मुख्य अतिथि डॉ. किरण बेदी, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी को प्रधान कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित महिला सम्मेलन में सम्मानित करते हुए।

Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO, felicitating the chief Guest, Dr.Kiran Bedi, former Lieutenant Governor of Puducherry and India's first Woman IPS officer at Women Conclave held at Head Office Dwarka, New Delhi

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री एम. परमशिवम और श्री बिभु प्रसाद महापात्र तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री राघवेंद्र कुमार द्वारा नव वर्ष 2024 के अवसर पर स्टाफ सदस्यों को सम्बोधन एवं शुभकामना सन्देश देते हुए।

Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and CEO and Executive Directors, Shri Kalyan Kumar, Shri Binod Kumar, Shri M. Paramasivam and Shri Bibhu Prasad Mohapatra and Chief Vigilance Officer Shri Raghavendra Kumar addressed the staff members on the occasion of New Year 2024

डॉ. प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा तथा श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक की नवीकृत ओल्ड गोवा शाखा का उद्घघाटन करते हुए।

Dr.Pramod Sawant, Hon'ble Chief Minister, Goa and Shri Atul kumar Goel ,Managing Director & Chief Executive officer Inaugurated BO: Old Goa

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकगण श्री कल्याण कुमार ,श्री बिनोद कुमार, श्री एम.परमशिवम और श्री बिभु प्रसाद महापात्र के साथ अंचल प्रमुख एवं मंडल प्रमुख व्यवसाय सम्मेलन में दीप प्रज्वलित करते हुए

Shri Atul Kumar Goel, MD & CEO lighting the lamp at Zonal Heads & Circle Heads Business Conference along with Executive Directors Shri Kalyan Kumar, Shri Binod Kumar, Shri M Paramasivam and Shri Bibhu Prasad Mahapatra

कार ऋण
Car Loan

गोल्ड ऋण
Gold Loan

One App for Business Banking

आवास ऋण
Home Loan

पूर्व स्वीकृत बिजनेस ऋण
Pre approved business loan

पीएम स्वनिधि ऋण
PM SVANidhi

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-24

Head Office: Plot No. 4, Sector 10,
Dwarka, New Delhi - 110075

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10,
द्वारका, नई दिल्ली-110075

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !

punjab national bank
...the name you can BANK upon!